VISION IAS
INSPIRING INNOVATION

MAINS 365

अर्थव्यवस्था

Classroom Study Material 2020

(September 2019 to September 2020)

www.visionias.in
+91 8468022022 DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH

विषय सूची

1. रोजगार, कौशल विकास एवं श्रम सुधार (Employment, Skill Development and Labour Reforms).................. 7

1.1. रोजगार (Employment) 7
1.1.1. अनौपचारिक रोजगार (Informal Employment) 9
1.1.2. स्व-रोजगार (Self Employment) 11

1.2. कौशल विकास (India Skills Report 2020) 12
1.2.1. कौशल विकास पहल (Skill Development Initiatives) 13

1.3. श्रम कानून सुधार (Labour Law Reforms) 14
1.3.1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Code on Industrial Relations, 2020) 16
1.3.2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) 17
1.3.3. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020) 19

2. आर्थिक संवृद्धि, निर्धनता उन्मूलन और वित्तीय समावेशन (Economic Growth, Poverty Alleviation And Financial Inclusion)........ 22

2.1. आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth) 22
2.1.1. असमानता एवं समावेशी विकास (Inequalities and Inclusive growth) 24

2.2. निर्धनता उन्मूलन (Poverty Alleviation) 27
2.2.1. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2020 {Multidimensional Poverty Index (MPI) 2020} 28
2.2.2. निर्धनता उन्मूलन हेतु हाल ही में किए गए नीतिगत सुधार (Recent Policy Reforms for Poverty Alleviation) 30
2.2.2.1. मनरेगा में सुधार (Reforms in Mgnrega) 30
2.2.2.2. वहनीय आवास (Affordable Housing) 31

2.3. वित्तीय समावेशन (Financial inclusion) 34
2.3.1. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion) 34
2.3.2. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 {National Strategy for Financial Education (NSFE) 2020-2025} 36
2.3.3. डिजिटल वित्तीय समावेशन (Digital Financial Inclusion) 38

3. राजकोषीय नीति और संबंधित सुर्खियां (Fiscal Policy and Related News) 40

3.1. लोक वित्त की स्थिति (Status of Public Finances) 40
3.1.1. सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र (Status Paper on Government Debt) 40
3.1.2. राज्य वित्त (State Finances) 42
3.1.3. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (Report of the 15th Finance Commission for F.Y. 2020-21) 44

VISION IAS

3.2. कराधान (Taxation)......46
3.2.1. प्रत्यक्ष कर सुधार (Direct Tax Reform)......46
3.2.1.1. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020)......47
3.2.1.2. पारदर्शी कराधान- 'ईमानदार का सम्मान' प्लेटफॉर्म ('Transparent Taxation-Honouring the Honest' Platform)......48
3.2.2. वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों पर करारोपण (Taxing Global Technology Companies)......48
3.2.3. उपकर एवं अधिभार (Cesses and Surcharges)......50
3.3. गैर-कर स्रोतों से वित्त जुटाना (Financial Mobilization from Non-Tax Sources)......51
3.3.1. घाटे का मौद्रीकरण (Monetization of Deficit)......52
3.3.2. सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री (Strategic Sale of PSUs)......53
3.4. वित्त संबंधी अन्य सुर्ख़ियाँ (Other Financial News)......55
3.4.1. द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting)......55
3.4.2. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange)......56
3.4.3. महामारी जोखिम पूल (Pandemic Risk Pool)......58
4. बैंकिंग एवं भुगतान (Banking and Payments)...... 60
4.1. तनावग्रस्त परिसंपत्तियां और उनकी पुनर्रचना (Stressed Assets and Their Restructuring)......60
4.1.1. ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता का निलंबन {Suspension of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)}......62
4.2. शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks)......63
4.2.1. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020}......66
4.3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Priority Sector Lending (PSL) Guidelines}......67
4.4. सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों का विलय (Consolidation of Public Sector Banks)......69
4.5. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष तरलता योजना (Special Liquidity Scheme For NBFCs and HFCs)......70
4.6. भारत की डिजिटल वित्त अवसंरचना (India's Digital Finance Infrastructure)......72
5. व्यापार एवं निवेश (Trade and Investment)...... 75
5.1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)......75
5.1.1. व्यापार पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह की रिपोर्ट (Report of the High-Level Advisory Group on Trade)......75
5.1.2. निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index: EPI) 2020......77
5.1.3. वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains)......78
5.1.4. व्यापार और विकास (Trade and Development)......80
5.1.5. विश्व व्यापार संगठन और संबंधित गतिविधियां (WTO and Related Developments)......81

VISION IAS

5.1.5.1. उद्गम का नियम (Rules of Origin) 83

5.2. अंतर्राष्ट्रीय निवेश (International Investment) 84

5.2.1. संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (Revised FDI Policy) 85

5.2.1.1. सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Empowered Group of Secretaries and Project Development Cells) 87

5.2.2. द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT) 88

6. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (Agriculture and Allied Activities) 90

6.1. कृषि आगतें (Agricultural Inputs) 90

6.1.1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme) 90

6.1.2. यूरिया सब्सिडी (Urea Subsidy) 92

6.1.3. बीज उद्योग (Seed Industry) 94

6.2. कृषकों के लिए वित्तीय समर्थन (Financial Support to Farmers) 95

6.2.1. कृषि ऋण (Agricultural Credit) 95

6.2.2. प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana: PM-KMY) 98

6.3. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) 99

6.3.1. कृषि सुधार अधिनियम (Agricultural Reforms Acts) 101

6.3.1.1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020} 102

6.3.1.2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020} 103

6.3.1.3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020} 104

6.3.1.4. न्यूनतम विक्रय मूल्य (Minimum Selling Price: MSP) 105

6.3.2. किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन (Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations) 106

6.4. संबद्ध क्षेत्रक (Allied sectors) 107

6.4.1. पशु पालन क्षेत्रक (Animal Husbandry Sector) 107

6.4.1.1. डेयरी क्षेत्रक (Dairy Sector) 109

6.4.2. लघु वनोपज (Minor Forest Produce) 109

6.4.3. मात्स्यिकी क्षेत्रक (Fisheries Sector) 110

6.5. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food-Processing Sector) 112

6.5.1. मेगा फूड पार्क (Mega Food Parks) 114

6.5.2. पी.एम. फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme) 115

VISION IAS

6.6. कृषि शिक्षा (Agricultural Education) 116

6.7. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)..117

6.8. कृषि निर्यात (Agricultural Exports)...119

6.9. कृषि से संबंधित उद्योग (Agriculture Related Industries) 121

6.9.1. खाद्य तेल की कमी (Edible Oil Deficiency) 121

7. उद्योग और अवसंरचना (Industry and Infrastructure)..124

7.1. औद्योगिक नीति के अंतर्गत किए गए प्रयास (Industrial Policy Efforts)..124

7.1.1. सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, 2017 में संशोधन (Amendments To Public Procurement Order, 2017) 124

7.1.1.1. संवहनीय सरकारी खरीद {Sustainable Public Procurement (SPP)}.....................................126

7.1.2. विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार (Revitalizing SEZs) 127

7.2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक (MSME Sector)..129

7.2.1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक का वित्त-पोषण (Financing of MSME Sector)...............................130

7.2.2. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत MSME क्षेत्रक के लिए घोषित उपाय (Measures Announced For MSME Sector Under Atmanirbhar Bharat Abhiyan) 131

7.3. खान और खनिज क्षेत्रक (Mines and Minerals Sector)..132

7.3.1. खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 (Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020) 132

7.3.1.1. आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में अन्य सुधारों की घोषणा (Other Reforms Announced as part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan)...133

7.3.2. जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF)..134

7.4. अन्य क्षेत्रक (Other Sectors) 135

7.4.1. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Electronics Manufacturing)...135

7.4.2. इस्पात क्षेत्रक (Steel Sector) 137

7.4.2.1. स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (Steel Scrap Recycling Policy) 137

7.4.3. वस्त्र क्षेत्रक (Textile Sector) 138

7.4.3.1. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles: TT) 138

7.5. अवसंरचना (Infratructure) 141

7.5.1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP) 141

7.5.2. निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण मॉडल के लिए मॉडल रियायत समझौता (Model Concession Agreement For BOT Model) 144

8. सेवा क्षेत्रक (Services Sector) 147

8.1. ई-कॉमर्स क्षेत्रक (E-Commerce Sector) 147

8.1.1. ई-कॉमर्स नियम, 2019 का प्रारूप (Draft E-Commerce Rules 2019) 149

8.2. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector) 151

VISION IAS

8.2.1. दूरसंचार क्षेत्र में संकट की स्थिति (Distress in Telecom Sector) 152

9. परिवहन क्षेत्रक (Transport Sector)..154

9.1. मल्टी-मॉडल टर्मिनल (Multi Modal Terminal)..155

9.2. रेलवे (Railways)..156

9.2.1. रेलवे में निजी भागीदारी (Private Participation in Railways)...................................156

9.2.2. भारतीय रेलवे का संगठनात्मक पुनर्गठन (Railway Restructuring)..................................157

9.2.3. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (Dedicated Freight Corridor: DFC)...................................159

9.3. सड़कमार्ग (Roadways) 160

9.3.1. सड़क अवसंरचना वित्त-पोषण (Road Infrastructure Funding) 160

9.4. नौवहन (Shipping) 162

9.4.1.महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 (Major Port Authorities Bill, 2020) 162

10. विद्युत क्षेत्रक (Power Sector)...165

10.1. विद्युत क्षेत्रक से संबंधित नीतियाँ (Power Sector Policies) 166

10.1.1. प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 {Draft Electricity (Amendment) Bill, 2020} 166

10.1.2. विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण (Privatising DISCOMs)....................................167

10.2. कोयला, तेल एवं गैस (Coal, Oil and Gas) 169

10.2.1. वाणिज्यिक कोयला खनन (Commercial Coal Mining)...169

10.2.2. एकीकृत गैस मूल्य प्रणाली (Unified Gas Price System) 171

10.2.2.1. इंडियन गैस एक्सचेंज (Indian Gas Exchange: IGX)...172

10.2.2.2. राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid) 173

10.3. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)...174

10.3.1. विद्युत खरीद समझौता (Power Purchase Agreements) 174

10.3.2. चौबीस घंटे अर्थात् राउंड द क्लॉक विद्युत आपूर्ति हेतु मिश्रित (बंडलिंग) योजना {Bundling Scheme For Round-The-Clock (RTC) Power Supply}..176

10.3.3. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market: GTAM) 177

11. व्यवसाय एवं नवाचार (Business and Innovation)...179

11.1. व्यवसाय से संबंधित नीतिगत सुधार (Business Policy Reforms) 179

11.1.1. डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 (Doing Business Report 2020) 179

11.1.1.1. व्यवसाय सुधार कार्य योजना - व्यवसाय करने में सुगमता रैंकिंग (Business Reform Action Plan- Ease of Doing Business Ranking) 180

11.2. स्टार्ट-अप एवं नवाचार (Start-up and Innovation) 181

11.2.1. नवाचार पारितंत्र: क्या, क्यों व कैसे? (Innovation Ecosystem: What, Why and How?) 182

VISION IAS

12. विविध (Miscelleneous)....................185

12.1. आत्मनिर्भर भारत: क्या, क्यों और कैसे? (Atmanirbhar Bharat: What, Why And How?)....................185

12.2. डेटा गुणवत्ता: समस्याएं और उनके समाधान के प्रयास (Data Quality: Issues and Efforts)....................187

12.2.1. नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विजन डॉक्यूमेंट (National Data and Analytics Platform Vision Document)....................188

12.2.2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक, 2019 का मसौदा (Draft National Statistical Commission Bill, 2019)....................189

12.3. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)....................190

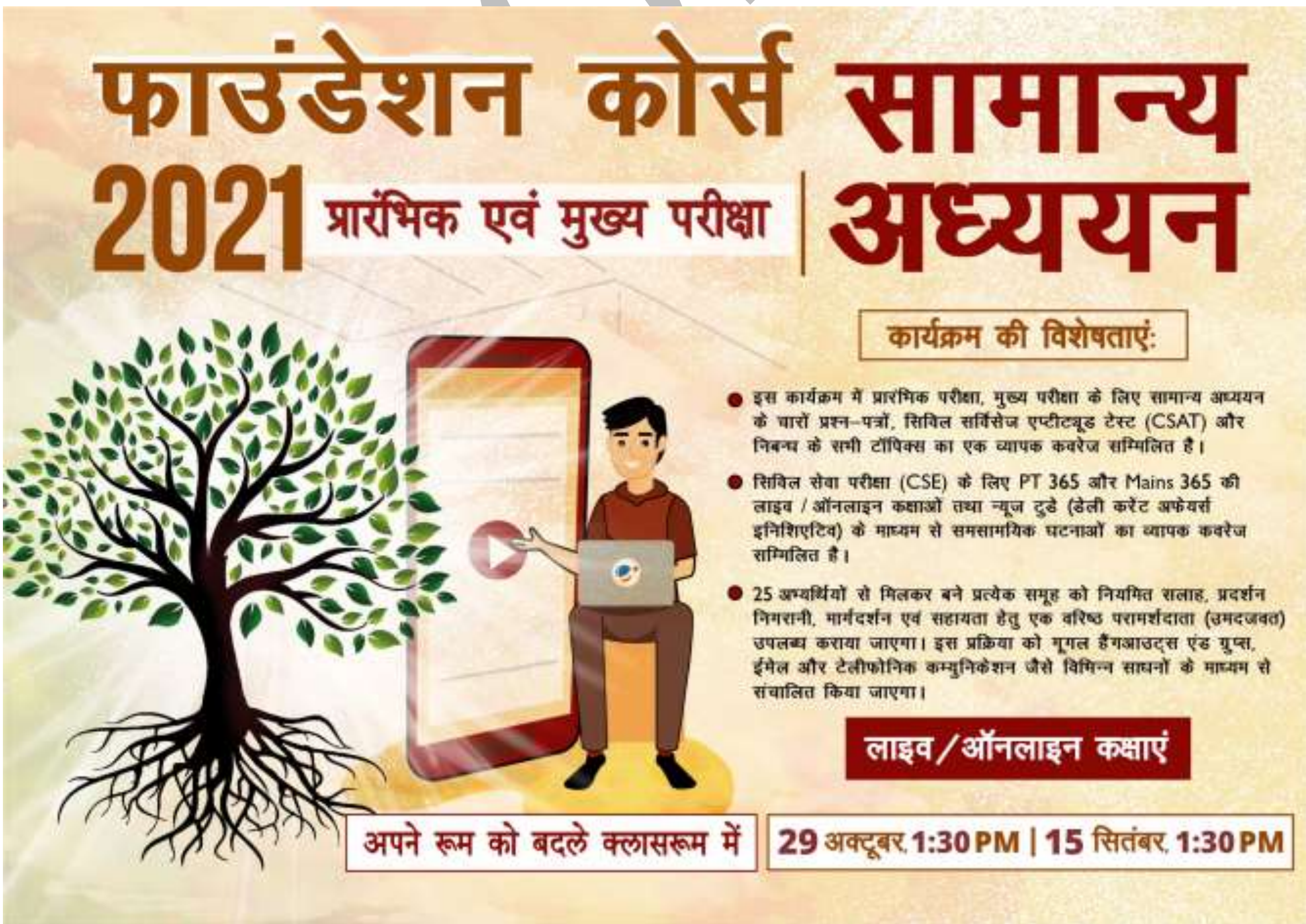

1. रोजगार, कौशल विकास एवं श्रम सुधार (Employment, Skill Development and Labour Reforms)

1.1. रोजगार (Employment)

परिचय

रोजगार प्रमुख आर्थिक चरों (कारकों) में से एक है और परिणामस्वरूप इसका आर्थिक संवृद्धि पर प्रत्यक्ष तथा जनसंख्या के समग्र कल्याण पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

भारत में रोजगार की स्थिति: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 के निष्कर्ष

- भारत में **श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR)** वर्ष 2011-12 के 39.5% से घटकर वर्ष 2018-19 में 37.5% हो गई है। (NSSO)
- भारत में **कार्यशील जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio: WPR),** जो वर्ष 2011-12 में 38.6% था, वह वर्ष 2018 में घटकर 35.3% हो गया है। (NSSO)
- श्रम भागीदारी में **विशाल लैंगिक अंतराल** और कामगार-जनसंख्या अनुपात:
  - पुरुषों के लिए, LFPR 55.6% है, जबकि महिलाओं के लिए यह 18.6% है।
  - पुरुषों के लिए, WPR 52.3% है, जबकि महिलाओं के लिए यह 17.6% है।
- **5.8% की पुरुष बेरोजगारी दर** एवं **5.2% की महिला बेरोजगारी दर** के साथ **औसत बेरोजगारी दर 6.0%** के आस-पास बनी हुई है।
- **कामगारों की रोजगार स्थिति:**
  - **ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-नियोजित लोगों का प्रतिशत** अधिक है: ग्रामीण श्रमिकों में लगभग 58% और शहरी श्रमिकों में 37% स्व-नियोजित श्रमिक हैं।
  - शहरी क्षेत्रों में नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का प्रतिशत अधिक है: लगभग 13% ग्रामीण कर्मचारी और 50% शहरी कर्मचारी नियमित मजदूरी/ वेतनभोगी कर्मचारी हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिक (Casual workers) शहरी क्षेत्रों में अस्थायी श्रमिकों के दोगुने से अधिक हैं।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS)

- अप्रैल 2017 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था।
- इसे NSSO के पूर्व के पंचवार्षिक (प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार) रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण की तुलना में एक **नवीन नियमित रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण** के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें सर्वेक्षण पद्धति, डेटा संग्रह तंत्र और प्रतिदर्श डिजाइन में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।
- इसे शहरी क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बाजार सांख्यिकीय संकेतकों के त्रैमासिक परिवर्तनों का मापन करने के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इन संकेतकों का वार्षिक आंकलन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसका उपयोग नीति-निर्माण के लिए किया जा सकता है।

विद्यमान चुनौतियां

- वर्ष 2017-18 के सर्वेक्षण में श्रम बल भागीदारी, महिला भागीदारी दर और बेरोजगारी दर जैसे संकेतकों में सुधार के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि वर्ष **2019-20 में बेरोजगारी दर में गिरती प्रवृत्ति को बनाए रखना एक चुनौती** होगी।
- कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए मार्च और जून के बीच लंबे समय तक लागू रहे देशव्यापी लॉकडाउन के कारण यह संशय बना हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रकों में नौकरियों को क्षति पहुंची है। उदाहरण के लिए, **सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मासिक आंकड़ों** के अनुसार, **भारत में बेरोजगारी की दर जून 2019 के 7.87% से बढ़कर मई 2020 में 23.48% हो गई।**

वैश्विक रोजगार परिदृश्य: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) द्वारा जारी "वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल

VISION IAS

आउटलुक- ट्रेंड्स 2020" रिपोर्ट

- **निम्न आय वाले देशों में आर्थिक संवृद्धि की धीमी गति और अकुशल संरचना:** यह निर्धनता को कम करने और कार्य की दशाओं में सुधार करने के प्रयासों को अप्रभावी बनाता है।वर्ष 2000 और 2018 के मध्य, निम्न आय वाले देशों में कृषि एवं प्राथमिक व्यवसायों की, रोजगार में हिस्सेदारी में केवल 6 प्रतिशत तक की गिरावट हुई है।
- **श्रम का अल्प-उपयोग:** विश्व भर में 470 मिलियन से कहीं अधिक लोगों के पास वैतनिक श्रम तक पर्याप्त पहुंच का अभाव है या वे कार्य के घंटों की वांछित संख्या के अवसर से वंचित हैं।
- **रोजगार की कमी जारी रहने की संभावना:** वर्ष 2020 में वैश्विक बेरोजगारी में लगभग 2.5 मिलियन वृद्धि का अनुमान है।
- **उचित कार्य पाने का मुद्दा:** वर्तमान में कार्यशील निर्धनता (उचित कार्य पाने का एक पैमाना) वैश्विक कार्यशील आबादी के पांच में से एक कर्मी को प्रभावित करती है। इसे (कार्यशील निर्धनता) क्रयशक्ति समता के संदर्भ में प्रति दिन 3.20 अमेरिकी डॉलर से कम अर्जन के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- **असमानता में वृद्धि:** लिंग, आयु और भौगोलिक स्थिति से संबंधित असमानताओं में वृद्धि के कारण रोजगार बाजार निरंतर प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है। इन कारकों द्वारा व्यक्तिगत अवसर और आर्थिक वृद्धि दोनों को सीमित किया जा रहा है।
- **महिलाओं और युवा वर्ग के समक्ष बाधाएं:** वर्ष 2019 में, महिला श्रम बल भागीदारी दर सिर्फ **47** प्रतिशत थी, जो पुरुष भागीदारी दर (**74** प्रतिशत पर) से **27** प्रतिशत कम थी। रोजगार तक पहुंच के संदर्भ में लैंगिक असमानताओं में व्यापक क्षेत्रीय भिन्नता विद्यमान हैं।
- **भावी जोखिम:** व्यापार प्रतिबंधों और संरक्षणवाद में वृद्धि, जो रोजगार को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं,

कोविड-19 का वैश्विक कार्य दशा पर प्रभाव: ILO मॉनिटर रिपोर्ट के निष्कर्ष

- वर्तमान में 81 प्रतिशत नियोक्ता और 66 प्रतिशत स्व-नियोजित श्रमिक उन देशों में निवास और कार्य करते हैं, जहाँ कार्यस्थलों को बंद करने की अनुशंसा की गयी है या आवश्यक बनाया गया है।
- वर्ष 2020 की प्रथम तिमाही में वैश्विक स्तर पर कार्य के घंटों में अनुमानित 4.5 प्रतिशत (लगभग 130 मिलियन पूर्णकालिक कार्य) की गिरावट हुई है।
- **उद्यमों के समक्ष जोखिम की स्थिति:**
    - जिन क्षेत्रों के अत्यधिक प्रभावित होने की पहचान की गई है, उनमें आवास एवं खाद्य सेवाएं, विनिर्माण, थोक एवं खुदरा व्यापार, अचल संपत्ति और व्यावसायिक गतिविधियाँ शामिल हैं। इन क्षेत्रकों का औसतन राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत से अधिक का योगदान है तथा इनमें विश्व भर में लगभग 436 मिलियन उद्यम शामिल हैं।
    - उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में छोटे व्यवसायों की संख्या में गिरावट होने का अनुमान है। इसके निम्नलिखित कारण हैं: इनकी प्रायः ऋण तक पहुंच कम होती है; इनकी परिसंपत्तियां कम होती हैं; तथा इनकी सामान्य रूप से राजकोषीय उपायों और वर्तमान संकट से संबंधित प्रोत्साहन पैकेजों से लाभान्वित होने की संभावना कम होती है।

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था: विश्व भर में 2 अरब** से अधिक लोग अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं।
    - **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लगभग 1.6 अरब श्रमिक** (विश्व भर में अनौपचारिक रोजगारों का 76 प्रतिशत) लॉकडाउन उपायों और/या इससे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
        - **उच्च जोखिम वाले क्षेत्रकों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है:** इन क्षेत्रकों में 42 प्रतिशत महिला श्रमिक, जबकि 32 प्रतिशत पुरुष श्रमिक कार्यशील हैं।

VISION IAS

- **अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लगभग 1.1 अरब श्रमिक संपूर्ण लॉकडाउन** और अतिरिक्त 304 मिलियन श्रमिक आंशिक लॉकडाउन वाले **देशों में निवास कर रहे हैं और कार्यरत हैं।**

- इस संकट के कारण विश्व स्तर पर अनौपचारिक श्रमिकों की आय में 60 प्रतिशत की गिरावट होने का अनुमान है।
- विश्व स्तर पर अनौपचारिक श्रमिकों में सापेक्ष निर्धनता दर (rate of relative poverty) में लगभग 34 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।
  - **सापेक्ष निर्धनता दर:** यह जनसंख्या की औसत आय के 50 प्रतिशत से भी कम मासिक आय वाले श्रमिकों का अनुपात है।

1.1.1. अनौपचारिक रोजगार (Informal Employment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्तमान महामारी अनौपचारिक कामगारों को घर पर ही रहने के लिए विवश कर रही है, लेकिन काम नहीं करने और घर पर रहने का अर्थ है अपनी नौकरी और अपनी आजीविका खोना। इसने उनके लिए विकट दुविधा उत्पन्न कर दी है कि- **"भूख से मरें या वायरस से मरें।"**

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था क्या है और यह महत्वपूर्ण क्यों है?

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में मोटे तौर पर दो भाग सम्मिलित होते हैं- आर्थिक संस्थाओं के रूप में **अनौपचारिक उद्यम** और **अनौपचारिक कर्मचारी (औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के उद्यमों में कार्यरत)।** हालांकि, भारत में अनौपचारिक क्षेत्रक और अनौपचारिक रोजगार की कोई मानक परिभाषा नहीं है, भिन्न-भिन्न संस्थान इसकी सीमा को समझने के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड अपनाते हैं।

अपने छोटे आकार और सीमित व्यक्तिगत प्रभाव के बाद भी, अनौपचारिक क्षेत्रक निम्नलिखित कारणों से महत्व रखता है:

- **अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड:** अनौपचारिक अर्थव्यवस्था, **90% में अधिक कर्मचारियों को नियोजित करती है** और **सकल राष्ट्रीय उत्पाद में लगभग 50% का योगदान करती है।**
- **ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण: ग्रामीण क्षेत्रों में** मुख्य रूप से कृषि जैसे क्षेत्रों और कम मूल्य वाली सेवाओं सहित गैर-कृषि अर्थव्यवस्था में **अनौपचारिक क्षेत्रक** की भागीदारी **अत्यधिक बड़ी है** (~ 75%)।
- उत्पादन, रोजगार सृजन और आय के मामले में इसमें **पर्याप्त वृद्धि देखी** गई है। उदाहरण के लिए, **वर्ष 2017-18 में अनौपचारिक क्षेत्रक के रोजगार की भागीदारी में 3.6% की वृद्धि हुई,** जबकि दूसरी ओर औपचारिक रोजगार की भागीदारी में केवल 0.9% की वृद्धि हुई।
- **फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज:** अनौपचारिक क्षेत्रक **तेजी से औपचारिक क्षेत्रक के साथ जुड़ता जा** रहा है, इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला अंतराल को पूरा कर रहा है और आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का विकास किस कारण से हुआ?

- स्वतंत्रता के बाद, भारत ने **राज्य के नेतृत्व वाले औद्योगिकीकरण मॉडल** को अपनाया, जो बड़ी श्रम शक्ति को अवशोषित नहीं कर सका और परिणामस्वरूप, **बढ़ी हुई श्रम शक्ति अनौपचारिक क्षेत्रक की ओर चली गई थी।**
- **छोटे उद्यमों के लिए स्तरीय प्रोत्साहन संरचना के अभाव** ने उन्हें लघु बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे **उन फर्मों में औपचारिक कार्यबल का संभावित विकास रूक गया।**
  - छोटी फर्मों को लघु बने रहने के लिए प्रोत्साहित करना छोटी फर्मों और बड़ी कंपनियों के वर्चस्व वाला बाजार निर्मित करता है, जिसमें मध्यम आकार की कंपनियों की भागीदारी बहुत न्यून होती है। इसे **'लुप्त मध्य' (missing middle) की समस्या** के रूप में जाना जाता है।
  - इस समस्या से आर्थिक असमानता और निरंतर बेरोजगारी जैसे दीर्घकालिक परिणाम उत्पन्न होते हैं, जिससे **रोजगारहीन आर्थिक वृद्धि के परिदृश्य को बढ़ावा मिलता है।**
- अधिकांश राज्य और केंद्रीय **श्रम कानून** बड़े उद्यमों पर लागू होते थे।
  - इसने औपचारिक उद्यमों को अप्रत्यक्ष रूप से **श्रम गहन के स्थान पर अधिक प्रौद्योगिकी-गहन बनने के** लिए विवश किया।
  - इसने **अनौपचारिक फर्मों को** औपचारिक क्षेत्रक में जाने से भी हतोत्साहित किया।

VISION IAS

- आपूर्ति पक्ष की ओर से, तब (और अब भी) अधिकांश कार्यबल को औपचारिक कार्यबल में प्रवेश **करने के लिए अपेक्षित शिक्षा और कौशल प्राप्त नहीं** हुआ। उदाहरण के लिए, हाल ही में वर्ष 2017-18 तक, केवल 2.4% कार्यबल ने औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

अनौपचारिक कामगारों द्वारा सामना की जाने वाले समस्याएं और कोविड-19 ने उन्हें कैसे बढ़ाया है?

- **बड़े पैमाने पर बेरोजगारी:** कुछ अनुमानों के अनुसार, भारत में अनौपचारिक क्षेत्रक में **80 प्रतिशत** से अधिक **कामगारों ने रोजगार खो दिया** है। इसके अतिरिक्त, यहां तक कि जहां काम अभी भी उपलब्ध है, वहाँ **काम के घंटे बहुत कम हो जाने के कारण वेतन में कमी होने** की संभावना निरंतर बनी हुई है।
- बढ़ी हुई बेरोजगारी का सीधा स्वाभाविक परिणाम **प्रवासी संकट** था।
- **बढ़ी हुई निर्धनता:** यह **अनौपचारिक रोजगार की 'निर्वाहपरक' प्रकृति** का एक ऐसा परिदृश्य निर्मित करती है जहां आय में कोई भी कमी सीधे उपभोग के स्तर को प्रभावित करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि, **श्रम से होने वाली आय में कमी** से अनौपचारिक कामगारों और उनके परिवारों के लिए सापेक्ष निर्धनता में वृद्धि होगी।
    - इसके अतिरिक्त, कम या बिना स्वास्थ्य कवरेज के साथ आय के अभाव से इन कामगारों के बीच **ऋणग्रस्तता की घटनाएं अधिकाधिक हो जाने की संभावना उत्पन्न हो** सकती है।
- **खाद्य असुरक्षा में वृद्धि:** अनौपचारिक खाद्य बाजार, **भोजन के स्रोत और छोटे उत्पादकों के लिए** अपने उत्पादों को बेचने **हेतु स्थान,** दोनों रूपों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके बंद होने से खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है।
- **अनौपचारिक क्षेत्रक में महिलाओं पर असमान प्रभाव:** महिलाएं **अनौपचारिकता** के प्रति अधिक सुभेद्य होती हैं और प्राय: अपने पुरुष समकक्षों की तुलना में अधिक असुरक्षित दशाओं में होती हैं।
    - उदाहरण के लिए, **घरेलू कामगारों के लिए लगाए गए नए 'सामाजिक प्रतिबंधों' के** परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक आघातों का भी सामना करना पड़ा है। इन प्रतिबंधों के कारण लोगों ने एक प्रकार से उन्हें बहिष्कृत कर दिया है।

सरकार द्वारा इन समस्याओं का निराकरण करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, जैसे- प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना, वहनीय ऋण योजना आदि। अधिक विवरण के लिए, 'मेंस 365 सामाजिक मुद्दे' में आत्मनिर्भर भारत लेख देखें।

इस संकट को अवसर में कैसे बदला जा सकता है?

- स्वास्थ्य कवरेज में विद्यमान अंतराल को दूर कर सेवाओं के उपयोग में समानता सुनिश्चित करके, स्वास्थ्य सेवाओं के क्षमता निर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्रक में वित्तीय आबंटन की वृद्धि करके **सभी के लिए उपलब्धता और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना।**
- **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा का निर्माण:**
    - **रोजगार सुरक्षा:** मनरेगा द्वारा पिछले वर्षों के दौरान और विशेष रूप से महामारी के दौरान उत्पन्न किए गए सकारात्मक प्रभाव ने **मनरेगा के शहरी संस्करण के विचार** को पुन: बढ़ावा दिया है।
        - इस तरह के कार्यक्रम से भविष्य में **शहरी अर्थव्यवस्था को लगने वाले किसी और झटके को कम करने में** सहायता मिल सकती है।
        - इस दिशा में **कई राज्यों ने पहले से कदम उठाए हैं** । उदाहरण के लिए- केरल, ओडिशा और हिमाचल प्रदेश शहरी रोजगार कार्यक्रम चलाते हैं।
    - **अपनी परिस्थितियों के अनुकूल सभी प्रकार के रोजगारों में नियुक्त कामगारों हेतु पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवरेज का प्रबंध करना।** विशेष रूप से, बीमारी और सामाजिक सहायता लाभों के क्षेत्रों में नकद हस्तांतरण और भोजन सहायता दोनों के रूप में।
- **बेहतर-अनौपचारिक अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना:** उत्पादक आर्थिक इकाइयों की स्थिति को सुधारने हेतु प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए अनुकूल व्यापार वातावरण, पर्याप्त प्रोत्साहनों, तकनीकी सहायता और अनौपचारिक इकाइयों को संलग्न कर उनकी उत्पादकता, संसाधन उपयोग और नेटवर्किंग क्षमता को बढ़ावा देना होगा।
- **कामगारों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि संगठनों को मजबूत करना:** मौजूदा संकट अनौपचारिक क्षेत्रक में कार्य करने वाले कामगारों और उद्यमों के बीच **बातचीत को बढ़ावा** देकर इन संगठनों को मजबूत करने का एक अवसर है।
- **औपचारिकता के लिए संक्रमण को सुगम बनाना:** कोविड-19 द्वारा उत्पन्न की गई तत्काल आवश्यकता का उपयोग निम्नलिखित विधि से किया जा सकता है:

VISION IAS

- औपचारीकरण बढ़ाने के लिए वस्तु एवं सेवा कर, विमुद्रीकरण, ई.पी.एफ. सुधार, कौशल भारत पहल, नियत अवधि अनुबंध सुधार और साथ ही साथ मातृत्व लाभ सुधार के रूप में **सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों** को और अधिक मजबूत करना।
- विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यमों जैसी **औपचारिक अर्थव्यवस्था के संकुचन को कम करने के उपाय**, "अनौपचारीकरण" को और अधिक रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- **अनौपचारिकता के सीमा पर मंडराने वाले उद्यमों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए**, क्योंकि वे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में सहजता से स्थानांतरित हो सकते हैं।
- समर्थन सेवाओं को वितरित करने या उनका पक्षसमर्थन करने, जैसे कि प्रौद्योगिकी, वित्त और व्यवसाय विकास सेवाओं तक पहुंच एवं औपचारिकता के लिए प्रोत्साहन के रूप में औपचारिक उद्यमों के साथ संपर्क को बढ़ावा देने में **नियोक्ता और कामगार संगठन, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।**

1.1.2. स्व-रोजगार (Self Employment)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS) रिपोर्ट के तहत जारी आंकड़ों ने स्व-रोजगार के संबंध में एक नई चर्चा को उत्पन्न किया है।

भारत में स्व-रोजगार

- **परिभाषा:** स्व-रोजगार की नौकरियां ऐसी नौकरियां हैं जिनमें पारिश्रमिक **उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से प्राप्त लाभ पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है।**
- **नवीनतम PLFS रिपोर्ट के अनुसार,** वर्ष 2009-10 से 2017-18 के बीच स्व-रोजगार में लिप्त ग्रामीण कार्यबल में वृद्धि और शहरी कार्यबल में कमी आई है।
- **शहरी क्षेत्रों में,** नियमित वेतन या मजदूरी पर काम करने वाले लोगों के प्रतिशत में वृद्धि के कारण स्व-रोजगार में लिप्त या अस्थायी कामगारों के प्रतिशत में गिरावट आई है।
- हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की 'स्मॉल मैटर्स' नामक शीर्षक की नवीनतम रिपोर्ट** में विभिन्न देशों में स्व-रोजगार के योगदान पर भी चर्चा की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 85 प्रतिशत श्रमिक स्व-नियोजित हैं या अस्थायी कार्यों (casual work) में संलग्न हैं।
- **स्व-रोजगार द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका:**
  - रोजगार सृजन के लिए गुणक प्रभाव।
  - नौकरियों में विविधता द्वारा अर्थव्यवस्था को लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाना।
  - निर्माण गतिविधियों के स्वदेशीकरण द्वारा 'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन।
  - नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना।
  - महिला सशक्तीकरण।

भारत में स्व-रोजगार के विकास में योगदान करने वाले कारक

- **सरकारी योजनाएं और नीतियां:** सरकार ने भारत में स्व-रोजगार को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने हेतु कई योजनाएं आरंभ की हैं, जैसे- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास मिशन** आदि।
- **सेवा उद्योग आधारित संवृद्धि को बढ़ावा:** विगत दशक में, यद्यपि अर्थव्यवस्था में निरंतर वृद्धि हुई है, किन्तु यह वृद्धि मुख्य रूप से सेवा उद्योग आधारित रही है। इस वृद्धि ने कई उच्च कुशलता वाली नौकरियों का सृजन किया है। इसके साथ-साथ कार्यबल के कौशल-स्तर में सुधार पर ध्यान न दिए जाने के कारण, निम्न कौशल वाले लोग भारत की आर्थिक प्रगति में पीछे छुट गए। ज्ञातव्य है कि इसी कारण कार्यबल के इस भाग द्वारा स्व-रोजगार को अपनाया गया है।
- **भारत में अविकसित सूक्ष्म वित्तीय प्रणाली:** बैंक में जमा राशि पर कम रिटर्न, शेयर बाजार और रियल एस्टेट आदि में निवेश से संबंधित जोखिम लोगों को अपना स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु अपने धन का उपयोग करने के लिए बाध्य करते हैं।

भारत में स्व-रोजगार से संबंधित मुद्दे

- **कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व:** लगभग 60% स्व-रोजगार निम्न उत्पादक कृषि गतिविधियों से संबद्ध हैं तथा यह अनुपात शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक है।
- **नौकरी सृजन करने वाले लोगों की कम संख्या:** आंकड़े दर्शाते हैं, कि वास्तव में केवल 4% स्व-नियोजकों द्वारा बाहर से कर्मियों को नियोजित किया जाता है।

VISION IAS

* **औसत से कम आय अर्जन:** भारत में अधिकांश स्व-नियोजित कर्मी अत्यंत कम आय का अर्जन करते हैं। PLFS रिपोर्ट के अनुसार, सभी स्व-नियोजित कर्मियों के लिए औसत मासिक आय 8,000 रुपये प्रति माह थी, जोकि नियमित कर्मियों की औसत मासिक आय से बहुत कम है।
* स्व-रोजगार करने वालों की श्रेणी के मध्य **लैंगिक वेतन अंतराल (Gender Pay Gap)** सर्वाधिक है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में, पुरुष कर्मी महिला कर्मियों की तुलना में 2.67 गुना अधिक आय अर्जन करते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पुरुष कर्मी महिला कर्मियों की तुलना में तीन गुना अधिक आय अर्जन करते हैं।
* **अधिकांश कर्मी अपंजीकृत:** स्व-नियोजित कर्मियों को केवल तब 'औपचारिक' रूप में चिन्हित किया जाता है, जब वे सरकार की किसी शाखा के साथ पंजीकृत होते हैं और/या करों का भुगतान करते हैं।
* राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (National Sample Survey Organisation: NSSO) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग **63 मिलियन उद्यम पंजीकृत नहीं** है, जिनमें से 96% उद्यमों को व्यक्तिगत आधार पर संचालित किया जाता है और साथ ही उनमें से अधिकांश द्वारा GST का भी भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि उनके व्यवसाय के टर्नओवर की कुल राशि 20 लाख रुपये से कम है।

आगे की राह

अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में वृद्धि से स्व-रोजगार के मुद्दे, ऋण तक पहुंच में सुधार, कराधान नीति के सरलीकरण और साथ ही श्रम कानूनों और पंजीकरण प्रक्रियाओं जैसे नियामक मुद्दों को संबोधित करके समग्र सुधार के लिए प्रयास किया जाना चाहिए।

1.2. कौशल विकास (India Skills Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक स्तर पर **आर्थिक और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन** को देखते हुए, यह आवश्यक हो जाता है कि कार्यबल के कौशल विकास से इस परिवर्तन को गति मिलती रहे।

भारत में कौशल: स्थिति

* NSSO की 2011-12 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में औपचारिक रूप से प्रशिक्षित कार्यबल मात्र 2.3% है, जबकि दक्षिण-कोरिया में यह 96% है।
* **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण** (Periodic Labour Force Survey: PLFS) 2017-18 के अनुसार, भारत की जनसंख्या के केवल 1.8% भाग द्वारा ही औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया था। लगभग 5.6% द्वारा अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण (जैसे- परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण, स्वयं-सीखना और कार्य करते हुए प्रशिक्षण) प्राप्त किया गया था।
  * अधिकांश लोगों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स, IT/ITES क्षेत्रक, परिधान और मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्षेत्रक में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा था।
  * इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 में लगभग 33% औपचारिक रूप से प्रशिक्षित युवा बेरोजगार थे। लगभग एक तिहाई प्रशिक्षित युवा पुरुष और एक तिहाई से अधिक प्रशिक्षित युवा महिलाएं बेरोजगार थीं।

भारत कौशल रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

* विगत तीन वर्षों से भारत में युवाओं की नियोजनीयता (Employability) स्थिर बनी हुई है। यह संख्या नौकरी करने के लिए तैयार प्रतिभागियों का 46.21% है।
* महिला नियोजनीयता 47% है और इसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है, जबकि पुरुष कार्यबल की नियोजनीयता 47.39% से घटकर वर्ष 2019 में 46% हो गई। यह स्थिति उद्योगों द्वारा महिला संसाधन पूल का लाभ उठाने के अवसरों को दर्शाती है।
  * हालांकि, वर्ष 2020 के लिए हायरिंग इंटेंट सर्वे पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में महिला उम्मीदवारों के लिए 71:29 का संभावित नियोजन अनुपात (हायरिंग रेश्यो) दर्शाता है।
* इसमें समग्र भर्ती में 13% हिस्सेदारी के साथ अर्थव्यवस्था में गिग श्रमिकों की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाया गया है।
* शीर्ष 5 कौशल जिन पर नियोक्ता द्वारा बल दिया जा रहा है, वे हैं: कार्यक्षेत्र का ज्ञान (domain knowledge), वातावरण के प्रति अनुकूलन क्षमता, सीखने की स्फूर्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण एवं अंतरवैयक्तिक कौशल।
* केवल 60% छात्रों को ही राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS) के

VISION IAS

बारे में जानकारी थी।
- लगभग 50% नियोक्ता भर्तियों में सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रमों की भूमिका को स्वीकार करते हैं, जिनमें से लगभग 10 में से 9 नियोक्ताओं द्वारा यह माना गया है कि उम्मीदवार उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।

कौशल विकास की आवश्यकता
- **उच्च बेरोजगारी दर:** भारत के अल्प कुशल कार्यबल और उच्च बेरोजगारी दर के बीच एक प्रत्यक्ष संबंध है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश:** वर्ष 2025 तक भारत में विश्व का सबसे बड़ा कार्यबल होने की उम्मीद है। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, कौशल विकास को प्रथमिकता दी जानी चाहिए।
- **नवाचार की ओर अग्रसर होना:** ज्ञातव्य है कि हम एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखते हैं, इसलिए अत्यधिक कुशल मानव पूंजी का विकास कार्यबल के नवाचार लब्धि को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में कौशल विकास से जुड़े मुद्दे
- **निम्नस्तरीय प्रत्यायन प्रक्रिया:** भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI) ने अधिकांशतः प्रत्यायन और संबद्धता प्रक्रिया की गुणवत्ता के साथ समझौता किया है।
    - उदाहरण के लिए- इसने आधारभूत संरचना, उपकरण और संकाय के संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं किया था।
- कौशल विकास से संबंधित मानदंडों, प्रक्रियाओं, कार्यक्रम, प्रमाणन-नीतियों और पहलों की बहुलता लगभग 20 मंत्रालयों तक विस्तारित है और इसलिए उनमें सुसंगतता और समग्र दृष्टिकोण का अभाव है।
- कुशल श्रमिकों के लिए उच्च वेतन प्रदान करने में उद्योग की अनिच्छा, कुशल श्रमशक्ति के कम नियोजन के लिए उत्तरदायी है।
- **निम्नस्तरीय उद्योग इंटरफ़ेस:** उदाहरण के लिए, कई क्षेत्रक कौशल परिषदें (ये यह सुनिश्चित करने हेतु अधिदेशित उद्योग निकाय हैं, कि कौशल विकास के प्रयास उद्योग की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार हों) विद्यमान हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने व्यवसाय में अधिकतम वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा, इन क्षेत्रक कौशल परिषदों की जवाबदेही तय करने के लिए कोई विश्वसनीय मूल्यांकन बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है।
- औपचारिक शिक्षा के साथ एकीकरण का अभाव और परिणामों पर ध्यान नहीं दिया जाना।

1.2.1. कौशल विकास पहल (Skill Development Initiatives)

इन प्रयासों का प्राथमिक उद्देश्य, **गति, मानक (गुणवत्ता) और संधारणीयता के साथ बड़े पैमाने पर कौशल विकास करने** की चुनौती को पूरा करना है, ताकि कौशलों को **सामान्य मानकों के अनुरूप व्यवस्थित किया जा सके** और कौशल विकास प्रक्रिया को **मांग केंद्रों के साथ जोड़ा जा सके।**

फ्लैगशिप योजनाएं

पहलें	उद्देश्य
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना	युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित करना। **लक्ष्य:** वर्ष 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना। प्रायर लर्निंग (prior learning) को मान्यता प्रदान करना और प्रमाणित करना। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे संस्करण में **प्लेसमेंट ट्रैकिंग के लिए अनिवार्य प्रावधान किया गया है।**
प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (PMKK), 2015	प्रत्येक जिले में आकांक्षात्मक मॉडल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं।
राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना, 2016	प्रशिक्षुता को प्रोत्साहित करने के लिए। इसमें कार्यस्थल पर आधारभूत प्रशिक्षण और ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण / प्रयोगात्मक प्रशिक्षण सम्मिलित हैं।
संकल्प (SANKALP), 2017	सभी कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के मध्य समेकन स्थापित करना, कौशल विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करना, उद्योग नीत और मांग चालित कौशल प्रशिक्षण क्षमता का निर्माण करना।
स्ट्राइव (STRIVE), 2017	उद्योग संकुलों के माध्यम से जागरूकता का प्रसार करना, ITI की प्रदाय गुणवत्ता को एकीकृत करना और बढ़ाना।

VISION IAS

सरकार द्वारा हाल ही में की गई अन्य पहलें:

- **फ्यूचर स्किल्स प्राइम:** फरवरी 2018 में, उभरती प्रौद्योगिकियों एवं कार्य संबंधी भूमिकाओं में IT उद्योग के कार्यबल को पुन: कौशल प्रदान करने हेतु हैदराबाद में **फ्यूचर स्किल्स पहल** की घोषणा की गई थी। फ्यूचर स्किल्स प्लेटफॉर्म वर्तमान में 70 नई कार्य संबंधी भूमिकाओं तथा 155 नए कौशलों के लिए कृत्रिम बुद्धिमता, साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन आदि जैसी 10 नवीन प्रौद्योगिकियों में रिस्किलिंग / अपस्किलिंग प्रदान करता है।
    - अब, आगामी तीन वर्षों में 4 लाख पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ, विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग पेशेवरों, उच्च शिक्षा के छात्रों और सरकारी अधिकारियों के लिए फ्यूचर स्किल्स पहल को **प्राइम** (Programme for **R**eskilling/Upskilling of **IT M**anpower for **E**mployability: **PRIME**) के रूप में विस्तारित किया गया है। इस नई पहल के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य **भारत के लिए डिजिटल प्रतिभा पूल** का निर्माण करना है, जिससे भारत को डिजिटल विश्व में नेतृत्वकारी भूमिका प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।
- **विश्व आर्थिक फोरम (WEF) की नया कौशल प्रदान करने (रिस्किलिंग) की क्रांति:** रिस्किलिंग रिवोलुशन (नया कौशल प्रदान करने की क्रांति), WEF द्वारा एक बिलियन लोगों को वर्ष 2030 तक बेहतर शिक्षा, कौशल और रोजगार प्रदान करने के लिए एक पहल है। भारत हाल ही में एक संस्थापक सदस्य के रूप में इस पहल में सम्मिलित हुआ।
- **स्वदेश (SWADES) (स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फ़ॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट):** यह वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों से लौटने वाले **नागरिकों का कौशल डेटा एकत्र करने के लिए एक पहल है।**
    - इसका उद्देश्य, **भारतीय और विदेशी कंपनियों की विभिन्न प्रकार की मांगे आकर्षित करने और पूरी करने के लिए,** उनके कौशल सेट और अनुभव के आधार पर **योग्य नागरिकों का डेटाबेस बनाना है।**
- **स्किल बिल्ड रिग्राइट (SBR) और स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप (SBIC):** स्किल बिल्ड रिग्राइट (SBR), रोजगार चाहने वालों और उद्यमियों को नि:शुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और मेंटरिंग समर्थन प्रदान करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य उन्हें अपने करियर और व्यवसायों को नए सिरे से आविष्कृत करने में सहायता करना है।

1.3. श्रम कानून सुधार (Labour Law Reforms)

परिचय

श्रम कानून जो आधुनिक विश्व की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के अनुकूल हैं, वे तीन महत्वपूर्ण भूमिकाएँ पूरी करते हैं:

- ये **कानूनी शक्ति, धन और सौदेबाजी करने की शक्ति को** अर्थव्यवस्था में पुनर्वितरित करते हैं।
- ये ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करते हैं जो **व्यक्तिगत और सामूहिक रोजगार संबंधों को सुसाध्य करके** उत्पादक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा प्रदान करते हैं।
- ये **कार्यस्थल पर (या कार्य के दौरान) मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की स्पष्ट गारंटी प्रदान करते हैं।**

विभिन्न राज्यों द्वारा उठाए गए कदम:

चूँकि श्रम का विषय संविधान की समवर्ती सूची में आता है, इसलिए अनेक राज्यों ने या तो उनमें से कई को निलंबित करके या शिथिल करके, इस अवसर का उपयोग अपने श्रम कानूनों में संशोधन करने के लिए किया है।

- **राजस्थान ने कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रयोज्यता (applicability) की सीमा को बढ़ा दिया है।** आर्थिक सर्वेक्षण (2018-19) में इस कदम को उचित ठहाराया गया है। इसमें यह उल्लेख है कि राजस्थान में कुछ श्रम कानूनों के लिए थ्रेसहोल्ड में वृद्धि करने से राज्य में कुल उत्पादन और प्रति कारखाने कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है।
- **मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने मुख्यतः कारखाना अधिनियम, 1948 की प्रयोज्यता की सीमा को संकुचित करके** विशेष रूप से, श्रम कानूनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।
- **औद्योगिक** उत्पादकता बढ़ाने के लिए, **गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश** जैसे राज्यों ने कारखाने के मजदूरों के **काम के घंटे बढ़ाकर** एक दिन में आठ से 12 घंटे **किए जाने का प्रस्ताव रखा है।**

भारत में श्रम कानून की रूपरेखा

- श्रम, **सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है।** इस प्रकार केंद्र और राज्यों दोनों को श्रम संबंधी मुद्दों पर कानून बनाने की अनुमति प्राप्त है।
- वर्तमान में, **केंद्र सरकार की परिधि में 44** और **राज्य सरकारों के अंतर्गत 100 से अधिक श्रम कानून हैं,** जो कि कामगारों से जुड़े कई प्रकार मुद्दों से निपटते हैं।

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

VISION IAS

भारत के श्रम कानूनों में सुधार करने और उन्हें संहिताबद्ध करने की आवश्यकता क्यों थी?

- **कानूनों की जटिलता और अधिकता:** केंद्र (> 40) और राज्यों (> 100) दोनों में कई श्रम कानून हैं, और साथ ही ये टुकड़े-टुकड़े जोड़े जाने के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं, जिसके कारण ये कानून जटिल, परस्पर असंगत और अलग-अलग परिभाषाओं वाले हैं, और पुराने खण्डों से युक्त हैं।
- **कानूनों का अपर्याप्त प्रवर्तन:** एक प्रदर्शन लेखा परीक्षा (performance audit) में, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने उल्लेख किया है कि **अधिनिर्णयन (adjudication) प्रक्रिया की प्रभावशीलता विभिन्न कारकों द्वारा कम हो जाती है**, जैसे कि (i) सरकार द्वारा अधिनिर्णयन के लिए श्रम विवादों को सौंपने में नियमित रूप से विलंब किया जाना, (ii) मामलों के निपटान में विलंब किया जाना (iii) राजपत्र में न्यायालय के अधिनिर्णयन के प्रकाशन में विलंब किया जाना और (iv) अधिनिर्णयन के कार्यान्वयन में देरी।
- **फर्मों की वृद्धि निरुद्ध होना:** यह तर्क दिया गया है कि **बड़ी फर्मों के उच्च प्रशासनिक बोझ** और **फर्मों के लिए आसान निकास विकल्प (exit option) के अभाव के कारण** भारत में फर्मों के आकार मुख्य रूप से छोटे रहे हैं।
- **श्रम का अनुबंधीकरण:** श्रम कानूनों के अनुपालन संबंधी चिन्ताओं तथा आर्थिक चिन्ताओं के परिणामस्वरूप अनुबंधित कामगारों का उपयोग बढ़ा है। उदाहरण के लिए, कारखानों में कुल कामगारों में अनुबंधित कामगारों की भागीदारी वर्ष 2004-05 के 26% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 36% हो गई।
- **कामगारों के सामूहिक सौदेबाजी अधिकारों को प्रभावित करते हैं:** वर्ष 2015 तक, भारत में प्रति श्रमिक संघ 1,883 व्यक्तियों की औसत सदस्य संख्या के साथ 12,420 पंजीकृत ट्रेड यूनियन थे। किसी प्रतिष्ठान के भीतर **ट्रेड यूनियनों की अत्यधिक संख्या** और उनकी **औपचारिक मान्यता के अभाव** के कारण सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया बाधित हो जाती है क्योंकि उनमें से सभी के समझौते सम्पन्न करना कठिन होता है।
- **अपर्याप्त कवरेज से सामाजिक समस्याएँ उभरती हैं:** श्रम कानून केवल संगठित क्षेत्रक को कवर करते हैं, जहाँ केवल 7% कार्यबल नियोजित हैं, जबकि कुल कार्यबल का शेष 93% अनौपचारिक है जिसे कवरेज प्राप्त नहीं है।
  - इसमें प्रवासी कामगार, गिग अर्थव्यवस्था कामगार, टैक्सी ड्राइवर, घरेलू सहायक आदि सम्मिलित हैं। वे आम तौर पर बहुत सुभेद्य होते हैं और घरेलू हिंसा, शराब, बलात्कार, चोरी, आत्महत्या आदि जैसे अन्य सामाजिक अपराधों को जन्म देने वाली किसी आकस्मिक घटना से आसानी से पुन: निर्धनता की स्थिति आ सकते हैं।

इस संदर्भ में, **दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग** ने केंद्रीय श्रम कानूनों के सरलीकरण, समेकन और युक्तिकरण की अनुशंसा की थी। इसे ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित 4 श्रम संहिताओं का प्रारूप तैयार किया गया है:

- वेतन संहिता विधेयक (Code on Wages Bill);
- औद्योगिक संबंधों पर श्रम संहिता विधेयक (Labour Code on Industrial Relations Bill);
- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर श्रम संहिता (Labour Code on Social Security & Welfare); तथा
- उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा पर श्रम संहिता (Labour Code on Occupational Safety, Health & Working Conditions)।

उल्लेखनीय है कि **संसद द्वारा वेतन संहिता, 2019 पारित किया जा चुका है** तथा अन्य तीन क्षेत्रों के विधेयकों को श्रम संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया था। स्थायी समिति ने तीनों विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सरकार ने सितंबर, 2020 में इन विधेयकों को नए विधेयकों से प्रतिस्थापित कर दिया है।

वेतन संहिता, 2019

यह उन सभी रोजगारों में पारिश्रमिक और बोनस भुगतान को विनियमित करने का प्रयास करता है जहां किसी भी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, या निर्माण क्षेत्र में कार्यों को संपन्न किया जाता है।

इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- कामगारों के जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए, **आधारभूत वेतन (Floor wage) का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।**
- **न्यूनतम वेतन का निर्धारण:** केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी **आधारभूत वेतन की तुलना में अधिक होनी चाहिए।** इसके अतिरिक्त, केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम पांच वर्ष के अंतराल पर इसके संशोधन और समीक्षा का कार्य किया जाएगा।
- **ओवरटाइम वेतन:** सामान्य कामकाजी दिन से अधिक काम करने वाले कर्मचारी ओवरटाइम वेतन के हकदार होंगे, जो **मजदूरी की**

VISION IAS

सामान्य दर से कम से कम दोगुना होना चाहिए।

- **कर्मचारी की वेतन कटौती** (यथा- जुर्माना, कार्यस्थल से अनुपस्थिति आदि जैसे कुछ आधारों पर) **कर्मचारी के कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।**
- **बोनस का निर्धारण:** सभी कर्मचारी जिनका वेतन केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट मासिक राशि से अधिक नहीं है, वे वार्षिक बोनस के हकदार होंगे जो कम से कम होगा: (i) उसके वेतन का 8.33%, या (ii) 100 रुपये, जो भी अधिक हो। कोई कर्मचारी **अपने वार्षिक वेतन का अधिकतम 20% बोनस** प्राप्त कर सकता है।
- **लिंग संबंधी भेदभाव का निषेध:** समान कार्य के लिए या समान प्रकृति के कार्य के लिए कर्मचारियों के वेतन और भर्ती से संबंधित मामलों में।

श्रम सुधारों को अत्यधिक बढ़ावा देते हुए, **हाल ही में संसद ने तीन श्रम संहिता विधेयकों को पारित किया है-** उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020.

1.3.1. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (Code on Industrial Relations, 2020)

- यह तीन पूर्ववर्ती कानूनों की अधिकांश विशेषताओं को संयुक्त करती है। ये कानून हैं:
  - व्यापार संघ अधिनियम, 1926 (Trade Unions Act, 1926);
  - औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 {Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946}; तथा
  - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (Industrial Disputes Act, 1947)

इस संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

- **श्रमिक (worker) की परिभाषा:** यह 'श्रमिक' को ऐसे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो पारिश्रमिक या प्रतिफल (रिवॉर्ड) के लिए काम करता है। यह संहिता **18,000 रुपये** से अधिक मजदूरी/वेतन पाने वाले उन लोगों को अपने दायरे से बाहर करती है जो प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता या पर्यवेक्षी क्षमता (supervisory capacity) की दृष्टि से नियोजित हैं।
- **स्थायी आदेश (Standing Orders):** 300 या उससे अधिक श्रमिकों वाले सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों (industrial establishments) को निम्नांकित मामलों के संबंध में स्थायी आदेश तैयार करना होगा:
  - श्रमिकों का वर्गीकरण,
  - श्रमिकों को काम के घंटों, छुट्टियों, वेतन दिवस (paydays) और मजदूरी दरों के संबंध में सूचित करने की रीति,
  - रोजगार की समाप्ति, और
  - श्रमिकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र।
- **बंदी (closure), कामबंदी और छंटनी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति:** कम से कम 300 श्रमिक रखने वाले किसी प्रतिष्ठान के लिए बंदी, कामबंदी और छंटनी से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। केवल केंद्र सरकार को **अधिसूचना के माध्यम से इस सीमा में वृद्धि की अनुमति देने का अधिकार है।**
- **वार्ताकारी संघ और परिषद (Negotiating Union and Council):**
  - **एकमात्र वार्ताकारी संघ (Sole Negotiating Union):** यदि किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों के एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ (trade union) हैं, तो सदस्य के रूप में 51% से अधिक श्रमिकों वाले व्यवसाय संघ को एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी।
  - **वार्ता परिषद (Negotiation Council):** यदि कोई व्यवसाय संघ एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में पात्र नहीं है, तो वार्ताकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जो सदस्य के रूप में कम से 20% श्रमिकों वाले व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों से मिलकर गठित होगी।
- **विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण:** इसमें औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक औद्योगिक अधिकरण एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगा।
  - यह संहिता कार्य-मुक्ति, बर्खास्तगी, छंटनी, या किसी श्रमिक की सेवाओं की अन्यथा समाप्ति के संबंध में **किसी भी विवाद** को औद्योगिक विवाद के रूप में **वर्गीकृत** करती है।
- **नियत अवधि का नियोजन (Fixed term employment):** नियत अवधि का नियोजन वस्तुतः श्रमिक और नियोक्ता के बीच हस्ताक्षरित संविदा के आधार पर नियत अवधि के लिए नियोजित श्रमिक को संदर्भित करता है। यह नियोक्ताओं को श्रमिकों को

VISION IAS

रखने की अनुमति दे सकता है, अभिकरण या ठेकेदार जैसे बिचौलिओं की भूमिका कम कर सकता है और साथ ही श्रमिकों को लाभ पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह संविदा श्रमिकों की तुलना में अस्थायी श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने में सहायता कर सकता है, जिन्हें ऐसे लाभ नहीं प्रदान किए जा सकते हैं।

- **पुनर्कौशल फंड (Re-skilling fund):** नौकरी से निकाल दिए गए श्रमिकों का पुनर्कौशल करने के लिए इस फंड की स्थापना की जाएगी। इस फंड में अंशदान औद्योगिक प्रतिष्ठान के नियोक्ता द्वारा किया जाएगा, जो ऐसे अन्य स्रोतों से अंशदान के साथ-साथ छंटनी से तत्काल पहले श्रमिक द्वारा अंतिम रूप से आहरित पंद्रह दिनों की मजदूरी के बराबर होगा।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं

- **यह श्रमिकों की हड़ताल करने और श्रमिकों को लॉक-आउट करने की नियोक्ताओं की क्षमता को प्रभावित कर सकती है:**
  - सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए इस संहिता का विस्तार किया गया है, तथा कानूनी तौर पर हड़ताल करने से पूर्व आवश्यक नोटिस देने और अन्य शर्तों को आरोपित किया गया है। इस प्रकार, इसमें हड़ताल या लॉक-आउट से पहले 14 दिनों की पूर्व सूचना को आवश्यक बनाया गया है। साथ ही, यह संहिता अनेक परिस्थितियों में हड़ताल और लॉक-आउट पर प्रतिबंध लगाती है।
  - **इससे पहले ये प्रावधान** औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत **केवल सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं** (जैसे- रेलवे, एयरलाइंस तथा जल, विद्युत और दूरभाष सेवा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों) के लिए लागू होते थे। इस प्रकार, **नोटिस संबंधी प्रावधान को सभी प्रतिष्ठानों के लिए विस्तार करने का औचित्य अस्पष्ट** है।
  - राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने अधिकांश लोगों के जीवन पर इनके प्रभाव को देखते हुए ऐसे उद्योगों से अलग तरीके से व्यवहार करने के औचित्य को न्यायोचित ठहराया था।
- **कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन:**
  - यह संहिता **सरकार को कार्यकारी कार्रवाई के माध्यम से अधिकरण के निर्णय (अवार्ड) को संशोधित या अस्वीकार करने की व्यापक शक्ति देती है। इस प्रकार, इससे हितों के टकराव का प्रश्न व्युत्पन्न होता है।**
  - इस संहिता में यह उल्लेख है कि एक अधिकरण द्वारा पारित निर्णय 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् प्रवर्तनीय (लागू) होगा। हालांकि, सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय का हवाला देते हुए कुछ विशेष परिस्थितियों में अधिकरण द्वारा पारित निर्णय के प्रवर्तन को स्थगित कर सकती है।
- **व्यावसाय संघों (trade unions) के गठन पर प्रभाव:** यह स्पष्ट नहीं है कि यदि किसी प्रतिष्ठान में पंजीकृत व्यावसाय संघों (न्यूनतम 10% सदस्यों का समर्थन आवश्यक) की संख्या एक से अधिक है, लेकिन किसी भी संघ के पास वार्ताकारी परिषद में भाग लेने के लिए कम से कम 20% श्रमिकों का अपेक्षित समर्थन नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा।
- **नियत अवधि के नियोजन (fixed term employment) संबंधी प्रावधान:**
  - इस प्रकार के नियोजन या रोजगार से संबंधित अनुबंधों को नवीनीकृत करने की शक्ति नियोक्ता में निहित है। इसका परिणाम श्रमिक के लिए रोजगार की असुरक्षा हो सकती है। इसके अतिरिक्त, ये प्रावधान उन्हें अनुचित कार्य दशाओं, जैसे- विस्तारित काम के घंटे, या मजदूरी या छुट्टियों की मनाही के संबंध में मुद्दों को उठाने से रोक सकते हैं।
  - यह संहिता नियत अवधि के श्रमिकों के लिए कार्यों के प्रकार को सीमित नहीं करती है, जिसमें उन्हें काम पर रखा जा सकता है। इसलिए, उन्हें स्थायी श्रमिकों को प्रदान की जाने वाली भूमिकाओं के लिए काम पर रखा जा सकता है।
    - द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने अनुशंसा की थी कि किसी भी श्रमिक को दो वर्ष से अधिक समय तक स्थायी रोजगार के विरूद्ध निरंतर आकस्मिक या अस्थायी श्रमिक के रूप में नहीं रखा जाना चाहिए।
    - श्रम संबंधी स्थायी समिति ने भी यह अनुशंसा की है कि जिन स्थितियों और जिन क्षेत्रों में नियत अवधि के रोजगार का उपयोग किया जा सकता है, उन्हें स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- **इस संहिता में कई शब्द परिभाषित नहीं हैं:** यह संहिता 'प्रबंधक', 'पर्यवेक्षक', 'ठेकेदार' और 'प्रतिष्ठान' शब्दों को परिभाषित नहीं करती है। ऐसे में इनकी अलग-अलग व्याख्या की जा सकती है।

1.3.2. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020)

यह संहिता सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों को प्रतिस्थापित करती है। इनमें कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952; मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961; असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 आदि सम्मिलित हैं।

VISION IAS

इस संहिता के प्रमुख प्रावधान

- **प्रयोज्यता (Applicability):** यह संहिता **सभी प्रतिष्ठानों पर लागू** होती है तथा प्रतिष्ठान के आकार-प्रकार का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी।
- **सामाजिक सुरक्षा कोष (Social security fund):** इस संहिता में यह उल्लेख है कि केंद्र सरकार **असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए** इस प्रकार के कोष की स्थापना करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें असंगठित श्रमिकों के लिए अलग से सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना और प्रशासन करेंगी।
- इसमें सभी तीनों श्रेणियों के श्रमिकों, यथा- असंगठित श्रमिकों, गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के **पंजीकरण का प्रावधान है।**
- **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड:** उपर्युक्त तीन श्रेणियों के श्रमिकों के कल्याण हेतु और उनके लिए योजनाओं की अनुशंसा व निगरानी करने के लिए इस बोर्ड का गठन किया जाएगा।
- **योजनाओं के लिए अंशदान:** गिग श्रमिकों और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाओं का वित्त-पोषण केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और समूहकों के संयुक्त अंशदान के माध्यम से किया जा सकता है।
- **परिभाषाओं में परिवर्तन:** इनमें (i) ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए 'कर्मचारियों', (ii) किसी अन्य राज्य से स्व-नियोजित श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए "अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों", (iii) सेवाओं या गतिविधियों की अतिरिक्त श्रेणियों के लिए "प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों" (जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है), (iv) फिल्मों, वेब-आधारित धारावाहिकों, टॉक शो, रियलिटी शो और स्पोर्ट्स शो को सम्मिलित करने के लिए ऑडियो-विजुअल प्रोडक्शंस की परिभाषाओं का विस्तार करना सम्मिलित है।
- **पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी हेतु पात्रता की अवधि:** यह संहिता कार्यशील पत्रकारों के लिए ग्रेच्युटी की अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष करती है।
- **अपराध और अर्थदंड:** यह संहिता कतिपय अपराधों के लिए दंड में परिवर्तन करती है। उदाहरण के लिए, किसी निरीक्षक को अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने के लिए अधिकतम कारावास एक वर्ष से घटाकर छह महीने कर दिया गया है।
- **महामारी के दौरान अतिरिक्त शक्तियां:** इस संहिता के तहत कुछ नई धाराओं को शामिल किया गया है जिन्हें महामारी की स्थितियों में लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, केंद्र सरकार सर्वव्यापी महामारी तथा स्थानिक या राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में तीन महीने की अवधि तक नियोक्ता या कर्मचारी का अंशदान (PF और ESI के अंतर्गत) स्थगित या कम कर सकती है।

- **गिग श्रमिक** पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर रहने वाले श्रमिक को संदर्भित करता है।
- ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के **"ऑनलाइन लेबर इंडेक्स"** के अनुसार, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बाजार की **24% हिस्सेदारी के साथ भारत वैश्विक गिग अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अग्रणी** है, जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, रचनात्मक और विपणन क्षेत्र के पेशेवरों की मांग है।
- **प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक** वे हैं जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से संगठनों या व्यक्तियों तक पहुंचते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं या विशिष्ट समस्याओं का समाधान करते हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग (2002) ने श्रमिकों की मूलभूत आवश्यकताओं की अपवंचना से बचने के लिए सार्वभौमिक और व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज की आवश्यकता पर बल दिया था।
श्रम संबंधी स्थायी समिति (2020) ने भी इस संबंध में निम्नलिखित अनुशंसाएं की थीं, जिनमें (i) कृषिगत (agricultural) और स्व-खाता उद्यमों (own account enterprises) को सम्मिलित करने के लिए 'प्रतिष्ठान' की परिभाषा का विस्तार करना, (ii) आशा और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को सम्मिलित करने के लिए "कर्मचारियों" और कृषि श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए "असंगठित श्रमिकों" की परिभाषाओं का विस्तार करना, तथा (iii) अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक अलग कोष सृजित करना सम्मिलित है।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं/मुद्दे

- **कोई सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा नहीं:**
  - **पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे लाभ केवल न्यूनतम संख्या में कर्मचारियों (जैसे कि 10 या 20 कर्मचारी) को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अनिवार्य बने हुए हैं।** अन्य सभी श्रेणियों के श्रमिक (अर्थात् असंगठित श्रमिक), जैसे कि 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों और स्व-नियोजित श्रमिकों को सरकार द्वारा अधिसूचित विवेकाधीन योजनाओं द्वारा अच्छादित किया जा सकता है। ऐसे में अत्यधिक संख्या में श्रमिक इन योजनाओं से बाहर बने रह सकते हैं।

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (2018-19) में यह उल्लेख है कि, गैर-कृषि क्षेत्रक में कार्यरत 70% नियमित मजदूरी/वेतनभोगी कर्मचारियों के पास लिखित अनुबंध नहीं था, और 52% के पास कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं था।

  - **इस संहिता द्वारा अर्जित मजदूरी की राशि के आधार पर एक ही प्रतिष्ठान के भीतर कर्मचारियों से अलग-अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है।** उदाहरण के लिए- भविष्य निधि, पेंशन और चिकित्सा बीमा जैसे लाभ, पात्र प्रतिष्ठानों में केवल एक निश्चित सीमा (जैसा कि सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है) से ऊपर अर्जन करने वाले कर्मचारियों के लिए अनिवार्य हैं।
  - **यह संहिता सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण के लिए विद्यमान खंडित ढांचा बनाए रखना जारी रखे हुए है।** इनमें: (i) कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन स्कीम (EPS) और इम्पलॉई डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस (EDLI) योजनाओं का प्रशासन करने के लिए केंद्रीय न्यासी बोर्ड तथा (ii) ESI (कर्मचारी राज्य बीमा) योजना का प्रशासन करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम सम्मिलित हैं।

- **गिग श्रमिकों और प्लेटफॉर्म श्रमिकों से संबंधित प्रावधान अस्पष्ट हैं:** यह संहिता विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए परिभाषाओं का सूत्रपात करती है। हालांकि, **उनकी परिभाषाओं को लेकर कुछ अस्पष्टताएं विद्यमान हैं।** उदाहरण के लिए, ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर के लिए काम करने वाला चालक अपनी रोजगार की प्रकृति के कारण एक ही समय में एक गिग श्रमिक, प्लेटफ़ॉर्म श्रमिक और असंगठित श्रमिक हो सकता है। परिभाषाओं में इस प्रकार के अतिव्यापन के कारण, यह स्पष्ट नहीं है कि श्रमिकों की इन श्रेणियों के लिए विशिष्ट योजनाएं कैसे लागू होंगी।
  - श्रम संबंधी स्थायी समिति ने (i) गिग और प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को सम्मिलित करने के लिए "असंगठित श्रमिकों" की परिभाषा का विस्तार करने, तथा (ii) अनुचित व्याख्या से बचने के लिए "गिग श्रमिक" की परिभाषा को अधिक विशिष्ट बनाने की अनुशंसा की थी, लेकिन इसे संहिता में सम्मिलित नहीं किया गया।
- **आधार के साथ अनिवार्य लिंकिंग उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन कर सकती है:** यह संहिता कर्मचारी या श्रमिक (असंगठित श्रमिक सहित) के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त करने या यहां तक कि करियर केंद्र से भी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपना आधार नंबर प्रदान करना अनिवार्य बनाती है। इससे पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लंघन हो सकता है।
  - अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आधार कार्ड/नंबर केवल भारत की संचित निधि से वहन की जाने वाली सब्सिडी, लाभ या सेवा पर खर्च के लिए अनिवार्य किया जा सकता है।

1.3.3. उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, 2020)

यह संहिता स्वास्थ्य, सुरक्षा और कार्य दशाओं को विनियमित करने वाले 13 वर्तमान अधिनियमों का समेकन करती है। इनमें कारखाना अधिनियम, 1948 (Factories Act, 1948); खान अधिनियम, 1952 (Mines Act, 1952); ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम,1970 {Contract Labour (Regulation and Abolition) Act,1970} आदि सम्मिलित हैं।

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा संरचना

- **संवैधानिक प्रावधान: संविधान के तीन अनुच्छेद अर्थात् अनुच्छेद 24, 39(e)** (पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न हो) और **42** (काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता), श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
- **संघ सूची:** खदानों और तेल क्षेत्रों में श्रमिकों का विनियमन एवं सुरक्षा।
- **समवर्ती सूची:** श्रम कल्याण के विविध विषय, जैसे- कार्य दशाएँ, भविष्य निधि, नियोक्ता की अशक्तता (employers' invalidity), वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्व लाभ आदि इसमें सम्मिलित हैं।
- केन्द्रीय **श्रम मंत्रालय** और **राज्य** एवं केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम विभाग, कर्मचारियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायी हैं।
- **नेशनल सेफ्टी काउंसिल (NSC): यह राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण (Safety, Health and Environment: SHE) पर स्वैच्छिक गतिविधियों** को प्रारम्भ करने, विकसित करने तथा बनाए रखने हेतु एक शीर्ष **गैर-लाभकारी निकाय** है। यह श्रम मंत्रालय के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करता है। यह **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** और **बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950** के तहत पंजीकृत है।

VISION IAS

- **खान सुरक्षा महानिदेशालय (DGMS)** व **महानिदेशालय, फैक्टरी सलाह सेवा और श्रम संस्थान (DGFASLI)** क्रमशः खानों तथा कारखानों एवं पत्तन क्षेत्रकों में व्यावसायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य के तकनीकी पहलुओं में मंत्रालय की सहायता करते हैं।

इस संहिता के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान:

- **प्रतिष्ठानों के अच्छादन के लिए सीमा (Threshold for coverage of establishments):**
  - **कारखाना (Factory):** यह कारखाने को ऐसे किसी भी परिसर के रूप में परिभाषित करती है, जहां विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है और वह: (i) 20 श्रमिकों, यदि विद्युत का उपयोग करके विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, या (ii) 40 श्रमिकों, यदि विद्युत का उपयोग किए बिना विनिर्माण प्रक्रिया की जाती है, से अधिक श्रमिकों को नियोजित करता है।
  - **खतरनाक गतिविधि में संलग्न प्रतिष्ठान (Establishments engaged in hazardous activity):** इसमें श्रमिकों की संख्या से निरपेक्ष ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को सम्मिलित किया गया है जहां कोई खतरनाक गतिविधि की जाती है।
  - **संविदा या ठेका श्रमिक (Contract workers):** यह संहिता 50 या अधिक श्रमिकों को नियोजित (विगत एक वर्ष में किसी भी दिन) करने वाले प्रतिष्ठानों या ठेकेदारों (केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यालयों सहित) पर लागू होगी। साथ ही, यह प्रमुख (कोर) गतिविधियों (इसे उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा) में संविदा या ठेका श्रम पर प्रतिबंध आरोपित करती है। यह 11 कार्यों सहित गैर-प्रमुख गतिविधियों की सूची भी परिभाषित करती है, जिनमें सम्मिलित हैं: (i) स्वच्छता कर्मी (sanitation workers), (ii) सुरक्षा सेवाएं, और (iii) अनियमित (intermittent) प्रकृति की कोई भी गतिविधि।
- **काम के घंटे और रोजगार की स्थितियां:**
  - **दैनिक काम के घंटों की सीमा:** यह संहिता काम के लिए प्रति दिन आठ घंटे की अधिकतम सीमा निश्चित करती है।
  - **महिलाओं का नियोजन:** महिलाएं **सभी प्रकार के कार्यों के लिए सभी प्रतिष्ठानों में नियोजित किए जाने हेतु अर्ह होंगी।** यदि उन्हें खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में काम करने की आवश्यकता होती है, तो **सरकार नियोक्ता के लिए उनके नियोजन से पहले पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक बना सकती है।**
- **छूट:** यह संहिता **राज्य सरकार** को अधिक आर्थिक गतिविधि और रोजगार सृजित करने के लिए इस संहिता के प्रावधानों से **किसी भी नए कारखाने को छूट देने का अधिकार देती** है।
- **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक:**
  - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक की परिभाषा:** कोई भी व्यक्ति जो अपने आप दूसरे राज्य में जाता है और वहां रोजगार प्राप्त करता है तथा अधिकतम 18,000 रुपये प्रति माह, या ऐसी उच्चतर राशि अर्जित कर रहा है, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचित कर सकती है।
  - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए लाभ:** इसमें सम्मिलित हैं: (i) या तो मूल राज्य में या रोजगार देने वाले राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त करने के लिए विकल्प, (ii) रोजगार देने वाले राज्य में भवन और अन्य निर्माण उपकर निधि के अंतर्गत लाभों की उपलब्धता, तथा (iii) एक ही प्रतिष्ठान में अन्य श्रमिकों को उपलब्ध बीमा और भविष्य निधि लाभ।
  - इस संहिता में विस्थापन भत्ते (Displacement allowance) के प्रावधान को हटा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि 2019 के विधेयक में विस्थापन भत्ते का प्रावधान किया गया था। इसमें अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों की भर्ती के समय उन्हें विस्थापन भत्ता देने का प्रावधान था, जो उनकी मासिक मजदूरी के 50% के बराबर था।
  - **अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस:** केंद्र और राज्य सरकारों को एक पोर्टल में अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों का विवरण बनाए रखना या अभिलेखित करना होगा। इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिक स्व-घोषणा और आधार कार्ड के माध्यम से पोर्टल पर अपने आपको पंजीकृत करा सकते हैं।
  - **असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि:** इस संहिता के अंतर्गत कतिपय अर्थदंड के आरोपण से एकत्रित राशि इस निधि में जमा की जाएगी। सरकार इस निधि में धन हस्तांतरित करने के लिए अन्य स्रोत भी निर्धारित कर सकती है।

इस संहिता से संबद्ध प्रमुख समस्याएं:

- **कुछ विशेष प्रावधानों का औचित्य अस्पष्ट है:**
  - इसमें कुछ सामान्य प्रावधान किए गए हैं, जो सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। इनमें पंजीकरण, विवरणी दाखिल करने और नियोक्ताओं के कर्तव्यों के प्रावधान सम्मिलित हैं। हालांकि, इसमें अतिरिक्त प्रावधान भी सम्मिलित हैं जो विशिष्ट प्रकार के श्रमिकों पर लागू होते हैं, जैसे- कारखानों और खानों के श्रमिक, या दृश्य-श्रव्य श्रमिक, पत्रकार, बिक्री संवर्धन कर्मचारी, संविदा श्रमिक और निर्माण श्रमिक।

VISION IAS

- जहां कुछ कारखानों और खानों जैसे खतरनाक प्रतिष्ठानों एवं संविदा श्रमिकों जैसे सुभेद्य श्रमिकों की श्रेणियों के लिए विशेष प्रावधान न्यायोचित प्रतीत होते हैं, वहीं अन्य श्रमिकों के लिए इन विशेष प्रावधानों को अनिवार्य बनाने का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

- **सिविल न्यायालय को इस संहिता के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने से अपवर्जित किया गया है:**
    - वर्तमान 13 स्वास्थ्य और सुरक्षा कानूनों के अंतर्गत, मजदूरी, काम के घंटों व छुट्टी जैसे श्रमिकों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले दावों की सुनवाई श्रम न्यायालयों एवं औद्योगिक अधिकरणों द्वारा की जाएगी।
    - हालांकि, इन मामलों में यह संहिता दीवानी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को अपवर्जित करती है। इस संबध में एकमात्र उपलब्ध उपाय यह है कि पीड़ित व्यक्ति को संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष सीधे रिट याचिका दायर करना होगा। अतः यह तर्क दिया जा सकता है कि इन मामलों की सुनवाई के लिए सिविल न्यायालयों को अपवर्जित करने से पीड़ित व्यक्ति निचले न्यायालय के समक्ष कुछ मुद्दों को चुनौती देने के अवसर से वंचित हो सकता है।

भारत में व्यावसायिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

- **कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति (National Policy on Safety, Health and Environment at the Workplace: NPSHEW) के कार्यान्वयन का अभाव:** इसके परिणामस्वरूप व्यापक कानूनी ढांचे की मांग की गई थी। तथापि, केवल विनिर्माण, खनन, पत्तन और निर्माण क्षेत्रों को मौजूदा कानूनों द्वारा कवर किया जाता है।
    - **कई अधिनियमों को अक्षरशः लागू न करना:** जिसमें कारखाना अधिनियम, संविदा अधिनियम आदि सम्मिलित हैं।
    - अर्थव्यवस्था गतिविधियों में सबसे बड़े क्षेत्रक अर्थात् **कृषि क्षेत्रक के लिए कानूनी ढांचा अपर्याप्त** है।
    - पत्रकारिता संबंधी कानून, परिवहन श्रमिक कानूनों सहित कई कानूनों का निरसन।
- **व्यावसायिक सुरक्षा पर सीमित अनुसंधान:** क्योंकि अनुसंधान संस्थान कम हैं, जो अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से सम्पन्न करने के लिए सुसज्जित भी नहीं हैं।
- **प्रभावी कवरेज की कमी:** भारत में व्यावसायिक स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के साथ एकीकृत नहीं है।

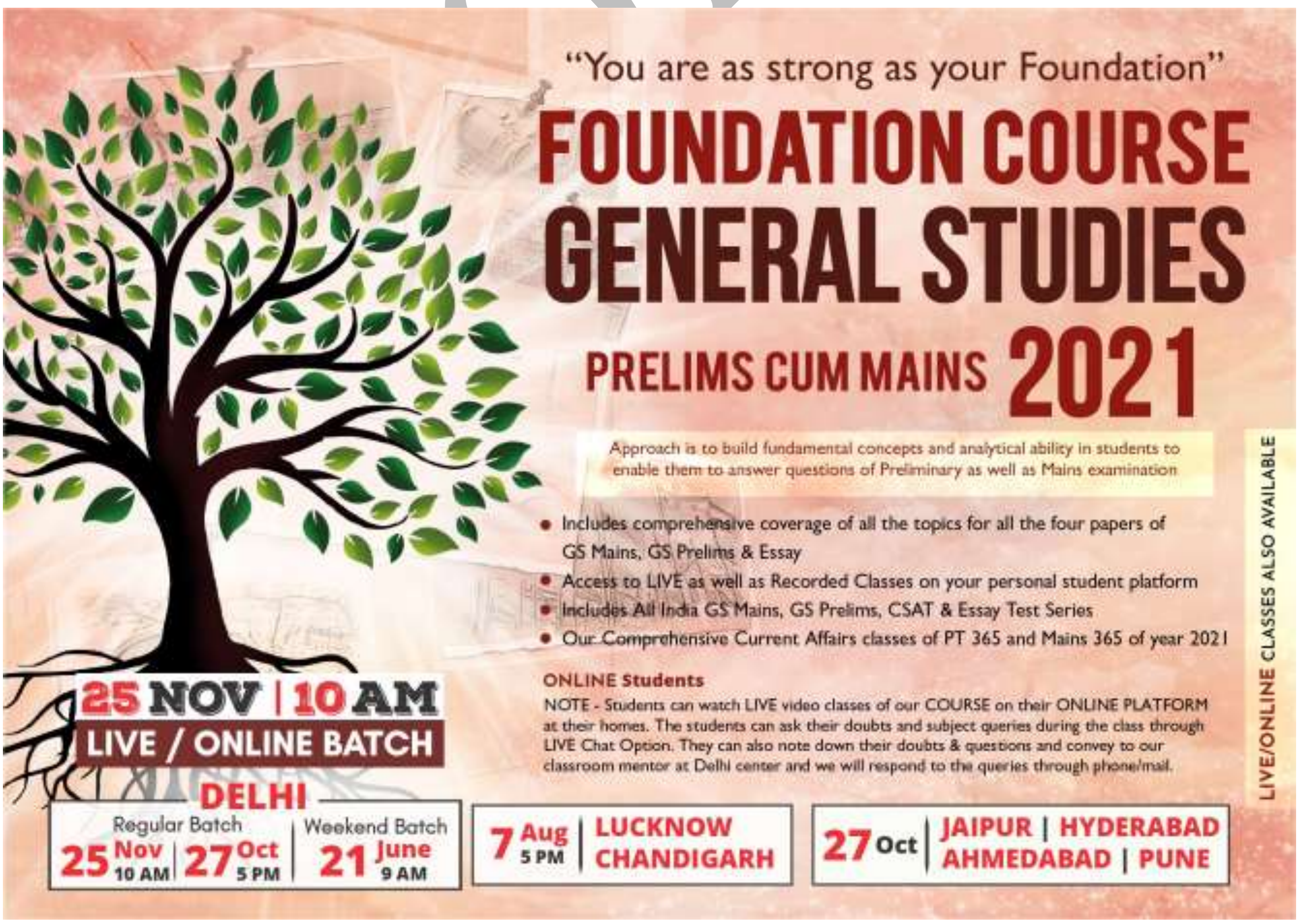

2. आर्थिक संवृद्धि, निर्धनता उन्मूलन और वित्तीय समावेशन (Economic Growth, Poverty Alleviation And Financial Inclusion)

2.1. आर्थिक संवृद्धि (Economic Growth)

परिचय

कोरोना वायरस के मामलों की बढ़ती संख्या के साथ, सरकार ने अधिकांश परिवहन सेवाओं को स्थगित कर दिया है, सभी सार्वजनिक और निजी कार्यालयों, कारखानों को बंद और भीड़ को प्रतिबंधित कर दिया है। इस समय **पहले से मौजूद आर्थिक गिरावट को कोविड-19 ने और अधिक गंभीर स्थिति में** ला दिया है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था मंदी की ओर अग्रसर हो गई है, क्योंकि यह लगातार दूसरी तिमाही में संकुचित हो गई है। यह स्थिति समग्र अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र और **अर्ध-कुशल नौकरीपेशा कर्मियों** को प्रभावित करती है।

इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि भारत स्टैगफ्लेशन (मुद्रास्फीतिजनित मंदी) के चरण में प्रवेश कर सकता है। भारत में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले वर्ष दिसंबर माह में 7.35% पर पहुंच गई थी, जिसमें **खाद्य मुद्रास्फीति पिछले साढ़े पांच वर्ष में सर्वाधिक 14.12% पर पहुंच गई**। इसके साथ ही, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) के आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि **विनिर्माण क्षेत्र में 23 में से 18 उद्योग समूहों ने नकारात्मक विकास परिलक्षित** किया है।

धीमी आर्थिक संवृद्धि के कारण

- **कुछ गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की कमज़ोर स्थिति:** विगत वर्ष के IL&FS (इंफ्रास्ट्रक्चर लीज़िग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़) संकट के पश्चात् NBFCs के ऋण विस्तार में अकस्मात कटौती देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप ऋण के व्यापक आधार में भी कमी हो गयी।
- **निम्न उपभोग मांग:** विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कमजोर आय वृद्धि ने निजी उपभोग को नकारात्मक तौर पर प्रभावित किया है।
- **अनिश्चित कॉर्पोरेट एवं पर्यावरणीय विनियामक:** वित्तीय क्षेत्र की कठिनाइयों {सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) सहित)} और व्यावसायिक विश्वास में कमी के कारण निजी निवेश बाधित हुआ है।
- वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे **कुछ संरचनात्मक सुधारों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे।**

धीमी आर्थिक संवृद्धि और कोविड-19 के प्रभावों से निपटने के लिए, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न उपायों की घोषणा की गई है:

मौद्रिक नीति उपाय	
रेपो रेट में कटौती	• ऋण वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु रेपो रेट को कम कर इसे 5.4% कर दिया गया है।
मौद्रिक नीति संचरण (Monetary Policy Transmission)	• **फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट,** बाजार की स्थिति के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। यह निश्चित ब्याज दर के विपरीत है, जिसमें ऋण दायित्व की ब्याज दर ऋण की अवधि के दौरान स्थिर रहती है।
NBFC क्षेत्रक में निधियों का अधिक प्रवाह	• RBI ने बैंकों द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) को अधिक ऋण प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने हेतु तरलता मानदंडों में छुट दी है।

निर्यात प्रोत्साहन हेतु उपाय	
निर्यात	• निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए भारत से वस्तु निर्यात योजना (Merchandise Exports from India Scheme: MEIS) को निर्यात उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना (Scheme for Remission of Duties & Taxes on Export Product: RODTEP) से प्रतिस्थापित किया गया है। इसके द्वारा वर्तमान योजनाओं द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहनों की तुलना में निर्यातकों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। • निर्यातकों के लिए पूर्णतया स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक रिफंड।
निर्यात वित्त	• विस्तारित निर्यात ऋण बीमा योजना (Export Credit Insurance Scheme: ECIS) के अंतर्गत अब निर्यात के लिए कार्यशील पूंजी उधार देने वाले बैंकों को **एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन** द्वारा उच्च बीमा

VISION IAS

	सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार इसके लिए प्रतिवर्ष 1,700 करोड़ रूपये उपलब्ध कराएगी। • निर्यात क्षेत्रक को ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों को अतिरिक्त 36,000 करोड़ रूपये से 68,000 करोड़ रूपये तक उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण संबंधी मानकों को संशोधित किया गया है। • वाणिज्य विभाग के अंतर्गत अंतर-मंत्रालयीय कार्यदल द्वारा निर्यात वित्तपोषण की प्रभावी निगरानी तथा सार्वजनिक डैशबोर्ड के माध्यम से निर्यात ऋण संवितरण की निगरानी।
निर्यात सुविधा	• प्रक्रियात्मक डिजिटलीकरण और ऑफलाइन/मैनुअल सेवाओं के उन्मूलन के माध्यम से विमानपत्तनों/पत्तनों/सीमा शुल्क पर टर्न अराउंड टाइम (TAT) को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। • दुबई की तर्ज पर मार्च 2020 के दौरान 4 स्थानों पर 4 थीमों (रत्न और आभूषण, हस्तशिल्प/योग/पर्यटन, वस्त्र एवं चमड़ा) पर आधारित वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।
मुक्त व्यापार समझौते (FTA)	• भारतीय निर्यातकों के बीच अधिमान्यता शुल्कों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने और अनुपालन आवश्यकताओं {रूल्स ऑफ ऑरिजिन/उत्पत्ति का प्रमाण-पत्र (Certificates of Origin: CoO) आदि} की सुविधा प्रदान करने के लिए **मुक्त व्यापार समझौता उपयोग मिशन (Special FTA Utilisation Mission)**। • निर्यातकों को CoO (रूल्स ऑफ ऑरिजिन के अंतर्गत) प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा **ऑनलाइन "उत्पत्ति प्रबंधन प्रणाली (Origin Management System)"** का शुभारंभ किया जाएगा।
इंजीनियरिंग मानक	• वाणिज्य विभाग तहत मानकों के संबंध में एक क्रियाशील समूह की स्थापना करके अनिवार्य तकनीकी मानकों और उनके प्रभावी प्रवर्तन का समयबद्ध अंगीकरण। • निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सभी परीक्षणों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु सस्ते परीक्षण और प्रमाणन अवसंरचना का PPP रीति से पर्याप्त रूप से विस्तार और विकास किया जाएगा।
हस्तशिल्प का निर्यात	• हस्तशिल्प उद्योग के लिए सीधे ई-कॉमर्स पोर्टल पर हस्तशिल्प कारीगरों और सहकारी समितियों के व्यापक नामांकन के माध्यम से निर्यात के लिए ई-कॉमर्स का प्रभावी ढंग से दोहन करना संभव बनाना।

विनिर्माण क्षेत्रक को गति प्रदान करने संबंधी उपाय	
निगम कर में कमी	• किसी भी घरेलू कंपनी को 22% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान करने हेतु आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है, लेकिन उनके लिए यह शर्त होगी उनके द्वारा कोई छूट / प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किए गए हैं। • ऐसी कंपनियों के लिए प्रभावी निगम कर की दर 25.17% होगी और उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन	• आयकर अधिनियम, 1961 में प्रविष्ट एक नए प्रावधान के अंतर्गत, 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद निगमित और विनिर्माण हेतु नए निवेश करने वाली किसी भी नई घरेलू कंपनी को 15% की दर से आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया गया है।

इन सुधारों के प्रभाव

- **निजी निवेश में सुधार:** कर कटौती से निजी क्षेत्रक के पास अधिक धन की बचत हो सकेगी, जिससे लोगों को उत्पादन और अर्थव्यवस्था में योगदान करने हेतु अधिक प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है। इसके विपरीत इससे रोज़गार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा।
- **निवेशकों को आकर्षित करने में सहायता:** निगम कराधान की दर में कटौती से भारत की स्थिति पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के समान हो जाएगी और इससे भारत वैश्विक मंच पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा।
- **उपभोक्ता मांग में वृद्धि:** कर दरों के कम होने से उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए कंपनियां कीमतों में कटौती कर सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं की मांग में वृद्धि हो सकती है।
- **राजकोषीय क्षमता में वृद्धि:** इन सुधारों में अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने, कर संग्रह में वृद्धि करने और राजस्व की हानि की प्रतिपूर्ति करने की क्षमता है।

संबद्ध चुनौतियां

- कर कटौती से सरकार को 1.45 लाख करोड़ रूपये के वार्षिक **राजस्व हानि** होने का अनुमान है। ज्ञातव्य है कि सरकार पहले से ही अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने हेतु प्रयासरत है।
- **आयकर में कटौती को प्राथमिकता दी जानी चाहिए** क्योंकि इससे उपभोक्ताओं के पास अधिक प्रयोज्य आय शेष रहेगी और उपभोग की मांग को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, आयकर में कटौती का प्रभाव सीमित होगा क्योंकि देश में करदाताओं की संख्या कम है।

VISION IAS

- उधारी की दरों में कटौती करते हुए परिचालन संबंधी लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए, **बैंक अपने जमा धारकों को भुगतान की जाने वाली ब्याज दर में कटौती करना** आरंभ कर सकते हैं। यह जमाकर्ताओं को गैर-तरल निवेश, जैसे- स्वर्ण, अचल संपत्ति आदि की ओर प्रेरित कर सकता है।
- **सीमित लक्ष्य:** मुख्य रूप से सस्ती और मध्य-स्तरीय आवासीय परियोजनाओं (जिनका कार्य 60% तक पूर्ण हो चुका है) पर लक्षित आवास क्षेत्र के लिए प्रस्तावित विशेष निधि में अधिकांश लंबित परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है।
- **कर संबंधी मुद्दे:** उपर्युक्त किए गए उपायों द्वारा विकासकर्ताओं (developers) की प्रमुख मांगों का समाधान नहीं किया जा सका है, जैसे- कर में छूट तथा घर के खरीदारों व विकासकर्ताओं के लिए निम्न ब्याज दर।

आगे की राह: आर्थिक गिरावट से निपटने के लिए IMF द्वारा अनुशंसित नीतिगत उपाय

- **वित्तीय क्षेत्रक:** IMF के अनुसार अल्पावधि में निम्नलिखित सुधारों की आवश्यकता है, जैसे -
  - वाणिज्यिक बैंकों, कॉर्पोरेट क्षेत्रक तथा आवास वित्त कंपनियों सहित NBFCs के **बैलेंस शीट संबंधी मुद्दों का समाधान** करना।
  - विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निजी मांग पर ऋण की कमी के प्रभावों के संबंध में बेहतर समझ विकसित करने हेतु लघु **NBFCs के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने** की आवश्यकता है।
- **राजकोषीय नीति संबंधी सुझाव:**
  - **अल्पावधि** में, व्यय की संरचना एवं GST को तर्कसंगत बनाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - **मध्यम अवधि के दौरान,** घरेलू स्तर पर राजस्व जुटाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, जैसे कि छूट को समाप्त करके व्यक्तिगत आयकर संग्रहण को बढ़ाना, करदाताओं के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा में कमी करना, शीर्ष आय-अर्जकों के योगदान को बढ़ाना, सब्सिडी पर व्यय में कमी करना तथा राजकोषीय पारदर्शिता में वृद्धि करना और इस प्रकार अनिश्चिततओं में कमी करने की आवश्यकता है।

2.1.1. असमानता एवं समावेशी विकास (Inequalities and Inclusive growth)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑक्सफैम द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में** भारत में बढ़ रही असमानताओं पर प्रकाश डाला गया है।

भारत में असमानता की स्थिति

- **आय की असमानता:** भारत की शीर्ष 10% आबादी के पास कुल राष्ट्रीय धन का 74.3% भाग है।
  - भारत की आबादी के 1% सबसे अधिक धनी लोगों के पास 42.5% राष्ट्रीय धन है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 2.8% धन है, जबकि इसमें देश की अधिकांश आबादी सम्मिलित है।
- **संपदा की असमानता: संपदा की असमानता भारत में बढ़ रही है,** क्योंकि गिनी धन गुणांक (Gini wealth coefficient) वर्ष 2008 में 81.2% था, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 83.2% हो गया है।
  - वर्ष 2018 में शीर्ष 1% लोगों की संपदा में 46% की वृद्धि हुई, जबकि नीचे के 50% लोगों की संपदा में मात्र 3.1% वृद्धि हुई।
- **सामाजिक असमानता:** भारत में सामाजिक असमानता विशेष रूप से **लिंग और जाति** आधारित है। इन सामाजिक श्रेणियों से संबंधित सीमांत वर्ग के लोग अवसर नहीं मिलने, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता की कमी से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं।
  - उदाहरण के लिए- भारत में प्रतिवर्ष **भुगतान रहित देखभाल करने वाले कार्यों के माध्यम से** निर्धन **महिलाओं और लड़कियों का 19 ट्रिलियन रूपये** का योगदान होता है। बिना वेतन देखभाल करने वाले कार्य के असमान वितरण के कारण स्पष्ट रूप से पुरुष भी श्रम बाजार में प्रतिभागी होते हैं, जबकि एक महिला की ऐसा करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
- **बढ़ी हुई क्षमताओं में अंतर से, असमानताओं की एक नई खाई** तैयार हो रही है। उदाहरण के लिए, अधिक उन्नत ज्ञान एवं तकनीक तक पहुँच की खाई भी चौड़ी हो रही है।
  - उदाहरण के लिए, बहुत उच्च मानव विकास वाले देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त वयस्क आबादी उन देशों की तुलना में छह गुना से भी अधिक गति से बढ़ रही है, जहां मानव विकास का स्तर निम्न है, और फिक्स ब्रॉडबैंड का ग्राहक आधार 15 गुना अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

VISION IAS

जीवन के साथ असमानताओं में वृद्धि होती है

- **असमानताएं जन्म के पहले भी उत्पन्न हो सकती हैं** और कई असमानताएं एक व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर भी उत्पन्न हो सकती हैं।
- आय और संपदा की असमानताओं से विभिन्न समूहों (इन समूहों का निर्धारण नृजातीयता, भाषा, लिंग या जाति के आधार पर हो सकता है) के बीच प्राय: **राजनीतिक असमानता एवं शक्ति असंतुलन उत्पन्न होता है।** इससे संभवत: और अधिक असमानताओं का जन्म होता है।

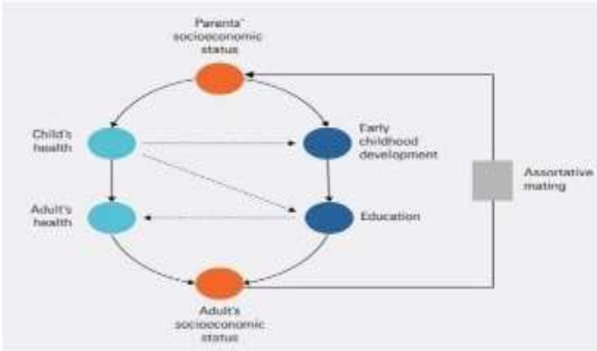

सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) क्या है?

इसे **माता-पिता की तुलना में** एक व्यक्ति की व्यक्तिगत परिस्थिति में **"ऊपर" अथवा "नीचे" की ओर** गतिशीलता के रूप में समझा जा सकता है।

भारत की स्थिति

- विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी **वैश्विक सामाजिक गतिशीलता सूचकांक (Global Social Mobility Index)** के अनुसार, **82 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का स्थान 76वां है।**
- **भारतीय लोगों की सामाजिक गतिशीलता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कारक:**
    - कम जीवन प्रत्याशा तथा अल्प सुलभ एवं निम्न गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं,
    - सामाजिक सुरक्षा पर समग्र रूप से कम व्यय,
    - श्रम बल में महिला कर्मियों की निम्न भागीदारी दर,
    - कामगारों की बड़ी संख्या का सुभेद्य रोजगारों में नियोजित होना,
    - पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तरों पर छात्र-शिक्षक अनुपात का उच्च होना,
    - सामाजिक सुरक्षा की पहुँच अथवा विस्तार का कम होना, आदि।

इन असमानताओं के क्या परिणाम हो सकते हैं?

- **निम्न सामाजिक गतिशीलता एवं निर्धनता उन्मूलन की धीमी दर:** चरम असमानता **सामाजिक गतिशीलता को बाधित करती है,** जिसका अर्थ है कि निर्धन माता-पिता के बच्चे सदैव निर्धन ही रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप उचित शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण के अभाव एवं संपर्क और संपत्तियों के अभाव के कारण **अवसरों में असमानता** उत्पन्न होती है।
- **सामाजिक अशांति:** उच्च असमानता से लोकतंत्र के कमजोर होने तथा भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के बढ़ने की संभावना रहती है। धनी और निर्धन के बीच की खाई अधिनायकवाद को जन्म देने में सहायक होती है।
- **असमानता और जलवायु संकट अंतर्संबंधित हैं, जैसे-**
    - विकासशील देशों और निर्धन समुदायों के पास **जलवायु परिवर्तन एवं चरम मौसमी घटनाओं के प्रति अनुकूलन की क्षमता** अपने धनाढ्य/ सामर्थ्यवान समकक्षों की तुलना में कम होती है।
    - देशों के बीच उच्च आय असमानता से **नई पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रसार भी बाधित** हो सकता है।
    - असमानता के कारण कार्बन उत्सर्जन कम करने की मांग करने वालों और इसका विरोध करने वालों के मध्य शक्ति-संतुलन भी प्रभावित हो सकता है।
- आय और संपदा की असमानताओं से विभिन्न समूहों (इन समूहों का निर्धारण नृजातीयता, भाषा, लिंग या जाति के आधार पर हो सकता है) के बीच प्राय: **राजनीतिक असमानता एवं शक्ति असंतुलन उत्पन्न होता है।** इससे संभवत: और अधिक असमानताओं का जन्म होता है। इसके अतिरिक्त, संस्थागत कार्य भी बाधित होते हैं और नीतियों की प्रभावशीलता कमजोर होती है।

भारत में असमानता बढ़ाने वाली चुनौतियां

- **निर्धनता:** भारत ने वर्ष 2005 से वर्ष 2015 के बीच में 27.1 करोड़ लोगों को निर्धनता से बाहर निकाला है। इसके बावजूद, मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, **विश्व के 28 प्रतिशत निर्धन भारत में रहते हैं।** यद्यपि, **भारत में चरम निर्धनता कम** है, परंतु **यहाँ निर्धनता के प्रति सुभेद्यता अत्यधिक** है।

- **निम्न आय:** यद्यपि **भारत में बेरोजगारी नियंत्रण में** है, परंतु निम्न आय के कारण **बड़ी कार्यशील आबादी निर्धन है तथा कुशल कार्यबल की कमी** और वृद्धावस्था सुरक्षा का अभाव है।
- **शिक्षा:** शिक्षा के संदर्भ में, भारत में **दक्षिण एशियाई क्षेत्र और विश्व की तुलना में अधिक असमानता** है। क्षेत्रीय औसत की तुलना में भारत में लड़कियां बहुत कम अवधि के लिए विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर पाती हैं।

आगे की राह: समावेशी विकास की ओर अग्रसर होना

समावेशी विकास के केन्द्रीय विचार में समाज के **सभी वर्गों के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास के लाभ को साझा** करना सम्मिलित है। परिणामस्वरूप, समावेशी विकास की ओर अग्रसर होना , दीर्घकालिक विकास में **समानता और निष्पक्षता दोनों सुनिश्चित करता है।** समावेशी विकास के सभी आयामों को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **नीतियों का पुनर्निर्धारण:**
    - **प्रगतिशील कराधान,** समाज के सभी वर्गों के बीच संसाधनों के पुनर्वितरण हेतु।
    - सामाजिक सेवाओं, जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा पर **सामाजिक व्यय में वृद्धि** किए जाने की आवश्यकता है। 150 से अधिक देशों से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है, कि सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा में समग्र रूप में निवेश से असमानता को कम किया जा सकता है।
- महिलाएं, जो अपने परिवार और घर की देखरेख में बिना वेतन के लाखों घंटे खर्च करती हैं, उसे कम करके **महिलाओं की व्यस्तता को कम किया जा सकता है।** इसके लिए विद्युत, जलापूर्ति जैसी सार्वजनिक सेवाओं तथा बच्चों की देखभाल से संबंधित सुविधाओं में निवेश करने से **इस अवैतनिक कार्य में लगने वाला समय कम किया जा सकेगा।**
- **निम्न उत्पादकता वाले कामगारों को** उन क्षेत्रकों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, जो क्षेत्रक अधिक उत्पादक हैं। इसके साथ ही, इन क्षेत्रकों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए मूलभूत सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:
    - **सुदृढ़ श्रमिक सुरक्षा व्यवस्था;**
    - **सामूहिक सौदेबाजी**, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था एवं व्यापार सुरक्षावाद के लिए **संस्थागत एवं नीतिगत समर्थन।**
- मानव विकास की असमानताओं के मूल्यांकन एवं उससे निपटने के लिए उपाय करने हेतु **कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारी सुधारों** की आवश्यकता है।
    - विभिन्न असमानताओं (समूहों, परिवारों आदि के बीच) को मापने के उद्देश्य से आंकड़ों से संबंधित अंतर को पाटने के लिए, मापन के नए मानक और विधियों को अपनाने की आवश्यकता है।

सरकारी उपाय

असमानता को समाप्त करने एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा **कई पहलें शुरू** की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:

- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटना बीमा), अटल पेंशन योजना (असंगठित क्षेत्रक) एवं प्रधान मंत्री जीवन ज्योति योजना (जीवन बीमा) के माध्यम से **सामाजिक सुरक्षा की सीमा का विस्तार।**
- ग्रामीण भारत में उद्यमियों को सूक्ष्म-वित्त की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुद्रा (MUDRA) बैंक की सहायता से **उद्यमिता के लिए संस्थागत समर्थन प्रदान करना** तथा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक राष्ट्रीय हब की स्थापना की गई है।
- **प्रधान मंत्री जनधन योजना** के माध्यम से **वित्तीय समावेशन** का प्रयास किया गया है। इसके माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बैंक खातों की सुलभता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।
- आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार, सामाजिक अवसंरचना, जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा को सरकार द्वारा

सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि भारत में समावेशी और संधारणीय विकास को गति दी जा सके।

2.2. निर्धनता उन्मूलन (Poverty Alleviation)

परिचय

भारत में अनुमानित **812 मिलियन निर्धन लोग** निवास करते हैं। इस रिपोर्ट में यह अनुमान किया गया है कि कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण यह संख्या बढ़कर **915 मिलियन** हो सकती है (सबसे खराब स्थिति में)। यह निम्न-मध्यम आय **(प्रतिदिन 3.2 डॉलर)** वाले देशों के लिए विश्व बैंक की निर्धनता रेखा पर आधारित है।

कोविड-19 के दौरान भारत में श्रमिकों की स्थिति

संपूर्ण भारत में फंसे हुए श्रमिकों को राहत प्रदान करने वाले स्वयंसेवकों के एक समूह **"स्ट्रैंडेड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क"** (SWAN) द्वारा देश भर में 11,159 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें निम्नलिखित तथ्य उजागर हुए हैं:

- 74 प्रतिशत श्रमिकों के पास लॉकडाउन की शेष अवधि में जीवन निर्वाह करने के लिए उनकी दैनिक मजदूरी का आधे से भी कम शेष बचा है।
- 89 प्रतिशत को लॉकडाउन के दौरान उनके मालिकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया।
- भूख की दर राहत प्रदान करने की दर से अधिक है। लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में जिन लोगों के पास 1 दिन से कम के लिए राशन शेष है, उनका प्रतिशत 36 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया है, जबकि सरकारी राशन प्राप्त करने वालों का प्रतिशत लॉकडाउन के तीसरे सप्ताह में 1 प्रतिशत से बढ़कर केवल 4 प्रतिशत हुआ है।

कोविड-19 का प्रभाव

- **अनौपचारिक क्षेत्रक की व्यापकता: अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** के अनुसार, भारत के अनौपचारिक क्षेत्रक के लगभग **400 मिलियन श्रमिकों** के अधिक निर्धन हो जाने की संभावना है:
- **आय के स्रोतों में कमी:** इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं-
    - मांग में गिरावट एवं आगत की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म व लघु उद्यमों की आर्थिक गतिविधियों (बिक्री, उत्पादन) में कमी के कारण **स्व-रोजगार करने वाला०ं० की आय में गिरावट** हुई है।
    - **शहरी प्रवासियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घरों को भेजी जाने वाली आय** में गिरावट होना।
    - बचत एवं बीमा कवर जैसे पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है। यह निर्धनों को लंबे समय तक नकारात्मक प्रभावों वाली उत्पादक परिसंपत्तियों की बिक्री जैसी गतिविधियों में संलग्न होने के लिए बाध्य कर सकता है।
- **आउट ऑफ पॉकेट व्यय में वृद्धि:** इसके लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी रहे हैं-
    - शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निर्धन लोग बीमारियों के प्रति अत्यधिक सुभेद्य होते हैं, क्योंकि वे निम्न गुणवत्ता वाली सेवाओं के साथ भीड़भाड़ वाली बस्तियों में निवास करते हैं। लोजिस्टिक्स एवं आपूर्ति श्रृंखला पर अत्यधिक दबाव बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।
    - विद्यालय बंद होने से मिड-डे मील जैसे सरकारी कार्यक्रमों पर आश्रित निर्धन परिवारों के बच्चों के लिए आहार की कमी हो सकती है।
- **आर्थिक मांग पर प्रभाव:** बेरोजगारी में वृद्धि एवं आय में गिरावट के कारण व्यय तथा खपत में कमी आ सकती है। समय के साथ शहरी क्षेत्रों में मांग में गिरावट होने से कीमतों में गिरावट के कारण दीर्घकाल में कृषि क्षेत्र में संलग्न कई लोग प्रभावित होंगे।
- **निर्धन महिलाओं पर प्रभाव:** कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त दबावों के कारण, जैसे कि -
    - विद्यालय बंद होने तथा बीमारी के प्रति सुभेद्यता के कारण बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल की आवश्यकता के कारण उनके द्वारा अतिरिक्त जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जा रहा है।
    - चूंकि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रक में महिलाओं की अधिक हिस्सेदारी है, इसलिए उनके संक्रमित होने का अधिक खतरा बना रहता है।
    - घरों में ही रहने के दौरान महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामलों में वृद्धि हो सकती है।

चुनौतियाँ

- **रोग के विषय में अनिश्चितता:** 80 प्रतिशत रोगियों के अलक्षणी (asymptomatic) होने तथा टीकाकरण के अभाव के कारण, सरकार के सामने संकट की भयावह स्थिति बनी हुई है।
- **वित्तीय संसाधनों की बाध्यता:** केंद्र व राज्य, दोनों स्तरों पर सार्वजनिक वित्त पर अत्यधिक दबाव की स्थिति बनी हुई है। इस कारण से सरकार के लिए संकटग्रस्त लोगों तक और अधिक नकद पहुँचाना कठिन हो जाता है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से संबंधित मुद्दे:** जैसे- प्रलेखन तथा PDS लाभार्थियों के अद्यतीकरण का अभाव।

VISION IAS

* **कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे:** जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के अंतर्गत 1.95 लाख मीट्रिक टन (LMT) दालों के कुल मासिक आवंटन में से 22 अप्रैल तक राज्यों द्वारा केवल 10 प्रतिशत ही जारी किया गया।
* **अपर्याप्त मुआवजा:** यद्यपि केंद्र एवं राज्य सरकारों ने विभिन्न कदम उठाए हैं, फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि राहत पैकेज अपने आप में अपर्याप्त हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

* **केरल:** ऐसे सभी लोगों को जिन्हें आवश्यकता है, चाहे वे निर्धनता रेखा से नीचे (BPL) हों या नहीं, उन्हें नि:शुल्क चावल प्रदान करना। मध्याह्न भोजन की होम डिलीवरी प्रदान करना तथा आशा कार्यकर्ताओं द्वारा ICDS के अंतर्गत पंजीकृत 26,000 बच्चों तक आहार पहुँचाना सुनिश्चित किया जायेगा।
* **हरियाणा:** सभी BPL परिवारों को अप्रैल का मासिक राशन नि:शुल्क प्रदान किया गया है। सभी सरकारी स्कूल के बच्चों तथा आंगनबाड़ियों में नामांकित सभी को सूखा राशन (dry rations) प्रदान किया गया।
* **छत्तीसगढ़:** आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों को गर्म-पकाये हुए भोजन के बजाय सूखा राशन वितरित किया गया।
* **बिहार:** राशन कार्ड धारकों के बैंक खातों में धनराशि जमा करना, प्रत्यक्ष नकद अंतरण (DCT) आदि का प्रावधान किया गया है। लॉकडाउन के दौरान राहत के रूप में तीन माह के लिए 5 किलोग्राम चावल एवं 1 किलोग्राम दाल उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है।

2.2.1. बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2020 {Multidimensional Poverty Index (MPI) 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme: UNDP)** तथा **ऑक्सफ़ोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल (Oxford Poverty and Human Development Initiative)** द्वारा **वर्ष 2020 के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक** का प्रकाशन किया गया।

वैश्विक MPI क्या है?

* MPI **निर्धनता के मामलों** (निर्धन लोगों का अनुपात) एवं **निर्धनता की गहनता** (निर्धन लोगों में अभाव का औसत स्कोर) का परिणाम है। अत: यह दोनों घटकों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है।
* इसके अंतर्गत **10 विभिन्न संकेतकों में वर्गीकृत** प्रत्येक व्यक्ति की वंचनाओं (deprivations) को **समान भारांश वाले तीन आयामों, यथा- स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर** के आधार पर परीक्षण किया जाता है (इन्फोग्राफिक देखें) तथा यह निर्धन व्यक्ति एवं उसकी निर्धनता के कारणों को चिन्हित करता है।
* वैश्विक MPI में लोगों की गणना **बहुआयामी निर्धन के रूप में तब की जाती है, जब वे 10 में से एक-तिहाई या उससे अधिक संकेतकों में वंचित पाए जाते हैं।**
* नीति आयोग की योजना सरकार के "सुधार और वृद्धि के लिए वैश्विक संकेतक" (Global Indices to Drive Reforms and Growth: GIRG) अभ्यास के हिस्से के रूप में **वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI)** के निगरानी तंत्र का लाभ उठाने की है।
  * GIRG का उद्देश्य विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन को मापना और उसकी निगरानी करना है और इन सूचकांकों का उपयोग आत्म-सुधार, नीतियों में सुधार, अंतिम-मील (बिन्दु) तक सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सुधार करना आदि है।

MPI 2020 की प्रमुख विशेषताएँ या निष्कर्ष

* 107 विकासशील देशों के **1.3 बिलियन लोग (22%) बहुआयामी निर्धनता में जीवनयापन करते हैं।** उनमें से 82.3 प्रतिशत लोग कम से कम पांच संकेतकों में एक साथ वंचित हैं।
* लगभग **84.3% बहुआयामी निर्धन लोग** सब-सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में निवास करते हैं।
* प्रत्येक विकासशील क्षेत्र में **बहुआयामी निर्धन लोगों का अनुपात** शहरी क्षेत्रों की तुलना में **ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक दर्ज हुआ है।**
* **65 देशों ने उल्लेखनीय ढंग से व निरपेक्ष रूप से अपने वैश्विक MPI मान में कमी की है।**

VISION IAS

- **बहुआयामी निर्धनता में सर्वाधिक कमी भारत में दर्ज हुई है,** जहां **वर्ष 2005-2006 से वर्ष 2015-2016 के मध्य** लगभग 273 मिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकल गए हैं। भारत ने इस अवधि में अपने **MPI मान को भी आधा कर लिया है।**
    - हालांकि, वर्ष 2018 तक **37.7 करोड़ लोग** बहुआयामी निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहे थे।

अन्य मॉडलों की अपेक्षा MPI किस प्रकार बेहतर है?

- **बहुआयामी दृष्टिकोण:** MPI बहु-उद्देश्यीय घरेलू सर्वेक्षण की उपलब्धता से लाभ प्राप्त करता है, जो कि समान सर्वेक्षण से अलग-अलग आयामों के आंकड़े को तैयार करने की अनुमति प्रदान करता है। यह उन लोगों की पहचान करने में सहायक है, जो अतिव्यापी वंचनाओं (overlapping deprivations) का अनुभव कर रहे हैं।
    - MPI ने मानव निर्धनता सूचकांक (Human Poverty Index: HPI) को प्रतिस्थापित किया है, जिसका वर्ष 1997-2009 के दौरान उपयोग किया गया था।
- **श्रेष्ठतर तुलना:** MPI, नीति के लिए उपयोगी पहलुओं के साथ अलग-अलग क्षेत्रों, जातीय समूहों या अन्य जनसंख्या उप-समूहों के मध्य बहुआयामी निर्धनता की संरचना को व्यक्त कर सकता है।
    - HPI, यह अभिव्यक्त करने में विफल रहा कि कौन-से विशिष्ट लोग, परिवार या लोगों के बृहत् समूह निर्धन थे।
- **आय आधारित निर्धनता मापन का पूरक:** आय आधारित निर्धनता के आंकड़ें अलग-अलग सर्वेक्षणों से प्राप्त होते हैं तथा इन सर्वेक्षणों में स्वास्थ्य, पोषण इत्यादि की जानकारी प्रायः उपलब्ध नहीं होती है।
    - लोग निर्धनता रेखा के ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आवास जैसी आवश्यकताओं से अभी भी वंचित हैं।

MPI की सीमाएं

- **कम संवेदनशीलता:** बहुआयामी निर्धन माने जाने के लिए किसी परिवार के लिए आवश्यक है कि वह **कम से कम जीवन-स्तर के छह संकेतकों** या **जीवनस्तर के तीन संकेतकों तथा स्वास्थ्य या शिक्षा में से किसी एक संकेतक** से वंचित हो। यह आवश्यकता MPI को मामूली अशुद्धियों के प्रति कम संवेदनशील बनाती है।
- **असामनता की पहचान करने में असमर्थ: MPI** निर्धनता के अनुभव की गहनता को सम्मिलित करने के लिए कुल गणना (headcount) से बहुत व्यापक है, लेकिन यह गरीबों के मध्य असमानता का मापन नहीं करता है।
- **परिवार के भीतर असमानताओं को पहचानने में असमर्थ:** परिवार के भीतर असमानताएं गंभीर हो सकती हैं, लेकिन इनको ठीक तरीके से दर्शाया नहीं जा सका, क्योंकि सभी संकेतकों के लिए एकल-स्तर की सूचना उपलब्ध नहीं है।
- **आंकड़ों की अनुपलब्धता:** अलग-अलग देशों के मध्य MPI की तुलना करने की कुछ सीमाएं हैं। प्रस्तुत किए जाने वाले अनुमान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित होते हैं तथा सभी देशों के पास सभी संकेतकों का आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए, निर्धनता के मामले में बेहतर तथा अधिक नियमित आंकड़ों की तत्काल आवश्यकता है।

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) एवं सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

- **यह 10 संकेतकों में एक ही परिवार के लोगों के आपस में संबंधित अभावों को दर्शाता है, जो SDG 1** (शून्य निर्धनता), 2 (शून्य भूखमरी), 3 (उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली), 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), 7 (वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा), तथा 11 (संधारणीय शहर एवं समुदाय) से संबंधित हैं।
- **MPI एवं प्रतिरक्षण:** वैश्विक MPI के मान और डिप्थीरिया, टिटनेस एवं काली खांसी (DTP3) वैक्सीन के कवरेज के मध्य नकारात्मक, सामान्य व सांख्यिक रूप से महत्वपूर्ण सह-संबंध है।
- 60 प्रतिशत बच्चे जिनका टीकाकरण नहीं हुआ है, वे केवल 10 देशों से संबंधित हैं, तथा 40 प्रतिशत ऐसे बच्चे जिन्हें DTP3 का टीका नहीं दिया गया है, वे केवल 4 देशों, यथा- नाइजीरिया, भारत, पाकिस्तान एवं इंडोनेशिया में निवास करते हैं।
- **MPI एवं शिक्षा:** उप-सहारा अफ्रीकी देशों में बहुआयामी निर्धन एवं वर्षों से विद्यालय जाने से वंचित लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है।
- **MPI और शहरी-ग्रामीण विभाजन:** उदाहरण के लिए, दक्षिण एशिया में कुल जनसंख्या का 29.2 प्रतिशत बहुआयामी निर्धनता के दायरे में आता है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रतिशत 37.6 प्रतिशत है।
- **MPI तथा जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण:** निर्धन एवं सुविधाविहीन लोगों पर दोगुना बोझ होता है- उन पर पर्यावरण संकट का खतरा सर्वाधिक होता है तथा उन्हें आंतरिक वायु प्रदूषण **(SDG 3.9),** स्वच्छ जल का अभाव **(SDG 6.1)** तथा अपरिष्कृत सफाई व्यवस्था **(SDG 6.2)** से उत्पन्न होने वाले पर्यावरण के तात्कालिक खतरों का सामना करना पड़ता है।

VISION IAS

- **MPI तथा कार्य एवं रोजगार: MPI के मान** तथा बाल श्रम के मध्य मजबूत सह-संबंध है। कई विकासशील देशों में **कृषि संबंधी रोजगार** सकल रोजगार वृद्धि एवं निर्धनता को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

2.2.2. निर्धनता उन्मूलन हेतु हाल ही में किए गए नीतिगत सुधार (Recent Policy Reforms for Poverty Alleviation)

2.2.2.1. मनरेगा में सुधार (Reforms in Mgnrega)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के अंतर्गत मजदूरी को अपडेटेड मुद्रास्फीति सूचकांक (CPI-ग्रामीण) से संबद्ध करने की योजना बनायी जा रही है, जिसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- मनरेगा, **ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD)** का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- इसने विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष लगभग 235 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवसों का सृजन किया है।

आरंभ किए गए सुधार और उनके लाभ

- **मजदूरी भुगतान, परिसंपत्ति निर्माण और सामग्रियों के लिए भुगतान संबंधी पारदर्शिता:** परिसंपत्तियों की 100% जियो-टैगिंग, बैंक खातों से आधार कार्ड को लिंक करना, IT/DBT अंतरण के माध्यम से मजदूरी व सामग्रियों का भुगतान तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) पर आधारित कार्य नियोजन हेतु प्रयास आरंभ किए गए हैं।
    - **15 दिनों के भीतर भुगतान अर्जन** की दर वर्ष 2014-15 के 26% से बढ़कर वर्तमान में 91% हो गई है।
- **टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण:** ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य **60:40 मजदूरी-सामग्री अनुपात** प्राय: केवल इसलिए अनुत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन का कारण रहा है क्योंकि उक्त ग्राम पंचायत में 60% भाग अकुशल मजदूरी पर व्यय किया जाता था। हालाँकि इसके तहत किया गया **पहला बड़ा सुधार यह है कि पंचायत स्तर के बजाय जिला स्तर पर 60:40 की अनुमति प्रदान की गई है।**
    - इस सुधार के बावजूद, समग्र व्यय में अकुशल मजदूरी पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात 65% से अधिक रहा है। इस परिस्थिति ने आय सृजक **टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन पर बल दिया है**। यह केवल उत्पादक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए लचीलेपन की अनुमति प्रदान करता है।
- **टिकाऊ सामुदायिक और व्यक्तिगत लाभार्थी परिसंपत्तियों का सृजन:** बकरियों के लिए आश्रय स्थल, गोशाला, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G), पोखरों का निर्माण, जल अंतर्ग्रहण के लिए गड्ढे आदि जैसी अधिक संख्या में व्यक्तिगत लाभार्थी योजनाओं/कार्यों को आरंभ किया गया है। इन परिसंपत्तियों ने वंचित लोगों की वैकल्पिक संधारणीय आजीविका तक पहुंच प्राप्त करने में सहायता की है।
    - इसी प्रकार से, **आंगनवाड़ी केंद्रों (AWC)** का निर्माण टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति के सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से लगभग 1,11,000 AWC का निर्माण किया जा रहा है।
    - बड़े पैमाने पर **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का भी कार्य संपन्न** किया गया है, जिसके परिणाम स्वच्छ गांव, उच्च आय और निर्धनों के लिए अधिक विविधतापूर्ण आजीविका के रूप में परिलक्षित हुए हैं।
- **मिशन जल संरक्षण दिशा-निर्देश:** इसे डार्क और ग्रे ब्लॉक, क्षेत्रों के भूजल स्तर में हो रहे तीव्र गिरावट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2015-16 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय (वर्तमान में **जल शक्ति मंत्रालय**) और **भूमि संसाधन विभाग** की साझेदारी में तैयार किया गया था।
    - इस साझेदारी ने सुदृढ़ तकनीकी नियमावली का निर्माण करने और अग्रपंक्ति के श्रमिकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों के **तकनीकी ज्ञान का लाभ उठाना संभव बनाया** है।
    - बेहतर तकनीकी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष **बेयरफुट तकनीशियन कार्यक्रम** आरंभ किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- सरकार विशिष्ट कार्य के लिए कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे एक अस्थायी श्रमिक को 250 रुपये तक दैनिक भत्ता देने के लिए योजना बना रही है।
- जैविक खाद के निर्माण और फसल के साधारण भंडारण हेतु मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ समझौता किया है।

VISION IAS

मनरेगा को सशक्त बनाने हेतु कुछ पहलें

- **नरेगा-सॉफ्ट (NREGAsoft):** यह स्थानीय भाषा में सक्षम कार्य प्रवाह आधारित एक ई-शासन प्रणाली है जो मास्टर रोल, पंजीकरण आवेदन पंजिका, जॉब कार्ड/नियोजन पंजिका आदि जैसे सभी दस्तावेज उपलब्ध कराती है।
- **जिओ-मनरेगा (GeoMGNREGA):** यह ऑनलाइन रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए मोबाइल आधारित फोटो जियो-टैगिंग व GIS आधारित सूचना प्रणाली जैसे तकनीकी हस्तक्षेपों का उपयोग करते हुए मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का डेटाबेस विकसित करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।
- **वर्धित जवाबदेही: ग्राम संवाद मोबाइल ऐप** और **जन-मनरेगा (JanMnREGA)** {मनरेगा परिसंपत्तियों के लिए परिसंपत्ति पर दृष्टि रखने (ट्रैकिंग) और प्रतिक्रिया (फीडबैक) प्रदान करने वाला ऐप} जैसे विभिन्न नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप विकसित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य जानकारी तक प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करके तथा लोगों के प्रति जवाबदेही में सुधार लाकर ग्रामीण नागरिकों का सशक्तीकरण करना है।
- **लाइफ-मनरेगा (Livelihood In Full Employment: LIFE-MGNREGA) परियोजना** का उद्देश्य आत्म-निर्भरता को बढ़ावा देना और मनरेगा श्रमिकों के कौशल आधार में सुधार करना तथा उससे श्रमिकों की आजीविका में सुधार करना है, ताकि वे आंशिक रोजगार की वर्तमान स्थिति से पूर्ण रोजगार की स्थिति में स्थानांतरित हो सकें।

मनरेगा को अधिक कुशल बनाने के लिए इसके समक्ष विद्यमान निम्नलिखित चुनौतियां का समाधान किया जाना चाहिए-

- **कम मजदूरी:** एक मनरेगा श्रमिक की **राष्ट्रीय औसत मजदूरी 178.44 रूपये प्रतिदिन** है। यह हाल ही में **अनूप सत्पथी** की अध्यक्षता में श्रम मंत्रालय के पैनल द्वारा अनुशंसित 375 रूपये प्रति दिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के आधे से भी कम है।
- **मजदूरी में असमानता:** वर्तमान में, पांच राज्यों में दैनिक न्यूनतम मजदूरी 375 रुपये या अधिक है, जबकि **हरियाणा में मनरेगा मजदूरी अधिकतम प्रतिदिन 284 रुपये है**। उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी दर 182 रूपये/दिन (अधिसूचित 192 रुपये का 95%) है।
- **मजदूरी संशोधन पद्धति:** इस योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली मजदूरी **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (CPI-AL)** से संबद्ध है। इस पद्धति में समस्याएं है:
- **अल्परोजगार:**
  - मनरेगा की वेबसाइट पर उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2018 में प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत रोजगार दिवस 45.77 थे, जो वित्त वर्ष 2017 में केवल 46 और वित्त वर्ष 2015 में 40.17 था।
- **प्रशासनिक चूक के लिए श्रमिकों को दंडित करना:** मंत्रालय, निर्धारित समयावधि के भीतर विगत वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षा निधि विवरणों की प्रस्तुति, उपयोग प्रमाण-पत्र, बैंक मिलान प्रमाण-पत्र आदि जैसी प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करने वाले राज्यों के श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान पर रोक लगा देता है।
- **अत्यधिक केंद्रीकरण, स्थानीय प्रशासन को कमजोर करता है:** रियल टाइम MIS-आधारित कार्यान्वयन और केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली के कारण पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए मनरेगा योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी एवं शिकायत निवारण तंत्र में कोई विशेष भूमिका नहीं रह गयी है।

2.2.2.2. वहनीय आवास (Affordable Housing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **शहरी प्रवासियों/निर्धनों के लिए किफायती किराये के आवासीय परिसरों (Affordable Rental Housing Complexes: AHRCs) के विकास** को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि, इसे **प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)** के तहत एक उप-योजना के रूप में अनुमोदित किया गया है।

ARHCs योजना की मुख्य विशेषताएँ

- इस योजना के अंतर्गत, **ARHCs** को, **न्यूनतम 25 वर्ष की अवधि के लिए** किराये के आवास के रूप में उपयोग हेतु विकसित किया जाएगा। इस हेतु निम्नलिखित दो मॉडलों का उपयोग किया जाएगा:
  - रियायत समझौतों के माध्यम से वर्तमान में खाली पड़े तथा सरकार द्वारा वित्तपोषित आवासीय परिसरों को रूपांतरित करना।
  - ARHCs में उपलब्ध खाली भूमि पर विकास करने के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।

VISION IAS

- **लक्षित लाभार्थी:** विनिर्माण उद्योगों में नियोजित कार्यबल तथा आतिथ्य, स्वास्थ्य एवं घरेलू/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण या अन्य क्षेत्रकों में संलग्न सेवा प्रदाता, निर्माण श्रमिक, दीर्घकालिक पर्यटक/आगंतुक, छात्र आदि।
    - ARHCs योजना के अंतर्गत प्रारम्भ में **लगभग 3 लाख लाभार्थियों** को शामिल किया जाएगा।
- निर्माण के लिए पहचान की गई नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये का **प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (Technology Innovation Grant)** प्रदान किया जाएगा।
- **इस योजना के संभावित लाभ:**
    - सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली आवासीय स्टॉक के आर्थिक उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।
    - अपनी खाली भूमि पर ARHCs के विकास हेतु संस्थाओं को अनुकूल माहौल प्राप्त होगा।
    - ARHCs क्षेत्रक में नए निवेश के अवसर सृजित होंगे और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा।
    - ARHCs के अंतर्गत निवेश से रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा।

प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)

- वर्ष **2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास** सुविधा प्रदान करने हेतु **प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)** को वर्ष 2015 में आरंभ किया गया था।
- यह मिशन झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों सहित **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section: EWS), निम्न आय वर्ग (Low Income Group: LIG)**, और **मध्यम आय वर्गों (Middle-Income Groups: MIG)** की श्रेणियाँ के मध्य शहरी आवास की अनुपलब्धता जैसी समस्याओं का समाधान करेगा।
- वर्तमान में, प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक 105.6 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है।
- घरों के स्वामित्व को महिला सदस्य या संयुक्त नाम से प्रदान करके, यह मिशन महिला सशक्तीकरण को भी बढ़ावा प्रदान करता है।

शहरी क्षेत्रों में किफायती आवासों की आवश्यकता

- **तीव्र शहरीकरण:** वर्ष 2030 तक, शहरी भारत की जनसंख्या में 40 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होना अपेक्षित है, जिसके कारण 25 मिलियन अतिरिक्त वहनीय आवास इकाइयों की मांग में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
- **बहुसंख्यक जनसंख्या का निम्न और मध्यम आय वर्ग में होना:** निर्धनता रेखा (BPL) से नीचे रहने वाले, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न-आय समूह (LIG) परिवारों एवं उनकी प्रयोज्य आय कम होने, आय अनियमित होने, स्थावर संपदा की निरंतर बढ़ती कीमतों आदि के कारण शहरी आवास उपलब्ध करा पाना कठिन रहा है।
- **बेहतर जीवन हेतु:** सस्ते आवास, लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए तथा अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु अत्यंत आवश्यक है।
- **भूमि के अवैध अतिक्रमण को रोकने हेतु:** सस्ते विकल्पों के अभाव एवं ग्रामीण से शहरी प्रवास के कारण आमतौर पर शहरी क्षेत्रों में अवैध मलिन बस्तियों और अनौपचारिक/अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को बढ़ावा मिलता है।
- **शहरी संकुलन की समस्या को कम करने हेतु:** कार्यस्थलों के निकट सस्ती कीमतों पर आवास उपलब्ध कराने और अनावश्यक यात्रा, भीड़भाड़ और प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकते है।
- **भारत में अनौपचारिक किराया आवासीय क्षेत्रक की मौजूदगी:** इस क्षेत्र में आवासों के बढ़े हुए मूल्य, उचित रखरखाव की कमी, बलपूर्वक घर खाली कराए जाने आदि अनौपचारिक गतिविधियाँ किरायेदारों के शोषण को बढ़ावा दे सकती हैं।
- **कोविड-19 जनित प्रति-प्रवास (Reverse migration):** सस्ते आवास के अभाव के कारण श्रमिकों/शहरी निर्धनों के बड़े पैमाने पर हुए पलायन ने सस्ते आवास की आवश्यकता को उजागर किया है।

किफायती आवास सुनिश्चित करने हेतु कार्यरत सरकारी पहलें

- भारत में एक जीवंत, संधारणीय और समावेशी किराये के आवास बाजार निर्मित करने के दृष्टिकोण से वर्ष 2015 में **राष्ट्रीय शहरी किराया आवासीय नीति (National Urban Rental Housing Policy: NURHP)** का मसौदा जारी किया गया था।
- किफायती आवास को **अवसंरचनात्मक दर्जा** प्रदान किया गया है। इसके तहत कम उधारी दर, कर रियायत और विदेशी एवं निजी पूंजी प्रवाह जैसे संबद्ध लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।

VISION IAS

- कम लागत वाले घरों की मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (नेशनल हाउसिंग बैंक) में समर्पित **किफायती आवास निधि (Affordable Housing Fund: AHF)** स्थापित की गई है।
- **स्थावर संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (Real Estate {Regulation and Development) Act, 2016}:** इसके माध्यम से स्थावर संपदा क्षेत्रक के विनियमन और संवर्धन के लिए स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरण (Real Estate Regulatory Authority: RERA) को स्थापित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य स्थावर संपदा परियोजना के कुशल और पारदर्शी तरीके से बिक्री/खरीद को सुनिश्चित करते हुए घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना है।
- **मॉडल किरायेदारी अधिनियम, 2019** का मसौदा किरायेदारी मामलों के नियमन के लिए एक ढांचा स्थापित करता है। साथ ही, यह विवादों के समाधान हेतु तथा तीव्र न्यायनिर्णयन प्रक्रिया सहित भूस्वामियों और किरायेदारों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों के बेहतर संतुलन हेतु एक ढांचा प्रदान करता है।

चुनौतियाँ

- **सस्ते आवास की स्पष्ट परिभाषा मौजूद न होना:** भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए इसे स्पष्ट रूप से पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए।
- **संरचनात्मक वित्त व्यवस्था का उपलब्ध न होना:** आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों (EWS) और कम आय वाले समूहों/वर्गों (LIG) की श्रेणियों के लिए **वेतन और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों को उपलब्ध कराने में असमर्थता के कारण** ऋण एवं औपचारिक आवासन-वित्त प्राप्त करने के लिए पात्रता साबित करना प्राय: कठिन होता है।
- **शहरों के बाहरी क्षेत्रों में विकसित कार्यस्थलों से संपर्क:** आंतरिक शहरी क्षेत्रों में सस्ती और पर्याप्त आकार की भूमि के अभाव ने शहरों के चारों ओर के निकटवर्ती क्षेत्रों में सस्ते आवास के विकास को बढ़ावा दिया है।
- **पुरातन कानून:** भूस्वामी किराये के आवास को अलाभकारी मानते हैं क्योंकि प्रतिबंधात्मक किराया नियंत्रण कानून लेन-देन की लागत को बढ़ा देते हैं, आवासों को किराए पर देने पर कम आय सृजित होती है और संपत्ति संबंधी मुकदमेबाजी से जुड़े उच्च जोखिम भी उत्पन्न होते हैं।
- **अन्य मुद्दे:**
  - **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) की तरलता की कमी** ने वित्तपोषण की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
  - **शहरी नगरों में भूमि की उच्च लागत:** प्राय: सस्ती आवासीय परियोजनाओं के विकासकर्ताओं की परियोजना लागत में 50 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी भूमि की होती है, जिससे सस्ती आवास परियोजनाएं अलाभकारी बन जाती हैं।
  - **नियामक बाधाएं:** भूमि उपयोग रूपांतरण, भवन और निर्माण अनुमोदन प्रक्रियाओं आदि में होने वाले विलम्ब, लागत को बढ़ा देते हैं।
  - **वहनीय क्षेत्रक में लाभ की संभावना कम होती है:** निजी स्थावर संपदा विकासकर्ता विशेषकर विलासितापूर्ण, अत्यधिक साधन संपन्न और ऊपरी-मध्य आय वाले आवास खंडो के निर्माण को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इनसे अधिक प्रतिफल प्राप्त होता है।

आगे की राह

- **"किफायती आवास" की समावेशी परिभाषा:** इसके तहत भारत में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा संपत्ति करों, परिचालन और रखरखाव लागतों, परिवहन लागत, **और** जल, विद्युत, भोजन पकाने के ईंधन आदि जैसे आधारभूत सुविधाओं के भुगतान जैसे कारकों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- कम आय वर्गों (LIG) और आर्थिक रुप से कमजोर वर्गो (EWS) की जनसंख्या के बड़े वर्गों हेतु **आवास वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अभिनव सूक्ष्म बंधक वित्तपोषण तंत्र (Innovative micro mortgage financing mechanisms)** और स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) का उपयोग किया जा सकता है।
- इस क्षेत्रक में निवेश आकर्षित करने हेतु **किराया नियंत्रण कानूनों को संशोधित कर आवासन क्षेत्र का औपचारिककरण** किया जाना चाहिए। भवन निर्माण अनुमतियों के अनुमोदन हेतु **एकल खिड़की मंजूरी** और दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कराया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **दीर्घकालिक नियोजन और भूमि-प्रबंधन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करना:** भूमि की उपलब्धता और आवासन आपूर्ति को भविष्य की अनुमानित आवासन मांग और जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप संतुलित/निर्धारित किया जाना चाहिए। भूमि के नियोजन और उपयोग में सुधार हेतु भू-अभिलेखों को डिजिटलीकृत किया जा सकता है।
- **ज़ोनिंग सुधार:** समावेशी ज़ोनिंग जैसे भूमि-उपयोग नियोजन उपागमों का उपयोग किया जा सकता है, जिसके तहत विशेष रूप से सस्ते आवास के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को आरक्षित या विशिष्ट जोन के रूप में आरक्षित किया जा सकता है।
- विशेष रूप से बड़े पैमाने पर किराये के आवासीय परियोजनाओं/योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन में दक्षता लाने के लिए **किराया प्रबंधन कंपनियों (RMCs) को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।**

2.3. वित्तीय समावेशन (Financial inclusion)

परिचय

वित्तीय समावेशन शब्द का व्यापक रूप में अर्थ- "बैंक खातों तक सार्वभौमिक पहुँच, बीमा एवं सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की आसान सुलभता और ऋण-सुविधाओं से वंचित लोगों के लिए उपयुक्त लागत पर ऋण-सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करना" है।

भारत में वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति

- विश्व बैंक के एक आंकड़े के अनुसार, वर्ष 2017 में, **80 प्रतिशत वयस्कों के पास बैंक खाता था।**
- भारतीय परिवारों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का महत्व भी बढ़ रहा है, **बचत के लिए भौतिक परिसंपत्तियां अब तक लोगों के बीच सर्वाधिक पसंदीदा परिसंपत्ति विकल्प बनी हुई हैं।** (50% से अधिक पारिवारिक बचत, भौतिक परिसंपत्ति के रूप में है।)
- वर्ष 2016 में, बांग्लादेश (40 प्रतिशत), पाकिस्तान (9 प्रतिशत) और केन्या (81 प्रतिशत) की तुलना में **भारत में मोबाइल मनी सुविधा का प्रयोग 1 प्रतिशत लोग कर रहे थे।**
- बांग्लादेश के 88, पाकिस्तान के 26 और केन्या के 231 की तुलना में **भारत में प्रति 1,000 वयस्क लोगों पर ऋण खातों की संख्या 154 थी।**
  - वर्ष 2016 में चीन के 98 प्रतिशत की तुलना में **भारत में बैंक ऋण और GDP का अनुपात भी 51 प्रतिशत था।**

वित्तीय समावेशन के समक्ष बाधाएं

- निम्न आय वाले परिवारों और अनौपचारिक क्षेत्रक के छोटे व्यवसायियों में **वित्तीय साक्षरता का अभाव।**
- **पारंपरिक बैंकिंग मॉडल** के **परिचालन की उच्च लागत।**
- उत्पादों एवं बाजार प्रवेश के लिए **अत्यधिक नियामक औपचारिकताएं,** एवं नई प्रौद्योगिकियों के प्रति रूढ़िवादी नियामक दृष्टिकोण।

इन समस्याओं के समाधान के लिए, सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे- **प्रधान मंत्री जनधन योजना, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया योजना, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना,** एवं **अटल पेंशन योजना।**

2.3.1. वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2019-2024 की अवधि के लिए वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति (National Strategy for Financial Inclusion: NSFI) जारी की।

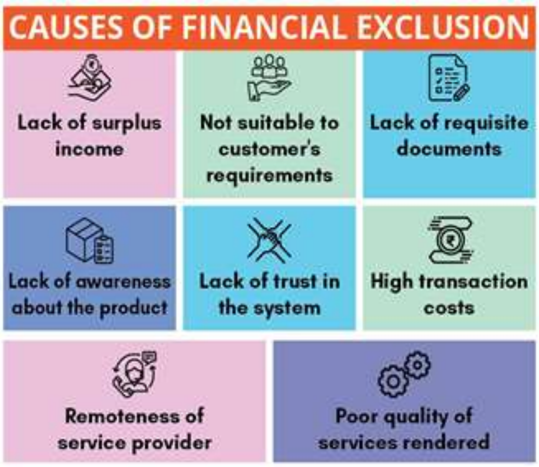

2019-2024 के लिए वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय रणनीति

- यह वित्तीय क्षेत्र में सभी हितधारकों को सम्मिलित करते हुए, एकीकृत कार्यवाही के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया को विस्तारित करने और संधारणीय बनाने में सहायता करने के लिए भारत में वित्तीय समावेशन की नीतियों के ध्येय और प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करती है।
- वित्तीय रणनीति का उद्देश्य वहनीय तरीके से औपचारिक वित्तीय सेवाओं

तक पहुँच प्रदान करना, वित्तीय समावेशन को व्यापक और विस्तृत करना तथा वित्तीय साक्षरता एवं उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देना है।

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के रणनीतिक स्तंभ

स्तंभ	उद्देश्य	अनुशंसाएँ
वित्तीय सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच	• प्रत्येक गाँव की **5 कि.मी. के दायरे में औपचारिक वित्तीय सेवा प्रदाता तक पहुंच होनी चाहिए।** • ग्राहकों के लिए **सरल और निर्बाध डिजिटल प्रक्रिया** का उपयोग सुनिश्चित करना।	• ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं में दक्षता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंकों एवं अन्य विशिष्ट बैंकों के साथ-साथ अन्य गैर-बैंक निकायों, जैसे- उचित मूल्य की दुकानों, कॉमन सर्विस सेंटर्स आदि के लिए **डिजिटल वित्तीय अवसंरचनाओं का विस्तार करना।**
आधारभूत वित्तीय सेवाओं का समूह प्रदान करना	• **ऐसा प्रत्येक वयस्क व्यक्ति, जो प्राप्त करने का इच्छुक और इसके लिए योग्य है,** को आधारभूत वित्तीय सेवा समूह प्रदान करना, जिसमें एक बुनियादी बचत बैंक जमा खाता, क्रेडिट, माइक्रो लाइफ और गैर-जीवन बीमा उत्पाद, पेंशन उत्पाद और उपयुक्त निवेश उत्पाद सम्मिलित हों।	• यह बैंकों द्वारा **अनुकूलित वित्तीय उत्पादों को डिजाइन और विकसित करके तथा वित्तीय तकनीक एवं बैंकिंग अभिकर्ता नेटवर्क** के माध्यम से उसके कुशल वितरण को सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है।
आजीविका और कौशल विकास तक पहुँच	• **वित्तीय प्रणाली में नए प्रवेशकों को वर्तमान में चल रहे सरकारी आजीविका कार्यक्रमों के बारे में प्रासंगिक जानकारी दी जानी चाहिए,** जिससे उन्हें अपने कौशल को बढ़ाने और सार्थक आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होने तथा आय बढ़ाने में सहायता मिल सके।	• अभिसरित उपायों के माध्यम से, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM), राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM), प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और अन्य राज्य स्तरीय कार्यक्रमों, जैसे- विभिन्न रोजगार सृजन और कौशल विकास कार्यक्रमों के उद्देश्यों को एकीकृत रूप से पूर्ण करना।
वित्तीय साक्षरता और शिक्षा	• उत्पाद और प्रक्रियाओं को समझने के लिए ऑडियो-वीडियो/पुस्तिकाओं के रूप में, विशिष्ट लक्षित श्रोताओं की अभिरुचि वाले सुगम वित्तीय साक्षरता मॉड्यूल उपलब्ध कराए जाने चाहिए।	• जमीनी स्तर पर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए RBI, पंचायत, स्वयं सहायता समूह, किसान क्लब आदि द्वारा समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।
ग्राहक सुरक्षा और शिकायत निपटान	• ग्राहकों को उनकी शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध उपायों के बारे में जागरूक किया जाएगा। • ग्राहक के बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के भंडारण और साझाकरण के संबंध में ग्राहक की गोपनीयता की सुरक्षा हेतु पर्याप्त सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।	• बैंकिंग प्रणाली की मौजूदा ग्राहक शिकायत निपटान प्रणाली, अर्थात् आंतरिक लोकपाल योजना की गुणात्मक दक्षता का आकलन करने के लिए **आंतरिक लेखापरीक्षा** की जानी चाहिए।
प्रभावी समन्वय	• प्रमुख हितधारकों, अर्थात् सरकार, नियामक, वित्तीय सेवा प्रदाता, दूरसंचार सेवा नियामक, कौशल प्रशिक्षण संस्थान आदि के मध्य एक केंद्रित और निरंतर समन्वय होना चाहिए, जिससे सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक संधारणीय तरीके से सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं।	• उभरती हुई प्रौद्योगिकी के माध्यम से समन्वय को बढ़ावा देना चाहिए। • स्थानीय स्तर पर वित्तीय समावेशन में तेजी लाने में सहायता के लिए अलग से छोटे फ़ोरम बनाकर योजना और विकास के लिए एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

VISION IAS

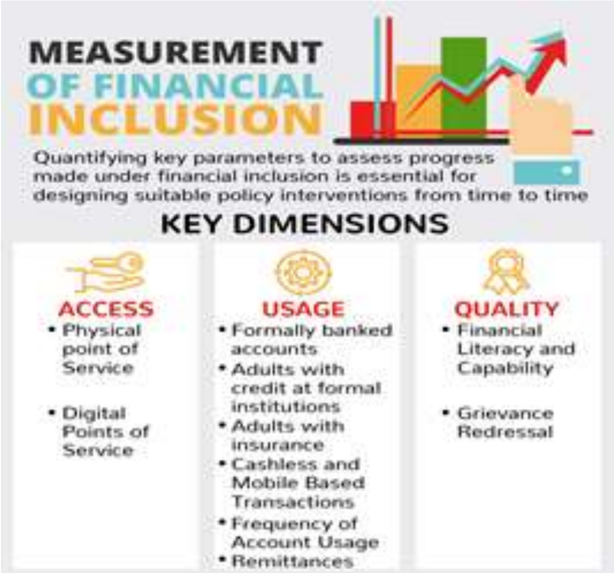

NSFI, वित्तीय समावेशन के मापदंडों, यथा- **पहुँच, उपयोग** और **गुणवत्ता** की निगरानी के माध्यम से वित्तीय समावेशन नीतियों के आवधिक मूल्यांकन की भी अनुशंसा करता है।

2.3.2. राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति 2020-2025 {National Strategy for Financial Education (NSFE) 2020-2025}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने **राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति (NSFE): 2020-2025** जारी की।

NSFE के संबंध में

- पहला NSFE 2013-2018 की अवधि के लिए 2013 में जारी किया गया था।
- NSFE का उद्देश्य जनसंख्या के विभिन्न वर्गों को **अपने धन का बेहतर प्रबंधन करने** और अपने भविष्य की योजना बनाने हेतु **आवश्यक ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और व्यवहार विकसित करने के लिए** सशक्त बनाना है।
- NSFE आर्थिक रूप से जागरूक और सशक्त भारत बनाने के लिए बहु-हितधारक-संचालित दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है।
  - NSFE को **राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE)** द्वारा वित्तीय क्षेत्रक के सभी नियामकों (RBI, SEBI, IRDAI और PFRDA), वित्तीय सेवा विभाग (DFS) और अन्य मंत्रालयों और अन्य हितधारकों (DFI, SRO, IBA, NPCI) से परामर्श करके **तैयार किया गया है**।
  - **वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता पर तकनीकी समूह** NSFE की **आवधिक निगरानी और कार्यान्वयन** के लिए उत्तरदायी होगा।

वित्तीय साक्षरता और वित्तीय शिक्षा क्या है?

वित्तीय शिक्षा और वित्तीय साक्षरता एक दूसरे से संबंधित है लेकिन समान अवधारणाएं हैं। लोग वित्तीय शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से वित्तीय साक्षरता प्राप्त करते हैं।

- **वित्तीय साक्षरता को वित्तीय जागरूकता, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्ति और व्यवहार के संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है** जो ठोस वित्तीय निर्णय लेने और अंततः व्यक्तिगत वित्तीय समृद्धि प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।
- वहीं दूसरी ओर वित्तीय शिक्षा को ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है **जिसके द्वारा वित्तीय उपभोक्ता/निवेशक वित्तीय उत्पादों, अवधारणाओं और जोखिमों की अपनी समझ में सुधार लाते हैं** और सूचना, अनुदेश और/या वस्तुनिष्ठ सलाह के माध्यम से निम्नलिखित का कौशल और विश्वास विकसित करते हैं
- वित्तीय शिक्षा के घटकों में आधारभूत वित्तीय शिक्षा, क्षेत्रक विशिष्ट वित्तीय शिक्षा और वित्तीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता शामिल हैं।

* इस प्रकार, वित्तीय साक्षरता की उपलब्धि उपयोगकर्ताओं को ठोस वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाती है जिसका परिणाम व्यक्ति की वित्तीय समृद्धि होती है।

वित्तीय शिक्षा की प्रक्रिया महत्वपूर्ण क्यों है?

* वित्तीय शिक्षा की कमी **आर्थिक निर्धनता के उन्मूलन, आजीविका के अवसरों में वृद्धि, परिसंपत्ति आधार के निर्माण, आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों का समर्थन करने** और जनसंख्या के लिए उपलब्ध विकल्पों की सीमा का विस्तार करने में एक प्रमुख अवरोध है।
* एक सर्वेक्षण के अनुसार, **75% से अधिक भारतीय वयस्क मूलभूत वित्तीय अवधारणाओं को पर्याप्त रूप से नहीं समझते हैं**। जब महिलाओं की बात आती है तो यह और भी बदतर हो जाता है। 80 प्रतिशत से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से निरक्षर हैं।
    * वित्तीय साक्षरता का केन्द्र यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय समावेशन प्रयासों के माध्यम से खोले गए खातों का उपयोग लोगों द्वारा अपने लिए प्रासंगिक उत्पादों/सेवाओं का लाभ उठाकर किया जाए।
* **वित्तीय समावेशन को और अधिक सार्थक बनाने** और नागरिकों की आर्थिक समृद्धि तक पहुंच संभव बनाने के लिए वित्तीय शिक्षा पर बल **आवश्यक** है।
* यह **निजी खिलाड़ियों के प्रभाव में वृद्धि, संकुचित होती सार्वजनिक सहायता प्रणाली, जीवन-यापन की लागत में वृद्धि और चुनने के विकल्प के साथ वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की बड़ी संख्या में उपलब्धता** सहित वित्तीय क्षेत्रक की बढ़ती अनिश्चितता और अस्थिरता के अंतर्गत आवश्यक है।

भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति

* NCFE ने भारत में वित्तीय साक्षरता की स्थिति का पता लगाने के लिए वर्ष **2019 में अखिल भारतीय वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षण** किया था।
* **मुख्य निष्कर्ष:**
    * **27.18% उत्तरदाताओं ने** वित्तीय साक्षरता के प्रत्येक घटक (वित्तीय ज्ञान, वित्तीय दृष्टिकोण, वित्तीय व्यवहार) में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) द्वारा निर्धारित **न्यूनतम लक्षित प्राप्तांक/न्यूनतम सीमा प्राप्तांक प्राप्त किया।**
    * हालांकि इस अवधि के दौरान कुछ सुधार हुआ है, **महिलाओं के बीच वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के लिए आगे और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है।**
    * **ग्रामीण भारत, कम शिक्षित लोगों और 50 और उससे अधिक आयु वर्ग के समूहों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।**

विभिन्न हितधारकों द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल

* संगोष्ठियों, कार्यशालाओं आदि के माध्यम से जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए वित्तीय शिक्षा अभियानों के माध्यम से NCFE :
* वित्तीय साक्षरता मार्गदर्शन, जन जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से RBI ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के सहयोग से एक अवधारणा पत्र जारी किया है, वित्तीय साक्षरता वेबसाइट का प्रचार-प्रसार किया है, और वैयक्तिक वित्त पर सलाह देने के लिए साख परामर्श केंद्र स्थापित किया है।
* NSE, BSE, MCX और अन्य निवेशक जागरूकता पर भी कार्यक्रम करते हैं और नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता से संबंधित लेख और प्रचार जारी करते हैं।

वित्तीय शिक्षा की इस प्रक्रिया के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

* **निम्न आय स्तर:** अब वित्तीय प्रणाली में आ गए लोगों की एक बड़ी संख्या की कम या अनिश्चित आय है। नगण्य या अल्प बचत के साथ, उन्हें **कदाचित ही मूलभूत वित्तीय शिक्षा प्राप्त करने के प्रति कोई रुझान है।**
* **सूचना विषमता:** जटिल जानकारी की बड़ी मात्रा से काम की जानकारी की पहचान करने और समझने में उपभोक्ताओं की कठिनाई से वित्तीय मध्यस्थ और ग्राहक के बीच सूचना विषमता का मार्ग प्रशस्त होता है।
* **अल्प तकनीकी समावेशन: ATM,** मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग आदि का उपयोग करने में हिचकिचाहट प्रक्रिया शिक्षा के अधिग्रहण में तकनीकी बाधा के रूप में कार्य करती है।
* **बहुत अधिक प्रलेखन या दस्तावेजीकरण:** औपचारिक वित्तीय सेवाओं में भागीदारी के लिए व्यक्ति की पहचान, आय, जन्म प्रमाण पत्र आदि के संबंध में प्रमाण के विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। लेकिन निर्धन लोगों के पास सामान्यत: इन दस्तावेजों की कमी होती है और इस प्रकार इस प्रक्रिया से हाशिए पर रहते हैं।
* **पहुंच और आच्छादन का अभाव:** गरीबों के लिए उपयोगी कई योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं जिससे आगे वे मार्ग भी बंद हो जाते हैं जो गरीबों की वित्तीय प्रणाली में प्रवेश करने में सहायता कर सकते हैं।

VISION IAS

आगे की राह: NSFE 2020-2025 द्वारा प्रदान की गई दृष्टि

- वित्तीय शिक्षा के माध्यम से जनसंख्या के **विभिन्न वर्गों के बीच** इसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल बनाने के लिए **वित्तीय साक्षरता अवधारणाओं** का अंतर्निवेशन। **लोगों को यथाशीघ्र शिक्षित करने के लिए वित्तीय शिक्षा स्कूली शिक्षा के साथ आरंभ** होनी चाहिए।
- प्रासंगिक और उपयुक्त बीमा सुरक्षा के माध्यम से **विभिन्न जीवन चरणों में जोखिम का प्रबंधन** करना। उदाहरण के लिए, उपयुक्त पेंशन उत्पादों के आच्छादन के माध्यम से **वृद्धावस्था और सेवानिवृत्ति के लिए योजना बनाना।**
- यह दस्तावेज़ **वित्तीय शिक्षा के प्रसार के लिए '5 C' दृष्टिकोण अपनाने की भी** अनुशंसा करता है:
  - **विषयवस्तु (Content)** : सभी के लिए वित्तीय साक्षरता विषयस्तु का निर्माण करना।
  - **क्षमता (Capacity):** विभिन्न मध्यस्थों की क्षमता विकसित करना जो वित्तीय साक्षरता प्रदान करने में सम्मिलित हो सकते हैं और वित्तीय शिक्षा प्रदाताओं के लिए 'आचार संहिता' विकसित कर सकते हैं।
  - **समुदाय (Community):** संधारणीय ढंग से वित्तीय साक्षरता के प्रसार के लिए समुदाय आधारित दृष्टिकोण विकसित करना।
  - **संचार (Communication):** वित्तीय शिक्षा संदेशों के प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी, जनसंचार चैनलों और संचार के अभिनव तरीकों का उपयोग करना।
  - **सहयोग (Collaboration):** वित्तीय शिक्षा की विषयवस्तु को स्कूली पाठ्यक्रम, विभिन्न पेशेवर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में योग करना।

2.3.3. डिजिटल वित्तीय समावेशन (Digital Financial Inclusion)

सुर्ख़ियों में क्यों?

'द इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)' की वर्ष 2019 की **'ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इन्क्लूजन'** रिपोर्ट ने यह इंगित किया है कि भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं में सुधार हुआ है।

भारत में डिजिटल वित्तीय समावेशन में वृद्धि के कारण

- **मोबाइल फोन और स्मार्टफोन की पैठ का लाभ उठाना:** देश में मोबाइल फोन की व्यापक पैठ बैंकिंग और भुगतान सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एक नवोन्मेषी तथा निम्न लागत वाला चैनल प्रदान करती है।
- **सरकार की पहल:** विगत कुछ वर्षों में डिजिटल वित्तीय समावेशन के प्रसार के लिए कई पहलें प्रारंभ की गई हैं, जैसे- डिजिटल इंडिया पहल, डिजीशाला, डिजिटल जागृति आदि।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefit Transfers: DBT) और गवर्नमेंट-टू-पर्सन (G2P) भुगतान:** बैंक खातों में DBT के माध्यम से भुगतान किया जाना एक बड़ी पहल थी, जहाँ वंचित वर्गों द्वारा डिजिटल वित्तीय सेवा का उपयोग किया जा रहा है।
  - सरकार के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले 75 मिलियन से अधिक खातों में DBT के माध्यम से भुगतान किए जा रहे हैं।
- **परंपरागत बैंकिंग प्रणालियों की सीमाएं:** ग्रामीण या दूरदराज के क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की स्थापना करना बैंकों के लिए अलाभकर सिद्ध हो रहा है। ऐसे क्षेत्रों में लघु आकार के लेन-देन, जमा, ऋण आदि के लिए पारंपरिक बैंकिंग मॉडल व्यवहार्य नहीं हैं।
- **फिनटेक क्रांति:** इसका नेतृत्व वाणिज्यिक बैंक, दूरसंचार फर्म, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक और वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां जैसे कई प्रकार के प्रतिभागियों के द्वारा किया जा रहा है।

डिजिटल वित्तीय समावेशन के लाभ

- **औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच:** डिजिटल वित्तीय समावेशन को औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक डिजिटल पहुँच और वंचित एवं अल्पसेवित जनसंख्या के द्वारा इनके उपयोग किए जाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- **जोखिम में कमी:** डिजिटल वित्त को अपनाना नकली मुद्रा के प्रचलन को कम कर सकता है और नकद-आधारित लेन-देन से होने वाले नुकसान, चोरी व अन्य वित्तीय अपराधों के जोखिम को भी कम कर सकता है।
- **लागत में कमी:** यह नकदी में लेन-देन और अनौपचारिक प्रदाताओं का उपयोग करने से जुड़ी लागतों में कमी की ओर अग्रसर करता है। मैक्किंज़े का अनुमान है कि बैंक जाने-आने में लगने वाले समय के कारण भारतीयों को एक वर्ष में लगभग 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आय की हानि हो जाती है।
- **बैंकिंग प्रदर्शन में सुधार:** डिजिटल वित्तीय समावेशन, बैंक कार्यों हेतु लगने वाली लाइनों में कमी कर, मैन्युअल कागजी कार्यों में कमी कर और कम बैंक शाखाएं बनाए रखकर बैंकों की लागत कम करने में सहायता करता है।

भारत में डिजिटल वित्तीय नियामक

- RBI, भुगतान व्यवस्था और बैंकों को विनियमित करने तथा समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए उत्तरदायी है।

VISION IAS

- वित्त मंत्रालय (विशेष रूप से वित्तीय सेवा विभाग) द्वारा पारंपरिक रूप से सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है और यह प्रधानमंत्री जन-धन योजना के लिए उत्तरदायी है।
- डेटा, KYC और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा परामर्श प्रदान किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का समन्वय किया जाता है।

डिजिटल वित्तीय समावेश से संबंधित समस्याएं

- **विनियामक ढांचा:** भारत में भुगतान व्यवस्था और डिजिटल वित्त का विनियमन, संस्थानों और नियम-निर्धारण करने वाले निकायों का एक जटिल जाल व्युत्पन्न कर सकता है। विनियामक संबंधी यह अनिश्चितता संभावित रूप से विकास को बाधित कर सकती है।
- **साक्षरता और समझ:** निम्न आय वाले बाज़ारों में स्थानांतरित होने वाले डिजिटल वित्त प्रदाताओं को साक्षरता (वित्तीय, डिजिटल और सामान्य) तथा डिजिटल वित्त उत्पादों का उपयोग करने की अवधारणाओं और व्यावहारिक निहितार्थों को समझने की क्षमता से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- **डिजिटल अवसंरचना की कमी:** डिजिटल सेवा प्रदाता उच्च जोखिम वाले ग्रामीण क्षेत्रों या समुदायों के लिए विशिष्ट डिजिटल वित्त सेवाओं से संबंधित प्रावधान को वापस लेने या बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं, जहाँ विशिष्ट डिजिटल वित्त सेवाओं (जैसे- विद्युत, दूरसंचार नेटवर्क आदि) को जारी रखने के लिए सहायक अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।
- **कराधान प्रणाली में शामिल किए जाने का भय:** कुछ व्यापारियों के मध्य यह धारणा है कि नकदी अर्थव्यवस्था से डिजिटलीकृत वित्तीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने का अर्थ है कि वर्तमान में कराधान प्रणाली से बाहर विद्यमान लोगों और छोटे व्यवसायों को करों का भुगतान करने के लिए विवश किया जाएगा।

आगे की राह

- इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है, जैसे- डिजिटल वित्त के लिए एक स्पष्ट विधायी और विनियामक ढांचा प्रदान करना, यह सुनिश्चित करना कि डिजिटल उपभोक्ताओं की सुरक्षा हो, वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करना और स्थानीय स्तर पर नवाचार को समर्थन प्रदान करना।

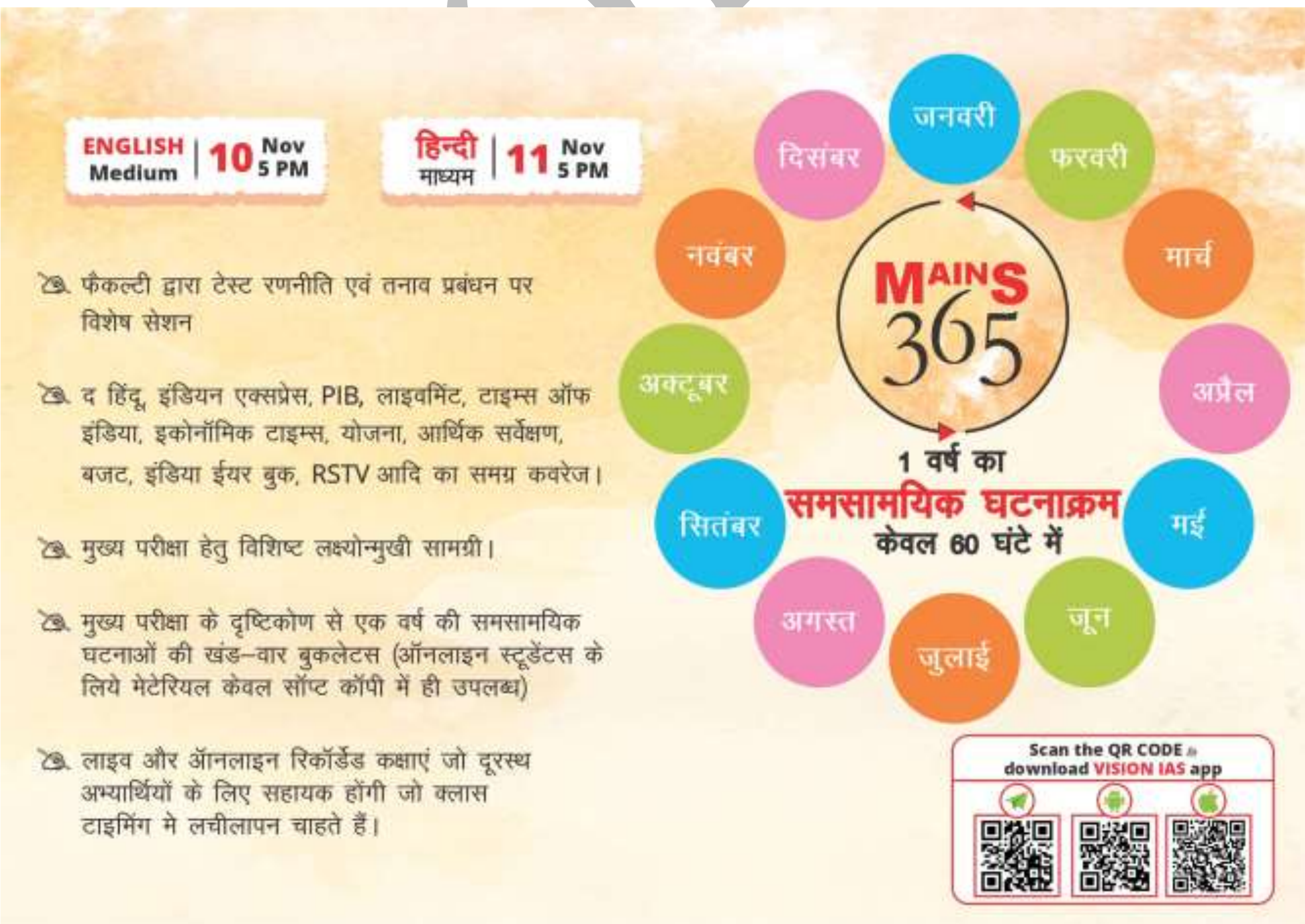

3. राजकोषीय नीति और संबंधित सुर्खियां (Fiscal Policy and Related News)

3.1. लोक वित्त की स्थिति (Status of Public Finances)

3.1.1. सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र (Status Paper on Government Debt)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा **सरकारी ऋण पर स्थिति-पत्र का नौवां संस्करण जारी किया गया है**, जो भारत सरकार की समग्र ऋण स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

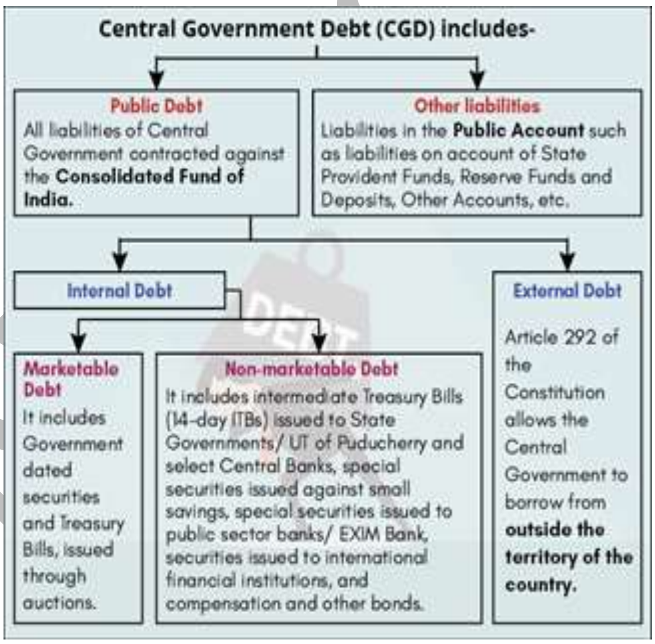

अन्य संबंधित तथ्य

* यह **स्थिति-पत्र या स्टेटस पेपर ऋण स्थिरता के पारंपरिक संकेतकों** का विश्लेषण करता है, जैसे- ऋण/GDP अनुपात, राजस्व प्राप्तियों से किया गया ब्याज भुगतान, कुल ऋण में शामिल अल्पकालिक ऋण / बाह्य ऋण / फ्लोटिंग रेट बॉण्ड्स (FRBs) आदि।
* इस पत्र में वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक के वित्तीय वर्षों के लिए **केंद्र सरकार की ऋण प्रबंधन रणनीति (Debt Management Strategy: DMS) को शामिल किया गया है** जो सरकार की ऋण प्राप्ति से संबंधित योजनाओं के मार्गदर्शन में मदद करती है।
* DMS का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की वित्तपोषण आवश्यकताओं और भुगतान दायित्वों को वहनीय जोखिम स्तर के अनुरूप, न्यूनतम संभव लागत पर पूरा किया जा सके।

सरकारी ऋण के नवीनतम रुझान

मानदंड	**2017-18** (GDP के प्रतिशत के रूप में)	**2018-19** (GDP के प्रतिशत के रूप में)	**टिप्पणी**
सार्वजनिक ऋण	41%	40.0%	कमी
आंतरिक ऋण	37.4%	37.3%	कमी
बाह्य ऋण (External debt)	2.8%	2.7%	कमी
भारत सरकार की देयताएं	45.8%	45.7%	कमी

सरकारी ऋण प्रबंधन का महत्व

* **निवेशकों के विश्वास पर प्रभाव:** उच्च ऋण भार के कारण, चूक होने का जोखिम बढ़ जाता है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई उत्तम क्रेडिट रेटिंग के दर्ज़े को कम करता है। यह निवेशकों के विश्वास को प्रभावित करता है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश/विदेशी संस्थागत निवेश में कमी करता है और भावी ऋणों को महंगा (अत्यधिक ब्याज दर पर) बना देता है।
* **सरकार की राजकोषीय क्षमताओं पर प्रभाव:** जैसे-जैसे ऋण बढ़ता है, सरकार द्वारा बॉण्ड धारकों को अधिक ब्याज दर का भुगतान करना पड़ता है। जिसके फलस्वरूप कर राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऋणों के ब्याज का भुगतान करने पर व्यय हो जाता है।
* **क्राउडिंग आउट प्रभाव:** जैसे-जैसे अधिक से अधिक धन बाज़ार में निवेश करने के स्थान पर सरकार को ऋण के रूप में दिया जाने लगता है, वैसे-वैसे कॉर्पोरेट क्षेत्र में क्राउडिंग आउट (धन की उपलब्धता में कमी) के कारण औद्योगिक व पूंजीगत संपत्ति की वृद्धि में कमी आती है और रोजगार हानि की संभावना बढ़ने लगती है।
* **विनिमय दर संबंधी जोखिम:** विदेशी प्रतिभूतियों के सापेक्ष घरेलू प्रतिभूतियों की मांग में कमी (निम्न क्रेडिट रेटिंग के कारण) होने से विनिमय दर में कमी हो सकती है और यह स्थिति घरेलू मुद्रा को कमजोर बना सकती है।

- **भविष्य में उच्च कर की संभावना:** यदि GDP की तुलना में ऋण तेजी से बढ़ते हैं, तो सरकार को भविष्य में ऋण के स्तर को कम करने के लिए करों में वृद्धि और/या व्यय को सीमित करने की आवश्यकता होगी।
- **अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के लिए सुभेद्यता:** बाह्य ऋणों की अत्यधिक मात्रा, अर्थव्यवस्था के लिए पूंजी पलायन का जोख़िम उत्पन्न कर सकता है।

संधारणीय ऋण प्रबंधन के प्रति केंद्र सरकार का दृष्टिकोण

- **ऋण प्रबंधन के लिए समर्पित एजेंसी:** संस्थागत रूप से, सरकार ने एक वैधानिक **सार्वजनिक ऋण प्रबंधन एजेंसी (Public Debt Management Agency: PDMA)** की स्थापना करने का निर्णय लिया है ताकि भारत के बाह्य व घरेलू, दोनों ऋणों को एक ही एजेंसी के अंतर्गत लाया जा सके।
- **मध्यम अवधि ऋण के लिए सरकार की प्रबंधन रणनीति (2019-2022):** सरकार द्वारा इसके तहत कई कदम उठाए जाएंगे जोकि निम्नलिखित तीन व्यापक स्तंभों पर आधारित होंगे:
  - **ऋण की निम्न लागत:**
    - ऋण पोर्टफोलियो की **परिपक्वता अवधि को बढ़ाना।**
    - अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप **अल्प बचत योजनाओं** और PF, विशिष्ट प्रतिभूतियों, आदि जैसे अन्य उपकरणों पर **ब्याज दरों का युक्तिकरण करना।**
    - **आर्थिक मामलों के विभाग** के उन अन्य प्रभागों को सलाह देना जो बाह्य ऋणों के मामलों में संलग्न हैं, जैसे कि इन ऋणों की लागत, अवधि, मुद्रा इत्यादि जैसे विषयों पर, ताकि इन बाह्य ऋणों को सर्वोत्तम शर्तों पर प्राप्त किया जा सके।
  - **जोख़िम न्यूनीकरण:**
    - **कुछ संकेतकों के लिए मानदंड निर्धारित करना** जैसे कि अल्पावधि ऋण, बाह्य ऋण व फ्लोटिंग रेट डेब्ट इत्यादि का अंश निर्धारित करना ताकि रोल-ओवर जोख़िम के साथ-साथ ब्याज दरों व विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन से जुड़े जोखिमों के संदर्भ में जोख़िम को कम किया जा सके। उदाहरण के लिए, कुल बकाया विपणन योग्य ऋणों में अल्पकालिक ऋण की मात्रा 3 प्रतिशत की छूट के साथ 10 प्रतिशत के भीतर रखी जानी चाहिए।
  - **बाज़ार का विकास:**
    - बाज़ार ऋण कार्यक्रम में **पारदर्शिता बनाए** रखना, **नियमित रूप से निवेशकों के साथ संपर्क बनाए रखना** तथा अन्य हितधारकों के साथ परामर्श करना और **विभिन्न प्रकार के उपकरण जारी करना** ताकि निवेशक अपने पोर्टफोलियो को अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकें।
    - **बड़े पैमाने पर वांछित अवधि वाले मानदंडों का निर्माण करना** ताकि निवेशकों की भागीदारी और तरलता को बढ़ाया जा सके।
    - घरेलू निवेशक आधार के विकास का समर्थन करना और विदेशी निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूति बाज़ार को खोलना।

ऋण संधारणीयता के संकेतकों पर भारत का प्रदर्शन

स्थिति-पत्र या स्टेटस पेपर के अनुसार वर्तमान में सरकार के ऋण पोर्टफोलियो, अनुकूल स्थिरता संकेतकों को दर्शाते हैं:

- वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार का **ऋण-GDP अनुपात** वर्ष 2011-12 के 47.5 प्रतिशत से घटकर 45.7 प्रतिशत हो गया है।
- GDP के प्रतिशत के रूप में **सकल राजकोषीय घाटे (Gross Fiscal Deficit: GFD)** में वर्ष 2012-13 के बाद से गिरावट दर्ज की गई है।
- **अल्पावधि ऋणों का अंश** सुरक्षित सीमा के भीतर है और वर्ष 2005 से 2012 के दौरान हुई कुछ वृद्धि के बाद से स्थिर बना हुआ है।
- **सरकार ने रोल-ओवर जोखिम को कम करने के लिए एक जागरूक रणनीति (परिपक्वता अवधि को बढ़ाने की) अपनाई है।**
  - वर्ष 2018-19 के दौरान जारी कुल प्रतिभूतियों में से 69.9 प्रतिशत प्रतिभूतियाँ 10 वर्ष या उससे अधिक अवधि वाली परिपक्वता के अंतर्गत शामिल थीं।
- **अधिकांश सरकारी ऋण स्थायी दरों पर जारी किए गए हैं** तथा वर्ष 2019 में अस्थायी आंतरिक ऋणों का अंश GDP में केवल 0.9 प्रतिशत है, जो कि बजट पर ब्याज दर की अस्थिरता के प्रभाव को कम करता है।
- **बाह्य ऋणों का निम्न अंश** यह दर्शाता है कि मुद्रा जोखिम और अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार के प्रति ऋण पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है।
- केंद्र सरकार की **राजस्व प्राप्तियों की तुलना में ब्याज भुगतान का अनुपात** वर्ष 2012-13 के 35.6 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 37.5 प्रतिशत था।

VISION IAS

3.1.2. राज्य वित्त (State Finances)

सुर्ख़ियों में क्यों?

RBI द्वारा **"राज्य वित्त: बजटों का अध्ययन (State Finances: A Study of Budgets)"** नामक शीर्षक से राज्य स्तरीय बजटों का वार्षिक अध्ययन जारी किया है। इसमें राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

इस रिपोर्ट में राज्य वित्त के विश्लेषण से निष्कर्षित निम्नलिखित प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया गया है:

- वर्ष 2017-18 और वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा (Gross Fiscal Deficit: GFD), **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम द्वारा निर्धारित सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3 प्रतिशत** की सीमा के भीतर रहा है।
- अत्यल्प राजस्व अधिशेष (Marginal Revenue Surplus) (विगत तीन वर्षों में राजस्व घाटे की स्थिति के विपरित) के बावजूद वर्ष 2019-20 के लिए बजट में राज्यों ने अपने समेकित GFD का लक्ष्य GDP के 2.6% के स्तर पर निर्धारित किया है।
- राज्यों का बकाया ऋण विगत पाँच वर्षों के दौरान GDP के 25% तक बढ़ गया है, जो उनकी मध्यावधिक स्थिरता के लिए एक चुनौती है।
- **प्रतिबद्ध व्ययों (Committed expenditures)** की प्रवृत्ति वृद्धिमान है, जो ब्याज और पेंशन भुगतान से प्रेरित है।
- **सशर्त हस्तांतरणों की हिस्सेदारी में गिरावट आई है,** जबकि शर्त रहित या सामान्य प्रयोजन वाले हस्तांतरणों में तीव्र वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को **अधिक वित्तीय स्वायत्तता** प्राप्त हो रही है।

राज्य सरकार के ऋण (सरकारी ऋण पर स्थिति पत्र के नौवें संस्करण द्वारा अनुमानित आंकड़े)

- **राज्यों का ऋण-GDP अनुपात** वर्ष 2018 के 25.0 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019 में 24.8 प्रतिशत हो गया।
- राज्य सरकारों की बकाया देयताओं में वर्ष 2012-13 से **निरंतर दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई** है, केवल वर्ष **2014-15 और 2018-19 इसमें अपवाद** रहे हैं।
- राज्य सरकारों के **समग्र ऋण पोर्टफोलियो में सार्वजनिक ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है** और इसका हिस्सा उनके सकल घरेलू उत्पाद का **19.1** प्रतिशत रहा है।
- सार्वजनिक ऋणों में, **बाजार ऋणों की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है, जबकि राष्ट्रीय अल्प बचत कोष (National Small Savings Fund: NSSF) से प्राप्त ऋणों में अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई।** यह वर्ष 2012 में 24.4 प्रतिशत के उच्च स्तर से गिरकर वर्ष 2019 में 9.4 प्रतिशत हो गई।
- विगत कुछ वर्षों में **केंद्र से प्राप्त होने वाले ऋणों में** कमी आई है और यह वर्ष 2019 में कुल देनदारियों का केवल 3.7 प्रतिशत रहा है।

राज्य वित्त को समझना क्यों महत्वपूर्ण है?

- **बाजार उधारियों में वृद्धि का प्रभाव:** वर्ष 2014-15 से, राज्यों ने उत्तरोत्तर बाजार से धन उधार लिया है, जिससे व्यवसायों के लिए निवेश करने हेतु फंड की उपलब्धता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, इससे निजी क्षेत्र के लिए ऋण की लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि अब अधिक संख्या में देनदारों (ऋणी) द्वारा समान राशि की मांग की जा रही है।
- **बढ़ते राजकोषीय घाटे और GDP-ऋण अनुपात का प्रभाव:** राज्य सरकारों का वित्त न केवल भारत की GDP संवृद्धि और रोज़गार सृजन के लिए, बल्कि इसकी **समष्टि आर्थिक स्थिरता (macro economic stability)** के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यदि राज्यों के लिए राजस्व जुटाना कठिन हो जाएगा, तो बढ़ते GDP-ऋण अनुपात से ऐसा दुष्चक्र आरंभ हो सकता है, जिसमें राज्यों को अपने निवासियों के लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण उपलब्ध कराने वाली नई परिसंपत्ति सृजित करने पर अपना राजस्व व्यय करने के बजाय **ब्याज भुगतान के लिए अधिक भुगतान करना** पड़ सकता है।
- **रोज़गार:** राज्यों द्वारा अब केंद्र सरकार की तुलना में डेढ़ गुना अधिक व्यय किया जा रहा है और केंद्र की तुलना में पांच गुना अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। राज्य न केवल केंद्र की तुलना में भारत की GDP को निर्धारित करने में अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं, बल्कि वे अपेक्षाकृत बड़े रोजगार सृजक भी हैं।

VISION IAS

राज्यों के वित्तीय प्रबंधन से संबंधित समस्याएं

- **राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति:** यद्यपि, राज्य सरकारों ने नियमित रूप से GDP के 3 प्रतिशत (वर्ष 2016-17 को छोड़कर) के अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा किया है, तथापि इसका मुख्य कारण राज्य सरकारों द्वारा **अपने व्ययों में कमी** (मुख्यत: सामाजिक और अवसंरचना क्षेत्रों के लिए) और बाजार से अधिक मात्रा में ऋण प्राप्त करना रहा है।
- **व्यय की गुणवत्ता: विकास संबंधी व्यय का अतार्किक उपयोग** यह इंगित करता है कि **उच्च राजस्व व्यय** (कुल व्यय के 80 प्रतिशत से अधिक) और **निम्न पूंजीगत व्यय** के संयोजन द्वारा व्यय के तार्किक उपयोग के साथ समझौता किया गया है।
- **लोकलुभावनवाद:** राजनीतिक वर्ग में राजकोषीय नीति को अत्यधिक प्रसरणशील बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिससे भावी सरकार पर राजकोषीय भार में वृद्धि होती है और इस प्रकार, इसके दीर्घकालिक हानिकारक प्रभाव दृष्टिगत होते हैं, जैसे- किसानों का ऋण माफ करना।
- **GST का प्रभाव:** GST ढांचे के लागू होने के साथ, राज्यों की राजस्व स्वायत्तता में काफी कमी हुई है, क्योंकि कर दरों के संबंध में निर्णय लेने की राज्यों की शक्ति कम हो गई है। साथ ही, IGST (एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर) और अनुदानों के हस्तांतरण के संबंध में भी अनिश्चितता बनी रहती है।
- **उत्तरदायित्व भार:** विद्युत क्षेत्र पर राज्य सरकारों का व्यय, कृषि और घरेलू क्षेत्र के ग्राहकों के लिए सब्सिडी एवं ऋणों तथा अग्रिमों के रूप में होता है।
  - राज्य वित्त पर ब्याज भुगतान के इतर UDAY योजना का प्रभाव जारी रहने की संभावना है, क्योंकि हाल के दिनों में DISCOM की बकाया देयताओं में तेजी से वृद्धि हुई है।
  - राज्य सरकारें राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (SPSEs) को वित्तीय संस्थानों से उनकी उधारी पर गारंटी के माध्यम से बजटेत्तर सहायता प्रदान करती हैं। लेकिन, यह कमजोर लागत वसूली तंत्र के कारण राज्यों के वित्त के लिए प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न करता है।

कृषि ऋण माफ़ी की तुलना में आय सहायता योजनाएं अधिक विवेकपूर्ण क्यों हैं?

- कृषि ऋण माफी उत्पादन की मात्रा, नियोजित उत्पादन कारकों और कीमतों से संबद्ध नहीं होती है। तदनुसार, इन्हें विश्व व्यापार संगठन (WTO) के कृषि पर समझौते (AoA) के अंतर्गत **ग्रीन बॉक्स भुगतानों** के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- आय सहायता योजनाएं **अधिक समावेशी होती हैं क्योंकि भूमिहीन किसानों और बैंक ऋण तक पहुंच न रखने वाले किसानों को भी इनके तहत कवर किया** जा सकता है, जबकि कृषि ऋण माफी का लाभ केवल उन्हीं किसानों को प्राप्त होता है जिन्होंने बैंकों से ऋण प्राप्त किया होता है।
- आय सहायता योजनाओं की स्थिति में **नैतिक खतरे की समस्या नहीं** होती है।
- हालांकि, इसकी सफलता के लिए **भू-अभिलेखों का डिजिटलीकरण तथा समावेशन और बहिष्करण जैसी त्रुटियों को कम करते हुए किसानों के लिए समय पर भुगतान** सुनिश्चित करने हेतु इन्हें बैंक खातों और आधार विवरणों के साथ संबद्ध करना महत्वपूर्ण है।

आगे की राह

- **कर राजस्व में वृद्धि करना:** सार्वजनिक व्यय में कमी करने के बजाय कर उत्प्लावकता को सुदृढ़ करते हुए राजकोषीय समेकन को बढ़ावा देना चाहिए।
- **गैर-कर राजस्व में वृद्धि करना:** बेहतर लागत वसूली तंत्र के साथ विद्युत और सिंचाई जैसी आर्थिक सेवाओं पर उपयोगकर्ता शुल्क का समर्पित अनुप्रयोग करना ताकि राज्यों के राजस्व में वृद्धि की जा सके। इससे न केवल इन सेवाओं के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा मिल सकता है, बल्कि सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायता मिल सकती है।
- **केंद्रीय हस्तांतरण को अधिक प्रभावी बनाना:** हस्तांतरण के लिए सुपरिभाषित कैलेंडर; सशर्त से शर्त रहित हस्तांतरणों की ओर संरचनागत स्थानांतरण तथा विभाज्य पूल के इतर उपकरों और अधिभारों के उद्ग्रहण में कमी करना आदि के माध्यम से राज्यों को बाजार उधारी पर अपनी निर्भरता कम करने और **उदय (Ujwal DISCOM Assurance Yojana: UDAY) योजना** आदि जैसी योजनाओं के कारण उत्पन्न वित्तीय आघातों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- **व्यय का तार्किकीकरण:**
  - UDAY जैसी बजटेत्तर देयताएं ऋण संधारणीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं। राज्य के बजट में देयताओं के प्रकटीकरण/रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, इन गारंटियों को मध्यम अवधि के राजकोषीय जोखिम के रूप में पहचानने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। इसके बाद इन्हें मितव्ययी स्तर पर रखने का प्रयास किया जाना चाहिए।
  - राजकोषीय आघात के रूप में कार्य करने वाले कृषि ऋण माफी जैसे कार्यक्रमों को किसानों को नकद हस्तांतरण प्रदान करने वाली आय सहायता योजनाओं जैसे वैकल्पिक नीतिगत साधनों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

VISION IAS

3.1.3. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट (Report of the 15th Finance Commission for F.Y. 2020-21)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 15वें वित्त आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

वित्त आयोग की रिपोर्ट में प्रमुख संस्तुतियां

अंतरण का मानदंड (Criteria of Devolution)

लंबवत अंतरण (Vertical Devolution)

- निवल केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का सकल हिस्सा वर्ष 2020-21 में **41 प्रतिशत** होगा।
- वर्तमान (42%) की तुलना में 1 प्रतिशत की कमी नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख) के को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने के लिए की गई है।

	FC-XI (2000-05)	FC-XII (2005-10)	FC-XIII (2010-15)	FC-XIV (2015-20)
States' share in divisible pool	29.5	30.5	32.0	42.0

क्षैतिज अंतरण (Horizontal Devolution)

- **आवश्यकता-आधारित मानदंड (Need-based Criteria)**
  - **जनसंख्या: इस आयोग के विचारार्थ विषयों (Terms of Reference: TOR)** में किए गए उल्लेख के अनुसार, इसने अनुशंसा करते समय **2011** के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग किया है। इसका भारांश **15 प्रतिशत** निर्दिष्ट किया गया है।
  - **क्षेत्रफल: 15 प्रतिशत** के विगत भारांश को जारी रखा गया है।
  - **वन और पारिस्थितिकी:** सभी राज्यों के कुल सघन वनों में प्रत्येक राज्य के सघन वनों के हिस्से की गणना करके इस मानदंड को स्थापित किया गया है। इसके भारांश को बढ़ाकर **10 प्रतिशत** किया गया है।
- **समता-आधारित मानदंड (Equity-based Criteria)**
  - **आय अंतराल:** किसी राज्य की आय एवं उच्चतम आय वाले राज्य की आय के मध्य का अंतर आय-अंतराल कहलाता है।
    - सभी राज्यों के लिए GSDP से तुलनीय प्रति व्यक्ति तीन वर्ष का औसत (2015-16 से 2017-18) लिया गया है।
    - राज्यों के मध्य समता बनाए रखने के लिए कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों को उच्च हिस्सा दिया जाएगा।
    - इसके भारांश को कम कर **45 प्रतिशत** कर दिया गया है।
- **निष्पादन-आधारित मानदंड (Performance-based Criteria)**
  - **जनसांख्यिकी प्रदर्शन:** पिछले आयोग के दौरान कई राज्यों, विशेषकर दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद कम अंतरण होने के कारण दंडित किए जाने की शिकायत की थी।
    - ऐसे में यह मानदंड, ऐसे राज्यों के जनसंख्या को नियंत्रित करने के प्रयासों को पुरस्कृत करने में सहायक होगा।
    - इसकी गणना 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक राज्य की कुल जनन दर (TFR) के व्युत्क्रम के आधार पर की जाएगी। इस मानदंड पर कम TFR वाले राज्यों को अधिक स्कोर दिया जाएगा।
    - इसके लिए कुल **12.5 प्रतिशत** का भारांश निर्दिष्ट किया गया है।
- **कर-प्रयास (Tax Effort)**
  - कई राज्यों ने कर संग्रह की उच्च दक्षता वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कर प्रदर्शन मानदंडों को सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। उच्च कर संग्रह दक्षता वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए आयोग ने कुल **2.5 प्रतिशत** का भारांश निर्दिष्ट किया है।

VISION IAS

पिछले वित्त आयोगों द्वारा प्रयुक्त मानदंड निम्नलिखित हैं:

Criteria	FC-XI (2000-05)	FC-XII (2005-10)	FC-XIII (2010-15)	FC-XIV (2015-20)
Population (1971)	10.0	25.0	25.0	17.5
Population (2011)				10.0
Area	7.5	10.0	10.0	15.0
Forest cover				7.5
Index of infrastructure	7.5			
Income distance	62.5	50.0		50.0
Fiscal capacity distance			47.5	
Tax effort	5.0	7.5		
Fiscal discipline	7.5	7.5	17.5	
	100.0	100.0	100.0	100.0

स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण (Empowering Local Bodies)

प्रस्तावित परिवर्तन

- पंचायती राज के सभी स्तरों को अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि गांवों एवं उपखंडों में संसाधनों के पारस्परिक उपयोग को सक्षम बनाया जा सके एवं टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्ति तैयार की जा सके तथा उनकी कार्यात्मक व्यवहार्यता में सुधार हो सके।
- पांचवीं एवं छठी अनुसूची के क्षेत्रों तथा छावनी बोर्डों (Cantonment Boards) को अनुदान।
- सैनिटेशन व पेयजल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रकों को सशर्त अनुदान।
- स्थानीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान में शहरी स्थानीय निकायों का हिस्सा मध्यम अवधि के दौरान धीरे-धीरे बढ़ाकर 40 फीसदी तक किया जाना चाहिए।
- देश के 50 मिलियन से भी अधिक जनसंख्या वाले शहरों के साथ सकारात्मक विभेदित व्यवहार की आवश्यकता है, ताकि वायु प्रदूषण, भौम जल अवक्षय (depletion) एवं सैनिटेशन की चुनौतियों का मुकाबला किया जा सके।

सहायता अनुदान

- स्थानीय निकायों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल 90,000 करोड़ रुपये का अनुदान निर्धारित किया गया है, जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए **कुल विभाज्य पूल (धनराशि) का 4.31 प्रतिशत** है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 में यह विभाज्य पूल का **3.54 प्रतिशत** था।
- ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के मध्य अनुदान का अनुपात **67.5:32.5** होगा।
- इस अनुदान को जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर 90:10 के अनुपात में राज्यों के मध्य विभाजित किया जाएगा।

आपदा जोखिम प्रबंधन (Disaster Risk Management)

शमन निधि (Mitigation fund)

- आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुरूप, राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (National Disaster Mitigation Fund: NDMF) एवं राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Funds: SDMF) के रूप में राष्ट्रीय तथा राज्य, दोनों स्तरों पर शमन निधि स्थापित की जाएगी।
- मौजूदा आपदा अनुक्रिया कोष (NDRF व SDRF) के साथ-साथ, अब इन्हें राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (National Disaster Risk Management Fund: NDRMF) तथा राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (State Disaster Risk Management Funds: SDRMF) कहा जाएगा।
- उनका उपयोग उन स्थानीय एवं समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए किया जाएगा, जो जोखिम को कम करते हैं तथा पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों व आजीविका प्रणालियों को बढ़ावा देते हैं।
- हालांकि, बृहत स्तर वाले शमन हस्तक्षेपों, जैसे- तटीय दीवारों का निर्माण, बाढ़ तटबंधों, सूखा क्षेत्रों के लचीलेपन को समर्थन आदि लक्ष्यों को नियमित विकास योजनाओं के माध्यम से पूर्ण किया जाना चाहिए, न कि शमन निधि से।
- केंद्र एवं राज्यों के मध्य लागत-साझाकरण का स्वरूप सभी राज्यों के लिए (i) 75:25, तथा उत्तर-पूर्वी व हिमालयी राज्यों के लिए (ii) 90:10 है।

विशिष्ट आबंटन

- अग्निशामक सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण।
- जिला-स्तरीय सूखा शमन योजना निर्मित करने के लिए बारह सर्वाधिक सूखा-प्रवण राज्यों को उत्प्रेरक सहायता।

VISION IAS

	• दस पहाड़ी राज्यों में भूकंपीय एवं भूस्खलन जोखिमों का प्रबंधन। • सात सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहरों - मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एवं पुणे - में शहरी जनसंख्या की अधिकता के जोखिम को कम करना। • तटीय एवं नदी अपरदन को रोकने के लिए शमन उपाय। • तटीय एवं नदी अपरदन से प्रभावित विस्थापित लोगों का पुनर्वास।

3.2. कराधान (Taxation)

परिचय

केंद्र सरकार को **कर, शुल्क, उपकर और अधिभार** के रूप में धनोपार्जन के माध्यम से राजस्व जुटाने का अधिकार है।

भारत की कर व्यवस्था की स्थिति

- देश में 57.8 मिलियन व्यक्तियों (जनसंख्या का लगभग 5%) ने **आयकर रिटर्न** दायर किया है, जिसमें से केवल **15 मिलियन (जनसंख्या का लगभग 1.15%) ने वास्तव में करों का भुगतान किया है।**
- वित्त वर्ष 2020 में भारत का **कर-जीडीपी अनुपात लगभग 17% है (प्रत्यक्ष कर** लगभग 6% तथा **अप्रत्यक्ष कर** लगभग 11% है), जो अब भी उभरती अर्थव्यवस्थाओं (लगभग 21%) से कम तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development: OECD) के औसत (लगभग 34%) से बहुत नीचे है।
    - GDP में केंद्रीय करों का अनुपात 10 वर्ष के निम्नतम स्तर 9.88% पर आ गया है **(प्रत्यक्ष कर** 14 वर्षों में निम्नतम स्तर 5.1 प्रतिशत पर आ गया, जबकि अप्रत्यक्ष कर वित्त वर्ष 2020 में 5 वर्षों के निम्नतम स्तर 4.6 प्रतिशत पर था)।

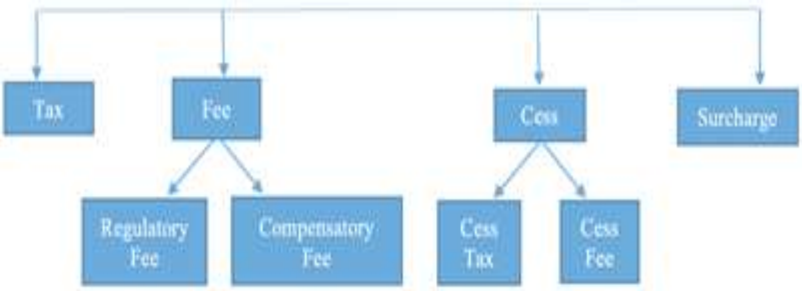

कर-जीडीपी अनुपात (Tax-to-GDP ratio) के बारे में

- यह सरकार (केंद्र+राज्यों) के कर **राजस्व के आकार का प्रतिनिधित्व करता है, इसे GDP के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।**
- अनुपात यह निर्धारित करता है कि सरकार **कर संग्रह से अपने व्यय का वित्तपोषण करने में किस सीमा तक सक्षम** है, यह **कर अनुपालन का भी एक संकेतक** है।
- **उच्च कर-जीडीपी अनुपात का तात्पर्य है कि एक अर्थव्यवस्था में कराधान में होने वाली वृद्धि प्रबल है,** क्योंकि देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ-साथ कर राजस्व के हिस्से में भी बढ़ोत्तरी होती है।

3.2.1. प्रत्यक्ष कर सुधार (Direct Tax Reform)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा पारित **प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020** और सरकार द्वारा **"पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान"** प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करने जैसे कई घटनाक्रमों ने प्रत्यक्ष कर सुधारों की ओर ध्यानाकर्षित किया है।

- **प्रत्यक्ष कर क्या है?**
    - ये ऐसे कर हैं, जो करदाता द्वारा सरकार को प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किए जाते हैं। प्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत, कराघात (incidence) और कराधान (taxation) का प्रभाव एक ही इकाई/व्यक्ति पर पड़ता है, जिसे किसी अन्य इकाई/व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
    - प्रायः इसे एक प्रगतिशील कर के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि कर देयता का अनुपात एक व्यक्ति या इकाई की आय में वृद्धि के साथ बढ़ता जाता है।
    - **उदाहरण:** आयकर, निगम कर, लाभांश वितरण कर (डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स), पूंजीगत लाभ कर (कैपिटल गेन टैक्स), प्रतिभूति लेन-देन कर (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) आदि।

VISION IAS

प्रत्यक्ष कर संबंधी सुधारों की आवश्यकता

- **आयकर संरचना का युक्तिकरण एवं सरलीकरण:** कर प्रणाली में **दरों की संरचना (rate structure)** विगत 20 वर्षों से व्यापक तौर पर समान रही है। इसके अतिरिक्त, **छूट को युक्तिसंगत** बनाने तथा बचत पर प्रोत्साहन {जैसे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जैसी लघु बचत योजनाओं} के संदर्भ में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- **निगम कर दर संरचना का सरलीकरण एवं छूटों की चरणबद्ध समाप्ति:** उर्ध्वाधर छूट न्यायसंगत नहीं हैं (लघु कंपनियां को अधिक करों का भुगतान करना पड़ता है) तथा साथ ही, बड़ी संख्या में छूट प्रदान किए जाने के कारण राजस्व का अत्यधिक नुकसान होता है।
- **कराधार का विस्तार:** यह निम्न कर दरों एवं सरलीकृत कर ढांचे के कारण संभावित राजस्व हानि की समस्या से निपटने में सहायता प्रदान करेगा।
- **कर याचिकाओं को कम करना:** आवश्यक औचित्य या मूल्यांकन के बिना कार्रवाई प्रारंभ करने की कर अधिकारियों की प्रवृत्ति **अपील की कम सफलता दर (लगभग 30 प्रतिशत)** से परिलक्षित होती है। अत: विवाद समाधानों के वैकल्पिक उपाय प्रदान करने की आवश्यकता है।
- कर संग्रह की दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ करदाता की सहायता के लिए कर प्रशासन में **प्रौद्योगिकी के समावेश की भी आवश्यकता है।**

त्यक्ष कर पारितंत्र में सुधार के लिए हाल ही में उठाए गए कदम

- **लाभांश वितरण कर (Dividend Distribution Tax: DDT) का उन्मूलन-** भारतीय इक्विटी बाजार के आकर्षण को बढ़ाने व निवेशकों के एक बड़े वर्ग को राहत प्रदान करने के लिए, कंपनियों को 01.04.2020 से DDT का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- **दस्तावेज़ पहचान संख्या (Document Identification Number: DIN)-** आयकर विभाग के कामकाज में दक्षता व पारदर्शिता लाने के लिए, विभाग के प्रत्येक संप्रेषण (communication) पर अनिवार्य रूप से एक कंप्यूटर जनित विशिष्ट DIN संलग्न रहता है।
- **स्टार्ट-अप्स के लिए अनुपालन मानदंडों का सरलीकरण-** स्टार्ट-अप्स को समस्या मुक्त कर व्यवस्था प्रदान की गई है, जिसमें मूल्यांकन प्रक्रिया का सरलीकरण, एंजेल-टैक्स से मुक्ति, समर्पित **स्टार्ट-अप प्रकोष्ठ (start-up cell)** का गठन आदि सम्मिलित हैं।
- **अपील दायर करने के लिए मौद्रिक सीमा में वृद्धि-** करदाता की शिकायतों/ मुकदमों को प्रभावी रूप से कम करने के लिए अपील दायर करने की मौद्रिक सीमाओं में वृद्धि की गई है। नवीन व्यवस्था के अनुसार **आयकर अपीलीय अधिकरण** (Income Tax Appellate Tribunal) के समक्ष अपील के लिए मौद्रिक सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये, उच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है।

प्रत्यक्ष कर संहिता सुधार: अखिलेश रंजन समिति की प्रमुख अनुशंसाएं

- इसने **मौजूदा तीन स्तरों की बजाय पांच स्तरों (स्लैब) के निर्माण** के साथ व्यक्तिगत आयकर दरों में व्यापक बदलाव की अनुशंसा की है।
- इस समिति की रिपोर्ट में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कर वातावरण और स्रोत-आधारित कराधान पर सामान्यतः बल देने के संदर्भ में **कराधान की क्षेत्रीय प्रणाली को अपनाने पर जोर** दिया गया है।
- **'स्रोत', 'नियम'** और **'आय'** की मौजूदा परिभाषा की निरंतरता के साथ इसके दायरे में विस्तार, जिसमें आय की विभिन्न श्रेणियों के तहत कर योग्य आय शामिल हैं।
- इस समिति ने भारतीय कर निवासी (Indian Tax Resident) के रूप में मान्यता प्राप्त व्यक्तियों के लिए **182 दिनों की निवास सीमा** को घटाकर 90 दिन करने का प्रस्ताव रखा है।
- **दोहरा कराधान परिहार समझौता (Double Tax Avoidance Treaty: DTAA)** को 'घरेलू विधि' के साथ लागू करने के लिए उपयुक्त संशोधन आवश्यक रूप से लागू किए जाएंगे, जो अनिवार्य रूप से प्रावधान करते हैं कि जहां DTAA के तहत कर की दर भारतीय आयकर अधिनियम के अंतर्गत दर से कम होगी, वहां DTAA लागू होगा।

3.2.1.1. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020)

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

- यह अधिनियम करदाताओं को 30 जून तक **ब्याज तथा जुर्माने** की पूर्ण छूट के साथ देय कर के भुगतान के माध्यम से **प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवादों के निपटान** का अवसर प्रदान करता है।

VISION IAS

- यह करदाताओं या आयकर विभाग द्वारा 31 जनवरी 2020 तक, अग्रलिखित मंचों पर दर्ज **सभी अपीलों/याचिकाओं पर लागू** होता है, भले ही इस तरह के मामलों में अभियाचना लंबित हो या भुगतान किया जा चुका हो: आयकर आयुक्त (अपील); आयकर अपीलीय अधिकरण; उच्च न्यायालय; या उच्चतम न्यायालय।
- ये लंबित अपीलें विवादित कर, ब्याज या जुर्माने के विरुद्ध हो सकती हैं।
- **इस अधिनियम के तहत विवाद का निस्तारण होने के पश्चात्,** करदाताओं को निम्नलिखित छूट प्रदान की जाएंगी:
  - ऐसे मामलों (cases) को किसी भी कर प्राधिकरण या निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कार्यवाही में **फिर से शुरू नहीं किया जा सकता है;**
  - इस योजना के विकल्प का चयन करने पर **कर की स्थिति को विवादित नहीं माना जाएगा** और कर प्राधिकरण यह दावा नहीं कर सकता है कि करदाता ने विवादित मुद्दे से संबंधित निर्णय को स्वीकार कर लिया है।

इस अधिनियम के अपेक्षित लाभ

- **विवादों का शीघ्र निस्तारण:** इस अधिनियम के माध्यम से 9.32 लाख करोड़ रुपये के 4.83 लाख प्रत्यक्ष कर विवादों में से लगभग 90 प्रतिशत के निस्तारण होने की संभावना है, जो वर्तमान में विभिन्न अपीलीय मंचों पर लंबित हैं।
- **प्रत्यक्ष-कर संग्रह में कमी को पूर्ण किया जा सकेगा:** विवादित प्रत्यक्ष कर से संबंधित लगभग 9.32 लाख करोड़ रूपये बकाया राशि के रूप में है। वित्त वर्ष **2018-19** में वास्तविक प्रत्यक्ष कर के तौर पर **11.37** लाख करोड़ रूपये का संग्रहण किया गया था, अत: हम कह सकते हैं कि विवादित कर का मूल्य लगभग एक वर्ष के प्रत्यक्ष कर संग्रह के बराबर है।
- **समय, ऊर्जा और संसाधन की बचत:** कर संबंधी विवादों में सरकार और करदाताओं, दोनों के समय, ऊर्जा और संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी होती है। इसके अतिरिक्त, इनके कारण सरकार को समय पर राजस्व भी प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए, लंबित कर विवादों के समाधान की तत्काल आवश्यकता है

3.2.1.2. पारदर्शी कराधान- 'ईमानदार का सम्मान' प्लेटफॉर्म ('Transparent Taxation-Honouring the Honest' Platform)

- इसका उद्देश्य **कर अनुपालन को सरल बनाना तथा ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत करना** है।
- इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं **फेसलेस मूल्यांकन (Faceless Assessment)**, **फेसलेस अपील (Faceless Appeal)** एवं **करदाता चार्टर** (Taxpayers Charter) हैं।
  - **फेसलेस मूल्यांकन:** करदाता और आयकर अधिकारी के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क को समाप्त करता है।
- इस प्रणाली के अंतर्गत, किसी करदाता का चयन केवल डेटा एनालिटिक्स एवं आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाएगा।
  - **फेसलेस अपील:** इसके तहत अपील यादृच्छिक रूप से देश में किसी भी कर अधिकारी को आवंटित की जाएंगी तथा अपील पर निर्णय लेने वाले अधिकारी की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।
  - **करदाता चार्टर:** यह आयकर अधिकारियों एवं करदाताओं, दोनों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों को रेखांकित करता है। आयकर विभाग द्वारा समय पर सेवाएं सुनिश्चित करने से नागरिकों के सशक्तीकरण की संभावनाओं में वृद्धि होगी।

3.2.2. वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों पर करारोपण (Taxing Global Technology Companies)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **संशोधित वित्त विधेयक, 2020** के माध्यम से समकारी लेवी (equalisation levy) के दायरे को भारतीय भू-भाग से होने वाले सभी विदेशी ई-कॉमर्स अंतरण तक विस्तारित कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किए जाने वाले विक्रय पर **2 प्रतिशत इक्विलाइजेशन लेवी** अधिरोपित की जाएगी। इससे यहाँ विक्रय करने वाली वे कंपनियां प्रभावित होंगी, जिनकी इकाइयाँ भारत में स्थित नहीं हैं अर्थात् जिनका परमानेंट स्टैब्लिशमेंट भारत में नहीं है।
  - ज्ञातव्य है कि इक्विलाइजेशन लेवी एक **प्रत्यक्ष कर** है, जिसे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने के समय रोक कर रखा (withheld) जाता है।
- यह लेवी उन कंपनियों पर आरोपित की की जाएगी, जिनका टर्नओवर या विक्रय विगत वर्ष **2 करोड़ रूपए से अधिक** रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, लेवी के अनुपालन को अनिवासी सेवा प्रदाता को स्थानांतरित कर दिया गया है।

VISION IAS

- अब, इसका विस्तार भारतीय निवासी को होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के साथ-साथ भारतीय इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति को की जाने वाली आपूर्ति तक किया गया है।
    - उदाहरण के लिए, कोई विदेशी नागरिक जब सेवाएँ प्राप्त करने हेतु भारत आता है और भारतीय IP एड्रेस का उपयोग करता है तो उसे भी इसके दायरे में शामिल किया जाएगा।

प्रौद्योगिकी कंपनियों पर करारोपण: पृष्ठभूमि

- वित्त अधिनियम, 2016 के माध्यम से, सरकार ने कुछ गैर-निवासी व्यवसायों के लिए "इक्विलाइजेशन लेवी" की शुरुआत की थी।
    - इसे ऑनलाइन विज्ञापन आदि जैसी कुछ निर्दिष्ट सेवाओं पर 6 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया है।
- बजट 2018 में, सरकार ने **महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (SEP)** की अवधारणा प्रस्तुत कर व्यवसाय-से-उपभोक्ता अंतरण पर अपना उचित हिस्सा प्राप्त करने का प्रस्ताव रखा था।
    - इसके पीछे तर्क यह था कि उन डिजिटल व्यवसायों से कर लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए जिनकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है, लेकिन वे यहाँ से महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य अर्जित करते हैं।
    - इस वर्ष के बजट में, इसकी घोषणा की गई कि SEP प्रावधान को 1 अप्रैल 2021 तक स्थगित कर दिया गया है।

इस प्रकार के नियमों की आवश्यकता क्यों?

- **डिजिटल ई-कॉमर्स मॉडल की विशिष्ट प्रकृति**
    - पारंपरिक मॉडल के तहत, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) अपने **स्थायी प्रतिष्ठान** वाले अधिकार क्षेत्र में या आय के स्रोत वाले अधिकार क्षेत्र में ही कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होती है।
    - जबकि, डिजिटल सेवा क्षेत्रों की आय विभिन्न अधिकार क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं। अधिकांश मामलों में, इनकी उन देशों में कोई भौतिक उपस्थिति नहीं होती है, जहाँ इनके ग्राहक विद्यमान होते हैं।
- **विशाल उपयोगकर्ता आधार:** विदेशी तकनीकी कंपनियों के उपयोगकर्ताओं की संख्या अत्यधिक होती है और भारत में भी उनकी **महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति** (Significant Economic Presence: SEP) है। ऐसे में विशाल उपयोगकर्ता आधार के कारण उन्हें डेटा के माध्यम से आय प्राप्त होती है, लेकिन ये कंपनियाँ इस आय पर उचित करों का भुगतान नहीं करती हैं।
- **राजस्व सृजन:** इक्विलाइजेशन लेवी के माध्यम से लगभग 100 बिलियन डॉलर के राजस्व सृजन का अनुमान है।

कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियाँ

- **नेक्सस (Nexus):** वृहत स्तर पर बड़ी वैश्विक तकनीकी कंपनियां, निम्न कर अधिकार क्षेत्र में स्थित हैं, जिससे उनके नेक्सस को बढ़ावा मिलता है।
- **डेटा:** डिजिटल उत्पाद एवं सेवाओं के माध्यम से सृजित डेटा के **मूल्य का आकलन** करना भी चुनौतीपूर्ण है।
    - वैश्विक तकनीकी कंपनियों पर कर का आरोपण किस प्रकार किया जाना चाहिए, इस संबंध में वैश्विक सहमति का अभाव है।
- **लाभों का विशेषीकरण:** इन तकनीकी कंपनियों के भारत में कार्य संचालन से अर्जित लाभ को कैसे निर्धारित और विशेषीकृत किया जाए अर्थात् भारत में गतिविधियों के संचालन से अर्जित लाभ के निर्धारण में समस्याएं व्याप्त हैं।
- **अनुपालन:** पूर्व में आरोपित लेवी (विज्ञापन पर) के विपरीत, अब विदेशी ई-कॉमर्स ऑपरेटर को भारत में अनुपालन करने की आवश्यकता होगी जिसके कारण संभावित चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं।
- **संभावित विधिक चुनौतियां:** अतिरिक्त-क्षेत्रीयता (Extra-territoriality) संबंधी विधिक चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि इस प्रावधान में भारत के डेटा का उपयोग करने वाले गैर-निवासी को गैर-निवासी लेनदेन के रूप में कवर करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह कानून कुछ द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौतों के संबंध में भी विवादास्पद हो सकता है।
- वर्तमान **दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAAs),** व्यापार संबंध (बिजनेस कनेक्शन) की संशोधित परिभाषा को अस्वीकृत करता है जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति (SEP) की अवधारणा शामिल है।

वैश्विक परिदृश्य

- **आस्ट्रेलिया:** यहाँ **टर्नओवर टैक्स** (जिसे डिजिटल सर्विस टैक्स कहा जाता है) आरोपित करना प्रस्तावित है। इसे विज्ञापन की जगह (एडवरटाइजिंग स्पेस), ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ताओं के संबंध में एकत्र किए गए डेटा के प्रसार की सुविधा प्रदान करने वाली बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आय पर आरोपित किया जा सकता है।
- **युगांडा: सोशल मीडिया पर कर**, जिसमें व्हाट्सएप्प, ट्विटर, फेसबुक के उपयोगकर्ताओं द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- OECD द्वारा अपनी **'आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण'** (Base Erosion and Profit Shifting Project: BEPS)

VISION IAS

परियोजना के भाग के रूप में "डिजिटल अर्थव्यवस्था की कर चुनौतियों को दूर करना" नामक **"कार्ययोजना 1"** (Action Plan 1) को लागू किया गया है।

आगे की राह

डिजिटल पारितंत्र का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों ने सहमति व्यक्त की है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक व्यापक डिजिटल कर संहिता (टैक्स कोड) दीर्घकालिक समाधान सिद्ध हो सकती है। जब तक इस प्रकार के परितंत्र का निर्माण होता है, तब तक निरंतर सरकारों और कंपनियों के साथ बहु-हितधारक के जुड़ाव को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

3.2.3. उपकर एवं अधिभार (Cesses and Surcharges)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया गया है कि प्राप्त होने वाले करीब 40% उपकर को उपयुक्त आरक्षित निधि (reserve funds) के बजाय भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India: CFI) में डाला जाता है।

क्या उपकर एवं अधिभार का प्रयोग विगत कुछ वर्षों में बढ़ा है?

- **केंद्र ने वित्त वर्ष 2019 में 35 उपकरों से लगभग 2.75 लाख करोड़ रुपये** का संग्रहण किया।
  - उनमें सर्वाधिक अंश **GST क्षतिपूर्ति उपकर** से प्राप्त हुए हैं (कुल का 35%)।
- उपलब्ध बजट अनुमानों के अनुसार, विगत दो वित्तीय वर्षों में भी उपकरों और अधिभारों के हिस्से में बढ़ोतरी हुई है:
  - वर्ष 2017-18 और 2018-19 में सकल कर राजस्व में उपकरों की हिस्सेदारी बढ़कर क्रमश: लगभग 11% और 12% हो गयी।
  - दूसरी ओर, वर्ष 2017-18 और 2018-19 में सकल कर राजस्व में अधिभारों की हिस्सेदारी बढ़कर क्रमश: लगभग 5% और 6.4% हो गयी।
- 15वें वित्त आयोग ने अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2020-21 में **उपकर एवं अधिभार** केंद्र सरकार के **सकल कर राजस्व का लगभग 17.8 प्रतिशत रहेगा।**
- **वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लाया गया था। इसका उद्देश्य अधिकतर उपकरों एवं अधिभारों को इसके अंतर्गत लाना था।** परंतु इस तरह के कई शुल्क अब भी लागू हैं, जैसे कि आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत लगने वाला अधिभार। कुछ नए उपकर भी लगाए गए हैं, जैसे कि वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा सामाजिक कल्याण अधिभार लगाया गया है।

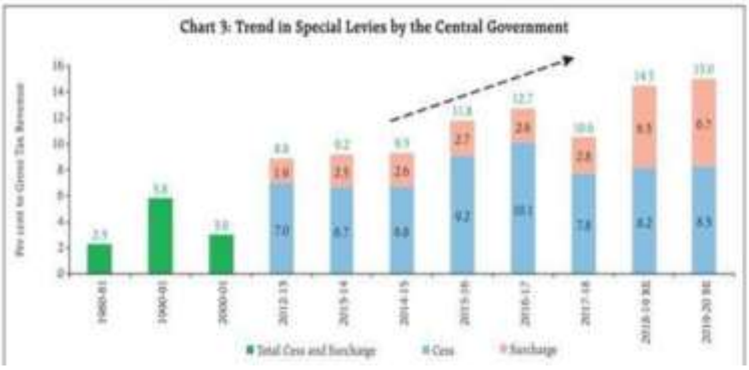

इनके प्रयोग बढ़ने से क्या समस्याएं हैं?

- **राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले राजस्व में समग्र रूप से गिरावट:** उपकरों एवं अधिभारों पर केंद्र सरकार की आवश्यकता से अधिक निर्भरता के कारण, **केंद्र के सकल कर राजस्व में राज्यों के हिस्से में गिरावट आई है। यह वित्त वर्ष 2019 में 36.6% था, जबकि वित्त वर्ष 2020 में 32.4% हो गया (14वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 42% से बहुत कम)।**
  - केंद्र सरकार ने स्वच्छता, कृषि, राज्य एवं ग्रामीण सड़कों जैसे उद्देश्यों के लिए उपकर लगाए हैं। **ये सभी राज्य सूची के विषय हैं।** इससे परोक्ष रूप से **हमारी राजनीतिक व्यवस्था की संघीय प्रवृत्ति प्रभावित हुई है।**
- **उपकरों एवं शुल्कों (levies) के लेखांकन के संदर्भ में पारदर्शिता एवं प्रकटीकरण:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) ने उपयुक्त निधियों के हस्तांतरण नहीं होने और **भारत की संचित निधि (CFI) में शेष रखने के** संबंध में कई गड़बड़ी पाए जाने का खुलासा किया है।
  - न्यायोचित अवधि से अधिक समय तक इन निधियों को CFI में रोके रखने के परिणामस्वरूप **राजस्व प्राप्ति को बढ़ा-चढ़ाकर और केंद्र के राजकोषीय घाटे को कम करके दिखाया जा सकता है।**

VISION IAS

- विभिन्न रिपोर्टों में यह भी सामने आया है कि कुछ राजस्व को किसी विशेष उद्देश्य के लिए वसूला जाता है, परंतु उनको **दूसरी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।**
- **अस्पष्ट और सामान्य उद्देश्य:** हाल के दिनों में यह रुझान देखा गया है कि **सामान्य/व्यापक कारणों से** उपकर लगाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, हाल में राष्ट्रीय राजमार्ग, मूलभूत शिक्षा, स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण, अवसरंचना परियोजनाओं, आदि के वित्त-पोषण के उद्देश्य से उपकर लगाए गए हैं। ये विशेष उद्देश्य के बजाय व्यय की व्यापक मदें हैं।
- **परस्पर परिवर्तनीय प्रयोग (Interchangeable usage):** कुछ कानूनों में कर लगाने के प्रावधान में **अधिभार एवं उपकर के लिए परस्पर परिवर्तनीय शब्द का प्रयोग** किया जाता है। उदाहरण के लिए- वित्त अधिनियम, 2016 के आय प्रकटीकरण योजना से संबंधित खंड 184 (2) में एक अधिभार लगाया गया है जिसे 'कृषि कल्याण सेस (उपकर)' के नाम से जाना जाता है।

इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है?

इन समस्याओं के प्रकाश में, 15वें वित्त आयोग ने इस मामले की **'विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी' से अध्ययन कराने का आदेश दिया था।** इस कानूनी थिंक टैंक ने **निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:**

उपकर:

- **अधिरोपण (Imposition):**
    - केंद्र सरकार को **उन उद्देश्यों के लिए उपकर नहीं लगाना चाहिए** जो **राज्य सूची में सम्मिलित हैं।** स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर इस प्रकार के उपकर के प्रमुख उदाहरण हैं।
    - **इसके अधिरोपण के उद्देश्य का स्पष्ट और विशिष्ट रूप से उस कानून में उल्लेख किया जाना अनिवार्य है** जिसके माध्यम से यह लगाया जा रहा है। इस प्रकार के उपकर से जिस योजना का वित्त-पोषण किया जाना है, उसके नाम का उल्लेख होना चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि किस विशिष्ट उद्देश्य के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा।
- **पारदर्शिता एवं तर्कसंगत बनाना (Transparency and Rationalisation):**
    - बजट दस्तावेजों एवं कर लगाने वाले कानून में स्पष्ट रूप से उस राशि का उल्लेख होना चाहिए जो केंद्र सरकार उपकर के माध्यम से संग्रह करना चाहती है और यह भी उल्लेख करना चाहिए कि **कैसे करों से वित्त-पोषण की निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है।**
    - **उपकरों की समय-समय पर समीक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए:** समीक्षा से वास्तव में संग्रहित राशि बनाम उपयोग की गई राशि का आकलन हो सकेगा और इनमें से प्रत्येक की तुलना उस राशि से की जा सकेगी जिसे संग्रहित किए जाने का लक्ष्य है।
- **समाप्ति:**
    - **आर्थिक रूप से अप्रभावी उपकरों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए:** जिन उपकरों के माध्यम से एक वित्त वर्ष में 50 करोड़ रुपये से कम संग्रहण होता है वे आर्थिक रूप से अप्रभावी हैं। इससे करों की बहुलता और करों का बोझ बढ़ता है।
    - केंद्र सरकार को इस प्रकार के उपकर लगाने से संबंधित कानून में **एक अधिभावी समीक्षा खंड (overriding review clause) के साथ-साथ समाप्ति खंड (sunset clauses) भी सम्मिलित करना चाहिए।** इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उपकर अनिश्चित काल और अनावश्यक रूप से लंबे समय तक नहीं लगता रहे।

अधिभार:

- आयकर के अलावा कोई अधिभार लगाने के बजाय **आयकर की दरों को तर्कसंगत बनाना चाहिए।** अधिभारों को एक प्रगतिशील आयकर के प्रॉक्सी के तौर पर प्रयोग नहीं करना चाहिए।
- अधिभारों को **एक अस्थायी शुल्क समझा जाना चाहिए।** उनका प्रयोग **अत्यावश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए और केवल सीमित समय अवधि के लिए।**
- जिस प्रकार से उपकरों के लिए समाप्ति खंड (sunset clause) का सुझाव दिया गया है, उसी प्रकार से अधिभारों से संबंधित कानून में भी **समाप्ति खंड** सम्मिलित किया जा सकता है, ताकि अधिभार को स्थायी शुल्क बनने से रोका जा सके।

एक उपकर और एक अधिभार के बीच का अंतर स्पष्ट होना चाहिए और उसका रखरखाव प्रभावी रूप से किया जाना चाहिए।

3.3. गैर-कर स्रोतों से वित्त जुटाना (Financial Mobilization from Non-Tax Sources)

परिचय

कोविड-19 के प्रभाव से उपजी आर्थिक स्लोडाउन (गिरावट) की स्थिति के दौरान सरकार अर्थव्यवस्था को पुनः गतिशील बनाने के लिए **आवश्यक वित्त जुटाने हेतु विभिन्न प्रयास** कर रही है, जिसमें **घाटे का मौद्रीकरण, सरकारी भूमि का मौद्रीकरण, सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से पारंपरिक वित्त-पोषण और रणनीतिक विनिवेश के विचार से जुड़ी संभावनाओं की खोज** शामिल है।

3.3.1. घाटे का मौद्रीकरण (Monetization of Deficit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर सी. रंगराजन सहित कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि सरकार को **घाटे का मौद्रीकरण** करना चाहिए।

घाटे के मौद्रीकरण से क्या तात्पर्य है?

यदि सरकार का व्यय उसकी आय की तुलना में अधिक हो जाता है तो सरकार के समक्ष **राजकोषीय घाटे (fiscal deficit)** की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस घाटे का वित्तीयन (deficit financing) या तो **बाजार से उधार लेकर** या RBI के माध्यम से **घाटे का मौद्रीकरण** करके किया जाता है।

- सरल शब्दों में, **घाटे अथवा राजकोषीय घाटे के मौद्रीकरण** का तात्पर्य भविष्य की किसी तिथि पर चुकाए जाने वाले **ऋण के बजाए मुद्रा की छपाई** के माध्यम से अतिरिक्त व्ययों का वित्तपोषण करने से है। इसलिए, यह **"गैर-ऋण वित्तपोषण"** (non-debt financing) का एक रूप है। फलस्वरूप, मौद्रीकरण के कारण, **निवल (न कि सकल) सार्वजनिक ऋण** में कोई वृद्धि नहीं होती है।
- ऐसा केवल निम्नलिखित दो विधियों के माध्यम से किया जा सकता है:
  - **प्रत्यक्ष मौद्रीकरण (Direct Monetization: DM):** इस विधि के अंतर्गत, RBI नई मुद्रा की छपाई करता है। इस मुद्रा का उपयोग कर RBI, **सरकार के व्ययों को वित्त पोषित करने के लिए** प्राथमिक बाजार से सरकारी प्रतिभूतियों या बॉण्ड्स का प्रत्यक्ष क्रय करता है। इस प्रकार, RBI के इस कदम से सरकार की व्यय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।
- यदि सरकार RBI से केवल धन उधार लेती है तो इससे सरकार के ऋण में वृद्धि होगी, इसलिए यह घाटे का मौद्रीकरण नहीं कहलाएगा।
  - **अप्रत्यक्ष मौद्रीकरण (Indirect monetization: IM):** इस विधि के अंतर्गत, **सरकार प्राथमिक बाजार में बॉण्ड्स जारी करती है** और RBI अपने **ओपन मार्केट ऑपरेशन (OMO)** (खुला बाजार परिचालन अर्थात् खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय) के माध्यम से **द्वितीयक बाजार से सरकारी बॉण्ड्स का क्रय** करता है।
- इस विधि के तहत यदि केंद्रीय बैंक निम्नलिखित कार्य करता है तो वह प्रत्यक्ष मौद्रीकरण के प्रभाव के समान होगा:
  i) खरीदे गए बॉण्ड्स को शाश्वत रूप से धारित करता है,
  ii) परिपक्वता अवधि तक पहुंचने वाले सभी खरीदे गए बॉण्ड्स पर भुगतान स्थगित करता है, और
  iii) खरीदे गए बॉण्ड्स पर अर्जित ब्याज सरकार को वापस लौटा देता है।
- भारत में घाटे का मौद्रीकरण **वर्ष 1997** तक प्रचलन में था। इसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक **एड-हॉक ट्रेजरी बिल** जारी करके सरकारी घाटे का स्वचालित रूप से मौद्रीकरण करता था।
  - **ट्रेजरी बिल्स** वस्तुतः मुद्रा बाजार के विपत्र हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें **अल्पावधिक ऋण विपत्र** के रूप में जारी किया जाता है। वर्तमान में तीन अवधियों (91, 182 और 364 दिनों) वाले ट्रेजरी बिल्स जारी किए जाते हैं।
- वर्ष 1994 और वर्ष 1997 में **एड-हॉक ट्रेजरी बिल्स के माध्यम से वित्तीयन (अर्थात् सरकार के घाटे के मौद्रीकरण) को चरणबद्ध रूप से पूरी तरह से समाप्त करने के लिए** सरकार और RBI के मध्य दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ था। आगे चलकर, **राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management: FRBM) अधिनियम, 2003** के अधिनियमन के उपरांत, RBI को सरकार का प्राथमिक निर्गमन खरीदने से पूरी तरह से रोक दिया गया।
- **वर्ष 2017 में FRBM अधिनियम** में संशोधन कर एक **"बचाव खंड" (escape clause)** का समावेश किया गया। यह विशेष परिस्थितियों में सरकार को अपने **घाटे के मौद्रीकरण** की अनुमति देता है।

अब इस प्रकार के कदम की क्या आवश्यकता है?

चूंकि भारत कोविड-19 महामारी के प्रभाव से जुझ रहा है, इसलिए कर राजस्व, सरकारी व्यय, घरेलू बचत, मांग के साथ-साथ आपूर्ति जैसे आर्थिक संकेतक बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

- केंद्र और राज्य सरकारों का **संयुक्त राजकोषीय घाटा** इस वर्ष **सकल घरेलू उत्पाद (Gross domestic product: GDP) के 10 प्रतिशत से भी अधिक** हो सकता है, जो पिछले वर्ष लगभग 7-7.5 प्रतिशत था।

VISION IAS

- इस घाटे को पूर्ण करने के लिए सामान्यत: सरकार को कर्ज लेना पड़ता है। हालांकि, **इन उधारियों से सरकारी ऋण बढ़ जाता है और ऋण-GDP अनुपात नकारात्मक रूप से प्रभावित** होता है। उल्लेखनीय है कि **संवृद्धि दर में गिरावट आने** और **कोविड-19 लॉकडाउन के कारण** भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है।
  - मूडीज और फिच जैसी रेटिंग एजेंसियों के अनुसार, भारत का ऋण-GDP अनुपात वित्त वर्ष 2021 में मौजूदा 72% के उच्च स्तर से बढ़कर 84% होने की संभावना है।

क्या घाटे का मौद्रीकरण कार्यान्वित किया जाना चाहिए?

पक्ष में तर्क	जताई गई चिंताएं
• **सॉवरेन रेटिंग:** सभी शीर्ष 3 रेटिंग एजेंसियों अर्थात S&P, मूडीज और फिच ने निवेश के संदर्भ में भारत को जंक कैटेगरी स्टेटस (अर्थात् BBB-) से मात्र एक पायदान ऊपर रखा है। जबकि, यह **सॉवरेन रेटिंग बढ़ते सार्वजनिक ऋण और ऋण-GDP अनुपात को स्थिर रखने या कम करने पर अत्यधिक निर्भर है।** हालांकि, इस रेटिंग में एक और पायदान नीचे खिसकने से भारत से विदेशी पूंजी का पलायन हो सकता है। • **यह क्राउडिंग आउट को रोकता है:** सरकार द्वारा व्यापक पैमाने पर घरेलू बाजार से उधार लेने से निजी क्षेत्र के लिए धन की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे ब्याज दरें भी बढ़ सकती हैं। • **मुद्रा आपूर्ति में समान विस्तार:** यह तर्क दिया जाता है कि भले ही केंद्रीय बैंक द्वितीयक बाजार (OMO के द्वारा) से सरकारी बॉण्ड्स का क्रय करे या सीधे राजकोष से इन्हें प्राप्त करे, दोनों स्थितियों में यदि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है तो मुद्रा आपूर्ति (सभी मुद्रा और M0, M1 आदि) पर समान प्रभाव पड़ता है। • **अल्पावधि में मुद्रास्फीति का नगण्य जोखिम:** ऋण में धीमी वृद्धि के कारण आधार मुद्रा (बेस मनी अर्थात् M0) का व्यापक मुद्रा (ब्रॉड मनी अर्थात् M3) में संचरण धीमा रहता है, जिससे **मुद्रा का वेग (velocity of money)** (वह आवृत्ति जिस पर एक निर्धारित समयावधि के भीतर घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए मुद्रा की एक इकाई का उपयोग किया जाता है) कम हो जाता है। इस कम वेग और मंद संचरण से महंगाई बढ़ने का जोखिम नगण्य होता है।	• **इससे दीर्घावधि में मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है:** OMOs के माध्यम से मुद्रा की आपूर्ति में होने वाले अस्थायी विस्तार के विपरीत, घाटे के मौद्रीकरण से मुद्रा का अधिक स्थायी विस्तार होता है जिससे दीर्घावधि में मुद्रास्फीति में वृद्धि हो सकती है। इसका कारण यह है कि घाटे के मौद्रीकरण से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है, जो मांग/व्यय को प्रोत्साहित करती है। • **रुपये का अवमूल्यन:** आक्रामक प्रत्यक्ष मौद्रीकरण से मुद्रा का अवमूल्यन हो सकता है। इससे अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का विश्वास कम हो जाता है, जिससे पूँजी के पलायन की संभावना उत्पन्न हो सकती है, फलस्वरूप वर्तमान राजकोषीय वित्त-पोषण योजना जोखिम में पड़ सकती है। • **अनावश्यक व्यय की संभावना:** सामान्यत: जब उपयोग करने के लिए धन आसानी से उपलब्ध होता है, तो सरकारों के मध्य राजकोषीय फिजूलखर्ची बढ़ जाती है और इससे भ्रष्ट प्रथाओं में भी वृद्धि हो सकती है।

निष्कर्ष

वर्तमान महामारी की स्थिति में मांग और मुद्रास्फीति पहले से ही कम है तथा बेरोजगारी अधिक है, इसलिए सामान्य स्थितियों के विपरीत मौद्रीकरण से **नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम** है। इस कदम से बाजार में तरलता में वृद्धि होगी, जिससे ऋणशोधन अक्षमता (insolvency) का स्तर कम होगा और अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा। फलस्वरूप, **ऋण-GDP अनुपात कम होगा**। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया है कि **पिछली राजकोषीय फिजूलखर्ची से जुड़े पूर्वाग्रह** को वर्तमान समय में घाटे के मौद्रीकरण के समक्ष एक बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए तथा निर्णय महामारी से उपजे वर्तमान संकट की सच्चाई के आधार पर लिया जाना चाहिए।

3.3.2. सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री (Strategic Sale of PSUs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने सार्वजनिक क्षेत्रक के पांच उपक्रमों (PSUs) में प्रबंधन नियंत्रण सहित सरकारी हिस्सेदारी के रणनीतिक विनिवेश की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- इन PSUs में सम्मिलित हैं: भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL); शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया; कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया; टिहरी हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (THDCIL); और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन।
- बाजार की वर्तमान कीमतों के आधार पर, इन PSUs के शेयरों की बिक्री से सरकार को 78,400 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो वित्त वर्ष 2019-20 के विनिवेश लक्ष्य (1.05 लाख करोड़) के करीब ले जाएगा।

रणनीतिक बिक्री के पक्ष में तर्क

- **सरकार की भूमिका:** रणनीतिक विनिवेश के पीछे प्रमुख विचारधारा यह है कि **"व्यवसाय में संलग्न होना सरकार का कार्यक्षेत्र नही है।"**
  - पुनः, सरकार की भूमिका एक अभिकर्ता के तौर पर सहभागी के रूप में न होकर एक स्वस्थ कारोबारी परिवेश प्रदान करने वाले सुविधाप्रदात्ता की होनी चाहिए।
- **आय का स्रोत:** विनिवेश अतिरिक्त आय प्राप्ति का एक स्रोत है। यह ऐसे समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जब निजी निवेश कम हो रहा है एवं सरकार अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ है।
- **श्रेष्ठतर प्रबंधन:** ज्यादातर PSUs प्रायः कुप्रबंधन एवं आक्रामक ट्रेड यूनियनों से ग्रसित हैं तथा यह राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप वाला एक क्षेत्र बन गया है। इसके कारण PSUs की अधिकांश परियोजनाएँ विलंबित हो जाती हैं, जिससे दीर्घकालिक दक्षता के सम्मुख व्यवधान उत्पन्न होता है।
  - PSUs में सरकार की धारिता का एक प्रमुख उद्देश्य रोजगार प्रदान करना भी था। LPG (उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण) सुधारों के बाद, सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों में रिक्तियां काफी कम हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों में प्रच्छन्न बेरोज़गारी एवं पुराने कौशल की समस्या अक्षमता का प्रमुख कारण है।
  - ऐसी कंपनियों की आर्थिक क्षमताओं को भी रणनीतिक निवेशक विभिन्न कारकों के द्वारा बेहतर रूप से विकसित कर सकते हैं, उदाहरण के लिए- पूंजी अंतर्वेशन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बेहतर जवाबदेही, कुशल प्रबंधन इत्यादि।
  - कई मामलों में सार्वजनिक उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन में भारी सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, हिंदुस्तान जिंक ने वित्त वर्ष 2003 में अपनी बिक्री के समय 67 करोड़ रुपए के स्थान पर वर्ष 2019 में अपनी विशुद्ध बिक्री 9,698 करोड़ रुपए तक दिखाई है।
- **सार्वजनिक ऋण का स्थानांतरण:** विनिवेश के द्वारा भारत सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों के बड़े सार्वजनिक ऋणों को भारतीय निजी क्षेत्रक में स्थानांतरित कर सकती है।

रणनीतिक विनिवेश

- विनिवेश आयोग के अनुसार, रणनीतिक बिक्री से आशय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों (CPSE) में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ 50 प्रतिशत या इससे अधिक सरकारी हिस्सेदारी (शेयर) की बिक्री से है, अर्थात् इसमें (रणनीतिक विनिवेश) निम्नलिखित दो तत्व शामिल होते हैं:
- साधारण विनिवेश के विपरीत (जहां सरकार के पास उक्त इकाई के शेयरों का अधिकांश हिस्सा होता है तथा वह प्रबंधन नियंत्रण को भी बनाए रखती है), रणनीतिक बिक्री का अर्थ कुछ हद तक निजीकरण से है।
- रणनीतिक बिक्री उन प्रकरणों से भी भिन्न है जिसमें सरकार बड़ी हिस्सेदारी को हस्तांतरित तो करती है, लेकिन वह केवल किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम को किया जाता है जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है।

रणनीतिक विनिवेश से जुड़े मुद्दे

- **निजीकरण करने से दक्षता सुनिश्चित नहीं होती: रंगराजन समिति की वर्ष 1993 की रिपोर्ट के अनुसार**, केवल सार्वजनिक से निजी क्षेत्र में स्वामित्व का परिवर्तन करना ही दक्षता में सुधार की गारंटी नहीं देता है।
  - निजीकरण की सफलता **प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं नियामकों की प्रभावशीलता पर** निर्भर करती है।
  - स्वतंत्र एवं प्रभावी नियामक की अनुपस्थिति में, यह कॉर्पोरेट्स द्वारा एकाधिकार और अल्पाधिकार व्यवहार का कारण बन सकता है।
- **बेरोज़गारी दर में वृद्धि हो सकती है:** यह बड़े पैमाने पर श्रमिकों की छंटनी का कारण बन सकती है, इस वजह से वे अपनी आजीविका से वंचित हो सकते हैं।

VISION IAS

- **सार्वजनिक कोष को हानि:** पूर्व में विनिवेश प्रायः सार्वजनिक संपत्ति के न्यून मूल्यांकन एवं पक्षपात पूर्ण बोली पर आधारित होते थे, जिससे सरकारी खजाने को हानि होती थी।
  - वर्ष 2006 में प्रकाशित 9 PSUs की रणनीतिक बिक्रियों के CAG ऑडिट ने अधिशेष भूमि, सुविधाओं और अप्रत्यक्ष रूप में अपनी बैलेंस शीट पर परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के रूप में बिक्री प्रक्रिया में विशिष्ट कमियों को चिन्हित किया है।
- **बेहतर प्रदर्शन करने वाले PSUs की बिक्री:** नुकसान में चल रही इकाइयाँ आमतौर पर खरीदारों को आसानी से आकर्षित करने में विफल रहती हैं, विशेष रूप से गैर-प्रकटीकरण के साथ पूर्ण वित्तीय एवं सरकार से जुड़ी बिक्री के लिए कई शर्तों के कारण।
  - ह्रासमान नकदी / राजकोषीय दबाव जैसे अल्पकालिक अनिवार्यताओं के कारण विनिवेश का उपयोग अतिरिक्त संसाधनों को उत्पन्न करने के विकल्प के रूप में किया जाता है, यहां तक कि बेहतर प्रदर्शन करने वाली PSUs में भी रणनीतिक बिक्री का सहारा लिया गया है (जैसे- BPCL जैसी नवरत्न कंपनी)।

आगे की राह

- यह महत्वपूर्ण है कि PSUs की रणनीतिक बिक्री की प्रक्रिया को विनिवेश लक्ष्य और वित्तीय वर्ष की समय-सीमा न बांधा जाए, इसके बजाये इसे अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।
- विनिवेश प्रक्रिया को एक **सुपरिभाषित नीति पर आधारित** किए जाने की आवश्यकता है तथा PSUs का निजीकरण करने के लिए उपयुक्त मानदंड होने चाहिए।
- PSUs की क्षमता को देखते हुए, उनकी संपत्ति (भूमि, सुविधाएं एवं अमूर्त) का उचित मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता है।
  - PSUs के विनिवेश के समय मूल्यांकनकर्ता को केंद्र द्वारा पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक उपक्रम अपनी संपत्ति का एक विस्तृत रिकॉर्ड रख पाएं।
  - इसके अतिरिक्त, वास्तविक बोली प्रक्रिया के आरंभ होने से पूर्व सरकार द्वारा संभावित खरीदारों को लेखा-जोखा के पूर्ण एवं स्वच्छ सेट प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि बिक्री उपरांत के दावों को कम किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त, पूर्णतया निजीकरण के स्थान पर PSUs परिसंपत्तियों के विमुद्रीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **घरेलू एवं विदेशी दोनों खरीदारों** को राज्य के लिए स्वतंत्र रूप से बोली लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

3.4. वित्त संबंधी अन्य सुर्ख़ियाँ (Other Financial News)

3.4.1. द्विपक्षीय नेटिंग (Bilateral Netting)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय बाजारों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने तथा प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधनियम, 2020 (The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020)** को अधिनियमित किया गया।

द्विपक्षीय नेटिंग के बारे में

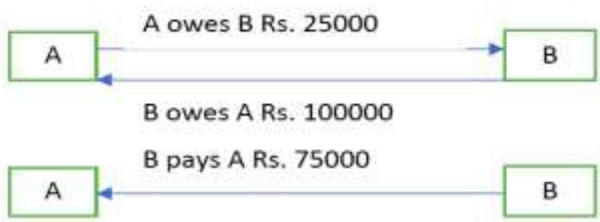

- द्विपक्षीय नेटिंग समझौते के माध्यम से किसी वित्तीय संविदा में शामिल **दो पक्षकार एक-दूसरे की देनदारियों का निपटान करते हैं।** इसके तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की बकाया राशि का एक बार में ही भुगतान किया जाता है।
  - **नेटिंग** से तात्पर्य दो पक्षों के मध्य होने वाले सौदे से उत्पन्न सभी दावों के निपटारे से है, जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष को देय या प्राप्य शुद्ध राशि का निर्धारण करता है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- इसी प्रकार, **बहुपक्षीय नेटिंग समझौते (multilateral netting agreement)** के अंतर्गत एक केंद्रीय प्रतिपक्ष (Central Counterparty: CCP) के माध्यम से विभिन्न पक्षकार एक-दूसरे की देनदारियों का निपटारा करते हैं। भारत में भुगतान तथा निपटान प्रणाली (संशोधन) अधिनियम, 2015 {Payment and Settlement Systems (Amendment) Act, 2015} के अंतर्गत इसकी सुविधा प्रदान की गयी है।
- ज्ञातव्य है कि पहले, **भारतीय वित्तीय संविदा कानून के अंतर्गत द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति नहीं दी गयी थी।** हालांकि, बहुपक्षीय नेटिंग की अनुमति प्रदान की गई थी।

- भारत में, कुल वित्तीय संविदा में द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संविदाओं (कॉन्ट्रैक्ट्स) का हिस्सा क्रमशः **40 प्रतिशत** और **60 प्रतिशत** है।
- **विकसित अर्थव्यवस्थाओं में नेटिंग बहुत सामान्य है,** जहां द्विपक्षीय या बहुपक्षीय नेटिंग के मामले में नेट पोजीशन (न कि ग्रॉस पोजीशन) के आधार पर दावों का निपटान किया जाता है।
  - वर्तमान में, **संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर और मलेशिया** जैसे देशों में नेटिंग समझौतों के लिए कानूनी प्रावधान विद्यमान हैं।
- **वित्तीय स्थिरता बोर्ड (Financial Stability Board: FSB)** और **बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति (Basel Committee on Banking Supervision)** जैसे वैश्विक नियामकों ने ऐसी नेटिंग के उपयोग का समर्थन किया है।

"अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधनियम, 2020" के बारे में

- यह अधिनियम **अर्हक वित्तीय संविदाओं (QFCs)** की द्विपक्षीय नेटिंग के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करने का प्रावधान करता है। उल्लेखनीय है कि QFC ओवर द काउंटर डेरिवेटिव (OTC) संविदा होते हैं।
- **यह अधिनियम निम्नलिखित के बारे प्रावधान करता है:**
  - केंद्र सरकार या कुछ विनियामक प्राधिकरणों को किसी **द्विपक्षीय समझौते** या संविदा या लेन-देन, या अन्य प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को QFC के रूप में घोषित करने का अधिकार दिया गया है।
  - इसमें नेटिंग समझौते की शर्तों से बाहर निकलने के लिए **कुल देय राशि का निर्धारण करने के बारे में उपबंध** शामिल हैं।

इस कदम का महत्व

- इससे बैंकों को अपने **ऋण जोखिम एवं नियामकीय पूंजी बोझ को कम करने** में सहायता मिलेगी तथा वे अन्य उत्पादक गतिविधियों में अपनी पूंजी का निवेश कर सकते हैं। साथ ही, बैंकों को इससे चूक (defaults) की स्थिति में प्रणालीगत जोखिम को कम करने में सहायता मिलेगी।
  - द्विपक्षीय नेटिंग के अभाव में भारतीय बैंकों को OTC बाजार में भाग लेने के कारण पूँजी की एक बड़ी राशि को अलग रखना पड़ता था, जिससे बाजार में भाग लेने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।
  - पूंजी की इस बचत से भारतीय बैंक भारत में व्यवसायों के लिए हेजिंग साधन उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकेंगे तथा क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप (CDS) बाजार के विकास के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार को बढ़ावा दे सकेंगे।
- यह बैंकों, प्राथमिक डीलरों तथा अन्य बाजार निर्माताओं के लिए **हेजिंग लागत और तरलता की आवश्यकता को कम करता है।** इससे जोखिम के विरुद्ध बचाव के लिए **ओवर-द-काउंटर (OTC) डेरिवेटिव** बाजार में भागीदारी को प्रोत्साहन मिलेगा।
  - **CDS बाजार** में भागीदारी के बढ़ने से कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।
- इससे किसी प्रतिपक्ष के डिफ़ॉल्ट (चूक) होने की स्थिति में वित्तीय संविदाओं के लिए एक **कुशल पुनर्प्राप्ति तंत्र (efficient recovery mechanism) विकसित होगा।**
- इससे OTC डेरिवेटिव बाजार के मामले में वैश्विक विनियामकीय सुधारों को अपनाने के लिए **G-20 और FSB के समक्ष भारत द्वारा की गयी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में मदद मिलगी।**
  - एक सुदृढ़ नेटिंग प्रणाली सामान्य रूप से एक उन्नत डेरिवेटिव बाजार को निर्मित करती है, क्योंकि यह एक **कंपनी की वित्तीय स्थिति, ऋण शोधन क्षमता (solvency) और तरलता जोखिम (liquidity risk)** का सबसे सटीक चित्र प्रस्तुत करती है।

3.4.2. सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केन्द्रीय बजट सत्र के दौरान, वित्त मंत्री ने सामाजिक उद्यमों और गैर-लाभकारी संस्थाओं को धन जुटाने में सहयोग करने हेतु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के विनियामकीय अधिकार-क्षेत्र के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज (Social Stock Exchange: SSE) को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) के बारे में

- यह **इलेक्ट्रॉनिक रूप से फंड जुटाने** के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, जो निवेशकों को सामाजिक उद्यमों के शेयरों को खरीदने की अनुमति प्रदान करता है। ऐसे शेयरों की एक्सचेंज द्वारा गहन जांच (vetted) की जा चुकी होती है।

VISION IAS

- सामाजिक उद्यम, राजस्व का सृजन करने वाला एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसका प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है, उदाहरण के लिए- स्वास्थ्य सेवा या स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करना।
- यह निवेश और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा फंड जुटाने हेतु क्राउडसोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।
- विश्व स्तर पर, लगभग 10 SSEs की स्थापना की गई है, जिसमें कनाडा, यू.के., सिंगापुर, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, पुर्तगाल, मैक्सिको, ऑस्ट्रिया और जमैका शामिल हैं।

सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (SSE) से लाभ

- **यह सामाजिक विकास के लिए** दाताओं (donors), परोपकारी संस्थाओं, CSR पर व्यय करने वालों तथा इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स की ओर से पूंजी जुटाने में सहयोग करेगा। ब्रूकिंग्स इंडिया के अनुसार, **वर्तमान में केवल 57 प्रतिशत सामाजिक उद्यमों** को ऋण तथा शेयरों तक पहुँच प्राप्त है, जो उनके विकास एवं संधारणीयता के मार्ग में एक महत्वपूर्ण अवरोध है।
- SSEs पर सामाजिक उद्यमों को सूचीबद्ध करने से, बड़े निवेशकों व परोपकारी संगठनों के लिए सामाजिक उद्यमों तक पहुँच स्थापित करने में मदद मिलेगी। साथ ही, SSEs सामाजिक क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों को बेहतर समझ प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे।
- सामाजिक उद्यमों की विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए **बैंक, NBFCs व अन्य निवेशक भी SSEs के माध्यम से पूंजी जुटा सकते** हैं।
- SSE अनिवार्य सामाजिक सेवाओं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में अधिकाधिक पूंजी उपलब्ध कराकर उनमें सुधार को बढ़ावा दे सकता है।
- SSEs के माध्यम से बड़ी मात्रा में सामाजिक पूंजी एकत्र किए जाने की संभावना है। इससे मिश्रित वित्त संरचना का प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रकार, कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों के तत्काल समाधान हेतु पारंपरिक पूंजी के साथ-साथ सामाजिक पूंजी का भी उपयोग किया जा सकता है।

SSE को स्थापित करने में आने वाली चुनौतियाँ

- **सामाजिक उद्यम की प्रकृति एवं कार्यप्रणाली के बारे में अभी तक कोई आम सहमति नहीं बन पाई** है अर्थात् यह पूर्णतः तय नहीं किया जा सका है कि कौन-सी गतिविधियां सामाजिक उद्यम के अंतर्गत आएगी। हालांकि, प्रोफ़ेसर मुहम्मद यूनुस ने सामाजिक व्यवसाय की जो परिभाषा दी है, उसे अपनाया जा सकता है। उनके अनुसार, यह "एक हानि-निरपेक्ष, लाभांश का भुगतान न करने वाली एक कंपनी है, जिसका निर्माण व अभिकल्पना किसी सामाजिक समस्या का समाधान करने हेतु किया गया है।"
- **सामाजिक पहलों,** कल्याणकारी व गैर-लाभकारी संगठनों का मूल्यांकन एक कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए कोई निर्धारित मानदंड या एक-समान संरचनाएं उपलब्ध नहीं हैं, जो इन्हें सूचीबद्ध करने की न्यूनतम सीमा निर्धारित कर सकें।
- समता पूंजी (Equity capital) के अतिरिक्त, सामाजिक उद्यमों को विशेष तौर पर अपनी कार्यशील-पूंजी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, **परंतु केवल कुछ ही निजी निवेशक हैं जो इन उद्यमों को उनके प्रारंभिक चरणों में ऋण प्रदान करते** हैं।
- भारत में **2 मिलियन से अधिक सामाजिक उद्यम** (गैर-लाभकारी, लाभकारी व मिश्रित मॉडल के अंतर्गत) कार्यरत हैं। अतः SSE की रूप-रेखा के निर्माण के समय उनका सावधानीपूर्ण अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है।

सेबी द्वारा गठित पैनल की प्रमुख अनुशंसाएं

- **देश में SSEs को बढ़ावा देने के लिए करों में रियायत प्रदान करना,** जैसे- प्रतिभूति लेन-देन कर (Securities Transaction Tax: STT) व पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax: CGT) में छूट देना।
- परोपकारी दाताओं को उनके निवेश पर **कर में 100 प्रतिशत छूट प्रदान करना।**
- **पहली-बार निवेश करने वाले खुदरा निवेशकों को उनके निवेश पर 100 प्रतिशत कर छूट (tax exemption)** उपलब्ध करायी

VISION IAS

जानी चाहिए।

- **100 करोड़ रूपये के निवेश के माध्यम से "क्षमता निर्माण कोष" (capacity building fund)** का सृजन करना, ताकि एक **क्षमता निर्माण इकाई (capacity building unit)** की स्थापना की जा सके, जो समग्र क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करेगी।
- **SSE में सूचीबद्ध गैर-लाभकारी संगठनों (Non-Profit Organisations: NPOs) को किए गए वित्त-पोषण** को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility: CSR) के रूप में देखा जाना चाहिए।
- सोशल स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से **उच्च या अधिशेष CSR अदायगी वाली कंपनियों** तथा **निम्न CSR अदायगी वाली कंपनियों** के मध्य **CSR अदायगियों के क्रय-विक्रय को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- इसने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए **रिपोर्टिंग तथा प्रकटीकरण की रूपरेखा** के संबंध में भी सुझाव दिया है।
- **SSE को विद्यमान अवसंरचना व ग्राहक संबंधों का लाभ उठाने के लिए** बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है।

आगे की राह

- **सामाजिक प्रभाव आकलन (Social impact assessment)** को सामाजिक पहलों, कल्याणकारी एवं गैर-लाभकारी संगठनों के आकलन के एक उपाय के रूप में अपनाया जा सकता है।
- निवेशकों को समर्थन प्रदान करने तथा लघु सामाजिक उद्यमों के लिए अनुसंधान एवं विकास को सुविधाजनक बनाने हेतु **नीतिगत व नियामक सुधार** किए जाने चाहिए।
- सामाजिक तथा वित्तीय प्रतिफल दोनों के आधार पर की गई मूल्यांकन प्रणालियों के संबंध में **बाजार सहभागियों को जागरूक** किया जाना चाहिए।
- **पारदर्शिता तथा जवाबदेही** सुनिश्चित करने के लिए **नीति आयोग के दर्पण पोर्टल** के समान, किसी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का सृजन करना चाहिए, जो स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों तथा सरकारी मंत्रालयों के मध्य इंटरफ़ेस हेतु एक मंच प्रदान करेगा।

3.4.3. महामारी जोखिम पूल (Pandemic Risk Pool)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) के एक कार्यदल ने भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों से होनी वाली क्षति के लिए कवरेज प्रदान करने हेतु सार्वजनिक-निजी-सरकारी भागीदारी के साथ एक भारतीय महामारी जोखिम पूल (Indian Pandemic Risk Pool) स्थापित करने की सिफारिश की है।

महामारी जोखिम पूल क्या है?

- **पूल का तात्पर्य बीमा कंपनियों के एक साथ आने से है।** जब बीमित व्यक्ति के समक्ष जोखिम उत्पन्न होता है तो उसके द्वारा किए गए दावों को पूरा करने के लिए ये कंपनियां पहले से ही अपने व्यवसाय के अनुपात में धन एकत्रित की हुई होती हैं। इस तरीके को अपनाने से, दावों का भुगतान पूल के सभी प्रतिभागियों के बीच साझा हो जाता है।
- इस पद्धति का अनुसरण तब किया जाता है **जब किसी बीमा कंपनी के लिए जोखिम के विषय में बहुत अधिक अनिश्चितता होती है,** जैसे कि परमाणु जोखिम, या जब नुकसान बहुत अधिक होता है। ऐसे में कंपनियां पॉलिसी जारी करना नहीं चाहती हैं।
- वर्तमान में, कोविड-19 की पृष्ठभूमि में इसका सुझाव दिया गया था, जिसने **न केवल स्वास्थ्य बल्कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है।** इनमें विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, परिवहन, निर्माण, सेवाएं, कृषि एवं कई अन्य गतिविधियाँ सम्मिलित हैं, तथा इसका प्रभाव यहीं तक सीमित नहीं है।
- इस प्रकार, एक जोखिम पूल **भौतिक क्षति, आय व आजीविका की हानि** तथा अन्य महामारी संबंधी क्षति, जो वर्तमान में भारत में बीमित नहीं की जाती है, को बिना **व्यावसायिक रुकावट से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।**

पूल संरचना के लाभ

- **कवरेज की वहनीयता:** महामारी जैसी घटना के जोखिम से प्रभावित देश के एक बड़े हिस्से को शामिल किए जाने से एक बीमा कंपनी की कुल लागत कम हो जाएगी।

VISION IAS

- **जोखिम विविधीकरण:** अनिवार्य आधार पर देश के सभी MSMEs के लिए कवरेज प्रदान करने वाला एक एकल पूल जोखिमों के अधिक विविध पोर्टफोलियो का निर्माण करेगा।
- **पुनर्बीमा की कम लागत:** सरकार की भागीदारी के स्तर में वृद्धि के कारण पुनर्बीमा की लागत में गिरावट आती है। अत:, सार्वजनिक भागीदारी के चलते जोखिमों के एकल व विविध पूल के पुनर्बीमा की लागत भी कम होगी।
- **निजी बीमा कंपनियों की भूमिका को अधिकतम करना:** महामारी पूल का उद्देश्य समय के साथ, कवरेज प्रदान करने में निजी बाजारों के योगदान को अधिकतम करना होना चाहिए।
- **एंटी-सेलेक्शन (विरोधी/प्रतिकूल चयन):** एक महामारी पूल के माध्यम से अनिवार्य कवर का प्रावधान एंटी-सेलेक्शन की संभावना को समाप्त कर सकता है। एंटी-सेलेक्शन तब होता है, जब एक कर्मचारी या कर्मचारियों का एक समूह एक बीमा कंपनी की कीमत पर संभावित नुकसान से अधिक का कवर खरीदता है या चुनता है।

4. बैंकिंग एवं भुगतान (Banking and Payments)

4.1. तनावग्रस्त परिसंपत्तियां और उनकी पुनर्रचना (Stressed Assets and Their Restructuring)

परिचय

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को RBI द्वारा विशेष उल्लेख खाता (Special Mention Accounts: SMA), एन.पी.ए. (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां), हानि पूंजी (Loss assets) इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन वर्गीकरणों के अधीन रहते हुए ऋणदाताओं द्वारा तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए कई उपाय अपनाए जा सकते हैं, जैसे- परिसंपत्तियों को **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)** के अधीन रखना, **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act: SARFAESI Act), 2002** के अंतर्गत अचल संपत्ति को कब्जे लेना और बेचना या **कंपनी अधिनियम की धारा 230-232 के अंतर्गत कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम** का उपयोग करना।

RBI के अनुसार पूंजी वर्गीकरण

- **SMA-0:** ये वैसे खाते हैं, जहाँ मूलधन या ब्याज भुगतान 30 से अधिक दिनों से बकाया नहीं होता है लेकिन खाता अकस्मात तनाव के लक्षण दिखाता है।
- **SMA-1:** ये वैसे खाते हैं, जहाँ मूलधन या ब्याज भुगतान 31-60 दिन के बीच तक बकाया रहता है।
- **SMA-2:** ये वैसे खाते हैं, जहाँ मूलधन या ब्याज भुगतान 61-90 दिन के बीच तक बकाया रहता है।
- **NPA:** ये वैसे खाते हैं, जहाँ मूलधन या ब्याज भुगतान 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए बकाया होता है (या छोटी अवधि के दो फसल मौसम और लंबी अवधि का एक फसल मौसम)।
- **अवमानक परिसंपत्तियां (Substandard Assets):** वैसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए NPA बनी हुई हैं।
- **संदिग्ध परिसंपत्तियां (Doubtful Assets):** वैसी परिसंपत्तियां जो 12 महीने की अवधि तक अवमानक की श्रेणी में बनी रहती हैं।
- **हानि परिसंपत्तियां (Loss Assets):** ऐसी परिसंपत्तियां जहां बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों या RBI की जांच द्वारा हानि को चिन्हित किया गया है लेकिन राशि को पूरी तरह से अपलिखित (written off) नहीं किया गया है।

तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के उच्च प्रतिशत के कारण

- **उधारकर्ता पक्ष (Borrower's side):** घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्लोडाउन (गिरावट), जानबूझकर चूक (willful default), उधारकर्ताओं द्वारा ऋण दस्तावेजों में उल्लेखित उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए फंड का उपयोग करना तथा विशिष्ट मुद्दे, जैसे- कच्चे माल की कीमत में अस्थिरता और विद्युत-शक्ति की उपलब्धता में कमी इत्यादि।
- **बैंक पक्ष (Bank's side):** ऋण देने की खराब प्रथाएं (जैसे- खराब ऋण इतिहास वाले उधारकर्ता को ऋण देना), परियोजनाओं के मूल्यांकन की अपर्याप्त क्षमता और नियमित औद्योगिक दौरों का अभाव।
- **अन्य बाह्य कारक:** प्राकृतिक आपदाओं (जैसे- कोविड-19) से प्रभावित किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति, अप्रभावी रिकवरी ट्रिब्यूनल, सरकारी नीतियों में लगातार बदलाव और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रशासनिक बाधाएं।

NPA समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम- 4R रणनीति:

- **पारदर्शी तरीके से NPA का संज्ञान लेना (Recognising NPAs transparently):**
  - परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा (Asset Quality Reviews) और संयुक्त ऋणदाता मंच (Joint Lenders' Forum) के माध्यम से।
  - बैंकों को अब ऊधारकर्ता से **लीगल इंटिटी आइडेंटीफायर (LEI)** नंबर लेना आवश्यक होगा तथा इसकी जानकारी **सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इनफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट** को देनी होगी।
- **तनावग्रस्त खातों से समाधान और वसूली मूल्य (Resolving and recovering value):**
  - इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 लागू किया गया है।

VISION IAS

- RBI को सशक्त करने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 में संशोधन।
- सेक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सेक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें संशोधन।
- प्रोजेक्ट सशक्त: बाजार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से NPA की समस्या का समाधान करने के लिए।

- **पुनर्पूंजीकरण (Recapitalizing):**
  - भारत सरकार ने 2.11 लाख करोड़ रूपये की राशि के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों (PSBs) के पुनर्पूंजीकरण की घोषणा की है। इसमें से कुछ राशि सरकार की ओर से और शेष बाजार से बैंकों द्वारा पूंजी प्राप्त कर जुटाई जाएगी।
  - बैंकिंग प्रणाली की मांग और समय दोनों जमाओं की वृद्धि में तेजी दर्ज की गई है, जिससे वर्ष 2018-19 में कुल जमाओं में 9.6% की वृद्धि हुई है।
- उत्तरदायी एवं स्वच्छ प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए **बैंक और वित्तीय परितंत्र में सुधार (Reforms in banks and financial ecosystem)।**
  - **मिशन इंद्रधनुष, 2015 के अंतर्गत PSBs के रूपांतरण** की व्यापक रूपरेखा।
  - PSB सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत, सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों ने वसूली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए **स्ट्रेस्ड असेट मैनेजमेंट वर्टिकल्स** को सृजित किया है तथा 250 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण खाते की निगरानी विशेषज्ञ निगरानी एजेंसियों को सौंप दी है।
  - **भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (Fugitive Economic Offenders Act), 2018:** इसे भारतीय न्यायालयों के अधिकारक्षेत्र से बाहर जाकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने की अपराधियों की चाल को रोकने के लिए लाया गया है।

आगे की राह

- **जोखिम प्रबंधन (Managing Risks):** PSBs में जोखिम मैनेजमेंट प्रक्रिया में अभी और अधिक सुधार की जरूरत है। इसका अनुपालन अब भी पर्याप्त नहीं है तथा साइबर जोखिम पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
- **परियोजना मूल्यांकन की प्रक्रिया में सुधार और निगरानी** ताकि NPAs के जोखिम को कम किया जा सके। परियोजना मूल्यांकन में उल्लेखनीय रूप से आंतरिक विशेषज्ञता लायी जा सकती है।
- **वसूली प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना:** न्यायालय के बाहर पुनर्रचना की प्रक्रिया और दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को तेज और मजबूत करने की जरूरत है।
- **पूंजी डालना (Infusion of Capital):** सरकार को बैंक के पुन:पूंजीकरण के लिए एक बार में ही जितनी अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है डाल देनी चाहिए, कई किश्तों में इस पूंजी को उपलब्ध कराना सहायक सिद्ध नहीं होगा।

कोविड-19 जनित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों की पुनर्रचना

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा गठित के. वी. कामथ समिति ने कोविड-19 महामारी के कारण तनावग्रस्त बैंक ऋणों के समाधान प्रारूप पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

इस समिति के प्रमुख निष्कर्ष

- इसने इस बात को माना है कि कोविड-19 महामारी ने अधिकांश कंपनियों को प्रभावित किया है, अन्यथा कोविड-19 पूर्व परिदृश्य में इनके कारोबार अच्छी तरह चल रहे थे। इसका प्रभाव कई क्षेत्रों में व्यापक है, लेकिन इनकी गंभीरता अलग-अलग – हल्की, मध्यम और गंभीर – है।
  - **इन खातों को हल्के, मध्यम और गंभीर तनावग्रस्त के अंतर्गत अलग-अलग रखने** का वर्गीकृत दृष्टिकोण **त्वरित बदलाव को सुनिश्चित कर सकता है।**
- कोविड-19 के कारण **बैंकिंग क्षेत्र के लगभग 70% ऋण प्रभावित हुए** हैं। आगे कहा गया है कि इसमें से 45% महामारी के पहले ही तनावग्रस्त हो गए थे और केवल 30% ही कोविड-19 और उसके बाद लगने वाले लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए हैं।
- असाधारण और गंभीर प्रभाव के आधार पर **समिति ने विद्युत-शक्ति, निर्माण, NBFCs और रियल एस्टेट समेत 26 क्षेत्रों को** समाधान योजना में सम्मिलित करने के लिए वित्तीय मापदण्डों की संस्तुति के उद्देश्य से चुना है।

VISION IAS

4.1.1. ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालियापन संहिता का निलंबन {Suspension of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उद्योग जगत को राहत पहुँचाने के लिए **IBC में संशोधन करने हेतु एक अध्यादेश को स्वीकति दी गई,** क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियां बहुत अधिक प्रभावित हुई हैं।

IBC की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं:

- **इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:** सभी व्यक्ति, कंपनियां, सीमित दायित्व भागीदारी (Limited Liability Partnership: LLP) और साझेदारी फर्में।
- **न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (Adjudicating authority):** कंपनियों और LLP के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT); तथा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए ऋण वसूली अधिकरण (Debt Recovery Tribunal: DRT)।
- फर्म के किसी भी हितधारक, यथा- फर्म/देनदार/लेनदार/कर्मचारी द्वारा ऋणशोधन अक्षमता समाधान **प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है।**
- जब न्यायनिर्णयन प्राधिकारी इसे स्वीकार करता है, तो एक ऋणशोधन अक्षमता समाधान पेशेवर (Insolvency resolution Professional: IP) की नियुक्ति की जाती है।
- **फर्म के प्रबंधन और बोर्ड की शक्तियों को लेनदारों की समिति (Committee of Creditors: CoC) को हस्तांतरित** कर दिया जाता है। CoC में कॉर्पोरेट ऋणी के सभी वित्तीय लेनदार सम्मिलित होते हैं।
- IP को यह निर्णय लेना होता है कि **कंपनी को पुनर्जीवित करना (ऋणशोधन अक्षमता समाधान) है या उसका परिसमापन (liquidate) करना है।** यदि IP द्वारा कंपनी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया जाता है, तो उन्हें फर्म खरीदने के लिए इच्छुक किसी व्यक्ति को तलाशना होता है।
- जिस पार्टी के पास सर्वश्रेष्ठ समाधान योजना होती है, और जो लेनदारों के बहुमत को स्वीकार्य होता है (यहाँ महत्वपूर्ण निर्णय के लिए 66 प्रतिशत और नियमित निर्णय के लिए 51 प्रतिशत मत की आवश्यकता होती है) उसे IP द्वारा फर्म का प्रबंधन सौंप दिया जाता है।
- इस संहिता के अंतर्गत ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए **180 दिनों** का समय निर्धारित है। मामला जटिल होने पर यह अवधि **90 दिनों** तक बढ़ायी जा सकती है। यदि समय सीमा के भीतर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाता है, तो फर्म का परिसमापन कर दिया जाता है।

इस कदम का औचित्य

- **कोविड-19 के कारण आर्थिक दबाव:** वर्तमान में उद्योग क्षेत्रक को अनेक समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मांग में कमी, श्रम की अनुपलब्धता, अनुबंध पूरा करने में अक्षमता आदि। इसके अतिरिक्त, आतिथ्य-सत्कार (hospitality) या विमानन जैसे सेवा क्षेत्रक को ग्राहकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस आर्थिक गिरावट के फलस्वरूप भारतीय कॉर्पोरेट्स निरंतर संकटग्रस्त और ऋण के बोझ तले दबता जा रहा है, जिससे डिफ़ॉल्ट की घटनाओं में वृद्धि होगी।
- **IBC के कठोर प्रावधान:** IBC के अंतर्गत, एक इकाई पुनर्भुगतान (1 करोड़ से अधिक) में मात्र एक दिन के विलंब की स्थिति में किसी भी कंपनी के विरूद्ध ऋणशोधन अक्षमता कार्यवाही की मांग कर सकती है। **लेनदार नियंत्रित व्यवस्था (Creditor-in-Control regime) के दृष्टिकोण** और **समाधान की सख्त समय-सीमा** ने ऐसा परिवेश बनाया है, जहां कॉर्पोरेट देनदार IBC से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अक्षमता कार्यवाही आरंभ होने से उन्हें अपने व्यवसाय के प्रबंधन पर नियंत्रण खोना पड़ सकता है।
- **ऋण की वसूली से संबंधित चिंताएं:** वर्ष 2016 में इस कानून के अधिनियमन के बाद से IBC के अंतर्गत सुलझाए गए कुल 221 मामलों में मात्र 44 प्रतिशत ऋण की वसूली हुई है। इसके अतिरिक्त, सुलझाए गए मामले और परिसमापन मामलों का अनुपात क्रमशः 1:4 है। परिसमापन की स्थिति में ऋण वसूली 15-25 प्रतिशत के मध्य ही रहती है। इसका अर्थ है कि लेनदारों को अपने ऋण की वसूली में अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।
- **न्यायपालिका पर मुकदमेबाजी का भारी दबाव:** न्यायिक प्रणाली आर्थिक गिरावट के चलते आरंभ होने वाले मामलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के बोझ को संभालने में सक्षम नहीं होगी।

VISION IAS

IBC के निलंबन के संबंध में चिंताएं

- **समाधान (resolution) के बिना देयताओं में विस्फोटक वृद्धि:** चूँकि अब लेनदार और यहां तक कि कॉर्पोरेट आवेदक भी ऋणशोधन अक्षमता कार्यवाही आरंभ नहीं कर सकते हैं, अतः इससे एक व्यवसायी को अपने व्यवसाय से **बाहर निकलने पर प्रतिबंध आरोपित** हो गया है। इससे कंपनियों का बाजार मूल्य कम हो सकता है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है।
- **वैकल्पिक ऋण समाधान तंत्र का उपयोग:** IBC के निलंबन से **तीव्र समाधान और ऋण की अधिकतम वसूली** संभव नहीं हो पाएगी तथा लेनदारों को डिफ़ॉल्ट से निपटने के लिए पुरानी तदर्थ प्रणाली (बॉक्स देखें) की ओर रुख करने के लिए विवश होना पड़ेगा।
- **बढ़ता NPAs (गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां):** किसी निश्चित एवं सामयिक समाधान के अभाव में, बैंकिंग क्षेत्रक के NPAs में वृद्धि हो सकती है, जिससे **ब्याज दरों में भी वृद्धि** हो सकती है, **निवेश और ऋण चक्र में बाधा** उत्पन्न हो सकती है तथा **निवेशकों का विश्वास** कम हो सकता है। इससे दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि बाधित होगी।
- **बैंकों के लिए उच्च प्रोविजनिंग मानदंड:** RBI द्वारा जारी **"तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के विवेकपूर्ण ढांचे" (Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets)** के तहत यह प्रावधान है कि ऋणी की ओर से चूक (डिफ़ॉल्ट) की घटना होने पर देनदार द्वारा प्रथम दृष्टया ऋणी की समीक्षा की जाएगी। यह **समाधान योजना (resolution plan) के कार्यान्वयन में विलंब** या **ऋणशोधन अक्षमता कार्यवाही आरंभ करने** के लिए **अतिरिक्त प्रोविजनिंग (additional provisioning) के संबंध में उपबंध** करता है। इससे बैंकों पर पूंजीगत दबाव में वृद्धि होती है।
  - हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में **ऋणों के 'विशेष प्रावधान' (special provisioning)** के रूप में कुछ छूट प्रदान की है, जो कि अधिस्थगन अवधि में हैं।
- **दुरुपयोग की संभावना:** चूंकि निलंबन अवधि में होने वाली चूक के लिए IBC के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ नहीं की जा सकती है, इसलिए:
  - बकाया चुकाने की क्षमता रखने वाली कंपनियों के प्रवर्तक **इस अवधि के दौरान चूक कर सकते** हैं और IBC के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराए जाने से भी बच सकते हैं।
  - चूंकि, केवल महामारी से संबंधित मामलों को ही इस राहत का लाभ मिलेगा, इसलिए इसका उचित रूप से निर्धारण एक कठिन कार्य होगा।
  - इससे विक्रेताओं और आपूर्तिकर्ताओं जैसे **ऑपरेशनल लेनदार** प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, क्योंकि वे ऋणशोधन अक्षमता कार्यवाही आरंभ कराने में सक्षम नहीं होंगे। ऐसे में कॉर्पोरेट देनदारों से बकाया राशि का भुगतान प्राप्त करने में उन्हें कृत्रिम विलंब का सामना करना पड़ सकता है।
- **गारंटी देने वाले कंपनी के किसी व्यक्ति के लिए IBC का निलंबन नहीं किया गया है:** यदि कंपनी के प्रमोटरों ने अपने उधारदाताओं को व्यक्तिगत गारंटी प्रदान की है, तो उन्हें अभी भी IBC के अंतर्गत इन्सॉलवेंसी कोर्ट में ले जाया जा सकता है।

आगे की राह: अन्य देशों द्वारा अपनाए गए वैकल्पिक तंत्र

- **जर्मनी:** कॉर्पोरेट देनदारों को अग्रलिखित दो शर्तों को पूर्ण करने पर ऋणशोधन अक्षमता कार्यवाही को निलंबित किया जा रहा है। प्रथम, इन्सॉलवेंसी का कारण महामारी के प्रभावों पर आधारित होना चाहिए। द्वितीय, कंपनी के पुनर्गठन की संभावनाओं की संवीक्षा की जाएगी।
- **यूनाइटेड किंगडम:** लेनदार की स्वीकृति के बिना ऋण स्थगन की अनुमति बहुत कम मामलों में दी गई है।
- **सिंगापुर:** स्थगन का लाभ प्राप्त करने हेतु कॉर्पोरेट देनदारों को यह साबित करना होगा कि वे कोविड-19 महामारी के कारण संविदा निष्पादित करने में असमर्थ थे।

4.2. शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के सबसे बड़े शहरी सहकारी बैकों में से एक **पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (PMC) बैंक** से **धन निकासी पर प्रतिबंध** आरोपित किया है। RBI के इस कदम ने सहकारी बैंकों के संरचनात्मक एवं शासन-विधि से जुड़े मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने हेतु आरंभ में शहरी सहकारी बैंक (Urban Cooperative Banks: UCBs) के संपूर्ण भारत में विस्तार को प्रोत्साहित करने के पश्चात् वर्ष 2005 से RBI ने इनके अकुशल संचालन को संज्ञान में लेना आरंभ किया तथा UCBs के लिए नए लाइसेंस जारी करना बंद कर दिया।
    - वर्ष 2001 में अहमदाबाद का माधवपुरा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक भी विफल हो गया। इससे अन्य 210 UCBs के समक्ष भी संकट उत्पन्न हो गया और अंततः उनमें से कुछ के परिचालन को बंद कर दिया गया।
- UCBs की वित्तीय सुदृढ़ता का आकलन **CAMELS (पूंजी पर्याप्तता; संपत्ति की गुणवत्ता; प्रबंधन; अर्जन; सम्पत्ति; तथा प्रणाली एवं नियंत्रण)** की रेटिंग के आधार पर किया जाता है।
- इनमें से कई बैंकों के विफल होने और **RBI द्वारा कमजोर बैंकों के विलय को प्रोत्साहित किए** जाने के साथ भारत में परिचालित UCBs की संख्या वर्ष 2005 के 1,926 से कम होकर वर्ष 2018 तक 1,551 रह गई।
- RBI, इन **बैंकों की निगरानी करने हेतु प्रबंधन बोर्ड का गठन** कर इनके संचालन में सुधार करने का प्रयास करता है। हाल के, PMC बैंक संकट ने भारत में UCBs के प्रबंधन और विनियमन की खराब स्थिति को उजागर किया है।
- मार्च 2019 तक, 277 शहरी सहकारी बैंकों ने अपने व्यवसाय में हानि रिपोर्ट की है। जहां 105 शहरी सहकारी बैंक **न्यूनतम नियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ** हैं, वहीं 47 नकारात्मक निवल मूल्य प्रदर्शित कर रहे हैं तथा 328 शहरी सहकारी बैंक 15% से अधिक सकल गैर-निष्पादित आस्ति (NPA) अनुपात वाले हैं।

शहरी सहकारी बैंक (URBAN COOPERATIVE BANKS: UCB) के बारे में

- सहकारी बैंक (वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न) का विकास सहकारी ऋण समितियों की अवधारणा से हुआ है, जिसमें एक समुदाय के सदस्य सरल शर्तों के आधार पर एक-दूसरे को ऋण प्रदान करने के लिए एकजुट होते हैं।
- मुख्य रूप से, भारत में सहकारी बैंकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है- **शहरी** और **ग्रामीण।**
    - **ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान** या तो अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक प्रकृति के हो सकते हैं।
        - अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थानों को राज्य सहकारी बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, प्राथमिक कृषि साख समितियों (Primary Agricultural Credit Societies) में उप-विभाजित किया गया है।
        - दीर्घकालिक सहकारी ऋण संस्थानों का तात्पर्य या तो राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (SCARDBs) अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (PCARDBs) से है।
    - **UCBs** या तो अनुसूचित अथवा गैर-अनुसूचित होते हैं। अनुसूचित और गैर-अनुसूचित UCBs भी दो प्रकार के होते हैं - बहुराज्यीय और एक ही राज्य में संचालित शहरी सहकारी बैंक।
- UCBs को संबंधित राज्यों के सहकारी समिति अधिनियम या बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी समितियों के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
- ये बैंक नियमित बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं तथा शहरी व अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अवस्थित होते हैं।
- **विनियमन:** भारत में UCBs दोहरे विनियमन अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार के अधीन रजिस्ट्रार ऑफ़ को-ऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) द्वारा विनियमित होते हैं।
    - **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI):** बैंकिंग परिचालन का विनियमन एवं पर्यवेक्षण RBI द्वारा किया जाता है, जो उनकी पूंजी पर्याप्तता, जोखिम नियंत्रण, ऋण प्रदान करने संबंधी मानदंड, लाइसेंस, नई शाखाओं को खोलना आदि निर्धारित करता है।
        - ये निम्नलिखित दो कानूनों के अंतर्गत शासित हैं, यथा- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कानून (सहकारी समितियां) अधिनियम, 1955;
        - RBI द्वारा विकास संबंधी कार्य भी किए जाते हैं, जैसे कि शहरी सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त सुविधाएं प्रदान करना।
    - **सरकार:** पंजीकरण और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियाँ एक ही राज्य में संचालन के मामले में RCS द्वारा तथा UCB के एक से अधिक राज्यों में संचालन के मामले में केंद्रीय RCS द्वारा संचालित की जाती हैं।
- **शहरी सहकारी बैंकों का महत्व**
    - **शहरी वर्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति:** UCB का गठन मध्यवर्ग/निम्न मध्यवर्ग के मध्य मितव्ययिता और स्वयं सहायता को बढ़ावा देने तथा शहरी/अर्द्ध-शहरी केंद्रों में छोटे साधनों से लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

VISION IAS

- **वित्तीय समावेशनः** अपने स्थानीय अनुभव एवं परिचितता के कारण UCB की स्थापना ऋण तक पहुंच को आसान बनाने तथा वित्तीय समावेशन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।
- **आकर्षक ब्याज दरें०:** UCBs खुदरा बचतकर्ताओं और छोटे व्यवसायों के मध्य अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये बैंक जमाओं पर आकर्षक ब्याज दर प्रदान करते हैं, जो कि वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक होती हैं।
- **स्थानीय प्रकृतिः** अपने स्थानीय स्वरूप के कारण UCBs के लिए अपने वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्वियों की तुलना व्यावसायिक अवसरों के साथ-साथ उधारकर्ताओं की गुणवत्ता आदि की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है जो कि राष्ट्रीय स्तर के बैंकों के लिए कठिन कार्य है।

शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष विद्यमान मुद्दे

- **प्रबंधन संबंधी मुद्दे:**
  - इस प्रकार के बैंक कभी-कभी निहित राजनीतिक स्वार्थों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। इसका परिणाम अग्रलिखित रूप में परिलक्षित हो सकता है: नियुक्तियों में पक्षपात, फर्जी ऋणों की मंजूरी जिन्हें बाद में अपलिखित (written off) कर दिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को सहकारी बैंकों में अपने वेतन खाते खोलने के लिए बाध्य करना आदि।
- **विनियामक मुद्देः**
  - सहकारी बैंकों पर RBI का पर्यवेक्षण वाणिज्यिक बैंकों के समान कठोर नहीं होता है। आमतौर पर, राज्य सरकारें, सहकारी बैंकों का ऑडिट करती हैं जबकि RBI वर्ष में एक बार उनके लेखा-जोखा का निरीक्षण करता है।
  - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और आदेशों की उपेक्षा करने के मामले भी सामने आए हैं, जिसके कारण आँकड़ों में हेराफेरी करने संबंधी अनुचित प्रथाओं को बढ़ावा मिला है।
- **संरचनात्मक मुद्देः**
  - UCBs अधिकांश एकल-शाखा वाले बैंक होते हैं और इनमें सह-संबद्ध परिसंपत्ति जोखिम की समस्या विद्यमान रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो जाती है तो इसके कारण संपूर्ण बैंक विफल हो सकता है।
  - UCBs प्रायः एक-दूसरे को ऋण देने एवं उधार लेने में संलग्न होते हैं। इस स्थिति में, एक UCB की विफलता, वास्तव में अन्य बैंकों को भी अस्थिर बना सकती है।
  - इनका पूंजी आधार अत्यल्प होता है। उदाहरण के लिए, एक UCB को केवल 25 लाख रुपये के पूंजी आधार के साथ आरंभ किया जा सकता है, जबकि लघु वित्त बैंकों के लिए यह राशि 100 करोड़ रुपये है।
- **परिचालन संबंधी मुद्देः**
  - UCBs को एक अलग प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है (जो उनके सहकारी स्वरूप द्वारा प्रतिबंधित है), अर्थात् वे पूंजी प्राप्त करने हेतु नवीन इक्विटी जारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए, उनके पास पूंजी वृद्धि का एकमात्र उपाय उनके ग्राहकों के व्यवसाय में बढ़ोतरी के साथ संबद्ध है।
  - UCBs लघु वित्त बैंकों, पेमेंट्स बैंक, NBFCs और इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, वे जमाकर्ताओं को अनुचित रूप से उच्च ब्याज दर प्रदान करते हैं। इन ब्याज दरों का भुगतान करने में सक्षम होने के लिए UCBs द्वारा जोखिमपूर्ण एवं अस्थिर इकाइयों तक ऋणों का विस्तार किया जाता है। इससे UCBs के मध्य परस्पर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। साथ ही, गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPAs) एवं लाभप्रदता संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।
  - UCBs के संबंध में मुख्यधारा के बैंकों द्वारा सामान्य आक्षेप यह लगाया जाता है कि UCBs में व्यावसायिकता का अभाव है। प्रायः यह देखा जाता है कि स्थानीय लोगों को कार्य पर रखने से एक ओर जहां लागत को कम करने में सहायता मिलती है तथा संबंधित समुदायों एवं समूहों के साथ इन बैंकों की कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है, वहीं साथ ही, कई बार व्यावसायिक नैतिकता की भी उपेक्षा की जाती है और यह कमजोर नियमन का भी कारण बनता है।
  - UCBs में ऋण की कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं हैं। यहां तक कि एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में भी ऋण संबंधी नीति में भिन्नता देखी जाती है।

आर. गांधी समिति द्वारा सुझाए गए सुधार

जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा हेतु आर. गांधी की अध्यक्षता वाले पैनल ने निम्नलिखित सुधारों की अनुसंशा की हैं:

- बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 56 में संशोधन करना, ताकि सहकारी बैंकों के नियंत्रण हेतु अधिक अधिकार प्रदान किए जा सकें।
- सहकारी समिति कानूनों के अंतर्गत अन्य विनियामकों को सम्मिलित किए बिना विनियामक को बैंकों के समापन एवं परिसमापन

हेतु समर्थ बनाना।

- RBI को UCB में धन जमा करने वाले निर्धन लोगों के मध्य वित्तीय जागरूकता में सुधार करना चाहिए और उन्हें सूचित निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना चाहिए।

आगे की राह

- **निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया:** दक्षता में सुधार, पारदर्शिता व निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारी के प्रशासन, ऋण देने और नई सदस्यता से संबंधित निर्णय लेने संबंधी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।
    - इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए UCBs को सुदृढ़ प्रक्रियाओं, पेशेवर प्रबंधन और एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसका प्रोत्साहन व प्रेरणा पूर्णत: संदेह रहित हो।
- **प्रौद्योगिकी-समावेशन और स्मार्ट-बैंकिंग तकनीकों का परिनियोजन:** यह अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त प्राप्त करने तथा अपनी स्थिति को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण है।
- **UCBs के लिए एक अम्ब्रेला संगठन का गठन करना:** उन्हें वित्तीय रूप से अधिक लचीला बनाने और जमाकर्ताओं के विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रबंधन बोर्ड का गठन करना।
    - **वाई. एच. मालेगाम समिति** द्वारा UCBs में प्रबंधन बोर्ड की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी तथा **दोहरे विनियमन** को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था।
- **स्वतंत्र लेखा-परीक्षण:** माधव राव समिति के सुझावों के अनुसार, वाणिज्यिक बैंकों के समान ही स्वतंत्र बाहरी लेखा परीक्षकों द्वारा UCBs का लेखा-परीक्षण और निरीक्षण किया जाना चाहिए।
- **भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना:** शहरी सहकारी बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व, नियमों व विनियमों को लागू करना है तथा अपने बैंक के स्वस्थ विकास के साथ-साथ, शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की स्वस्थ वृद्धि के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों व विनियमों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना है।

4.2.1. बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 {Banking Regulation (Amendment) Bill, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किया है। इसका उद्देश्य सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं की रक्षा करना और सहकारी समितियों की बैंकिंग गतिविधियों को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को सशक्त बनाना है।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **सहकारी बैंकों द्वारा शेयरों और प्रतिभूतियों का निर्गमन:** सहकारी बैंक अपने सदस्यों या अपने परिचालन क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी अन्य व्यक्ति को अंकित मूल्य पर या प्रीमियम पर इक्विटी शेयर, अधिमानित शेयर या विशेष शेयर जारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंक ऐसे व्यक्तियों को दस या उससे अधिक वर्षों की परिपक्वता अवधि वाले असुरक्षित ऋण-पत्र (debentures) या बॉण्ड्स (बंधपत्र) या ऐसी ही प्रतिभूतियां जारी कर सकते हैं।
- **इस अधिनियम के उपबंधों से कुछ सहकारी बैंकों को छूट प्रदान करने की शक्ति:** RBI एक अधिसूचना के माध्यम से एक सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के समूह को इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट प्रदान कर सकता है। ये प्रावधान रोजगार, निदेशक मंडल की योग्यता और अध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित हैं।
- **निदेशक मंडल का हटाया जाना (Supersession of Board of Directors):** भारतीय रिज़र्व बैंक कुछ शर्तों के अंतर्गत पांच वर्ष तक के लिए बहु-राज्यीय सहकारी बैंक के निदेशक मंडल का स्थान ले सकता है। इन स्थितियों में ऐसे मामले सम्मिलित हैं जहां RBI द्वारा निदेशक मंडल को हटाया जाना और जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना जनहित में है।
    - किसी राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ को-ऑपरेटिव सोसायटीज (RCS) के पास पंजीकृत सहकारी बैंक की स्थिति में, RBI संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद, और एक निश्चित अवधि के भीतर निदेशक मंडल को हटा सकेगा। इस अवधि का निर्धारण RBI द्वारा किया जाएगा।
- **यह विधेयक बैंकों को ऋण स्थगन (moratorium) की स्थिति में डाले बिना** RBI को बैंकिंग समस्या को हल करने की अनुमति प्रदान करता है।
    - यदि केंद्रीय बैंक किसी बैंक पर ऋण स्थगन का आरोपण करता है, तो उस अवधि के दौरान बैंक कोई ऋण नहीं दे सकता है या किसी भी ऋण लिखत (credit instrument) में निवेश नहीं कर सकता है।

VISION IAS

- **अपवर्जन (Exclusions):** यह अधिनियम कुछ सहकारी समितियों पर लागू नहीं होता है। ये हैं:
    - प्राथमिक कृषि साख समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS),
    - सहकारी भूमि बंधक बैंक (cooperative land mortgage banks), और
    - इस अधिनियम में निर्दिष्ट सहकारी समितियों को छोड़कर अन्य सहकारी समितियां।

इस विधेयक का महत्व

- **यह UCBs की प्रबंधन संबंधी समस्या को संबोधित करता है:** सहकारी बैंकों को RBI के नियामकीय ढांचे के अंतर्गत लाकर, यह अधिनियम सहकारी समितियों के निम्न-स्तरीय प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा।
- **यह UCBs के पूंजी आधार को बढ़ाएगा:** सहकारी बैंकों को प्रतिभूतियों के माध्यम से पूंजी जुटाने की अनुमति देने के प्रावधान से उन्हें अपनी पूंजी आधार को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- **इससे सहकारी समितियों के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि होगी:** चूंकि, RBI द्वारा पहले कदम के रूप में ऋण स्थगन का आदेश जारी नहीं किया जाएगा, अतः इससे जनता के विश्वास में वृद्धि होगी और वे अपनी जमाओं की निकासी को लेकर चिंतित नहीं होंगे।
    - वर्तमान में, जब RBI को किसी बैंक में कुछ अनुचित प्रतीत होता है, तो वह उस पर ऋण स्थगन का आरोपण करता है और बैंक के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करता है।

सहकारी बैंकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के अन्य प्रयास

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की खराब होती वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए **पर्यवेक्षी कार्रवाई रुपरेखा (Supervisory Action Framework: SAF)** को **संशोधित करने** का निर्णय किया है, जो वाणिज्यिक बैंकों पर लागू त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (Prompt Corrective Action: PCA) ढांचे के अनुरूप होगा।
- उच्चतम न्यायालय (SC) की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया था कि **सहकारी बैंक (cooperative banks)** अपने चूककर्ताओं (defaulters) से ऋण की वसूली के लिए **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी अधिनियम)** का उपयोग कर सकते हैं और बकाया राशि वसूलने के लिए उनकी संपत्ति जब्त कर सकते और बेच सकते हैं।

4.3. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश {Revised Priority Sector Lending (PSL) Guidelines}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने उद्यमिता (entrepreneurship) और नवीकरणीय संसाधनों (renewable resources) को सम्मिलित करने के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (PSL) से संबंधित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending: PSL) क्या है और यह कैसे कार्य करता है?

'PSL' की अवधारणा **अर्थव्यवस्था में कुछ निर्दिष्ट क्षेत्रकों और गतिविधियों के लिए बैंकों की ऋण देने की क्षमता बढ़ाने के विचार** पर केंद्रित है। इसके माध्यम से बैंकों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे पर्याप्त और समय पर ऋण प्रदान कर ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करें।

PSL कार्यपद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- इसके तहत बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋणों पर **ब्याज की दर** समय-समय पर RBI के **बैंकिंग विनियमन विभाग** द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। हालांकि, **PSL दिशा-निर्देश** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक को दिए जाने वाले ऋणों के लिए **ब्याज की कोई अधिमानित दर** (preferential rate) निर्धारित नहीं करते हैं।
- PSL के प्रावधान **सभी वाणिज्यिक बैंकों {क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (Regional Rural Bank: RRB), लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank: SFB), लोकल एरिया बैंक} और प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों** पर लागू होते हैं। ये प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में परिचालन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त वेतन अर्जक बैंक पर लागू नहीं होते हैं।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिए ऋण का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, **बैंकों के अनुपालन की तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है।**

- **PSL लक्ष्यों की प्राप्ति में चूक की स्थिति में:**
    - प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लिए लक्षित ऋण से कम ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को नाबार्ड (NABARD) के तहत **ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (Rural Infrastructure Development Fund: RIDF)** और नाबार्ड / NHB / सिडबी (SIDBI) / मुद्रा (MUDRA) लिमिटेड की अन्य निधियों में, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, शेष राशि जमा करनी पड़ती है।
    - विभिन्न प्रयोजनों के लिए **विनियामकीय स्वीकृतियां/अनुमोदन** प्रदान करते समय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति या विफलताओं को ध्यान में रखा जाता है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण-पत्र (Priority Sector Lending Certificates: PSLCs)

- बैंकों को PSL के लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने के एवज में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है। PSL के लक्ष्य और उप-लक्ष्यों को प्राप्त करने में कमी आने पर अधिशेष वाले बैंकों से इन लिखतों (प्रमाण-पत्र) को खरीदा जा सकता है। इस प्रकार, यह अन्य बैंकों के लिए PSL लक्ष्यों और उप-लक्ष्यों की प्राप्ति को संभव बनाता है।
- **PSL तंत्र** के अंतर्गत, जोखिम या ऋण परिसंपत्तियों का कोई हस्तांतरण नहीं होता है।
- यह निर्धारित लक्ष्यों से अतिरिक्त उपलब्धि प्राप्त करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करता है, जिससे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक के लिए ऋण में वृद्धि होती है।

संशोधित PSL दिशा-निर्देशों में किए गए परिवर्तन

इसके लिए, RBI ने सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर **यू. के. सिन्हा** की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति तथा कृषि ऋण की समीक्षा करने के लिए **एम. के. जैन** की अध्यक्षता में गठित आंतरिक कार्य समूह द्वारा की गई अनुशंसाओं को भी इसमें शामिल किया है। संशोधित PSL दिशा-निर्देशों की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- PSL श्रेणी में **सम्मिलित नई श्रेणियां:**
    - **स्टार्ट-अप्स को 50 करोड़ रुपये तक का बैंक ऋण।**
    - **ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण।**
    - **कंप्रेस्ड बायो गैस (CBG) संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण।**
- क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए 'चिन्हित जिलों' में वृद्धिशील PSL को **उच्च भारांश** दिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के ऐसे जिलों में **PSL या ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है।**
    - तदनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 से, जिन चिन्हित जिलों में ऋण प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है, वहां वृद्धिशील PSL का भारांश बढ़ाकर 125% कर दिया जाएगा और जिन जिलों में ऋण प्रवाह अपेक्षाकृत अधिक है, वहां वृद्धिशील PSL के लिए भारांश को कम कर 90% कर दिया जाएगा।
- **लघु और सीमांत किसानों तथा कमजोर** वर्गों को दिए जाने वाले ऋण की सीमा को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जा रहा है।
- पूर्व निर्धारित कीमत पर अपनी उपज के सुनिश्चित विपणन के साथ कृषि कार्य करने वाले **किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organisations: FPOs) / किसान उत्पादक कंपनियों (Farmers Producers Companies: FPC) के लिए उच्च ऋण सीमा** निर्दिष्ट की गई है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऋण सीमा दोगुनी** कर दी गई है।
- स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रक में सुधार लाने के लिए, **स्वास्थ्य अवसंरचना** (आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य अवसंरचना सहित) के लिए **ऋण सीमा दोगुनी** कर दी गई है।

इस संशोधन से संभावित लाभ

- **इससे किसानों को सहायता प्राप्त होगी:** सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए सहायता तथा लघु और सीमांत किसानों को सहायता जैसे प्रावधान किसानों को अपेक्षित वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करते हैं।
    - साथ ही, FPO/FPC के लिए उच्च ऋण सीमा से ऐसे संस्थानों का विकास प्रोत्साहित होगा।
- **क्षेत्रीय असमानताएं दूर होंगी:** नए दिशा-निर्देशों में नए 'चिन्हित जिलों' के समावेश से क्षेत्रीय असमानताएं दूर होंगी।
- **पर्यावरण अनुकूल ऋण नीतियों का निर्माण होगा:** नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रकों को प्रोत्साहन और बायोगैस संयंत्रों के विकास का उद्देश्य संधारणीय विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को प्राप्त करने में सहायता पहुँचाना है।
- **स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा:** PSL दिशा-निर्देशों में संशोधन से स्वास्थ्य अवसंरचना की दिशा में ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

VISION IAS

4.4. सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों का विलय (Consolidation of Public Sector Banks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने **सार्वजनिक क्षेत्रक के दस बैंकों के विलय** की अनुमति प्रदान की है। वर्तमान में, भारत में सरकारी स्वामित्व वाले 18 बैंक हैं, जबकि वर्ष 2017 में इनकी संख्या 27 थी। ज्ञातव्य है कि प्रस्तावित विलय के उपरांत यह संख्या घटकर 12 रह जाएगी।

बैंकों के विलय से होने वाले लाभ

- **लागत संबंधी लाभ:** बड़े बैंक इकॉनमी ऑफ़ स्केल (लाभप्रदता), दक्षता, वित्तपोषण की लागत, जोखिम विविधीकरण आदि में बेहतर होते हैं।
- **आय संबंधी लाभ (लाभप्रदता और बड़े सौदों की संभावनाएं):** बैंकों के **विवेकपूर्ण मानदंड** (prudential norms) उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण के आकार को सीमित करते हैं क्योंकि बैंक अपनी पूंजीगत क्षमताओं के अनुसार जोखिम उठाते हैं। इसलिए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर सकल घरेलू उत्पाद वाली अर्थव्यवस्था बनने की महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए बड़ी परियोजनाओं में निवेश करने हेतु, अत्यधिक ऋण क्षमता वाले बड़े बैंकों के सृजन की आवश्यकता है।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने से** सभी एकीकृत बैंकों में न केवल व्यापक योग्य समूह और एक बड़े डाटा बेस तक पहुंच प्राप्त होगी, अपितु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक **तेजी से डिजिटल होते बैंकिंग परिदृश्य में** विश्लेषणात्मक कार्य क्षमता के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
- व्यापक स्तर पर होने वाले इस एकीकरण से **बैंकों को वैश्विक बैंकों के स्तर** का बनाने में सहायता मिलेगी, साथ ही ये बैंक न केवल भारत अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभावी रूप से **प्रतिस्पर्धा** करने में सक्षम होंगे।
- **मानव संसाधन:** विभिन्न बैंकों के कर्मचारियों के मध्य उनकी सेवा शर्तों और मौद्रिक लाभों से संबंधित विद्यमान व्यापक असमानताएं कम हो जाएंगी।
- **नियमन में सुधार:** विलय के पश्चात् बैंकों की संख्या में कमी होने से निगरानी और नियंत्रण आसान हो जाएगा।

बैंक के विलय से संबंधित समस्याएं

- **टू-बिग-टू-फेल:** किसी एक बड़े बैंक को अत्यधिक हानि होने या विफल होने पर संपूर्ण बैंकिंग उद्योग के समक्ष व्यापक जोखिम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके दुष्परिणाम अर्थव्यवस्था में सर्वत्र परिलक्षित हो सकते हैं।
  - उल्लेखनीय है कि वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान विश्व के कुछ बड़े बैंक विफल हो गए थे, जबकि छोटे बैंक अपनी दक्षता और आला क्षेत्रों (niche areas) में कार्य करने के कारण विफल नहीं हुए थे।
- **ऋण वसूली पर प्रभाव:** सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के विलय से **वसूली प्रक्रिया अत्यधिक प्रभावित हो सकती** है, जिसके परिणाम प्रत्येक बैंक पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के मामले में, ऋणदाताओं (creditors) का एक साझा समूह निर्मित हो सकता है, जिसमें विलय किए गए सार्वजनिक क्षेत्रक के कई बैंक सम्मिलित हो सकते हैं, जबकि ऋणदाताओं की सूची में उनका पदानुक्रम भिन्न होगा।
- **बैंकों की व्यवस्थाएं भिन्न-भिन्न होती हैं:** इससे न केवल **सांस्कृतिक और प्रबंधकीय परिवर्तनों** की समस्याएं उत्पन्न होंगी, बल्कि विभिन्न प्रकार की वित्तीय समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, जो ऋण के साथ-साथ वसूली को भी प्रभावित कर सकती हैं। साथ ही, **प्रणालीगत और प्रक्रियागत समस्याएं** भी उत्पन्न हो सकती हैं।
- **आवश्यक नहीं कि विलय लाभप्रद ही सिद्ध हो:** औद्योगिक देशों में बैंकों के विलय के 20 वर्षों के एक अध्ययन में यह पाया गया कि इससे **"अपेक्षाकृत छोटे स्तर पर ही लाभ प्राप्त हुए हैं"**, इसके कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं कि विलय के कारण व्यापक स्तर पर लाभप्रदता में वृद्धि हुई हो या प्रबंधकीय दक्षता में लाभ मिला हो। इस संबंध में स्वयं भारत के विगत अनुभव से भी यही परिलक्षित होता है।

आगे की राह

- यद्यपि, **बैंकिंग सुधारों पर नरसिम्हम समिति (वर्ष 1998)** द्वारा भी सुदृढ़ सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों के विलय और कमजोर बैंकों को चयनात्मक रूप से बंद करने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन केवल बैंक विलय से ही बैंकों के प्रदर्शन में सुधार नहीं होता है। इस सुधार को **अन्य सुधारात्मक उपायों के साथ-साथ समेकित किये जाने की आवश्यकता होती है।**
  - उदाहरण के लिए, **"इज़ इंडेक्स (EASE Index)"** जो सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों को उत्तरदायी बैंकिंग, वित्तीय समावेशन, क्रेडिट ऑफटेक और डिजिटलीकरण जैसे मापदंडों के आधार पर रैंकिंग प्रदान करता है।

VISION IAS

4.5. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एवं आवास वित्त कंपनियों के लिए विशेष तरलता योजना (Special Liquidity Scheme For NBFCs and HFCs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में, **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों** (Non-Banking Financial Companies: NBFCs) एवं **आवास वित्त कंपनियों** (Housing Finance Companies: HFCs) के लिए **विशेष तरलता योजना** को प्रारंभ करने के प्रस्ताव को पिछले महीने स्वीकृति प्रदान की गई थी। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अब इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु ऋणदाताओं (lenders) के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं।

पृष्ठभूमि

- अधिकांश **NBFCs के पास पर्याप्त तरलता नहीं है,** क्योंकि वे **परिसंपत्ति-देयता असंतुलन (asset-liability mismatch)** के माध्यम से संचालित होती हैं अर्थात्, ये कंपनियां निम्न ब्याज दर पर कम अवधि के लिए बाजार से धन उधार लेती हैं तथा उच्च ब्याज दर पर अधिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करती हैं। अत: अपनी देयताओं को चुकाने के लिए इन्हें पुनर्वित्त की आवश्यकता होती है।
- **वर्ष 2018 में IL&FS (एक प्रमुख शैडो ऋणदाता) संकट के पश्चात्** अन्य NBFCs के लिए अपने ऋण को पुनर्वित्त करना कठिन हो गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एवं अन्य बैंकों जैसे निवेशक इन्हें ऋण देने या वित्त प्रदान करने से हिचकिचाने लगे हैं।
- इससे **NBFCs के लिए तरलता का अभाव** उत्पन्न हो गया।
  - तरलता संकट के कारण NBFCs भारतीय अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण स्तंभ **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small, and Medium Enterprises: MSMEs)** को (जिसका GDP में प्रमुख योगदान होता है) ऋण देने में कटौती करने को बाध्य हो गए।

अत:, NBFCs के संकट के कारण **प्लवन प्रभाव (spillover effect)** उत्पन्न हो सकता है, **जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए संस्थागत जोखिम बन सकता है,** तथा साथ ही, बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार में अवरोध उत्पन्न कर सकता है।

हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम

- **लक्षित दीर्घकालिक रेपो परिचालन (Targeted Long-Term Repo Operations: TLTRO): TLTRO 2.0** के तहत, निधियों को निवेश श्रेणी के बॉण्ड्स, वाणिज्यिक पत्रों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के गैर-परिवर्तनीय ऋण-पत्रों में निवेश करना पड़ता था, जिसमें कुल राशि का कम से कम 50% हिस्सा छोटे और मध्यम आकार की **NBFCs और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs)** में जाता है।
- 45,000 करोड़ रुपये मूल्य की **आंशिक ऋण गारंटी योजना (Partial Credit Guarantee Scheme: PCGS) 2.0** आरंभ की गई है। NBFCs, MFIs और AA या उससे नीचे की क्रेडिट वाले रेटिंग के HFCs के बॉण्ड्स या वाणिज्यिक पत्रों की खरीद के लिए राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को प्रथम हानि के 20% तक की संप्रभु गारंटी प्रदान की जाएगी, जिसमें एक वर्ष तक की मूल परिपक्वता अवधि के रेटिंग रहित पत्र (unrated paper) भी शामिल होंगे।
- RBI ने नाबार्ड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) और राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है, जिससे उन्हें कृषि और ग्रामीण क्षेत्र, लघु उद्योगों, HFCs, NBFCs और MFIs की वित्त-पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल सके।
- RBI ने वाणिज्यिक अचल संपत्ति (पूंजीगत वित्त का अधिकतम 20%), पूंजी बाजार (कुल निवेश का अधिकतम 40% जोखिम) या समूह संस्थाओं (25% स्वामित्व निधि और एकल इकाई के लिए 15%) हेतु जोखिम के लिए HFCs के लिए सीमा निर्धारित की है।
  - DHFL में, खुदरा ऋणों का एक हिस्सा समूह की कंपनियों को दिया गया था, जो इसके पतन का कारण बना।

इस योजना के बारे में

- RBI ने एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPV) के माध्यम से **NBFCs/HFCs के लिए** एक **विशेष तरलता योजना** की घोषणा की है।
- इस योजना का उद्देश्य **NBFCs एवं HFCs को उनकी तरलता की स्थिति में सुधार करने तथा वित्तीय क्षेत्रक में किसी भी संभावित व्यवस्थागत जोखिम से बचने के लिए सहायता** प्रदान करना है।

VISION IAS

- ○ निम्न आर्थिक गतिविधियों के कारण आने वाले महीनों में NBFCs/HFCs के लिए संपत्ति की गुणवत्ता जोखिम में तीव्र वृद्धि के साथ ही, कई मध्यम व लघु आकार के प्रतिस्पर्धियों को गंभीर तरलता चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
- इस स्पेशल पर्पज़ व्हीकल द्वारा **अर्ह NBFCs और HFCs से 30,000 करोड़ रुपए तक के अल्पकालिक ऋणों का क्रय किया जाएगा।** उसके पश्चात्, ये NBFCs और HFCs इस राशि का उपयोग अपनी मौजूदा देयताओं अर्थात् ऋण को चुकाने में करेंगी।
- **पात्रता:** NBFCs और HFCs के पास निवल **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (Non-Performing Assets: NPAs)** 6 प्रतिशत से कम होनी चाहिए; पिछले दो वित्तीय वर्षों में से कम से कम एक में निवल लाभ दर्ज होना चाहिए; तथा जिन्हें 1 अगस्त 2018 से पहले के अंतिम एक वर्ष के दौरान **विशेष उल्लेख खातों-1 (Special Mention Accounts: SMA-1) या SMA-2** श्रेणी के अंतर्गत दर्ज नहीं किया गया हो।

NBFCs की ख़राब वित्तीय स्थिति के कारण

- **ऋण तक पहुंच में कठिनाइयाँ:** म्यूचुअल फंड्स NBFCs के लिए वाणिज्यिक पत्रों व डिबेंचर के माध्यम से सबसे बड़े पूंजी प्रदाता हैं। परंतु, ये निवेशक IL&FS संकट के पश्चात् इन्हें ऋण प्रदान करने के अनिच्छुक रहे हैं।
  - ○ हाल ही में, एक म्यूचुअल फंड समूह **फ्रैंकलिन टेम्पलटन** को ऋण जोखिम की आशंकाओं के कारण अभूतपूर्व ऋण मोचन के पश्चात् अपनी 6 ऋण योजनाओं को बंद करना पड़ा।
- **महामारी के कारण उपजी संकट की स्थिति:** हाल ही में, मूडी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 संकट के मध्य ऋण चुकाने में उधारकर्ताओं की अक्षमता, तथा उन पर RBI द्वारा चुकौती पर छह महीने का अधिस्थगन NBFCs के लिए **अंतर्वाह (inflow) में व्यवधान** उत्पन्न करेगा, हालांकि तब भी बहिर्वाह (outflow) जारी रखना होगा।
- **विभिन्न नियामक निकाय:** RBI सभी NBFCs को विनियमित नहीं करता है। अन्य संस्थान, जैसे- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India: SEBI), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India: IRDAI), आदि भी NBFC के प्रकार के आधार पर इन्हें विनियमित करते हैं।
- **जोखिम पूर्ण उधार पद्धति:** NBFCs उधार देते समय बैंकों की तुलना में कम सतर्कता अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, NBFCs ने लघु व सूक्ष्म ऋण पोर्टफोलियो को बड़े पैमाने पर बढ़ाया है, जहां ऋण भुगतान में चूक उच्च NPA का जोखिम विद्यमान होता है।
  - ○ **NBFC क्षेत्र में असुरक्षित ऋण का हिस्सा भी बढ़** रहा है।
- **इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) संकट के सोपानिक प्रभाव:** IL&FS संकट के पश्चात्, बैंक NBFCs को ऋण देने से पहले सतर्कता अपनाने लग गए हैं।
- **विलंबित परियोजनाएं:** NBFCs द्वारा वित्तपोषित अनेक अवसंरचना परियोजनाएं कई कारणों से अवरुद्ध पड़ी हैं, जैसे कि सांविधिक मंजूरी में विलंब, भूमि अधिग्रहण की समस्या, पर्यावरणीय मंजूरी आदि, जो उनके वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं।

आगे की राह

- **बेहतर नियामक व्यवस्था:** सभी क्षेत्रकों में जोखिम-न्यूनीकरण की निगरानी की शक्तियाें सहित एकल निकाय की स्थापना संबंधी वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (Financial Sector Legislative Reform Commission: FSLRC) की अनुशंसाओं को लागू किया जाना चाहिए।
- **परियोजनाओं को समय पर मंजूरी:** परियोजनाओं की समग्र लागत को कम करने हेतु (विशेष रूप से अवसंरचना परियोजनाओं को) उन्हें समय पर मंजूरी प्रदान करना आवश्यक है।
  - ○ **"प्लग एंड प्ले" दृष्टिकोण का अन्य क्षेत्रकों में विस्तार** एक संभावित समाधान हो सकता है। "प्लग एंड प्ले" की अवधारणा सामान्य रूप से तैयार सुविधाओं को संदर्भित करती है, जिनमें उद्योगों को प्रारंभ करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने से लेकर भवन, विद्युत-जल-सीवेज कनेक्टिविटी, सड़क संपर्क तथा अन्य बुनियादी सुविधाएँ सम्मिलित होती हैं।

- **RBI के लिए सुझाव:**
  - RBI द्वारा **NBFC को अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने** के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिनकों बैंकों द्वारा क्रय किया जा सकता है।
  - RBI द्वारा **संपार्श्विक पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु** म्यूचुअल फंड के लिए एक विशेष विंडो भी प्रारंभ की जा सकती है।
  - इस समय इस क्षेत्रक की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए एक समन्वित व परामर्शी दृष्टिकोण राष्ट्रीय आर्थिक स्वास्थ्य एवं स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है।

संबंधित तथ्य

म्यूचुअल फंडों के लिए विशेष तरलता सुविधा (Special Liquidity Facility for Mutual Funds: SLF-MF)

- म्यूचुअल फंड्स पर तरलता के दबाव को कम करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड्स हेतु 50,000 करोड़ रुपये की **विशेष तरलता सुविधा** की घोषणा की है।
- SLF-MF, 'ऑन टैप' (मांग के अनुसार प्राप्य) और 'ओपन-एंडेड' सुविधा है, जो कि **सभी LAF (तरलता समायोजन सुविधा) पात्र बैंकों** के लिए उपलब्ध होगी।
- **इस योजना के लाभ**
  - इससे दबाव में कमी होगी तथा म्यूचुअल फंड्स को छूट पर अपने वर्तमान कमर्शियल पेपर्स को बेचने और अपने निवल परिसंपत्ति मूल्य को प्रभावित करने के बजाय इस सुविधा का उपयोग करके मोचन का वित्तपोषण करने में सहायता मिलेगी।
  - इससे अल्पकालिक ऋण निधियों (डेट फंड्स) का निष्पादन स्थिर होगा तथा ऋण बाजार के संबंध में निवेशकों के विश्वास में सुधार आएगा।

4.6. भारत की डिजिटल वित्त अवसंरचना (India's Digital Finance Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) ने **'डिजिटल वित्तीय अवसंरचना की डिजाइन: भारत से सीख'** (The design of digital financial infrastructure: lessons from India) नामक शीर्षक से एक शोधपत्र जारी किया।

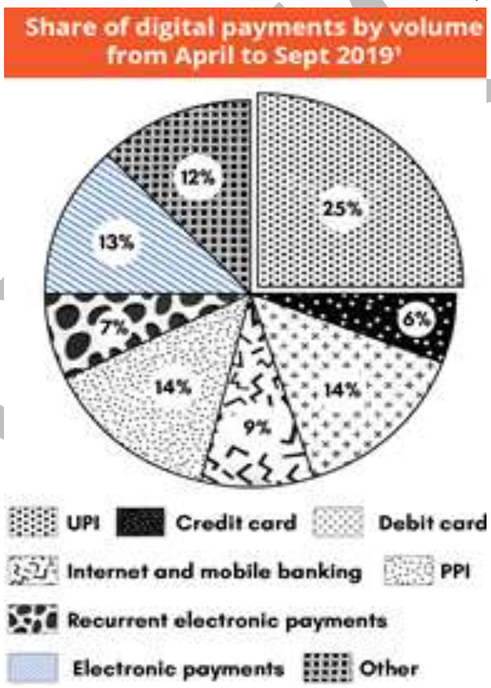

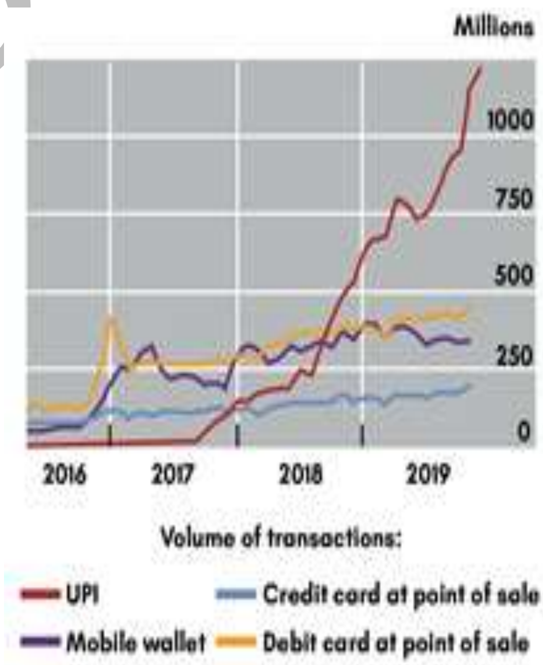

भारत में डिजिटल भुगतान की स्थिति

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **'नकदी से इलेक्ट्रॉनिक की ओर डिजिटलीकरण की प्रगति का आकलन'** (Assessment of the progress of digitisation from cash to electronic) पर किए गए एक अध्ययन के निष्कर्ष जारी किए हैं।

- विगत पांच वर्षों में **देश में डिजिटल भुगतानों** की क्रमशः मात्रा और मूल्य के संदर्भ में 61 प्रतिशत और 19 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate: CAGR) देखी गई है। यह रुझान डिजिटल भुगतान की दिशा में तीव्र परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।
- **भारत में 72 प्रतिशत उपभोक्ता लेनदेन नकद में होता है।** यह चीन की तुलना में दोगुना है।
- उच्च मूल्य वर्ग वाली मुद्रा की मांग कम मूल्य वर्ग वाली मुद्रा की मांग से आगे निकल गई है तथा इस परिघटना से पता चलता है कि **नकदी का मूल्य संग्रह के रूप में अधिक** और भुगतान करने के लिए कम उपयोग किया जाता है।
- सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में **संचलन में मुद्रा (Cash in Circulation : CIC)** वर्ष 2018-19 में 11.2 प्रतिशत थी, जो कि विमुद्रीकरण से पूर्व वर्ष 2015-16 के 12.1 प्रतिशत से कम है।

डिजिटल वित्तीय अवसंरचना: चुनौतियां और समाधान

- **पहचान के माध्यम से वित्तीय समावेशन:** पहचान वित्तीय समावेशन का एक प्रमुख तत्व है। सत्यापन-योग्य पहचान प्रमाण-पत्र के द्वारा बैंक खाता खोलना, ऋण प्राप्त करना और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में नामांकन कराना आसान हो जाता है।
  - भारत में औपचारिक पहचान (वर्ष 2008 में, 25 लोगों में केवल 1) और समावेशन (4 में से 1 भारतीय वयस्क का बैंक खाता था) का निम्न स्तर विद्यमान था।
  - भारत ने आधार कार्ड के प्रचलन द्वारा इस समस्या को दूर किया। आधार ने अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों विशेष रूप से, प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY) की सफलता का मार्ग प्रशस्त किया है। दिसंबर 2019 तक, PMJDY के अंतर्गत लगभग 380 मिलियन बैंक खाते खोले जा चुके थे।
  - एक अनुमान के अनुसार, यदि आधार न होता और भारत पूर्ण रूप से पारंपरिक विकास प्रक्रियाओं पर ही निर्भर रहता, तो बैंक खाता रखने वाले 80% वयस्कों का स्तर प्राप्त करने में 47 वर्षों का और समय लगता।
- **औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर भुगतान सेवाओं में सुधार करना:** बढ़ती प्रतिस्पर्धा के आलोक में, बैंकिंग प्रणाली में प्रवेश करने के पश्चात् उपभोक्ताओं को इस प्रणाली के भीतर बनाए रखना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
  - उच्च भुगतान हस्तांतरण लागत, बोझिल और धीमी प्रक्रियाएं तथा लेनदेन की सीमित उपलब्धता जैसे **अवरोधक विद्यमान** हैं।
  - भारत ने **यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के** माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया है। यह बैंक खातों के लिए एकल अंतर-प्रचालनीय इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है तथा प्रभावी रूप से सभी को भुगतान प्रणाली तक मोबाइल पहुंच प्रदान करता है और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर मांग-आधारित एवं फिएट मनी में तत्काल वित्तीय लेनदेनों की अनुमति प्रदान करता है।
- **सहमति आधारित डेटा सशक्तीकरण:** इंटरनेट कनेक्टिविटी और मोबाइल फोन की बढ़ती पैठ के साथ भारत डेटा-समृद्ध देश बन रहा है। यह सुनिश्चित करना कि हितधारकों द्वारा उपभोक्ताओं के डेटा का दुरुपयोग न किया जाए। इसके अतिरिक्त व्यापक सूचना विषमता और ग्राहकों की ओर से विश्वास की कमी को संतुलित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।
  - इस चुनौती को दूर करने हेतु, वर्ष 2016 में RBI ने **अकाउंट एग्रीगेटर्स** नामक विनियमित डेटा न्यासीय संस्थाओं के एक वर्ग के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया था, जो ग्राहकों की जानकारी और सहमति से विनियमित वित्तीय प्रणाली के भीतर ग्राहक डेटा के साझाकरण कार्य को सक्षम बनाता है।

भुगतान अवसंरचना विकास कोष (Payment Infrastructure Development Fund: PIDF)

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक **भुगतान अवसंरचना विकास कोष** (PIDF) स्थापित करने की घोषणा की है।
- **इस योजना से अपेक्षित लाभ:**
  - यह पॉइंट ऑफ सेल (POS) टर्मिनल्स की संख्या को टियर 1 व टियर 2 शहरों से टियर-3 से टियर-6 शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित करने में मदद करेगा।
  - यह डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा और पूरे देश में विशेष रूप से अल्प सेवा प्राप्त क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में सुधार करेगा।

डिजिटल भुगतानों की पैठ पर नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसाएं

- प्वाइंट-ऑफ-सेल (POS) उपकरणों से आयात शुल्क को हटाना और तत्काल भुगतान सेवा (5,000 रुपये तक के लेन-देन पर आरोपित शुल्क के लिए) पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) माफ करना।

VISION IAS

- सरकारी भुगतान डिजिटल साधनों के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिसमें क्रय किए गए सामान और सेवाओं के लिए भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, वेतन और पेंशन शामिल हैं।
- गलत खाता/ आधार विवरण के कारण लेन-देन की विफलता के मामलों को कम करने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम जैसी सत्यापन सेवाओं का उपयोग।
- विशेष रूप से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में कनेक्टिविटी और प्रमाणीकरण त्रुटियों को दूर करने के लिए स्थानीय भाषा में समर्पित शिकायत निवारण तंत्र।
- डिजिटल भुगतान उप-समिति को वित्तीय संस्थानों के मानचित्रण और अंतराल की पहचान करने के लिए राज्य स्तर पर स्थापित किया जाना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों की तुलना करने के लिए RBI को वित्तीय समावेशन सूचकांक विकसित करना चाहिए।

डिजिटल वित्त अवसंरचना के प्रति भारत का दृष्टिकोण

उपर्युक्त परिचर्चा से यह निष्कर्षित किया जा सकता है कि **भारत का दृष्टिकोण निम्नलिखित स्तंभों पर निर्मित** है:

- **सार्वजनिक वस्तु के रूप में डिजिटल वित्तीय अवसंरचना उपलब्ध कराना।**
- **इस अवसंरचना तक खुली पहुँच प्रदान करके निजी नवाचार को प्रोत्साहित करना:** उदाहरण के लिए, निजी क्षेत्रक के लिए डिजिटल भुगतान सेगमेंट जैसे कि पेटीएम, फोनपे और ओला-मनी द्वारा UPI प्लेटफॉर्म का उपयोग।
- **नियामकीय रूपरेखा के माध्यम से समान अवसर सृजित करना।**
- **डेटा-सहभाजन ढांचे के माध्यम से व्यक्तियों (जिनकी सहमति की आवश्यकता होती है) को सशक्त बनाना।**
- **डिजिटल भुगतान अभियान जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।**

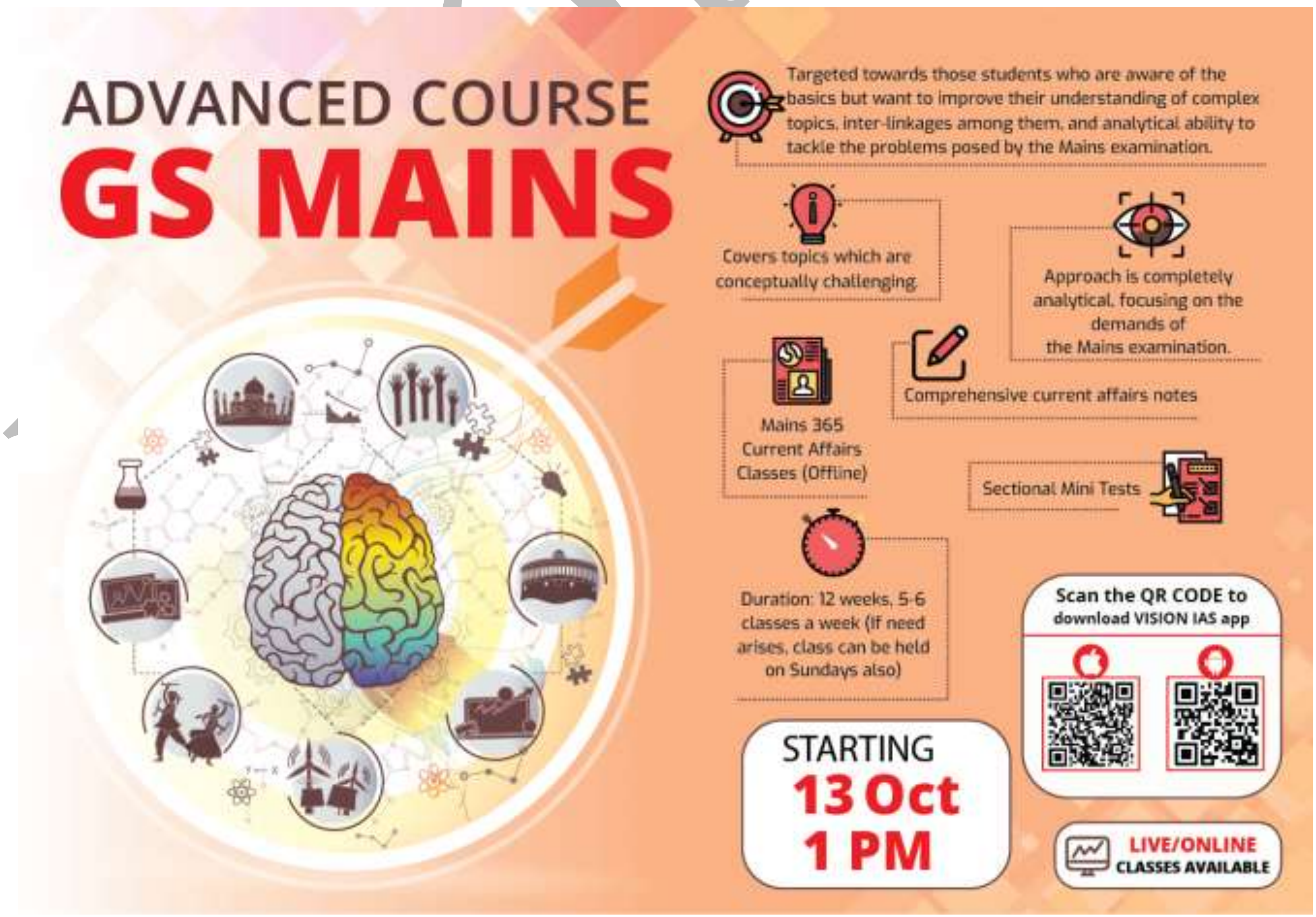

5. व्यापार एवं निवेश (Trade and Investment)

5.1. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (International Trade)

5.1.1. व्यापार पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह की रिपोर्ट (Report of the High-Level Advisory Group on Trade)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, व्यापार और नीति पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह द्वारा सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

भारत के व्यापार प्रदर्शन का अवलोकन

- वर्ष 2003-2017 की अवधि के दौरान, सभी क्षेत्रकों (यथा- कृषि, विनिर्मित वस्तुओं, पण्य वस्तुओं, सेवाओं और अन्य व्यापारिक मदों) में भारत का **वैश्विक निर्यात में स्थान पूर्व की तुलना में वर्तमान समय (2012 और 2017 के मध्य) में कम हुआ है।**
    - हालांकि, **विश्व व्यापार में भारतीय हिस्सेदारी बढ़ रही है (यद्यपि धीरे-धीरे)**, क्योंकि हमारी संवृद्धि दर वैश्विक औसत से अधिक है।
- भारत में समग्र अर्थव्यवस्था (विश्व में तीव्र आर्थिक संवृद्धि वाले राष्ट्रों के सापेक्ष GDP संवृद्धि दर) और निर्यात वृद्धि (वर्ष 2011 के पश्चात्, कुछ सीमा तक नीचे की ओर) के प्रदर्शन में विचलन विद्यमान है। इस विचलन का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अभी भी सरकार के स्तर पर और बाह्य स्तरों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
- **संरक्षणवादी नीतियां:** संरक्षणवाद केवल प्रशुल्क वृद्धि में ही परिलक्षित नहीं हो रहा है, बल्कि अन्य उपायों में भी यह दृष्टिगत है, जैसे- तकनीकी विनियमों को प्रोत्साहन और अंगीकरण, मात्रात्मक प्रतिबंधों का निरंतर आरोपण, गैर-प्रशुल्क बाधाओं का अंगीकरण, व्यापार समझौतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था खोलने के संबंध में अत्यधिक शर्तों का आरोपण, भेदभाव-पूर्ण क्षेत्रीय घरेलू नीतियां आदि।
- **अवास्तविक निर्यात लक्ष्य:** विश्व व्यापार संगठन (WTO) के आंकड़ों के अनुसार, **वर्ष 2017 में वैश्विक पण्य वस्तुओं (व्यापारिक वस्तुएं) के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.7% और सेवाओं में 3.4% थी।** वैश्विक निर्यात में समग्र निर्यात हिस्सेदारी में न्यूनतम वृद्धि की प्रवृत्ति ही रही है और यह वर्ष 2010 के पश्चात् से 2% से 2.1% के मध्य स्थिर बनी हुई है।
    - इस पृष्ठभूमि में, **वर्ष 2025 तक भारत का निर्यात दोगुना करने का सरकार का लक्ष्य अवास्तविक प्रतीत होता है।**

निर्यात प्रदर्शन के समष्टिगत निर्धारक (Macro Determinants of Export Performance)

- **मानसिकता:** दीर्घकाल तक भारत ने **संरक्षणवादी आयात प्रतिस्थापन नीति** का पालन किया और काफी समय पश्चात् अर्थात् 1990 के दशक के प्रारंभिक वर्षों में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को उदारीकृत बनाया। व्यापार को सुगम बनाने वाले सुधारों के अभाव एवं विरासत के बोझ ने पुरानी मानसिकता को और अधिक प्रेरित किया तथा उसे बनाए रखा है।
- **घरेलू पूंजी की उच्च लागत:** विगत वर्षों के दौरान वास्तविक नीतिगत दरें (औसतन प्रति वर्ष 2-3% से अधिक) भारत में अभी तक पर्यवेक्षित सर्वाधिक दर हैं और यह **HLAG द्वारा प्रतिदर्श हेतु चयनित 60 देशों में उच्चतम है।**
    - इसके विपरीत, विश्व में माध्यक वास्तविक दर (median real rate) उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए व्यापक रूप से लगभग 0.8% प्रति वर्ष और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए कुछ सीमा तक कम बनी रही है।
- **प्रभावी निगम कर दरों का उच्च स्तर:** 20 वृहत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, **भारत चौथी सर्वाधिक निगम कर भुगतान वाली अर्थव्यवस्था है।** वियतनाम के मामले में 62% और बांग्लादेश के मामले में 66% की प्रतिधारण दर (retention rate) की तुलना में भारत में प्रतिधारित उपार्जन (retained earnings) (मजदूरी और करों के भुगतान के पश्चात्) आय का 44% है।
- **श्रम कानून और फर्म का आकार:** धीमी निर्यात संवृद्धि का एक बहुत ही संभावित निर्धारक हमारे श्रम कानून हैं, जो फर्म के आकार में विस्तार के समक्ष बाधा उत्पन्न करते हैं। श्रम कानूनों को और अधिक उदार बनाने से फर्मों (विशेष रूप से श्रम गहन फर्म) को उचित अनुपात में अपने आकार को विस्तृत करने में सहायता प्राप्त होगी।
- **संरक्षणवाद और सीमा प्रशुल्क:** दो दशकों से अधिक समय तक, प्रशुल्क काफी सीमा तक अल्प और स्थिर बने रहे। हालाँकि, वर्ष 2017 में भारत के औसत MFN (मोस्ट फेवर्ड नेशन) प्रशुल्क में वृद्धि हुई। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में तथा उसके उपरांत प्रशुल्क में और अधिक वृद्धि हुई है।

VISION IAS

- **जागरूकता: राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना** (National Trade Facilitation Action Plan) को संचालित किया जा रहा है, परन्तु क्या कार्यान्वयन योजना के अनुरूप किया जा रहा है या नहीं, इस विषय में हितधारकों को संभवतया पूर्ण जानकारी नहीं है।

अतीत से सीख और HLAG की प्रमुख अनुशंसाएं

- **प्रौद्योगिकी:** प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास (विशेष रूप से बढ़ती डिजिटल सामग्री) ने विनिर्माण क्षेत्र को गहन रूप से प्रभावित किया है। भविष्य में वस्तुओं के निर्यात की सापेक्षिक प्रतिस्पर्धा पर इसका और अधिक प्रभाव होगा।
  - **HLAG की अनुशंसा:** बिग डेटा एनालिटिक्स, इंडस्ट्री 4.0 आदि का लाभ उठाया जाना चाहिए। कई विनिर्मित उत्पादों हेतु निर्यात बाजार में अपनी यथेष्ट हिस्सेदारी बनाए रखने या बढ़ाने के लिए निर्यातकों को आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास और तकनीकी ज्ञान के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
    - नीतिगत परिचालन को अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) की तकनीक का पूर्णतया समावेश करना चाहिए।
- **प्रमुख वित्तीय सहायता:** यहाँ प्रमुख वित्तीय सहायता प्रोत्साहन का आशय कॉर्पोरेट आयकर दर में कमी करने से है।
  - **HLAG की अनुशंसाएं:** 18% की प्रभावी निगम कर की दर (यह अधिकांश प्रतिस्पर्धी देशों में 15-20% के आसपास है) प्राप्त करने के लिए भारत को निगम कर की दर को 22% (छूट के साथ) करना चाहिए।
    - पूंजी की लागत को 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) देशों के औसत से नीचे लाना।
    - एक्जिम बैंक के पूंजीगत आधार को वर्ष 2022 तक अतिरिक्त 20,000 करोड़ रुपये से बढ़ाना और निर्यात ऋण गारंटी निगम (Export Credit Guarantee Corporation: ECGC) के पूंजीगत आधार को 350 करोड़ रूपये तक बढ़ाना।
- **सुशासन:** साक्ष्य-आधारित व्यापार नीति निर्माण, बेहतर प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा प्रभावी संस्थागत तंत्र जैसे सुशासन के कुछ पहलुओं को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।
  - **HLAG की अनुशंसा:** व्यापक निर्यात रणनीति के निर्माण के लिए **बिग डेटा एनालिटिक्स** का उपयोग किया जाना चाहिए। निवेश संवर्धन अभिकरण (**इन्वेस्ट इंडिया ++**) को सुदृढ़ किया जाना चाहिए और एक व्यापार संवर्धन संगठन (Trade Promotion Organisation: TPO) का सृजन किया जाना चाहिए।
- **चैंपियन क्षेत्रकों को चिन्हित करना:** अवसंरचनात्मक न्यूनता की चुनौतियों के निवारण हेतु, सरकार विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करती रही है। हालांकि, इस संदर्भ में कई संसाधनगत अवरोध मौजूद हैं।
  - **HLAG की अनुशंसा:** सेवा निर्यात विविधीकरण रणनीति को तैयार करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित **12 चैंपियन सेवा क्षेत्रक**, इस दिशा में कदम उठाने हेतु एक प्रारंभिक बिंदु होंगे। इन सेवा क्षेत्रकों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, निर्यात, रोजगार और अन्य आर्थिक परिणामों को बढ़ाने की व्यापक संभावना है। HLAG ने कुछ क्षेत्रक विशिष्ट अनुशंसाएं भी की हैं।
- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains: GVC) और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखला (Regional Value Chains: RVC) में संबंध:** भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (वैश्वीकृत विश्व में औद्योगिक उत्पादन का नया प्रतिमान) को पूर्णत: अपनाने के क्रम में पीछे है। सरकार या उद्योग में किसी भी स्तर पर इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाने के संबंध में जागरूक और समन्वित प्रयासों का अभाव रहा है।
  - **HLAG की अनुशंसा:** वैश्विक और क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाएँ वस्तुओं व सेवाओं के व्यापार और निवेश के संदर्भ में एकीकृत दृष्टिकोण को आवश्यक बनाती हैं।
    - तेजी से विकसित होती वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारतीय निर्यातकों को संबद्ध करने के लिए सामान्यत: **निम्न और सरलीकृत प्रशुल्क रणनीति** को अपनाया जाना चाहिए।
    - RVCs और GVCs द्वारा उपलब्ध अवसरों का दोहन करने के लिए (लाभ के संदर्भ में) क्षेत्रीय व्यापार समझौतों (Regional Trade Agreements: RTAs) का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
    - जिन उत्पादों और खंडों में भारतीय फर्में GVCs में एकीकृत हो सकती हैं, उन्हें चिन्हित करना तथा एकीकरण को बाधित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान करना, निर्यात रणनीति को तैयार करने के लिए अत्यंत प्रभावी होंगे।
- **भारत और विश्व व्यापार संगठन:** विकास और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ अंत:क्रिया को ध्यान में रखते हुए **भारत को अपनी समग्र रणनीतिक दृष्टि के एक भाग के रूप में विश्व व्यापार संगठन का उपयोग करना चाहिए।**
  - **HLAG की अनुशंसा:** अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी मुद्दों को मुख्य धारा में लाने (विशेष रूप से WTO से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ वैश्विक व्यापार के एजेंडे, जिसका भारत को अनुगमन करने की आवश्यकता है पर एक राष्ट्रीय आधिकारिक चिंतन के विकास और प्रसार) हेतु एक अंतर-मंत्रालयी समूह का गठन किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **भारत और RTAs {या मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreements: FTAs):** भारत की विदेश व्यापार नीति में RTAs (या FTAs) की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। अतः भारत के दीर्घकालिक हित में एक व्यापक तथापि चयनात्मक और समावेशी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।
    - **HLAG की अनुशंसा:** संपूरकता और दीर्घकालिक संधारणीयता के आधार पर **चिन्हित FTAs पर वार्ता के लिए एक पांच वर्षीय कार्यक्रम का आरंभ किया जाना चाहिए।** साथ ही, इस वार्ता प्रक्रिया में चयनित उद्योगों को भी संबद्ध किया जाना चाहिए।

5.1.2. निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index: EPI) 2020

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस (Institute of Competitiveness) के सहयोग से **निर्यात तैयारी सूचकांक (Export Preparedness Index: EPI) रिपोर्ट 2020** को जारी किया है।

समग्र रूप से, भारत का इस सूचकांक पर औसत प्राप्तांक 39 है। **नीति एवं व्यवसाय पारितंत्र, दोनों उच्चतम अंक वाले स्तंभ** हैं, जबकि निर्यात पारितंत्र सबसे कम **अंक** वाला स्तंभ है। अधिकांश **तटीय राज्यों का निष्पादन सर्वश्रेष्ठ** रहा है।

वैश्विक बाज़ार में भारत की स्थिति

- भारत का व्यापारिक निर्यात वर्ष 2016-17 के 275.9 बिलियन डॉलर से बढ़कर **वर्ष 2018-19 में 331.0 बिलियन डॉलर** हो गया था।
- वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी **2 प्रतिशत** (वर्ष 2018 में 1.7%) से भी कम है।
- वर्तमान में, भारत के **70 प्रतिशत निर्यात पर पांच राज्यों अर्थात्-** महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना का वर्चस्व है।

पण्य निर्यात (merchandise exports) को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2016 के पश्चात् सरकार द्वारा अपनाए गए प्रमुख उपाय

- निर्यात स्तरों को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों का आकलन करने के लिए वर्ष 2017 में **विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा** की गई थी।
- लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के एकीकृत विकास को व्यवस्थित करने के लिए वाणिज्य विभाग में **एक नवीन लॉजिस्टिक्स प्रभाग (Logistics Division) स्थापित किया गया है।**
- वर्तमान निर्यात **अवसंरचना अंतराल** का समाधान करने के लिए अप्रैल 2017 में **निर्यात के लिए व्यापार अवसंरचना योजना (Trade Infrastructure for Export Scheme: TIES)** को प्रारंभ किया गया है।
- परिवहन की उच्च लागत से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए निर्दिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु **परिवहन एवं विपणन सहायता योजना (Transport and Marketing Assistance scheme)** भी प्रारंभ की गई है।
- **विगत कुछ अवसर, जिनसे लाभ प्राप्त न किया जा सका:**
    - वर्ष 2014-2016 के दौरान कमजोर वैश्विक व्यापार ने **चीन जैसे शीर्ष योगदान करने वाले कुछ देशों की निर्यात क्षमताओं को अत्यधिक प्रभावित किया था।** इसने अन्य राष्ट्रों को अवसर का लाभ उठाने का अवसर प्रदान किया था। भारत के विपरीत, बांग्लादेश और वियतनाम सफलतापूर्वक उस स्थान को प्राप्त करने में सफल रहे, जो पहले चीन पर हावी था।

इस सूचकांक में रेखांकित किया गया है कि भारत में निर्यात संवर्द्धन को मुख्यतया तीन आधारभूत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यथा-

- निर्यात अवसंरचनाओं में **क्षेत्रों में एवं क्षेत्रों के मध्य व्याप्त विषमताएं,**
- राज्यों के मध्य **निम्न व्यापार सहयोग तथा संवृद्धि नीति) की निम्न स्थिति, तथा**
- जटिल एवं विशिष्ट निर्यातों को बढ़ावा देने के लिये **निम्नस्तरीय अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना।**

आगे की राह: रिपोर्ट में सुझाए गए उपाय

- **अभिसरण (Convergence):** निर्यात अवसंरचना का निर्माण एक पूंजी-गहन प्रक्रिया है। इसलिए, **विभिन्न राष्ट्रीय अवसंरचना विकास योजनाओं के साथ अभिसरण** तथा निर्यात अवसंरचना के संयुक्त विकास के समन्वय द्वारा केंद्र सरकार उन राज्यों को पुरस्कृत कर सकती है, जिन्होंने निर्यात संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
- **सुदृढ़ सरकार-उद्योग-शैक्षणिक समुदाय संबंध:** लघु और मध्यम उद्यमों (SMEs) की क्षमता निर्माण को सुगम बनाकर व उन्हें प्रोत्साहन देकर तथा सामान्य निर्यात परिषदों की स्थापना करके प्रत्येक राज्य को ऐसे संपर्क के लिए सक्रियता से माध्यम निर्मित करने चाहिए।
- **आर्थिक कूटनीति के लिए राज्य स्तर पर सक्रियता उत्पन्न करना:** विदेश मंत्रालय के नवगठित विभाग **'इकनोमिक डिप्लोमेसी एंड स्टेट्स' (Economic Diplomacy and States)'** के अंतर्गत, नीति आयोग को राज्यों के भीतर क्षमता निर्माण एवं इस प्रकार के बहुउद्देशीय व्यापार निकायों के साथ प्रत्यक्ष संबद्धता की सुविधा के लिए ढांचे का सृजन करना चाहिए।
- **उत्पादों को निर्यात के लिए तैयार (export-ready) करने हेतु डिज़ाइन व मानकों पर ध्यान देना:** निर्यात के लिए आवश्यक डिज़ाइन व मानकों के महत्व पर एक राष्ट्रीय चर्चा प्रारंभ करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को देश के भीतर डिज़ाइन संस्थानों के साथ समन्वित एवं सक्रिय प्रयास करना होगा।
- **नारियल के कोइर, बुने हुए वस्त्र एवं बांस जैसे उत्पादों** के लिए **नवीन उपयोग के मामलों** को डिज़ाइन चरण के साथ एकीकृत करना होगा, ताकि भारतीय सूक्ष्म उद्यमों की व्यापक निर्यात क्षमता का पर्याप्त रूप से दोहन हो सके।

5.1.3. वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व बैंक ने **"वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के युग में विकास हेतु व्यापार (Trading for Development in the Age of Global Value Chains)"** नामक शीर्षक से विश्व विकास रिपोर्ट जारी की है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) क्या है?

- मूल्य श्रृंखला **"किसी उत्पाद को उसकी संकल्पना से लेकर उसके अंतिम उपयोग और अन्य उपयोग हेतु फर्मों एवं श्रमिकों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों की संपूर्ण श्रृंखला"** को संदर्भित करती है।
- जब मूल्य श्रृंखला विभिन्न देशों में विभिन्न फर्मों के मध्य वितरित होती है, तो इसका अर्थ होता है कि ये गतिविधियां विभिन्न देशों के मध्य विभाजित हैं। वह परिघटना जिसमें मूल्य श्रृंखला विश्व भर में विस्तृत होती हैं, GVC कहलाती है।
- वर्तमान में वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की **विश्व भर में लगभग 50 प्रतिशत व्यापार** में हिस्सेदारी है।
- हालांकि, कोविड-19 के बाद में, अनिश्चितता का माहौल है क्योंकि GVCs की उपयोगिता संदेह के दायरे में आ गई है।

GVC क्यों महत्वपूर्ण है?

- **अति-विशेषीकरण (Hyper-specialisation):** GVC से अति-विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है, जिससे दक्षता में सुधार होता है। जटिल उत्पादन प्रक्रिया को समाप्त कर, GVC देशों को उत्पादन के विशिष्ट अवयवों या कार्यों में विशेषीकृत होने की अनुमति प्रदान करता है। जैसे- चीन का "बटन टाउन", जहां सैकड़ों कारखानों द्वारा विश्व के 60 प्रतिशत से अधिक सभी प्रकार के बटनों का उत्पादन किया जाता है।
- **उत्पादकता का लाभ:** जहाँ परंपरागत व्यापार के अंतर्गत केवल तैयार उत्पादों का ही निर्यात किया जाता था, वहीं GVC व्यापार के अंतर्गत, मध्यवर्ती आगतों का भी निर्यात किया जा रहा है और घरेलू फर्मों को उच्च गुणवत्ता वाले या कम महंगी विविध प्रकार की मध्यवर्ती आगतों तक अधिक से अधिक पहुंच प्राप्त हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि GVC भागीदारी के स्तर में 10 प्रतिशत की वृद्धि से औसत उत्पादकता में लगभग 1.6 प्रतिशत की वृद्धि होती है।
- **GVC प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का वाहक है:** परंपरागत व्यापार के विपरीत, जिसमें विभिन्न देशों की फर्में परस्पर प्रतिस्पर्धा करती हैं, GVC विभिन्न फर्मों का एक नेटवर्क होता है, जिनके साझा लक्ष्य होते हैं। GVC में विभिन्न फर्मों के मध्य दीर्घकालिक संबंध स्थापित होता है। GVC की यह प्रकृति उसे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और मूल्य श्रृंखला के साथ तकनीक सहभाजन के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली वाहक बनाती है।
- **बेहतर रोजगार:**
  - विभिन्न फर्मों के मध्य परस्पर संबंधों के माध्यम से, GVC **कार्य करते हुए सीखने** (ऑन-द-जॉब लर्निंग) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। GVC के भीतर **नियोक्ता-प्रायोजित प्रशिक्षण कौशल विकास** के लिए एक प्रभावी तंत्र हो सकता है।

VISION IAS

- GVC पूंजी-गहन उत्पादन को बढ़ावा देता है क्योंकि यह बड़े पैमाने पर उत्पादन और पुर्जों की परिशुद्धता संभव बनाता है। इससे गुणवत्तायुक्त रोजगारों का सृजन होता है तथा निर्यात में अत्यधिक वृद्धि के कारण रोजगार में समग्र वृद्धि भी होती है। GVC, विभिन्न देशों के श्रमिकों को कम उत्पादक कार्यों से अधिक उत्पादक रोजगार में संलग्न होने की अनुमति प्रदान करता है।

GVC से संबंधित चिंताएं

- **GVC सहभागिता से प्राप्त होने वाले लाभ देशों के मध्य और देशों के भीतर समान रूप से वितरित नहीं होते हैं।**
- **देशों के मध्य आर्थिक गतिविधियों का समकालिक होना:** जब किसी देश का उत्पादन अपने व्यापारिक सहभागियों की आगतों पर निर्भर हो जाता है, तो अन्य देशों की आर्थिक स्थिति उसकी घरेलू गतिविधि को प्रभावित करती है। इसके परिणामस्वरूप सीमा-पार आर्थिक आघातों का प्रभाव प्रसारित हो सकता है।
- **GVC व्यापार और संवृद्धि के लिए संरक्षणवाद की लागत को बढ़ाता है।** GVCs, व्यापक रूप से व्यापार बाधाओं से प्रभावित होता है।
- **GVC के अंतर्गत नीतिगत अनिश्चितता की स्थिति में कीमतों में वृद्धि हो जाती है:** GVC में, व्यापार नीति में आकस्मिक रूप से अनिश्चितता के बढ़ने से लागत में वृद्धि हो सकती है क्योंकि फर्मों द्वारा अनिश्चितता के समाधान होने तक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यापार करने के लिए प्रतीक्षा की जा सकती है।

- **पर्यावरणीय प्रभाव:** GVC के परिणामस्वरूप समग्र रूप से अपशिष्ट और नौपरिवहन में वृद्धि हो सकती है, जिसके कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं,
  - हालांकि, GVC उत्पादन तकनीकों में सुधार को भी बढ़ावा दे सकता है। देशों के मध्य **ज्ञान के साझाकरण** और **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण,** अधिक पर्यावरण अनुकूल तकनीकों के विकास या उनके तीव्र अनुप्रयोग को संभव बना सकता है।

GVC से देशों को कैसे लाभ मिल सकता है?

- देशों को अत्यधिक विनिमय दरों (ओवरवैल्यूड एक्सचेंज रेट्स) एवं प्रतिबंधात्मक नियमों का त्याग करते हुए, निवेश बाधाओं को समाप्त कर और श्रम की प्रतिस्पर्धी कीमत सुनिश्चित कर, तुलनात्मक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
- स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से समन्वय स्थापित कर, आपूर्ति अवसरों के संबंध में जानकारी प्रदान कर और SMEs (लघु और मध्यम उद्यमों) के प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण में सहायता कर; **घरेलू SMEs और GVC आधारित फर्मों के मध्य संबंधों को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- GVCs, वस्तुओं की तीव्र और अनुमानित आवाजाही पर निर्भर करता है। सीमा शुल्क और सीमा पर व्यापार संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार करना, परिवहन सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, बंदरगाह संरचना एवं शासन में सुधार करना तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) कनेक्टिविटी में सुधार करना आदि, ये सभी रणनीतियां समय एवं अनिश्चितता से संबंधित व्यापार लागतों को कम कर सकती हैं।
- GVC का विकास **फर्मों के नेटवर्क के लचीले गठन** पर आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अनुबंध का प्रवर्तन, स्थिर और पूर्वानुमेय कानूनी व्यवस्थाएं, बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा, राष्ट्रीय प्रमाणीकरण और परीक्षण क्षमता का सुदृढ़ीकरण आदि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **विकासशील देशों को GVC सहभागिता के लाभों को समाज में प्रसार करने हेतु नीतियां बनानी** चाहिए। महिलाओं को बच्चों की देखभाल सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने, युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने, छोटे धारकों की सहायता करने (जैसे- विस्तारित सेवाओं और वित्त तक पहुंच प्रदान करना) आदि के माध्यम से समावेशन सुनिश्चित हो सकेगा।
- **पर्यावरण और कार्य की स्थितियों के संबंध में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना।** अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मानकीकरण से घटिया उत्पादन पद्धतियों को उजागर किया जा सकेगा और फर्में इसमें सुधार करने के लिए प्रेरित होंगी।

VISION IAS

5.1.4. व्यापार और विकास (Trade and Development)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंकटाड ने **व्यापार और विकास रिपोर्ट, 2019** पर **"ग्रेट लॉकडाउन से लेकर ग्रेट मेल्टडाउन तक: कोविड-19 के समय में विकासशील देशों के ऋण"** (From the Great Lockdown to the Great Meltdown: Developing Country Debt in the Time of Covid-19) नामक शीर्षक से अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की है।

विकासशील देशों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापार से जुड़े मुद्दे

- **विकासशील देशों की उच्च और बढ़ती ऋणग्रस्तता:** इससे संपूर्ण विकासशील विश्व में **संप्रभु देनदारी की चूक (डिफ़ॉल्ट)** की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
  - केवल वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में, विकासशील देशों के सार्वजनिक बाह्य ऋण के पुनर्भुगतान के लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है।
  - वर्ष 2018 के अंत में विकासशील देशों का कुल ऋण स्टॉक (बाह्य और घरेलू, निजी और सार्वजनिक) **उनके संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद का 191 प्रतिशत था,** जो **अब तक का सर्वाधिक** है।
  - निम्नलिखित कारणों से विकासशील देशों में कोविड-19 से जुड़े आर्थिक संकट के कारण यह स्थिति और अधिक ख़राब हो गई है:
    - **वस्तु एवं सेवा निर्यात, विप्रेषण आदि पर नकारात्मक प्रभाव:** इनसे विदेशी ऋण दायित्वों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्राएं प्राप्त होती हैं।
    - **पूंजी बहिर्प्रवाह एवं विकासशील देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन:** इसके कारण उनके विदेशी मुद्रा मूल्य वाले ऋण के मूल्य में भारी वृद्धि हो सकती है।

- **विकासशील देशों को ऋण बोझ से राहत प्रदान करने के वैश्विक प्रयास:**
  - कोविड-19 के संकट से निपटने के लिए विकासशील देशों को कम से कम 2.5 ट्रिलियन डॉलर की सहायता की आवश्यकता होगी।
  - इस दिशा में की गई कुछ वैश्विक पहलों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
    - **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)** द्वारा आगामी छह माह के लिए 25 सर्वाधिक निर्धन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए **देय ऋण के पुनर्भुगतान** (लगभग 215 मिलियन डॉलर) **को निरस्त कर दिया गया है।**
    - G-20 के नेताओं द्वारा घोषित **सर्वाधिक निर्धन देशों के लिए ऋण सेवा निलंबन पहल।**
    - इस संकट से निपटने में सहायता करने के लिए IMF और विश्व बैंक दोनों ने सदस्य विकासशील देशों के लिए ऋण सुविधाओं में वृद्धि करने की घोषणा की है।

इस प्रकार की पहलों से संबद्ध मुद्दे:

- ये विकासशील देशों द्वारा संचित दीर्घकालिक सार्वजनिक बाह्य ऋण भंडार के **अपेक्षाकृत छोटे भाग** के समान हैं।
- ये **अस्थायी उपाय** हैं तथा निर्यात राजस्व, वस्तुओं की कीमतों, सरकारी राजस्व और आरक्षित संपत्तियों के साथ-साथ संकट के दौरान प्राप्त की गई नई उधारियों पर कोविड-19 **संकट के व्यापक एवं दीर्घकाल तक परिलक्षित होने वाले समष्टिगत आर्थिक प्रभावों पर विचार नहीं** करते हैं।
- वर्धित ऋण सुविधाएँ, **वित्तपोषण के ऋण सृजक साधन** होते हैं तथा इनकी पात्रता अभी भी अत्यधिक प्रतिबंधात्मक मानदंडों पर निर्भर करती है।

अनुशंसित रणनीति: विकासशील देशों के लिए एक नए **'वैश्विक ऋण समझौते'** का सुझाव दिया गया हैं, जिसमें निम्नलिखित चरण होंगे:

- **चरण 1: स्वचालित अस्थायी स्थगन: जैसे कि सभी ऋणदाताओं द्वारा अपनाई जाने वाली सभी प्रवर्तन कार्रवाइयों का तत्काल और स्वचालित स्थगन,** अर्थात् महामारी के दौरान ऋण सेवा भुगतान करने में विफल रहने वाले किसी भी संप्रभु ऋणी के प्रति ऋणदाताओं द्वारा की जाने वाली संपत्ति जब्त करने या न्यायिक कार्यवाही को स्थगित करना।
  - यह **सामान्य तौर पर बाह्य संप्रभु ऋण की पूर्ति के लिए समर्पित संसाधनों** से राहत प्रदान करके सभी संकटग्रस्त विकासशील देशों की समष्टिगत अर्थव्यवस्था को "राहत के अवसर" प्रदान करेगा।
  - यह तात्कालिक भविष्य में **स्वास्थ्य और सामाजिक व्यय में वृद्धि** के माध्यम से कोविड-19 के आघात के प्रति प्रभावी अनुक्रिया को भी सुविधाजनक बनाएगा और **संकट पश्चात् आर्थिक रिकवरी** को भी संभव बनाएगा।

VISION IAS

- **चरण 2: ऋण राहत और पुनर्संरचित कार्यक्रम:** केस-बाय-केस आधार पर विकासशील देशों की दीर्घकालिक ऋण संधारणीयता का पुनर्मूल्यांकन करना।
- **चरण 3: "इंटरनेशनल डेवलपिंग कंट्री डेट अथॉरिटी (IDCDA)" की स्थापना:**
    - इसे **संबंधित राष्ट्रों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन** के रूप में स्थापित किया जा सकता है।
    - यह पहले 2 चरणों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और भविष्य में **संप्रभु ऋण पुनर्संरचना का मार्गदर्शन करने के लिए अधिक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय ढांचे** की संस्थागत और नियामकीय नींव रखेगा।

5.1.5. विश्व व्यापार संगठन और संबंधित गतिविधियां (WTO and Related Developments)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बढ़ते संरक्षणवाद से संबंधित चिंताओं को देखते हुए WTO में सुधार की मांग उठ रही है।

WTO और इसका क्रमिक विकास

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) की **स्थापना** उरुग्वे दौर (वर्ष 1986-1994) की वार्ता के परिणामस्वरूप **मराकेश संधि (वर्ष 1994) के अंतर्गत** की गई थी।
- एक संगठन के रूप में WTO से अपेक्षा की गई थी कि वह जीवन स्तर में सुधार, रोजगार सृजन और व्यापार विस्तार में बड़ी भूमिका अदा करेगा, जिससे विकासशील देशों की अधिक हिस्सेदारी और समग्र संधारणीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। व्यापारिक उदारीकरण को उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में देखा गया था।
- **व्यापारिक उदारीकरण के मूल सिद्धांत जिनका पालन किया जाना था-**
    - **भेदभाव-रहित (Non-discrimination): अर्थात् देश एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे।** इसे मोस्ट फेवर्ड नेशन्स का दर्जा देने के माध्यम से प्राप्त किया जाना था, अर्थात् स्वाभाविक व्यापार संबंध और गैर-घरेलू उत्पादकों के साथ राष्ट्रीय व्यवहार।
    - **पारस्परिक आदान-प्रदान (Reciprocity): देशों द्वारा दी जाने वाली छूट परस्पर ही दी जानी थी।**
- इन सिद्धांतों को मंत्रीस्तरीय सम्मेलनों द्वारा लागू किया जाता है। इन सम्मेलनों में **एक देश एक वोट के आधार पर** सहमति आधारित निर्णय लिए जाते हैं। यह **WTO की लोकतांत्रिक संरचना और प्रक्रिया को दर्शाता है।**
- इसके अतिरिक्त, **एक विवाद समाधान तंत्र देशों की मनमानी के खिलाफ संरक्षण प्रदान करता है।** WTO का उद्देश्य उसके नियमों में नीहित है, जो बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को आरोपित करता है और सदस्य देशों को प्रतिकूल नीतियों को ख़त्म करने के लिए बाध्य करता है।

गैर-प्रशुल्क उपाय (Non-Tariff Measures: NTM)

- यह सामान्य कस्टम शुल्क के अतिरिक्त नीतिगत उपाय है जिनका वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार की मात्रा में परिवर्तन, या कीमत या दोनों पर संभावित आर्थिक प्रभाव होता है।
- NTM का विस्तृत रूप से **तकनीकी उपाय** {जैसे- स्वच्छता और पादप उपाय (Sanitary and Phytosanitary measures), व्यापार के समक्ष तकनीकी बाधाएं (Technical barriers to trade) आदि} और **गैर-तकनीकी उपाय** में भेद किया गया है। इन्हें आगे **कठोर उपायों** (जैसे- कीमत एवं मात्रा नियंत्रण उपाय), **खतरे के उपाय (threat measures)** (जैसे- एंटी डंपिंग ड्यूटी) और **व्यापार संबंधी वित्तीय एवं निवेश उपायों** जैसे अन्य उपायों में वर्गीकृत किया गया है।
- **NTM के सकारात्मक प्रभाव:** यह अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI), अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास और मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रोत्साहित करता है।
- **गैर-प्रशुल्क उपायों द्वारा उत्पन्न चुनौतियां:** अत्यधिक-नियंत्रण, विकासशील एंव अल्प विकसित देशों (LDCs) के विरुद्ध अनैच्छिक पूर्वाग्रह, विकासशील देशों और LDCs तक वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता में कमी।

वे कौन से मुद्दे हैं जिनका WTO सामना कर रहा है?

- **बदलती विश्व व्यवस्था (Changing world order):** WTO जैसे संस्थानों के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एकध्रुवीय विश्व को प्रस्तुत किया गया था। इस चरण के दौरान व्यापार की प्रकृति नियम आधारित बन गयी थी, जो पश्चिमी जगत के पक्ष में था। लेकिन अब विकासशील देशों के उदय और विश्व व्यापार में उनकी बढ़ती हिस्सेदारी से विश्व व्यवस्था संरचनात्मक बदलावों के दौर से गुजर रही है।

VISION IAS

- **प्रकियागत कमियां (Process Loopholes):** वार्ता प्रक्रियाएं ऊपर से देखने में लोकतांत्रिक लगती हैं, लेकिन मंत्रीस्तरीय सम्मेलनों पर अपारदर्शी और अत्यधिक तकनीकी होने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सर्वसम्मति आधारित नियम बनाना सुधारों में रुकावट का मूल कारण बन गया है।
- **विवाद समाधान:** विवाद समाधान तंत्र महंगा और समय साध्य प्रक्रिया है। यह मुख्य रूप से विकसित देशों के प्रभाव के अधीन है और विकासशील देश इसके शिकार बन कर रहे गए हैं। इसके अतिरिक्त, अपीलीय निकाय में नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति प्रक्रिया का राजनीतिकरण हुआ है।
- **गैर-प्रशुल्क बाधाओं का बढ़ता प्रयोग:** हाल ही में प्रकाशित "द एशिया पैसेफिक ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट रिपोर्ट-2019" के अनुसार, पिछले दो दशकों में NTMs में वृद्धि हुई है।
- **समझौते की प्रकृति:** WTO के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए समझौतों पर कामकाज में भेदभावपूर्ण होने और समावेशी ना होने का आरोप लगा है। DDA (दोहा डेवेलेपमेंट एजेंडा) घरेलू सहायता के रूप में सब्सिडी का स्थायी समाधान उपलब्ध कराने में अब-तक सक्षम नहीं हो पाया है। WTO के पास डिजिटल सक्षम व्यापार यानि ई-कॉमर्स से संबंधित कोई समझौता नहीं है।
- **विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों पर ट्रिप्स (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: TRIPs) का अनुपालन नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं।** उन्होंने जेनरिक दवाओं, अनिवार्य लाइसेंसिंग और आयात प्रतिस्थापन का विरोध किया हिया। दूसरी तरफ, विकासशील देशों ने लोक स्वास्थ्य चिंताओं का हवाला देते हुए दवा कंपनियों पर हमेशा मुनाफे से प्रेरित होने का आरोप लगाया है।

भारत और WTO के बीच हालिया गतिविधियां

हाल ही में, भारत ने घरेलू सहायता की अंतिम सीमा के बढ़ाने के लिए **WTO के शांति खंड (peace clause)** का प्रयोग किया है। उल्लेखनीय है कि धान के लिए किसानों को सहायता पहुँचाने हेतु भारत इस खंड का प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है।

- **शांति खंड (Peace clause):**
  - जब किसी देश के खाद्य खरीद कार्यक्रम से WTO द्वारा निर्धारित सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन होता है तो उस स्थिति में यह शांति खंड किसी विकासशील देश को उसके खाद्य खरीद कार्यक्रम के विरुद्ध WTO सदस्यों की कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करता है।
  - इसमें यह भी प्रावधान है कि **ग्रीन बॉक्स से संबंधित घरेलू सहायता उपायों** के विरुद्ध काउंटरवेलिंग उपायों (Countervailing Measures) और सब्सिडी तथा काउंटरवेलिंग उपायों पर WTO समझौते के अंतर्गत सब्सिडी संबंधी अन्य कार्रवाई आरंभ नहीं की जा सकती है।

भारत ने G20 देशों से एक ऐसे समझौते पर काम करने के लिए कहा है जो देशों को TRIPs के अंतर्गत लोचशीलता (flexibilities) प्रदान करे।

- इस प्रकार, भारत ने एक ऐसे समझौते का आह्वान किया है जो **आवश्यक दवाओं, उपचार और वैक्सीन की वहनीय कीमत पर** उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ट्रिप्स के लचीले प्रयोग को सक्षम बनाएगा।
- **ट्रिप्स फ्लेक्सबिलटी के बारे में:**
  - **ट्रिप्स फ्लेक्सबिलटी वस्तुतः पेटेंट के प्रभाव (अर्थात् प्रतिस्पर्धा के अभाव के कारण पेटेंट प्राप्त दवाओं की अत्यधिक ऊंची कीमत) को कम करने के लिए देशों को 'नीतिगत सुविधा' (policy spaces) प्रदान करता है।**
  - ट्रिप्स फ्लेक्सबिलटी के अंतर्गत **अनिवार्य लाइसेंसिंग, समानांतर आयात** (पेटेंट-धारक की सहमति के बिना आयात), **डेटा संरक्षण पर नियंत्रण** (पेटेंट के संदर्भ में) और **अल्प-विकसित देशों (LDCs) के लिए संक्रमण काल का विस्तार** सम्मिलित हैं।

WTO अब भी क्यों प्रासंगिक है?

- **WTO वैश्विक व्यापार प्रवाह के 98% भाग को विनियमित करता है।** इसके कारण औसत प्रशुल्कों में वर्ष 1942 से अब तक 85% तक की कमी आई है। तकनीकी विकास के साथ-साथ प्रशुल्क में कमी के कारण वैश्विक व्यापार के असाधारण विस्तार को बल मिला है।
- **GDP के हिस्से के रूप में व्यापार वर्ष 1960 के 24% से बढ़कर वर्ष 2015 में 60% हो गया।** इस प्रकार, व्यापार के विस्तार ने पूरे विश्व में आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा दिया है, रोजगार सृजित किया है तथा परिवारों की आय में वृद्धि की है।
- अब तक के सबसे गहन नियम पर आधारित प्रणाली - विशेष रूप से **गैट (GATT)** और **WTO** - से **अधिक खुलेपन, पारदर्शिता और स्थिरता को बढ़ावा मिला है।**
- चूंकि राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं अधिक से अधिक परस्पर-निर्भर हो गई हैं, **ऐसे में एक व्यापार संगठन का टूटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका होगा।**

VISION IAS

आगे की राह

- **बहुपक्षीय व्यापार वार्ताएं:** चूंकि WTO एक सदस्य आधारित संगठन है, इसलिए सभी देशों (विकासशील और विकसित) को इसकी संरचना और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए मिलकर काम करना होगा। WTO को बहुपक्षीय वार्ताओं के लिए आगे बढ़ना चाहिए जहां समान विचारधारा वाले देश अपने विषेश मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकें और अपने साझा मुद्दे के संबंध में नियम बना सकें।
- **सेवाओं के व्यापार का आज विश्व व्यापार में प्रभुत्व है** (अर्थात् वैश्विक GDP का लगभग दो-तिहाई)। इसके बावजूद वैश्विक व्यापार नीति सेवाओं के व्यापार के समक्ष बाधक बनी हुई है। यह क्षेत्रक वस्तुओं के व्यापार से अधिक बाधाओं का सामना कर रहा है। इसे सुधारने के लिए, जेनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS) को अधिक खुला और पारदर्शी बनाना होगा। **इसे एकाधिकारी प्रथाओं, वित्तीय नियंत्रणों और अवैध आव्रजन पर ध्यान देना होगा।**
- **समावेशन के लिए व्यापार संबंधी नीतियां:**
  - विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों की चिंताओं को दूर करने के लिए **कृषि पर हुए समझौतों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए।**
  - **अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून, कौशल विकास, लचीली गतिशीलता** बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को अधिक स्थिरता और संधारणीयता प्रदान करेंगे।
- **सामूहिक सौदेबाजी (Collective Bargain): G-33, अफ्रीकन कम्युनिटी जैसे समान विचार वाले समूहों** को कृषि, सेवाओं, बौद्धिक संपदा इत्यादि पर हुए समझौतों में अनुकूल प्रावधान की मांग करने के लिए अपनी सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ाना होगा। विवाद तंत्र को अधिक शक्तिशाली और सदस्य संचालित बनाया जाना चाहिए।

5.1.5.1. उद्गम का नियम (Rules of Origin)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में राजस्व विभाग ने **'सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के अंतर्गत उद्गम के नियमों का प्रशासन) नियम, 2020'** (Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020) (अथवा CAROTAR, 2020) अधिसूचित किए हैं। यह 21 सितंबर 2020 से लागू हो गया है।

सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के अंतर्गत उद्गम नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 से संबंधित तथ्य

- ये नियम **भारत में वस्तुओं के आयात** पर लागू होंगे जहां आयातक व्यापार समझौते (trade agreement) के संदर्भ में **अधिमान्य शुल्क दर** का दावा करता है।
- CAROTAR, 2020 का उद्देश्य (जो भारत के संबंधित व्यापार समझौतों अर्थात मुक्त व्यापार समझौता (FTA), अधिमान्य व्यापार समझौता (PTA), व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA), व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता (CEPA) आदि के अंतर्गत निर्धारित किया गया है) **उद्गम के नियमों** के कार्यान्वियन से संबंधित **परिचालन प्रमाणन प्रक्रियाओं का अनुपूरण** करना है।

उद्गम का नियम क्या है?

- यह देश में आयातित उत्पाद के **उद्गम देश को निर्धारित करने हेतु नियत किए गए मानदंड हैं।**
- इनका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है:
  - **वाणिज्यिक नीति के** डंपिंग रोधी शुल्क और रक्षोपाय उपाय जैसे **उपायों और साधनों** को कार्यान्वित करने के लिए;
  - यह निर्धारित करने के लिए कि आयातित उत्पादों को सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र (MFN) व्यवहार या अधिमान्य व्यवहार प्राप्त होगा या नहीं;
  - व्यापार सांख्यिकी के उद्देश्य से;
  - लेबलिंग और चिह्नांकन संबंधी आवश्यकताओं के अनुप्रयोग के लिए; और
  - सरकारी खरीद के लिए।
- उद्गम के नियम के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं:
  - **उद्गम का गैर-अधिमान्य नियम: यह** किसी भी व्यापार अधिमान्यता के अभाव में लागू होता है**,** जहां **कोटा**, **डंपिंग रोधी या "मेड इन" लेबल** जैसे कुछ व्यापार नीति उपायों के लिए उद्गम के निर्धारण की आवश्यकता हो सकती है।

VISION IAS

- **उद्गम का अधिमान्य नियम:** यह पारस्परिक व्यापार अधिमान्यताओं (अर्थात क्षेत्रीय व्यापार समझौतों या सीमा शुल्क संघों) में या अपारस्परिक व्यापार अधिमान्यताओं (अर्थात विकासशील देशों या अल्प विकसित देशों के पक्ष में अधिमान्यता) में लागू होता है।

उद्गम के नियम का महत्व

- **व्यापार विरूपित करने वाली पद्धतियों को समाप्त करना**
- **व्यापार समझौतों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करना**
- **सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में पारदर्शिता**
- **पर्यावरणीय या स्वच्छता संबंधी उपाय कार्यान्वित करना**
- **"स्वदेशी खरीदें" नीतियों का प्रशासन:** विशिष्ट देशों के साथ भुगतान संतुलन को समायोजित करने के लिए।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा या राजनीतिक नीति सुनिश्चित करना:** रणनीतिक हथियारों या ऐसे विशिष्ट उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करके, जिन पर प्रतिबंध आरोपित किए जाते हैं।

उद्गम के नियमों से संबंधित चिंताएं

- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रवाह पर प्रभाव**: उद्गम के नियमों और संबंधित प्रक्रियाओं का संरक्षणवादी प्रवृत्तियों को सुदृढ़ करने के साधन के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- **प्रतिबंधात्मक उद्गम विनियमों से निवेश प्रवाह प्रभावित हो सकता है**: चूंकि इनसे उद्गम मानदंडों को पूरा करने के लिए स्थानीय सामग्री संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रमुख आयातकों के क्षेत्रों में अत्यधिक निवेश के लिए आकर्षित हो सकता है।
- **प्रशासनिक बोझ में वृद्धि:** कठोर नियमों से वास्तविक आयातकों के लिए व्यापार समझौतों का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।
- **व्यापार की उच्च लागत:** अध्ययनों से ज्ञात हुआ है कि उद्गम प्रमाण पत्र की लागत वस्तु मूल्य का लगभग 5% होती है।
- **एकरूपता की कमी:** प्रशुल्कों और व्यापार पर WTO के सामान्य समझौते (GATT) में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में वस्तुओं के उद्गम के देश का निर्धारण नियंत्रित करने वाला कोई विशिष्ट नियम उपबंधित नहीं है। व्यापार समझौते का प्रत्येक अनुबंधकर्ता पक्षकार अपने उद्गम के नियमों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र होता है।

आगे की राह

उद्गम के नियम अधिमान्य समझौतों के उचित कार्यान्वियन को संभव बनाते हैं, जिससे व्यापार के विकास को बढ़ावा मिलता है और निवेश प्रोत्साहित होता है। इनका उत्पादन-संबंधी उपयोग सुनिश्चित करने वाले उपायों में सम्मिलित हैं:

- **स्पष्ट रूप से परिभाषित नियम और प्रक्रियाएं,** क्योंकि कोई भी परिवर्तन तत्काल प्रकाशित कर दिया जाता है।
- यह सुनिश्चित करना कि इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर **प्रतिबंधात्मक, विरूपणकारी या विघटनकारी प्रभाव आरोपित नहीं किया जाता है।**
- नियमों को **सुसंगत, एकसमान, निष्पक्ष और उचित** ढंग से प्रशासित करना।
- न्यायिक, मध्यस्थ या प्रशासनिक अधिकरणों द्वारा उद्गम के निर्धारण के संबंध में **किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई की समीक्षा** की सुविधा प्रदान करना।

5.2. अंतर्राष्ट्रीय निवेश (International Investment)

परिचय

सबसे सरल शब्दों में, अंतर्राष्ट्रीय निवेश वे निवेश हैं जो घरेलू बाजार के बाहर किए जाते हैं। इन निवेशों को मोटे तौर पर सरकारी निधि/अनुदान, सीमापारीय ऋण, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में, FDI विदेशी निवेश के बीच सर्वाधिक हिस्सेदारी के आधार पर इन श्रेणियों में सबसे बड़ा महत्व रखता है।

VISIONIAS

भारत में FDI की स्थिति

- वर्ष 2019 में भारत शीर्ष 10 FDI प्राप्तकर्ता देशों में से एक था। यह विश्व बैंक के **'ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 2020' रिपोर्ट में 63वें स्थान पर** पहुँच गया है। हालांकि, अभी भी **विदेशी निवेश (अर्थात् FDI) भारत की GDP के 2 प्रतिशत** पर बना हुआ है।
- वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में **FDI-इक्विटी इनफ्लो (अंतर्वाह)** 49.9 बिलियन डॉलर रहा था। हालांकि, यह इसी अवधि में **प्रेषण (remittances) के वार्षिक बहिर्प्रवाह (83 बिलियन डॉलर) की तुलना में काफी कम था।**
- **वर्ष 2018 में** भारत, विश्व के शीर्ष FDI प्राप्तकर्ताओं की सूची में **12वें स्थान पर रहा था, जबकि वर्ष 2019 में इसका स्थान 9वां रहा है** (प्रथम दो स्थानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन हैं)।
    - **दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता (70% से अधिक FDI प्राप्तकर्ता) है।**
    - अधिकांश निवेश **ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) और निर्माण उद्योग** को प्राप्त हुए।
    - विगत राजकोषीय वर्ष के दौरान **सिंगापुर, भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत रहा है।** इसके पश्चात् मॉरीशस, नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, केमेन द्वीप, जापान और फ्रांस का स्थान है।
    - FDI का सर्वाधिक अंतर्वाह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। इसके पश्चात् चीन और सिंगापुर का स्थान है।

5.2.1. संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (Revised FDI Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग** ने कोविड-19 के कारण प्रभावित हुई भारतीय कंपनियों के वित्तीय संकट का लाभ उठाकर प्रेडटॉरी विदेशी निवेशों द्वारा उनका शोषण किए जाने की संभावना पर अंकुश लगाने के लिए अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- विगत 5 वर्षों में, भारत में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप क्षेत्र में चाइनीज निवेश में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यह वर्ष 2014 में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो वर्ष 2019 में लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्तमान और नियोजित दोनों) हो गया था।
- इसे ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान किया गया था कि चाइनीज संस्थाएं भारतीय संस्थाओं और कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कोविड-19 प्रकोप के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी का लाभ उठाने का प्रयास करेंगी। वे भारतीय कंपनियों का शत्रुतापूर्ण और अवसरवादी अधिग्रहण कर सकती हैं।
- ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिए, भारतीय कंपनियों का अवसरवादी अधिग्रहण किए जाने पर अंकुश लगाने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को संशोधित किया गया है।

बढ़ता चाइनीज निवेश और संबंधित चिंताएं

- वर्ष 2014 तक, भारत में विशुद्ध चाइनीज निवेश और द्विपक्षीय व्यापार संबंध अत्यधिक लेनदेन परक था अर्थात् आयात और निर्यात तक ही सीमित था और परस्पर निर्भरता नगण्य थी। हालांकि, वर्ष 2014 में भारत में चाइनीज निजी क्षेत्रक का बड़े पैमाने पर प्रवेश देखा गया और तत्पश्चात अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, अचल संपत्ति और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में चाइनीज पूंजी एवं निवेशों में अत्यधिक वृद्धि हुई है।
- तब से, चाइनीज निवेशकों ने भारत में 90 स्टार्ट-अप कंपनियों में लगभग **4 बिलियन डॉलर** का निवेश किया है तथा देश की 30 यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप कंपनियों में से 18 का निधीयन चाइनीज निवेशकों द्वारा किया गया है।
- यद्यपि, **पूंजी के अभाव से ग्रस्त भारतीय स्टार्ट-अप** कंपनियों के संदर्भ में चीन से निवेश प्राप्त करना लाभदायक है, क्योंकि वे अपने घरेलू बाजार में समान क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य करने की क्षमता और सफलता प्राप्त कर चुकी चाइनीज कंपनियों के अनुभव और तकनीकी ज्ञान से लाभान्वित हो सकती हैं, तथापि वर्तमान चिंताओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

इन निवेशों से संबंधित चिंताएं

- **चीन के सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों (SOEs)** व **प्रांतीय सरकारों** द्वारा भारत में लगभग 50 प्रतिशत चाइनीज निवेश किया जा रहा है। ये चाइनीज कूटनीति के महत्वपूर्ण उपकरण बन गए हैं। साथ ही, निजी और SOEs में अंतर करना कठिन है, क्योंकि कई बार वे अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्संबंधित होते हैं।
- ये निवेश (निजी क्षेत्रक के निवेश सहित), **"मेड इन चाइना 2025" योजना** के भाग हैं। इस योजना का उद्देश्य **प्रौद्योगिकी का**

VISION IAS

अधिग्रहण करना है। अलीबाबा जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा पेटीएम (PayTM) जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप में निवेश किए जाने से यह स्पष्ट हो जाता है।

- भारत का **निवेश संवीक्षा तंत्र** विकसित देशों के समान सुदृढ़ नहीं है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2019 तक, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान उन देशों में शामिल थे जिन्होंने हुआवेई को उसकी 5G योजनाओं को कार्यान्वित करने से अवरुद्ध कर दिया था। ज्ञातव्य है कि **हुआवेई** निजी क्षेत्रक की एक बड़ी कंपनी है जिसके इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। भारत ने इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया है। हालांकि, इसने हुआवेई को 5G के प्रारंभिक परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है।
- समाचार सेवाओं, वित्तीय तकनीकी सेवाओं जैसे **संवेदनशील क्षेत्रकों में बढ़ता निवेश** उपयोगकर्ता डेटा की गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के संदर्भ में हानिकारक सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए, बाइटडांस (ByteDance), जो चीन में सेंसरशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसने भारतीय समाचार एग्रीगेटर डेलीहंट में **25 मिलियन डॉलर** का निवेश किया है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में परिवर्तन

- वर्तमान नीति के अनुसार कोई भी अनिवासी इकाई (non-resident entity) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन भारत में निषिद्ध क्षेत्रकों/गतिविधियों को छोड़कर अन्य क्षेत्रकों/गतिविधियों में निवेश कर सकती है।
    - **अतिरिक्त प्रावधान:** बांग्लादेश और पाकिस्तान का नागरिक या दोनों देशों में पंजीकृत कोई इकाई **केवल सरकारी मार्ग के अंतर्गत ही** निवेश कर सकते हैं।
    - इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के लिए पहले से निषिद्ध क्षेत्रकों/गतिविधियों के साथ-साथ **रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा** जैसे क्षेत्रक/गतिविधियों में भी निवेश निषिद्ध हैं।
- संशोधित नीति के अनुसार, **भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले किसी देश** की कोई इकाई या भारत में निवेश से लाभ प्राप्त करने वाली किसी इकाई का स्वामी यदि ऐसे किसी देश में स्थित है या उसका नागरिक है, तो वह केवल सरकारी मार्ग के अंतर्गत ही निवेश कर सकता है।
    - इसका तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त अतिरिक्त प्रावधानों को हमारे **सभी पड़ोसी देशों (चीन सहित) तक विस्तारित** कर दिया गया है। हालाँकि, सरकार ने चीन का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है।
- इसके अतिरिक्त, संशोधन में यह भी कहा गया है कि भारत स्थित किसी इकाई में वर्तमान में या भविष्य में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के स्वामित्व का **प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप** से हस्तांतरण करने हेतु भी **सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता** होगी, यदि लाभकारी स्वामित्व उपर्युक्त नियम द्वारा अधिरोपित प्रतिबंधों के अधीन हैं।
    - इन दिशा-निर्देशों का निर्माण ऐसे **बहुस्तरीय लेनदेनों को नियंत्रित करने** के लिए किया गया था, जो लाभकारी स्वामित्व के लिए अंततोगत्वा भूमि सीमा साझा करने वाले सात देशों को इंगित करते थे।
    - इसका तात्पर्य यह है कि चीन (या किसी अन्य भूमि सीमा साझा करने वाले देश) से निवेश प्राप्त करने वाले निजी इक्विटी निवेशक और उद्यम पूंजी निधियों (यहां तक कि जो पहले से ही अनुबंधित हैं) को भी निवेश करने से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

स्वचालित बनाम सरकारी मार्ग के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

- **सरकारी मार्ग के अंतर्गत,** विदेशी निवेशक को संबंधित मंत्रालय/विभाग से पूर्व-अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- **स्वचालित मार्ग के अंतर्गत,** निवेशक को निवेश किए जाने के पश्चात् केवल भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करना होता है।
- इसके अतिरिक्त, **50 बिलियन रुपये से अधिक के प्रस्तावों** को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, भले ही वे किसी भी क्षेत्रक या देश से संबंधित हों।

इस नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

- **स्टार्ट-अप के निधीयन पर प्रभाव:** यूनिकॉर्न व छोटी स्टार्ट-अप कंपनियों के लिए निधीयन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है क्योंकि सरकारी मार्ग से निवेश का प्रावधान कई निवेशकों को हतोत्साहित कर सकता है।
    - उदाहरण के लिए, भारत की शीर्ष स्टार्ट-अप यूनिकॉर्न कंपनियों, जैसे- पेटीएम, ज़ोमैटो, बिगबास्केट और ड्रीम11 आदि के आगामी वित्तीयन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं।
- **अधिक स्पष्टता की आवश्यकता:** रिपोर्टिंग तंत्र के संबंध में अधिक स्पष्टीकरण तथा पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए होल्डिंग प्रतिशत जैसे लाभकारी स्वामित्व संरचनाओं की पहचान करने की आवश्यकता है।
- **चीन ने मानदंडों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया:** चीन का कहना है कि इस नीति के द्वारा विशिष्ट देशों के निवेशकों के लिए निर्मित की गई बाधाएं विश्व व्यापार संगठन के भेदभाव रहित व्यवहार के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं।

VISION IAS

- **भारत का तर्क:** भारत ने अपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के विषय में चीन के आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है। भारत ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं-
    - **संशोधित नीति न तो बाजार पहुंच को और न ही किसी राष्ट्र के साथ किए जाने वाले व्यवहार को प्रतिबंधित करती है**, जो कि वैश्विक व्यापार के दो सिद्धांत हैं और इस प्रकार यह नीति विश्व व्यापार संगठन के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करती है।
    - निवेश के संबंध में, ये उपाय **"व्यापार संबद्ध निवेश उपायों (TRIMS)" पर समझौते की व्याख्यात्मक सूची (Illustrative List)** के अंतर्गत नहीं आते हैं। ज्ञातव्य है कि व्याख्यात्मक सूची ऐसे उपायों का विवरण प्रस्तुत करती है जो किसी राष्ट्र के साथ किए जाने वाले व्यवहार हेतु दायित्व से असंगत होते हैं।
- **पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर अधिप्लावन प्रभाव:** भूमि सीमा साझा करने वाले सभी देशों तक प्रतिबंधों का विस्तार म्यांमार जैसे देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।

आगे की राह

भारत में होने वाले **चाइनीज निवेश में अत्यधिक असंतुलित (एकतरफा) द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने की क्षमता विद्यमान है।** हालांकि, भारतीय कंपनियों में चाइनीज भागीदारी में वृद्धि हो रही है। भारत भी कई चाइनीज कंपनियों के लिए प्रमुख विदेशी बाजारों में से एक के रूप में उभरा है। इस तथ्य का भारत की व्यापार रणनीति द्वारा व्यापारिक संबंधों को संतुलित करने या चीन में भारतीय कंपनियों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करने हेतु बेहतर रूप से लाभ उठाया जा सकता है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एक ओर मित्रवत, उदार, खुले एवं आशा के अनुरूप निवेश वातावरण निर्मित करने तथा दूसरी ओर **सुरक्षा एवं गोपनीयता से संबंधित दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान** करने के मध्य बेहतर संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

5.2.1.1. सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह और परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Empowered Group of Secretaries and Project Development Cells)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों / विभागों में सचिवों के एक अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) और परियोजना विकास प्रकोष्ठों (PDCs) की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है।

- **EGoS के उद्देश्य हैं:**
    - निवेश से संबंधित नीतियों के विषय में विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना तथा समयबद्ध स्वीकृतियां सुनिश्चित करना।
    - फास्ट ट्रैक निवेश मंजूरी के माध्यम से निवेश आकर्षित करना और वैश्विक निवेशकों को निवेश समर्थन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराना।
    - लक्षित तरीके से शीर्ष निवेशकों की ओर से आने वाले निवेश को सुविधाजनक बनाना और निवेश परिदृश्य में नीतिगत स्थायित्व तथा सामंजस्य कायम करना।
    - विभागों द्वारा रखे गए निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करना। इसके अतिरिक्त, विभागों के अधिकार प्राप्त समूह द्वारा विभिन्न चरणों के समापन के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

परियोजना विकास प्रकोष्ठ (Project Development Cells: PDCs)

- केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए निवेश योग्य परियोजनाओं के विकास के लिए एक 'PDC' की स्थापना को स्वीकृति दी गई है।
- **PDCs के उद्देश्य हैं:**
    - सभी स्वीकृतियों, आवंटन के लिए भूमि की उपलब्धता और निवेशकों द्वारा स्वीकार्यता/निवेश के लिए पूर्ण विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के साथ परियोजनाएं तैयार करना।
    - निवेश आकर्षित करने और उसे अंतिम रूप प्रदान करने के क्रम में ऐसे मुद्दों की पहचान करना, जिनका समाधान करने की आवश्यकता है तथा उन्हें अधिकार प्राप्त समूह के समक्ष रखा जाना।
- PDC, निवेश करने योग्य परियोजना की अवधारणा को विकसित करने, रणनीति तैयार करने, उसे कार्यान्वित और प्रसारित करने में मदद करेगा।

VISIONIAS

अपेक्षित लाभ

- वर्तमान कोविड-19 महामारी के चलते उद्योग जगत अपने निवेश में विविधता लाने एवं विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने का विचार कर रहे हैं। ऐसे में EGoS और PDCs की स्थापना का लक्ष्य भारत को घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अधिक निवेशक-अनुकूल गंतव्य बनाना है।
- यह आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगा तथा घरेलू उद्योगों में निवेश और रोजगार के अवसर प्रदान कर अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करेगा तथा 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को साकार करने में मदद करेगा।
- यह वैश्विक मूल्य श्रृंखला में प्रतिभागी बनने और संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन इत्यादि बड़े बाजारों में उपयुक्त तरीके से भाग लेने में भारतीय उद्योग को सक्षम बनाएगा।

5.2.2. द्विपक्षीय निवेश संधि (Bilateral Investment Treaty: BIT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, निवेश आकर्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इसी परिदृश्य को देखते हुए, भारत की मॉडल "द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT), 2016" की समीक्षा की मांग की जा रही है।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के बारे में

- द्विपक्षीय निवेश संधियां **दो देशों के मध्य संपन्न संधियां हैं। इनका उद्देश्य दोनों देशों के निवेशकों द्वारा किए गए निवेश को संरक्षण प्रदान करना है।**
- ये संधियाँ मेजबान देश के नियामक व्यवहार पर शर्तें आरोपित करती हैं तथा विदेशी निवेशकों के अधिकारों को कम करने वाली प्रथाओं पर अंकुश लगाती हैं।
- अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और मेजबान देशों के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटान हेतु निवेशक-राज्य विवाद समाधान (Investor-State Dispute Settlement: ISDS) तंत्र के अंतर्गत निवेशकों को यह अधिकार होता है कि वे मामले को **निवेश संबंधी विवादों के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (International Centre for Settlement of Investment Disputes: ICSID)** के समक्ष ले जाएं। यहाँ विवादों का निपटारा किया जाता है।

भारत और BIT

- 1990 के दशक के आरंभिक दौर में भारत ने BITs पर हस्ताक्षर करना शुरू किया था। भारत ने अपना पहला BIT समझौता वर्ष 1994 में यूनाइटेड किंगडम (UK) के साथ किया था। तब से अब तक भारत द्वारा 84 देशों के साथ BITs पर हस्ताक्षर किया जा चुका है।
- **BIT भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के प्रमुख वाहकों में से एक रहा है।** भारत में कुल FDI वर्ष 2000-2001 के 4,029 मिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2016-17 में 43,478 मिलियन डॉलर रहा था।
- वर्ष 2011 में व्हाइट इंडस्ट्रीज मामले में एक ISDS अधिकरण ने भारत के विरुद्ध फैसला दिया था। इसके पश्चात् ISDS द्वारा नियामक उपायों से संबंधित अनेक प्रकार के मामलों में भारत के विरुद्ध दिए गए फैसलों / जारी किए गए नोटिस को संज्ञान में लेते हुए भारत सरकार ने BITs की समीक्षा का निर्णय लिया था।
- इस प्रकार, विदेशी निवेश के संबंध में कुछ हद तक संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए भारत द्वारा वर्ष 2016 में BIT के नए मॉडल (अर्थात् मॉडल BITs) को अपनाया गया था। यह मॉडल BIT, विश्व भर में भारत के BIT से संबंधित समझौता वार्ता के लिए एक रूपरेखा के रूप में परिलक्षित हुआ है।
- इसे अपनाए जाने के बाद से, वर्ष 2016 एवं वर्ष 2019 के बीच भारत ने 66 एकपक्षीय BIT को समाप्त कर दिया। तब से भारत ने केवल तीन BITs पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें से कोई भी अब तक लागू नहीं हो पाया है।

भारत के मॉडल BIT (वर्ष 2016) की प्रमुख विशेषताएं एवं चिंताएं

- इस नए मॉडल BIT में **निवेश की परिभाषा 'एक व्यापक परिसंपत्ति-आधारित परिभाषा से हटकर उद्यम-आधारित'** हो गई है जहां किसी भी उद्यम को उसकी परिसंपत्ति के साथ जोड़कर देखा जाता है।
  - **चिंताएं:** इस परिभाषा में निर्धारित **मानदंड अस्पष्ट** हैं। उदाहरण के लिए- उद्यमों के अस्तित्व में आने के संबंध में एक इसमें एक **'नियत अवधि'** का उल्लेख है, जबकि यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि यह अवधि क्या होगी। इसी प्रकार इसमें **'विकास के लिए महत्वपूर्ण' निवेश** के संबंध में एक उपबंध है, जबकि यह तय नहीं किया गया है कि 'महत्वपूर्ण' निवेश का क्या आशय है आदि।
- **परम अनुग्रहीत राष्ट्र (Most Favoured Nation: MFN):** BIT में MFN प्रावधानों का उद्देश्य विभिन्न देशों के निवेशकों के साथ मेजबान राष्ट्र द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित करना तथा सभी विदेशी निवेशकों एक समान अवसर प्रदान करना

VISION IAS

है। विदेशी निवेशकों को 'MFN खंड' के माध्यम से BITs के अन्य प्रावधानों का लाभ उठाने से रोकने के लिए **भारत का मॉडल BIT पूरी तरह से MFN खंड का त्याग करता है।**

- **चिंताएं:** BIT में MFN प्रावधानों का अभाव **विदेशी निवेशकों के समक्ष भेदभावपूर्ण व्यवहार से जुड़े जोखिम उत्पन्न कर सकता है,** जो एक विदेशी निवेशक को दूसरे की अपेक्षा वरीयता प्रदान कर सकता है।

- **उचित एवं न्यायसंगत व्यवहार (Fair and Equitable Treatment: FET):** इसका अर्थ है कि विदेशी निवेशक मेजबान राष्ट्र के अस्वीकार्य/मनमाने उपायों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानून (जो मेजबान राष्ट्र के नियम-कानूनों के अधीन नहीं हैं) का संरक्षण प्राप्त कर सकता है। वर्ष 2016 के मॉडल BIT के तहत **FET प्रावधानों को सम्मिलित नहीं** किया गया है, क्योंकि ISDS ट्रिब्यूनल प्राय: इस प्रावधान की व्यापक रीति से व्याख्या करते हैं। इसके बजाए, इसमें 'ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स' का प्रावधान किया गया है।
  - **चिंताएं:** यह विदेशी निवेशकों के लिए उपलब्ध सुरक्षा के दायरे को कम करता है।
- **ISDS तंत्र:** वर्ष 2016 के मॉडल BIT में भारत ने ISDS हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है। हालांकि, इस संबंध में एक शर्त यह है कि किसी विदेशी निवेशक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की सुविधा का लाभ उठाने के पहले कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक सभी स्थानीय उपायों के तहत अपनी चिंताओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा।
  - **चिंताएं: 'ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस 2020' रिपोर्ट** के अनुसार, **संविदा प्रवर्तन अर्थात् समझौतों/अनुबंधों को लागू करने में सुगमता** (ease of enforcing contracts) के संदर्भ में वर्तमान में 190 देशों में से भारत का स्थान 163वां है। इसके अतिरिक्त, भारत में विवाद समाधान के लिए औसतन 1,445 दिन लगते हैं तथा इसमें क्लेम वैल्यू (दावा मूल्य) का 31% व्यय हो जाता है। इससे विदेशी निवेशकों के मध्य विश्वास में कमी आती है।

आगे की राह

विशेष रूप से मेक इन इंडिया जैसी परियोजनाओं के तहत विदेशी निवेश प्रवाह बढ़ाने की भारत की इच्छा पूर्ण करने के लिए उदारीकरण नीतियों के तहत BIT मॉडल में अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक कंपनियां अपने निवेश को चीन से दूर ले जा रही हैं, यह घरेलू कंपनियों को मूल्य श्रृंखला में प्रतिस्पर्धी और लचीली बनाने के उद्देश्य को पूरा करने तथा, BIT मॉडल की संरक्षणवादी दृष्टिकोण की बजाय अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण से समीक्षा करने का अवसर है।

न्यूज़ टुडे

- 2 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

6. कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (Agriculture and Allied Activities)

परिचय

यह क्षेत्रक **ग्रामीण आजीविका, रोजगार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है। भारत के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए अभी भी मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। इसके आलोक में, सरकार वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है।

कृषि क्षेत्रक का अवलोकन

- **सकल मूल्य वर्द्धित (Goss Value Added: GVA) में हिस्सेदारी:** GVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रकों की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 के 18.2 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 16.5 प्रतिशत हो गई है।
- **संवृद्धि में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति:** कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में वर्ष 2018-19 के 2.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 2.8 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है।
- **सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation: GCF) में भी उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति है:** GCF (GVA के प्रतिशत के रूप में) में वर्ष 2012-13 के 16.5 प्रतिशत के संदर्भ में वर्ष 2017-18 में 15.2 प्रतिशत के बीच उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है।

6.1. कृषि आगतें (Agricultural Inputs)

परिचय

कृषि आगतों में वह सब कुछ सम्मिलित है, जो एक कृषक के लिए उत्पादन के कारक के रूप में कार्य करता है, यथा- भूमि, मृदा, जल, बीज, उर्वरक आदि।

6.1.1. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना (Soil Health Card Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना** के सफल कार्यान्वियन के पाँच वर्ष पूर्ण हुए हैं।

पृष्ठभूमि

- मृदा के स्वास्थ्य और उर्वरता को किसानों के लिए संधारणीय लाभप्रदता का आधार माना जाता है। वैज्ञानिक की अनुशंसा के आधार पर उर्वरकों का इष्टतम उपयोग और उचित फसल प्रतिरूप का अनुसरण करना, संधारणीय कृषि की दिशा में पहला कदम होता है।
- भारत में, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (NPK) की वर्तमान खपत का अनुपात 6.7:2.4:1 है। यह 4:2:1 के आदर्श अनुपात की तुलना में नाइट्रोजन (यूरिया) की अत्यधिक खपत को इंगित करता है।
- कुछ आकलनों के अनुसार, शुद्ध फसल क्षेत्र में लगभग 5,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की उर्वरक सब्सिडी प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप **उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा** मिला है। पुनः सूक्ष्म पोषक तत्वों और जैविक खाद की कीमत पर NPK उर्वरकों के अत्यधिक खपत को बल मिला है।
  - भारत द्वारा वर्ष 2018 में **उर्वरक सब्सिडी पर 80,000 करोड़ रूपये** व्यय किए गए।
- **उर्वरकों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता** को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2015 में संपूर्ण देश में **मृदा स्वास्थ्य कार्ड (Soil Health Card: SHC) योजना** आरंभ की थी।

इस योजना का प्रदर्शन

- **कवरेज:** लगभग 22.5 करोड़ SHC का वितरण किया गया है।
- **उपज वृद्धि:** राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (NPC) के आंकड़ों के अनुसार, इस योजना के उपरांत रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 8-10 प्रतिशत की कमी हुई, वहीं फसल उत्पादन में **5-6 प्रतिशत की वृद्धि हुई** है।
- **कृषि लागत: धान** की कृषि लागत में 16-25 प्रतिशत, **तिलहन** और **दलहन** की कृषि लागत में 10-15 प्रतिशत की कमी आई है।
- **उर्वरकों की बचत:** धान की कृषि में नाइट्रोजन की लगभग 20 किग्रा प्रति एकड़ की बचत और दालों की कृषि में 10 किग्रा प्रति एकड़ की बचत हुई।
- **मृदा विश्लेषण क्षमता:** यह क्षमता 5 वर्ष की लघु अवधि में 1.78 करोड़ से बढ़कर 3.33 करोड़ मृदा नमूना प्रति वर्ष हो गई।
  - मौजूदा मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं (Soil testing Labs: STL) की क्षमता में सुधार किया जा रहा है तथा ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण केंद्रों के साथ नवीन स्थायी और गतिशील STL स्थापित किए गए हैं।

VISION IAS

इस योजना के बारे में

- इसका उद्देश्य इनपुट/मृदा पोषक तत्वों के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा मृदा प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और मृदा स्वास्थ्य की पुनर्बहाली करना है।
- **SHC वस्तुतः एक प्रिंटेड रिपोर्ट होता है,** जो कि किसानों को उनके स्वामित्वाधीन प्रत्येक जोत (holdings) के लिए प्रदान की जाती है।
    - **इसे देश के सभी किसानों को प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर प्रदान किया जाता है,** ताकि बेहतर एवं संधारणीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने एवं कम लागत पर अधिक लाभ अर्जित करने हेतु मृदा परीक्षण से प्राप्त मान (values) के आधार पर पोषक तत्वों की अनुशंसित मात्रा का उपयोग करने हेतु किसानों को सक्षम बनाया जा सके।
- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड पोर्टल:** इस पर किसान मृदा के नमूनों की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं।
- मृदा के नमूनों के उपर्युक्त परीक्षण के आधार पर, SHC के अंतर्गत **छः फसलों** के लिए जैविक खाद सहित उर्वरकों के दो समुच्चय की अनुशंसा की जाती है। यह डेटासेट **21 भाषाओं** में उपलब्ध है।
- **मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना:** इस योजना के अंतर्गत गाँव के युवा एवं 40 वर्ष तक की आयु के किसान मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ स्थापित करने और परीक्षण करने हेतु अर्ह हैं।
- **लाभ:** मृदा परीक्षण के माध्यम से उर्वरक की सही मात्रा के उपयोग से **कृषि लागत में कमी आएगी।**
    - यह उपज में वृद्धि करके किसानों के लिए **अतिरिक्त आय** सुनिश्चित करता है। दीर्घकालिक रूप से, यह **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करने में सहायक है।
    - यह **फसल विविधिकरण** और **संधारणीय कृषि** को प्रोत्साहित करता है।
    - यह प्रयोगशालाएँ स्थापित करने हेतु सब्सिडी का प्रावधान करके युवा किसानों के लिए **रोजगार अवसरों के सृजन** में भी सहायक है।
- हाल में **'मॉडल गाँवों का विकास'** नामक पायलट परियोजना को भी इसके साथ संयोजित किया गया है, जो किसानों की साझेदारी में कृषि-योग्य मृदा के नमूनाकरण और परीक्षण को प्रोत्साहित करती है।
    - इस पायलट परियोजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत कृषि भूमि से मृदा नमूने एकत्रित करने हेतु प्रत्येक ब्लॉक से एक गाँव को अडॉप्ट किया जाता है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त अवसंरचना:** परीक्षण उपकरणों की सीमित उपलब्धता, पुरानी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएँ, ग़ैर-कार्यात्मक परीक्षण उपकरण, उपयुक्त पावर बैक-अप का अभाव, इंटरनेट कनेक्टिविटी और भौतिक संपत्तियों के अभाव जैसी समस्याएं विद्यमान हैं।
- **मानव संसाधन का अभाव:** परीक्षण करने हेतु प्रशिक्षित और कुशल श्रमबल तथा मृदा परीक्षण रिपोर्ट की व्याख्या करने, अनुशंसाएँ तैयार करने और उन्हें ऑनलाइन प्रेषित करने के लिए IT कर्मचारियों की कमी है। इससे सेवाओं की गुणवत्ता और योजना की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।
- **नीति निर्माण संबंधी बाधाएँ:** SHC संबंधित विस्तार सेवाएँ भी बाधक बनी हुई हैं, जो किसानों को प्रदत्त परामर्शों की व्यापकता को सीमित करती हैं।
    - भौतिक एवं सूक्ष्म जैविक संकेतकों (जैसे- मृदा संरचना, जल धारण क्षमता और जलीय गुणवत्ता तथा जीवाणु सामग्री) का परीक्षण नहीं किया जाता है।
    - नमूने एकत्रित करने के लिए ग्रिड का आकार निश्चित है और यह मृदा भिन्नता सूचकांक (soil variability index) पर आधारित नहीं है। आदर्श रूप से, यदि भिन्नता अधिक होती है, तो ग्रिड का आकार छोटा और इसके विपरीत स्थिति में बड़ा होना चाहिए।
- **कार्यान्वयन संबंधी कमियाँ:** हालांकि, कुछ दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों ने बेहतर प्रदर्शन किए हैं, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा क्षमता के अभाव के कारण आवंटित संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है।

सुझाव और अनुशंसाएँ

- इस योजना का एक महत्वपूर्ण प्रभाव जिप्सम और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग में वृद्धि है। इसलिए, सूक्ष्म पोषक तत्वों, जैव उर्वरकों और जैविक इनपुट की अनुशंसित मात्रा पर **सब्सिडी** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- समग्र रूप में, कवरेज के संदर्भ में SHC योजना की प्रगति संतोषजनक है, अत: **मृदा के नमूने एकत्रित करने की गुणवत्ता**, परीक्षण और किसानों को SHC के समय पर वितरण पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
    - **NPC** ने सरकार से मृदा नमूनों के भंडारण, उनके विश्लेषण और मृदा स्वास्थ्य कार्डों के कुशलतापूर्वक वितरण के लिए प्रयोगशालाओं हेतु **मानक संचालन प्रक्रिया** विकसित करने की अनुशंसा की है।
    - राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थानों के अनुसार **परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन** आरंभ किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **अवसंरचनात्मक अंतराल को समाप्त करने** और परीक्षण सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने के साथ-साथ इनकी गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करने के लिए **वित्तीय समर्थन** में भी वृद्धि करने की आवश्यकता है।
- **सभी राज्यों में समरूप प्रदर्शन सुनिश्चित करना:** कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किए हैं। कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए।

6.1.2. यूरिया सब्सिडी (Urea Subsidy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने यूरिया के **खुदरा मूल्य पर नियंत्रण को सरल बनाने** हेतु एक योजना तैयार की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- अब सरकार द्वारा बिक्री के आधार पर फर्मों को किए जाने वाले **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)** के स्थान पर **लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में यूरिया सब्सिडी को हस्तांतरित (DBT)** किया जाएगा।
    - इस प्रक्रिया से उर्वरक पर प्राप्त होने वाली **सब्सिडी के रिसाव और कालाबाजारी में कमी** आएगी।
    - सब्सिडी आधारित उर्वरकों पर उच्चतम सीमा आरोपित की जा सकेगी, ताकि **नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग में कमी की जा सके।**
- **आरंभ में**, मृदा में नाइट्रोजन के विलयन को मंद करने हेतु **नीम-लेपित यूरिया का उत्पादन अनिवार्य किया गया** ताकि पोषक तत्वों की आवश्यकता कम हो।

पृष्ठभूमि

- भारत की हरित क्रांति में उर्वरकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसके कारण सरकार ने उर्वरक की **बिक्री, मूल्य निर्धारण और गुणवत्ता को विनियमित करने हेतु वर्ष 1975 में उर्वरक नियंत्रण आदेश** पारित किया था।
- उर्वरक के वितरण पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु **वर्ष 1973 में उर्वरक संचलन नियंत्रण आदेश जारी किया गया था।**
- **वर्ष 1977 के पूर्व उर्वरक पर कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती थी। वर्ष 1973** में तेल संकट के कारण उर्वरक के मूल्य में वृद्धि हुई थी जिससे इसके उपभोग में गिरावट हुई और खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई।
    - **वर्ष 1977 में सरकार ने उर्वरक विनिर्माताओं को सब्सिडी प्रदान कर हस्तक्षेप किया।**
- 1991 के आर्थिक संकट के पश्चात् सरकार ने **1992** में डाई-अमोनियम फॉस्फेट **(DAP)** और म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) जैसे जटिल उर्वरकों के आयात को नियंत्रण-मुक्त किया, **लेकिन यूरिया के आयात को प्रतिबंधित और व्यवस्थित किया गया।**

भारत में उर्वरक उद्योग

- भारत, **चीन के पश्चात् दूसरा सबसे बड़ा यूरिया उपभोक्ता देश है।**
- भारत, **नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में** तीसरे स्थान पर है जबकि देश में पोटाश के सीमित भंडार विद्यमान होने के कारण इसकी आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है।
- यह **आठ मुख्य उद्योगों (core industries) में से एक** है।
- तीन प्रकार के उर्वरक हैं जिन्हें **प्राथमिक, द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्व** में वर्गीकृत किया गया है
- वित्तीय वर्ष 2020 हेतु उर्वरक सब्सिडी की अनुमानित राशि 79,996 करोड़ रुपये (53,629 करोड़ रुपये यूरिया हेतु और 26,367 करोड़ रुपये **पोषक तत्व आधारित** सब्सिडी के लिए) हैं।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

- इसके अंतर्गत, सरकार **P&K उर्वरक के प्रत्येक पोषक तत्व** जैसे कि नाइट्रोजन (N), फॉस्फेट (P), पोटाश (K), सल्फर (S) इत्यादि पर **सब्सिडी हेतु एक निश्चित दर (रुपये प्रति किलो आधारित)** की घोषणा करती है।
- यह **22 उर्वरकों (यूरिया को छोड़कर) पर लागू** होती है, जिसके लिए MRP का निर्धारण देश एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर P&K उर्वरकों की कीमत, विनिमय दर और देश में इन्वेंट्री स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

भारत की यूरिया नीति

- यूरिया, नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का स्रोत होता है और इस पर केंद्र सरकार द्वारा अत्यधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्तमान में यूरिया ही एकमात्र ऐसा उर्वरक है जो नियंत्रणाधीन है।
- यूरिया सब्सिडी, **उर्वरक विभाग की केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना** का हिस्सा है और इसे भारत सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से पूर्ण रूप से वित्त पोषित किया जाता है।

VISION IAS

* वर्ष 2015 में उर्वरक विभाग द्वारा नई यूरिया नीति-2015 (NUP-2015) को अनुसूचित किया गया था और इस योजना को **स्वदेशी यूरिया उत्पादन में वृद्धि करने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने तथा सरकार पर सब्सिडी भार को तर्कसंगत बनाने के** उद्देश्य से 2019-2020 तक विस्तारित किया गया है।
    * यह **वर्तमान में 25 गैस आधारित इकाइयों पर लागू** है।
    * **यूरिया सब्सिडी योजना को वर्ष 2020 तक जारी रखा जाएगा ताकि** यूरिया निर्माताओं को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी का भुगतान किया जा सके और किसानों को यूरिया प्राप्त होता रहे।
    * जब उत्पादन अधिसूचित क्षमता से अधिक होता है, तब उत्पादन लागत पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।

संबंधित मुद्दे

* **उपलब्धता:** चूंकि यूरिया की बिक्री नियंत्रणाधीन है, इसलिए सरकार के लिए प्रत्येक क्षेत्र में मांग का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। यूरिया की मांग के अनुचित अनुमानों से बाजार में इसकी अत्यधिक कमी देखने को मिलती है।
    * **आयात में विलंब** के कारण कृषि के संपूर्ण मौसम के दौरान उर्वरकों की अनुपलब्धता रही है, जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी।
* **मूल्य निर्धारण में अंतर के कारण यूरिया का अति-उपयोग/दुरुपयोग:** यूरिया और अन्य उर्वरकों के मध्य बढ़ते मूल्य अंतराल के कारण किसानों ने DAP और MOP के प्रयोग को यूरिया से प्रतिस्थापित कर दिया है।
    * कृषि विभाग के आंकड़ें दर्शाते हैं कि वर्ष 2010 के पश्चात् से खपत का अनुपात अत्यधिक असंतुलित (8:3:1) हो गया जिससे उपज में गिरावट हुई है तथा मृदा में विषाक्तता में वृद्धि हुई है।
* **अक्षम उर्वरक विनिर्माता:** एक कंपनी जो सब्सिडी प्राप्त करती है, वह सब्सिडी उत्पादन की लागत पर आधारित होती है। जितनी अधिक लागत होगी, उतनी अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन लागत वाली अक्षम कंपनियां संचालित रहती हैं और कम लागत वाली कंपनियों के लिए प्रोत्साहनों में कमी हो जाती है।
* **अति-विनियमन:** यूरिया क्षेत्र अधिक विनियमित है। कालाबाजारी बढ़ने से छोटे किसानों पर गैर-अनुपातिक रूप से भार में वृद्धि हो जाती है, अक्षम उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलता है और इस कारण यूरिया के अति-उपयोग से मृदा की गुणवत्ता में कमी हो जाती है तथा मानव स्वास्थ्य प्रभावित होता है।
    * उद्योगों से होने वाले रिसाव अथवा सीमा-पार तस्करी के कारण लगभग 36% सब्सिडी की क्षति होती है।
    * ब्लैक मार्केट की औसत कीमतें निर्धारित कीमतों से 61 प्रतिशत अधिक हैं जो यह दर्शाता है कि कालाबाजारी किसानों पर महत्वपूर्ण आर्थिक लागतों में वृद्धि करती है, साथ ही यह आपूर्ति संबंधी अनिश्चितताओं में भी वृद्धि करती है।
* **राजस्व भार:** सरकार ने वर्ष 2015 हेतु बजट में लगभग 730 बिलियन रुपये की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान किया था, जो खाद्य के पश्चात् निरपेक्ष रूप से सब्सिडी की सबसे बड़ी राशि थी। यूरिया सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक है, जिसके लिए लगभग उर्वरक सब्सिडी का 70 प्रतिशत अंश आवंटित होता है।

आगे की राह

* **नियंत्रणमुक्त यूरिया का आयातः** इससे आयातकों की संख्या में वृद्धि होगी और यह आयात करने संबंधी निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करेगा। यह उर्वरकों की मांग में होने वाले परिवर्तनों के प्रति लचीले तरीके से और शीघ्रतापूर्वक अनुक्रिया करने हेतु उर्वरकों की आपूर्ति करने हेतु सक्षम बनाएगा।
* **गैस प्राइस पूलिंग:** विभिन्न यूरिया संयंत्रों को गैस (अधिकांश संयंत्रों हेतु मुख्य फीडस्टॉक) भिन्न कीमतों पर प्राप्त होती है, जिससे उनकी उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न हो जाती है।
    * यह महत्वपूर्ण है कि सभी यूरिया संयंत्रों को समान मूल्य पर गैस प्राप्त हो। गैस की कीमतों की पूलिंग के माध्यम से भारत सरकार ने हाल ही में इस दिशा में कदम बढ़ाया है।
* **NBS योजना के अन्तर्गतः** वर्तमान में DAP और MOP के स्थान पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी कार्यक्रम के अंतर्गत यूरिया को शामिल करना, घरेलू उत्पादकों को उनके उर्वरक की पोषण सामग्री के आधार पर निश्चित सब्सिडी प्राप्त करना जारी रखने की अनुमति प्रदान करेगा, जबकि बाजार को नियंत्रण मुक्त करने से घरेलू उत्पादक भी बाजार मूल्य प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे।
* **किसानों के लिए समयबद्ध सब्सिडी सुनिश्चित करने हेतु भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरणः** भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया अगस्त 2008 में आरंभ की गई थी, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं।

VISION IAS

6.1.3. बीज उद्योग (Seed Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने बीज विधेयक, 2019 का प्रारूप जारी किया।

भारत में बीज उद्योग

- भारत **विश्व में पांचवां सबसे बड़ा बीज बाजार** है।
- **वर्ष 2017-20 के दौरान इसमें 15% से अधिक की वृद्धि की अपेक्षा है**, और वर्ष 2022 तक यह बाजार 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के मूल्य तक पहुंच सकता है।
- बीज बाजार में प्रमुख रूप से गैर-सब्जी फसलों के बीजों, जैसे- मक्का, कपास, धान, गेहूं, ज्वार, सूरजमुखी और बाजरा का योगदान है।
- अन्य आगतों के कुशल प्रबंधन के साथ **कुल उत्पादन में गुणवत्ता वाले बीज के प्रत्यक्ष योगदान को 45% तक बढ़ाया जा सकता है।**

संबद्ध मुद्दे

बीज क्षेत्रक के मुद्दे विभिन्न हितधारकों से संबंधित हैं, जैसे-

- **बीज कंपनियां:**
    - जटिल और कमजोर IPR व्यवस्था व कंपनियों के लिए लाइसेंस संबंधी विभिन्न शर्तों के कारण निजी कंपनियों द्वारा **अनुसंधान गतिविधियों पर निवेश, उनके राजस्व के 10-12% के अंतर्राष्ट्रीय मानक** की अपेक्षा **केवल 3-4% पर बना रहा।**
    - इसके अलावा, जेनेटिकली मोडिफाइड (GM) फसल बीज के मामले में मौजूदा प्रौद्योगिकी प्रदाता लगभग **एकाधिकार जैसी स्थिति** का लाभ उठा रहे हैं।
- **सरकार:**
    - महाराष्ट्र और तेलंगाना में एक गैर-अनुमोदित GM फसल के लिए **बड़े पैमाने पर बीजों की अवैध बिक्री और बीज रोपण को रोकने में नियामक विफलता** की सूचना प्राप्त हुई थी।
- **किसान:**
    - अधिकांश फसलों के लिए **बीज प्रतिस्थापन दर** 20% के वांछित स्तर से नीचे बनी हुई है।
    - **खेत में उगने वाले बीजों के अवैज्ञानिक उपयोग** से कृषि उत्पादन से होने वाला लाभ कम होता जाता है।
    - **इष्टतम बीज गुणन दर** (Optimum Seed Multiplication Rate) प्राप्त करने हेतु बीजों के लिए कम क्षेत्रों की उपलब्धता किसानों की समस्याओं को बढ़ाती है।

उठाए जा सकने वाले कदम:

- जहां अवैध GM कपास उगाई जा रही है, राज्य सरकारों के सहयोग से उन क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें अपने नियंत्रणाधीन करने के लिए **त्वरित कार्रवाई ढांचे** की आवश्यकता है।
- **GM तकनीक पर फोकस:** जिन क्षेत्रों में देश को GM की आवश्यकता है और जहां सरकार GM प्रौद्योगिकी में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करेगी, उन क्षेत्रों को सटीक रूप से परिभाषित करने के लिए GM फसलों पर एक राष्ट्रीय नीति लागू की जानी चाहिए।
- **त्वरित समाधान:** इस उद्योग को प्रभावित करने वाले विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) संबंधी कानूनों के बीच टकराव से बचने हेतु समाधान प्रस्तुत किए जाने चाहिए। साथ ही, स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए कि सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आश्वासित IPR संरक्षण के साथ अनुसंधान निवेश को कैसे प्रोत्साहित करना चाहती है।
- कम मूल्य के उच्च मात्रा वाले बीजों के उत्पादन के लिए विश्वसनीय योजनाओं के माध्यम से निजी क्षेत्रों को **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाना चाहिए।
- **बीज-अनुसंधान क्षमता का संवर्धन:** बीज के मूल्य नियंत्रण आदेश और बीज क्षेत्रक में निजी निवेश को हतोत्साहित करने वाले अन्य प्रतिबंधों को हटाकर बीज उत्पादन और वितरण में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, बीजों के लिए **एक सुदृढ़ तृतीय पक्ष गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (third party quality certification system)** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- **नियामक तंत्र:** बीज और जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए नियामक तंत्र को मजबूत करना तथा इसे पारदर्शी, विज्ञान आधारित, पूर्वानुमेय और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।
- **समेकित दृष्टिकोण:** बीज प्रतिस्थापन दर में सुधार और सामान्य व क्षेत्र-विशिष्ट बाधाओं को दूर करने के लिए निर्धारित प्रयास के साथ-साथ कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाले बीजों के वितरण के प्रयास किए जाने चाहिए।

VISION IAS

बीज विधेयक, 2019 के प्रारूप में शामिल प्रमुख प्रावधान

- **बीज समिति का गठन:** विधेयक केंद्र सरकार को एक केंद्रीय बीज समिति का पुनर्गठन करने के लिए अधिकृत करता है, जो इसके प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी।
- **बीज किस्मों का पंजीकरण:** बिक्री के लिए सभी प्रकार के बीजों को पंजीकृत करना होगा और इन्हें कुछ निर्धारित न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक है।
- **संशोधित लाइसेंसिंग मानदंड:** लाइसेंस प्रदान करने के उद्देश्य से बीज उत्पादक, बीज प्रसंस्करणकर्त्ता और बीज डीलर के बीच विभेदन किया गया है।
- **सत्य अंकित (Truthfully Labelled: TL) बीज:** वर्तमान में, स्व-प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत बड़ी मात्रा में बीजों का विक्रय किया जाता है, जिन्हें सत्य अंकित (TL) बीज कहा जाता है। इसमें प्रमाणन प्रक्रिया को स्वैच्छिक रखा गया है।
- **मूल्य नियंत्रण:** विधेयक सरकार को बीज की कमी, मूल्य में असामान्य वृद्धि, एकाधिकार आधारित मूल्य निर्धारण, मुनाफाखोरी, आदि जैसी व्यक्तिपरक व्याख्या वाली 'उभरती' स्थितियों में चयनित किस्मों की कीमतें तय करने का अधिकार देता है।

6.2. कृषकों के लिए वित्तीय समर्थन (Financial Support to Farmers)

परिचय

कृषकों (विशेष रूप से लघु और सीमांत) को फसल चक्र के दौरान कृषि ऋण, प्रत्यक्ष सब्सिडी, कृषि बीमा और गंभीर मामलों में, ऋण माफी के रूप में समर्थन के माध्यम से वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। साथ ही, **असंगठित क्षेत्र के कृषक पेंशन योजनाओं के दायरे में नहीं आते** हैं, इसलिए कृषकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है।

6.2.1. कृषि ऋण (Agricultural Credit)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, RBI द्वारा कृषि ऋण की समीक्षा करने वाले आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की गई है।

भारत में कृषि वित्त - संक्षिप्त इतिहास

- **चरण 1 (1951-69)**
  - 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से प्राथमिक क्षेत्रक के विकास पर बल।
  - 1968 में **राष्ट्रीय ऋण परिषद** द्वारा जोर देते हुए कहा गया कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा लघु उद्योगों और कृषि के वित्तपोषण को बढ़ाया जाना चाहिए।
  - 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण ने ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में बैंक शाखाओं को खोलने पर बल दिया।
- **चरण 2 (1970-1990)**
  - 1970 के दशक में लीड बैंक स्कीम के साथ कृषि ऋण में वाणिज्यिक बैंकों के प्रवेश और PSL के नियामकीय निर्धारण को चिह्नित किया गया।
  - विशेष रूप से कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रकों के लिए बैंकिंग एवं ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 अधिनियमित किया गया था।
  - विशेष रूप से SHGs और MFIs (सूक्ष्म वित्त संस्थान) के वित्तपोषण द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 1982 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) स्थापित किया गया।
  - RBI ने ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाने के लिए वर्ष 1989 में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण या सर्विस एरिया एप्रोच (SAA) और वार्षिक ऋण योजना प्रणाली का शुभारंभ किया।
- **चरण 3 (1991से वर्तमान तक)**
  - बैंकों की परिचालन संबंधी दक्षता बढ़ाने के लिए 1991 की नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट का क्रियान्वयन।
  - वर्ष 1990 में पहली बार बड़े पैमाने पर राष्ट्रव्यापी कृषि ऋण माफी।
  - मुख्य रूप से ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए NABARD के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) की स्थापना।
  - NABARD ने 1992 में पायलट परियोजना के तौर पर SHG-BLP की शुरुआत की।

भारत में कृषि ऋण के तंत्र

- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार (Priority Sector Lending: PSL):** यह सुनिश्चित करने के लिए PSL का शुभारंभ किया गया था कि समाज के सुभेद्य वर्गों को ऋण तक पहुंच की सुविधा प्राप्त हो और कृषि एवं MSMEs जैसे रोजगार गहन क्षेत्रकों के लिए पर्याप्त रूप में ऋण उपलब्ध हो सके।
- वर्ष 2006-07 के दौरान अल्पावधिक फसल ऋणों के लिए **ब्याज सहायता योजना (Interest Subvention Scheme: ISS)** आरंभ की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को 2% की ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी बैंकों (RBI और NABARD के माध्यम से) को प्रतिपूर्ति की जाती है। इसके अतिरिक्त, उत्तम ऋण अनुशासन के लिए 3% का त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (Prompt Repayment Incentive: PRI) प्रदान किया जाता है।
- वर्ष 1998 में आरंभ की गई **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना** का उद्देश्य कृषि से संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराना है।
- **स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP)** का उद्देश्य अनौपचारिक प्रणाली को औपचारिक संस्थाओं की मदद से सुदृढ़ और वहनीय बनाना तथा इसके लचीलेपन का दोहन करना है। SHG-BLP मॉडल के अंतर्गत अनौपचारिक समूहों को बैंकों के ग्राहकों के रूप में (जमा और ऋण लिंकेज दोनों के रूप में) स्वीकार किया जाता है और SHGs को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
- NABARD द्वारा वर्ष 2006 में भूमि अधिकार नहीं रखने वाले बटाईदारों/जोतदार किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए **संयुक्त दायित्व समूह (Joint Liability Groups: JLG) योजना** आरंभ की गई थी।

कृषि ऋण से संबंधित मुद्दे

- **संस्थागत की तुलना में गैर-संस्थागत कृषि ऋण:** परंपरागत रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि ऋण की आवश्यकताएं मुख्य रूप से महाजनों के माध्यम से पूरी की जाती थीं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर ऋणग्रस्तता की समस्या उत्पन्न हो जाती थी।
  - राष्ट्रीय अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (NAFIS, 2015) के अनुसार, गैर-संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी अभी भी **लगभग 28%** तक बनी हुई है।
  - उपभोग के उद्देश्यों और संपार्श्विक प्रतिभूति प्रदान करने में अक्षम जोतदार किसानों, बटाईदारों और भूमिहीन मजदूरों के लिए ऋण की अनुपलब्धता उन्हें गैर-संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
- **संस्थागत ऋण में एजेंसियों की विषम हिस्सेदारी:** कृषि और संबद्ध ऋण में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर निर्भरता अभी भी अत्यधिक बनी हुई है (ऋण का ~78-80%)। यद्यपि सहकारी संस्थाओं (~15%) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (~5%) द्वारा कृषि ऋण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, लेकिन उनकी हिस्सेदारी भौगोलिक रूप से अत्यधिक विषम है।
- **कृषि ऋण में क्षेत्रीय असमानता:** मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले राज्यों को उनकी कृषि-GDP के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम कृषि-ऋण प्राप्त हो रहा है।
- कृषि उत्पादन में 38-42 प्रतिशत की हिस्सेदारी के बावजूद **संबद्ध क्षेत्रों के लिए कृषि ऋण की अत्यल्प उपलब्धता (~ 6-7%),** संबद्ध क्षेत्रों के प्रति बैंकों के नकारात्मक रवैये को दर्शाता है।
  - फसल उगाने वाले किसान और संबद्ध गतिविधियों में संलग्न लोगों के मध्य उचित विभेदन का अभाव है, क्योंकि जनगणना में भू-जोत आकार के आधार पर किसानों को परिभाषित किया जाता है।
  - बैंक द्वारा कृषि गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त करने वाले किसानों से भू-अभिलेखों को प्रस्तुत करने पर अत्यधिक बल दिया जाना।

कृषि ऋण पर कृषि ऋण माफी का प्रभाव

- ऋण माफी का आर्थिक तर्क लाभार्थियों के ऋण भार को कम करने पर आधारित है। इस प्रकार यह उन्हें उत्पादक निवेश करने और वास्तविक आर्थिक गतिविधियों (निवेश, उत्पादन और उपभोग) को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।
- हालांकि, इससे **नैतिक जोखिम उत्पन्न** होता है क्योंकि ऋण माफी खराब ऋण निष्पादन का मार्ग प्रशस्त करता है और ईमानदारी युक्त ऋण संस्कृति को विकृत करता है, क्योंकि यह उधारकर्ताओं को भविष्य में बेलआउट की प्रत्याशा में रणनीतिक रूप से चूक (default) करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- ऋणमाफी से **ऋण आवंटन में विषमता** उत्पन्न होती है क्योंकि बैंक कम जोखिम वाले उधारकर्ता समूहों को ऋणों को पुन: आबंटित करते हैं।
- **बार-बार ऋण माफी से बैंकिंग क्षेत्र के वित्तीय स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव** पड़ता है। बैंक अपना PSL लक्ष्य पूरा करने के लिए

VISION IAS

कृषक तक पहुंचने के बजाय ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में निवेश करने के लिए प्रेरित होते है, जिससे कृषि ऋण तक कृषकों की पहुंच कम हो जाती है।

- **PSL से संबंधित मुद्दे:**
  - हालांकि, समग्र स्तर पर बैंक 40% के PSL लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे हैं, लेकिन अभी तक वे प्रणालीगत स्तर पर 18% के कृषि ऋण लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे हैं।
  - इसके अतिरिक्त, 60% लघु और सीमांत किसानों (SMF) तक वाणिज्यिक बैंकों की पहुंच नहीं हैं।
- अल्पावधिक ऋणों पर **ब्याज सहायता योजना (ISS)** ने कृषि क्षेत्र की दीर्घकालिक संधारणीयता के लिए महत्वपूर्ण फसल-संबंधी निवेश ऋण के विरूद्ध उत्पादन ऋण के पक्ष में कृषि ऋण का विषमतापूर्ण वितरण किया है।
- **किसान क्रेडिट कार्ड (KCC):** कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार, केवल 45% किसानों के पास क्रियाशील KCC हैं। कृषि कार्यों में संलग्न अधिकांश परिवार अपनी उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं और इसलिए, वे महाजनों के पास जाने के लिए विवश होते हैं। उपभोग आवश्यकताओं के लिए KCC योजना में वर्तमान 10% की सीमा अपर्याप्त है।
- **गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि ऋणों का उपयोग:** तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल आदि जैसे कई राज्यों में कृषि-ऋण, कृषि-GDP से कहीं अधिक है। यह गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए ऋण उपयोग की संभावना को दर्शाता है। अनुचित उपयोग, ऋण अधिकता की समस्या को बढ़ाता है और ऋणग्रस्तता के उच्च स्तर को प्रोत्साहित करता है तथा दीर्घकाल में ऋण संस्कृति को विकृत करता है।
- **स्वर्ण संपार्श्विक के विरूद्ध कृषि ऋण की स्वीकृति:** संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण के विरूद्ध कृषि ऋण की प्रधानता इंगित करती है कि फसल ऋण वित्त-मान पर आधारित नहीं है और स्वीकृत फसल ऋण की राशि वास्तविक ऋण आवश्यकता से अधिक हो सकती है। इससे अंततः फंड उपयोग में परिवर्तन होता है और परिणामस्वरूप ऋणग्रस्तता की व्यापकता अधिक हो जाती है।

अन्य संबंधित तथ्य - चीन के अनुभव से सीख

चीन के कृषि क्षेत्र को लघु जोतधारकों की अर्थव्यवस्था (smallholders' economy) के रूप में भी जाना जाता है। जहां चीन में कृषि योग्य भूमि 0.086 प्रति व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है वहीं इसके विपरीत भारत में यह 0.118 है, फिर भी चीन में कृषि उत्पादकता अत्यधिक है।

- कृषि क्षेत्र में इकॉनमी ऑफ़ स्केल को बढ़ावा देने हेतु बड़े पैमाने की इकाइयों (जैसे कि वृहत स्तर के पारिवारिक खेत, सहकारी समिति और कृषि व्यवसाय कंपनी द्वारा संचालित खेत) में छोटे और खंडित कृषि संबंधी गतिविधियों को समेकित करना।
- दीर्घावधि (30 वर्ष) के लिए भूमि पट्टे पर प्राप्त करने, बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण/ आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी, उच्च उपज वाले बीजों के उपयोग और R&D ने चीन में उच्च कृषि उत्पादकता में योगदान दिया है और साथ ही, छोटे जोतधारक किसानों के आय स्तर में भी सुधार किया है।
- मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ सामान्य आगत सब्सिडी और प्रति हेक्टेयर आधार पर किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करना।
- कृषि सेवा प्रदाताओं के लिए प्रमुख कृषि संबंधी गतिविधियों (जैसे- जुताई, रोपाई और कटाई) की आउटसोर्सिंग करना, लघु किसानों के लिए कृषि संबंधी गतिविधियों में इकॉनमी ऑफ़ स्केल को बढ़ावा देना, पूंजीगत आगतों की लागत में कमी करना और किसानों को कृषेत्तर गतिविधियों में अधिक समय तक संलग्न रहने हेतु सक्षम बनाना।

आगे की राह

- **संस्थागत ऋण की पहुंच में सुधार करना:**
  - भू-अभिलेखों की डिजिटलीकरण प्रक्रिया और अद्यतनीकरण समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
  - NITI आयोग द्वारा प्रस्तावित मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट जैसी नीतियों को अपनाकर **भूमि को पट्टे पर देने संबंधी फ्रेमवर्क में सुधार किया जाए।** इसका उद्देश्य सभी पट्टा समझौतों को औपचारिक बनाना और औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाना है।
    - आंध्र प्रदेश भूमि लाइसेंसधारी कृषक अधिनियम, 2011 के अंतर्गत, काश्तकारों को ऋण पात्रता कार्ड (LEC) जारी किए गए थे, जो उन्हें ऋण के लिए बैंकों से संपर्क करने की अनुमति प्रदान करता है।
  - सुधारों के निरूपण और कार्यान्वयन के दौरान राज्यों के साथ परामर्श करने को संभव बनाने के लिए **GST परिषद की तर्ज पर कृषि क्षेत्र लिए एक संघीय संस्था की स्थापना** की जाए।
- **क्षेत्रीय असमानता को दूर करना:** मध्य, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राज्यों में ऋण वितरण में सुधार करने हेतु PSL दिशा-निर्देशों का पुनरीक्षण किया जाए।
- **संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्धता में वृद्धि करना:** ग्राउंड लेवल क्रेडिट (GLC) और PSL दिशा-निर्देशों के अंतर्गत संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण हेतु पृथक लक्ष्य निर्धारित किया जाए।

VISION IAS

- **PSL के अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों (SMFs) के उप-लक्ष्य का विस्तार करना:**
    - यह देखते हुए कि SMFs द्वारा धारित कुल परिचालनगत (कृषि भूमि) क्षेत्र वर्ष 2020-21 तक 51.85% होगा, इसलिए PSL के अंतर्गत SMFs के लिए कृषि ऋण की हिस्सेदारी को वर्तमान के 8% से बढ़ाकर 10% किया जाना चाहिए।
    - सभी राज्यों में स्थित ऐसे पट्टेदार, बटाईदार और काश्तकार जिनके संबंध में कोई लिखित दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं हैं, उनकी गणना करने के लिए बेहतर क्रियाविधि विकसित की जानी चाहिए।
- **संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण के विरूद्ध कृषि ऋण:** बैंकों को CBS में संपार्श्विक के रूप में स्वर्ण के विरूद्ध स्वीकृत कृषि ऋणों के अंतिम उपयोग की प्रभावी निगरानी करने के लिए ऐसे ऋणों को पृथक करने के लिए एक MIS विकसित करना चाहिए।
- **किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का उपयोग करना:**
    - NABARD को सफल महिला SHG की पहचान करके महिला उन्मुख FPOs को प्रोत्साहन देना चाहिए।
    - सरकार को लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ के माध्यम से अपने ऋण गारंटी कार्यक्रम के दायरे का विस्तार करना चाहिए।
- **भारतीय कृषि क्षेत्रक के लिए डेटाबेस:** केंद्रीकृत डेटाबेस विकसित किया जाना चाहिए जिसमें उपजाई जाने वाली फसलों, शस्यन प्रतिरूप, उत्पादन, बोए गए / सिंचित क्षेत्र, मृदा स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा आदि से संबंधित विवरण सम्मिलित हों। इसके अतिरिक्त, कृषक-वार विवरण, जैसे- पहचान, भू-अभिलेख, प्राप्त ऋण, प्रदत्त सब्सिडी, बीमा और उपजाई जाने वाली फसल आदि का विवरण भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

6.2.2. प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Mandhan Yojana: PM-KMY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) राष्ट्र को समर्पित की।

PM-KMY के बारे में

PM-KMY, देश में सभी लघु एवं सीमांत किसानों (SMFs) हेतु एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। इसका उद्देश्य SMFs को सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान करना है क्योंकि उनके पास वृद्धावस्था में तथा आजीविका की परिणामी हानि की स्थिति में उनकी सहायता करने के लिए नगण्य या कोई बचत उपलब्ध नहीं होती है।

- **प्रमुख विशेषताएँ:**
    - यह **18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग** के किसानों के लिए एक **स्वैच्छिक और अंशदान-आधारित पेंशन योजना** है तथा उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर **3,000 रुपये** की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
- **अन्य पहलों के साथ समन्वय:**
    - इस योजना की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि किसान द्वारा इस योजना के लिए अपना मासिक अंशदान सीधे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना से प्राप्त लाभ से किए जाने के विकल्प का चयन किया जा सकता है।
    - वैकल्पिक रूप से, किसान द्वारा **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)** के अंतर्गत स्थापित **सामान्य सेवा केंद्रों (Common Service Centres: CSCs)** के माध्यम से अपने मासिक अंशदान का भुगतान किया जा सकता है।

किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आवश्यकता

- **अर्थव्यवस्था के एक प्रमुख क्षेत्रक के रूप में कृषि:** कृषि अर्थव्यवस्था को बनाए रखने हेतु किसानों के लिए सुनिश्चित पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। किसान, कृषि जोखिमों के प्रति अधिक सुभेद्य होते हैं और इस प्रकार उनके लिए एक सुनिश्चित आय प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- **'लघु जोत', भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता:** दो हेक्टेयर से भी कम भूमि वाले लघु और सीमांत किसानों की संख्या **भारत के कुल किसानों का लगभग 86.2% हैं, लेकिन इनका केवल 47.3 प्रतिशत फसल क्षेत्र पर ही स्वामित्व है।** भारत में, इस प्रकार की लघु भू-जोतों से उतने अधिशेष की प्राप्ति नहीं होती है जिससे परिवारों का आर्थिक रूप से भरण-पोषण किया जा सके।
- **कृषि संकट में वृद्धि:** हाल के वर्षों में, देश के कई भागों में **ऋणग्रस्तता, फसल विफलता, गैर-लाभप्रद मूल्य और निम्न प्रतिफल** ने कृषि संकट को उत्पन्न किया है।
- **औपचारिक ऋण की कमी: कृषि के व्यावसायीकरण** से ऋण आवश्यकताओं में वृद्धि होती है, लेकिन अधिकांश लघु एवं सीमांत किसान बार-बार फसल खराब होने के कारण बड़े पैमाने पर डिफ़ॉल्ट होने के कारण औपचारिक संस्थानों से ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साहूकार भी अधिकांश किसानों की खराब वित्तीय स्थिति के कारण ऋण प्रदान करने के लिए आशंकित रहते हैं।
- **भारत में फसल बीमा योजनाओं की सीमित प्रभावकारिता:** वर्तमान में, **लगभग 35% किसान** फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं। फसल बीमा, किसानों को अभावग्रस्तता की स्थिति से अति-आवश्यक राहत प्रदान करने में विफल रहे हैं।

VISION IAS

निष्कर्ष

एक संपूर्ण **वित्तीय सुरक्षा तंत्र** की तत्काल आवश्यकता है जिसके अंतर्गत न केवल प्रत्यक्ष अंतरण और ऋण माफी को ही सम्मिलित किया जाए, बल्कि उस रूपरेखा को भी सम्मिलित किया जाए जो सामयिक, सुसंगत और कृषि उत्पादकता में सुधार और किसानों का जीवन स्तर बेहतर करने वाली हो।

6.3. कृषि विपणन (Agricultural Marketing)

परिचय

कृषि विपणन को खेत, बागवानी और अन्य संबद्ध **कृषि उत्पादों को उत्पादक से उपभोक्ता तक स्थानांतरित** करने (अर्थात् पहुँचाने) में शामिल वाणिज्यिक कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इनमें **समय (भंडारण), स्थान (परिवहन), स्वरूप (प्रसंस्करण)** से लेकर **कृषि उपज के स्थानांतरण** और विपणन चैनलों के विभिन्न स्तरों पर **स्वामित्व स्थानांतरण** से जुड़ी सभी गतिविधियां शामिल हैं।

अपने वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत, **भारत में कृषि विपणन एक समान नहीं है**। विपणन के तरीकों में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। इन प्रक्रियाओं को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- **विपणन के पारंपरिक तरीके:** पारंपरिक तरीके आम तौर पर किसान द्वारा विक्रय से शुरू होते हैं और ग्रामीण बाजारों से टर्मिनल बाजारों तक विभिन्न स्तरों पर कई मध्यस्थों को शामिल करते हैं। (इन्फोग्राफिक देखें)।
    - **भारत में कृषि उपज का लगभग 50% हिस्सा इन चैनलों के माध्यम से विक्रय किया जाता है।**
- **सहकारिता आधारित विपणन:** इस पद्धति में, कृषि उत्पाद **सीधे किसानों से** भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India: NAFED) के विपणन नेटवर्क के माध्यम से **खरीदे जाते हैं**, और इस प्रकार मध्यस्थों की भूमिका को समाप्त कर दिया जाता है।
    - समय के साथ, कई सफल सहकारी विपणन मॉडल अस्तित्व में आए हैं, जैसे- **आनंद पैटर्न कोऑपरेटिव्स (APC)**, गुजरात के जामनगर में **चिकोरी अनुबंध कृषि समन्वय** और **केरल बागवानी विकास कार्यक्रम (Kerala Horticulture Development Program: KHDP)**।
- **कृषि विपणन के उभरते मॉडल:** बाजार में नए आदानों, व्यापार के अवसरों और प्रौद्योगिकियों के उद्भव के साथ, कई नवीन विपणन विधियां विकसित हुई हैं, जैसे-
    - **राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM):** यह अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, जो कृषि वस्तुओं का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार तैयार करने के लिए मौजूदा APMC मंडियों को आपस में जोड़ता है।
        - अब तक, **पोर्टल पर 1 लाख से अधिक व्यापारियों और 66,000 से अधिक कमीशन एजेंटों** को पंजीकृत किया गया है। वर्ष 2018 तक, **e-NAM पोर्टल पर 50,575 करोड़ रुपये के मूल्य** का **व्यापार दर्ज हुआ** था, और परिमाण (वॉल्यूम) के संदर्भ में यह दो करोड़ टन से अधिक का था।
    - **उपभोक्ता वस्तुएं और वायदा बाजार:** किसानों के लिए अधिक सुविधा और बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए विनिमय और व्यापार के विकल्प बनाने के प्रयास किए गए हैं।
        - उदाहरण के लिए, **नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL)** की स्थापना।
    - **निजी क्षेत्रक की पहल:** कई स्टार्ट-अप और व्यवसायों ने कृषि बाजारों के लिए अभिनव प्रायोगिक समाधान प्रस्तुत किए हैं।
        - उदाहरण के लिए, **इंडियन टोबेको कंपनी (ITC) का ई-चौपाल।**
    - इनके अतिरिक्त, **किसान उत्पादक संगठन (FPO)** और **अनुबंध कृषि** जैसी अन्य पद्धतियां भी उपलब्ध हैं। *(उन पर बाद के लेखों में विस्तार से चर्चा की जाएगी।)*

कृषि उपज बाजार समिति (Agricultural Produce Market Committee: APMC) क्या हैं और वे क्या भूमिका निभाते हैं?

- कृषि उपज बाजार समिति वस्तुतः **राज्य सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक बाजार समिति** है। यहाँ APMC अधिनियम, 2003 के तहत कुछ अधिसूचित कृषि या बागवानी या पशुधन उत्पादों का व्यापार किया जाता है।
- APMCs **थोक विपणन प्रणाली का एक हिस्सा** हैं। ये मूल्य निर्धारण प्रणालियों में पारदर्शिता बढ़ाने, किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने, कृषि में मूल्यवर्धन और कृषि-बाजार सूचना प्रणालियों के लिए डेटा के सृजन जैसे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए थे।
  - APMCs नीलामी हॉल, धर्मकांटा, माल गोदाम, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, जल उपचार संयंत्र आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।
- वर्तमान में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप तथा बिहार, केरल और मणिपुर राज्यों को छोड़कर **सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** संबंधित **कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम** {Agricultural Produce Marketing (Regulation) Acts} के अधीन हैं।

एक बेहतर कृषि बाजार क्यों महत्वपूर्ण है?

- **उत्पाद का मौद्रीकरण:** विपणन (मार्केटिंग) कृषि उत्पादों के विक्रय की सुविधा प्रदान करता है।
- **यह बाजार की जानकारी और मूल्य संकेत के स्रोत** के रूप में कार्य करता है।
- **बिचौलियों (मध्यस्थों) की भूमिका को कम करता है।**
- **पूंजी निर्माण और प्रौद्योगिकी में निवेश** को प्रोत्साहित करता है।
- अनुवर्ती उद्योगों तक **कृषि उपज की पहुंच को बढ़ाकर कृषि में मूल्यवर्धन प्रदान करता है**। उदाहरण के लिए, बिहार में बड़े पैमाने पर 'मखाना' स्नैक्स उद्योग।

ये बाजार भारत में किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं?

- एक दुकान या गोदाम के स्वामित्व के लिए **लाइसेंस संबंधी बाधा,** जैसे- संस्थागत मुद्दे, बाजार शुल्क का उच्च भार (कुछ मामलों में 15% तक) और कृषि उपज के मानकीकृत ग्रेडिंग तंत्र की अनुपस्थिति।
- **अवसंरचना संबंधी मुद्दे,** जैसे- देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि उपज बाजारों तक सीमित पहुंच, कृषि बाजारों की निम्नस्तरीय अवसंरचना (जैसे- कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं) और कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की खराब आर्थिक व्यवहार्यता।
- **बाजार सूचना प्रणाली से संबंधित मुद्दे,** जैसे- रियल टाइम सूचना चैनलों की अनुपस्थिति मांग के संकेतों में अंतराल पैदा करती है, प्रमुख वस्तुओं के मूल्य के बारे में किसानों की जानकारी सीमित है और सूचनाओं के नए माध्यमों (जैसे- SMS आधारित परामर्श) के बारे में किसानों के बीच जागरूकता की कमी है।
- **अन्य मुद्दे:**
  - **एक राष्ट्रीय एकीकृत बाजार की अनुपस्थिति:** हालांकि, APMCs के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर का भौतिक बाजार मौजूद है, किन्तु उसके लिए राष्ट्रीय स्तर का कोई विनियमन नहीं है।
  - **सीमित सार्वजनिक निवेश:** कृषि विपणन उप-क्षेत्र पर सार्वजनिक व्यय कृषि पर कुल सार्वजनिक व्यय का 4-5% है, जबकि विपणन अवसंरचना विकास पर व्यय 1% से कम रहा है।

इन मुद्दों का सामूहिक परिणाम **किसानों को कम मूल्य की प्राप्ति**, **भोजन और पोषण संबंधी असुरक्षा** और **आपूर्ति श्रृंखला में उच्च अपव्यय** के रूप में परिलक्षित होता है। (उदाहरण के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमानित फसल कटाई के बाद की क्षति वर्ष 2014 की औसत कीमतों के आधार पर लगभग 92,651 करोड़ रुपये थी।)

इन मुद्दों को दूर करने के लिए सरकारों द्वारा किए गए प्रयास

- **मॉडल APMC अधिनियम, 2003:** इसका उद्देश्य मौजूदा नियमों में संशोधन करना था। अब तक, केवल सोलह राज्यों ने अपने अधिनियम में संशोधन किया है और केवल छह राज्यों ने संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जिनके पास APMC अधिनियम नहीं है और कुछ ने केवल आंशिक रूप से अपने अधिनियम में संशोधन किया है।
- **उपभोक्ता/कृषक बाजार (सीधे उत्पादकों द्वारा विक्रय):** देश में राज्य स्तर पर किसानों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष विपणन का प्रयोग किया गया है। उदाहरण के लिए, पंजाब की अपनी मंडी, आंध्र प्रदेश में रायथु बाजार, महाराष्ट्र में शेतकरी बाजार आदि।

VISION IAS

- **एग्मार्केनेट (AGMARKNET):** यह एक G2C ई-गवर्नेंस पोर्टल है, जो एकल खिड़की से कृषि विपणन से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान करके किसानों, उद्योग, नीति निर्माताओं और शैक्षणिक संस्थानों जैसे विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
- **ग्रामीण कृषि बाजार (Gramin Agricultural Markets: GrAMs):** मौजूदा 22,000 ग्रामीण हाटों (रूरल प्राइमरी मार्केट्स) को GrAMs के रूप में विकसित करने और उनके उन्नयन के प्रयास किए जा रहे हैं। इन बाजारों में कई विशेषताएं होंगी, जैसे-
  - मनरेगा और अन्य योजनाओं के माध्यम से बस्तियों के साथ बेहतर सड़क संपर्क और अवसंरचना का **भौतिक रूप से सुदृढ़ीकरण।**
  - 2,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ **एक कृषि बाजार अवसंरचना कोष** की परिकल्पना की गई है।
  - GrAMs को **e-NAM से जोड़ा जाएगा और यह APMC अधिनियम के विनियमन से मुक्त रहेगा।**
- **सब्जियों, फलों और शीघ्र खराब होने वाले अन्य उत्पादों के परिवहन** के लिए **किसान रेल** जैसी पहल भी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उनके सुरक्षित, विश्वसनीय और तीव्र परिवहन को सुनिश्चित करना है, जो किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति में सहायता करेगा। हाल ही में, **महाराष्ट्र में भारत की प्रथम किसान रेल का संचालन** किया गया।
- **एग्रीडेक्स (AGRIDEX):** नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) ने **देश के पहले कृषि वायदा सूचकांक (जिसे AGRIDEX कहा जाता है)** में व्यवसाय आरंभ करने की घोषणा की है।
- **किसान उत्पादक संगठनों (Farmer Producer Organizations: FPOs) के गठन और संवर्धन के लिए योजना:** योजना का लक्ष्य **वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पांच वर्षों की अवधि में 10,000 FPOs गठित करना** और प्रत्येक FPO को सहायता प्रदान करना भी है।
- **कृषि विपणन को सहायता पहुँचाने वाली अन्य पहलें:** प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना, मेगा फूड पार्क योजना, कृषि-अवसंरचना विकास निधि आदि।

6.3.1. कृषि सुधार अधिनियम (Agricultural Reforms Acts)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से तीन अधिनियम पारित किए। ये हैं- कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020}; मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020}; तथा आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020}।

इन सुधारों की आवश्यकता क्यों थी?

- **कृषि की अलाभकारिता:** दिए गए इन्फोग्राफिक में बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता, व्यापार की निष्क्रियता और प्रवासन की अभिवृत्तियों को उजागर किया गया है।
- **'कृषि उपज विपणन समिति' (Agricultural Produce Market Committees: APMCs) से संबंधित समस्याएं:** कृषि संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2018-19) ने निम्नलिखित समस्याओं की पहचान की है:
  - अधिकांश 'APMCs' में व्यापारियों की सीमित संख्या होती है, जिससे **व्यवसायी आपस में मिलकर समूह बना लेते हैं और प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है।** व्यापारी, कमीशन एजेंट और अन्य लोग स्वयं को संघों में व्यवस्थित कर लेते हैं तथा नए लोगों को बाजार में सरलता से प्रवेश नहीं करने देते।
  - कृषकों को **कमीशन शुल्क और बाजार शुल्क** के रूप में अनुचित भुगतान करना पड़ता है, जिससे उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ कम हो जाते हैं।
  - APMC अधिनियम **विपणन गतिविधि से और अधिक लोगों/संस्थाओं** (जैसे- अधिक खरीदारों, निजी बाजारों, व्यवसायों, खुदरा उपभोक्ताओं को तथा ऑनलाइन लेन-देन) को जोड़ने में सहायक नहीं रहा है। साथ ही, यह अधिनियम **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने में भी बाधक** बना हुआ है।

VISION IAS

- **अन्य कारण:**
    - **सात मुख्यमंत्रियों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने** कृषि विपणन और अवसंरचना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** (जो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और नियंत्रण का प्रावधान करता है) में **परिवर्तन किए जाने की अनुशंसा की थी।**

इन सुधारों का विरोध क्यों हो रहा है?

इन अधिनियमों का विरोध किसानों के साथ-साथ व्यापारियों की ओर से भी हो रहा है। इन अधिनियमों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं और आशंकाओं *(इन्हें आगे इन कानूनों के विश्लेषण के साथ बताया गया है)* के अतिरिक्त इनके कार्यान्वयन के विषय में भी प्रक्रियात्मक समस्याएं विद्यमान हैं।

- **संविधान की संघीय भावना का उल्लंघन:** पंजाब और हरियाणा जैसी विभिन्न राज्य सरकारों ने इन पर आपत्ति जताई है, क्योंकि कृषि राज्य सूची का एक विषय है। इसलिए राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय कानूनों का पारित होना भारत की संघीय भावना को कमजोर करता है।
- **राज्य के विषयों में हस्तक्षेप करना प्रशासनिक रूप से अविवेकपूर्ण है:** संविधान ने कृषि उत्पादन की अत्यधिक स्थानीयकृत प्रकृति के कारण कृषि बाजारों पर अधिकार क्षेत्र को राज्यों को हस्तांतरित किया है। किसान और व्यापारी के मध्य पहली बिक्री उत्पादन प्रक्रिया से जुड़ी होती है। यह स्थान विशिष्ट होती है तथा **कराधान, ऋण, किसान उत्पादक संगठनों एवं भौतिक बाजारों के निर्माण सहित उत्पादन और बिक्री की रूपरेखाओं के निर्धारण के लिए राज्य ही सर्वश्रेष्ठ स्थान होते हैं।**
- **किसान संगठनों से पर्याप्त विचार-विमर्श नहीं किया गया था:** विभिन्न संगठनों ने कहा है कि उनके साथ कोई विचार-विमर्श नहीं किया गया था।

6.3.1.1. कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **किसानों की उपज का व्यापार:** यह अधिनियम **किसानों को उनकी उपज के लिए निम्नांकित बाजारों/स्थलों से बाहर अंतरा-राज्य (intra-state)** और **अंतर-राज्यीय (inter-state) व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है:** (i) 'राज्य APMC अधिनियमों' के अंतर्गत गठित बाजार समितियों द्वारा संचालित मंडियों के भौतिक परिसर, और (ii) 'राज्य APMC अधिनियमों' के अंतर्गत अधिसूचित अन्य बाजार।
- **इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग:** यह अधिनियम निर्धारित व्यापार क्षेत्र में **किसानों की अधिसूचित उपज (राज्य APMC अधिनियम के अंतर्गत विनियमित कृषि उपज)** के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की अनुमति प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तथा इंटरनेट के माध्यम से ऐसी **उपज की प्रत्यक्ष और ऑनलाइन खरीद एवं बिक्री की सुविधा के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग और लेन-देन प्लेटफॉर्म** स्थापित किया जा सकता है।
- **बाजार शुल्क की समाप्ति:** यदि किसान अपनी उपज को APMC के बाहर बेचते या उसका व्यापार करते हैं, तो राज्य सरकारें **किसानों, व्यापारियों और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स** पर किसी भी प्रकार का बाजार शुल्क, उपकर या लेवी आरोपित नहीं कर सकती हैं।

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **मध्यवर्ती संस्थाओं (बिचौलियों) की भूमिका में कमी:** यह नया कानून एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर सकता है, जहां किसानों एवं व्यापारियों को कृषि-उपज की **बिक्री और खरीद करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी।** इस प्रकार, व्यापारियों और अन्य मध्यवर्ती संस्थाओं (बिचौलियों) द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एकाधिकार समाप्त होगा, जिससे किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा।
    - उदाहरण के लिए, एक हल्दी उगाने वाला किसान अब **बिना किसी मंडी कर या कमीशन के** अपनी उपज को **पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य पर** दिल्ली में बिग बास्केट को बेच सकता है।
- **एकीकृत बाजार:** बाधा रहित अंतरा-राज्य (intra-state) और अंतर-राज्यीय (inter-state) व्यापार एवं वाणिज्य के कारण **कृषि अधिशेष को प्रचुरता वाले क्षेत्रों से न्यूनता वाले क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करना संभव होगा।** यह **एक राष्ट्र एक कृषि बाजार (वन नेशन, वन एग्री-मार्केट)** की अवधारणा का विस्तार करेगा।
    - वर्तमान में, कृषि बाजार बहुत ही विखंडित अवस्था में हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2019 में एक क्विंटल चावल का मासिक औसत मूल्य आगरा (उत्तर प्रदेश) में 2,042 रुपये था, जबकि गंगटोक (सिक्किम) में इसका मूल्य 5,102 रुपये था। सब्जियों के मूल्य के मामले में भिन्नता अधिक स्पष्ट है। (इंफोग्राफिक देखें)

VISION IAS

- **यह अधिनियम APMC में सुधारों को प्रोत्साहित करेगा:** चूंकि, यह कानून **APMC अधिनियम को निरस्त नहीं** करता है, अतः निजी बाजार अपने कामकाज में अधिक पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए APMC बाजारों पर दबाव डाल सकते हैं।

APMC प्रणाली को सुधारने में **राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका** है, जैसे-

- राज्य सरकारें इन समितियों के राजनीतिकरण को समाप्त कर, उन्हें अधिकाधिक किसान हितैषी बना सकती हैं।
- राज्य सरकारें APMC बाजारों को निजी बाजारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति प्रदान कर सकती हैं। वे बाजार में लेन-देन पर लगाए जाने उपकरों से छूट प्रदान कर सकती हैं।
- राज्य सरकारें अपनी **अव्यवहार्य मंडियों का निजीकरण** कर सकती हैं।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- एक स्थापित बाजार तंत्र में **आकस्मिक परिवर्तन करने से** बाजार विकृत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, वर्ष 2006 में, बिहार सरकार ने इस क्षेत्रक में निजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने APMC अधिनियम को निरस्त कर दिया था और उस क्षेत्र के संबंधित उप-विभागीय अधिकारियों को बाजारों का प्रभार सौंप दिया था। जिसके परिणामस्वरूप:
  - **खराब रखरखाव के कारण समय के साथ विद्यमान अवसंरचना** का क्षरण हो गया।
  - किसानों को **उच्च लेन-देन शुल्कों** तथा उपज के मूल्यों के विषय में **जानकारी के अभाव** जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- यह अधिनियम **"बाजार क्षेत्रों" (market areas)** (राज्य सरकारों द्वारा विनियमित मंडियों) और **"व्यापार क्षेत्रों" (trade areas)** (अब केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत विनियमित बाजारों) के मध्य **कृत्रिम अंतर** उत्पन्न करता है। इस प्रकार, इससे दोहरे विनियामक बाजार तंत्र की समस्या का जोखिम उत्पन्न हो सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, अब **नए अविनयमित बाजारों** अर्थात् "व्यापार क्षेत्रों" पर **कोई निगरानी नहीं रहेगी और सरकार के पास इस बात की कोई जानकारी या खुफिया जानकारी नहीं होगी कि** इसमें प्रतिभागी कौन हैं, कौन किसके साथ कितनी मात्राओं के लिए और किन मूल्यों पर लेन-देन कर रहा है।
- **मंडी कर** की दृष्टि से, 'व्यापार क्षेत्रों' को 'बाजार क्षेत्रों' की तुलना में स्पष्ट विनियामक लाभ प्राप्त होगा। इससे संभावित रूप से **APMC प्रणाली** और **ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (e-NAM)** जैसी पहलें ध्वस्त हो सकती हैं, जो देश में भौतिक मंडी संरचना के आधार पर संचालित हो रही हैं।
- यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण संस्थागत अंतराल उत्पन्न करता है। यदि APMC की उपेक्षा की जाती है तो तो बाजार के कुशल संचालन के लिए आवश्यक राज्य-विशिष्ट निवेशों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा।
- **राज्य सरकारों को मंडी कर (mandi tax) की हानि होगी,** जो पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है।

6.3.1.2. मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020 {The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं

- **कृषि समझौता:** यह अधिनियम किसी भी कृषि उपज के उत्पादन या पशुपालन या मत्स्य पालन से पूर्व **किसान और खरीदार के बीच कृषि समझौते** का प्रावधान करता है।
- **कृषि उपज का मूल्य निर्धारण:** समझौते में कृषि उपज की कीमत का उल्लेख किया जाना चाहिए। जिन उपजों के मूल्यों में भिन्नता आने की संभावना होती है, उनकी उपज के लिए **गारंटीकृत मूल्य (guaranteed price)** और **गारंटीकृत मूल्य के ऊपर किसी भी अतिरिक्त राशि** के लिए स्पष्ट संदर्भ को समझौते में अवश्य निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
  - इसके अतिरिक्त, समझौते में मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया का भी उल्लेख किया जाना चाहिए।

VISION IAS

- **विवाद निपटान:** कृषि समझौते में विवादों के निपटारे के लिए **सुलह बोर्ड (conciliation board)** के साथ-साथ सुलह प्रक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। बोर्ड में दोनों पक्षों का निष्पक्ष और संतुलित प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि किसी समझौते पर पहुंचा जा सके।

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **अनुबंध कृषि को बढ़ावा मिलेगा:** अनुबंध कृषि के लिए कानूनी ढांचा निर्धारित करने से **उत्पादकों और उद्यमियों के समूहों के बीच एक अनुबंधित संबंध (contractual relationship)** विकसित होगा। इससे उत्पादकों को अपनी उपज के लिए **तैयार बाजार (ready market)**, और उद्यमियों (या प्रायोजकों) को **तैयार कच्चे माल** तक पहुंच प्राप्त होगी।
  - यह अधिनियम किसानों को संसाधकों (processors), समूहकों (aggregators), थोक व्यापारियों, बड़े खुदरा विक्रेताओं, निर्यातकों आदि के साथ शोषण के किसी भी **भय के बिना समान अवसर पर संबंध स्थापित करने का अधिकार** देता है।
- **किसानों के लिए कम जोखिम:** यह **बाजार में आने वाले उतार-चढ़ाव के जोखिम** को **किसान से प्रायोजकों/उद्यमियों पर स्थानांतरित** करेगा। पूर्व मूल्य निर्धारण के कारण, बाजार की कीमतों के बढ़ने और गिरने के विरुद्ध किसानों की रक्षा होगी।
- **उत्पादन में वृद्धि:** यह **कृषि क्षेत्रक में अनुसंधान और नई प्रौद्योगिकी के समावेश को बढ़ावा** देगा। साथ ही, यह किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीजों व उन्नत प्रौद्योगिकियों तथा उर्वरकों और कीटनाशकों तक आसान पहुँच प्रदान कर सकता है।
- **निवेश में वृद्धि:** यह अधिनियम राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों में भारतीय कृषि उत्पादों की आपूर्ति हेतु आपूर्ति श्रृंखला (supply chains) के निर्माण तथा कृषि अवसंरचना में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।
- **किसानों के लिए विपणन (marketing) की लागत में कमी:** क्योंकि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद, किसान को व्यापारियों की खोज नहीं करनी होगी। **क्रय करने वाला उपभोक्ता/क्रेता सीधे खेत से उपज प्राप्त करेगा।**
- **विवाद समाधान:** यह अधिनियम स्पष्ट समय-सीमा के साथ प्रभावी **विवाद समाधान तंत्र (dispute resolution mechanism)** उपलब्ध कराता है।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- अनेक किसानों और किसान संगठनों ने आशंका व्यक्त की है कि लागू होने के पश्चात् ये अधिनियम, **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) प्रणाली को समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे** तथा कृषक समुदाय को बड़े कॉर्पोरेट्स की "दया" पर छोड़ देंगे।
  - यह भी आशंका व्यक्त की गयी है कि ये अधिनियम **किसानों** की तुलना में **बड़े कॉर्पोरेट्स या निगमों** के लिए अधिक अनुकूल होंगे, जो भविष्य में बाजार पर हावी हो जाएंगे।
  - हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अधिनियमों का **MSP प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,** और यह जारी रहेगी।
- जहाँ एक ओर यह अधिनियम मूल्य आधारित शोषण (price exploitation) के विरुद्ध किसानों को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह **मूल्य निर्धारण के लिए कोई तंत्र या विनियामक व्यवस्था नियत नहीं** करता है।
- इस अधिनियम के अनुसार, **कंपनियों को किसानों के साथ लिखित अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं है।** इससे विवाद की स्थिति में किसानों के लिए शर्तों को सिद्ध करना कठिन हो जाएगा।
  - ऐसे में, यदि कोई किसान किसी निजी कंपनी के साथ अपने अनुबंध को लेकर विवाद में पड़ जाता है, तो उसके लिए **विवाद को अपने पक्ष में निपटाना बहुत कठिन हो जाएगा।**
  - इसके अतिरिक्त, विवाद होने पर उसके समाधान की जिम्मेदारी **जिला प्रशासन को सौंपी गई है**; लेकिन यहाँ यह भी हो सकता है कि **जिला प्रशासन विवादों को निपटाने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित नहीं हो।**

6.3.1.3. आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 {The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020}

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं:

- **खाद्य पदार्थों का विनियमन (Regulation of food items):** यह अधिनियम प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार अनाज, दलहन, आलू, प्याज, खाद्य तिलहन और तेल सहित **कुछ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विनियमित** कर सकती है। इनमें सम्मिलित हैं- (i) युद्ध, (ii) अकाल, (iii) असाधारण कीमत वृद्धि और (iv) गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा।
  - **आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955** ने केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं (जैसे- खाद्य पदार्थ, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद) को आवश्यक वस्तु घोषित करने का अधिकार दिया है। केंद्र सरकार ऐसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, व्यापार और वाणिज्य को विनियमित या प्रतिबंधित कर सकती है।

VISION IAS

- **स्टॉक सीमा:** यह अधिनियम निर्धारित करता है कि कृषि उपज पर किसी भी **स्टॉक सीमा का आरोपण महंगाई पर आधारित** होना चाहिए। स्टॉक सीमा केवल तभी आरोपित की जा सकती है, यदि: (i) बागवानी उपज की खुदरा कीमत में 100%; और (ii) गैर-नष्टप्राय कृषि खाद्य वस्तुओं की खुदरा कीमत में 50% की वृद्धि होती है।
    - कीमत में वृद्धि की गणना तत्काल पूर्ववर्ती 12 महीनों में प्रचलित कीमत, या विगत पांच वर्षों की औसत खुदरा कीमत, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।

इस अधिनियम से अपेक्षित लाभ

- **यह व्यवसायियों और व्यापारियों के उत्पीड़न को समाप्त करेगा:** इससे पहले सरकार ने खाद्य वस्तुओं की जमाखोरी पर प्रतिबंध लगाया था और वह व्यापारियों द्वारा रखे गए किसी भी अतिरिक्त स्टॉक को जब्त कर सकती थी। इसके परिणामस्वरूप व्यापारियों का अत्यधिक उत्पीड़न हुआ और मुनाफाखोरी करने वाले व्यवहार को बढ़ावा मिला। अब इस नए अधिनियम के चलते, इस प्रकार के हस्तक्षेपों के भय के बिना खाद्य वस्तुओं के स्टॉक का प्रबंध किया जा सकता है।
- **भंडारण सुविधाओं में सुधार होने से बर्बादी को कम करने में सहायता प्राप्त होगी:** भारत में फसलों की कटाई के पश्चात् एक-तिहाई कृषि उपज की क्षति हो जाती है। लेकिन पहले के कानून के चलते व्यवसायी चाहकर भी इस प्रकार की हानि को कम करने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे।
- **कोल्ड स्टोरेज, गोदाम और प्रसंस्करण क्षेत्र में निजी निवेश के आकर्षित होने की संभावना में वृद्धि:** इन सुधारों के चलते कृषि उपज के लिए अवसंरचना और बेहतर आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा इनमें निजी क्षेत्र निवेश करने के लिए आकर्षित होंगे। इस प्रकार, इसके माध्यम से इस क्षेत्रक में संवृद्धि तीव्र हो सकती है।
- **मूल्य स्थिरता और कृषि आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी:** इस अधिनियम से चयनित वस्तुओं को छूट देने के कारण उत्पादकों के लिए फसल की विपणन क्षमता में सुधार होगा। प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक और व्यापारी अब दंडात्मक कार्रवाई के भय के बिना स्टॉक या मालसूची (inventory) का निर्माण कर सकेंगे।

इस अधिनियम के क्रियान्वयन से उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याएं

- कुछ विशेषज्ञों को आशंका है कि यह अधिनियम **प्रभावी रूप से जमाखोरी को वैध बनाएगा**, क्योंकि अब इन वस्तुओं का व्यापार करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
    - ऐसी स्थिति में, खाद्य श्रृंखला में विशेष क्रेताओं की ओर से **प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार का मार्ग प्रशस्त** हो सकता है।
- इन वस्तुओं के पूर्ण अविनियमन से **असाधारण परिस्थितियों में खाद्य आपूर्ति संबंधी समस्याओं की खतरनाक स्थिति उत्पन्न** हो सकती है, क्योंकि सरकार को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होगी कि प्रतिभागी कौन हैं, और बाजार में स्टॉक का स्तर क्या है।

6.3.1.4. न्यूनतम विक्रय मूल्य (Minimum Selling Price: MSP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में पारित कृषि सुधार कानूनों ने किसानों के बीच यह आशंका पैदा कर दी है कि ये कानून अंततः MSP व्यवस्था को समाप्त कर देंगे।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह आशंका **कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक, 2020 {The Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020}** को लेकर है। यह समझा जा रहा है कि निहित कॉर्पोरेट हितों के पक्ष में इस कानून में परिवर्तन किए जाएंगे और किसानों को बाजार की शक्तियों के अधीन छोड़ दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप किसान अपनी कृषि उपज, फल और सब्जियों के लिए एक इष्टतम मूल्य प्राप्त करने से वंचित रह जाएंगे।
- इस **अविश्वास का मुख्य कारण न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गैर-वैधानिक प्रकृति है**। हालांकि, MSP किसानों की आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु किसी भी विधि/ कानून में इसका कोई उल्लेख नहीं है, भले ही इसे दशकों से कार्यान्वित किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, इसका तकनीकी रूप से तात्पर्य यह है कि **सरकार, भले ही कृषकों से MSP पर उत्पाद खरीदती है, परंतु ऐसा करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है।**

MSP की आवश्यकता क्यों है?

- **MSP एक न्यूनतम मूल्य गारंटी है,** जो फसल के विक्रय के समय **किसानों के लिए सुरक्षा जाल या बीमा के रूप में कार्य करता है।**
- गारंटीकृत मूल्य और बाजार आश्वासन से **उच्च निवेश को प्रोत्साहित करने और कृषि गतिविधियों में आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाए जाने की अपेक्षा** रहती है।
- **वैश्वीकरण** के परिणामस्वरूप **कृषि वस्तुओं के मुक्त व्यापार** में **किसानों को कीमतों के अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव** के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है।

VISION IAS

वर्तमान MSP व्यवस्था से संबद्ध समस्याएं क्या हैं?

- **MSP व्यवस्था तक पहुंच और जागरूकता में कमी:** एक सर्वेक्षण के अनुसार 81% कृषक विभिन्न फसलों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित MSP से अवगत थे और उनमें से **केवल 10% बुवाई के मौसम से पहले MSP के बारे में जानते थे।**
- **भुगतान में बकाया:** 50% से अधिक किसानों को MSP का भुगतान एक सप्ताह के बाद प्राप्त होता है।
- **विपणन की अपर्याप्त व्यवस्था:** लगभग 67% कृषक स्वयं की व्यवस्था पर अपनी उपज को MSP दर पर बेचते हैं और 21% दलालों (ब्रोकर) के माध्यम से अपनी उपज को बेचते हैं।

MSP पर नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल राज्यों के 21% किसानों ने सरकार द्वारा घोषित MSP को लेकर अपनी संतुष्टि व्यक्त की है, जबकि 79% ने विभिन्न कारणों से असंतोष व्यक्त किया। हालांकि, सर्वेक्षण में शामिल राज्यों के अधिकांश किसान MSP दरों पर असंतुष्ट थे, फिर भी उनमें से 94% ने इच्छा जताई कि MSP दरों को जारी रखा जाना चाहिए।

नीति आयोग द्वारा दिए गए सुझाव

- **सूचना और जागरूकता:** किसानों के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है और सूचना को समय पर न्यूनतम स्तर तक प्रसारित किया जाना चाहिए।
- **MSP की घोषणा बुवाई के मौसम से काफी पहले की जानी चाहिए,** ताकि किसानों को अपनी फसल की योजना बनाने में आसानी हो।
- **बेहतर विपणन सुविधाएं:** खरीद केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं - जैसे कि फसल सुखाने वाले यार्ड, धर्म कांटा, शौचालय सुविधा आदि - किसानों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए।
- MSP की संगणना की कार्यप्रणाली के साथ-साथ कार्यान्वयन तंत्र, दोनों पर **राज्य सरकार के साथ सार्थक परामर्श होना चाहिए।**
- **लघु और सीमांत कृषकों** को आय के स्रोत प्रदान करने के लिए **उचित औसत गुणवत्ता (Fair Average Quality: FAQ) मानदंडों में कुछ छूट** दी जा सकती है।
- **परिवहन लागत से बचने के लिए खरीद केंद्र गांव में ही होने चाहिए।**

6.3.2. किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन (Formation and Promotion of Farmer Producer Organizations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने **"किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन"** नामक एक योजना को अनुमोदन प्रदान किया है।

पृष्ठभूमि

- **किसान उत्पादक संगठन (Farmer Produce Organization: FPO) की अवधारणा वर्ष 2011-12** के दौरान अस्तित्व में आई थी, जब एक प्रायोगिक परियोजना के तौर पर 250 FPOs में 2.5 लाख किसानों को सूचीबद्ध किया गया था। इसके उत्साहजनक परिणामों के आधार पर, इसका अन्य क्षेत्रों में विस्तार किया गया था।
- **'किसान की आय दोगुनी करना'** नामक एक रिपोर्ट में किसानों की आय को दोगुनी करने के प्रयासों के अभिसरण के लिए वर्ष **2022** तक **7,000 FPOs** के गठन का सुझाव दिया गया है।
- **वित्त वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट** में, आगामी पाँच वर्षों के दौरान 10,000 नए FPOs का गठन करने की घोषणा की गई है।

किसान उत्पादक संगठन (FPO) क्या हैं?

- **उत्पादक संगठन (PO)** वस्तुतः एक विधिक निकाय (कंपनी, सहकारी समाज आदि) होता है जिसका गठन प्राथमिक उत्पादकों अर्थात् किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, बुनकरों, ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों द्वारा किया जाता है।
- FPO एक प्रकार का PO है, जिसके **सदस्य किसान** होते हैं।
- FPOs के गठन से, किसानों के पास गुणवत्तापूर्ण आगतों, प्रौद्योगिकी एवं ऋण तक सुगम पहुँच के लिए सामूहिक शक्ति विद्यमान हो जाती है तथा बेहतर आय अर्जित करने हेतु इकॉनमी ऑफ़ स्केल के माध्यम से बेहतर विपणन तक पहुँच प्राप्त होती है।
- **वर्तमान परिदृश्य:**
  - वर्तमान में, देशभर में लगभग 5,000 FPOs विद्यमान हैं। इनमें से 20 प्रतिशत विकासक्षम बनने हेतु प्रयासरत हैं तथा 50 प्रतिशत अपने आरंभिक चरण में ही हैं।
  - **FPOs के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियां:** किसानों के एकजुट होने में कठिनाई, उचित प्रबंधन का अभाव, सभी इनक्यूबेशन परियोजना के समक्ष विद्यमान समस्याएँ, सीमित सदस्यता, नीतियाँ, स्वायत्तता और संपार्श्विक के बिना ऋण संबंधी सीमाएँ

VISION IAS

आदि जैसी विविध चुनौतियां विद्यमान हैं।

FPOs के संवर्धन के लिए उठाए गए अन्य कदम

- किसानों को एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) को FPOs एवं वेयरहाउसेज (भंडार गृहों) से जोड़ने के लिए कदम उठाए गए हैं।
- मत्स्यपालन क्षेत्र में भी 500 FPOs का संवर्धन किया जा रहा है।
- कृषि में कटाई उपरांत मूल्य संवर्धन जैसी गतिविधियों के लिए 100 करोड़ रु. तक के वार्षिक टर्नओवर वाले FPOs को प्राप्त लाभ पर 100 प्रतिशत आयकर से छूट प्रदान की गई है।

इस योजना के बारे में

- यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के **"कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग" (DAC&FW)** के अंतर्गत **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **उद्देश्य:**
    - आगामी पाँच वर्ष की अवधि के दौरान वर्ष 2019-20 से 2023-24 के मध्य **10,000 FPOs का गठन किया जाएगा,** ताकि किसानों के लिए इकॉनमी ऑफ़ स्केल का लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।
    - **प्रत्येक FPO को अपनी स्थापना से लेकर 5 वर्षों तक हैंडहोल्डिंग समर्थन प्रदान किया जाएगा,** जो वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी।
- **लाभार्थी:** ऐसे **लघु एवं सीमांत किसान** इसके लाभार्थी होंगे, जिनके पास उत्पादन प्रौद्योगिकी, सेवाओं और मूल्य संवर्धन युक्त विपणन प्राप्त करने के लिए आर्थिक क्षमता नहीं है।
- **अन्य प्रमुख विशेषताएँ:**
    - इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए क्लस्टर/राज्य स्तर पर **क्लस्टर बेस्ड बिज़नस आर्गेनाईजेशन (CBBO)** की स्थापना की जाएगी।
    - प्रस्तावित FPOs में से **कम से कम 15 प्रतिशत आकांक्षी जिलों में गठित** किए जाएंगे, ऐसे जिलों के प्रत्येक उपखंड में कम से कम एक FPO होगा।
    - FPO का संवर्धन **"एक जिला एक उत्पाद"** क्लस्टर के अंतर्गत किया जाएगा, ताकि FPO के माध्यम से विशेषज्ञता और बेहतर प्रसंस्करण, विपणन, ब्रांडिंग तथा निर्यात को प्रोत्साहित किया जा सके।

6.4. संबद्ध क्षेत्रक (Allied sectors)

6.4.1. पशु पालन क्षेत्रक (Animal Husbandry Sector)

परिचय

पशुधन भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगभग **2.05 करोड़ व्यक्ति अपने जीवनयापन के लिए पशुधन पर निर्भर करते हैं।** पशुधन संपूर्ण ग्रामीण परिवारों के औसतन 14% की तुलना में लघु कृषि जोत वाले परिवारों की आय में 16% का योगदान देते हैं। पशुधन दो-तिहाई ग्रामीण समुदाय को आजीविका प्रदान करते हैं। पशुधन क्षेत्रक ने **वर्ष 2016-17 के दौरान कुल कृषिगत GDP में 31.25 % का योगदान दिया।**

Livestock Survey, 2019 (in Millions)

Animals	2019 Survey	2012 Survey	% Difference
Cattle	192.49	190.90	0.83
Buffaloes	109.85	108.70	1.00
Goats	148.88	135.17	10.10
Sheep	74.26	65.06	14.10
Pigs	9.06	10.29	-12.03
Poultry	851.81	729.2	16.80
Total	**535.78**	**512.06**	**4.60**

कृषि क्षेत्रक के पूरक के रूप पशुधन क्षेत्रक क्यों महत्वपूर्ण है?

- **आय का अतिरिक्त स्रोत:** विशेष रूप से शुष्क तथा अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में, जहां पशुधन क्षेत्रक पारिवारिक आय का मुख्य स्रोत है।
- अनुत्पादक कृषि मौसम के दौरान भी **रोजगार के रूप में उपलब्ध।**
- **पोषण सुरक्षा:** पशुधन न केवल पोषण सुरक्षा में सुधार में योगदान देता है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के खाद्यान्न पर अतिरिक्त व्यय को रोककर ग्रामीण गरीबी को भी कम करता है।
- **समान वितरण:** पशुधन संपदा अधिक समरूपता से वितरित है, तथा पशु खाद्य उत्पादों की बढ़ती मांग, निर्धनों को पशुधन उत्पादन में विविधता एवं गहनता लाने के माध्यम से निर्धनता से बचने के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करती है।

VISION IAS

- **सामाजिक सुरक्षा:** सामाजिक दर्जे के संदर्भ में पशु अपने स्वामियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो (सामाजिक दर्जा) उन्हें निर्धनता से बचाने के लिए एक रक्षक की भूमिका निभाता है।
- **जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला रुख:** चूंकि पशुधन, भूंडलीय तापन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति कम प्रवण हैं, इसलिए वर्षा पर आधारित कृषि की तुलना में इन पर अधिक विश्वास किया जा सकता है। पशुधन, उत्पादन तथा विपणन खाद्य आपूर्ति को स्थिर करने में सहायता कर सकते हैं और व्यक्तियों व समुदायों को आर्थिक आघात व प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।

पशुपालन क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या हैं?

- भारतीय मवेशियों का **औसत वार्षिक दुग्ध उत्पादन** 1,172 किलोग्राम है, जो **वैश्विक औसत** का लगभग **50 प्रतिशत** है।
- **खुरपका-मुँहपका रोग, ब्लैक क्वार्टर संक्रमण, इन्फ्लुएंजा, इत्यादि जैसे रोगों के प्रकोप** से पशुधन स्वास्थ्य प्रभावित होता है और उनकी उत्पादकता में गिरावट आती है।
- भारत में जुगाली करने वाले पशुओं की विशाल आबादी **ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान** करती है। शमन व अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी।
- **सीमित कृत्रिम वीर्यरोपण सेवाओं में गुणवत्तापूर्ण जनन द्रव्य, अवसंरचना तथा तकनीकी श्रम शक्ति का अभाव होता है,** जिससे कृत्रिम वीर्यरोपण के कारण गर्भाधान दर निम्न रहती है।
- **इस क्षेत्रक को कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रकों पर कुल सार्वजनिक व्यय का लगभग 12 प्रतिशत प्राप्त हुआ,** जो कृषि क्षेत्रक के GDP में योगदान की तुलना में कम है।
- कुल **कृषि ऋण में पशुधन की हिस्सेदारी** (अल्पकालिक, मध्य कालिक, तथा दीर्घकालिक) **कभी भी कुल 4% नहीं रही है।**
- वर्तमान में, केवल **6 प्रतिशत पशुओं (मुर्गीपालन सम्मिलित नहीं है) को बीमा कवर प्रदान किया गया है।** इस प्रकार, अब तक पशुधन विस्तार की अत्यधिक उपेक्षा हुई है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **पशुपालन अवसरंचना विकास कोष (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund: AHIDF): आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति** ने हाल ही में 15,000 करोड़ रुपये के **AHIDF** की स्थापना को मंजूरी दी है। इस योजना से अपेक्षित लाभ-
  - **निवेश:** AHIDF से लगभग **सात गुना निजी निवेश** का लाभ प्राप्त होने की अपेक्षा है। यह अग्रिम **निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजी की उपलब्धता** सुनिश्चित करेगा, निवेशकों के **समग्र रिटर्न (लाभ)** में वृद्धि तथा **निवेश की वापसी** करेगा।
  - **रोजगार सृजन: AHIDF 35 लाख व्यक्तियों के लिए आजीविका के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकल्प के सृजन** में मदद करेगा।
  - **किसानों के लिए लाभ:** भारत में **डेयरी उत्पादन के अंतिम मूल्य का** लगभग **50-60%** किसानों को वापस मिल जाता है। इस प्रकार, इस क्षेत्रक में **वृद्धि** का **सीधा प्रभाव किसान की आय पर** पड़ेगा। इसके अलावा, **यह किसानों को उत्पाद पर अधिक निवेश करने के लिए प्रेरित करेगा,** जिससे उत्पादकता में वृद्धि होगी।
  - यह प्रसंस्कृत तथा मूल्य वर्धित वस्तुओं के **निर्यात को बढ़ावा** देगा।
- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (National Animal Disease Control Programme: NADCP):** इस कार्यक्रम का उद्देश्य **वर्ष 2025** तक पशुधन के **खुरपका-मुँहपका** रोग तथा **ब्रुसेलोसिस** रोग को नियंत्रित करना और **वर्ष 2030** तक इनका उन्मूलन करना है।

आगे की राह

- **भोजन व चारे की कमी से निपटना** तथा पशुओं के स्वास्थ्य व प्रजनन सेवाओं की आपूर्ति में सुधार करना।
- **प्रौद्योगिकी,** विकास का एक प्रमुख चालक होगी और उत्पाद वृद्धि तथा उत्पाद की बचत करने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास व उन्हें प्रसारित करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी।
- पशुधन क्षेत्रक को पुनः सक्रिय करने के लिए **सार्वजनिक व्यय** में वृद्धि की आवश्यकता है।
- संस्थाओं, उत्पादक संघों जैसे संस्थानों तथा अनुबंध कृषि के माध्यम से उत्पादन एवं बाजारों के बीच **संबंधों को सुदृढ़** करना।
- ऋण तथा बीमा के संदर्भ में **संस्थागत समर्थन** की कमी है और इसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- **सरकार** को भारतीय पशु चिकित्सा तथा पशु विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान परिषद की स्थापना; ऑपरेशन फ्लड, कामधेनु इत्यादि जैसी योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्रक को बढ़ावा देने के प्रयास करने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, सरकारों तथा उद्योग को घरेलू व साथ ही वैश्विक बाजार में **गुणवत्ता-संचालित प्रतिस्पर्धा** के लिए उत्पादकों को तैयार करना चाहिए।

VISION IAS

6.4.1.1. डेयरी क्षेत्रक (Dairy Sector)

भारत में डेयरी क्षेत्र का संक्षिप्त अवलोकन

- भारत वर्ष 1998 से विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यह विश्व के सकल दुग्ध उत्पादन में 20 प्रतिशत का योगदान करता है तथा वर्ष 2017-18 में इसका दुग्ध उत्पादन 176.3 मिलियन टन रहा।
- विश्व की सबसे बड़ी बोवाइन (गोजातीय) आबादी भी भारत में ही है।
- **ऑपरेशन फ्लड (वर्ष 1970-1996)** नामक सरकारी पहल ने भारत में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने में सहायता की है। ज्ञातव्य है कि इसके परिणामस्वरूप भारत में दुग्ध उत्पादन में वर्ष 1950 से वर्तमान समय तक 10 गुना वृद्धि हुई है।
- **राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 70वें दौर के सर्वेक्षण** के अनुसार, न्यूनतम भूमि (0.01 हेक्टेयर से कम) धारक किसान परिवारों के लगभग 23 प्रतिशत ने पशुधन को अपनी आय का मुख्य स्रोत बनाया है।
- **2018-19 के आर्थिक सर्वेक्षण** के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित कुल दुग्ध का लगभग 52% अंश विपणन योग्य अधिशेष के रूप में है।
  - इस अतिरिक्त, विक्रय योग्य दुग्ध के लगभग 36 प्रतिशत का **संगठित क्षेत्र** (सहकारी और निजी डेयरियों द्वारा समान रूप से) द्वारा और शेष को **असंगठित क्षेत्र** द्वारा प्रबंधित किया जाता है।
- **2020 के बजट** में वर्ष 2025 तक देश की दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना (53.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 108 मिलियन टन तक) करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- भारत में विगत 5 वर्षों के दौरान दुग्ध के उत्पादन में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा यह वर्ष 2014-15 के 146.3 मिलियन टन (mt) से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 187.7 mt हो गया है।

कोविड-19 के दौरान परिदृश्य:

- दूध की मांग 20-25% तक कम हो गई है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति का आधिक्य हो गया। उदाहरण के लिए, 360 लाख लीटर प्रति दिन (LLPD) के दैनिक विक्रय के विरुद्ध सहकारी समितियों द्वारा प्रति दिन 560 LLPD दूध का क्रय किया गया था।
- **इस समस्या को दूर करने हेतु:**
  - संकट के दौरान **उत्पादकों को 4,100 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित करने हेतु कुल 111 करोड़ लीटर अतिरिक्त दूध खरीदा** गया।
  - ब्याज में 2% दर की सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना शुरू की गई है।

इस क्षेत्रक के लिए सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

- केंद्र सरकार ने श्वेत क्रांति (दुग्ध उत्पादन पर आधारित) को और अधिक प्रोत्साहित करने हेतु **डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (DIDF) योजना** में कुछ परिवर्तन किए हैं।
- **अपेक्षित लाभ:**
  - इससे 50,000 गांवों के 95 लाख दुग्ध उत्पादकों को लाभ प्राप्त होगा।
  - इससे प्रतिदिन अतिरिक्त 210 टन मिल्क ड्राइइंग कैपेसिटी, आधुनिकीकरण, विस्तार और प्रति दिन 126 लाख लीटर दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का निर्माण भी होगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ नए किसानों को शामिल करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में **1.5 करोड़ दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC)** अभियान आरंभ किया गया था।

6.4.2. लघु वनोपज (Minor Forest Produce)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस महामारी के कारण देश में विद्यमान "असाधारण एवं अति कठिन" परिस्थितियों के आलोक में जनजातीय संग्राहकों को अत्यावश्यक समर्थन प्रदान करते हुए **लघु वनोपज** के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में संशोधन** किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन **49 उत्पादों** के MSP में वृद्धि की है, जो वनों से जनजातीय लोगों द्वारा एकत्र किए जाते हैं।

VISION IAS

- इसका कार्यान्वयन **"मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन हेतु तंत्र"** नामक केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत MFP एकत्र करने वाले जनजातीय लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में किया गया है।
- इस योजना की नोडल एजेंसी **ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (TRIFED)** ने जनजातीय लोगों के लिए प्रयोज्य आय (disposable income) सुनिश्चित करने के लिए इस वृद्धि की सिफारिश की थी।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत गठित **मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ** (Pricing Cell) द्वारा प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार MFPs के लिए MSP को संशोधित किया जाता है।

मूल्य श्रृंखला के विकास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के माध्यम से लघु वनोपज (MFP) के विपणन हेतु तंत्र:

- वर्ष 2014 में आरंभ की गई इस योजना को लघु वनोपज संग्राहकों की **आजीविका में सुधार के लिए** उनके द्वारा संग्रहित वनोपजों का उचित मूल्य प्रदान करने तथा लघु वनोपज की संधारणीय कटाई सुनिश्चित करने हेतु **एक सामाजिक सुरक्षा जाल** के रूप में डिज़ाइन किया गया था।
- उस समय इन जनजातीय लोगों द्वारा गांव के बाजारों में लघु वनोपज का विक्रय किया जाता था।
- यदि बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होता है, तो राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इन वनोपजों की खरीद की जाती है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय इस योजना का नोडल मंत्रालय है।

लघु वनोपज (Minor Forest Produce: MFP) क्या है?

- MFP को **"अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006"** {जिसे लोकप्रिय रूप से वन अधिकार अधिनियम (FRA) के रूप में जाना जाता है} के अंतर्गत परिभाषित किया गया है।
- MFP की परिभाषा में बांस एवं बेंत सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत बांस व बेंत को **"वृक्ष"** के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें अब संशोधन कर इन्हें **"वृक्ष"** की परिभाषा से बाहर कर दिया गया है।
- **पेसा, 1996 {पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996} एवं FRA, 2006** के तहत MFP का स्वामित्व वनवासियों को प्रदान किया गया है।
- FRA व्यक्तिगत वन-निवासियों को वनोपजों को प्राप्त करने और बेचने का वनाधिकार प्रदान करता है, जहां वे पारंपरिक रूप से निवासी रहें हैं।

भारत में MFP का महत्व

- वनों में निवास करने वाले लगभग 100 मिलियन लोग खाद्य, आश्रय, औषधि एवं नकद आय के लिए वनोपजों पर निर्भर हैं। {वन अधिकार अधिनियम पर राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट (वर्ष 2011) के अनुसार}
- जनजातीय लोग अपनी **वार्षिक आय का 20 से 40 प्रतिशत लघु वनोपजों** से प्राप्त करते हैं। ज्ञातव्य है कि इसके लिए इन्हें अपने जीवन का अत्यधिक समय व्यतीत करना पड़ता है।
- मई 2011 की **हक कमेटी** की एक रिपोर्ट के अनुसार, 14 प्रमुख MFPs (तेंदू एवं बांस सहित) का खरीद मूल्य 1,900 करोड़ रुपये अनुमानित है।
- इन गतिविधियों का **महिलाओं के वित्तीय सशक्तीकरण** से घनिष्ठ संबंध है क्योंकि अधिकांश लघु वनोपजों को महिलाओं द्वारा संग्रहित व प्रयुक्त/बेचा जाता है।

6.4.3. मात्स्यिकी क्षेत्रक (Fisheries Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मत्स्य पालन विभाग ने **"राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति (National Fisheries Policy: NFP) 2020" का मसौदा** जारी किया है।

भारत में मात्स्यिकी (अर्थात् मत्स्य पालन) क्षेत्रक

- मत्स्य पालन भारत में **भोजन, पोषण, रोजगार** और आय का महत्वपूर्ण स्रोत है।
    - यह क्षेत्रक प्राथमिक स्तर पर लगभग 16 मिलियन मछुआरों और मत्स्य पालकों को रोजगार प्रदान करता है और लगभग दोगुना लोगों को मूल्य श्रृंखला में रोजगार प्रदान करता है।
    - कृषि GDP में इस क्षेत्रक की लगभग **6.58 प्रतिशत** की हिस्सेदारी है।

VISION IAS

* **समुद्री मत्स्यन निर्यात** भारत के कुल निर्यात का लगभग 5 प्रतिशत और कृषि निर्यात (2017-18) का 19.23 प्रतिशत है।
* हाल के वर्षों में, भारत में मत्स्यन उत्पादन में **7 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर हुई है।**
* भारत मत्स्य उत्पादन के मामले में **दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक** देश है।
* भारत में मत्स्य पालन के दो क्षेत्र हैं - **अंतर्देशी जल मत्स्य पालन और समुद्री मत्स्य पालन**। कुल मत्स्य उत्पादन में **अंतर्देशी क्षेत्र का हिस्सा लगभग 65 प्रतिशत** है और शेष हिस्सा समुद्री मत्स्य पालन का है।

मात्स्यिकी क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

* प्रादेशिक जल क्षेत्र में अति मत्स्यन, कमजोर विनियमन, अकुशल प्रबंधन और मछली संग्रहण की पारंपरिक पद्धतियों के प्रचलन के कारण इस क्षेत्र में **विस्तार की सीमित संभावनाएं** विद्यमान हैं।
* विशेष रूप से फिशिंग हार्बर, लैंडिंग सेंटर, कोल्ड चेन और वितरण प्रणालियाँ, निम्नस्तरीय प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, बर्बादी, जाँच एवं प्रमाणन आदि से संबंधित **अपर्याप्त अवसंरचना** तथा कुशल श्रमशक्ति की अनुपलब्धता है।
* **अंतर्देशी जल मत्स्यन में** मत्स्य पालन गतिविधियों की मौसमी प्रकृति, प्राकृतिक जल स्रोतों में कमी, कार्य अवधि और पट्टा अधिकारों से संबंधित समस्याएँ, मछली संग्रहण के लिए पुरानी तकनीक का उपयोग करना और कम पूँजी निवेश जैसी कुछ उल्लेखनीय समस्याओं का विद्यमान होना।
* **रोग, प्रजातीय विविधता का अभाव** एवं आनुवांशिक सुधार, निम्नस्तरीय अंडे एवं संतति आदि प्रजाति विशिष्ट बाधाओं का विद्यमान होना।
* **अन्य समस्याओं में शामिल है:** अधिक इनपुट लागत, संस्थागत ऋण तक पहुँच का अभाव, ऋण गारंटी और बीमा, पर्यावरणीय संधारणीयता आदि।

इसलिए, राष्ट्रीय मत्स्य पालन नीति, मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास को सक्षम बनाने एवं त्वरित करने के लिए नीतिगत समर्थन से **क्षेत्रीय लाभ समेकित करने** और संधारणीय विकास सुनिश्चित करने जैसे उद्देश्यों को शामिल किए हुए हैं।

प्रारूप नीति (draft policy) की प्रमुख विशेषताएँ

* **मत्स्य प्रबंधन योजना (Fisheries Management Plan: FMPs):** केंद्र सरकार द्वारा मत्स्यन हेतु पारिस्थितिक तंत्र दृष्टिकोण (Ecosystem Approach to Fisheries: EAF) अपनाकर संबंधित राज्य के परामर्श से देश के समुद्री मत्स्य संसाधनों के वैज्ञानिक प्रबंधन और विनियमन के लिए **मत्स्य प्रबंधन योजना (FMPs)** निर्मित की जाएगी।
* **एकीकृत मत्स्य विकास योजना (Integrated Fisheries Development Plan: IFDP):** सरकार अपनी अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने के लिए द्वीपों हेतु एकीकृत मत्स्य विकास योजना (IFDP) को निर्मित और कार्यान्वित करेगी।
* **मत्स्य स्थानिक योजनाएं (Fisheries Spatial Plans: FSP):** राज्य सरकारें तटीय विनियमन क्षेत्र (Coastal Regulation Zone: CRZ) नियमों का संज्ञान लेने के पश्चात्, केंद्र सरकार द्वारा डेटा प्रबंधन, विश्लेषण, मॉडलिंग और निर्णय लेने के लिए तैयार दिशानिर्देशों के आधार पर मत्स्य स्थानिक योजनाएं (FSP) विकसित करेंगी।
* **विधिक उपाय:** केंद्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में समग्र संसाधन उपयोग के लिए एक व्यापक कानून (**"राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य विनियमन और प्रबंधन विधेयक 2019") भी अधिनियमित करेगा।**
* **डेटाबेस:** सरकार, विभिन्न मत्स्य संसाधनों के विषय में फील्ड डेटा एकत्र करने और रिपोर्ट करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को सम्मिलित करते हुए एक **'राष्ट्रीय मत्स्य पालन डेटा अधिग्रहण योजना (National Fisheries Data Acquisition Plan: NFDAP)'** को कार्यान्वित करेगी।
* **राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास परिषद (National Fisheries Development Council: NFDC):** इसकी स्थापना नीति के कार्यान्वयन, इसके उद्देश्यों और प्रगति की समीक्षा करने के लिए समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु की जाएगी।
* **राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी प्राधिकरण (National Marine Fisheries Authority: NMFA):** इसे संधारणीय **मत्स्यन, मत्स्यन प्रबंधन योजना,** क्षमता निर्माण आदि को सुनिश्चित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।
* **एक्वाकल्चर के विकास हेतु क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण:** इसमें बाजार एवं निर्यात उन्मुख उच्च मूल्य प्रजातियों और समन्वित विकास को सक्षम करने हेतु विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की उत्पादन क्षमता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
* **विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले हस्तक्षेपों में सम्मिलित हैं:**
  * **मत्स्य प्रबंधन:**
    * **'राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे के क्षेत्रों' (Areas Beyond National Jurisdiction: ABNJ)** में जहां गहरे समुद्रों में मत्स्य संसाधनों के दोहन की पर्याप्त संभावना है, वहाँ सरकार मत्स्य संसाधनों के दोहन को बढ़ावा देगी।

VISION IAS

- भारत के संप्रभु जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए मत्स्यन करने **वाले विदेशी जहाजों को अनुमति नहीं होगी।**
  - **जलकृषि (Mariculture):**
    - आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) प्रजातियों के लिए **जलकृषि** की अनुमति नहीं होगी।
    - चिन्हित जलकृषि क्षेत्र के भीतर, सरकार कुछ क्षेत्रों को **जलकृषि प्रौद्योगिकी पार्कों के** रूप में निर्दिष्ट करेगी।
  - **अंतर्देशीय मत्स्यन:**
    - निकटवर्ती क्षेत्रों में **समर्पित बीज उत्पादन इकाइयाँ विकसित करके** देशी प्रजातियों के सीड रैन्चन (seed ranching) के माध्यम से देशी प्रजातियों की आबादी को बढ़ाया जाएगा।
    - राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, उपयुक्त आर्द्रभूमि में महत्वपूर्ण मछली प्रजातियों के संरक्षण के लिए कुछ जल निकायों को **"मछलियों के लिए आरक्षित"** घोषित कर सकते हैं।
    - ठंडे जल क्षेत्रों में मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिए उन्नत देशों के सहयोग से साल्मन, स्टर्जन, ब्राउन ट्राउट आदि जैसी **उपयुक्त उच्च मूल्यवान प्रजातियों** को शामिल किया जाएगा।
  - **अलवणीय जलकृषि:** छोटे तालाब धारकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, राज्यों द्वारा प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और **किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producer Organizations: FPOs)** के गठन के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
  - **लवणीय जलकृषि:** यह सुनिश्चित करने के लिए कि **अपशिष्ट जल** में उत्पादित मछलियों का उपभोग करना सुरक्षित है, संबंधित एजेंसियों के मध्य समन्वय के साथ उपयुक्त नियामक, प्रबंधन और निवारक उपाय किए जाएंगे।

6.5. खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक (Food-Processing Sector)

परिचय

- एक सुविकसित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक, उच्च स्तर के प्रसंस्करण के साथ अपव्यय को कम करने में सहायता करता है, मूल्य वर्धन में सुधार करता है, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देता है, किसानों के लिए बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित करता है, रोजगार को बढ़ावा देता है तथा साथ ही निर्यात से होने वाली आय में वृद्धि करता है।
- यह क्षेत्रक खाद्य सुरक्षा, खाद्य मुद्रास्फीति संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने तथा लोगों को स्वास्थ्यकर तथा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने में भी सक्षम है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक की स्थिति

- इस क्षेत्रक ने 2011-12 के मूल्यों के आधार पर 2017-18 में विनिर्माण एवं कृषि क्षेत्रक में क्रमशः **सकल मूल्य वर्धित (GVA)** के लगभग 8.83 प्रतिशत और 10.66 प्रतिशत का योगदान किया है।
- इस क्षेत्रक में **लगभग 7 मिलियन व्यक्ति** संलग्न हैं।
- 2018-19 में **प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का मूल्य** 35.30 अरब डॉलर था, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग **10.69 प्रतिशत** था।
- राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख कृषि उत्पादों की **फसल एवं फसल कटाई के बाद की हानि** का वार्षिक मूल्य वर्ष 2014 की थोक कीमतों पर आधारित 2012-13 के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार 92,651 करोड़ रुपये था।

<table>
<tr><th>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित प्रमुख चुनौतियां</th><th>खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की विकास क्षमता</th></tr>
<tr><td>
</td><td>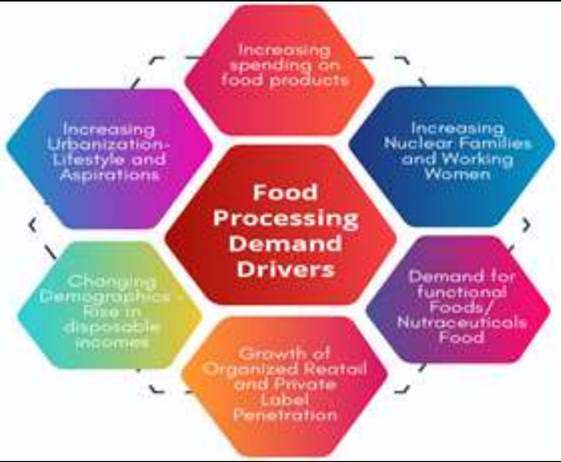
</td></tr>
</table>

Mains 365 - अर्थव्यवस्था

इन बाधाओं को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) की प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) नामक केंद्रीय क्षेत्रक की छत्र योजना (umbrella scheme) के माध्यम से दूर करने की मांग की गई है।

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं

• खाद्य प्रसंस्करण हेतु मेगा फूड पार्क/ क्लस्टर और एकल इकाइयों के लिए आधुनिक आधारभूत अवसंरचना का निर्माण
• किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों को परस्पर जोड़कर प्रभावी पश्च और अग्र लिंकेज स्थापित करना
• **शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं** के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला की आधारभूत अवसंरचना का निर्माण करना
	• PMKSY को पहले संपदा (SAMPADA) (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण समूहों के विकास के लिए योजना) (Scheme for Agro- Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) नाम दिया गया था।
	• यह एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणामस्वरूप **खेत से लेकर रिटेल आउटलेट तक** कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।
	• यह खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देगा और किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करेगा।
	• इससे किसानों की आय दोगुनी करने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बड़े अवसर उत्पन्न करने, कृषि उपज के अपशिष्ट को कम करने, प्रसंस्करण स्तर में वृद्धि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात में वृद्धि करने में भी सहायता मिलेगी।
	• इस केंद्रीय क्षेत्र की योजना को 14वें वित्त आयोग के चक्र के साथ संलग्न करते हुए वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है।
	• यह खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं को शामिल करने वाली एक छत्र योजना है, जिसके परिणामस्वरूप **खेत से लेकर रिटेल आउटलेट तक** कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक आधारभूत अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा।
	• PMKSY के तहत योजनाएं:
	  ○ मेगा फूड पार्क
	  ○ एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन अवसंरचना
	  ○ खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना
	  ○ खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण/ विस्तार
	  ○ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स के लिए अवसंरचना
	  ○ पश्च और अग्र (Backward and Forward) लिंकेज का निर्माण
	  ○ मानव संसाधन और संस्थान

खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2019 का प्रारूप (Draft Food Processing Policy 2019)

- **लक्ष्य:** इस नीति का लक्ष्य वर्ष 2035 तक क्षेत्रक में छह गुना निवेश बढ़ाने के साथ-साथ इस क्षेत्र का विकास करना है।
- **उद्देश्य:** खेत स्तर पर अपशिष्ट को कम करना, रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना, ऋण और बुनियादी ढांचे की उच्च उपलब्धता सुनिश्चित करना और क्षेत्रक में कौशल विकास हेतु प्रयास करना।
- **इस नीति की प्रमुख विशेषताएं:**
  - नए कृषि प्रसंस्करण और उत्पादन समूहों की पहचान करने, उन्हें विकसित करने और बढ़ावा देने तथा सफाई और पैकिंग सुविधाओं जैसी लॉजिस्टिक अवसंरचना के विकास का समर्थन करने के लिए आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जाएगा।
  - नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी जैसे वित्तीय प्रोत्साहन; मौजूदा इकाइयों का प्रौद्योगिकी-अद्यतनीकरण; तथा खाद्य उत्पादों एवं खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी पर वस्तु और सेवा कर की कम दरें।
  - खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण के साथ-साथ इनक्यूबेशन सेंटर के लिए प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और खाद्य प्रौद्योगिकी में नए पाठ्यक्रम आरंभ करने तथा अनुसंधान करने एवं उद्यमिता और प्रबंधन जैसे उपायों के माध्यम से रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना।

VISION IAS

6.5.1. मेगा फूड पार्क (Mega Food Parks)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, देवास (मध्य प्रदेश) में **अवंती मेगा फूड पार्क** का उद्घाटन किया गया। यह मध्य भारत का पहला फूड पार्क है।
- सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए **वर्ष 2019 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति** का प्रारूप तैयार किया गया।

मेगा फूड पार्क (MFP)

- यह **'हब एंड स्पोक मॉडल'** के तहत संचालित होती है, जिसमें 'संग्रह केंद्र' (Collection Centres: CCs) और प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (Primary Processing Centres: PPCs) **स्पोक्स** के रूप में तथा 'केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र' (Primary Processing Centres: CPC) **हब** के रूप में सम्मिलित होते हैं।
    - इसमें 'प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र' और 'संग्रह केंद्र' के रूप में खेत के निकट प्राथमिक प्रसंस्करण एवं भंडारण संबंधी अवसंरचनाओं का निर्माण तथा सामान्य सुविधाएं और 'केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र' में सड़क, बिजली, जल आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना सम्मिलित है।
    - ये 'PPCs' और 'CCs', 'CPC' में स्थित प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चा माल प्रदान करने के लिए **एकत्रीकरण और भंडारण केंद्रों** के रूप में कार्य करते हैं।
- ये **मांग-संचालित परियोजनाएं** हैं तथा पर्यावरण, सुरक्षा और सामाजिक मानकों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुविधा प्रदान करती हैं।

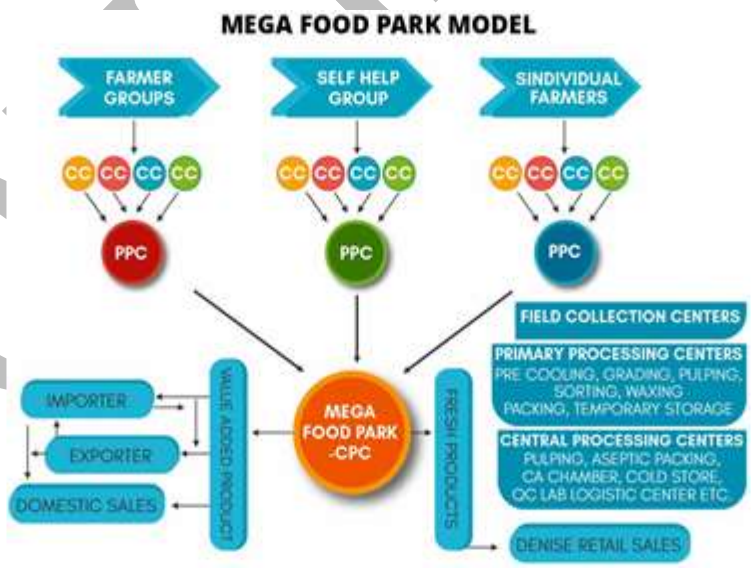

मेगा फूड पार्क योजना का महत्व

- इस योजना का उद्देश्य प्रमुख रूप से खाद्य प्रसंस्करण तथा अपेक्षित फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक द्वारा समर्थित **एकीकृत मूल्य श्रृंखला की स्थापना** को सुगम बनाना है।
- इस योजना का उद्देश्य किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को एकजुट करना है तथा मूल्य में वृद्धि करने, अपव्यय को कम करने और किसानों की आय में सुधार करने हेतु कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना है।

मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत अर्जित प्रगति

- सरकार ने अब तक **42 मेगा फूड पार्कों** को अनुमोदन प्रदान किया है। हालांकि, अभी तक केवल 18 मेगा फूड पार्कों का ही संचालन आरंभ हुआ है।
- संचालित पार्कों में अब तक 2.45 लाख मीट्रिक टन की खेत स्तर की अवसंरचना सहित 63 'PPCs' तथा 23.02 लाख मीट्रिक टन की आधुनिक प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण किया जा चुका है।

मेगा फूड पार्क की चुनौतियां

- **मेगा फूड पार्क** में स्थित इकाइयों को भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है, इसलिए वे बैंकों से ऋण प्राप्त करने हेतु भूमि को समपार्श्व (collateral) के रूप में उपयोग नहीं कर सकती।
- राज्य सरकार/एजेंसियों से **वैधानिक अनुमति प्राप्त करने में विलंब होता है।**
- इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में परिवर्तन, प्रमोटरों द्वारा प्रदान की जाने वाले इक्विटी योगदान में विलंब, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान प्रमोटरों में परिवर्तन जैसी समस्याएं भी विद्यमान हैं।
- इस योजना का दृष्टिकोण मूल रूप से **'सभी के लिए एक ही मानदंड'** (one-size-fit-all) पर आधारित है तथा यह योजना भिन्न-भिन्न निवेश आवश्यकताओं वाले निवेशकों को आकर्षित करने में सक्षम नहीं है।
- SPVs की शिकायत है कि श्रमिकों का कौशल स्तर निम्नस्तरीय है तथा सस्ता कुशल कार्यबल उपलब्ध नहीं है।
- इस पार्क का परिचालन आरंभ करने के लिए **30 माह की निर्धारित समय-सीमा** भी व्यवहार्य नहीं है तथा इसमें आकस्मिक रूप से उत्पन्न हो सकने वाली समस्याओं को दृष्टिगत नहीं रखा गया है।
- इस योजना के प्रति **जागरूकता का अभाव** है।

VISION IAS

आगे की राह

सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए **"राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2019"** का प्रारूप तैयार किया है। यह नीति निम्नलिखित सक्षमकारी प्रावधानों के माध्यम से मेगा फूड पार्क योजना को प्रोत्साहित करेगी:

- इसमें विभिन्न क्लस्टरों (समूहों) की आवश्यकता के संदर्भ में नम्यता सुनिश्चित करने और आवश्यकता के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना जारी रखने के उद्देश्य से योजना के **मापदंडों** की समीक्षा करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं।
- इस नीति में फूड पार्कों के विकास में **राज्यों की भूमिका बढ़ाने** की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जायेंगे:
  - राज्य के स्वयं के संसाधनों से अपने-अपने राज्यों में **ऐसे पार्कों की स्थापना** के समर्थन या सहयोग के अतिरिक्त कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु ऐसे पार्कों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित करना।
  - अपनी संबंधित नीति के अंतर्गत, पूंजी निवेश सब्सिडी, स्टाम्प शुल्क में छूट, फूड पार्कों और ऐसे पार्कों में स्थापित इकाइयों के लिए कन्वर्जन चार्ज में छूट आदि **प्रोत्साहन** प्रदान करना।
  - अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और **अन्य IT उपकरणों का उपयोग करके** फसल उत्पादन एवं प्रसंस्करण क्लस्टरों (समूहों) की पहचान करना तथा आरंभ से अंत तक (एंड-टू-एंड) मूल्य श्रृंखला समाधान और फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करना।
- केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा परिभाषित **मेगा परियोजनाओं** को **तीव्र गति से कार्यान्वित किया जाएगा** तथा भूमि आवंटन, औद्योगिक पार्कों में शेड का निर्माण, बिजली एवं जल कनेक्शन, पर्यावरणीय मंजूरी आदि को प्राथमिकता दी जाएगी।
  - **ऐसी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रोत्साहन पैकेज** प्रदान किया जाएगा जो इसके निकटवर्ती छोटी इकाइयों के समूह (क्लस्टर) के विकास में सहायता प्रदान करेगा।
- इस नीति में उचित प्रोत्साहनों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रक के लिए **'विशिष्ट कृषि प्रसंस्करण वित्तीय संस्थानों' (SAPFI)** की स्थापना को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया है। इससे मेगा फूड पार्कों को ऋण की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
  - इस क्षेत्रक में वित्तीय प्रवाह को आसान बनाने हेतु शीत श्रृंखला और फूड पार्कों को **अवसंरचना का दर्जा** दिया गया है।

6.5.2. पी.एम. फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम (PM Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (MoFPI) ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में **पी.एम. फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (PM FME) स्कीम (प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना)** का शुभारंभ किया।

उद्देश्य	विशेषताएं
• **विद्यमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी तथा व्यावसायिक सहायता प्रदान करना।** • **इसका लक्ष्य 35,000 करोड़ रुपये का कुल निवेश, 9 लाख कुशल व अर्ध-कुशल रोजगार सृजन करना और 8 लाख इकाइयों को सूचना, प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन तथा औपचारीकरण की पहुंच के माध्यम से लाभान्वित करना है।**	• वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए इस योजना के तहत **'एक जिला एक उत्पाद' (One District One Product: ODOP) दृष्टिकोण** को अपनाया गया है। • **राज्य किसी जिले के लिए ऐसे खाद्य उत्पाद की पहचान करेंगे**, जो शीघ्र नष्ट होने वाला पदार्थ या अनाज आधारित उत्पाद हो सकता है। • इसके अंतर्गत **अपशिष्ट से संपदा सृजन वाले उत्पादों, लघु वनोपजों** तथा आकांक्षी जिलों पर भी ध्यान दिया जाएगा। ○ ODOP उत्पादों के लिए सामान्य अवसंरचना और ब्रांडिंग विपणन **सहायता प्रदान की जाएगी।** • **सूक्ष्म उद्यमों** को मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए 10 लाख रुपये की सीमा के साथ **परियोजना लागत पर 35% अनुदान** प्राप्त होगा। • कार्यशील पूंजी तथा छोटे उपकरणों की खरीद के लिए **प्रति स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 40,000 रुपया सीड कैपिटल** (नये उद्यम की स्थापना में निवेशित पूँजी) के रूप में प्रदान किया जाएगा। • **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान** (सोनीपत, हरियाणा) और **भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान** (तंजावुर, तमिलनाडु) (दोनों MoFPI के तहत) को **क्षमता निर्माण तथा अनुसंधान**

VISION IAS

	पर विशेष ध्यान देने के साथ ही इकाइयों, उत्पाद विकास इत्यादि के प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। • **10,000 करोड़ रुपये का व्यय, जिसमें पूर्वोत्तर व हिमालयी राज्यों के लिए 90:10,** अन्य राज्यों के लिए 60:40, विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के लिए 60:40 के अनुपात में साझेदारी तथा अन्य संघ शासित क्षेत्रों के लिए केंद्र द्वारा 100% वित्तीय समर्थन प्रदान किया जाएगा। • इस योजना को **वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू** किया जाना है।

6.6. कृषि शिक्षा (Agricultural Education)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 द्वारा प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय स्तर (middle school level) पर कृषि शिक्षा देने की घोषणा की है।

कृषि शिक्षा क्या है?

- कृषि शिक्षा में **बागवानी, वानिकी, संरक्षण**, प्राकृतिक संसाधन, **कृषि उत्पाद और प्रसंस्करण,** खाद्यान्न एवं रेशा उत्पादन, जलकृषि और अन्य कृषि उत्पाद, यांत्रिकी, बिक्री एवं सेवा, **अर्थशास्त्र, विपणन** और नेतृत्व विकास पर बल दिया जाता है, लेकिन यह केवल इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित नहीं है।
- **भारत में वर्तमान स्थिति**: भारत में औपचारिक कृषि शिक्षा अधिकांशतः **उच्च शिक्षा संस्थानों** में दी जाती है। वर्तमान में, भारत के तीन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों, लगभग 65 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAU) और 4 मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों (Deemed Universities) में कृषि के क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा देने पर प्रमुख बल दिया जाता है।

भारत में कृषि शिक्षा का महत्व

- **किसी गांव/ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता**: किसानों के लिए कृषि संबंधी ज्ञान, इसकी आधुनिक कृषि तकनीकों और विपणन के प्रवाह को कारगर और व्यवस्थित करने से कृषि आय में वृद्धि होगी और देश में कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
- **उभरता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग**: भारत में कृषि क्षेत्र को कटाई पश्चात होने वाली अत्यधिक क्षति और खंडित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों, भंडारण अवसंरचना, विपणन आदि में तकनीकी और कौशल आधारित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कृषि शिक्षा के माध्यम से इसमें सहायता प्रदान की जा सकती है।
- **संधारणीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना**: वर्षा जल संरक्षण, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक कृषि, जलवायु प्रत्यास्थ कृषि, शून्य बजट आधारित कृषि, रासायनिक खादों के सटीक उपयोग इत्यादि के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा किसानों को **पर्यावरणीय क्षति में कमी लाने,** भविष्य में **खाद्य सुरक्षा** सुनिश्चित करने और **जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन एवं शमन** में सक्षम बनाएगी।
- **बदलते वैश्विक परिदृश्य में कृषि निर्यात को बढ़ावा देना**: बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR), विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप स्वच्छता (SPS) उपायों, तकनीकी-कानूनी विशेषज्ञताओं जैसे क्षेत्रों में विश्लेषणात्मक और पेशेवर कौशल एवं ज्ञान का विकास वर्तमान समय की मुख्य आवश्यकता है।
- **जानकारियों तक विस्तृत पहुँच:** सुदृढ़ कृषि शिक्षा तंत्र विश्वविद्यालयों के सहयोग से विश्वविद्यालय परिसर से खेतों तक ज्ञान और विशेषज्ञता के प्रवाह को युक्तिसंगत बनाने के लिए **किसानों-शोधकर्ताओं के संबंध** को सशक्त बना सकता है।
- **कृषि शोध का विस्तार करना**: भारत को प्रौद्योगिकियों, जैसे बायोसेंसर, परिशुद्धता कृषि (Precision farming), आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जैव-ईंधन, नैनोप्रौद्योगिकी, कृषि औजार आदि में शोध के लिए कौशल-प्राप्त छात्रों की आवश्यकता है।

कृषि शिक्षा संबंधी चुनौतियाँ

- **प्रतिभावान ग्रामीण और शहरी युवा को आकर्षित करने में कठिनाई**: कम प्रतिफल, शिक्षा की खराब गुणवत्ता और कैरियर के सीमित अवसर कृषि शिक्षा को छात्रों के मध्य कम पसंदीदा विकल्प बनाते हैं।
- **योग्य शिक्षकों की कमी**: कृषि संस्थानों में, विशेषतः कृषि अर्थशास्त्र, कृषि मौसम-विज्ञान, कृषि सांख्यिकी जैसे अध्ययन के विषयों में अत्यधिक संख्या में पद रिक्त हैं, साथ ही शिक्षकों के लिए अपने ज्ञान में सुधार करने और उसे अद्यतन करने के अवसर सीमित हैं।
- **राज्यों के संस्थानों की समस्याएँ**: राज्यों द्वारा उल्लेखनीय प्रयासों के अभाव के कारण कुछ राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAU) में स्थिति अत्यधिक ख़राब हो गई है। चूंकि कृषि संविधान में राज्य सूची का विषय है अतः भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) जैसे केंद्रीय निकाय केवल सुविधा प्रदाता की भूमिका निभा सकते हैं।

VISION IAS

- **अपर्याप्त वित्तीय सहायता**: कई वर्षों से, कृषि विश्वविद्यालयों के लिए राज्यों के सार्वजनिक वित्त के स्तर में वृद्धि उच्च कृषि शिक्षा की समकालीन आवश्यकतों के संदर्भ में उनकी जरूरतों से अत्यधिक कम रही है।
- **कृषि शिक्षा का रोजगार सृजन से एकीकरण:** इस क्षेत्र के लिए आवश्यक रोजगार प्रोफ़ाइलों और कौशलों के मूल्यांकन की विश्वसनीय प्रणाली के अभाव के कारण, विभिन्न विषयों के कृषि स्नातकों को प्रायः लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है।
- **पुराना पाठ्यक्रम**: कृषि से संबंधित विषयों के पाठ्यक्रम को सामान्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र एवं संबंधित क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति, विशेषकर बदलती आर्थिक स्थिति, जीवनशैली, खाद्य संबंधी आदतों तथा प्रसंस्कृत/मूल्यवर्धित खाद्य पदार्थों की माँग को ध्यान में रखकर परिवर्तित नहीं किया गया है।

आगे की राह

- श्रमिकों की कृषि संबंधी क्षमता का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में **गैर-औपचारिक शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए।**
  - कृषि के आधारभूत विषयों की शुरुआत माध्यमिक विद्यालय (pre-high school) और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी की जा सकती है। इसका उद्देश्य किसी विशेष कृषि-व्यवसाय या कृषि उत्पादन स्व-रोजगार के पहलुओं का प्राथमिक ज्ञान प्रदान करना हो सकता है।
- **पाठ्यक्रम का अद्यतनीकरण करना**: कृषि शिक्षा को बदलते कृषि परिदृश्य और प्रौद्योगिकी के विकास के संगत होना चाहिए, जिसमें कृषि-व्यवसाय प्रबंधन और संधारणीय प्रथाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- **शैक्षणिक कर्मचारियों का प्रशिक्षण** और अन्य उत्कृष्ट राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों का सहयोग प्राप्त करना शिक्षकों को बेहतर अवसर प्रदान कर सकता है।
- **छात्रों के लिए मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करना**: प्रशिक्षण और नियुक्ति प्रकोष्ठ के माध्यम से छात्रों को कृषि की ओर आकर्षित और रोजगार बाजारों के अनुरूप सक्षम बनाया जा सकता है।
- राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (SAU) की गुणवत्ता की निगरानी के लिए **प्रभावी प्रमाणन तंत्र** विकसित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें प्रदर्शन-आधारित अनुदानों के माध्यम से ICAR द्वारा विकसित **भारत में कृषि विश्वविद्यालयों के लिए मॉडल अधिनियम (2009)** अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

कृषि शिक्षा के लिए सरकारी पहल

- **कृषि में छात्रों को आकर्षित करना और बनाए रखना (Attracting and Retaining Youth in Agriculture: ARYA):** योजना का लक्ष्य कौशल विकास के माध्यम से संधारणीय आय एवं लाभप्रद रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को विभिन्न कृषि एवं सहायक कार्यों तथा सेवा क्षेत्रक के उद्यमों की ओर आकर्षित करना और इसके लिए सक्षम बनाना है।
- **समर्पित कृषि शिक्षा पोर्टल:** इसे देश भर के कृषि विश्वविद्यालयों से महत्वपूर्ण शैक्षणिक जानकारी, ई-लर्निंग संसाधन आदि को सरल और त्वरित माध्यम से प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया था।
- **स्टूडेंट रेडी (ग्रामीण उद्यमिता जागरूकता विकास योजना) (Rural Entrepreneurship Awareness Development Yojana: READY) कार्यक्रम:** यह छात्रों को रोजगार आधारित तथा उद्यम संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसमें अनुभवजन्य शिक्षा (व्यावसायिक मोड); व्यावहारिक प्रशिक्षण (कौशल विकास मोड); ग्रामीण जागरूकता कार्य अनुभव; औद्योगिक प्रशिक्षण/ औद्योगिक संलग्नता; और छात्रों के प्रोजेक्ट सम्मिलित हैं।
- **राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना (National Agricultural Higher Education Project: NAHEP):** यह भारत में राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए तैयार की गई है। इसका समग्र उद्देश्य कृषि विश्वविद्यालयों के छात्रों को अधिक प्रासंगिक तथा उच्च-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** ICAR भारत में कृषि मानव संसाधन विकास में सहयोग करने के लिए भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS), भारत-अफगान फेलोशिप योजना आदि को समन्वित करता है।

6.7. कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने 1 लाख करोड़ रु के कृषि अवसंरचना कोष के तहत वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करने के लिए एक नवीन केंद्रीय क्षेत्रक की योजना आरंभ की है।

कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के बारे में

- यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है, इसका उद्देश्य ब्याज अनुदान (interest subvention) और ऋण गारंटी के माध्यम से **मध्यम-दीर्घ अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा** प्रदान करना है।

VISION IAS

- **इसके लाभार्थियों में** किसान, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS), किसान उत्पादक संगठन (FPOs), कृषि-उद्यमी, स्टार्टअप्स, केंद्र/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकायों द्वारा प्रायोजित सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाएं आदि सम्मिलित हैं।
- **योग्य परियोजनाओं में सम्मिलित हैं:**
  - **फसल कटाई के उपरान्त प्रबंधन परियोजनाएं।**
  - **सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण करना।**
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF) के तहत, **बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रु ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाएंगे,** जिसमें 2 करोड़ रूपये तक के ऋणों पर प्रतिवर्ष 3% का ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।

कृषि अवसंरचना के बारे में

कृषि अवसंरचना में मुख्य रूप से व्यापक श्रेणी की लोक सेवाएं सम्मिलित होती हैं जो उत्पादन, सरकार द्वारा खरीद, प्रसंस्करण, संरक्षण तथा व्यापार को सुविधाजनक बनाती हैं।

इसे निम्नलिखित वैविध्यपूर्ण श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **आगत आधारित अवसंचना:** बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण एवं मशीन आदि।
- **संसाधन आधारित अवसंरनचा:** जल/सिंचाई, कृषि विद्युत/ऊर्जा।
- **भौतिक अवसंरचा:** सड़क संपर्क, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, संरक्षण आदि।
- **संस्थागत अवसंरचना:** कृषि अनुसंधान, कृषि विस्तार एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, विपणन आदि।

कृषि अवसंरनचा को प्रभावित करने वाली अन्य योजनाएं

- **प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):** इस योजना को सिंचाई के विस्तार हेतु 'हर खेत को पानी' तथा जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करने के लिए 'प्रति बूंद अधिक फसल' के दृष्टिकोण के साथ प्रतिपादित किया गया है।
- **कृषि विपणन के लिए एकीकृत योजना (ISAM):** इसका उद्देश्य कृषि विपणन अवसंरचना विकसित करना, वैज्ञानिक भंडारण क्षमता का सृजन करना तथा उत्पादों के श्रेणीकरण, मानकीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणीकरण आदि को प्रोत्साहित करना है।
- **प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY):** इस योजना से भारत के भीतरी क्षेत्रों को कस्बों और शहरों से जोड़ा गया है, यह ग्रामीण समुदायों के पास हो सकने वाली अवसंरचनाओं की क्षमता को कई गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

एक बेहतर कृषि अवसंरचना की आवश्यकता

- भारत की **कुल जनसंख्या के लगभग 58% लोगों के लिए** कृषि एवं उससे संबंद्ध गतिविधियां आय का प्राथमिक स्रोत हैं तथा पर्याप्त अवसंरचना **कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है और कृषि लागत को कम करती है।**
- **भारत में कृषकों को बाजार से जोड़ने वाली सीमित अवसंरचनाएं हैं** और इसलिए, 15-20% उपज बर्बाद हो जाती है जो अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक है, जहाँ यह सीमा 5-15% के मध्य है।
- **मूल्य वर्धन, पैकिंग, ब्रांडिंग और अच्छा विपणन** का नेटवर्क भी किसान की आय में वृद्धि करता है।
- उत्पाद की गुणवत्ता के मूल्यांकन हेतु **जांच सुविधाएं प्रदान करना** जिससे बाजार में बेहतर कीमतें सुनिश्चित करने में सहायता हो।
- यह किसानों को बेहतर तरीके से मात्रा का मूल्यांकन करने में सहायता कर सकता है, जिससे किसान आय का अनुमान लगा सकते हैं।
- **व्यापारिक गतिविधियों को आधुनिक बनाना:** यथाशीघ्र कदम उठाने के लिए शीघ्र निर्णय लेने और निर्णय को संप्रेषित करने में यह किसानों/व्यापारियों की सहायता करता है (उदाहरंस्वरूप: ई-ट्रेडिंग एवं इन्टरनेट नीलामी)।

योजना द्वारा निभायी गई भूमिका

हितधारक	योजना के अभिप्रेत लाभ
कृषक (जिसमें FPOs, PACS, सहकारी समितियां सम्मिलित हैं)	• **किसानों को प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के एक बड़े आधार पर बिक्री करने** को सुलभ बनाने के लिए उन्नत बाजार अवसंरचना। इससे किसानों की मूल्य प्राप्ति में वृद्धि होगी। • मालवहन अवसंरचना में निवेश **फसल कटाई उपरान्त हानि** तथा मध्यस्थों की संख्या **को कम करेगा।** • **बेहतर उत्पादकता हेतु सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियां** तथा आगतों के इष्टतम प्रयोग के परिणामस्वरुप किसानों को महत्वपूर्ण बचत प्राप्त होगी।
सरकार	• यह ब्याज संसहायिकी, प्रोत्साहन एवं ऋण गारंटी के माध्यम से सहयोग द्वारा **वर्तमान अव्यावहारिक परियोजनाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ऋण उपलब्ध कराने में** सक्षम होगी।

VISION IAS

	• इसके आगे, सरकार **राष्ट्रीय खाद्य अपव्यय प्रतिशत (national food wastage percentage) को कम करने** में सक्षम होगी, जिससे कृषि क्षेत्रक वर्तमान वैश्विक स्तर के साथ प्रतिस्पर्धी बनेगा। • केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियां या स्थानीय निकाय कृषि अवसंरचना में **निवेश को आकर्षित करने हेतु व्यवहारिक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) परियोजनाओं की संरचना करने में सक्षम होंगे।**
कृषि-उद्यमी और स्टार्ट-अप	• वित्तपोषण के एक समर्पित स्रोत के साथ, उद्यमी वस्तु अंतरजाल (Internet of Things), कृत्रिम बुद्धिमता (AI) आदि सहित नवीन युग की तकनीकियों का इष्टतम लाभ उठाकर **कृषि क्षेत्रक में नवाचार को बल प्रदान करेंगे।** • यह अभिकर्ताओं को पारिस्थितकी तंत्र से भी जोड़ेगा, और इसलिए **उद्यमियों और किसानों के मध्य सहयोग के मार्गों में वृद्धि होगी।**
बैंकिंग पारितंत्र	• ऋण गारंटी, प्रोत्साहन और ब्याज संसहायिकी के साथ **ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं कम जोखिम पर ऋण प्रदान करने में सक्षम होंगी।** • यह योजना बैंकों को **अपने ग्राहक आधार और पोर्टफोलियो के विविधिकरण को बढ़ाने** में सहायक होगी। • पुनर्वित्तपोषण की सुविधा **सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के लिए व्यापक भूमिका** को सक्षम करेगी।
उपभोक्ता	• फसल कटाई उपरान्त के पारिपंत्र में कम अक्षमताओं के साथ, उपभोक्ताओं के लिए प्रमुख लाभ यह होगा कि इससे उत्पादन का एक बड़ा भाग बाजार में पहुंचेगा और इसलिए, उन्हें **बेहतर गुणवत्ता और कीमतों** का लाभ प्राप्त होगा।

6.8. कृषि निर्यात (Agricultural Exports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च-स्तरीय निर्यात समूह (HLEG)** ने आयोग के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

कृषि निर्यात में भारत की स्थिति

- भारत **विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक** देश है और भारत के पास सबसे अधिक 156 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है।
- 2019 में भारत ने 38.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की कृषि वस्तुओं का निर्यात किया, जो **भारतीय कृषि उत्पादन का मात्र 7%** है।
- **दूध, केला और आम में अग्रणी उत्पादक होने के बावजूद कृषि निर्यात में** भारत का **स्थान 13वां है।**
    - उत्पादन और निर्यात रैंक के मध्य इस विसंगति का मुख्य कारण 1.34 बिलियन लोगों की **वृहद घरेलू मांग** है।
- 2009 से 2011 के मध्य हुई प्रभावशाली संवृद्धि की अपेक्षा 2013 से 2018 के मध्य धीमी गति से संवृद्धि हुई ।
    - **निर्यात 10% चक्रीय वार्षिक संवृद्धि दर (CAGR) तक कम हो गया है, इसका कारण वैश्विक प्रणाली में गिरावट** और 2014, 2015 और 2016 में लगातार होने वाला सूखा था ।
- भारत अपने निर्यात की **70% वस्तुओं और कृषि उत्पादों को भौगोलिक रूप से निकटवर्ती देशों को निर्यात करता है, इसमें मध्य-पूर्व, अफ्रीका और एशिया-प्रशांत सम्मिलित हैं**, केवल 30% वस्तुओं और कृषि उत्पादों का निर्यात यूरोप और अमेरिका में किया जाता है जो निम्न कृषि बाजार विविधता को प्रदर्शित करता है।

कृषि निर्यात का महत्व

- **उच्च संवृद्धि क्षमता:** भारत के कृषिगत निर्यात में कुछ वर्षों में ही 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 70 बिलियन डॉलर होने की क्षमता है।
- **रोजगार सृजन:** अतिरिक्त निर्यात से लगभग 7-10 मिलियन रोजगार सृजन होने की संभावना है।
- **कृषि आय में वृद्धि:** कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि **कृषि आय को दोगुना कर सकती है**। साथ ही यह भारतीय कृषि वस्तुओं के लिए **विविध बाजारों का विस्तार कर सकती है।**
- **विदेशी मुद्रा की आमदनी**

VISION IAS

कृषि निर्यात नीति, 2018

- **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन वाणिज्य विभाग** द्वारा लागू की गई है।
- इसका लक्ष्य कृषि निर्यात को **2022 तक 30+ बिलियन अमेरिकी डॉलर से 60+ बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुंचा कर दोगुना करना और उसके कुछ वर्षों बाद ही इसे 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंचाना है।
- यह **नूतन, स्वदेशी, जैविक, विशिष्ट, परंपरागत और गैर-परंपरागत कृषि उत्पादों** के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।
- यह **बाजार उपलब्धता बढ़ाने**, बाधाओं से निपटने तथा स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी मुद्दों से निपटने **के लिए एक संस्थागत तंत्र** उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।
- इसमें **रणनीतिक और संचालक दोनों तत्व हैं।**
  - **रणनीतिक तत्वों** में **सामान्य और वस्तु विशिष्ट** दोनों **उपाय**, अवसंरचना और संभार तंत्र (लॉजिस्टिक), कृषि निर्यात में राज्य सरकारों और कई मंत्रालयों की बृहद भागीदारी सम्मिलित हैं।
  - **संचालक तत्वों** में क्लस्टर पर फोकस करना, "ब्रैंड इंडिया" की मार्केटिंग करना और बढ़ावा देना, प्रभावी गुणवत्तापूर्ण शासन की स्थापना, कृषि-स्टार्ट-अप फंड का सृजन आदि सम्मिलित हैं।

वैश्विक खाद्य और कृषि रुझानों (trends) में कोविड 19 के कारण हुए परिवर्तन

- **उपभोक्ताओं के व्यवहार में स्वास्थ्य और अच्छी सेहत की ओर हुआ झुकाव** उच्च पारदर्शिता (जैसे स्वच्छ सामग्रियों की सूची में कृत्रिम निम्न-कैलोरी सामग्रियों का स्थान ताजे उत्पाद और जैविक उत्पादों ने ग्रहण कर लिया है) को प्रोत्साहित कर रहा है।
- **राजनीतिक दबाव** के कारण वैश्विक और स्थानीय विनियामक जांचें बढ़ गई है (जैसे यूरोपियन यूनियन ने उर्वरक की गुणवत्ता और सुरक्षा आवश्कताओं के बीच सुसंगतता को लागू करने के लिए नए नियमों को अपनाया है)।
- कोविड-19 संकट ने एक-साथ **रोजगार की हानि और खाद्य कीमत की अस्थिरता** के द्वारा वैश्विक खाद्य असुरक्षा के खतरे को बढ़ा दिया है।
- खाद्य आयात पर अत्यधिक निर्भरता वाले देश **दीर्घकालीन अनुबंधों** के माध्यम से आपूर्ति को सुनिश्चित करने पर बल दे रहे हैं
- **देशों में आत्मनिर्भरता संबंधी होड़ के कारण कृषि में आयात प्रतिस्थापन** एक प्राथमिकता के रूप में स्थापित हो रहा है।

कृषि निर्यात वृद्धि में मंदी क्यों?

- **निम्न उत्पादकता:** भारतीय खेतों का आकार (औसतन 1-2 हेक्टेयर) छोटा होता हैं, जिससे बड़े पैमाने पर मितव्ययता प्राप्त करना कठिन होता है।
- **अपर्याप्त मशीनीकरण:** भारतीय कृषि में मशीनीकरण का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है और किसानों द्वारा सामान्यतः **उच्च-उत्पादक आगत किस्मों (high-yield input varieties) का प्रयोग नहीं किया जाता**, जिनका अन्य कृषि-उत्पादक देश उपयोग करते हैं।
- **उच्च मालवहन लागत** (High logistics costs): वर्तमान में भारत की मालवहन लागत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% है, जो विकसित निर्यातक देशों जैसे अमेरिका (9.5%) से अधिक है।
- **सीमित मूल्य वर्धन** (Limited value addition): भारत मूल्य-वर्धित कृषि उत्पादों की तुलना में प्राथमिक वस्तुओं का अधिक मात्रा में निर्यात करता है। **वैश्विक स्तर पर भारत का संसाधित मांस के निर्यात में 10वां**, संसाधित या प्रसंस्कृत फल और सब्जियों के निर्यात में 18वां और डेयरी या दुग्ध उत्पाद के निर्यात में 35वां स्थान है।
  - निजी क्षेत्रक द्वारा अपेक्षित निवेश का अभाव और पर्याप्त प्रोत्साहन का अभाव निम्न मूल्य वर्धन के प्रमुख कारण हैं।
- **कृषि निर्यातों को मिलने वाले प्रोत्साहनों में कमी:** यद्यपि भारत ने बृहद श्रेणी की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं जैसे **कृषि निर्यात जोन (AEZ)** में भारी निवेश किया है, लेकिन निर्यात प्रोत्साहनों (incentives) में समय के साथ गिरावट हुई है।
- **गैर-शुल्क बाधाएं या नॉन-टैरिफ बैरियर्स (NTB):** भारतीय कृषि निर्यात **यूरोप** जैसे आकर्षक बाजारों में गैर-शुल्क अवरोधों जैसे **कठोर स्वच्छता और पादप स्वच्छता (sanitary and phytosanitary-SPS) उपाय, विभिन्न कीटनाशक एवं एंटीबॉयोटिक्स की अवशेष सीमा इत्यादि** का सामना कर रहा। यूरोप में **अन्य अग्रणी निर्यातक देशों की तुलना में झींगों का अधिक कठोरता से परीक्षण किया जाता है।**
- **कोविड 19:** महामारी ने वैश्विक खाद्य सामग्री और कृषिगत रुझानों पर विपरीत दबाव उत्पन्न किया है जिसका परिणाम कृषि निर्यात में कमी के रूप में हो सकता है।

HLEG की संस्तुतियां

- **फसल मूल्य-शृंखला (Crop value chains):** यह मांग आधारित दृष्टिकोण के साथ 22 फसल मूल्य शृंखलाओं पर फोकस करता है। इसमें **कुछ वर्षों में ही** भारतीय **निर्यात को 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर करने की क्षमता** है।

VISION IAS

- HLEG ने प्रतिस्पर्धात्मकता, निर्यात क्षमता, कृषि विविधता आदि मापदंडों का उपयोग करते हुए 7 "मस्ट-विन" लाइटहाउस मूल्य शृंखला की पहचान की है। ये हैं- चावल, झींगा, भैंस, मसाले तथा फल तथा सब्जियां, वनस्पति तेल और काष्ठ।

- **निर्यात के लिए लक्षित बाजार:** प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य शृंखला के लिए उच्च निर्यात क्षमता वाले बाजारों की पहचान करना और उनके साथ लाभदायक द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यापार समझौते करना, उनके गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए स्वच्छता और पादप स्वच्छता संबंधी उत्पादन के स्तर को ऊपर उठाना और गैर-शुल्क अवरोधों को हटाने के लिए उनके साथ वार्ता करना।
- **मूल्य वर्धन को केन्द्रित करते हुए मूल्य शृंखला संकुलों (Value Chain Clusters) का समग्र रूप से समाधान करना:** संकुल सरकारी व्ययों और योजनाओं को एक ही दिशा में निर्देशित करने में सहायक होंगे। इसके अतिरिक्त ये प्रतिस्पर्धी लागत पर **आवश्यक अवसंरचना के निर्माण** के लिए उपयोगी अतिरिक्त फंड को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका उद्देश्य मूल्य वर्धन, शोध और विकास प्रोत्साहन और वैश्विक बाजार में **"ब्रैंड इंडिया"** को प्रोत्साहित करना है।
- **राज्य-संचालित निर्यात योजना का सृजन करना:** यह फसल मूल्य शृंखला के लिए एक व्यवसायिक योजना है, जो वांछित मूल्य शृंखला की निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक अवसरों, पहलों और निवेश को आकर्षित करेगी।
- **केंद्र की सहायक के रूप में भूमिका:** केंद्र कृषि निर्यात में शामिल उद्यमियों को सक्षम बनाने और उन्हें अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सक्रिय भूमिका का निर्वहन करेगा।

6.9. कृषि से संबंधित उद्योग (Agriculture Related Industries)

6.9.1. खाद्य तेल की कमी (Edible Oil Deficiency)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाणिज्य मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय से **भारत में खाद्य तेल उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप** तैयार करने का आग्रह किया है।

भारत में खाद्य तेल की स्थिति

- वर्तमान में, केवल 7.31 मिलियन टन कुल खाद्य तेल का उत्पादन किया जा रहा है जबकि भारत में खाद्य तेलों की अनुमानित मांग 24.5 मिलियन टन है।
- इसलिए, कुल घरेलू आवश्यकताओं के लगभग 65-70% खाद्य तेलों का आयात किया जाता है, ज्ञातव्य है कि 1990 के दशक के प्रारंभ में मात्र 5% से भी कम का आयात किया जाता था।

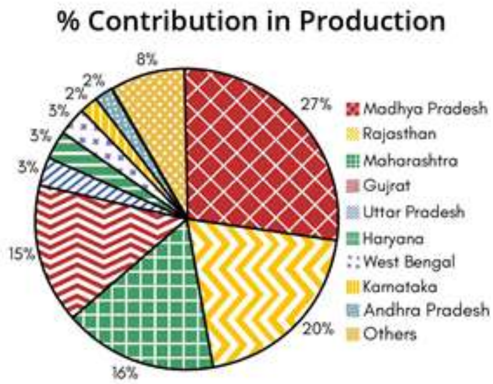

- वर्ष 2015-16 के प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 19 किलोग्राम उपभोग की तुलना में लगभग 22 किलोग्राम की खपत का अनुमान लगाते हुए वर्ष 2022 तक कुल खाद्य तेल आवश्यकता के बढ़कर 33.2 मिलियन टन होने का अनुमान किया गया है।
- आयातित और भारतीयों द्वारा खपत किए जाने वाले खाद्य तेल में पाम ऑयल की अत्यधिक हिस्सेदारी है। अन्य प्रमुख तेल हैं - सोयाबीन और सरसों का तेल।
- भारत; संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और ब्राजील के पश्चात् विश्व का चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। वर्तमान में, भारत में प्राथमिक स्रोतों से लगभग 34 मिलियन टन तिलहन का वार्षिक उत्पादन होता है।
- तिलहन की हिस्सेदारी सकल फसली क्षेत्र में 13%, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 3% और सभी कृषि वस्तुओं के मूल्य में 10% है।
- **भारत में प्रमुख तिलहन उत्पादक राज्य निम्नलिखित हैं:**
  - **मूंगफली:** गुजरात (अग्रणी), आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु;
  - **सरसों:** उत्तर प्रदेश, (अग्रणी) हरियाणा और पश्चिम बंगाल; एवं
  - **सोयाबीन:** मध्य प्रदेश (अग्रणी) और महाराष्ट्र।
- भारतीयों द्वारा खपत किए जाने वाले तथा आयातित खाद्य तेल का एक बड़ा हिस्सा पाम ऑयल का है। **अन्य प्रमुख तेल हैं- सोयाबीन तेल और सरसों का तेल।**
  - भारत अपने अधिकांश खाद्य तेल को **इंडोनेशिया** और **मलेशिया** से आयात करता है। इसके अतिरिक्त, भारत-मलेशिया मुक्त व्यापार समझौते के अंतर्गत इंडोनेशिया के विपरीत मलेशिया को शुल्क संबंधित लाभ प्राप्त हैं।

घरेलू स्तर पर खाद्य तेल की मांग को पूरा करने संबंधी चुनौतियां

- विगत पांच वर्षों से तिलहन का उत्पादन लगभग **33 मिलियन टन** पर स्थिर बना हुआ है।

VISION IAS

- **किसानों के लिए निम्न प्रतिफल:** घरेलू आपूर्ति में अत्यधिक कमी के बावजूद, अत्यधिक आयात से तिलहन की कीमतों पर अनुचित दबाव पड़ता है, जिनके मूल्य प्राय: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से भी कम हो जाते हैं।
- **कृषि जोत के अधीन क्षेत्रफल में कमी:** मक्का, कपास या चना जैसी प्रतिस्पर्धी फसलों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम लाभप्रदता के कारण।

- **आयात निर्भरता:** प्रसंस्करण उद्योग द्वारा स्थानीय उपभोग के लिए पुन: पैकिंग और वितरण करने हेतु तेलों के साथ सीधे मिश्रित करने के लिए रिफाइंड तेल के आयात को वरीयता दी जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, कच्चे तेल की तुलना में रिफाइंड तेल पर निम्न करों के कारण, कुल आयात में आयातित रिफाइंड तेल की हिस्सेदारी कुछ वर्ष पूर्व के 12% से बढ़कर 18% हो गई है।
- **कृषि की स्थिति:** इस हेतु वार्षिक कृषि योग्य भूमि लगभग 26.7 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत वर्षा सिंचित है।
  - हालांकि, **कृषि उपज** में वृद्धि हो रही है, परंतु यह मानसून पर अत्यधिक निर्भर है और इसकी स्थिति वैश्विक मानकों की तुलना में निम्न है।
  - **संसाधनों की कमी:** अधिकांश (85% से अधिक) तिलहन उत्पादक लघु और सीमांत किसान हैं, जिनके पास बेहतर किस्म और संकर किस्मों वाले गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध न होने के साथ-साथ संसाधन आधार भी निम्न स्तरीय हैं।
- **सुसंगत नीति का अभाव:** खरीद एजेंसियों द्वारा उनके द्वारा उपार्जित तिलहन स्टॉक को किस प्रकार परिनिर्धारित किया जाना है, इस संबंध में स्पष्ट नीति के अभाव ने कहीं अधिक समस्याएं उत्पन्न की हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **कृषि मंत्रालय** ने वर्ष 2022-23 तक के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:
  - **खाद्य तेलों** का वार्षिक उत्पादन वर्तमान के **7.31** मीट्रिक टन से बढ़ाकर **13.69** मीट्रिक टन तक करना।
  - प्राथमिक स्रोतों से वर्तमान के **34** मिलियन टन से बढ़ाकर तिलहन उत्पादन **45.64** मिलियन टन करना।
- तेल आयात को कम से कम करने के लिए राष्ट्रव्यापी तिलहन मिशन आरंभ करने हेतु हाल ही में **ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (GoS)** का गठन किया गया है।
  - सरकार इस मिशन के वित्तपोषण हेतु कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेलों के आयात पर **2-10%** उपकर अधिरोपित कर सकती है।
- किसानों की आय दोगुना करने के संबंध में **अशोक दलवई समिति** का गठन किया गया था, जिनकी कुछ अनुशंसाएं इस प्रकार हैं:
  - **तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की रणनीति** में तेल के तीनों स्रोतों को सम्मिलित किया जाना चाहिए-
    - तिलहनी फसलों के 9 प्राथमिक स्रोत {सात खाद्य (सोयाबीन, रेपसीड-सरसों, मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और नाइजर) और दो गैर-खाद्य (अरंडी और अलसी)};
    - द्वितियक स्रोत (चावल की भूसी, कपास के बीज, विलायक निष्कर्षित तेल); एवं
    - ट्री बोर्न ऑयल (TBOs), अर्थात्, ताड़ का तेल, नारियल, अन्य वृक्ष और वनों से प्राप्त होने वाले।
  - **पाम ट्री की कृषि को प्रोत्साहित करना:** इसके द्वारा खाद्य तेल विकास निधि (Edible Oil Development Fund: EODF) के माध्यम से किसानों के लिए मूल्य प्रोत्साहन तंत्र का सुझाव दिया गया है, जिसमें अंशदान कच्चे और रिफाइंड पाम तेल के आयात पर विशेष रूप से आरोपित 0.5% के उपकर से संग्रहित किया जाएगा।
- **ISOPOM (तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का फसलों का समन्वित कार्यक्रम)**
  - इसके अंतर्गत तिलहन, दलहन, पाम ऑयल और मक्का से संबंधित चार योजनाओं को केंद्र प्रायोजित ISOPOM में शामिल किया गया है।
  - किसानों को प्रजनक बीज की खरीद, आधारीय बीज के उत्पादन, प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय तिलहन एवं ऑयल पाम मिशन (NMOOP)**
  - इसे तीन लघु मिशनों (Mini-Missions: MM) अर्थात् **MM I -** तिलहन; **MM II - ऑयल पाम;** एवं **MM III - TBO** (वृक्ष आधारित तेल) के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया है।
  - इस मिशन का लक्ष्य वित्त वर्ष **2022** तक उत्पादन को **34** मिलियन टन से बढ़ाकर लगभग **42** मिलियन टन करना है।
  - **NMOOP** की रणनीति और दिशा-निर्देशों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
    - उपजाति प्रतिस्थापन (Varietal Replacement) पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बीज प्रतिस्थापन अनुपात (SRR) को

VISION IAS

बढ़ाना; तिलहन के अधीन कवरेज को 26% से बढ़ाकर 36% करना। SSR द्वारा इसकी माप की जाती है कि खेत आधारित बीजों की तुलना में प्रमाणित बीजों से कुल कितना फसली क्षेत्रफल बोया गया।

- निम्न उपज वाली खाद्यान्न फसलों के स्थान पर तिलहन फसलों से खेत का विविधीकरण करना; अनाज/दलहन/गन्ने के साथ तिलहन के अंतर-शस्यन विधि को अपनाना;
- धान/आलू की कृषि के बाद परती भूमि का उपयोग करना;
- जल-संभर एवं बंजर भूमि पर पाम ऑयल और वृक्ष जनित तिलहन की कृषि का विस्तार करना;
- तिलहन की खरीद और संग्रहण बढ़ाने वाले गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री की उपलब्धता बढ़ाना; तथा
- वृक्ष जनित तिलहन का प्रसंस्करण।

आगे की राह

- **विविधीकरण:** पूर्वी भारत के चावल के परती खेतों और कुछ तटीय क्षेत्रों जैसे अल्पप्रयुक्त खेतों में तिलहन की कृषि का विस्तार करना।
- **सार्वजानिक वितरण प्रणाली (PDS) के दायरे में लाना:** PDS में खाना पकाने के तेल को सम्मिलित करने से सस्ती आपूर्ति सुनिश्चित होने के साथ खरीद परिचालन को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **घरेलू किस्मों को प्रोत्साहन:** देशज किस्मों के लाभों को प्रदर्शित करने हेतु उपभोक्ता जागरूकता प्रयासों को बढ़ावा देना।
    - दबावग्रस्त प्रसंस्करण क्षमता को पुनर्जीवित करने के लिए, आयात शुल्क को घरेलू MSP और परिशोधन लागत के साथ संयुक्त करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रशुल्कों में किसी प्रकार का तदर्थ परिवर्तन न किया जाए।
- **आयात पर नियंत्रण:** आयात पर वार्षिक सीमा अधिरोपित करने की आवश्यकता है तथा आयात व्यापार पर गहन निगरानी रखी जानी चाहिए।

7. उद्योग और अवसंरचना (Industry and Infrastructure)

परिचय

भारत को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष रूप से, यह क्षेत्र कुल सकल मूल्य वर्द्धित (Gross Value Added: GVA) में 30 प्रतिशत के आसपास योगदान देता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से यह अग्र और पश्च संपर्कों के माध्यम से अन्य दो क्षेत्रकों (कृषि एवं सेवा) की सहायता करता है।

औद्योगिक क्षेत्र का विहंगावलोकन

- **निम्न संवृद्धि दर:** वर्ष 2019-20 के लिए अनुमानित संवृद्धि विगत वर्ष के 6.9% की तुलना में 2.5% है। (इसका कारण विनिर्माण क्षेत्रक की 0.2% की नकारात्मक वृद्धि है)।
- **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP):**
  - **मंद IIP संवृद्धि:** कुल मिलाकर IIP संवृद्धि वर्ष 2017-18 के 4.4 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3.8 प्रतिशत हो गई। इसका कारण MSMEs के लिए धीमा ऋण प्रवाह, NBFC द्वारा ऋण-वितरण में कमी, प्रमुख क्षेत्रकों के लिए घरेलू मांग का घटना आदि है।
  - **गिरावट वाले क्षेत्रक:** पूंजीगत वस्तुएं, अवसंरचना वस्तुएं और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं।
  - **बढ़त वाले क्षेत्रक:** मध्यवर्ती वस्तुएं तथा गैर-टिकाऊ उपभोक्ता और प्राथमिक वस्तुएं।
- **बढ़ता सकल पूंजी निर्माण (Gross Capital Formation: GCF):** उद्योग में GCF की वृद्धि की दर ने वर्ष 2016-17 के -0.7 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 7.6 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर्ज की है।
- **बढ़ा हुआ ऋण प्रवाह:** औद्योगिक क्षेत्रक के लिए सकल बैंक ऋण प्रवाह में वृद्धि सितंबर 2019 में बढ़कर 2.7 प्रतिशत हो गई, जबकि सितंबर 2018 में यह 2.3 प्रतिशत थी।

7.1. औद्योगिक नीति के अंतर्गत किए गए प्रयास (Industrial Policy Efforts)

7.1.1. सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, 2017 में संशोधन (Amendments To Public Procurement Order, 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अधिक वरीयता देने के लिए **सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017 {Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017}** में संशोधन किया गया। **सार्वजनिक अधिप्राप्ति का तात्पर्य सरकारी खरीद से है।**

इस संशोधित आदेश के प्रमुख बिंदु

- इसके माध्यम से नोडल मंत्रालयों/विभागों को सक्षम बनाया गया है कि वे **वर्ग-I एवं वर्ग-II** के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए न्यूनतम **'स्थानीय सामग्री' (local content) की सीमा को बढ़ाने** हेतु अधिसूचना जारी कर सकते हैं।
  - **स्थानीय सामग्री** का तात्पर्य **किसी वस्तु के कुल मूल्य से उसमें प्रयुक्त आयातित सामग्री के मूल्य को घटाने के पश्चात शेष बचे मूल्य** से है।
- जिस दस्तावेज़ के माध्यम से बोली (bid document) लगायी जा रही है, उसमें **विदेशी प्रमाण-पत्रों / तर्कहीन तकनीकी विशेषताओं / ब्रांड्स / मॉडल के उल्लेख को प्रतिबंधित** किया गया है, क्योंकि इसे स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार माना जाता है।
  - हालांकि, विदेशी प्रमाणन को केवल संबंधित विभाग के सचिव के **अनुमोदन के पश्चात् ही** अंकित किया जाएगा।
- **जिन देशों में भारतीय कंपनियों को सरकारी खरीद में भाग नहीं लेने दिया जाता है, उन देशों की कंपनियों को भारत में सार्वजनिक अधिप्राप्ति में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गयी है।** हालांकि, कुछ मामलों में केवल संबंधित नोडल मंत्रालय या विभाग से अनुमति लेने के पश्चात् ही उन्हें इसमें भाग लेने की अनुमति दी गयी है। लेकिन, वे केवल उन अधिसूचित वस्तुओं की आपूर्ति कर सकते हैं, जिनके लिए मंत्रालय या विभाग ने अनुमति प्रदान की है।
- वे सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग जो **एक वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की खरीद** करते हैं, अगले 5 वर्षों के लिए अपने अनुमानित खरीद के बारे में अपनी वेबसाइट्स पर अधिसूचना जारी करेंगे।

VISIONIAS

सार्वजनिक अधिप्राप्ति अर्थात् सरकारी खरीद में स्थानीय आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय

- **"सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आदेश (MSEs), 2018" के संदर्भ में सार्वजनिक अधिप्राप्ति नीति:**
  - इसे **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006)** के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था।
  - इसके अंतर्गत, प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय / विभाग / सार्वजनिक उपक्रम को यह आदेश दिया गया था कि वे MSEs से अपनी वार्षिक अधिप्राप्ति के **25 प्रतिशत हिस्से की खरीदारी** करेंगे।
  - 25 प्रतिशत के इस लक्ष्य में से **SC/ST एवं महिला उद्यमियों** के स्वामित्व वाले MSEs से क्रमशः **4 प्रतिशत व 3 प्रतिशत की खरीद का उप-लक्ष्य** भी निर्धारित किया गया है।
- **गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):**
  - वर्ष 2016 में GeM का शुभारंभ किया गया था। इस पोर्टल के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों एवं स्थानीय निकायों द्वारा अपने सामान्य उपयोग की वस्तुओं व सेवाओं की खरीद की जाती है।
  - इसका उद्देश्य खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा देना तथा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
  - GeM के माध्यम से सरकारी खरीद को वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है।
- **रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (Defence Acquisition Procedure: DPP) 2020**
  - इसमें 'मेक इन इंडिया' पहल का समर्थन करने के लिए विभिन्न श्रेणियों की अधिप्राप्ति में **स्वदेशी सामग्री (Indigenous Content: IC)** को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
  - इसमें कुल अनुबंध मूल्य की लागत के आधार पर न्यूनतम 50 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री वाली **एक नई श्रेणी (वैश्विक - भारत में विनिर्माण)** (Global – Manufacture in India) का भी प्रस्ताव किया गया है।

"सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश, 2017" के बारे में

- **वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों (टर्न-की निर्माण कार्यों सहित) की अधिप्राप्ति के लिए** यह आदेश केवल केंद्रीय मंत्रालयों, उनके विभाग, संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित स्वायत्त निकायों, सरकारी कंपनियों, उनके संयुक्त उद्यमों एवं विशेष प्रयोजन वाहनों पर लागू होता है।
- स्थानीय सामग्री के सत्यापन के लिए **स्व-प्रमाणन** (self-certification) को अनिवार्य बनाया गया है। नोडल मंत्रालय ऐसी स्व-घोषणाओं के स्वतंत्र सत्यापन के लिए आंतरिक व बाह्य सदस्यों से मिलकर बनी समितियों का गठन कर सकते हैं।

स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं

- कुछ विभाग एवं सार्वजनिक उपक्रम सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए **अनिवार्य पात्रता** निर्धारित करते हैं, जैसे कि कुल टर्नओवर, सरकारी खरीद संबंधी विगत अनुभव आदि।
- **निविदा (टेंडर) प्राप्त करने में समय, लागत एवं श्रम की बर्बादी होती है तथा क्रेता-विक्रेता के मध्य बातचीत के अपर्याप्त अवसर उपलब्ध होते हैं।** इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त जानकारी, जटिल विक्रेता पंजीकरण प्रक्रिया आदि आपूर्तिकर्ताओं के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करती हैं।
- कई MSMEs की शिकायत है कि **अनेक व्यापारी GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से विक्रेता बन गए हैं**, जिससे वास्तविक MSEs के हित प्रभावित हो रहे हैं।

सुझाव

MSEs से सरकारी खरीद में प्रत्येक वर्ष 3-4 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। सरकारी खरीद वित्तीय वर्ष 2017-18 के 23.11 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 30.95 प्रतिशत हो गई। इसमें और सुधार करने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं:

- देश भर में **MSEs विक्रेताओं का एक डिजिटल व सरलता से उपलब्ध केंद्रीय डेटाबेस** तैयार करने की आवश्यकता है। सभी को उचित अवसर देने के लिए अधिकारियों को बड़े कॉर्पोरेट समकक्षों की तुलना में MSMEs के लिए पात्रता मानदंडों (qualification criteria) में छूट प्रदान करनी चाहिए।
- अधिक सरकारी खरीद करने वाले मंत्रालयों को MSEs विक्रेताओं के साथ-साथ PSUs के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के उपाय करने चाहिए।

VISION IAS

- उत्पादों के निष्पक्ष एवं त्वरित परीक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक राज्य में **अर्ध-स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशालाएं (Semi-independent testing labs)** स्थापित की जानी चाहिए।
- **फीडबैक प्राप्त करने और शिकायत निवारण के लिए एक पोर्टल** की स्थापना के साथ-साथ एक ऑन-ग्राउंड टीम का गठन किया जाना चाहिए।

7.1.1.1. संवहनीय सरकारी खरीद {Sustainable Public Procurement (SPP)}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, **व्यय विभाग** (Department of Expenditure) द्वारा **संवहनीय सरकारी खरीद (SPP) संबंधी एक कार्यबल** का गठन किया गया।

SPP के बारे में

- SPP वह प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से **सार्वजनिक प्राधिकरण** द्वारा किसी परियोजना के सभी चरणों में वस्तुओं, सेवाओं या वर्क्स की खरीद करते समय **संधारणीय विकास के तीनों स्तंभों,** यथा- **आर्थिक, सामाजिक** और **पर्यावरण** के मध्य उचित संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।

SPP के उद्देश्य

- खरीद निर्णय से उत्पन्न होने वाले **प्रतिकूल पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को कम करना।**
- वायु और जल प्रदूषण तथा अपशिष्ट के सृजन में कमी करना।
- समुदायों में **स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना।**
- **वंचित समूहों, MSMEs और स्थानीय उद्योगों** के लिए रोजगार एवं व्यापार के अवसरों का सृजन करना।
- आपूर्तिकर्ताओं को **स्थानीय समुदायों के प्रति प्रतिबद्धता** को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित करना।
- उद्योग को **भविष्य के स्वच्छ और हरित बाजार परिदृश्य** के लिए तैयार करने हेतु प्रोत्साहित करना।

SPP और भारत

- **वर्तमान में, भारत में, राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक खरीद से संबंधित कोई कानून विद्यमान नहीं** है। हालांकि, कुछ सार्वजनिक क्षेत्रक की संस्थाओं और सरकारी विभागों ने अपने खरीद संबंधी निर्णयों में पर्यावरणीय एवं ऊर्जा दक्षता मानदंडों को अपनाना आरंभ कर दिया है।
- **सार्वजनिक खरीद विधेयक, 2012** के मसौदे में कहा गया है कि खरीद मूल्यांकन मानदंडों में खरीद की विषयवस्तु संबंधी विशेषताओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे- वस्तुओं या कार्यों की कार्यात्मक विशेषताएँ और विषयवस्तु से संबंधित पर्यावरणीय विशेषताएँ।

SPP के कार्यान्वयन के समक्ष चुनौतियाँ

- **क्षमता और उचित कानूनी फ्रेमवर्क का अभाव:** खरीद करने वाले अधिकारियों के समक्ष प्राय: जोखिम का खतरा बना रहता है और स्पष्ट विधिमान्यकरण एवं नीतिगत दिशा-निर्देश की अनुपस्थिति में संवहनीय खरीद का कार्यान्वयन करने में इन अधिकारियों के समक्ष दुविधा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- **उपभोक्ताओं की उपभोग प्रवृत्ति:** व्यवहार में, SPP के कार्यान्वयन के लिए उत्पादों और सेवाओं के संधारणीय उपभोग के प्रति उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
    - **उजाला कार्यक्रम** इसलिए सफल हुआ है क्योंकि उपभोक्ताओं ने LED के लाभों को भलीभांति समझा है।
- **SPP के अंतर्गत उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित तत्व:** खरीदकर्ताओं को किसी उत्पाद के पर्यावरणीय प्रभाव और उसकी उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े प्रभावों के मध्य अंतर करना होगा।
- **SPP संवहनीय विकल्पों के बाजार प्रसार को बाधित कर सकता है:** यदि उत्पाद A की SPP-मांग के कारण इसके खुदरा मूल्य में वृद्धि होती है, तो यह अन्य खरीदारों को इसके चयन करने से हतोत्साहित करेगा तथा यह स्थिति उन्हें पर्यावरणीय दृष्टि से कम बेहतर विकल्पों की खरीद करने के लिए प्रेरित करेगी।

आगे की राह

भारत में प्रतिवर्ष GDP का 30 प्रतिशत सार्वजनिक खरीद पर व्यय किया जाता है। सार्वजनिक व्यय के विशाल आकार को देखते हुए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रक संवहनीय उत्पादन और उपभोग की दिशा में एक प्रमुख चालक सिद्ध हो सकता है तथा पर्यावरणीय एवं आर्थिक लाभों का सृजन कर सकता है। इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है:

- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने, क्षमता बढ़ाने और जागरूकता अभियानों का संचालन करने जैसे सुपरिभाषित अनुपूरक कार्यों के साथ शीघ्रातिशीघ्र SPP पर राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए।

VISION IAS

- नीति निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, खरीद अधिकारियों और जन सामान्य जैसे विभिन्न हितधारकों को यह समझाने की आवश्यकता है कि संधारणीय वस्तुएँ दीर्घकालिक रूप से लाभप्रद होती हैं।

7.1.2. विशेष आर्थिक क्षेत्रों का पुनरुद्धार (Revitalizing SEZs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2019-20 में 100 बिलियन-डॉलर मूल्य का निर्यात करने की उपलब्धि प्राप्त की है।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों (Special Economic Zones: SEZs) के बारे में

- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ)** एक विशेष रूप से निर्धारित किया गया शुल्क-मुक्त भौगोलिक क्षेत्र होता है, जिसे व्यापार संचालनों, शुल्कों और प्रशुल्कों के उद्देश्यों से विदेशी क्षेत्र माना जाता है।
- **SEZs के प्रमुख उद्देश्य हैं:** आर्थिक गतिविधियों का सृजन, निर्यात और निवेश में वृद्धि, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास आदि।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम,** व्यवसाय संचालित करने के लिए सरलीकृत प्रक्रियाओंं, एकल खिड़की अनुमतियों, सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाओं एवं स्व-प्रमाणीकरण पर बल देने की व्यवस्था करते हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्रों का संक्षिप्त अवलोकन

- वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में SEZs की कुल संख्या 235 थी। हालांकि, वर्तमान में परिचालनरत SEZs की संख्या बढ़कर 241 हो गई है।
- देश से होने वाले कुल निर्यात की तुलना में SEZs से होने वाले निर्यात की दर में तेजी से वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, जहाँ अप्रैल-जून 2019 में भारत से होने वाले कुल निर्यात में वृद्धि दर कम होकर 2 प्रतिशत हो गयी, वहीं SEZs से होने वाले निर्यात में 15 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई।
- SEZs में, विनिर्माण खंड में वृद्धि लगभग 4 प्रतिशत थी, जबकि सेवा खंड (जिसमें प्रमुख रुप से सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं सम्मिलित हैं) में निर्यात वृद्धि 23.69 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2005 में SEZ अधिनियम लागू होने के बाद से, 2 मिलियन से अधिक रोजगारों का सृजन हुआ है, जिसमें इंक्रीमेंटल वार्षिक वृद्धि दर (Annual Growth Rate: AGR) 25.2 प्रतिशत रही है। भारत के कुल निर्यात मूल्य में SEZs से होने वाले निर्यात की भागीदारी वर्ष 2018-19 में बढ़कर लगभग 30 प्रतिशत हो गई।

प्रमुख चुनौतियां और संभावित समाधान

- **SEZs के लिए अधिसूचित भूमि का लगभग आधा भाग अप्रयुक्त था (अगस्त 2017 तक):** यह मुख्य रूप से SEZs के अंतर्गत अधिसूचित भूमि का विभिन्न क्षेत्रकों के मध्य भूमि का उपयोग करने में लचीलेपन के अभाव के कारण था।
- **सनसेट क्लॉज (सावधि विधि खण्ड): आयकर अधिनियम की धारा 10 AA** के अनुसार, SEZs में स्थापित इकाइयों को चरणबद्ध रूप से 15 वर्ष की अवधि के लिए कर-विराम (tax-holiday) मिलता है। हालांकि, यह लाभ केवल उन्हीं इकाइयों को उपलब्ध होगा जो इस वर्ष 31 मार्च से पहले अपना परिचालन प्रारंभ कर देंगी। औद्योगिक निकाय अर्थव्यवस्था में स्लोडाउन (गिरावट) की वजह से सनसेट क्लॉज का विस्तार करने की मांग कर रहे हैं।
  - हालांकि, **अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले लाभ जारी रहेंगे**, जैसे कि वस्तु एवं सेवा कर से छूट और निर्यात पर प्रोत्साहन आदि।
- **न्यूनतम वैकल्पिक कर (Minimum Alternate Tax: MAT):** सरकार ने MAT को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया है। हालांकि, उद्योग क्षेत्र MAT को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग कर रहा है।
- **सेवा क्षेत्रक के लिए बाधाएं:** वर्तमान में, घरेलू फर्मों को SEZ इकाइयों द्वारा पदत्त **सेवाओं** के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान करना अनिवार्य होता है। हालांकि, **वस्तुओं** की बिक्री के लिए, रुपये में भुगतान किया जा सकता है। इसके कारण, SEZ से बाहर की कंपनियों को भुगतान उद्देश्य के लिए रुपये को विदेशी मुद्रा में परिवर्तन की कठिनाई से गुजरना पड़ता है।
  - इस समस्या से निपटने के लिए SEZ अधिनियम, 2005 में **"सेवाओं" की परिभाषा** में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।
  - वर्तमान में नई विनिर्माण कंपनियों के लिए लागू 15 प्रतिशत **निगम कर** को नवीन सेवा फर्मों पर भी अधिरोपित किया जा सकता है।
- **घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (Domestic Tariff Area: DTA) के लिए जॉब वर्क (मुख्य विनिर्माता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले कच्चे माल पर कार्य करना):** वर्तमान में कुछ क्षेत्रकों में DTA इकाइयों की ओर से विनिर्मित वस्तुओं को सीधे SEZ को निर्यात करने हेतु SEZ इकाइयों को जॉब वर्क प्रदान करने की अनुमति प्राप्त है, बशर्ते कि ये SEZs इकाईयां उक्त वस्तुओं का निर्यात करें।
  - रत्न और आभूषण जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए जॉब वर्क की अनुमति प्रदान करने से निर्यात को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

VISION IAS

- **SEZs से होने वाली घरेलू बिक्री से हानि:** क्योंकि, "उन्हें पूर्ण सीमा शुल्क का भुगतान करना पड़ता है", जबकि मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement: FTA) के कारण अन्य देशों के निर्यातकों को तुलनात्मक रूप से कम प्रशुल्क का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि घरेलू बिक्री के लिए भी "सर्वश्रेष्ठ FTA दरों" का लाभ SEZ इकाईयों को प्राप्त होना चाहिए।
- **निवल विदेशी विनिमय (Net Foreign Exchange: NFE) नियमों को समाप्त करने की आवश्यकता:** धनात्मक NFE, इन (SEZ) इकाइयों को लाभ के लिए पात्र होने हेतु एक प्राथमिक आवश्यकता है।
    - निर्यात के मूल्य से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतानों के मूल्य के साथ-साथ आयातित विदेशी इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य को घटाकर NFE मानदंड निर्धारित किया जाता है।
- **आर्थिक क्षेत्रों के कई मॉडलों का अस्तित्व:** उदाहरण के लिए- SEZs, तटीय आर्थिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा, NIMZs, फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क।
    - उपर्युक्त विभिन्न मॉडलों को युक्तियुक्त कर इस मुद्दे को संबोधित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए- प्रस्तावित तटीय आर्थिक क्षेत्र में SEZs की एक विस्तृत श्रृंखला तथा सागरमाला परियोजना दोनों सम्मिलित हैं। इसके तहत पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे युक्तियुक्त किया जा सकता है।
    - इसके अतिरिक्त, व्यावसायिक समुदाय SEZ के भवनों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करने, संपूर्ण SEZ अवसंरचना के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowing: ECB) की अनुमति प्रदान करने आदि की मांग कर रहे हैं।
- **भविष्यगामी SEZ नीति का अभाव:** इस कारण से भारत चीन के विकल्प के रूप में उभरने में सक्षम नहीं हो पाया है तथा बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है।

सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

- **एकल-ब्रांड खुदरा विक्रेताओं के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंडों को स्पष्ट किया गया:** भारत में SEZ में स्थित इकाइयों से की जाने वाली माल की सोर्सिंग को, 30 प्रतिशत के अनिवार्य स्थानीय सोर्सिंग शर्तों के अधीन शामिल किया गया है।
- **सभी मौजूदा अधिसूचित SEZs को बहु-क्षेत्रक विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है,** जो किसी भी क्षेत्रक की SEZ इकाई का किसी भी अन्य क्षेत्रक की SEZ इकाई के साथ सह-अस्तित्व की संभावना निर्मित करता है।
    - यह एकल जिंस वस्तु (कमोडिटी) के SEZ में अन्य क्षेत्रकों हेतु भी भूखंड जारी कर सकेगा। इस प्रकार इसने कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे नए उद्योगों के लिए इस विषय में भ्रम को कम किया है कि किस श्रेणी के SEZ में उन्हें उपयुक्त रूप से समायोजित किया जा सकेगा।
- बहु-उत्पाद SEZ स्थापित करने के लिए **न्यूनतम भू-क्षेत्र आवश्यकता** को संशोधित कर **500 हेक्टेयर से कम करके 50 हेक्टेयर** कर दिया गया है। साथ ही, सेवा क्षेत्रकों के लिए भी न्यूनतम निर्मित क्षेत्र की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से कम कर दिया गया है।
- **SEZ में अपनी इकाइयां स्थापित करने की योग्यता रखने वाले "व्यक्ति" की परिभाषा को व्यापक करना:** पिछले वर्ष, इसमें "ट्रस्ट" या "केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी इकाई" को भी सम्मिलित कर लिया गया। इससे निर्यात इकाइयों की संख्या बढ़ाने में सहायता मिल सकती है, क्योंकि अब SEZ में भी अवसंरचना निवेश ट्रस्ट और रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

आगे की राह: बाबा कल्याणी समिति की अनुशंसाएं (Recommendations of the Baba Kalyani Committee)

- **रोजगार एवं आर्थिक एन्क्लेव (Employment and Economic Enclaves: 3Es)** के रूप में SEZs की पुनः स्थापना की जाए तथा **निर्यात के बजाए आर्थिक संवृद्धि एवं रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित किया जाए**। इसके लिए, विनिर्माण गतिविधियों से जुड़ी SEZs को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन वस्तुतः मांग, निवेश, रोजगार, प्रौद्योगिकी, मूल्यवर्धन और समावेशिता जैसे विशिष्ट मापदंडों पर आधारित होने चाहिए।
- **SEZs (3Es) के लिए अन्य प्रकार के समर्थन**
    - SEZ इकाइयों को अपने क्षेत्र के बाहर व्यापार करने में सक्षम बनाने के लिए निर्बाध सहयोग प्रदान करना।
    - इन इकाइयों को स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से प्रतिस्पर्धी दरों पर विद्युत की सीधे आपूर्ति।
    - ऑनलाइन मोड के माध्यम से विभिन्न प्रकार की अनुमतियों को शीघ्रतापूर्वक प्रदान करने की सुविधा प्रदान करना।
    - सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को 3E के साथ एकीकृत करना तथा इन क्षेत्रों को प्राथमिकता युक्त क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करना।
    - 3E परियोजनाओं के लिए सस्ता वित्त उपलब्ध कराने हेतु उन्हें संरचना परियोजनाओं का दर्जा प्रदान करना।

VISION IAS

- **दूरस्थ SEZ तक** अंतिम बिंदु और प्रथम बिंदु संयोजकता के विकास के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- **सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं की सफलता की पुनरावृत्ति** को अन्य सेवाओं, जैसे- स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय सेवाओं, विधिक आदि क्षेत्र में दोहराना।
- SEZs के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं हेतु **कर लाभ (Tax benefits)** प्रदान करना,
  - सनसेट क्लॉज का विस्तार,
  - मान्यता प्राप्त रणनीतिक सेवाओं के लिए करों में कटौती करना (जैसे- 9 प्रतिशत का वैकल्पिक न्यूनतम कर और लाभांश वितरण कर से छूट), तथा
  - वस्तुओं और सेवाओं के मध्य समानता लाने के लिए भारतीय करेंसी में घरेलू बाजार में आपूर्ति की अनुमति प्रदान करना।
- **सनराइज सूची निर्मित करना:** "केंद्रित विविधीकरण" हेतु इंजीनियरिंग एवं डिजाइन, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे नए उभरते उद्योग क्षेत्रों की सूची निर्मित करना।
- औद्योगिक पार्कों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, SEZs, NIMZs (राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण क्षेत्र) आदि के विकास के लिए विद्यमान समान योजनाओं के मध्य प्रतिस्पर्धा के बजाए नीतिगत ढांचे को व्यवस्थित करना।

7.2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक (MSME Sector)

परिचय

- भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को संयंत्र और मशीनों / उपकरणों में निवेश तथा कुल वार्षिक कारोबार के **एक समग्र मानदंड के अनुसार वर्गीकृत** किया गया है (तालिका देखें)।

भारत में MSME क्षेत्रक का महत्व

- **रोज़गार सृजन:** वर्तमान में, भारत में, विभिन्न उद्योग क्षेत्रक में लगभग 55.8 मिलियन उद्यम हैं, जो लगभग 124 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं।
  - इनमें से, लगभग 14 प्रतिशत महिला-नेतृत्व वाले उद्यम हैं तथा लगभग 59.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।

CLASSIFICATION	MICRO	SMALL	MEDIUM
Manufacturing Enterprises and Enterprises rendering Services	Investment < ₹ 1 crore and Annual Turnover < ₹ 5 crore	Investment < ₹ 10 crore and Annual Turnover < ₹ 50 crore	Investment < ₹ 50 Crore and Annual Turnover < ₹ 250 Crore

- **निर्यात:** MSME क्षेत्रक का भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 29 प्रतिशत तथा निर्यात में 45 प्रतिशत का योगदान है।
- MSME क्षेत्रक द्वारा **आय में वृद्धि, ग्रामीण अवसंरचना का सृजन**, महिला सशक्तीकरण, पारंपरिक वस्तुओं के संवर्धन तथा नवाचार आदि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।

MSME क्षेत्रक के समक्ष वित्त-पोषण के अतिरिक्त अन्य चुनौतियाँ

- सीमित पूंजी एवं ज्ञान;
- तकनीकी पिछड़ापन;
- विद्युत, जल और सड़क तक पहुंच सहित अपर्याप्त अवसंरचना सुविधाएं;
- निम्न उत्पादन क्षमता तथा आधुनिकीकरण एवं विस्तार में बाधाएं, जो इस क्षेत्रक को **'इकोनॉमी ऑफ़ स्केल'** से लाभान्वित होने से बाधित करती हैं;
- अप्रभावी विपणन रणनीति;
- वहनीय लागत पर कुशल श्रम की अनुपलब्धता; तथा
- सस्ती आयातित वस्तुओं से उच्च प्रतिस्पर्धा।

MSME क्षेत्रक के लिए हाल की पहल

- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 59 मिनट के भीतर 1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सैद्धांतिक मंजूरी।
- 1 करोड़ रुपये तक के वृद्धिशील ऋण पर सभी जी.एस.टी. पंजीकृत MSMEs के लिए 2 प्रतिशत का ब्याज अनुदान।
- व्यापार प्राप्य बट्टाकरण/छूट प्रणाली (Trade Receivables Discounting System: TReDS) प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से 500 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली सभी कंपनियों की मौजूदगी।

VISION IAS

- सभी CPSUs अनिवार्य रूप से GeM पोर्टल के माध्यम से ही खरीद करेंगे।
- 6,000 करोड़ रुपये की लागत से 20 प्रौद्योगिकी केंद्र और 100 विस्तारण केंद्र (Extension Centres: ECs) स्थापित किए जाएंगे।
- **फार्मा क्लस्टर** की स्थापना के लिए **लागत का 70 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन** किया जाएगा।
- 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय विनियमों के तहत वर्ष में एक बार दायर किए जाने वाले रिटर्न।
- कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक आवंटन के माध्यम से यह निर्णय लिया जाएगा कि एक निरीक्षक द्वारा किस प्रतिष्ठान का दौरा किया जाएगा।
- वायु और जल प्रदूषण कानूनों के अंतर्गत एकल सहमति।

7.2.1. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्रक का वित्त-पोषण (Financing of MSME Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक और भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (Micro, Small, and Medium Enterprises: MSMEs) के लिए 750 मिलियन डॉलर के **आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम समझौते (Agreement for Emergency Response Programme)** पर हस्ताक्षर किए हैं।

MSME क्षेत्रक के वित्त-पोषण में प्रमुख बाधाएं

- **औपचारिक पूंजी तक अपर्याप्त पहुंच:** लगभग 8 प्रतिशत MSMEs की औपचारिक ऋण प्रणालियों तक पहुँच हैं। इसके लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है:
  - **क्रेडिट हिस्ट्री एवं विश्वसनीय वित्तीय विवरणों का अभाव:** ये कारक MSMEs के ऋण मूल्यांकन को कठिन बनाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उधारदाताओं की लेन-देन की लागत में वृद्धि होती है।
  - **टिकाऊ संपत्ति (hard assets) का अभाव:** जबकि, यह अधिकतर मामलों में औपचारिक ऋण प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।
  - **MSME ऋणों पर उच्च डिफ़ॉल्ट दरों के कारण उधारदाताओं के मध्य आशंका की भावना:** दिसंबर 2017 और दिसंबर 2019 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के MSME ऋणों पर गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (Non-Performing Asset: NPA) दर 16.6 प्रतिशत तथा 18.7 प्रतिशत के मध्य घटती-बढ़ती रही थी।
  - **MSME संचालकों में वित्तीय एवं डिजिटल साक्षरता के अभाव** के कारण डिजिटल साधनों के माध्यम से वहनीय औपचारिक ऋण लेने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।
- **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (Non-Banking Finance Companies: NBFCs) व आवास वित्त कंपनियों (Housing Finance Companies: HFCs) की सीमित निधीयन क्षमता एवं अभिगम्यता:** ये ऋण के प्रमुख बाजार-उन्मुख माध्यमों का निर्माण करते हैं तथा MSMEs की तत्काल व विभिन्न आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया देते हैं।
- **वर्तमान योजनाओं में व्यक्तिगत उद्यमियों का निषेध:** बड़ी संख्या में उद्यमी जैसे कि ट्रक मालिक, कृषि उपकरण मालिक आदि MSMEs के रूप में पंजीकृत नहीं हैं तथा वे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में व्यावसायिक ऋण प्राप्त करते हैं। वे वर्तमान में ECLGS के अंतर्गत अतिरिक्त ऋण के लिए पात्र नहीं हैं।
- **कोविड-19 महामारी के दौरान अनिश्चितता** के कारण विलंबित भुगतान, निश्चित लागतों का बोझ जैसे कि किराया व बैंक बकाया की अदायगी, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें आदि जैसे कारणों ने MSMEs की वित्तीय स्थिरता को प्रभावित किया है।

संभावित समाधान

- व्यक्तिगत उद्यमियों को सम्मिलित करने के लिए **वर्तमान सरकारी योजनाओं का विस्तार करना** तथा विभिन्न पहलों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों को आधिकारिक तौर पर MSME के रूप में पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का लाभ उठाकर** ऋणदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं खरीदारों को तीव्रता से तथा कम लागत पर इन उद्यमों (विशेष रूप से लघु उद्यमों) तक पहुंच प्रदान करने में सक्षम बनाकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है। ज्ञातव्य है कि वर्तमान औपचारिक प्रणालियों तक लघु उद्यमों की पर्याप्त पहुंच नहीं है।
- MSME ऋणों से संबंधित बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने हेतु विभिन्न ऋण संस्थानों में ऋणदाताओं के लिए **क्रेडिट रिस्क डेटाबेस** तैयार किया जा रहा है। यह उधारदाताओं के लिए जोखिम को कम करेगा तथा उन्हें **सूचित निर्णय (informed decision) लेने में मदद** करेगा।
- नवीनतम सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के विषय में MSME संचालकों को सूचित करने के लिए **जागरूकता सृजित** करने की आवश्यकता है।

VISION IAS

- अतिरिक्त लागत एवं तरलता की कमी से बचने के लिए संकटग्रस्त उद्यमों को **संपत्ति कर, किराया एवं अन्य उपयोगिताओं के लिए अस्थायी अधिस्थगन** की सुविधा प्रदान की जा सकती है।
- NBFCs के लिए पुनर्वित्त सुविधाओं तथा ऋण एवं इक्विटी के माध्यम से लघु वित्त बैंक (Small Finance Bank: SFB) को प्रत्यक्ष समर्थन देने पर ध्यान केंद्रित करके **NBFCs तथा SFBs का सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिए,** क्योंकि वे MSMEs के लिए ऋण के प्रमुख स्रोत हैं।

7.2.2. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत MSME क्षेत्रक के लिए घोषित उपाय (Measures Announced For MSME Sector Under Atmanirbhar Bharat Abhiyan)

तनावग्रस्त MSMEs के लिए गौण (Subordinate) ऋण (आबंटन: 20,000 करोड़ रुपये)	• इस योजना का उद्देश्य गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non-Performing Assets: NPAs) वाले तनावग्रस्त MSMEs की सहायता करना है। • इस योजना के अंतर्गत, MSMEs के प्रवर्तकों को बैंकों से ऋण प्रदान किया जाएगा, जिसे इक्विटी के रूप में MSMEs में डाला जाएगा। • सरकार MSMEs के लिए 20,000 करोड़ रुपये के गौण ऋण की सुविधा प्रदान करेगी। इस उद्देश्य के लिए, सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises) को 4,000 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जो इस योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने वाले बैंकों को आंशिक ऋण गारंटी सहायता प्रदान करेगा। • इस योजना से लगभग दो लाख MSMEs को लाभ मिलने की संभावना है।
फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से MSMEs के लिए इक्विटी आधान (Equity infusion) (आबंटन: 50,000 करोड़ रुपये)	• इस योजना का उद्देश्य MSMEs में दीर्घकालिक इक्विटी अंतरप्रवाह के लिए **10,000 करोड़ रुपये के कोष से फंड ऑफ फंड्स** का सृजन करना है। • **परिचालन संबंधी तंत्र:** ○ फंड ऑफ फंड्स का संचालन **मदर फंड और कुछ डॉटर फंड** के माध्यम से किया जाएगा। ○ यह फंड संरचना **डॉटर फंड स्तर पर 50,000 करोड़ रुपये के फंड का लाभ उठाने** में सहायता करेगी। 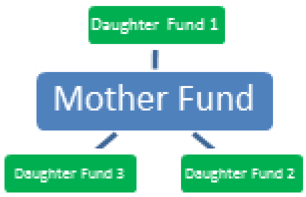 ○ यह योजना **MSMEs के आकार के साथ-साथ उनकी क्षमता का विस्तार करने** में सहायता करेगी और साथ ही यह MSMEs को **स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने** के लिए प्रोत्साहित भी कर सकती है।
200 करोड़ रूपये तक की वैश्विक निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी	• **भारतीय MSMEs को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना** इस कदम का उद्देश्य है। • यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम होगा और प्रत्यक्ष रूप से मेक इन इंडिया पहल का समर्थन करेगा तथा साथ ही दीर्घावधि में MSMEs को अपना व्यवसाय बढ़ाने और उनके विकास में सहायता करेगा।
फिनटेक का उपयोग	• ई-मार्केट प्लेस द्वारा सृजित डेटा का उपयोग करके लेन-देन आधारित ऋण-वितरण बढ़ाने के लिए **फिनटेक का उपयोग प्रोत्साहित किया जा रहा है।** • फिनटेक कंप्यूटर प्रोग्राम और अन्य तकनीकों को संदर्भित करता है, जिनका उपयोग बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के समर्थन या उन्हें सक्षम करने के लिए किया जाता है।
मुद्रा (MUDRA)- शिशु ऋण के लिए ब्याज अनुदान	• यह योजना **मुद्रा (MUDRA) के अंतर्गत उन छोटे व्यवसायों के मुद्दों** का समाधान करती है जिनका संचालन बाधित हुआ है और जिनकी **EMI का भुगतान करने की क्षमता का ह्रास** हो गया है। • **मुद्रा-शिशु ऋण का वर्तमान पोर्टफोलियो लगभग 1.62 लाख करोड़ रुपये** (अधिकतम ऋण राशि 50,000 रुपये) है। • इसका समाधान करने के लिए, भारत सरकार 12 महीने की अवधि तक ऋण के **त्वरित भुगतान कर्ताओं को 2% का ब्याज अनुदान** देगी।

VISION IAS

MSMEs सहित व्यवसायों के लिए जमानत मुक्त स्वचालित ऋण (आबंटन: 3 लाख करोड़ रुपये)	• कोविड-19 के कारण कारोबार/MSMEs बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। फलस्वरूप, **व्यवसायों को** परिचालन दायित्वों को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने और व्यवसाय पुनः आरंभ करने के लिए **अतिरिक्त धन की आवश्यकता** है। • इन व्यवसायों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए, बैंकों और NBFCs से व्यवसायों/ MSMEs के लिए 29-2-2020 तक संपूर्ण बकाया ऋण के 20% तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन निर्मित की गई है। • इस योजना से लगभग 45 लाख इकाइयों की पुनर्स्थापना में सहायता मिलने का अनुमान है।

7.3. खान और खनिज क्षेत्रक (Mines and Minerals Sector)

परिचय

भारत में 95 से अधिक खनिजों का उत्पादन होता है, जिसमें 4 हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिज, 5 परमाणु खनिज (इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, यूरेनियम और मोनाजाइट) शामिल हैं।

- **योगदान:** वर्ष 2018-19 के दौरान GVA (सकल मूल्य वर्धित) में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान लगभग 2.38 प्रतिशत था।
- **उत्पादन में वृद्धि:** मूल्य के संदर्भ में वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमुख खनिजों के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- **खनिज उत्पादन सूचकांक:** वर्ष 2018-19 के लिए खनिज उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12 = 100) पिछले वर्ष के 104.9 की तुलना में 107.9 अनुमानित है।

खनन उद्योग की वर्तमान स्थिति

- **देश की ऊर्जा और कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण:** खनन उद्योग विद्युत क्षेत्रक के लिए आधार के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में, भारत में लगभग 72 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन कोयले के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, खनिज विनिर्मित उत्पादों और कई कृषि-आदानों के महत्वपूर्ण आधार के रूप में कार्य करते हैं।
- **अत्यधिक आयात:** उल्लेखनीय है कि, भारत में विश्व का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, फिर भी विगत वर्ष 235 मिलियन टन (mt) कोयले का आयात किया गया था, जिसमें से 135mt (1,71,000 करोड़ रूपए मूल्य) आवश्यकता की पूर्ति घरेलू भंडार से की जा सकती थी।
- **अपनी विशाल संभाव्यता के सापेक्ष अल्पविकसित:** पारंपरिक स्रोतों से विद्युत की मांग में कमी, सीमेंट, लोहा और इस्पात क्षेत्रों की संवृद्धि में कमी; और अनुमोदन प्रक्रियाओं ने ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया है जिसमें खदानों को आवंटित किए जाने के बावजूद, खनिजों के निष्कर्षण को सीमित करने के साथ-साथ खानों के विकास को भी बाधित किया है।

7.3.1. खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020 (Mineral Laws (Amendment) Bill, 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद द्वारा **'खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957'** तथा **'कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015'** में संशोधन के लिए **खनिज विधि (संशोधन) विधेयक, 2020** पारित किया गया।

प्रमुख प्रावधान

- **पूर्वेक्षण और खनन के लिए एकीकृत अनुज्ञप्ति (Composite license for prospecting and mining):** 'पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति सह-खनन पट्टा' (Prospecting licence-cum-Mining lease) नामक एक नए प्रकार का लाइसेंस आरम्भ किया गया है।
    - वर्तमान में, कोयले और लिग्नाइट के पूर्वेक्षण तथा खनन के लिए पृथक लाइसेंस प्रदान किए जाते हैं, जिन्हें क्रमशः **पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति** और **खनन पट्टा** कहा जाता है। पूर्वेक्षण के अंतर्गत खनिज निक्षेपों की खोज, अवस्थिति या सर्वेक्षण सम्मिलित होते हैं।
- **कोयले के अंतिम उपयोग पर प्रतिबंध की समाप्ति:** कंपनियां निष्कर्षित खनिज का संयंत्रों (विद्युत, इस्पात, सीमेंट आदि) में कैप्टिव उपयोग और खुले बाजार में वाणिज्यिक बिक्री करने हेतु स्वतंत्र होंगी।
- **कोयला और लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी के लिए पात्रता मानदंड:** जिन कंपनियों को भारत में कोयला खनन का कोई पूर्व अनुभव नहीं है लेकिन जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है या जिनके पास अन्य खनिजों या अन्य देशों में खनन कार्य का अनुभव है, वे अब कोयला/लिग्नाइट ब्लॉक की नीलामी में भाग ले सकती हैं।

VISION IAS

- **आवंटन समाप्त होने के पश्चात् पुनर्आवंटन:** केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित खानों को नीलामी या आवंटन के माध्यम से पुन: आवंटित किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा इन खानों को पुन: आवंटित किए जाने तक इनके प्रबंधन हेतु एक निर्दिष्ट संरक्षक की नियुक्त की जाएगी।
- **कुछ मामलों में खनिजों के संबंध में आवीक्षण अनुज्ञा पत्र (reconnaissance permit), पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:** ये मामले निम्नलिखित हैं:
    - यदि, केंद्र सरकार द्वारा आवंटन आदेश जारी कर दिया गया हो।
    - यदि, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र के आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई हो।
- **नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई:** राज्य सरकारों को पट्टा अवधि समाप्त होने से पूर्व खनन पट्टे की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने की अनुमति प्रदान की गई है।
- **नए बोली लगाने वालों (bidders) को वैधानिक अनापत्तियों को हस्तांतरित करना:** पिछले पट्टेदारों को दिए गए विभिन्न अनुमोदनों, लाइसेंस और अनापत्तियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सफल बोली लगाने वालों को प्रदान किया जाएगा।

लाभ

- **समान अवसर की उपलब्धता:** यह अधिनियम बाजार में स्थापित प्रतिभागियों के साथ ऐसी कंपनियों को नीलामी में बोली लगाने में सक्षम बनाएगा, जिनके पास किसी भी प्रकार का खनन अनुभव नहीं है या जो निर्दिष्ट अंतिम उपयोग कार्य में संलग्न नहीं हैं।
- **कोयले के आयात में कमी:** प्रभावी खनन क्षेत्र भारत को कोयले का आयात करने के स्थान पर अपने प्राकृतिक भंडारों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा।
- **आवंटन की कुशल प्रक्रिया:** बोली लगाने वाली कंपनी अब कोयले और लिग्नाइट के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे के लिए बोली लगा सकती है, जिससे आवंटन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया जा सकेगा।
- **अनावश्यक अनुमोदनों की समाप्ति:** केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में किए जाने वाले अनुमोदनों के परिणामस्वरूप अनुमोदन प्रक्रिया में देरी और पुनरावृत्ति की समस्या उत्पन्न हुई है।
- **सरल हस्तांतरण: खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम** में ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं जिससे सक्षम प्राधिकरण द्वारा खनन कार्यों को एक आवंटी से दूसरे आवंटी को स्थानांतरित करने में आसानी होगी।

मुद्दे

- **पात्रता मानदंड को कमजोर करना:** खनन क्षेत्रक एक अति विशिष्ट क्षेत्रक है जिसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है और संबद्ध क्षेत्र में पूर्व अनुभव संबंधी पात्रता को समाप्त करने से बोली लगाने वालों का मूल्यांकन करना कठिन हो जाएगा।
- **प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग संभव:** 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करने के साथ-साथ अंतिम उपयोग संबंधी प्रतिबंध को हटाने से विदेशी प्रतिभागियों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
- **पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है:** ऊर्जा या विदयुत उत्पादन के लिए कोयले के बढ़ते उपयोग और अत्यधिक खनन के कारण पर्यावरण निम्नीकरण को बढ़ावा मिल सकता है। साथ ही, इसमें **"पॉल्यूटर-पे" सिद्धांत** को भी शामिल नहीं किया गया है।
- **कोल इंडिया लिमिटेड के भविष्य के समक्ष संदेह की स्थिति:** निजी कंपनियों के लिए इस क्षेत्र के खुलने से कोल इंडिया का एकाधिकार समाप्त हो सकता है और सरकार को अपनी रणनीतिक परिसंपत्तियों की हानि हो सकती है।

आगे की राह

- सरकार को आयात में कमी करने संबंधी उपाय करने चाहिए ताकि घरेलू उत्पादन में वृद्धि होने से कोयले के उपयोग में वृद्धि न हो सके। नीलामी में भाग लेने वाली कंपनियों का नीलामी से पूर्व भलीभांति मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- संधारणीय और हरित विकास हेतु कोयले के उपयोग और उत्पादन में उत्तरोत्तर कमी की जानी चाहिए।

7.3.1.1. आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में अन्य सुधारों की घोषणा (Other Reforms Announced as part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan)

खनिज क्षेत्रक में निम्नलिखित के माध्यम से निजी निवेश में वृद्धि करना:

- एक सहज एवं समग्र **अन्वेषण-सह-खनन-सह-उत्पादन प्रणाली** की शुरुआत।
- 500 नए खनन ब्लॉक एक खुली और पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे।
- एल्यूमिनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने के लिए बॉक्साइट और कोयला खनिज ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी के लिए एक नए तंत्र की शुरुआत की जाएगी। इससे एल्यूमीनियम उद्योग को विद्युत लागत कम करने में मदद मिलेगी।

अन्य नीतिगत सुधार:

- खनन पट्टों के हस्तांतरण और अप्रयुक्त अधिशेष खनिजों के विक्रय की अनुमति देने के लिए **कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव खानों के बीच अंतर को दूर करना।** इससे खनन और उत्पादन दक्षता में सुधार होगा।
- खान मंत्रालय द्वारा विभिन्न खनिजों के लिए एक नया खनिज सूचकांक विकसित किया जा रहा है। खनन पट्टों के आवंटन के समय देय स्टाम्प शुल्क का युक्तिकरण भी किया जा रहा है।

VISION IAS

7.3.2. जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक **"सेंटर फ़ॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट" (CSE)** द्वारा **"जिला खनिज फाउंडेशन: कार्यान्वयन की स्थिति एवं उभरती सर्वोत्तम प्रथाएँ"** {District Mineral Foundation (DMF): Implementation Status and Emerging Best Practices} नामक दस्तावेज जारी किया गया।

जिला खनिज फाउंडेशन (DMF)

- **यह राज्य सरकारों द्वारा एक गैर-लाभकारी निकाय के रूप में स्थापित एक स्वायत्त न्यास (ट्रस्ट) है,** जो खनन कार्यों से प्रभावित जिलों में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों तथा क्षेत्रों के हित एवं लाभ के लिए कार्य करता है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य करता है:
    - **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र,** जहां खनन से संबंधित कार्य, जैसे- खुदाई, खनन आदि संचालित हैं।
    - **अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र,** जैसे कि वे क्षेत्र जहां खनन से संबंधित गतिविधियों के कारण आर्थिक, सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभावों से स्थानीय जनसंख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- इसे **"खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम (MMDRA), 2015"** के माध्यम से अधिदेशित किया गया है तथा इसका वित्तपोषण खनिकों के योगदान के माध्यम से किया जाता है।

इस रिपोर्ट/दस्तावेज के प्रमुख निष्कर्ष

- जनवरी 2020 तक देश भर के DMF में **कुल संचयी संग्रह (total cumulative accrual)** राशि लगभग 36,000 करोड़ रुपये थी।
    - **गैर-कोयला प्रमुख खनिज खनन,** जैसे- लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज, चूना पत्थर, बहुमूल्य धातु आदि का DMF संग्रह (accrual) में **लगभग 48 प्रतिशत की हिस्सेदारी** के साथ सबसे बड़ा योगदान है।
    - DMF संग्रह के मामले में शीर्ष पांच राज्यों में से तीन नामतः **झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना** कोयला खनन राज्य हैं।
    - इन वर्षों में DMF संग्रह में गौण खनिजों के योगदान में भी वृद्धि हुई है।
- उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों में पेयजल एकमात्र ऐसा क्षेत्रक है, जिसके लिए सभी राज्यों में आबंटन किया गया है।
    - अधिकांश जिलों में आय सृजन के लिए निवेश, विशेष रूप से संधारणीय आजीविका के लिए, अभी भी प्रारंभिक अवस्था में ही बना हुआ है।
    - **क्योंझर** जैसे जिले जिनमें कुपोषण की स्थिति अत्यंत खराब बनी हुई है, वे अपने DMF कोष के कुछ भाग का उपयोग तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिशु-गृह (crèches) की स्थापना करने हेतु कर रहे हैं।

DMF के प्रभावी उपयोग संबंधी मुद्दे

- **प्रतिनिधित्व का अभाव:** आमजन के लिए कोष निर्धारित होने के बावजूद, निर्णय लेने की प्रक्रिया में खनन प्रभावित लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त हुआ है।
    - इस रिपोर्ट के अनुसार, शासकीय निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधियों, जैसे- संसद के सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों तथा जिला अधिकारियों का वर्चस्व बना हुआ है।
- राज्यों के नियमों एवं प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) में स्पष्ट अधिदेश होने के बावजूद, **विस्थापित लोगों** (जिनकी आजीविका खनन के कारण प्रभावित हुई है) और जिन लोगों को किसी विशेष एवं प्रत्यक्ष सहायता की आवश्यकता हैं, उन्हें **सम्मिलित करने के लिए कोई पहचान नहीं की गई है।**
- **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों की पहचान मनमाने तरीके से किया जाना:** खनन प्रभावित क्षेत्रों के सीमांकन एवं आलेखन के लिए किसी प्रकार का उचित मानचित्रण नहीं किया गया है।
- **खराब नियोजन:** ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के राज्य नियमों में मध्यम व दीर्घकालिक नियोजन संबंधी अधिदेश के बावजूद, किसी भी जिले ने एक यथार्थ योजना नहीं बनाई है।
- **लेखा परीक्षण (Auditing):** वित्तीय लेखा परीक्षण के अतिरिक्त कोई अन्य जांच, जैसे- DMF का सोशल ऑडिट या निष्पादन ऑडिट नहीं किया जाता है।
- **निवेश मुख्य रूप से भौतिक अवसंरचना विकास पर केंद्रित है** और मानव विकास संकेतकों में सुधार पर कम ध्यान दिया गया है।
- **सार्वजनिक प्रकटीकरण का अभाव:** DMF निकायों की संरचना, बजट, अनुमोदन एवं कार्यों की प्रगति आदि से संबंधित स्पष्ट जानकारी प्रदान करने हेतु वेबसाइट हैं, परंतु कई राज्यों एवं जिलों में वे निष्क्रिय बनी हुई हैं।

VISION IAS

आगे की राह

- **ग्राम सभा:** DMF का निर्णय लेने वाला निकाय खनन प्रभावित लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ समावेशी होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गवर्निंग काउंसिल (शासी परिषद) में प्रतिनिधित्व कर रहे ग्राम सभा के कम से कम 50 प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जनजाति के हों।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, दोनों रूप से खनन-प्रभावित क्षेत्रों का प्राथमिकता के आधार पर निरूपण किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र या इसी तरह के संस्थानों/विशेषज्ञ एजेंसियों से सहयोग प्राप्त की जा सकती है।
- **आवंटन:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि DMF आवंटन/अनुमोदन का कम से कम 60 प्रतिशत राज्य DMF नियमों में निर्धारित 'उच्च प्राथमिकता' के मुद्दों एवं साथ ही, 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित' क्षेत्रों के लिए किया जाए।
- **शिकायत निवारण:** प्रत्येक DMF ट्रस्ट के पास एक **सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र मौजूद** होना चाहिए।
- प्रत्येक खनन जिले में **योजना एवं समन्वय के लिए एक समर्पित DMF कार्यालय** स्थापित किया जाना चाहिए। PMKKKY संबंधी दिशा-निर्देशों में पहले से ही यह निर्धारित किया गया है कि DMF फंड का 5 प्रतिशत इस तरह के व्यय के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रत्येक DMF ट्रस्ट द्वारा **वार्षिक रिपोर्ट** तैयार की जानी चाहिए तथा इसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

7.4. अन्य क्षेत्रक (Other Sectors)

7.4.1. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण (Electronics Manufacturing)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रक के लिए निम्नलिखित **तीन** योजनाओं को मंजूरी दी है:

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना (production-linked incentive manufacturing scheme);
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors: SPECS); एवं
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर 2.0 {Electronics Manufacturing Clusters (EMC) 2.0}।

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (NPE), 2019

- इस नीति को भारत को **'इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग' (ESDM)** के एक **ग्लोबल हब** के रूप में स्थापित करने हेतु अभिकल्पित किया गया है।
- इसने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2012 को प्रतिस्थापित किया है।

इस नीति की प्रमुख विशेषताएँ

- वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी ESDM क्षेत्रक के लिए एक अनुकूल परिवेश (ईको-सिस्टम) का सृजन करना।
- कोर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना।
- उच्च तकनीक तथा अत्यधिक निवेश वाली मेगा परियोजनाओं (जैसे- सेमीकंडक्टर सुविधा, डिस्प्ले फैब्रिकेशन इत्यादि) के लिए प्रोत्साहन स्वरूप विशेष पैकेज प्रदान करना।
- इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी उप-क्षेत्रकों में उद्योग आधरित अनुसंधान एवं विकास और नवोन्मेष को बढ़ावा देना, जिसमें बुनियादी या जमीनी स्तर के नवाचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों, यथा- 5G, इन्टरनेट ऑफ़ थिंग्स (IoT)/सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि जैसे क्षेत्रों में आरंभिक चरण वाले स्टार्टअप्स सम्मिलित हैं।
- ESDM क्षेत्रक में बौद्धिक संपदा (IP) के विकास और अधिग्रहण को बढ़ावा देने हेतु **सॉवरेन पेटेंट फंड (SPF)** सृजित करना।
- राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने हेतु विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) संबंधी पहलों को बढ़ावा देना।

इन योजनाओं के बारे में

- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना**
  - इस योजना में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके और मोबाइल फोन के विनिर्माण तथा **एसेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग एंड पैकेजिंग (ATMP)** इकाइयों सहित विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के क्षेत्र में अत्यधिक निवेश आकर्षित किया जा सके।

VISION IAS

- इसके परिणामस्वरूप, **मोबाइल फोन का घरेलू मूल्य संवर्धन** वर्तमान के 20-25% से बढ़कर वर्ष 2025 तक 35-40% तक होना प्रत्याशित है।

- **इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण के संवर्धन की योजना (SPECS)**
    - इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के लिए **पूंजीगत व्यय का 25 प्रतिशत वित्तीय प्रोत्साहन** प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया है।
    - यह प्रोत्साहन आवेदन की प्राप्ति की तारीख से **5 वर्षों के भीतर किए गए निवेश** के लिए उपलब्ध होगा।
    - इस योजना से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में लगभग **20,000 करोड़** रुपये के नये निवेश की संभावना है।
- **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) 2.0.**
    - संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0) योजना से **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टरों (EMCs)** और **साझा सुविधा केंद्रों (Common Facility Centers: CFCs),** दोनों की ही स्थापना में आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा।
    - इस योजना के अंतर्गत EMC परियोजनाओं की स्थापना के लिए प्रति 100 हेक्टेयर भूमि के लिए परियोजना लागत का 50% तक (अधिकतम 70 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। CFC के लिए परियोजना लागत का 75% (अधिकतम 75 करोड़ रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- इन योजनाओं से सामूहिक रूप से इस क्षेत्रक में लगभग **50,000 करोड़ रुपये के नए निवेश** की संभावना है। इससे **5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और लगभग 15 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार** का सृजन होगा।

भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण की स्थिति

- भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लगभग 25% CAGR (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) की दर से वर्ष 2014-15 के 1.9 लाख करोड़ रूपये से बढ़ कर वर्ष 2018-19 में 4.6 लाख करोड़ रूपये हो गया।
- वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी 1.3% (वर्ष 2012) से बढ़कर 3.0% (वर्ष 2018) हो गई है।
- भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इस क्षेत्रक की हिस्सेदारी लगभग **2.3%** है।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने की आवश्यकता

- **नेट जीरो (NET ZERO) आयात का लक्ष्य:** देश के व्यापार घाटे में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का अत्यधिक योगदान है और यह भारत में आयात की जाने वाली तीन प्रमुख मदों में से एक है।
- **तेजी से बढ़ती मांग:** इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की मांग **22% की CAGR** के साथ बढ़ रही है और इसके वर्ष 2020 तक 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।
- **डिजिटल सुरक्षा:** डेटा की सुरक्षा हेतु घरेलू विनिर्माण आवश्यक है, जिसकी गोपनीयता और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के लिए निहितार्थ हो सकते हैं।
- **अन्य योजनाओं का पूरक:** घरेलू विनिर्माण क्षेत्रक भारतनेट, स्मार्ट सिटीज, नेशनल नॉलेज नेटवर्क (NKN) जैसी पहलों को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह ***मेक इन इंडिया*** को भी प्रोत्साहित करता है।

इस क्षेत्रक से जुड़ी चुनौतियाँ

- **सस्ते ऋण की अनुपलब्धता: इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड (EDF)** जैसी योजनाएं पूर्ण रूप से लाभकारी नहीं रही हैं, जिनका उद्देश्य ऋण की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
    - EDF को पेशेवर रूप से प्रबंधित **"डॉटर फंड्स" (Daughter Funds)** में भागीदारी करने के लिए **"फंड ऑफ फंड्स"** के रूप में स्थापित किया गया था। इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में नई तकनीकों का विकास करने वाली कंपनियों को जोखिम पूंजी प्रदान की जाती है।
- **उत्पाद संबंधी मानक:** वैश्विक उत्पाद मानकों और भारत में विनिर्मित उत्पादों के मध्य अंतराल विद्यमान है।
- **सहायक अवसंरचना:** विनिर्माताओं के समक्ष कारखाने के बाहर लॉजिस्टिक्स, बंदरगाह क्षमता आदि जैसी अवसंरचनात्मक बाधाएँ बनी हुई हैं।
- **उत्पादकता अंतराल:** लोगों में प्रचलित कौशल अंतराल, उत्पादन चक्र में उत्पादकता अंतर के रूप में परिलक्षित होता है।

आगे की राह

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, 2019 के अनुसरण में, इन तीनों योजनाओं का उद्देश्य सामूहिक रूप से अवसंरचना (EMC 2.0) में सुधार, क्रेडिट प्रवाह (उत्पादन प्रोत्साहन योजना) का सरलीकरण और क्षमता विस्तार (SPECS) को प्रोत्साहित करके उपर्युक्त चुनौतियों का समाधान करना है।

VISION IAS

मशीनरी स्थापित करने हेतु लिए जाने वाले ऋण पर संपार्श्विक से छूट जैसी उद्योगों की मांगों को देखते हुए, इन उपायों को ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए **इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट फंड (EDF)** जैसी योजनाओं को पुनर्जीवित और संशोधित कर पूरित किया जा सकता है।

7.4.2. इस्पात क्षेत्रक (Steel Sector)

परिचय

वैश्विक उत्पादन में 6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है।

- **तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता:** यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद तैयार स्टील का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- **विकास और उपयोग:** कच्चे इस्पात के उत्पादन में **77.4 प्रतिशत की उपयोग क्षमता** के साथ 1.5 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित हुई है।

7.4.2.1. स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति (Steel Scrap Recycling Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, इस्पात मंत्रालय ने **'स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति'** ज़ारी की है।

'स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति' की आवश्यकता

- **उपयोगी अपशिष्ट:** 'स्टील स्क्रैप एक पुनर्चक्रण योग्य सामग्री होती है जो इस्पात विनिर्माण या उत्पादन (फैब्रिकेशन) या उत्पाद की उपयोग अवधि समाप्त होने के पश्चात् शेष रह जाती है।
    - स्टील स्क्रैप इस विशेषता के कारण विशिष्ट होता है कि यह 100 प्रतिशत पुनर्चक्रण योग्य होता है। इसे कई बार उपयोग, पुनर्प्रयोग तथा पुनर्चक्रित किया जा सकता है।
    - लौह अयस्क, इस्पात बनाने का जहां प्राथमिक स्रोत बना हुआ है वहीं स्टील स्क्रैप, इस्पात उद्योग के लिए दूसरा कच्चे माल का स्रोत है।
- **स्क्रैप उद्योग को विनियमित करना:** असंगठित स्क्रैप पुनर्चक्रण क्षेत्रक को उद्योग/अवसंरचना का दर्ज़ा प्रदान करने हेतु हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि स्क्रैप के संचयन तथा उसके प्रसंस्करण के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी मानकों और वैधानिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।
    - सुरक्षित विखंडन से संबंधित नीतियों का कदाचित ही अनुसरण किया जाता है तथा अपशिष्ट सामग्री के सुरक्षित निस्तारण से संबंधित आवश्यक अवसंरचना में न्यूनतम निवेश हुआ है।
- **इस्पात उत्पादन में सुधार तथा आयात व्यय में कमी करना:** वर्तमान में घरेलू असंगठित स्क्रैप उद्योग द्वारा 25 मीट्रिक टन तथा आयात द्वारा 7 मीट्रिक टन स्क्रैप की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में आयात किए जा रहे 7 मीट्रिक टन स्क्रैप को घरेलू बाज़ार से ही प्राप्त किए जा सकने की पूर्ण संभावना है।
    - इस समय जापान, सयुंक्त राज्य अमेरिका तथा चीन जैसे मुख्य इस्पात उत्पादक देश प्राथमिक स्रोत आधारित इस्पात उत्पादन में कमी कर स्क्रैप आधारित इस्पात उत्पादन में सतत रूप से वृद्धि कर रहे हैं।
    - राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 (NSP-2017) का लक्ष्य भी वर्ष 2030 तक 300 मिलियन TPA इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त कर विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात उद्योग विकसित करना है।
    - **प्रति व्यक्ति बढ़ती हुई इस्पात खपत** (वर्ष 2004 के लगभग 33 कि.ग्रा. से बढ़कर लगभग 60 कि.ग्रा. हो गई है) **के कारण अधिक मात्रा में स्क्रैप प्राप्त करने की आवश्यकता है।**
- **पर्यावरण संबंधी लाभ:** पुनर्चक्रण योग्य इस्पात में लौह अयस्क से इस्पात उत्पादन करने की तुलना में 56 प्रतिशत कम ऊर्जा की खपत होती है तथा CO_2 के उत्सर्जन में 58 प्रतिशत की कमी आती है।

इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति की प्रमुख विशेषताएं

- **पर्यावरण अनुकूल:** यह संगठित, सुरक्षित तथा पर्यावरण के लिए अनुकूल पद्धति से उत्पादों के संचयन, प्रसंस्करण तथा पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है।
    - इस नीति में ऐसी कार्य प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है जिससे **"खतरनाक और अन्य कचरा (प्रबंधन और सीमापार परिवहन) नियम, 2016"** (Hazardous & Other Wastes (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016) का अनुपालन करते हुए विखंडन व श्रेडिंग संयंत्रों (shredding facilities) से उत्पन्न अपशिष्ट तथा अपशिष्ट प्रवाहों के शोधन का निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

VISION IAS

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन:** इस नीति का लक्ष्य स्टील क्षेत्रक में चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। स्टील स्क्रैप को पुनर्चक्रित कर उच्च गुणवत्तायुक्त स्टील का उत्पादन किया जाएगा। इसका अन्य उद्योगों यथा उपकरणों के निर्माण, ऑटोमोबाइल तथा अन्य डाउनस्ट्रीम उद्योग में उपयोग किया जा सकता है।
- **उच्च गुणवत्तायुक्त स्टील:** स्क्रैपिंग नीति में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप, स्टील उद्योग के लिए उपलब्ध हो। यदि गुणवत्तापूर्ण स्क्रैप को विद्युत् भट्ठी में चार्ज (ईंधन) के रूप में प्रदान किया जाता है तो भट्ठियां हाई ग्रेड स्टील का उत्पादन कर सकती हैं।
- **प्राधिकृत स्टील स्क्रैपिंग केंद्र:** यह प्राधिकृत केन्द्रों के माध्यम से गैर-लौह स्क्रैप सहित सभी पुनर्चक्रण योग्य स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रसंस्करण एवं निस्तारण के माध्यम से 6R (रिड्यूस, रियूज, री-साईकिल, रि-कवर, रि-डिजाइन और रि-मेन्युफैक्चर) सिद्धांत को बढ़ावा देती है।
- **हब एंड स्पोक मॉडल:** स्क्रैप एकत्रित करने संबंधी मुद्दे के समाधान तथा पर्यावरणीय एवं वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित अनौपचारिक पुनर्चक्रण क्षेत्रक को पुनर्गठित करने हेतु एक हब एंड स्पोक मॉडल का सुझाव दिया गया है।
  - **4+1 हब एंड स्पोक मॉडल** की स्थापना की जाएगी, जहाँ 4 संग्रहण तथा विखंडन केंद्र, एक स्क्रैप प्रसंस्करण केंद्र को आपूर्ति करेंगे। इस प्रकार की मिश्रित इकाई के माध्यम से 400 नौकरियों का सृजन किया जा सकता है।
- **अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति:** एक अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति की स्थापना की गयी है। इस समिति के अधिदेश निम्नलिखित हैं:
  - एक संगठित स्टील स्क्रैपिंग पारितंत्र के निर्माण हेतु आवश्यक नीतिगत परिवर्तन करना; तथा
  - इस संदर्भ में प्रासंगिक कानूनों/नियमों के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन की निगरानी करना।

7.4.3. वस्त्र क्षेत्रक (Textile Sector)

परिचय

- **आर्थिक योगदान:** वर्ष 2017-18 में विनिर्माण में वस्त्र क्षेत्रक का योगदान 18.0 प्रतिशत तथा सकल घरेलू उत्पाद में 2.0 प्रतिशत रहा।
- **निर्यात:** भारत के निर्यात में वस्त्र एवं परिधान की हिस्सेदारी वर्ष 2018-19 में 12 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 में निर्यात में 3 प्रतिशत की वृद्धि भी दर्ज की गई।
- **रोजगार:** कृषि के बाद यह क्षेत्रक सबसे बड़ा नियोक्ता है तथा यह प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ व्यक्तियों को तथा 6 करोड़ लोगों को संबद्ध क्षेत्रक में रोजगार प्रदान करता है।
- **उत्पादन:** मानव निर्मित रेशा तथा फिलामेंट धागा उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन अप्रैल-अगस्त 2019 में वस्त्र उत्पादन में गिरावट आई है।
- यह सामाजिक गतिकी को सुधारने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस क्षेत्रक में अधिकांशतः महिलाएं कार्यरत हैं।
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए इस क्षेत्रक के पश्च संपर्क लाखों किसानों, कारीगरों, हथकरघा तथा हस्तकला निर्माताओं को बड़े अवसर प्रदान करते हैं।
- यह क्षेत्रक सरकार की प्रमुख पहलों अर्थात् मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, इत्यादि से पूरी तरह से सम्बद्ध है।

इस क्षेत्रक द्वारा सामना की जाने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां

- मानकों का अभाव **या खंडित तथा बिखरा हुआ उत्पादन।**
- यद्यपि ओटाई तथा कताई क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं, तथापि **बुनाई, प्रसंस्करण तथा कढ़ाई में तकनीकी अंतराल विद्यमान है।**
- परिधानों के भारतीय निर्यात को **विदेशी बाजारों में** उन प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में **उच्च औसत शुल्क** का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें कोई शुल्क नहीं चुकाना होता है।

7.4.3.1. तकनीकी वस्त्र (Technical Textiles: TT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA)** ने कुल 1,480 करोड़ रुपये के परिव्यय वाले **राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन** (National Technical Textiles Mission) के शुभारंभ को स्वीकृति प्रदान की है।

VISION IAS

तकनीकी वस्त्रों के बारे में

* **तकनीकी वस्त्र** (Technical textiles: TT) सौंदर्यपरक या सजावटी विशेषताओं के बजाय मुख्य रूप से **तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों** के लिए विनिर्मित वस्त्र सामग्री तथा उत्पाद होते हैं।
* **तकनीकी वस्त्रों के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं:** औद्योगिक वस्त्र, कार्यात्मक वस्त्र, प्रदर्शन वस्त्र, अभियांत्रिकी वस्त्र, अदृश्य वस्त्र और हाईटेक वस्त्र।
* इन्हें कार्यात्मक गुणों को बढ़ाने हेतु व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य उत्पाद के घटक/भाग के रूप में उपयोग किया जाता है।
* इनका कोई एकल सुसंगत उद्योग नहीं है तथा इससे संबंधित **बाजार खंड विविधतापूर्ण** और व्यापक आधार वाला है।
    * इसका उपयोग एयरोस्पेस से लेकर रेलवे, निर्माण आदि विभिन्न उद्योगों में किया जाता है तथा तकनीकी प्रगति के कारण अन्य उद्योगों में भी इसके उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है।

* इन्हें **12 प्रमुख खंडों** में विभाजित किया गया है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

भारतीय परिदृश्य

* TT एक ज्ञान आधारित अनुसंधान उन्मुख उद्योग है तथा कार्यात्मक आवश्यकता, स्वास्थ्य और सुरक्षा; लागत प्रभावशीलता; स्थायित्व; अधिक मजबूती; हल्के वजन; बहु-उद्देश्यीयता; अनुकूलन; उपयोगकर्ता अनुकूलता; पारिस्थितिकी अनुकूलता; संभार-तंत्र संबंधी सुविधा आदि जैसे कारणों के कारण इसके उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है।
* भारतीय तकनीकी वस्त्र क्षेत्र **250 बिलियन डॉलर के वैश्विक तकनीकी वस्त्र बाजार का लगभग 6%** है।
* **भारत में कुल वस्त्र मूल्य श्रृंखला** TT की हिस्सेदारी केवल **12-15%** (यूरोपीय देशों में 50%) है।
* **हालांकि, भारत में इस क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर 12% है,** जबकि वैश्विक स्तर यह वृद्धि दर 4% है।

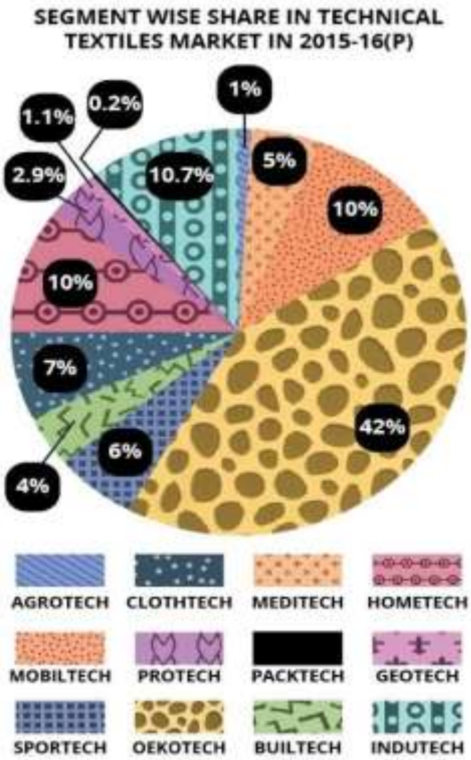

तकनीकी वस्त्रों की संभावनाएं

* **घरेलू उत्पादन में वृद्धि तथा निर्यात क्षमता का सृजन:** जहां पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र निर्यात गहन हैं, वहीं तकनीकी वस्त्र क्षेत्र **आयात गहन उद्योग है।**
    * तकनीकी वस्त्रों की कम खपत का एक कारण कई उत्पादों की आयात गहन प्रकृति है जो इसे अत्यधिक लागत से युक्त करती है, जिसके परिणामस्वरूप इनकी खपत में कमी हो जाती है।
        * स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि के साथ, **विशेष रूप से सार्क देशों** में तकनीकी वस्त्रों के निर्यात की अपार संभावनाएं विद्यमान हैं, जहां यह उद्योग बेहतर रूप से विकसित नहीं है तथा वे अपनी घरेलू मांग की पूर्ति हेतु आयात पर निर्भर हैं।
* **लघु और कुटीर उद्योगों के लिए अवसर:** यद्यपि विशेषीकृत धागों और कपड़ों का उत्पादन बृहद् तथा मध्यम उद्योगों के स्तर पर होता है, तथापि इन वस्त्रों का तैयार वस्तु में रूपांतरण **लघु स्तर के उद्योगों** और यहां तक कि **कुटीर उद्योगों** में भी किया जाता है।
* **प्रयोज्य आय कारक (Disposable income factor):** तकनीकी वस्त्रों के प्रयोज्य खंड की खपत प्रत्यक्ष रूप से प्रयोज्य आय से संबंधित है। प्रयोज्य आय में वृद्धि होने से, वाइप (wipes), सैनिटरी नैपकिन, बेबी डायपर, वयस्क डायपर और स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों जैसी प्रयोज्य वस्तुओं की खपत में घातांकी दर (exponential rate) से वृद्धि होने की संभावना होती है।

- **वस्त्र क्षेत्रक की अंतर्निहित सुदृढ़ता:** भारतीय वस्त्र उद्योग आधारभूत रूप से सुदृढ़ है जिसका उपयोग **लागत प्रतिस्पर्धी विनिर्माण संरचना** के माध्यम से तकनीकी वस्त्रों के वस्तु बाजार में लाभ प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है।
  - **नई प्रौद्योगिकियों** के विकास के लिए **अनुसंधान संस्थानों** और **अंतिम उपभोक्ताओं** के साथ नेटवर्किंग के माध्यम से उच्च स्तर वाले प्रमुख क्षेत्रों (niche areas) में भी भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़त प्राप्त है।
- **नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग:** रेशा/धागा प्रौद्योगिकी में नए विकास के साथ इस उद्योग का विस्तार अत्यधिक गति से बढ़ रहा है।
  - **नैनो तकनीक, प्लाज्मा कोटिंग, इंटेलिजेंट टेक्सटाइल्स, मिश्रित, सॉफ्ट शेल टेक्नोलॉजी,** रेट्रो-रिफ्लेक्टिव सामग्री जैसी नई तकनीकों का तकनीकी वस्त्र उद्योग के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

इस क्षेत्रक की चुनौतियां और दुर्बलताएं

- **तकनीकी वस्त्रों के विनिर्देशों और मानकीकरण का अभाव:** चूंकि यह क्षेत्र अभी प्रगतिमान है, इसलिए अभी तक प्रासंगिक नीतियों और मानकों को विकसित नहीं किया जा सका है। तकनीकी वस्त्रों हेतु प्रौद्योगिकी के लिए कोई गुणवत्ता मापदंड विद्यमान नहीं है।
- उत्पादों की उपयोगिता के संबंध में **जागरूकता का अभाव।**
- **कच्चे माल की अनुपलब्धता:** यह उत्पादों की लागत में वृद्धि करता है और इस क्षेत्र के विकास को प्रतिबंधित करता है।
- **अवसंरचना का अभाव:** इसमें आधारभूत अवसंरचना के साथ-साथ **प्रौद्योगिकी का अभाव** भी बना हुआ है।
- **कुशल श्रमबल, प्रशिक्षण और शैक्षिक सुविधाओं का अभाव:** इस क्षेत्र में कौशल विकास की कमी है, क्योंकि इस पहलू पर अभी तक ध्यान नहीं केंद्रित किया गया है। इससे सुव्यवस्थित ढंग से निपटा जाना चाहिए।

राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन के बारे में

- इस मिशन का उद्देश्य **तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर देश को अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना** और साथ ही घरेलू स्तर पर इसके उपयोग में भी वृद्धि करना है।
- इसके अंतर्गत वर्ष **2024 तक घरेलू बाजार के आकार के 40-50 बिलियन अमेरिकी डॉलर** होने की परिकल्पना की गई है, जिसका मूल्य वर्तमान में 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- मिशन का निदेशालय **वस्त्र मंत्रालय** के तहत कार्य करेगा।
- इस मिशन को वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक कार्यान्वित किया जाएगा और इसके **चार घटक** होंगे:
  - **अनुसंधान, विकास और नवाचार:** इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया जाएगा। यह अनुसंधान रेशा स्तर पर और अनुप्रयोग आधारित होगा। अनुसंधान गतिविधियों में स्वदेशी मशीनरी और प्रक्रिया उपकरणों के विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।
  - **बाजार विकास और संवर्धन:** जल जीवन मिशन; स्वच्छ भारत मिशन; आयुष्मान भारत के साथ-साथ कृषि, रक्षा, जल तथा बुनियादी ढाँचे के रणनीतिक क्षेत्रकों सहित देश के प्रमुख मिशनों और कार्यक्रमों में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
  - **निर्यात संवर्धन:** तकनीकी वस्त्रों के लिए **निर्यात संवर्धन परिषद** का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य देश से तकनीकी वस्त्रों का निर्यात प्रति वर्ष **10%** औसत वृद्धि के साथ वर्तमान **14,000** करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष **2021-2022** तक **20,000** करोड़ रुपये करना है।
  - **शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास:** यह तकनीकी वस्त्रों तथा उसके अनुप्रयोग क्षेत्रों से संबंधित उच्चतर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी स्तर पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देगा।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदम

- **राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2000:** इसमें यह निर्धारित किया गया था कि विश्व भर में तकनीकी वस्त्रों की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए देश में इनकी वृद्धि और विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।
- **तकनीकी वस्त्रों की वृद्धि और विकास हेतु योजना (Scheme for Growth and Development of Technical Textiles: SGDTT):** यह योजना वर्ष **2007-08** में प्रारंभ की गई थी। इसके तीन मुख्य घटक थे - जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण (बेसलाइन सर्वे), जागरूकता अभियान और उत्कृष्टता केंद्रों का निर्माण।
- **टेक्नोलॉजी मिशन ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स (TMTT):** इस मिशन को वर्ष **2010-11** में प्रारंभ किया गया था। इसके पहले घटक के अंतर्गत मानकीकरण, मान्यता प्राप्त सामान्य परीक्षण सुविधाओं का निर्माण करना और IT अवसंरचना के साथ संसाधन केंद्र का

VISION IAS

अनुरक्षण करना सम्मिलित था। दूसरे घटक के अंतर्गत तकनीकी वस्त्रों के लिए घरेलू और निर्यात बाजारों का विकास करना सम्मिलित था।

- **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Technology Upgradation Fund Scheme: TFFS) के अंतर्गत तकनीकी वस्त्रों को कवर करना:** TUFS के अंतर्गत उत्पादन से संबंधित तकनीकी वस्त्रों की सभी मशीनरी को कवर किया गया है। TUFS के अंतर्गत पहले ही 216 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत वाली परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

निष्कर्ष

भारतीय तकनीकी वस्त्र उद्योग की सभी 12 क्षेत्रों में उपस्थिति है, जिसे इस उद्योग की पूर्ण क्षमता का दोहन करने हेतु अन्य क्षेत्रों में विस्तारित करने की आवश्यकता है। भारत इस क्षेत्रक में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करने की क्षमता रखता है। अत: यह मिशन इस दिशा में एक प्रतीक्षित कदम है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा संबंधी कार्य महत्वपूर्ण होंगे।

7.5. अवसंरचना (Infratructure)

7.5.1. राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline: NIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वित्त मंत्रालय द्वारा **"2019-2025 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्य बल की रिपोर्ट"** को पब्लिक डोमेन में रखा गया।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के बारे में

- भारत को अपनी संवृद्धि दर बनाए रखने के लिए वर्ष 2030 तक अवसंरचना पर **4.5 ट्रिलियन डॉलर** व्यय करने की आवश्यकता है।
    - सरकार ने वर्ष 2025 तक 102 लाख करोड़ रुपये की अवसंरचना परियोजनाओं को कार्यान्वित करने की घोषणा की है।
- NIP द्वारा इसे कुशल तरीके से क्रियान्वित और सुव्यवस्थित किया जाएगा।
    - NIP की रूपरेखा निर्मित करने के लिए, **अवसंरचना की सामंजस्यपूर्ण मास्टर लिस्ट** के अनुसार सभी **आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना** परियोजनाओं पर बल देते हुए इन परियोजनाओं की पहचान की गई है।
- अपनी तरह की पहली इस **विशिष्ट प्रक्रिया के लिए** आवधिक समीक्षा का आयोजन अपेक्षित है।

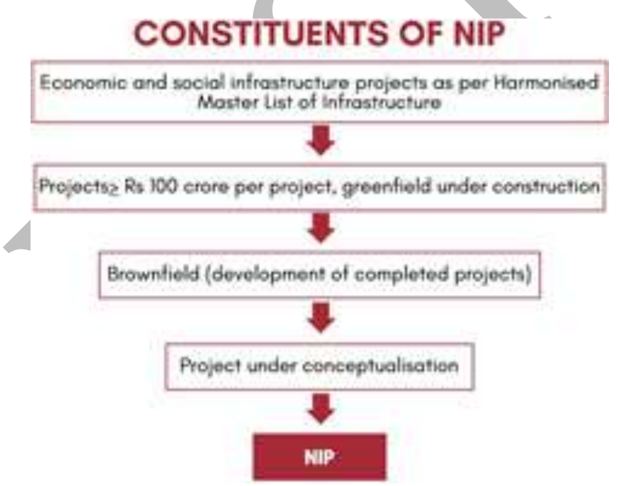

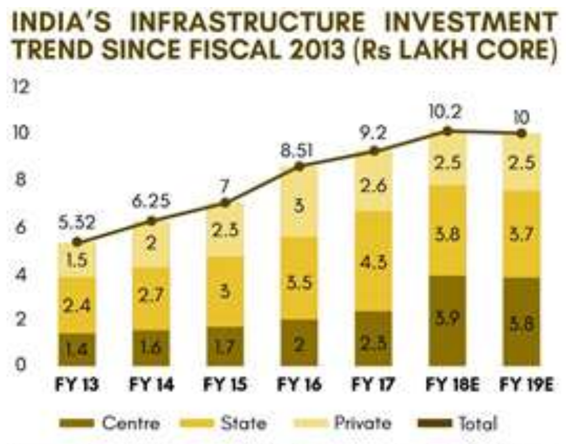

Source: Appraisal documents for five-year plans, CRIS estimates (Investments mentioned are at current prices)

इस रिपोर्ट में भारतीय अवसंरना में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता के संबंध में निम्नलिखित कारणों की पहचान की गई है:

- **बढ़ता शहरीकरण:** वर्तमान की 31 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2030 में 42 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करेगी।
- **कार्यशील-आयु की बढ़ती जनसंख्या:** एक अनुमान के अनुसार भारत की कार्यशील-आयु जनसंख्या में वर्ष 2015-2030 के दौरान 1.2 गुना की वृद्धि होगी। चीन के 0.97 बिलियन और अमेरिका के 0.22 बिलियन की तुलना में भारत में वर्ष 2030 तक विश्व की सबसे बड़ी कार्यशील आयु {अर्थात् 1.03 बिलियन (68%)} होने का अनुमान है।

- **वर्ष 2018-30 की अवधि के दौरान कुल रोजगार में शहरी क्षेत्रों के योगदान** में ग्रामीण क्षेत्रों के योगदान की तुलना में अधिक तीव्रता से वृद्धि होगी। कुल रोजगार में शहरी क्षेत्रों का अनुपात वर्ष 2012 के 29% से बढ़कर वर्ष 2030 में 41% हो जाने की संभावना है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों का वर्ष 2012 के 71% से घटकर वर्ष 2030 में 59% हो जाने की संभावना है।
- **सेवा-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरण:** GDP और रोजगार संबंधी रुझानों से प्रतिबिंबित होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे कृषि अर्थव्यवस्था से सेवा-केंद्रित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है।
- **जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रत्यास्थता:** यह सुनिश्चित करने की स्पष्ट आवश्यकता है कि सभी नई और वर्तमान अवसंरचना प्रणालियां जलवायु परिवर्तन और आपदा के प्रति सुनम्य (resilient) हों।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार करना:** विश्व आर्थिक मंच के **वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक** से परिलक्षित होता है कि अवसंरचनात्मक बाधाएं भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता के समक्ष प्राथमिक बाधा बनी हुई हैं।
  - **समग्र अवसंरचना गुणवत्ता** के मामले में **भारत का स्थान** 140 देशों में 70वां है। **जल और विद्युत जैसी जनोपयोगी सेवा अवसंरचना क्षेत्रों** में यह स्थान **100 से ऊपर** है।
- **निवेशकों में विश्वास का सृजन:** निर्धारित परियोजनाओं को बेहतर रूप से निर्मित किया जाता है, जिनकी सक्षम अधिकारी द्वारा सक्रिय रूप से निगरानी किए जाने के कारण जोखिमग्रस्त होने की संभावना कम होती है, इससे बेहतर प्रतिफल सुनिश्चित होते हैं।
  - विश्वास में सुधार की अभिव्यक्ति, बेहतर रूप से परियोजनाओं के निर्माण, आक्रामक बोलियों/परियोजना वितरण में विफलता जैसी स्थितियों में कमी, वित्त के स्रोतों तक अधिकाधिक पहुंच के रूप में होती है।

अवसंरचना क्षेत्रक के समक्ष प्रमुख बाधाएं

- **बृहद् परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु वित्त की उपलब्धता:** सार्वजनिक क्षेत्रक में सीमित वित्तीय अवसर तथा कंपनियों के अत्यधिक ऋण और बैंकों की अशोध्य संपत्ति सहित भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे तुलन पत्र की समस्या।
  - साथ ही, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार अविकसित है तथा कुशल क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण तंत्र {जैसे- प्रतिभूतिकरण, क्रेडिट डेरिवेटिव (ऋण व्युत्पन्नी), क्रेडिट इंश्योरेंस (ऋण बीमा) आदि} का अभाव है।
- **नियामकीय अनिश्चितता:** प्रक्रियात्मक विलंब, भूमि अधिग्रहण की लंबी प्रक्रियाएं, मुआवजे का भुगतान, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, अनुमान से कम ट्रैफिक वृद्धि इत्यादि विभिन्न जोखिमों के कारण।
  - इन सभी के कारण, सॉवरेन वेल्थ और पेंशन फंड के माध्यम से भारतीय अवसंरचना में निवेश की प्रक्रिया बाधित हुई है।
- **निम्नस्तरीय प्रवर्तन ढांचा:** अनुबंधों के प्रवर्तन के संबंध में भारत का स्थान 190 देशों में 163वां है।
  - ऐसे कई मामले विद्यमान हैं, जहाँ डेवलपर्स बिना किसी प्रयोजन के अनुबंध कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अनुबंधों के प्रवर्तन का भय नहीं होता है।
- **भारत की अवसंरचना परियोजनाओं में होने वाला विलंब:** यह कार्यान्वयन चरण में समय और लागत में वृद्धि का कारण बनता है।

इस कार्यबल की प्रमुख अनुशंसाएं

सामान्य सुधार	• **परियोजना निर्माण की प्रक्रियाओं में सुधार करना:** इसे पारदर्शी विधायी ढांचा, अवसंरचना के लिए योजना निर्माण से संबंधित सशक्त सार्वजनिक संस्था, मॉडल दिशा-निर्देश और मानक, सुपरिभाषित वर्कफ्लो और सक्षमकारी विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) आदि के माध्यम से किया जा सकता है। • **निजी क्षेत्रक प्रतिभागियों की निष्पादन क्षमता को बढ़ाना:** इसे आवश्यक क्षमता और निष्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट एवं सुसंगत नीतिगत ढांचे तथा सुदृढ़ **वैश्विक अवसंरचना डेवलपर्स** के साथ सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। • **अवसंरचना परियोजनाओं को सम्पन्न करने में सुगमता को बढ़ाना:** इसे एकल बिंदु अनुमोदन, अनुबंधों को प्रदान करने से पूर्व **अनिवार्य शर्तों**, विद्युत खरीद समझौतों जैसे तंत्रों का उपयोग करके अनुबंधों से संबंधित प्रभावी प्रस्तावों के माध्यम से किया जा सकता है। • **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** जैसे- पर्याप्त डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए **सार्वजनिक डेटा स्रोतों** का निर्माण, डेटा आधारित नीतिगत निर्णयों को सक्षम बनाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड आदि उन्नत

VISION IAS

	प्रौद्योगिकियों के आधार पर **स्मार्ट अवसंरचना** का निर्माण करना। • **अवसंरचना गुणवत्ता का सुदृढ़ीकरण:** पारदर्शी खरीद प्रक्रिया, परियोजना के जीवन चक्र के दौरान स्वस्थ प्रशासन तथा सामाजिक एवं पर्यावरणीय संधारणीयता के साथ अनुरूपता स्थापित करना। • **आपदा लोचशीलता:** 'आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन' (CDRI) के माध्यम से ज्ञान और विशेषज्ञता को अपनाना। • **पर्यावरणीय संधारणीयता:** ऊर्जा, परिवहन और अन्य अवसंरचना में अपेक्षित स्तर पर **न्यून कार्बन निवेश** को प्रोत्साहित करने के लिए उचित **कार्बन मूल्य निर्धारण** को अपनाना। • **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना:** विश्वास बहाली (एंटी-ट्रस्ट रेजोल्यूशन) तंत्र को तीव्रता प्रदान करके भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और क्षेत्र के नियामकों के मध्य अधिक सहयोग और **राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति** को संचालित करना। • **नियामकीय परिवेश:** PPP संबंधी जोखिमों का समान आवंटन, अनुबंधों का मानकीकरण और PPP मोड पर कार्यान्वित होने वाले सभी अवसंरचना क्षेत्रों में स्वायत्त विनियमन आदि के माध्यम से इसे पूरा किया जा सकता है।
वित्तीय क्षेत्रक सुधार	• **अवसंरचना में विदेशी और निजी पूंजी को आकर्षित करना:** निवेश दिशा-निर्देशों को अवसंरचना परियोजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति, जैसे- बीमा पूँजी और पेंशन फंड के साथ संरेखित करना। • **बॉण्ड और क्रेडिट बाजारों को सशक्त करना:** एक बेहतर रूप से पूंजीकृत क्रेडिट वृद्धि करने वाली संस्था की स्थापना करना, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (IIFCL) के अभिशासन में सुधार करना। • **भारत में म्यूनिसिपल बॉण्ड बाजारों को सुदृढ़ करना:** वित्तीय अनुशासन एवं नियमित प्रकटीकरण में सुधार करना, स्थानीय सरकारों के राजस्वों के राजस्व आधार और उत्प्लावकता में वृद्धि करना, अभिनव ऋण वृद्धि तंत्रों के माध्यम से स्थानीय सरकारों की ऋण क्षमता (creditworthiness) में वृद्धि करना और पूल्ड बॉण्ड निर्गमनों को प्रोत्साहित करना। • **परिसंपत्ति मुद्रीकरण को सुदृढ़ करना:** भूमि की बिक्री, अर्थपूर्ण अग्रिम पट्टा भुगतान सहित गैर-परिचालित परिसंपत्तियों, परिचालित सड़क परिसंपत्तियों के लिए टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल, अवसंरचना निवेश ट्रस्टों (InvITs), रणनीतिक/वित्तीय निवेशकों को परिसंपत्तियों के पोर्टफोलियो की बिक्री और प्रतिभूतिकरण के माध्यम से ऋण परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करना। • **अवसंरचना के वित्तपोषण हेतु उपयोगकर्ता शुल्क को सक्षम बनाना:** प्रशुल्क के स्वायत्त नियमन, अनुबंध में उल्लिखित मूल्य विनियमन प्रावधानों के आधार पर अनुबंध का विनियमन और विभिन्न अवसंरचना के विनियमन के लिए बहु-क्षेत्रीय नियामकों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
अवसंरचना वित्तीयन	• **पूंजी बाजार:** प्रस्तावित ऋण संवर्धन गारंटी निगम (Credit Enhancement Guarantee Corporation) की शीघ्र स्थापना की जानी चाहिए और साथ ही, सरकार को पेंशन एवं बीमा प्रणालियों में सुधार करना चाहिए ताकि इन क्षेत्रकों में वर्ष 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 30 प्रतिशत तक बचत प्राप्त की जा सके। • **परियोजना वित्तपोषण में उचित चरण के लिए उचित संस्थान:** इसके माध्यम से वित्तीयन अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। निवेशकों का एक नया वर्ग विकसित करना अनिवार्य है, जो बीमा कंपनियों, पेंशन निधियों और भविष्य निधियों से **पेशेंट कैपिटल (बीमा पूँजी)** को सक्षम बना सके। • **बेहतर क्रेडिट मूल्यांकन कौशल युक्त 'विकास वित्त संस्थान (DFIs)':** DFIs में आवश्यक डोमेन विशेषज्ञता और परियोजना मूल्यांकन संबंधी कौशल होना चाहिए। सरकार द्वारा घरेलू या विदेशी पूंजी से अवसंरचना क्षेत्रक में DFIs की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एक **विभेदकारी लाइसेंसिंग प्रणाली (डिफ्रेन्शियल लाइसेंसिंग सिस्टम)** पर विचार किया जा सकता है। • **बाह्य सहायता:** मंत्रालयों और नियामकों को सॉवरेन वेल्थ फंड/ग्लोबल पेंशन फंड द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में किए जाने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रक्रियात्मक पहलुओं को सरल बनाना चाहिए तथा निवेश करने की

VISION IAS

	सुगमता में सुधार करना चाहिए।
निगरानी और मूल्यांकन	• **परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान:** इसके तहत निम्नलिखित उपाय शामिल होंगे: ○ प्रगति, आवश्यक हस्तक्षेप और उत्तरदायी पक्षकारों को बाधित करने वाले प्रमुख मुद्दों का समाधान करना। ○ संबंधित हितधारकों द्वारा शासन संरचना के अनुसार समय पर कार्रवाई करना और प्रदत्त मैट्रिक्स में वृद्धि करना। • **वे परियोजनाएं जो फ़ाइनेंशियल क्लोज़र (FC) कर चुकी हैं लेकिन अभी तक निधियों का आहरण नहीं कर पाईं हैं:** ○ परियोजना के दौरान उपलब्धि के विभिन्न चरणों (लागत और समय) के लिए **परियोजना निगरानी प्रणाली** की स्थापना करना। ○ उधारदाताओं और इक्विटी निवेशकों जैसे हितधारकों से मिलकर बनी **संचालन समिति** का गठन करना तथा उसे उत्तरदायित्व सौंपना। • **विकासाधीन परियोजनाएं** ○ विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) को शक्तियाँ प्रत्यायोजित करना और सक्षम प्रबंधकों की नियुक्ति करना। ○ उचित जोखिम **शमन** रणनीतियों की अभिकल्पना करना। • **अवधारणात्मक चरण में स्थित परियोजनाएँ** ○ **प्रमुख मंजूरियों का मानचित्रण:** भूमि अधिग्रहण के साथ पर्यावरण, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ), वन विभाग की स्वीकृति आदि। ○ **प्रौद्योगिकी विकल्प का विश्लेषण:** आपदा प्रत्यास्थता, समग्रता आदि।

इस रिपोर्ट से संबंधित चिंताएं

- **राजकोषीय विस्तार का अभाव:** वित्त वर्ष 2019 में, भारत का कुल अवसंरचना निवेश लगभग 10 लाख करोड़ रूपए था। उच्च ऋण-GDP अनुपात, राजकोषीय घाटे और बढ़ती दोहरे तुलन-पत्र की समस्या जैसी चुनौतियों के आलोक में, इन परियोजनाओं का वित्तपोषण करना अत्यधिक कठिन होगा।
- **बैंक ऋण:** बैंकों के अशोध्य ऋण में एक बड़ी हिस्सेदारी अवसंरचना संबंधी वित्तपोषण की है। इसलिए, बैंक इस प्रकार के व्यापक स्तर पर निवेश का वित्तपोषण करने के लिए आशंकित होंगे।
- **राज्यों से सहयोग:** भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र एवं राज्यों को मिलकर कार्य करना होगा। इन मुद्दों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रमुख परियोजनाओं के संबंध में समय एवं लागत में वृद्धि हुई है।
- **नई परियोजनाओं का अभाव:** पहचान की गई लगभग 42% परियोजनाओं को पहले से ही कार्यान्वित किया जा रहा है और 19% विकासाधीन हैं।

निष्कर्ष

इन बाधाओं के बावजूद सुनियोजित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन और अधिक अवसंरचना परियोजनाओं को संभव बनाएगी, रोजगार सृजन करेगी, ईज ऑफ लिविंग में सुधार करेगी, जिससे विकास को अधिक समावेशी बनाया जा सकेगा।

7.5.2. निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण मॉडल के लिए मॉडल रियायत समझौता (Model Concession Agreement For BOT Model)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक **अंतर-मंत्रालयी समूह (Inter-Ministerial Group: IMG)** ने मॉडल रियायत समझौते (Model Concession Agreement: MCA) में आमूल चूल परिवर्तनों को स्वीकृति प्रदान की है। **निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण (Build-Operate-Transfer: BOT)** मॉडल के आधार पर **निजी निवेशकों के वित्त से निर्मित राजमार्गों** के लिए MCA का उपयोग किया जाता है।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2011-12 में **भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India: NHAI) की लगभग 96 प्रतिशत परियोजनाओं** के लिए BOT टोल मॉडल को उचित माना गया था, जिसका उपयोग विगत 2 वित्त वर्षों में कम होकर लगभग शून्य तक पहुंच गया है। इसका कारण **BOT (टोल) परियोजनाओं** के लिए वर्तमान MCA से जुड़े विभिन्न मुद्दे या विवाद हैं।
- इसने NHAI को **इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (Engineering, Procurement and Construction: EPC) मॉडल तथा हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM)** को अपनाने हेतु प्रेरित किया है। **(बॉक्स देखें)**
- EPC और HAM पर अतिनिर्भरता NHAI की **आय को विपरीत रूप से प्रभावित कर रही है।** अत: निजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए **BOT** मॉडल में नए परिवर्तनों को प्रस्तावित किया गया है।

निवेश मॉडल के प्रकार

- **BOT मॉडल:** इस मॉडल के अंतर्गत, एक रोड डेवलपर सड़क का निर्माण करता है तथा उसे टोल वसूली के माध्यम से अपने निवेश को पुन: प्राप्त करने की अनुमति होती है। डेवलपर्स को सरकार की ओर से कोई भुगतान नहीं किया जाता है क्योंकि वह टोल के माध्यम से अपनी निवेश की गई राशि की वसूली करता है।
- **BOT एन्यूइटी मॉडल (BOT Annuity Model):**
  - इसके अंतर्गत, एक डेवलपर राजमार्ग का निर्माण करता है, निश्चित समय के लिए उसका संचालन करता है और सरकार को वापस हस्तांतरित कर देता है।
  - परियोजना का व्यावसायिक संचालन आरंभ होने के पश्चात् सरकार डेवलपर को भुगतान करना प्रारंभ करती है।
- **इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (Engineering, Procurement and Construction: EPC) मॉडल:**
  - इस मॉडल के अंतर्गत, **लागत का पूर्ण वहन सरकार द्वारा किया जाता है।** सरकार निजी उद्यमों से प्रोद्योगिकी के लिए निविदा या बोली आमंत्रित करती है।
  - कच्चे माल की अधिप्राप्ति और निर्माण लागत सरकार वहन करती है।
  - **निजी क्षेत्रक** की भागीदारी न्यूनतम होती है और यह **प्रौद्योगिकी दक्षता के प्रावधानों तक सीमित** होती है।
- **हाइब्रिड एन्यूइटी मॉडल (HAM)**
  - **HAM** वस्तुतः BOT वार्षिकी मॉडल और EPC मॉडल का मिश्रण है।
  - इसके तहत, वार्षिक भुगतानों (एन्यूइटी) के माध्यम से सरकार परियोजना के पहले पांच वर्षों में परियोजना लागत का 40 प्रतिशत भुगतान करती है।
  - परिसंपत्ति सृजन और डेवलपर के निष्पादन या प्रदर्शन के आधार पर शेष भुगतान किया जाता है।

संशोधित MCA की प्रमुख विशेषताएं और अपेक्षित लाभ

- **संशोधित राजस्व आकलन:** इसमें यह प्रावधान किया गया है कि, रियायत अवधि के दौरान किसी परियोजना की राजस्व क्षमता का पुन:आकलन प्रत्येक पांच वर्ष (वर्तमान में 10 वर्ष) के पश्चात् किया जाएगा। इसलिए, यदि आवश्यकता हुई तो अनुबंध के पहले ही छूट को बढ़ाया जा सकता है। इससे नकदी-प्रवाह में बढ़ोतरी हो सकती है।
- **भूमि अधिग्रहण:** राजमार्ग परियोजनों के निर्माण के लिए कार्य आदेश तभी जारी किया जाएगा जब 90 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूर्ण कर लिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण और इसकी स्वीकृति में विलम्ब परियोजना की पूर्णता में अत्यधिक देरी का कारण बनता है और यह लागत के अत्यधिक बढ़ जाने का भी प्रमुख कारण बनता है।
- **विवाद समाधान बोर्ड (Dispute Resolution Board: DRB):** इसमें एक **DRB** के गठन का भी प्रावधान किया गया है। यह बोर्ड एक **विवाद समाधान प्रणाली** के रूप में कार्य करेगा और 90 दिन के अंदर विवाद का समाधान प्रदान करेगा। अत: यह एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि **मध्यस्थता प्रक्रिया वर्षों तक लंबित रहती है,** जिससे डेवलपर्स का धन अवरुद्ध हो जाता है।

विद्यमान चिंताएं

- **कोई क्षतिपूर्ति या मुआवजा नहीं:** यदि कोई प्रतिस्पर्धी सड़क का निर्माण होता है और जो परियोजना से ट्रैफिक डायवर्जन या यातायात परिवर्तन का कारण बनती है, तो इसमें किसी तरह की क्षतिपूर्ति का प्रावधान नहीं किया गया है।

VISION IAS

- **अधिक लोड या भार के कारण ट्रैफिक में कमी:** हालिया संशोधन वाहनों को अधिक भार या लोड ले जाने की अनुमति प्रदान करते हैं जिसके कारण ट्रैफिक की मात्रा में कमी होगी, और इससे डेवलपर्स के राजस्व में कमी आएगी। संशोधित MCA में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है।
- **मध्यस्थता प्रणाली द्वारा त्वरित समाधान अब भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है,** क्योंकि DRB के निर्णय की प्रकृति अब भी परामर्शदात्री है तथा यदि पक्षकार 25 करोड़ रुपये से अधिक के दावे पर विवाद समाधान बोर्ड की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं होते तो मध्यस्थता का प्राधिकार न्यायालय में निहित रहेगा।

निष्कर्ष

NHAI को यातायात जोखिम और अन्य चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि BOT (टोल) के अंतर्गत निजी डेवलपर्स/निवेशक **एक ठोस, स्पष्ट और बैंक-ग्राह्य रियायत समझौता चाहते हैं** ताकि सभी तरह की **अस्पष्टताओं का निराकरण** किया जा सके और **निवेश की सुरक्षा** को सुनिश्चित किया जा सके।

VISION IAS

8. सेवा क्षेत्रक (Services Sector)

परिचय

सेवा क्षेत्रक भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्रक है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था तथा भारत के GVA (सकल मूल्य वर्धित) के कुल आकार का लगभग 55 प्रतिशत और भारत के कुल FDI अंतर्वाह का दो-तिहाई हिस्सा एवं कुल निर्यात का लगभग 38 प्रतिशत के उत्तरदायी है।

सेवा क्षेत्रक का अवलोकन

- **भारत के GVA में हिस्सेदारी:** भारत में सेवा क्षेत्रक कुल GVA के साथ-साथ कुल GVA वृद्धि में लगभग 55 प्रतिशत का योगदान देता है।
  - **मध्यम विकास:** सेवा क्षेत्रक की वृद्धि दर (वर्ष दर वर्ष) 2019-20 के दौरान मध्यम रही, जो वर्ष 2018-19 के 7.5 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 में 6.9 प्रतिशत तक पहुंच गई।
  - **क्षेत्रवार वृद्धि दर:** वित्तीय सेवाओं, रियल एस्टेट, व्यावसायिक सेवाओं, व्यापार, होटल, परिवहन तथा संचार व प्रसारण सेवाओं (broadcasting services) की वृद्धि दर में गिरावट आई, जबकि लोक प्रशासन, रक्षा तथा अन्य सेवाओं में तेजी देखी गई।
  - **बैंक ऋण में कमी:** सेवा क्षेत्रक को प्रदान किए जाने वाले बैंक ऋण की वृद्धि दर नवंबर 2018 के 28.1 प्रतिशत के स्तर से घटकर नवंबर 2019 तक 4.8 प्रतिशत ही रह गई।
- **सकल FDA अंतर्वाह में वृद्धि:** सकल FDI इक्विटी अंतर्वाह (Gross FDI equity inflows) वर्ष दर वर्ष बढ़कर अप्रैल-सितंबर 2019 के दौरान 33 प्रतिशत की वृद्धि दर के साथ 17.58 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो इस अवधि के दौरान भारत में कुल सकल FDI इक्विटी अंतर्वाह के लगभग दो-तिहाई के बारबार था।
- **सेवाओं में व्यापार: निर्यात**
  - **सेवाओं में निर्यात की वृद्धि दर कायम है:** सेवाओं के निर्यात की वृद्धि दर 6.4 प्रतिशत पर बनी रही है। {जो कि पिछले वर्ष (2018-18) की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत के लगभग बराबर है)
  - **सॉफ्टवेयर निर्यात में वर्चस्व:** भारत द्वारा सेवाओं का निर्यात मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर सेवाओं में केंद्रित है, जो कुल निर्यात के लगभग 40 प्रतिशत के बराबर है।
- **सेवाओं में व्यापार: आयात**
  - **सेवाओं के आयात की वृद्धि दर में बढ़ोतरी:** वर्ष 2019 में अप्रैल-सितंबर के दौरान सेवाओं के आयात की वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष (2018-19) में 7.3% थी।
  - **उच्च शिक्षा संबंधी आयात:** भारत को शिक्षा आयात के साथ शिक्षा सेवाओं में लगातार व्यापार घाटा झेलना पड़ रहा है, जो कि वर्ष 2018-19 में लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।

8.1. ई-कॉमर्स क्षेत्रक (E-Commerce Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India: CCI) ने **'भारत में ई-कॉमर्स पर बाजार अध्ययन: महत्वपूर्ण निष्कर्ष एवं अवलोकन'** (Market Study on E-commerce in India: Key Findings and Observations) नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

ई-कॉमर्स क्षेत्र और संबंधित शब्दावली

- **ई-कॉमर्स** का आशय, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पादों सहित वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री से है।
- **ई-कॉमर्स मॉडल के प्रकार:**
  - **इन्वेंट्री आधारित मॉडल:** इस ई-कॉमर्स गतिविधि में माल और सेवाओं की इन्वेंट्री (वस्तु-सूची) का स्वामित्व ई-कॉमर्स निकाय के पास ही होता है तथा वह इन्हें सीधा उपभोक्ताओं को बेचता है, उदाहरण- ग्रोफर्स।
  - **मार्केटप्लेस आधारित मॉडल:** इसमें ई-कॉमर्स निकाय द्वारा एक डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर सूचना प्रौद्योगिकी

VISION IAS

प्लेटफ़ॉर्म प्रदान किया जाता है तथा उक्त निकाय खरीदार और विक्रेता के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है, उदाहरण- अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि।

- **FDI प्रावधान:**
  - ई-कॉमर्स के मार्केटप्लेस मॉडल में स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है।
  - ई-कॉमर्स के इन्वेंट्री आधारित मॉडल में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।

भारत में ई-कॉमर्स पारितंत्र की प्रमुख विशेषताएँ

- **विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ता बाजार:** भारत के ई-कॉमर्स क्षेत्र से प्राप्त होने वाले राजस्व के वर्ष 2017 के 39 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2020 में 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचना अपेक्षित है, **जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 51 प्रतिशत है जो कि विश्व में सर्वाधिक है।**
- **वित्तीयन:** वर्ष 2009 के पश्चात् से, ई-कॉमर्स क्षेत्र को विश्व भर से लगभग 13,338 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ है।
- **MSMEs की भागीदारी:** संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO) के एक वर्किंग पेपर के अनुसार, भारत में विनिर्मित उत्पादों का लगभग आधा भाग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) से आता है तथा 43 प्रतिशत MSMEs भारत में ऑनलाइन बिक्री में भाग लेते हैं।
- **गतिशील मूल्य निर्धारण:** ऑनलाइन व्यापार से मूल्य पारदर्शिता में वृद्धि हुई है और इसके परिणामस्वरूप ग्राहकों के लिए मूल्यों की तुलना करना आसान हो गया है। इससे विक्रेताओं को भी प्रतिस्पर्धियों की कीमतों पर नज़र रखने तथा अपनी कीमतें निर्धारित करने में इसको इनपुट के रूप में उपयोग करने में सहायता प्राप्त होती है।
- **ई-कॉमर्स के प्रति रणनीतिक अनुक्रिया:** कुछ लघु खुदरा विक्रेता ऑनलाइन उपभोक्ताओं तक पहुँचने के लिए, मुख्य रूप से, तृतीय पक्ष के मार्केटप्लेस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। कुछ विक्रेताओं ने प्रत्यक्ष बिक्री के पूरक के रूप में, स्वयं अपनी वेबसाइटें लॉन्च कर ली हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे विक्रेता भी हैं जो बिना किसी दुकान के विशिष्ट रूप से केवल ऑनलाइन माध्यम से ही बिक्री करते हैं।
- **वृद्धि के कारक:** ई-कॉमर्स क्षेत्र की वृद्धि के लिए निम्नलिखित कारक सहायक हैं: स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग और इंटरनेट तक पहुँच में वृद्धि, मार्केटप्लेस द्वारा डिलीवरी के समय नकद में मूल्य चुकाने की सुविधा, मार्केटप्लेस द्वारा दी जानी वाली छुट और मूल्य प्रणाली, त्वरित डिलीवरी (जिसमें एक दिन में डिलीवरी शामिल है), उत्पादों की व्यापक रेंज की उपलब्धता (जिससे टियर II और टियर III शहरों में भी इसकी मांग बढ़ी है, क्योंकि वहां पर पहले विकल्प सीमित थे) आदि।

ई-कॉमर्स क्षेत्रक के समक्ष चुनौतियाँ

- **निम्न ग्राहक आधार:** भारत में कुल इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार, वर्ष 2019 के 665 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2021 तक 829 मिलियन हो जाएगा, फिर भी ई-कॉमर्स की पहुँच अत्यंत कम अर्थात् केवल 50 मिलियन खरीदारों तक ही है।
- **खुदरा बिक्री में अल्प भागीदारी:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल खुदरा बिक्री में ऑनलाइन बिक्री की भागीदारी मात्र 1.6 प्रतिशत थी, जबकि चीन के लिए यह आँकड़ा 15 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर लगभग 14 प्रतिशत है।
- **नवीन उपभोक्ता आधार की माँगों को पूर्ण करना:** भारत में टियर-2 और टियर-3 शहरों से भावी उपभोक्ता के उभरने की संभावना है। विविध भाषाएँ, डिजिटल सिस्टम की जानकारी न होना और सूक्ष्म बाजारों में उत्पादों की एक ग्रहणशील प्राथमिकताएँ इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं।
- **ई-कॉमर्स नीति का मसौदा:** यह नीति वालमार्ट-फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ऑनलाइन बड़े खुदरा विक्रेताओं पर ऐसे डेटा के संग्रह एवं भंडारण के लिए स्थानीय डेटा केंद्र स्थापित करने का अतिरिक्त दायित्व डालती है।
- **ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से संबंधित समस्याएँ:**
  - **प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता:** मार्केटप्लेस अपने पसंदीदा विक्रेता या निजी लेबलों के पक्ष में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग करते हैं, जैसे- प्रतिस्पर्धी उत्पादों का मूल्य, उपभोक्ता वरीयताएँ आदि।
  - **प्लेटफ़ॉर्म-टु-बिजनेस अनुबंध की शर्तें:** सभी व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं के लिए प्लेटफ़ॉर्म का कोई मानक अनुबंध उपलब्ध नहीं है। विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनुबंधों को अनुकूलित किया जाता है, जो समान रूप से लागू नहीं होते।

VISION IAS

- ○ **अत्यधिक छूट की प्रथा** के साथ-साथ अलग-अलग छूट संरचना के कारण पक्षपातपूर्ण स्थिति और/या भेदभाव, रैंकिंग में गिरावट, लाभप्रदता में गिरावट और ब्रांड इक्विटी में नुकसान आदि जैसी समस्याएँ होती हैं।
- ○ **विशेष व्यवस्था** जैसे कि किसी विशेष प्लेटफ़ॉर्म पर किसी उत्पाद को लॉन्च करने या उत्पाद श्रेणी में केवल एक ब्रांड को सूचीबद्ध करने से आमतौर पर कीमतें बढ़ती हैं तथा उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की कमी हो जाती है।
- ○ **प्लेटफ़ॉर्म मूल्य समता अनुच्छेद,** विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को अन्य प्लेटफ़ॉर्म पर कम कीमतों पर अपने माल या सेवाओं की पेशकश करने से रोकता है।
- ○ इनमें से कुछ प्लेटफॉर्मों की उपयोगकर्ता समीक्षा (user review) तथा रेटिंग नीति में **पारदर्शिता और साख की कमी से जुड़ी समस्याएँ भी मौजूद हैं।**

आगे की राह

- **सरकार की भूमिका:** नागरिकों की औपचारिक बैंकिंग एवं आसान ऋण सुविधाओं तक पहुँच को विस्तृत करना, विशेष रूप से औद्योगिक गलियारों, लॉजिस्टिक पार्क और विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए सरकार द्वारा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
- **सुदृढ़ डेटा संरक्षण ढांचे का प्रोन्नयन:** सीमा-पारीय ई-कॉमर्स लेनदेन पर अप्रत्यक्ष कराधान और प्रतिबंधों में रियायतों के संदर्भ में स्थानीय ऑफ़लाइन और ऑनलाइन प्रतिभागियों के मध्य समानता लाना।
- **आधुनिक लॉजिस्टिक्स साझेदार** और **प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई नवीन खोज,** जैसे- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग (ML) आदि वर्तमान समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं, जिससे ई-कॉमर्स कंपनियाँ स्रोत पर लौटाने (Return to Origin: RTO) और COD दरों में कमी ला सकती हैं।
  - ○ RTO तब होता है, जब ऑर्डर डिलीवर नहीं किए जा सकते और उन्हें वापस गोदाम में भेजना पड़ता है।
- **स्व-नियमन:** प्लेटफ़ॉर्म निम्नलिखित पहलुओं के नियंत्रण के लिए ऐसे तरीके विकसित कर सकते हैं, जिससे अनुबंध के सभी पक्षों के हितों का संरक्षण हो सके -i) अनुबंध की आधारभूत शर्तों हेतु तोलमोल की रूपरेखा ii) छूट नीति iii) आर्थिक दंड और iv) विवाद समाधान।
- **प्रकरण-दर-प्रकरण विश्लेषण: प्लेटफ़ॉर्म मूल्य समानता अनुच्छेद** से संबंधित समस्याओं, विशेष व्यवस्था और अत्यधिक छूट की प्रथाओं का समाधान करने तथा हितधारकों के **हितों में टकराव को संतुलित करने के लिए** CCI द्वारा विशिष्ट मामले का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

8.1.1. ई-कॉमर्स नियम, 2019 का प्रारूप (Draft E-Commerce Rules 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार के "उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय" के **उपभोक्ता मामले विभाग** ने **"उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स दिशा-निर्देश 2019"** का प्रारूप प्रस्तुत किया है।

उपभोक्ता संरक्षण के लिए ई-कॉमर्स दिशा-निर्देशों हेतु मॉडल फ्रेमवर्क

डिजिटल सामग्री प्रदान करने वाली कंपनियों सहित बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

<table>
<tr><td>ई-कॉमर्स फर्मों का उत्तरदायित्व</td><td>
• ई-कॉमर्स इकाईयां, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों को प्रभावित नहीं करेंगी और सभी के लिए समान अवसरों को बनाए रखेंगी।
• इन्हें ऐसे किसी भी व्यापार प्रथा को अपनाने से प्रतिबंधित किया गया है जो कि भ्रामक हैं और उपभोक्ताओं के लेन-देन संबंधी निर्णयों को प्रभावित करती हैं। ये निम्नलिखित हैं:
○ वस्तुओं और सेवाओं के विषय में पोस्ट रिव्यु (खरीद के उपरांत समीक्षा) करने के लिए स्वयं को छद्म उपभोक्ताओं के तौर पर प्रस्तुत करना।
○ विज्ञापनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता को गलत तरीके से या अतिरंजित रूप से प्रस्तुत करना।
○ नकली उत्पादों के विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करना-
▪ उल्लेखनीय है कि अमेज़न (एक ई-कॉमर्स कंपनी) ने नकली उत्पादों को समाप्त करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए भारत में प्रोजेक्ट जीरो नामक पहल की शुरुआत की है।
• उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु उत्पाद की वापसी, धनवापसी, विनिमय,
</td></tr>
</table>

VISION IAS

	वारंटी/गारंटी, वितरण/शिपमेंट, भुगतान का तरीका, शिकायत निवारण तंत्र आदि के संबंध में स्पष्ट शर्तें प्रदान करना। • बिक्री के लिए विज्ञापित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल संबंधी जानकारी का उल्लेख करना। • उपलब्ध भुगतान विधियों के बारे में सूचना प्रदान करना और उन भुगतान विधियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। • ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करना और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि इस प्रकार का डेटा संग्रहण, भंडारण और उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुरूप हो। • विलंब या खराबी के मामलों में उत्पादों की वापसी को स्वीकार करना और निश्चित समय-सीमा के भीतर धन वापस करना।
विक्रेताओं का उत्तरदायित्व	• विक्रेताओं से विक्रय की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की वारंटी और गारंटी के लिए उत्तरदायी होने की अपेक्षा की गई है तथा साथ ही वस्तुओं के विनिमय, वापसी और धन वापसी के संबंध में अग्रिम जानकारी प्रदान करने की भी अपेक्षा की गई है। • सभी अनिवार्य प्रभारों को शामिल करते हुए वस्तुओं या सेवाओं के लिए सिंगल फिगर टोटल और ब्रेक-अप प्राइस को प्रदर्शित करना।
उपभोक्ता शिकायत निवारण	• **शिकायत निवारण अधिकारी** की नियुक्ति करना, जिसके द्वारा समयबद्ध तरीके से शिकायतों का निपटान किया जाएगा। • उपभोक्ताओं को अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने और उनकी स्थिति को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करना।

प्रारूप नियमों से संबंधित समस्याएँ

- **ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस पर प्रभाव:** नए नियमों से ई-कॉमर्स संस्थाओं पर अनुपालन संबंधी भार में वृद्धि होगी और इस प्रकार यह भारत में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस को ऋणात्मक रूप से प्रभावित करेगा।
    - प्रारूप नियमों से यह धारणा बन गई है कि सरकार विदेशी इक्विटी वाली ई-कॉमर्स संस्थाओं पर मूल्य निर्धारण कर प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रही है।
    - विदेशी कंपनियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार, निवेश और भारत में रोजगार परिदृश्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **मुक्त बाजार के सिद्धांतों के विरुद्ध:** कीमतों की जांच में सरकारी हस्तक्षेप (भले ही वे प्रिडेटरी प्राइसिंग न हों) मुक्त बाजार के सिद्धांतों के विरुद्ध है।
    - वितरण की समय-सीमा और धन वापसी को व्यक्तिगत विक्रेता पर छोड़ देना चाहिए।
    - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट पर सरकारी नियंत्रण के स्तर के संबंध में कोई स्पष्टता नहीं है।
- **अस्पष्ट परिभाषाएं:** प्रारूप नियमों के कुछ खंड अस्पष्ट हैं, परिभाषाएं संक्षिप्त हैं और इनकी व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है। उदाहरण के लिए, ई-कॉमर्स इकाई को प्रारूप नियमों में परिभाषित किया गया है, जबकि एक व्यवसाय के रूप में ई-कॉमर्स को परिभाषित नहीं किया गया है।
- **वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ही श्रेणी में रखना:** प्रारूप नियमों में वस्तुओं एवं सेवाओं को एक ही श्रेणी में रखा गया है, जबकि सेवाओं को मापना और विनियमित करना कठिन होता है।
    - सरकार वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन टिकट बुकिंग आदि जैसी सेवाओं को सम्मिलित करने के लिए इन दिशा-निर्देशों की सीमा को विस्तारित करने की योजना बना रही है।
    - इसके अतिरिक्त, यह भी ज्ञात नहीं है कि ये नियम सोशल मीडिया कॉमर्स जैसे कि फेसबुक पेज/व्हाट्सएप ग्रुप पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर कैसे लागू होंगे।

प्रिडेटरी प्राइसिंग (प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए कीमतों को कम रखना)

- प्रिडेटरी प्राइसिंग वस्तुतः बाजार के अग्रणियों (मार्केट लीडर्स) द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों को उनकी लागत से कम करके प्रदर्शित करने की गतिविधि को संदर्भित करती है।
- हालांकि, ऐसी गतिविधियों से प्रिडेटर (predator) को अल्पकालिक हानियां होती हैं, लेकिन यह अन्य प्रतिभागियों को आघात पहुंचाता है और उन्हें बाजार से बाहर कर देता है।

VISION IAS

- तत्पश्चात, प्रतिस्पर्धियों की संख्या कम हो जाने पर प्रिडेटर के द्वारा अपनी हानियों की पूर्ति करने के लिए कीमतों में वृद्धि की जा सकती है। जब प्रिडेटर अपनी हानियों की पूर्ति करने का प्रयास करता है तो उस समय नए प्रतिभागियों को बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए बाजार में प्रवेश करने संबंधी बाधाएं पर्याप्त रूप से उच्च होनी चाहिए। इस तरह के व्यवहार को प्रतिस्पर्धा विरोधी माना जाता है।

आगे की राह

- **ई-कॉमर्स के सभी पहलुओं को संबोधित करने के लिए एक एकल कानून बनाया जाना चाहिए** ताकि विभिन्न कानूनों, जैसे- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 आदि में विद्यमान विधिक विखंडन (legal fragmentation) को कम किया जा सके।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कार्यान्वयन से संबद्ध मुद्दों, उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मुद्दों, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री/रिपॉजिटरी, ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा उद्देश्य और प्रयोजन के पूर्ण प्रकटीकरण आदि मुद्दों से निपटने हेतु एक स्वतंत्र विनियामक का गठन किया जाना चाहिए।
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के पुनरीक्षण हेतु बेहतर व्यवसाय प्रथाओं का अनुपालन करने वाली एक **प्रत्यायन प्रणाली** को स्थापित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है।

8.2. दूरसंचार क्षेत्रक (Telecom Sector)

परिचय

दूरसंचार क्षेत्रक का उद्देश्य **शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण व सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किफायती व गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार सेवाएं** प्रदान करने पर विशेष ध्यान देते हुए त्वरित, न्यायसंगत व समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है ताकि भारत अपने सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में क्रांतिकारी सुधार लाने में प्रभावी भूमिका निभा सके।

भारत में दूरसंचार कनेक्टिविटी तथा अवसंरचना की वर्तमान स्थिति

- **दूरसंचार कनेक्टिविटी:** भारत में टेलीफोन कनेक्शन की कुल संख्या वर्ष 2014-2015 के 9,961 लाख से 18.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2018-19 में 11,834 लाख हो गई।
  - **कनेक्शन संरचना:** वायरलेस सक्रिय टेलीफोनों की संख्या कुल ग्राहकों का 98.27 प्रतिशत है, जबकि लैंडलाइन टेलीफोन की हिस्सेदारी अब केवल 1.73 प्रतिशत ही है।
  - **टेली-घनत्व:** भारत में कुल टेली-घनत्व 90.45 प्रतिशत है, इनमें ग्रामीण टेली-घनत्व 57.35 प्रतिशत तथा शहरी टेली-घनत्व 160.71 प्रतिशत है।
  - **इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में वृद्धि:** वर्ष 2014 के 2,516 लाख इंटरनेट ग्राहक थे जिनकी संख्या अत्यधिक वृद्धि के साथ अब 6,653 लाख हो गई है। इनमे से मोबाइल इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 6,436 लाख थी।
  - **इंटरनेट डेटा खपत में अग्रणी:** भारत की मासिक इंटरनेट डेटा खपत सर्वाधिक है। वर्ष 2014 से 2019 तक प्रति माह प्रति उपभोक्ता औसत खपत में 157 गुना की वृद्धि हुई है।
  - **प्रशुल्क प्रतिस्पर्धा:** वर्ष 2016 से दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (TSP) ने पर्याप्त प्रतिस्पर्धा के साथ सेवा के मूल्यों में कटौती की जिससे इस क्षेत्रक में वित्तीय दबाव उत्पन्न हुआ है।
- **दूरसंचार अवसंरचना:**
  - **भारत नेट:** इसका उद्देश्य देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
  - **सार्वजनिक नि:शुल्क वाई-फाई तक पहुंच:** सार्वजनिक नि:शुल्क वाई-फाई हॉटस्पॉट, दूरस्थ क्षेत्रों तक उपयोगकर्ताओं को ब्रॉडबैंड इंटरनेट की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं।
  - **टावर्स और बी.टी.एस. (base transceiver station):** मोबाइल बेस ट्रांसीवर स्टेशन (यह एक उपकरण है जो उपयोगकर्ता के मोबाइल या अन्य उपकरणों और नेटवर्क प्रदाताओं के मध्य वायरलेस संचार की सुविधा उपलब्ध कराता है) की संख्या वर्ष 2014 के 7.9 लाख से बढ़कर वर्ष 2019 में 21.8 लाख हो गई, जबकि ऑप्टिकल फाइबर केबल की लम्बाई 7 लाख किलोमीटर से बढ़कर 14 लाख किलोमीटर हो गई है।
  - **वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए परियोजना:** इसका उद्देश्य वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित 2,335 स्थानों में मोबाइल सेवाएं प्रदान करना है।

VISION IAS

8.2.1. दूरसंचार क्षेत्र में संकट की स्थिति (Distress in Telecom Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

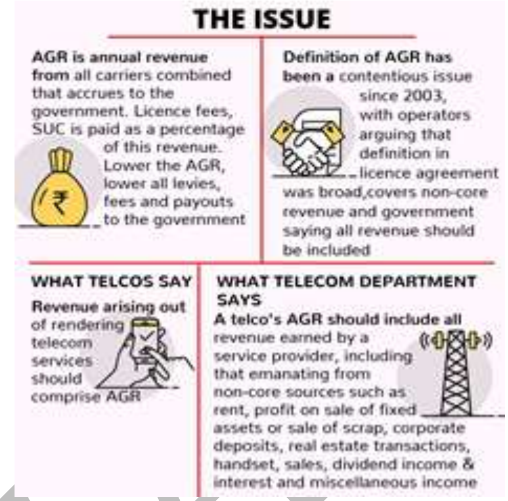

- समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue: AGR) के अर्थ के संबंध में दूरसंचार विभाग व दूरसंचार कंपनियों के मध्य उत्पन्न विवाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया है, जिसके अनुसार टेलिकॉम ऑपरेटरों को 1.3 लाख रुपये से अधिक का अतिरिक्त बकाया चुकाना होगा।
- सरकार ने रिवाइवल पैकेज के भाग के रूप में घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के दो दूरसंचार उपक्रमों, यथा- भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) एवं महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (MTNL) के विलय का भी निर्णय किया है।
- दबाव-ग्रस्त दूरसंचार क्षेत्र की सहायता के लिए **राजीव गौबा** की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।

BSNL और MTNL का विलय

उनके घाटे के पीछे कारण:

- **उच्च कार्मिक लागत:** इस उद्योग के औसत 5-6 प्रतिशत की तुलना में MTNL में यह लागत राजस्व का 90 प्रतिशत है।
- MTNL केवल दिल्ली और मुंबई में दूरभाष सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसे महंगे रोमिंग समझौते तथा दिल्ली और मुंबई में अपने उपयोगकर्ताओं को पैन-इंडिया नेटवर्क प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु इन्टरकनेक्शन बिन्दु स्थापित करने जैसी अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती थीं।
- राजनेताओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए सस्ते मोबाइल/ इंटरनेट कनेक्शन ने भी इसके संसाधनों को समाप्त कर दिया।
- डेटा-केंद्रित दूरसंचार बाजार में 4G सेवाओं (BSNL के लिए कुछ सर्किल्स को छोड़कर) की प्रगति ने उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को उत्तरोत्तर नष्ट कर दिया है। उनकी संयुक्त ग्राहक हिस्सेदारी केवल 10.3% के आसपास है।

विद्यमान चिंताएं

- प्रदर्शन से लेकर प्रबंधन के स्तर तक निम्न जवाबदेही।
- विलय से प्रौद्योगिकी, लागत अनुकूलन, बाजार हिस्सेदारी और उत्पाद विकास के मामले में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि नहीं होगी।
- निजी प्रतिस्पर्धियों के साथ निरंतर गैर-धारणीय प्रतिस्पर्धी टैरिफ।

भारतीय दूरसंचार क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियां

- **टैरिफ वॉर:** इंटरनेट डेटा की कीमत औसतन 8 रुपये प्रति गीगाबाइट (GB) है, जो विश्व में सबसे कम कीमत वाले देशों में से एक है तथा कॉलिंग सर्विस को भी लगभग नि:शुल्क कर दिया गया है। इसलिए, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (Average Revenue Per User: ARPU), वित्त वर्ष 2015 के 174 रुपये से कम होकर वित्त वर्ष 2019 में 113 रुपये हो गया है।
- **पूंजीगत व्यय का निम्न स्तर:** इस क्षेत्र में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा के कारण, लगभग 7 लाख करोड़ रूपये के निवेश की कमी है, जिसकी 4G प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तावित उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकता है।
- **अत्यधिक ऋण:** दूरसंचार क्षेत्र पर विभिन्न निवेश संबंधी एवं अन्य गतिविधियों के कारण लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का ऋण भार बना हुआ है।
- **सीमित स्पेक्ट्रम उपलब्धता:** सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की अत्यधिक कीमत पर नीलामी की जाती है। इसलिए उपलब्ध स्पेक्ट्रम यूरोपीय देशों की तुलना में 40% एवं चीन की तुलना में 50% कम है।
- **आयात निर्भरता:** भारत द्वारा आवश्यक अवसंरचनात्मक उपकरणों के लिए लगभग 40 बिलियन डॉलर के दूरसंचार उपकरणों का आयात किया जाता है, जिसमें 5G प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए आवश्यक उपकरण भी सम्मिलित हैं।
- **ओवर द टॉप सर्विसेज:** ओवर द टॉप (OTT) एप्लिकेशन (जैसे- व्हाट्सएप), दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के राजस्व सृजन को बाधित करती हैं।
- **उच्च नियामकीय देय राशि:** स्पेक्ट्रम देनदारियां, अर्थदंड, ब्याज आदि इस भार में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं।
- **उच्च कर:** भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में कर एवं लेवी (29% से 32% तक) की दरें, वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक हैं।

VISION IAS

दूरसंचार क्षेत्र हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर:** भारतनेट- ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से भारत की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ना।
- **टेलीकॉम स्पेक्ट्रम:** नीलामी प्रक्रिया को अपनाकर स्पेक्ट्रम आवंटन को पारदर्शी बनाया गया है।
- **उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना:** सरकार राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान कर 5G नेटवर्क से संबंधित अनुसंधान एवं अध्ययन को बढ़ावा दे रही है।
    - **IPv6 को अपनाना:** यह अगली पीढ़ी का इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसे IPv4 के अधिकतम उपयोग हो जाने के कारण उत्पन्न समस्या के कारण प्रोत्साहित किया जा रहा है। **"नेशनल IPv6 डिप्लॉइमन्ट रोडमैप वर्जन-II"** को वर्ष 2013 में जारी किया गया था, जिसमें IPv6 को अपनाने संबंधी दिशा-निर्देशों/समय-सीमा को निर्धारित किया गया था।
- **नागरिक एवं ग्राहक केंद्रित उपाय:** पूर्ण मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) - अखिल भारतीय स्तर पर MNP को हाल ही में अनुमति प्रदान की गई है।
- 'दूरसंचार आयोग' को **'डिजिटल संचार आयोग'** के रूप में नामित किया गया है।

आगे की राह

- **कीमतों को कम करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना:** सरकार को उद्योग को 'प्राइस वार' से बचाने के लिए 'फ्लोर टैरिफ' निर्धारित करना चाहिए।
- **स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य को कम करना:** सरकार को स्पेक्ट्रम नीलामी से राजस्व प्राप्त करने के प्रयास से बचना चाहिए, क्योंकि यह प्रवृत्ति इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित करती है।
- **प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता:** भारत को उपकरणों के बजाय प्रौद्योगिकी के आयात पर निवेश करना चाहिए, जिससे 'मेक इन इंडिया' को भी बढ़ावा मिलेगा तथा दीर्घकालिक रूप से इस क्षेत्र पर इसके गुणक प्रभाव होंगे।
- **दूरसंचार कंपनियों के मध्य अवसंरचना की साझेदारी:** BSNL द्वारा निजी क्षेत्र के उपयोग के लिए अपनी अवसंरचना को साझा किया जा सकता है, जो BSNL के लिए राजस्व का सृजन करने में सहायक होगा तथा साथ ही, निजी क्षेत्र पर निवेश भार को कम करेगा।
- **सेवाओं का मूल्यवर्धन:** इंटरनेट सेवाओं को मनोरंजन, ई-शिक्षा, टेलीमेडिसिन आदि सेवाओं के साथ संबद्ध किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र के लिए अधिक राजस्व सृजन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है।
- **अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक राहत उपाय:** उपार्जित ब्याज पर छूट या पुनर्भुगतान की लंबी अवधि के रूप में अल्पकालिक व दीर्घकालिक राहत उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

9. परिवहन क्षेत्रक (Transport Sector)

परिचय

परिवहन क्षेत्रक किसी भी अर्थव्यवस्था की सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संदर्भ में, भारत का परिवहन नेटवर्क विश्व में सबसे अधिक व्यापक है।

भारत के परिवहन परिदृश्य की क्षेत्रकवार स्थिति

- **सड़क क्षेत्रक:** वर्ष 2017-18 में GVA में परिवहन क्षेत्रक की हिस्सेदारी 4.77 प्रतिशत थी, जिसमें सड़क परिवहन की हिस्सेदारी सर्वाधिक 3.06 प्रतिशत थी, इसके बाद क्रमशः रेलवे (0.75 प्रतिशत), वायु परिवहन (0.15 प्रतिशत) तथा जल परिवहन (0.06 प्रतिशत) की हिस्सेदारी थी।
    - **यातायात:** राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन देशव्यापी मालवाहक तथा यात्री यातायात का क्रमशः 69 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत हिस्सा संभालता है।
    - **सड़क नेटवर्क:** भारत में लगभग 59.64 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1.32 लाख किलोमीटर थी।
    - **सड़क निर्माण की गति:** वर्ष 2015-16 में सड़क निर्माण की दर 17 किलोमीटर प्रति दिन से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 29.7 किलोमीटर प्रति दिन हो गई है।
    - **निवेश:** सड़क तथा राजमार्ग क्षेत्रक में कुल निवेश वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान तीन गुना से अधिक हो गया है।
- **रेलवे:** भारतीय रेलवे एकल प्रबंधन के अंतर्गत 68,000 से अधिक किलोमीटर मार्ग के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है।
    - **यातायात:** भारतीय रेलवे 120 करोड़ टन माल ढुलाई तथा 840 करोड़ यात्रियों के साथ विश्व का सबसे बड़ा यात्री वाहक तथा चौथा सबसे बड़ा मालवाहक बन गया है। (माल की ढुलाई तथा यात्री यातायात से राजस्व आय में क्रमशः 5.34 प्रतिशत तथा 1.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।)
    - **दुर्घटनाओं में कमी:** वर्ष 2018-19 में, किसी भी कारण वश हुई रेल दुर्घटनाएं पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 73 से घटकर 59 रह गई है।
    - **स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत:** जैव शौचालयों की संख्या वर्ष 2015 के 20,000 से बढ़कर वर्ष 2019 में 2.25 लाख हो गई। साथ ही, मशीन द्वारा सफाई करने संबंधी अनुबंध और प्लास्टिक की बोतलों का निदान करने वाली मशीनों में पर्याप्त वृद्धि हुई है।
    - **रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण:** आदर्श स्टेशन योजना के तहत विकास के लिए 1,253 स्टेशनों को चिह्नित किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिए एक समर्पित स्पेशल पर्पज व्हीकल भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (IRSDC) को गठित किया गया है।
- **नागरिक उड्डयन:** भारत, विश्व में नागरिक उड्डयन का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है।
    - **विमान की सीट क्षमता में वृद्धि:** भारत में विमानन कंपनियों ने अपने विमानों की सीट क्षमता में वृद्धि की है, जो कि प्रति व्यक्ति वार्षिक सीट उपलब्धता के मामले में वर्ष 2013 के 0.07 से बढ़कर वर्ष 2018 में 0.12 हो गई है।
    - **यातायात:** भारत में विभिन्न विमानपत्तनों द्वारा वर्ष 2014-15 से वर्ष 2018-19 तक कुल यात्री यातायात (घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय) तथा एयर कार्गो का क्रमशः 3,447 लाख और 3,562,000 टन वहन किया गया।
    - **उड़ान योजना:** उड़ान योजना के शुभारंभ के बाद से बंद पड़े (सेवारहित) विमानपत्तनों में से अब तक कुल 43 विमानपत्तनों का परिचालन आरंभ हो चुका है।
    - **क्षमता विस्तार:** विद्यमान विमानपत्तनों की क्षमताओं पर दबाव को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 तक 100 अतिरिक्त विमानपत्तनों का परिचालन आरंभ किया जाएगा।
    - **सुधार:** इस क्षेत्रक में सुदृढ़ता के लिए सरकार ने निम्नलिखित सुधारों की परिकल्पना की है, जैसे-
        - केपटाउन कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल ऑन एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट के प्रावधानों की अनुरूपता में भारत में विमानपत्तनों के पट्टे तथा वित्त पोषण से संबंधित विदेशी निवेश को सरल बनाना।
        - घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और माल अंतरण को प्रोत्साहित करना।
        - हवाई यातायात अधिकारों का उत्कृष्ट उपयोग तथा कर व्यवस्था को पुनर्गठित करना।
- **जहाजरानी:** भारत में परिमाण (वॉल्यूम) के रूप में 95 प्रतिशत व्यापार तथा मूल्य (वैल्यू) के रूप में 68 प्रतिशत व्यापार समुद्र मार्ग से होता है।

VISION IAS

- **भारतीय जहाजरानी की निम्न लदान क्षमता:** कुल वैश्विक लदान क्षमता में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.9 प्रतिशत है। (1,419 वायुयान के बेड़ा की क्षमता के बावजूद।)
- **पुराने होते जहाजी बेड़े:** भारतीय वायुयानों के बेड़ों की औसत आयु वर्ष 1999 के 15 वर्ष की तुलना में बढ़कर वर्ष 2019 में 19.71 वर्ष हो गई है।

9.1. मल्टी-मॉडल टर्मिनल (Multi Modal Terminal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **साहिबगंज (झारखंड)** में गंगा नदी पर दूसरे मल्टी-मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इसका निर्माण **जल मार्ग विकास परियोजना** के अंतर्गत किया गया है।
- यह देश का **दूसरा नदीय मल्टी-मॉडल टर्मिनल** है, पहला **वाराणसी** में बनाया गया था जिसका उद्घाटन नवंबर 2018 में किया गया था। अंतिम टर्मिनल का निर्माण **हल्दिया** में किया जा रहा है।
- इस योजना का अन्तर्निहित **उद्देश्य** मुख्य रूप से कार्गो संचालन के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को प्रोत्साहित करना है।
- **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, इस उद्देश्य हेतु परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी** है।

साहिबगंज स्थित दूसरे MMT का महत्व

- साहिबगंज स्थित मल्टी-मॉडल टर्मिनल के परिणामस्वरूप झारखंड और बिहार के उद्योगों को वैश्विक बाजार तक पहुँच प्राप्त हो सकेगी तथा जलमार्ग के माध्यम से **भारत-नेपाल कार्गो कनेक्टिविटी** की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
- यह राजमहल क्षेत्र में स्थित स्थानीय खानों से राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के निकट अवस्थित विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले के परिवहन में महत्वपूर्ण सहायता करेगा।
- कोयला, स्टोन चिप्स (गिट्टियां), उर्वरक, सीमेंट और चीनी के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं का टर्मिनल के माध्यम से परिवहन किए जाने की संभावना है।
- इससे लगभग इस क्षेत्र में 600 लोगों को **प्रत्यक्ष रूप** और लगभग 3,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से **रोजगार** के अवसर प्राप्त होने की भी संभावना है।
- साहिबगंज में **सड़क-रेल-नदी परिवहन का अभिसरण होने से इसके पृष्ठ प्रदेश** (हिन्टरलैंड) को कोलकाता, हल्दिया और आगे बंगाल की खाड़ी से जोड़ने में मदद मिलेगी।

बहुविध (मल्टी-मॉडल) परिवहन के बारे में

- बहुविध परिवहन का आशय एक एकल परिवहन ऑपरेटर द्वारा परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करके बिंदु A से बिंदु B तक माल की आवाजाही से है। यह भारत जैसे बड़े और विविधतापूर्ण देश में एक प्रभावी साधन है, जहाँ अंत बिन्दु तक डिलीवरी का कार्य एक उल्लेखनीय कार्य है।
- बहुविध परिवहन ऑपरेटर्स के लिए एक मानकीकृत व्यवस्था स्थापित करने के लिए वर्ष 1993 में भारतीय संसद द्वारा बहुविध परिवहन अधिनियम पारित किया गया था।

मल्टी-मॉडल परिवहन के लाभ

- **ट्रांस-शिपमेंट स्थलों पर समय की हानि को कम करता है:** मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स अपने व्यवस्थित संचार लिंक के माध्यम से ट्रांस-शिपमेंट (पोतान्तरण) बिंदुओं पर माल के अन्तर्विनिमय तथा उसके आगे के परिवहन का सुचारू रूप से समन्वय करते हैं।
  - परिवहन श्रृंखला के प्रत्येक खंड के लिए दस्तावेज जारी करने तथा अन्य औपचारिकताओं से संबंधित प्रक्रियाओं में लगने वाले समय में कमी हो जाती है।
- **वस्तुओं के अपेक्षाकृत तीव्र पारगमन में सहायक:** मल्टीमॉडल परिवहन के कारण वस्तुओं का तीव्र पारगमन (परिवहन) संभव हुआ है। यह बाजार से भौतिक दूरी को अल्प करने में सहायक है।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि:** मल्टी-मॉडल परिवहन प्रणाली का अंतर्निहित लाभ यह है कि, इससे निर्यात की लागत में कमी आएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्षेत्र में मूल्य निर्धारण के साथ-साथ अपनी प्रतिस्पर्धी स्थिति में सुधार करने में सहायता मिलेगी।
- **संचालन समन्वय के लिए एक एकल एजेंसी की स्थापना करता है:** वस्तुओं या गंतव्य स्थल पर वस्तुओं की डिलीवरी में देरी से संबंधित सभी मामलों में प्रेषक/प्रेषित को केवल मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। इसका ईज ऑफ डूइंग बिजनस के संदर्भ में गंभीर निहितार्थ हैं।

VISION IAS

9.2. रेलवे (Railways)

9.2.1. रेलवे में निजी भागीदारी (Private Participation in Railways)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रेल मंत्रालय ने 151 आधुनिक ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 109 मार्गों (routes) पर आरंभिक बिंदु से लेकर गंतव्य स्थल (Origin Destination: OD) तक **यात्री ट्रेन सेवाओं** के परिचालन हेतु **निजी क्षेत्र को आमंत्रित** किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय रेलवे (IR) वैश्विक स्तर पर **सबसे बड़ी यात्री तथा चौथी सबसे बड़ी माल ढुलाई वाली रेलवे परिवहन प्रणाली** है।
- **वर्ष 2015 में बिबेक देबराय समिति** ने यह अनुशंसा की थी कि मालगाड़ी और यात्री दोनों प्रकार की ट्रेनों के परिचालन हेतु निजी कंपनियों को अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। निजी कंपनियों के प्रवेश को अनुमति प्रदान करने संबंधी विचार निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रख कर लिया गया था, जो हैं:
    - **"विकास प्रोत्साहन और सेवाओं में सुधार के उद्देश्य से"** नए संचालकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान करते हुए "निजीकरण नहीं अपितु उदारीकरण के माध्यम से" भारतीय रेलवे में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
    - यह भी नोट किया गया था कि यात्री **बेहतर यात्रा गुणवत्ता और सुविधाओं की सुगम उपलब्धता की स्थिति में** और अधिक भुगतान करने को तैयार थे।
- फलस्वरूप, सरकार की अधिकांश शेयरधारिता वाले **"भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड (Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited: IRCTC)"** को तेजस (पायलट परियोजना के रूप में) के संचालन का कार्य सुपुर्द किया गया था। यह ऐसी पहली ट्रेन थी जिसे 'गैर-रेलवे' संचालक द्वारा संचालित किए जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।
- **भारतीय रेलवे में FDI की वर्तमान स्थिति:**
    - रेलवे के अधिकांश क्षेत्रों, जैसे- हाई स्पीड ट्रेन, रेलवे विद्युतीकरण, यात्री टर्मिनल, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रेलवे के बुनियादी ढाँचे आदि में स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है।
    - हालांकि, सुरक्षा चिंताओं के कारण ट्रेन परिचालन में FDI की अनुमति नहीं है।

भारतीय रेलवे में निजी क्षेत्रक को आकर्षित करने के विगत प्रयास

- **वैगन निवेश योजना/अपना वैगन योजना (Wagon Investment Scheme/Own Your Wagon Scheme) (1992)** के माध्यम से भारतीय रेलवे में वैगन की आपूर्ति को बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्रक की भागीदारी का लाभ उठाया गया है। निजी अभिकर्ता, अनुमोदित बिल्डरों से वैगनों की खरीद कर व अपना स्वामित्व बनाए रखते हुए उन्हें भारतीय रेलवे को पट्टे पर दे सकते हैं।
- वर्ष 2006 की **कंटेनर पॉलिसी लिब्रलाइजेशन स्कीम** के तहत निजी अभिकर्ताओं को भारतीय रेल नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेनों के संचालन की अनुमति दी गई है।
- विशेषीकृत वैगनों में निवेश करने हेतु लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं को एक अवसर प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 में **स्पेशल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर (SFTO) स्कीम** आरंभ की गई थी।

हमें अधिक निजी भागीदारी की आवश्यकता क्यों है?

भारतीय रेलवे को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि:

- **मांग पूरी करने में असमर्थता:** रेलवे बोर्ड के अनुसार, क्षमता के अभाव में वर्ष 2019-20 के दौरान 5 करोड़ इच्छुक यात्रियों को समायोजित नहीं किया जा सका तथा गर्मियों और त्योहार के मौसम के दौरान आपूर्ति से 13.3% अधिक यात्रा की मांग की गई थी।
- **आधुनिकीकरण का अभाव और निम्नस्तरीय सेवाएं:** यात्रियों को प्रदान की जाने वाली अधिकांश सेवाओं को निम्नस्तरीय माना जाता है। उदाहरण के लिए- निम्नस्तरीय स्वच्छता और भोजन की निम्न गुणवत्ता, सुरक्षा संबंधी मुद्दे, विलम्ब इत्यादि।
- **परिवहन क्षेत्र में रेलवे की घटती हिस्सेदारी:** सड़क परिवहन की तुलना में अधिक मितव्ययी माध्यम होने पर भी परिवहन संचार के वर्तमान विकल्पों में रेलवे की हिस्सेदारी कम होती जा रही है।
    - आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा सम्पादित एक विश्लेषण दर्शाता है कि यात्रा के अन्य साधनों के उपयोग की ओर स्थानान्तरण की प्रवृत्ति में निरंतर बढ़ोत्तरी के कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुई है तथा यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4.5% के समतुल्य है।
- **यात्री सेवाओं में भारतीय रेलवे (IR) की हानि:** जहाँ एक ओर यात्री ट्रेनों का किराया कम है और इन ट्रेनों में यात्रियों के लिए क्रॉस-

VISION IAS

सब्सिडी प्रदान की जाती है, वहीं दूसरी ओर माल गाड़ी में माल ढुलाई के लिए यात्री ट्रेनों के सापेक्ष उच्च माल भाड़ा वसूला जाता है। यह माल ढुलाई के विकास को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

- **संसाधनों की आवश्यकता:** राकेश मोहन समिति ने यह निर्दिष्ट किया था कि विगत कुछ दशकों (1991-2002) से भारतीय रेलवे वस्तुतः निवेश के अभाव, दुर्लभ संसाधनों के अनुपयुक्त आबंटन, बढ़ती ऋणग्रस्तता, निम्नस्तरीय ग्राहक सेवाओं एवं तेजी से विकृत होती आर्थिक दुष्चक्र में फँस गई है।

हालिया पहल के बारे में

- भारतीय रेलवे नेटवर्क पर यात्री ट्रेनों के संचालन हेतु निजी निवेश आधारित यह प्रथम पहल होगी तथा इसके तहत 30,000 करोड़ रुपए के निवेश होने एवं वर्ष 2023 तक इसके प्रारम्भ होने की संभावना है।
- **उद्देश्य:**
    - कम रखरखाव की आवश्यकता वाले आधुनिक प्रौद्योगिकी के रोलिंग स्टॉक का समावेश,
    - यात्रियों को विश्व स्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करना,
    - यात्री परिवहन क्षेत्र में **मांग-आपूर्ति अंतराल को कम करना।**

इस प्रयास के विरोध में तर्क

- **स्वतंत्र नियामक की अनुपस्थिति:** आशंकाएं हैं कि यदि भारतीय रेलवे स्वयं ही नियामक की भूमिका निभाती है (किसी स्वतंत्र नियामक की अनुपस्थिति में) तो यह प्रतिस्पर्धा और निजी क्षेत्र के हितों के लिए हानिकारक होगा।
    - यदि कोई इकाई प्रभावी रूप से नीति निर्माता, नियामक और सेवा प्रदाता है तो इससे **"हित संघर्ष"** उत्पन्न होगा, जैसा कि बिबेक देबरॉय समिति द्वारा दर्शाया गया है। इससे भ्रष्टाचार भी उत्पन्न हो सकता है क्योंकि निजी संचालक किसी भी समस्या को हल करने के लिए प्रलोभन (रिश्वत) देने का प्रयास कर सकते हैं।
    - सरकार ने प्रतिस्पर्धा व दक्षता को बढ़ावा देने तथा उपभोक्ता कल्याण सुनिश्चित करने के लिए **रेल विकास प्राधिकरण** की स्थापना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। हालांकि, इसकी प्रकृति सलाहकारी होगी तथा परिचालन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए और अधिक शक्तियों की आवश्यकता होगी।
- **रेलवे एक जनसेवा है: राकेश मोहन समिति** की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे के निजीकरण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अनुभव यह दर्शाते हैं कि यह "अत्यधिक कठिन और विवादास्पद" विषय है।
    - उदाहरण के लिए- जब यूनाइटेड किंगडम ने अपनी रेलवे का निजीकरण किया, तो इसने पटरियों और मार्गों सहित परिसंपत्तियों में किए जाने वाले निवेश को कम कर दिया जिसके कारण अवसंरचनात्मक निवेश अत्यंत कम हो गया।
- **अनुचित प्रतिस्पर्धा:** रेलवे में माल ढुलाई राजस्व के माध्यम से यात्री किराए पर क्रॉस-सब्सिडी प्रदान करने की प्रवृत्ति रही है। इस कारण मूल्य निर्धारण वस्तुतः लागत से भी कम हो जाता है, जिससे निजी प्रतिभागियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो जाएगा।
- **मुख्य मार्गों पर उच्च परिचालन और क्षमता से अधिक उपयोग:** चूंकि भारत में यात्री और माल ढुलाई दोनों ही कार्य एक ही पटरियों पर किए जाते हैं, इसलिए गति या क्षमता बढ़ा पाना अत्यंत कठिन रहा है। हालांकि, **यह देखा जाना अभी शेष है कि क्या समर्पित माल ढुलाई गलियारों से पर्याप्त क्षमता में वृद्धि होगी या नहीं।**
    - भारतीय रेलवे के स्वर्णिम चतुर्भुज और इसके विकर्ण मार्ग, रेलवे के कुल मार्ग का केवल 15 प्रतिशत हैं, लेकिन ये पैसेंजर ट्रैफिक के 52 प्रतिशत और कुल माल ढुलाई के 58 प्रतिशत का परिवहन करते हैं।

9.2.2. भारतीय रेलवे का संगठनात्मक पुनर्गठन (Railway Restructuring)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के रूपांतरकारी संगठनात्मक पुनर्गठन को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, रेलवे का प्रबंधन एवं प्रशासन **भारतीय इंजीनियरिंग सेवा** (जैसे- इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ़ इंजीनियर्स आदि) तथा **सिविल सेवा** (जैसे- भारतीय रेलवे यातायात सेवा आदि) के माध्यम से चयनित क्रमशः आठ तकनीकी एवं गैर-तकनीकी कैडर के **ग्रुप 'ए' अधिकारियों** के एक समूह द्वारा किया जाता है।
- रेलवे पुनर्गठन का मुद्दा दशकों से बना हुआ है, क्योंकि निम्नलिखित समितियों सहित विभिन्न समितियों द्वारा सेवाओं के एकीकरण की संस्तुति की गयी थी:
    - प्रकाश टंडन समिति (1994);

VISION IAS

- राकेश मोहन समिति (2001);
- सैम पित्रोदा समिति (2012); एवं
- बिबेक देबरॉय समिति (2015)।

रेलवे पुनर्गठन: अनुमोदित सुधार

- **भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (IRMS) का सृजन:** रेलवे में भर्ती प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए तथा रेलवे को आवश्यकतानुसार इंजीनियरों/गैर-इंजीनियरों की भर्ती करने में सक्षम बनाने हेतु कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग तथा UPSC के परामर्श से रेलवे के ग्रुप 'ए' की वर्तमान आठ सेवाओं का विलय कर एक एकीकृत केंद्रीय सेवा का सृजन करना।
- **रेलवे बोर्ड का पुनर्गठन:** रेलवे बोर्ड का गठन विभागीय आधार पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसके स्थान पर कार्यात्मक आधार पर एक छोटे आकार वाली संरचना का गठन किया जाएगा।
  - बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा, जो 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)' के रूप में कार्य करेगा। इसमें 4 सदस्य होंगे, जो क्रमशः अवसंरचना, परिचालन व व्यवसाय विकास, रोलिंग स्टॉक तथा वित्त से जुड़े कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगें।
  - बोर्ड में कुछ स्वतंत्र सदस्य भी होंगे, जो विषय के संबंध में गहन ज्ञान रखने वाले अति प्रतिष्ठित पेशेवर होंगे तथा जिन्हें उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र एवं प्रबंधन क्षेत्रों में शीर्ष स्तरों पर कार्य करने सहित 30 वर्षों का व्यापक अनुभव प्राप्त होगा। ये विशिष्ट **रणनीतिक निर्णयन** में रेलवे बोर्ड की सहायता करेंगे।
- मौजूदा सेवा **'भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा'** का नाम परिवर्तित कर **भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा** किया जाएगा।

पुनर्गठन से संबंधित मुद्दे

- सेवाओं के विलय (एकीकरण) संबंधी निर्णयों को अवैज्ञानिक और स्थापित मानदंडों के विरुद्ध माना जा सकता है, क्योंकि इसमें **मूल रूप से दो असमान संस्थाओं (जिनमें कई असमानताएं विद्यमान हैं, जैसे- IAS और IES के मध्य) के एकीकरण** का प्रस्ताव रखा गया है।
- विभिन्न विभागों के कुछ महाप्रबंधकों के पदों को "शीर्ष" स्तर पर स्थापित करने का निर्णय और उसे बोर्ड के सदस्यों के समतुल्य मानना, कठिनाई उत्पन्न कर सकता है।
- कैडर के विलय के बावजूद, विभागों का अस्तित्व बना रहेगा और विवादों का निपटान करना कार्यकारी अधिकारी का कार्य होगा।
  - अतः, यह समझा जाना चाहिए कि मूल समस्या विभाग नहीं हैं बल्कि उनकी संरचना और रेलवे संगठन में उनकी भूमिका है।

पुनर्गठन की आवश्यकता

- **विभागीकरण पर अंकुश लगाना तथा अधिक दक्षता, जवाबदेही और सामंजस्य स्थापित करना:** वर्तमान में रेलवे विभाग *एकाकी रूप से* कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण संगठनात्मक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की कीमत पर संकीर्ण विभागीय लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ विभागों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है।
  - सेवाओं के एकीकरण से **विभागीकरण** की प्रवृत्ति समाप्त होगी, सुचारू कामकाज को बढ़ावा मिलेगा, निर्णयन की प्रक्रिया तीव्र होगी तथा संगठन के लिए एक सुसंगत विज़न का निर्माण हो सकेगा।
- **कर्मियों का बेहतर रूप से प्रबंधन:** कुछ सामान्य भूमिकाओं जैसे मंडल रेल प्रबंधक (DRM) एवं महाप्रबंधक (GM) के अतिरिक्त, किसी विशेष सेवा के अधिकारियों के केवल अपने संबंधित विभागों में ही प्रोन्नत होने की संभावना रहती है।
  - संगठन में तीन पृथक एंट्री प्रदान करने से सभी सेवाओं के मध्य वरिष्ठता को निर्धारित करने संबंधी विशिष्ट समस्या उत्पन्न होती थी, क्योंकि प्रत्येक के लिए प्रतिवर्ष प्रवेश की तिथियां भिन्न-भिन्न (निश्चित नहीं) होती हैं।
- **रेलवे का आधुनिकीकरण:** सरकार ने यात्रियों एवं माल ढुलाई के लिए रेलवे को 100% सुरक्षित, तीव्र एवं विश्वसनीय यातायात-साधन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2030 तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश करके संपूर्ण नेटवर्क को आधुनिक बनाने की योजना है।
  - इस दिशा में एकनिष्ठता रूप से कार्य करने एवं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होने के लिए संगठित रूप से कार्य करने के साथ-साथ एक एकीकृत, सुदृढ़ संगठन की आवश्यकता होगी।

भारतीय रेलवे पर बिबेक देबरॉय समिति की संस्तुतियां एवं उसके अनुरूप उठाए गए कदम

बिबेक देबरॉय समिति की संस्तुतियां	वर्ष 2014 से अब तक उठाए गए कदम
निजी रेल परिवहन के संचालन में निजी संचालकों के प्रवेश को अनुमति प्रदान करना।	IRCTC द्वारा संचालित तेजस एक्सप्रेस के साथ इस दिशा में प्रयास किए गए हैं।
रेलवे बोर्ड की संरचना में परिवर्तन करना।	हाल ही में बोर्ड ने कार्यात्मक रूप से छंटनी की

VISION IAS

	घोषणा की है।
निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्षेत्रों/प्रभागों तथा निचले स्तर पर विकेंद्रीकृत किया जाए।	कार्यान्वित किया जा चुका है।
रेल परिवहन के मुख्य कार्यों (कोर फंक्शन) को प्रभागों एवं चिकित्सा सेवाओं जैसे गौण (non-core) कार्यों से पृथक किया जाए।	क्षेत्रीय (zonal) स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है।
एक नियामक की स्थापना की जाए।	अभी तक स्थापित नहीं।
विभिन्न रेलवे सेवाओं को एकीकृत किया जाए।	हाल ही में प्रस्तावित।
वाणिज्यिक लेखांकन की ओर संक्रमण।	क्षेत्रीय स्तर पर पूरा किया गया है।
रेलवे बजट को केंद्रीय बजट के साथ एकीकृत किया जाए।	कार्यान्वित किया जा चुका है।

9.2.3. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (Dedicated Freight Corridor: DFC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रेलवे द्वारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के अधीन नव-निर्मित रेवाड़ी-मदार सेक्शन पर ट्रायल किया गया।

समर्पित माल गलियारे (Dedicated Freight Corridor: DFC) का परिचय

- DFC वस्तुतः उच्च गति तथा अधिक क्षमता वाला एक रेल कॉरिडोर है, जिसे अनन्य रूप से माल (गुड्स और कमोडिटी) के परिवहन हेतु निर्मित किया जा रहा है।
- इस परियोजना को सर्वप्रथम अप्रैल 2005 में प्रस्तावित किया गया था, ताकि तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।
- वर्ष 2006 में, भारत सरकार द्वारा दो कॉरीडोरों {वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC)} का निर्माण करने हेतु एक समर्पित निकाय "डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया" (DFCCIL) की स्थापना की गई थी।
- वर्ष 2010 में निम्नलिखित चार अन्य फ्रेट कॉरिडोरों की भी घोषणा की गई थी:
    - पूर्व-पश्चिम कॉरिडोर (कोलकाता-मुंबई);
    - उत्तर-दक्षिण कॉरिडोर (दिल्ली-चेन्नई);
    - पूर्व तटीय कॉरिडोर (खड़गपुर-विजयवाड़ा); एवं
    - दक्षिणी कॉरिडोर (चेन्नई-गोआ)।

DFCs का महत्व

- मालगाड़ियों के संचालन को तीव्र करके और क्षमता में वृद्धि करके **परिवहन की प्रति इकाई लागत में कमी:**
    - DFCs के द्वारा रेलगाड़ियों की गति वर्तमान की **25 किमी प्रति घंटे की औसत गति से बढ़कर अधिकतम 100 किमी प्रति घंटा हो सकती है।**
    - यह गारंटीकृत पारगमन अवधि में बंदरगाहों तक समयबद्ध माल ढुलाई सेवाओं को सक्षम बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप भारत के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क में वृद्धि होगी।
- **परिवहन क्षमता में सुधार:** अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर, DFCs मूलभूत डिजाइन संबंधी विशेषताओं (जैसे- अधिक ऊँचाई, चौड़ाई, कंटेनर स्टैक आदि) में सुधार कर सकता है, जिससे यह उच्च गति पर अत्यधिक माल के परिवहन में सक्षम हो सकेगा।
    - वर्तमान डिब्बों का अक्षीय भार (Axial load) 22.9 मीट्रिक टन होता है, जिसे बढ़ाकर DFC के लिए 32.5 मीट्रिक टन किया जाएगा। इस सुधार से आगामी 50 वर्षों के लिए परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी।
- **माल ढुलाई बाजार में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाना:** विशेषीकृत लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रदान करके हिस्सेदारी में वृद्धि की जाएगी। यह माल ढुलाई सेवाओं के लिए उत्कृष्ट तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी को भी प्रस्तावित करेगा।
    - रेलवे परिवहन में यात्रियों और माल ढुलाई व्यवसाय, दोनों के संदर्भ में केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने हेतु पृथक माल परिवहन अवसंरचना स्थापित की जाएगी।

- **यातायात का विसंकुलन (Decongestion of traffic):** स्वर्णिम चतुर्भुज (जो रेलवे नेटवर्क के कुल भाग के केवल 16% है) द्वारा कुल माल ढुलाई ट्रैफिक के 58% भाग का परिवहन किया जाता है।
  - **स्वर्णिम चतुर्भुज,** भारत के अधिकांश औद्योगिक, कृषि तथा सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों का एक नेटवर्क है।
- **नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा:** कॉरिडोर के साथ-साथ नवीन औद्योगिक गतिविधियों तथा मल्टी-मॉडल मूल्य-वर्धन सेवाओं के केंद्र को बढ़ावा मिलेगा। उदाहरण के लिए:
  - EDFC के द्वारा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल स्थित कोयला उत्पादक क्षेत्रों से उत्तरी क्षेत्रों के विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला का परिवहन करना संभव हो सकेगा।
- **प्रदूषण में कमी:** अगले 30 वर्षों के ग्रीनहाउस गैस (GHS) उत्सर्जन पूर्वानुमान के अनुसार, यदि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विकास नहीं किया जाता है तो GHG का उत्सर्जन 582 मिलियन टन CO_2 के समतुल्य होगा, जबकि दो परिचालित DFCs से इसके एक-चौथाई से भी कम अर्थात् 124.5 मिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन होगा।
  - इसके अतिरिक्त, सड़क मार्ग से माल परिवहन किए जाने से रेलवे मार्ग की तुलना में तीन गुना अधिक उत्सर्जन होगा।

चुनौतियाँ

- **भूमि अधिग्रहण का मुद्दा:** रेलवे मार्ग के संरेखन के कारण, रेलवे को बड़े पैमाने पर पहले से ही विकसित निजी भूमि का अधिग्रहण करना होता है, इसलिए कॉरीडोर का निर्माण करना कठिन हो जाता है। संबंधित मंत्रालय को किसी भी प्रकार के भूमि अधिग्रहण के लिए बाजार मूल्य का भुगतान करना आवश्यक होता है, जिसमें वित्तीय समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- **प्रौद्योगिकी संबंधी चिंताएं:** जहाँ रेलवे की मंशा दिल्ली-मुंबई रेलवे कॉरिडोर पर डीज़ल लोकोमोटिव आधारित डबल-स्टैक कंटेनर का परिचालन करना है, वहीं इस परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा अधिक पर्यावरण-अनुकूल होने के कारण विद्युत संचालित परिवहन का सुझाव दिया गया है।
- **डबल स्टैक बनाम सिंगल स्टैक:** WDFC और EDFC के लिए भिन्न-भिन्न तकनीकी मानकों को अपनाया गया है। WDFC, डबल स्टैक कंटेनरों तथा EDFC, सिंगल स्टैक कंटेनरों के परिवहन के लिए अनुकूल है।
  - इसके परिणामस्वरूप WDFC से EDFC तक डबल स्टैक रेलगाड़ी का अबाध परिचालन असंभव हो जाएगा।
  - **डबल-स्टैक रेल परिवहन:** डबल-स्टैक रेल ट्रांसपोर्ट इंटरमॉडल फ्रेट ट्रांसपोर्ट का एक रूप है, जिसके माध्यम से रेलवे द्वारा डबल इंटरमॉडल कंटेनरों का परिवहन किया जाता है।
- **धीमी प्रगति:** लॉजिस्टिक्स पार्क और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, दोनों की प्रगति अत्यधिक धीमी है, जिसके कारण परियोजना का समग्र उद्देश्य प्रभावित होगा।

आगे की राह

नवीन और आधुनिक तकनीकों एवं पद्धतियों को अपनाया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, DFC की पूर्ण क्षमता का दोहन किए जाने हेतु, अत्यधिक भार का परिवहन करने में सक्षम रेल-इंजनों (लोकोमोटिव) की आवश्यकता होगी।

- एक अन्य महत्वपूर्ण कदम यह हो सकता है कि अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुँच प्रदान करने हेतु भारतीय रेलवे के साथ **निजी भागीदारी को बढ़ावा** दिया जाना चाहिए।
- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को एकीकृत तथा तीव्र करने वाली **सुस्पष्ट नीतियाँ** तैयार की जानी चाहिए।

9.3. सड़कमार्ग (Roadways)

9.3.1. सड़क अवसंरचना वित्त-पोषण (Road Infrastructure Funding)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने **अवसंरचना निवेश न्यास (Infrastructure Investment Trust: InvIT) रोडमैप** जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दिसंबर 2019 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **NHAI को InvIT की स्थापना करने के लिए** अधिकृत किया था।
  - NHAI, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा जारी InvIT दिशा-निर्देशों के अनुसार, संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों को मुद्रीकरण करने के लिए InvIT स्थापित करने हेतु अधिकृत है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्गों का टोल संग्रह ट्रैक रिकॉर्ड कम से कम एक वर्ष का होना चाहिए और जो अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करता हो।

- अब, **NHAI आरंभ में अपने प्रथम InvIT प्रस्ताव (ऑफर) के माध्यम से 15,000-20,000 करोड़ रुपये** का संग्रहण करेगा तथा तत्पश्चात आगे बड़ी राशि संग्रहित की जाएगी।
- **निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (Build, Operate and Transfer: BOT) मॉडल** (जिसमें प्रारंभिक लागत निजी क्षेत्रक द्वारा वहन की जाती है) में निजी क्षेत्रक की कम होती रूचि के मध्य यह सड़क और अवसंरचना क्षेत्रक में सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा देने के लिए वित्त-पोषण के वैकल्पिक स्रोतों का दोहन करने की सरकार की योजनाओं का भाग है।
- हाल ही में, आगामी पांच वर्षों के लिए **1 ट्रिलियन रूपए की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)** का भी अनावरण किया गया। साथ ही, निवेश के 19 प्रतिशत अंश को सड़क क्षेत्रक हेतु रखा जाएगा।
- **NHAI** द्वारा वर्तमान में अपनी वित्तपोषण की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए **TOT (टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर), NIIF (राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष) से साझेदारी, LIC को बॉण्ड निर्गमन और केंद्रीय बजटीय आवंटन** आदि का उपयोग किया जा रहा है।

सड़क अवसंरचना वित्त-पोषण में समस्याएं

- **सरकार से वित्तीय समर्थन का अभाव:** सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को किया गया बजटीय आवंटन, **सरकार की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में विफल** रहा है। जिसने इस क्षेत्रक को अन्य साधनों से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बाध्य किया है।
- **अवसंरचना क्षेत्रक में निजी निवेश में गिरावट:** इस क्षेत्र में बढ़ती दबावग्रस्त आस्तियों और बाजार की अस्थिरता के कारण निवेशकों का विश्वास कम हुआ है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू निवेशकों में अरुचि का कारण भी बना है।
  - **वित्त-पोषण के वर्तमान मॉडलों,** जैसे- **BOT मॉडल** में निजी क्षेत्र की रुचि में कमी हुई है।
- **वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्तपोषण में कमी:** क्षेत्रक संबंधित जोखिम और परिसंपत्ति-दायित्व परिपक्वता असंतुलन के संदर्भ में बैंकों में जोखिमों/दबावग्रस्त आस्तियों के बढ़ते स्तर के कारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए जाने वाले वित्त-पोषण में कमी आई है।

आगे की राह

- सरकार द्वारा संभाव्य परियोजनाओं में पूँजी या परिसंपत्तियों का पुनर्निवेश करने के लिए **'परिसंपत्ति के पुन: उपयोग'** (जिसे पूँजी पुनर्चक्रण कहा जाता है) की सहायता ली जा सकती है।
- **सड़क अवसंरचना परियोजना कोष:** वित्तपोषण को सुचारु बनाने के लिए सरकार इसकी स्थापना कर सकती है।
  - व्यापक स्तर पर इसके निष्पादन की गारंटी प्रदान करने हेतु इसका सशक्त प्रशासन, स्वायत्त रिपोर्टिंग और किसी स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा अनुमोदित सुपरिभाषित प्रमुख प्रदर्शन संकेतक होने चाहिए।
- **प्रतिभूतियों का निर्गमन:** सरकार द्वारा 30 से 50 वर्ष की अवधि के लिए इस विकल्प की खोज की जा सकती है। बैंक एवं बॉण्ड वित्तपोषण परस्पर पूरक हो सकते हैं; यह वित्तीय दुर्बलता को कम करता है तथा पूंजी आवंटन की प्रभावशीलता को उन्नत बनाता है।
- **सुविकसित बॉण्ड बाजार:** यह आर्थिक सहायता प्रदान करने के आधार को व्यापक बनाता है, जोखिम प्रबंधन के लिए उपाय प्रदान करता है, कॉर्पोरेट प्रशासन को सुदृढ़ बनाता है तथा बैंकों पर उधारकर्ताओं के प्रभाव को सीमित करके अनुशासन को उन्नत बनाता है।

NHAI के लिए अवसंरचना निवेश न्यास (Infrastructure Investment Trust: InvIT)

- InvIT वस्तुतः म्यूचुअल फंडों की भांति ही एक निवेश योजना होते हैं। यह अवसंरचना परियोजनाओं में व्यक्तियों और संस्थागत निवेशकों को उनके निवेश के बदले में प्रतिफल के रूप में आय का एक भाग अर्जित करने की अनुमति प्रदान करता है।
- InvIT, **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 के अंतर्गत स्थापित एक न्यास है।
- **यह NHAI को उन राष्ट्रीय राजमार्गों का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाएगा,** जिनके पास कम से कम एक वर्ष के टोल संग्रह का अनुभव (ट्रैक रिकॉर्ड) है।

InvIT का महत्व

- InvIT मार्ग के माध्यम से, NHAI के पास अब अपनी पूर्ण हो चुकी और परिचालनरत राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के मुद्रीकरण करने के लिए **पूँजी बाजारों से अतिरिक्त संसाधन** जुटाने हेतु वित्तपोषण का **एक और मार्ग उपलब्ध** होगा।
- यह **भारतमाला परियोजना** जैसी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए नवीन निवेश को दिशा देने में सहायक होगा।
- यह देखते हुए कि निवेशक **निर्माण जोखिम के प्रति सुभेद्य** होते हैं तथा **दीर्घकालिक स्थायी प्रतिफल** प्रदान करने वाली परिसंपत्तियों में निवेश करने में रुचि रखते हैं, इस स्थिति में InviT द्वारा **भारतीय राजमार्ग बाजार के लिए आवश्यक पूंजी (अर्थात् 20-30 वर्षों**

के लिए) आकर्षित करने से NHAI को सहायता प्राप्त होगी।

- InvIT द्वारा **विदेशी निवेशकों, विशेष रूप से पेंशन फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड और बीमा कंपनियों को आकर्षित करने** की अत्यधिक संभावना है।
- InvIT से संबंधित विनियामकीय ढाँचा अनिवार्य वितरण नियमों, कम जोखिम, उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्तियों और आय वितरण पर कर लाभ के कारण **कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्थिर दीर्घकालिक प्रतिफल** प्रदान करता है।

9.4. नौवहन (Shipping)

9.4.1.महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 (Major Port Authorities Bill, 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा द्वारा **महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020** पारित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के **महापत्तनों** (प्रमुख बंदरगाहों) को स्वायत्तता प्रदान करना है और उनकी कार्यकुशलता एवं प्रतियोगी क्षमता में सुधार लाना है।

पृष्ठभूमि

- भारत, विश्व के सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जहाजरानी मार्ग पर अवस्थित है। भारत का **तटरेखा लगभग 7,517 किलोमीटर है** और संभावित नौगम्य जलमार्ग 14,500 किलोमीटर है।
- **मूल्य के आधार पर, भारत का 70% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** समुद्री मार्ग से होता है।
- **भारत में 204 पत्तन हैं, जिनमें से 12 महापत्तन हैं** और 55% माल का आवागमन (Cargo Traffic) इन महापत्तनों से होता है।
  - वर्ष 2018-19 में महापत्तनों से 69.90 करोड़ टन माल (cargo) का परिवहन हुआ।
  - जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा **महापत्तन** है।

- **व्यापक पैमाने पर मध्यम व छोटे पत्तनों (गौण बंदरगाह या Non Major ports) को निजी क्षेत्रक के पक्षकारों को** 30 वर्ष की अवधि तक के लिए पट्टे पर दिया गया है। हालांकि, इन पत्तनों पर संबंधित राज्य सरकारों का स्वामित्व बना रहेगा। इसमें वे पत्तन भी सम्मिलित हैं जिनको कॉर्पोरेट हाउस (औद्योगिक घरानों) द्वारा अपने संबद्ध उद्योगों की आवश्यकता हेतु उपयोग (captive use) के लिए विकसित किया जाता है।
  - गुजरात स्थित मध्यम व छोटे पत्तनों से 70% तक, जबकि आंध्र प्रदेश से 16% तक, महाराष्ट्र से 7% तक और ओडिशा से 4% तक माल का परिवहन होता है।

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 के संबंध में

- यह विधेयक **महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (Major Port Trusts Act, 1963) का स्थान लेगा।** इसका उद्देश्य **भारत के महापत्तनों का विनियमन, परिचालन एवं नियोजन करना है।**
- यह विधेयक महापतनों के प्रशासन, नियंत्रण एवं प्रबंधन को **महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड** में निहित करने का प्रावधान करता है।
- यह चेन्नई, कोचिन, दीनदयाल (कांडला), जवाहरलाल नेहरू (न्हाव शेवा), कोलकाता, मर्मागाव, मुंबई, न्यू मंगलौर, पाराद्वीप, वी. ओ. चिदंबरनार (तुतीकोरीन) एवं विशाखापट्टनम **महापत्तनों पर लागू होगा।**
- **प्रमुख बिंदु:**
  - **महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का गठन:** ये बोर्ड विद्यमान पत्तन न्यासों का स्थान लेंगे।
  - **बोर्ड की शक्तियां:** यह विधेयक महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड को अनुबंध करने, योजना और विकास, राष्ट्र हित को छोड़कर अन्य मामलों में प्रशुल्क निर्धारित करने तथा सुरक्षा संबंधी मामलों से निपटने की शक्तियां निहित करता है।

VISION IAS

- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) परियोजना:** इस विधेयक में PPP परियोजना को ऐसी परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे बोर्ड द्वारा रियायती अनुबंध (concession contract) के माध्यम से निष्पादित किया जाएगा। इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए, बोर्ड प्रारंभिक निविदा प्रक्रियाओं के लिए प्रशुल्क निर्धारित कर सकता है।
- **भू-स्वामी या लैंडलॉर्ड मॉडल (Landlord model):** इसके अंतर्गत केंद्रीय पत्तनों के लिए नए लैंडलॉर्ड मॉडल अपनाया जाएगा, जिसमें बंदरगाह से संबंधित अवसंरचना को निजी संचालकों को पट्टे पर दिया जाएगा।
  - **लैंडलॉर्ड पत्तन मॉडल में**, पत्तन का स्वामित्व पत्तन प्राधिकरण के पास रहता है। पतनों की अवसरंचना को निजी कंपनियों को पट्टे पर दिया जाता है। यह कंपनियों को पतनों पर विद्यमान अवसंरचना के अतिरिक्त अन्य अधिरचना (superstructure) को विकसित करने और उसके रखरखाव की अनुमति देता है। साथ ही, माल (cargo) के आवागमन को संभालने के लिए कंपनियों को स्वयं के उपकरणों को स्थापित करने की अनुमति भी देता है। बदले में, लैंडलॉर्ड पत्तन प्राधिकरण को निजी इकाई के राजस्व में से हिस्सा मिलता है।
  - **दरों का निर्धारण:** इस विधेयक के अंतर्गत, महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड द्वारा नियुक्त बोर्ड या समितियां निम्नलिखित के लिए दर निर्धारित करेंगे: (i) पत्तनों पर उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के लिए, (ii) पत्तनों की परिसंपत्तियों तक पहुंच और उनके उपयोग के लिए (iii) माल एवं जलयानों की विभिन्न श्रेणियों की उपलब्धता और उपयोग के लिए। इस प्रकार से जो भी दरें निर्धारित की जाएगी वे पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी नहीं होंगी।
  - वर्तमान में, वर्ष 1963 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (Tariff Authority for Major Ports: TAMP) पत्तनों पर उपलब्ध परिसंपत्तियों एवं सेवाओं के लिए दरों को निर्धारित करता है।
  - TAMP की भूमिका को इस विधेयक में नए सिरे से परिभाषित किया गया है। अब पत्तन प्राधिकरण को प्रशुल्क निर्धारित करने की शक्ति दी गई है, जो PPP परियोजनाओं हेतु निविदा के उद्देश्य के लिए संदर्भ प्रशुल्क (reference tariff) के तौर पर कार्य करेगा। PPP परिचालक बाजार की परिस्थितियों के आधार पर प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- **केंद्र सरकार द्वारा न्यायनिर्णयक (Adjudicatory) बोर्ड का गठन:** यह बोर्ड वर्ष 1963 के अधिनियम के अंतर्गत गठित वर्तमान महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण का स्थान लेगा।

इस विधेयक का महत्व

- **निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण:** इस विधेयक का उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण एवं महापत्तनों के प्रबंधन में व्यावसायिकता लाना है।
  - इससे महापत्तन सशक्त होंगे और महापत्तन **संस्थागत संरचना का आधुनिकीकरण करने के संबंध में** निर्णय लेने की पूर्ण स्वायत्तता का उपयोग कर पाएंगे, जिससे महापत्तन **अत्यधिक दक्षतापूर्वक कार्य कर सकेंगे।**
  - पेशेवर स्वतंत्र सदस्यों के साथ यह मिश्रित बोर्ड, निर्णय लेने की प्रक्रिया एवं रणनीतिक नियोजन को सुदृढ़ता प्रदान करेगा।
- **पारदर्शिता:** इस विधेयक से अपेक्षा है कि इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी जिससे हितधारकों को लाभ होगा एवं परियोजना निष्पादन क्षमता में और अधिक सुधार आएगा।
- **निजी निवेश को आकर्षित करेगा:** इससे महापत्तनों को मध्यम और छोटे पत्तनों की तुलना में बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी एवं द्रुतगामी होने में सहायता मिलेगी। साथ ही मध्यावधि से लेकर दीर्घावधि के लिए निजी क्षेत्रक के निवेश को और अधिक आकर्षित करने की उनकी क्षमता में भी वृद्धि होगी।
- **विश्वस्तरीय अवसंरचना:** इस विधेयक से पत्तनों को विश्वस्तरीय अवसंरचना विकसित करने में सहायता मिलेगी। इससे भारत के महापत्तन विश्व के प्रमुख पत्तनों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।

भारत के पत्तन अपने एशियाई प्रतिद्वंद्वियों से इतना पीछे क्यों हैं?

- **अवसंरचना का अभाव:** विशाल वॉल्यूम वाले माल का प्रबंधन करने में अक्षम उपकरण, न्यून तलकर्षण क्षमता, अप्रचलित नौपरिवहन संबंधी सहायता एवं सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली, उचित लॉजिस्टिक कंपनियों का अभाव, उपकरणों का उचित रूप से प्रबंधन करने हेतु प्रशिक्षण का अभाव आदि।
- **निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी:** आंतरिक प्रदेशों से संपर्क की समुचित सुविधा के नहीं होने तथा सड़क, एवं रेलवे की समस्याओं के कारण

VISION IAS

भारत में मालों का समयबद्ध निर्यात चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

- **निवेश में कमी:** वर्षों से भारत में निवेश की कमी के कारण सड़क, रेलवे, पत्तन, विमानपत्तन, दूरसंचार, एवं विद्युत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अवसंरचना की अत्यंत आवश्यकता है।
- **निजी क्षेत्रक से प्रतिस्पर्धा:** महापत्तनों को निजी क्षेत्रकों की ओर से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। यह निजी पत्तनों से होने वाले आवागमन में वृद्धि से स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 1981 में निजी पत्तनों से मात्र 10% आवागमन होता था, जो वर्ष 2016 में बढ़कर 43% हो गया।

पत्तनों के विकास के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **सागरमाला परियोजना:** इसका शुभारंभ वर्ष 2015 में किया गया था। इसका उद्देश्य पत्तन अवसंरचना को सुदृढ़ करना एवं पत्तन की क्षमता को बढ़ाना, परिचालनगत क्षमता में सुधार करना एवं आंतरिक क्षेत्रों से संपर्क तथा जल परिवहन के माध्यम से यातायात के प्रवाह को सुचारू बनाना है।
- **केंद्रीय पत्तन प्राधिकरण (Central Port Authority: CPA) अधिनियम:** यह विधि वर्ष 2016 में पारित की गई थी। इसका उद्देश्य महापत्तनों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करना है।
- **संशोधित मॉडल रियायत समझौता (Model Concession Agreement: MCA):** इसे वर्ष 2016 में लाया गया था। इसमें पत्तनों में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना सम्मिलित है। उनकों प्रोत्साहन देने के लिए प्रशुल्कों से संबंधित अद्यतन दिशा-निर्देश और राजस्व में भागीदारी में छूट दी गई है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **महाराष्ट्र के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से लगभग 190 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित वधावन में एक महापत्तन की स्थापना को 'सैद्धांतिक' मंजूरी** दे दी है।

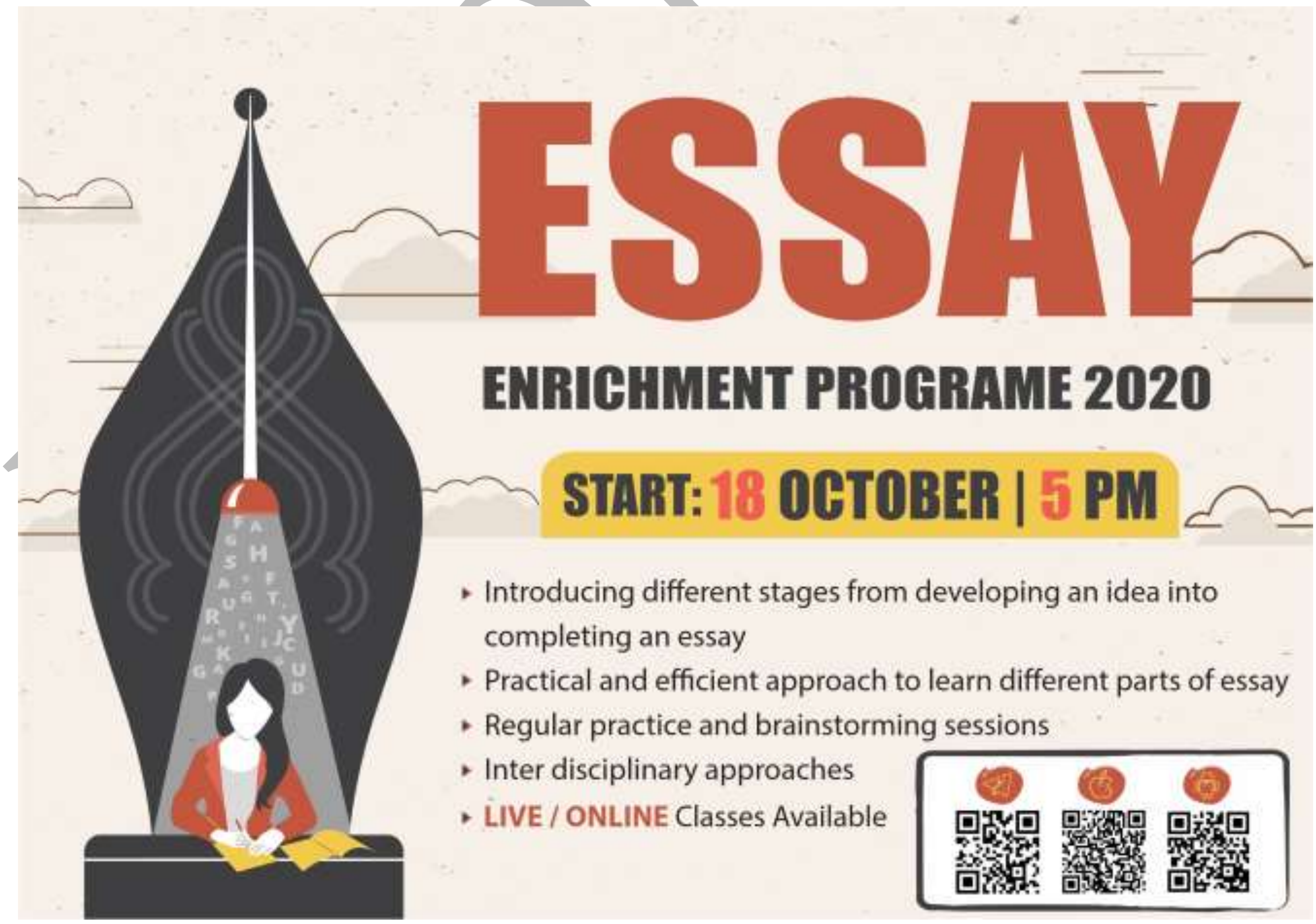

10. विद्युत क्षेत्रक (Power Sector)

परिचय

संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। (विश्व के प्राथमिक ऊर्जा उपभोग में भारत का हिस्सा 5.8% है।)

भारत ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा प्रकाशित ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में अपनी रैंकिंग में सुधार किया है और अब इसका 76वां स्थान है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्रक में बड़ा परिवर्तन हुआ है। इसका श्रेय प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) को जाता है क्योंकि 18 राज्यों में कथित रूप से 20 घंटे से अधिक समय तक बिजली की आपूर्ति होती है, जबकि बाकी राज्यों में कथित रूप से 15 घंटे या उससे ज्यादा समय तक बिजली की आपूर्ति होती है।

क्षमता और इसका वितरण: कुल स्थापित क्षमता का लगभग **63 प्रतिशत** तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है **(अक्षय ऊर्जा- 23 प्रतिशत एवं जलविद्युत- 12.4 प्रतिशत)** और ऊर्जा उत्पादन की मोटे तौर पर आधी से अधिक क्षमता निजी क्षेत्रक के पास है।

भारत में विद्युत क्षेत्रक की संरचना

विद्युत क्षेत्रक में तीन प्रमुख प्रक्रियाएं ऊर्जा उत्पादन, पारेषण (transmission), एवं वितरण सम्मिलित हैं।

- **ऊर्जा उत्पादन:** ऊर्जा उत्पादन की भारत की स्थापित क्षमता में 8.9% की वार्षिक चक्रवृद्धि बढ़ोतरी दर दर्ज की गई है। वर्ष 2006 में इसकी उत्पादन क्षमता 124 GW थी जो वर्ष 2018 तक बढ़कर 344 GW हो गई। अब भारत, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित विश्व ऊर्जा सांख्यिकी के अनुसार, वर्ष 2017 में प्रति व्यक्ति उपभोग के संदर्भ में भारत का 106वां स्थान था।
- **पारेषण:** विद्युत उत्पादन के बाद इसे पारेषण लाइनों एवं टावरों का प्रयोग करके लोड केंद्रों तक (सैकड़ों किलोमीटर की दूरी) पहुंचाया जाता है, ताकि इसे उपभोक्ताओं तक पहुँचाया जा सके। यह चरण विद्युत उत्पादकों एवं अंतिम उपभोक्ताओं को आपस में जोड़ता है। भारत में पारेषण अधिक तीव्र गति से बढ़ा है। वर्ष 2012 और वर्ष 2018 के दौरान वार्षिक चक्रवृद्धि बढ़ोतरी दर 7.2% दर्ज की गई है। इससे भारत की पारेषण लाइन क्षमता बढ़कर 3.9 लाख सर्किट किलोमीटर हो गई है।
- **वितरण:** तीसरा चरण देश भर के कोने-कोने तक सभी उपभोक्ताओं को विद्युत का वितरण करना है। यहां से विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) भी इसका हिस्सा बन जाती हैं। संघ शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों का प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में वहां की सरकारें यह काम करती हैं।
    - निजी डिस्कॉम्स भी भारत में परिचालनरत हैं, लेकिन वे कुछ शहरों तक सीमित हैं जैसे कि दिल्ली में टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लिमिटेड एवं मुंबई में रिलायंस एनर्जी लिमिटेड।

ऊर्जा क्षेत्रक द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियां हैं:

- **ईंधन सुरक्षा की समस्या:** बढ़ती हुई ईंधन उपलब्धता की चिंताओं के कारण उद्योग जगत को तापीय क्षमता को बढ़ाने में समस्यायों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि गैस की अनुपलब्धता के कारण 20,000 मेगावाट से अधिक की एक प्रमुख गैस आधारित प्लांट अवरुद्ध है। कोयला आधारित तापीय संयंत्रों की वास्तविक कोयला आवश्यकता का लगभग 65% ही कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इस कारण आयातित कोयला पर निर्भरता बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप बिजली उत्पादन की लागत बहुत बढ़ जाती है।
- **राज्यों द्वारा ऊर्जा की आवश्यकता से कम खरीदारी:** सीमित ईंधन उपलब्धता के कारण ऊर्जा उत्पादन की बढ़ी हुई लागत, राज्य डिस्कॉम्स की कमजोर आर्थिक स्थिति तथा उच्च सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक घाटों के परिणामस्वरूप डिस्कॉम्स आवश्यकता से कम बिजली खरीदती हैं।
- **वित्त-पोषण का प्रतिकूल वातावरण:** बीते 4-5 सालों में, परियोजना की लागत अधिक बढ़ गई है और इसलिए प्रशुल्क भी बढ़ाने पड़े हैं।
- **नीतिगत निष्क्रियता:** सूक्ष्म स्तरीय नीति, वृहत ऊर्जा नीति, प्रतियोगी नीलामी दिशा-निर्देश आदि विद्युत अधिनियम, 2003 एवं राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप नहीं हैं।

VISION IAS

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य: वैश्विक ऊर्जा समीक्षा- 2020 के प्रमुख निष्कर्ष

- लगभग 4.2 अरब लोग या **विश्व की 54% आबादी,** जो 60% वैश्विक GDP का प्रतिनिधित्व करती है, को 28 अप्रैल 2020 तक **पूर्ण या आंशिक तालाबंदी** का सामना करना पड़ा और लगभग पूरे विश्व की आबादी किसी न किसी रूप में रोकथाम के उपाय से प्रभावित हुई है।
- इस रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए **ऊर्जा की मांग एवं ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन** का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- इससे, **सभी प्रमुख ईंधनों पर** कोविड-19 महामारी के असाधारण प्रभाव की प्राय: वास्तविक स्थिति भी पता चलती है।

वर्ष 2020 में वैश्विक ऊर्जा एवं CO2 उत्सर्जन	• वर्ष 2020 की पहली तिमाही में **वैश्विक ऊर्जा मांग में 3.8% की गिरावट आई।** भारत की ऊर्जा मांग में लगभग 30% गिरावट आई। • उत्सर्जन में बड़ी गिरावट होगी जो वित्तीय संकट के कारण **वर्ष 2009 में 0.4 GT के पूर्व रिकॉर्ड गिरावट से छह गुना अधिक होगा। यह अब तक की सबसे बड़ी गिरावट होगी।**
तेल	• **तेल के औसत मूल्य में अत्यधिक गिरावट आई।** इतिहास में पहली बार वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट को ऋणात्मक मूल्य रखना पड़ा।
विद्युत	• अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2020 में वैश्विक विद्युत मांग में 5% तक गिरावट आएगी। यह **वर्ष 1930 की महामंदी के बाद से सबसे बड़ी गिरावट** होगी।

10.1. विद्युत क्षेत्रक से संबंधित नीतियाँ (Power Sector Policies)

10.1.1. प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 {Draft Electricity (Amendment) Bill, 2020}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हितधारकों से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त करने हेतु **'प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020'** को सार्वजनिक किया गया।

इस विधेयक की आवश्यकता

इस विधेयक के माध्यम से **विद्युत अधिनियम, 2003** में संशोधन किया जाएगा तथा **विद्युत क्षेत्रक एवं अधिनियम से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों** का समाधान किया जाएगा:

- **विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOM) की खराब वित्तीय स्थिति:** विनियामक आयोगों ने प्रशुल्कों का परिकलन करते समय प्राय: भविष्य के लिए राजस्व प्राप्ति को विलम्बित किया है। इसके परिणामस्वरूप विवेकसम्मत लागत (prudent cost) की निम्न प्राप्ति के कारण DISCOM की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई हैं।
- **प्रशुल्क अपनाने में विलंब:** विनियामक आयोग **'केंद्र सरकार द्वारा जारी प्रशुल्क नीति'** के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किए गए प्रशुल्कों को स्वीकार करते हैं। परन्तु, इस प्रक्रिया के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
    - इसके अतिरिक्त, यह अधिनियम विनियामक आयोगों के लिए सब्सिडियां प्राप्त होने के पश्चात् प्रशुल्क निर्धारित करना अनिवार्य करता है। इस प्रकार प्रशुल्क के अंतर्गत सब्सिडी घटक शामिल होता है और लागत को प्रदर्शित नहीं किया जाता है।
- **अनुबंधों के प्रदर्शन की प्रवर्तनीयता:** वर्ष 2003 का अधिनियम विद्युत आपूर्ति और खरीद के लिए अनुबंधों को मान्यता प्रदान करता है, परन्तु विशेष रूप से अनुबंध के गैर-प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों को संबोधित नहीं करता है।
    - **अनुबंधों के गैर-प्रदर्शन** से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है, निवेश निर्णय बाधित हुए हैं और व्यवसाय करने की सुगमता पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न हुआ है।
- **संबंधित निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के पदों के चयन के लिए कई समितियों की विद्यमानता:** इसके लिए प्रत्येक रिक्ति हेतु एक पृथक चयन समिति के गठन की आवश्यकता होती है, जिससे नियुक्तियों में अत्यधिक विलंब होता है।
- **गैर-कार्यात्मक राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC):** इसका कारण रिक्तियाँ और राज्यों द्वारा नियुक्तियों में विलंब करना है।

प्रारूप विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2020 के प्रमुख प्रावधान

- **नए अनुबंध विवाद समाधान प्राधिकरण का गठन:** उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक प्रमुख प्राधिकरण के रूप में **विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण** (Electricity Contract Enforcement Authority: ECEA) की

VISION IAS

स्थापना की जाएगी, जिसे उत्पादन कंपनी और लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के मध्य विद्युत की खरीद, बिक्री या पारेषण संबंधी अनुबंधों से संबंधित मामलों पर न्यायनिर्णयन करने का मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

  - इसके आदेशों के विरूद्ध अपील की सुनवाई **विद्युत अपीलीय अधिकरण (Appellate Tribunal for Electricity: APTEL)** द्वारा की जाएगी।

- **एकल चयन समिति की स्थापना की जाएगी:** APTEL, ECEA, केंद्रीय आयोग, राज्य आयोगों और संयुक्त आयोगों के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन हेतु।
- **निर्बाध पहुंच के अंतर्गत पारेषण प्रभार निर्दिष्ट करने के लिए राज्य के साथ-साथ केंद्रीय विद्युत विनियामकों को सक्षम बनाना।**
- **लागत आधारित प्रशुल्क और प्रशुल्क संरचना का सरलीकरण:** उपयुक्त आयोग द्वारा सब्सिडी पर ध्यान दिए बिना विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए प्रशुल्क निर्धारित किया जाएगा।
  - **किसी भी प्रकार की सब्सिडी को संबंधित सरकारों द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रत्यक्षतः प्रदान करनी चाहिए।**
- **क्रॉस सब्सिडी में कमी:** प्रशुल्क नीति द्वारा क्रमिक रूप से क्रॉस-सब्सिडी कम करने की रीति निर्दिष्ट की जाएगी। **SERC** द्वारा आरोपित किसी भी अधिभार और क्रॉस सब्सिडी को भी प्रशुल्क नीति में उपबंधित रीति के माध्यम से ही चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा।
- **विद्युत का सीमा पार व्यापार: केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC)** को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विद्युत के सीमा पार व्यापार की निगरानी एवं विनियमन का अधिकार प्रदान किया गया है।
- राज्यों के परामर्श से **केंद्र सरकार** द्वारा तैयार और अधिसूचित की जाने वाली **राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा नीति (NREP)** का प्रस्ताव किया गया है। इसके अंतर्गत ऊर्जा के नवीकरणीय और जलविद्युत स्रोतों से विद्युत खरीद का एक न्यूनतम प्रतिशत भी निर्धारित किया जाएगा।
- **नवीकरणीय खरीद दायित्व (RPO) के तहत जलविद्युत ऊर्जा स्रोतों को सम्मिलित करना:** राज्य आयोगों को केंद्रीय दिशा-निर्देशों के अनुसार **RPO** निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के निर्माण को निर्दिष्ट किया गया है।**

10.1.2. विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण (Privatising DISCOMs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार, जनवरी 2021 तक संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) का निजीकरण करने की योजना बना रही है

डिस्कॉम्स के निजीकरण की आवश्यकता

भारत की विद्युत मूल्य श्रृंखला में अभी भी विद्युत वितरण क्षेत्रक सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है, इसके कई कारण हैं, जैसे कि-

- **ऋणग्रस्तता:** ऊर्जा मंत्रालय के **भुगतान अनुसमर्थन और विश्लेषण पोर्टल (Payment Ratification and Analysis Portal: PRAAPTI)** के अनुसार डिस्कॉम्स पर विद्युत उत्पादकों की कुल बकाया देनदारियाँ वर्ष-दर-वर्ष 47 प्रतिशत से बढ़कर जून 2020 में 1.33 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
- **वित्तीय अक्षमता:** आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में डिस्कॉम्स द्वारा सौर और पवन ऊर्जा विकासकर्ताओं के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा के भुगतान में देरी के कई मामलें सामने आए हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्रक में निवेशों को आकर्षित कर पाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।
- मुख्य रूप से विद्युत की चोरी, निम्नस्तरीय भुगतान संग्रह प्रक्रियाएं और अपर्याप्त टैरिफ वृद्धि के परिणामस्वरूप होने वाली उच्च AT&C (सकल तकनीकी और वाणिज्यिक) हानि के कारण **परिचालन अक्षमता** में वृद्धि हुई है।
  - भारत में औसत AT&C हानि लगभग 21.4% है, जिसके कारण अतिदेय बिल न केवल विद्युत उत्पादकों को प्रभावित करता है अपितु बैंकिंग क्षेत्रक में दोहरे बैलेंस शीट संकट को भी बढ़ावा देता है।
- **ओपन एक्सेस लेन-देन में वृद्धि करना:** सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत की कीमतों में भारी गिरावट से उनके वाणिज्यिक और औद्योगिक ग्राहकों को कम मूल्य पर विद्युत खरीद में संलग्न होने के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं।
- ऊर्जा सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने में **राजनीतिक इच्छाशक्ति और पारदर्शिता की कमी।**
- **लॉकडाउन के दौरान मांग में गिरावट:** कृषि उपभोक्ताओं और घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा कम टैरिफ का भुगतान किया जाता रहा है, जिसकी क्षतिपूर्ति वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर आरोपित उच्च टैरिफ के माध्यम से की जाती है। लॉकडाउन के

VISION IAS

परिणामस्वरूप, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं उद्योगों का संचालन अवरुद्ध रहा है, जो विद्युत वितरण कम्पनियों की आय को प्रभावित कर सकता है।

- **शुरूआती पहलों की मंद प्रगति:** सरकार ने विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत राहत पैकेजों के माध्यम से **भारत में डिस्कॉम्स की स्थिति को सुधारने का प्रयास** किया है। उदाहरण के लिए- उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्य सरकारों द्वारा डिस्कॉम्स के 75 प्रतिशत ऋण को अधिग्रहित कर लिया गया है तथा शेष ऋण को चुकाने के लिए कम ब्याज वाले बॉण्ड जारी किए गए हैं। डिस्कॉम्स से परिचालन और वित्तीय कुप्रबंधन की घटनाओं को अत्यधिक कम करने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि, उदय (UDAY) के अंतर्गत शुरूआती दौर में कुछ प्रगति देखी गई थी, लेकिन यह कार्यक्रम विद्युत वितरण कम्पनियों के घाटे को कम करने में असफल रहा है।

डिस्कॉम्स की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई अन्य पहलें:

- **अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 ट्रिलियन रूपये के प्रोत्साहन पैकेज के भाग के रूप में 90,000 करोड़ रूपये का बेलआउट पैकेज प्रदान किया गया है।** विद्युत वितरण कंपनियों को ये निधियां राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी के एवज में टैरिफ में अस्थायी कमी के साथ प्रदान की जानी थीं।
- **प्रस्तावित वितरण सुधार योजना:** विद्युत क्षति को 12 प्रतिशत से नीचे लाने के उद्देश्य से अंतरिम रूप से **अटल वितरण प्रणाली सुधार योजना (Atal Distribution System Improvement Yojana: Aditya)** को शुरू किया गया है। इस योजना के उद्देश्यों में विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना, राज्य द्वारा संचालित **विद्युत वितरण कंपनियों का निजीकरण करना** आदि जैसे उपागमों को अपनाना और **प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना** शामिल हैं।
- सब्सिडी के बेहतर लक्ष्यीकरण और विद्युत वितरण कंपनियों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के क्रम में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना को कार्यान्वयित करते हुए **विद्युत क्षेत्रक में सुधार किए गए हैं।**
- **विद्युत (संशोधन) अधिनियम, 2003** के मसौदे के तहत, सरकार ने विद्युत खरीद समझौतों को लागू करने के लिए विद्युत अनुबंध प्रवर्तन प्राधिकरण (Electricity Contract Enforcement Authority) की स्थापना की है।
- **उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY) के अंतर्गत कार्यशील पूंजी उधार सीमा में एकबारगी छूट की व्यवस्था की गई है।** विद्युत वितरण कंपनियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कार्यशील पूंजी उधार की अनुमति दी जाएगी, जो **विद्युत उत्पादन और पारेषण फर्मों की बकाया राशि चुकाने के लिए** पिछले वर्ष के राजस्व के 25% तक हो सकती है।

डिस्कॉम्स के निजीकरण के लाभ

- **अन्य राज्यों के उदाहरण:** ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं, जहाँ निजी प्रतिभागी मौद्रिक कमी से ग्रसित डिस्कॉम्स को अधिक दक्ष बनाने, उनकी आय में वृद्धि करने और बेहतर उपभोक्ता सेवाओं के संचालन में सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए- वर्ष 2002 में निजीकरण के बाद दिल्ली में AT&C हानि 53 प्रतिशत से कम होकर लगभग 8 प्रतिशत तक पहुँच गयी है।
- बेहतर नेटवर्क दक्षता और राजनीतिक हस्तक्षेप की कमी के माध्यम से **परिचालन स्वायत्तता** को स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- **उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाएं:** स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के उपयोग से उपभोक्ता पारदर्शिता को बनाए रखने में सहायता मिलेगी और इससे डिस्कॉम्स को सकल AT&C हानि को कम करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही, इससे बिलिंग परिशुद्धता (billing accuracy) सुनिश्चित होती है, जिससे मानवीय त्रुटियों की संभावना अत्यंत कम हो जाती है।
- भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को **निजी क्षेत्रक में निवेश हेतु प्रेरित करके,** विविध प्रकार के सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडलों का परीक्षण किया जाएगा और प्राप्त सुधारों के आधार पर निजीकरण को अपनाने के लिए यह बड़े राज्यों व जनोपयोगी-सेवाओं को भी प्रेरित करेगा।

आगे की राह

- **राज्यों में प्रचलित विधियों/नियमों को अपनाए जाने की आवश्यकता:** हमारी संघीय व्यवस्था में विद्युत समवर्ती सूची का भाग है। अतः केंद्र नीतिगत दिशा-निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन निजीकरण के निर्णय सहित **कार्यान्वयन कार्य को राज्यों द्वारा सुनिश्चित** किया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र इस हेतु एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इसे आगे **राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम्स के लिए लागू** किया जाना चाहिए।
- **नियामक निकायों को अधिकाधिक स्वायत्तता:** डिस्कॉम्स का निजीकरण तब तक सार्थक नहीं होगा, जब तक कि प्रणालीगत चुनौतियों का समाधान न किया जाए। उदाहरण के लिए- राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा समय पर टैरिफ आदेश तैयार करने में निष्क्रियता से टैरिफ वृद्धि प्रभावित हो रही है, जिससे विद्युत वितरण कंपनियां लाभ प्राप्त करने में अक्षम बनी हुई हैं।

VISION IAS

* **राजस्व मॉडल को नया स्वरूप प्रदान करना:** रूफटॉप सोलर और कॉर्पोरेट पी.पी.ए. (PPAs) आधारित डायरेक्ट सोर्सिंग के चलते समग्र ऊर्जा मिश्रण में वृद्धि हुई है। डिस्कॉम्स के लिए ऐसे राजस्व मॉडल को एक नए सिरे से विकसित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो रूफटॉप सोलर और ओपन एक्सेस विद्युत के विकास के लिए अनुकूल हो। यह सामग्रियों और पारेषण की दिशा में इस क्षेत्र से जुड़े सुधारों को अपनाने में सहायक होगा।

10.2. कोयला, तेल एवं गैस (Coal, Oil and Gas)

परिचय

भारत में वर्ष 2018-19 के दौरान कच्चे कोयले का समग्र उत्पादन 73.04 करोड़ टन था और 8.1 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ रहा था। इसके साथ ही, अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक बड़ी मात्रा में कोयला (1.26 करोड़ टन) का आयात भी किया गया था।

विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत का तेल उत्पादन सबसे कम है और समय के साथ इसमें गिरावट आ रही है। इस गिरावट का कारण **पुराने और प्रयुक्त हो चुके तेल क्षेत्र में आई गिरावट और कोई बड़ी नई खोज नहीं होना है।**

प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन **वर्ष 2017-18 से बढ़ रहा है और 2019-20 में** इसका अनुमानित उत्पादन **31.8 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) था।**

10.2.1. वाणिज्यिक कोयला खनन (Commercial Coal Mining)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोल ब्लॉक्स (कोयला खंडों) की नीलामी प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है।

कैप्टिव कोयला खनन से संबंधित समस्याएं

* वर्ष 2018-19 में कैप्टिव कोयला ब्लॉकों से केवल 25.1 मिलियन टन (MT) कोयले का उत्पादन हुआ था। यह वर्ष 2014-15 के 43.2 मीट्रिक टन उत्पादन से अत्यधिक कम है तब उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे 204 कोयला खदानों के लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया था।
* कैप्टिव खनन के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि यह माना गया था कि विद्युत उत्पादकों, इस्पात निर्माताओं आदि को खनन के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त है और साथ ही इनकी रूचि भी है।
* साथ ही, इसने इकॉनमी ऑफ़ स्केल को भी अवरुद्ध किया है।

पृष्ठभूमि

* **कोयला भंडार की दृष्टि से भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है** और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है। साथ ही, भारत दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक देश भी है।
* **कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 {Coal Mines (Nationalisation) Act, 1973}** द्वारा कोयला खनन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ताकि उपयुक्त कोयला आपूर्ति के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित और निम्नस्तरीय कामकाजी परिस्थितियों का समाधान किया जा सके। इसलिए, निजी क्षेत्र की फर्मों को केवल कैप्टिव यूज अर्थात् अपने सीमेंट, इस्पात, विद्युत और एल्यूमीनियम संयंत्रों (अर्थात् स्वयं के उपयोग के लिए) में उपयोग करने के लिए ही कोयला खनन करने की अनुमति प्रदान की गई थी।
* हालांकि, वर्ष 2014 में, उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1993-2014 के मध्य आवंटित **204 कोयला खानों/ब्लॉक्स** के परिचालन को निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार इसके कारण सरकार को 1.85 लाख करोड़ की क्षति हुई थी।
* तत्पश्चात, सरकार द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला ब्लॉक्स आवंटित करने के लिए **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 {Coal Mines (Special provisions) (CMSP) Act, 2015}** को अधिनियमित किया गया।
* CMSP अधिनियम के लागू होने से पूर्व, कोयले खानों को नीलामी के माध्यम से कभी भी आवंटित नहीं किया गया था। सामान्यतः कंपनियाँ कोयला ब्लॉक्स के लिए आवेदन करती थीं और एक अंतर-मंत्रालय समिति द्वारा जांच के बाद उन्हें अधिकार प्रदान कर दिए जाते थे।
* हाल ही में, सरकार ने **खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Mineral Laws (Amendment) Act, 2020}** को अधिनियमित किया है, जिसके माध्यम से "खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957" {Mines and

Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)} तथा CMSP अधिनियम, 2015 को संशोधित करते हुए वर्तमान नीलामी प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है।

कोयला क्षेत्रक में हाल ही में उठाए गए अन्य कदम

- कोयला खानों से उपभोक्ता तक कोयले की ढुलाई की दूरी को न्यूनतम करने के लिए **कोयला लिंकेज को युक्तिसंगत बनाया गया** है।
- **कोयला लिंकेज नीति** के अंतर्गत, विद्युत उत्पादकों को कोयला उत्पादकों के साथ एकीकृत किया गया है। लिंकेज के अंतर्गत प्रतिबद्धताएं बाध्यकारी होती हैं तथा कोयले को अन्य उपभोक्ताओं को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
- ताप विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति होने वाले कोयले की **अनिवार्य रूप से धुलाई किए जाने के प्रावधान को समाप्त करने के लिए** पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया है, क्योंकि इस प्रावधान के कारण उद्योग जगत कोयला के आयात को वरीयता देते थे। इसके स्थान पर, ताप विद्युत संयंत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे राख सामग्री के निस्तारण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें।
- **खनन योजना की तैयारी, प्रसंस्करण और अनुमोदन संबंधी दिशा-निर्देशों** को सरलीकृत कर इसे संशोधित किया गया है तथा **ऑनलाइन एकल खिड़की अनुमोदन प्रणाली विकसित करने** के लिए उपाय किए जा रहे हैं।
- **आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भी अनेक घोषणाएं की गई हैं, जैसे-** कोयला निष्कर्षण और परिवहन के लिए अवसंरचना निर्माण पर 50,000 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा; समय से पहले उत्पादन, निर्धारित लक्ष्य से अधिक उत्पादन और गैसीकरण में उपयोग किए जाने वाले कोयले के लिए, सरकार को देय **राजस्व हिस्सेदारी में छूट** दी गयी है आदि।

वाणिज्यिक कोयला खनन के अपेक्षित लाभ

- **आर्थिक लाभ:** वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खंडों की प्रस्तावित नीलामी से 2.8 लाख से अधिक रोजगारों का सृजन होगा तथा 33,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। कोयला खनन उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से नवीन प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सुविधाजनक होगा।
- **आयात में कमी:** निजी प्रतिभागियों को सम्मिलित करने और उनके निवेश से घरेलू कोयले की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता मिलेगी तथा आयातों को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित किया जा सकेगा। नीलामी के लिए प्रस्तावित 41 खानों से 225 मिलियन टन (mt) कोयला उत्पादन होने की संभावना है। इससे वर्ष 2025-26 तक भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत भाग प्राप्त होने का अनुमान है।
- **ग्राहक की लागत में कमी:** कोयले का अधिक उत्पादन और अधिशेष उपलब्धता, विद्युत की लागत को कम कर सकती है, क्योंकि वर्तमान में भारत के लगभग 70 प्रतिशत विद्युत का उत्पादन कोयला संचालित संयंत्रों द्वारा किया जाता है।
- **सरकार को राजस्व:** यह संभावना है कि वाणिज्यिक कोयला खनन के कारण राज्य सरकारों को 20,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा।
- **कोयला क्षेत्रों का विकास:** कोयला खनन के माध्यम से उत्पन्न राजस्व द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन निधि (MMDR संशोधन अधिनियम, 2015 के अंतर्गत स्थापित) में फंडिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिसे खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों और आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के संचालन पर खर्च किया जा सकेगा।

चुनौतियां

- **नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन की लागत लगातार कम होती जा रही है,** इसलिए निजी प्रतिभागी भी कोयला जैसे पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं।
- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Electricity Authority: CEA) द्वारा यह संभावना व्यक्त गई है कि **कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रो की क्षमता का उपयोग (Capacity Utilization) घटकर वर्ष 2022 तक 48 प्रतिशत हो जाएगा**, क्योंकि गैर-तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो रही है। यह निवेशकों को अत्यधिक हतोत्साहित कर सकता है।
- कोल इंडिया लिमिटेड के आकलन के अनुसार, केवल **21 बिलियन टन कोयले का ही तकनीकी और आर्थिक रूप से निष्कर्षण किया जा सकता है**। इस प्रकार, भारत में अगले कुछ वर्षों में 300 मीटर की गहराई तक आसानी से निकालने योग्य कोयले में कमी आ सकती है। इसका मतलब यह होगा कि कंपनियों को अत्यधिक गहराई तक खनन करने की आवश्यकता होगी, जिससे उत्पादन की लागत में वृद्धि होगी और साथ ही पहले की तुलना में अधिक मशीनीकरण की आवश्यकता होगी।
- कुछ राज्यों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है कि खानों के आवंटन को मान्यता प्रदान करने में **राज्य सरकारों और ग्राम सभा की शक्तियों/अधिकारों की अवहेलना सहकारी संघवाद (cooperative federalism) के विरुद्ध है** और इससे राज्यों/गांवों को राजस्व की हानि होती है।
- इससे अधिग्रहण (acquisition), प्रभावित लोगों के पुनर्वास (rehabilitation) और पुनर्स्थापन (resettlement), पर्यावरणीय ह्रास (environmental degradation) संबंधी जोखिम जैसी **सामाजिक-आर्थिक चिंताएं उत्पन्न हो सकती** हैं।

VISION IAS

आगे की राह

- कोयला खंडों का निर्धारण करने, निवेश को सुगम बनाने और साथ ही मूल्यांकन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक **स्वतंत्र नियामक निकाय** की स्थापना की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए **कोयला नियामक प्राधिकरण विधेयक, 2013** (Coal Regulatory Authority Bill, 2013) को संसद में पुर:स्थापित किया गया था। हालांकि, यह व्यपगत हो गया है।
- **अल्पकालिक लागत बचत और दीर्घ अवधि के पर्यावरणीय प्रभाव के मध्य संतुलन स्थापित किया जाना चाहिए।** इसके लिए छोटे खनन क्षेत्रों को संयोजित कर बड़ी क्षमता वाली एकल खान के रूप में विकसित करने और संधारणीय कोयला उपभोग को बढ़ावा देने तथा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट को कम करने की आवश्यकता है।

प्रकाश पोर्टल

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **प्रकाश {आपूर्ति में समन्वय के जरिये विद्युत रेल कोयला उपलब्धता (PRAKASH- Power Rail Koyla Availability through Supply Harmony)}** पोर्टल लॉन्च किया है।

प्रकाश पोर्टल के बारे में

- इस पोर्टल का उद्देश्य सभी हितधारकों, यथा- विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया, रेलवे और विद्युत सेवाओं के मध्य कोयला आपूर्ति का बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है।
- यह तापविद्युत संयंत्रों में कोयले की पर्याप्त उपलब्धता और इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

10.2.2. एकीकृत गैस मूल्य प्रणाली (Unified Gas Price System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार प्राकृतिक गैस की खपत को बढ़ावा देने के लिए **नेचुरल गैस के परिवहन की लागत में कटौती** करने की योजना बना रही है। लंबी दूरी तक गैस के परिवहन हेतु एक निश्चित प्रशुल्क निर्धारित करके **प्राकृतिक गैस के परिवहन की लागत में कटौती के माध्यम से** इसे मूर्त रूप दिया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, गैस परिवहन के लिए प्रशुल्क को **300 कि.मी. के क्षेत्रों में विभाजित** किया गया है, जिसमें गैस के प्रवेश बिंदु से दूर जाने के साथ-साथ प्रशुल्कों में भी वृद्धि होती जाती है।
- इस प्रकार, प्राकृतिक गैस के प्रवेश बिंदु से आगे **इन प्रशुल्कों के कारण खरीददारों के लिए गैस की लागत बढ़ जाती है।** चूंकि, भारत की संपूर्ण आयातित प्राकृतिक गैस पश्चिमी तट पर स्थित टर्मिनलों पर पहुंचती है, इस कारण, देश के पूर्वी भाग में स्थित क्रेताओं के लिए लागत में वृद्धि हो जाती है।
- **नवीन प्रस्ताव:** एकीकृत मूल्य प्रणाली के तहत **300 कि.मी. के भीतर** गैस परिवहन करने वालों के लिए एक समान मूल्य होगा और **300 कि.मी. से अधिक दूरी तक** गैस परिवहन करने वालों के लिए भी एक अन्य समान मूल्य होगा।
- साथ ही, **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (PNGRB)** ने एक नई प्रणाली के संबंध में एक विवेचना पत्र प्रकाशित किया है, जिसके तहत एक पाइपलाइन नेटवर्क के अंतर्गत गैस के खरीदारों से प्रत्येक पाइपलाइन हेतु एक समान प्रशुल्क वसूला जाएगा

एकीकृत गैस मूल्य निर्धारण प्रणाली से अपेक्षित लाभ

- **कुल लागत में कमी:** वर्तमान में, निम्न अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के कारण गैस की परिवहन लागत अंतिम लागत की लगभग 10 प्रतिशत है। सामान्यतः यह प्राकृतिक गैस की कीमत का लगभग 2-3 प्रतिशत होता है।
- **प्रशुल्क में कटौती:** वर्तमान में, यदि एक ख़रीदार को एक ही ऑपरेटर से कई पाइपलाइनों द्वारा आपूर्ति की आवश्यकता है, तो विभिन्न क्षेत्रों के तहत प्रशुल्कों को जोड़कर परिवहन शुल्क में वृद्धि होगी।
- **एकल बाजार:** यह गैस ग्रिड को पूर्ण करने हेतु निवेश आकर्षित करके, तथा देश भर में प्राकृतिक गैस तक एक समान पहुंच सुनिश्चित करके एकल गैस बाजार के निर्माण को सुगम बनाएगी।
- **गैस आधारित अर्थव्यवस्था:** यह देश भर में गैस वहनीयता (gas affordability) में सुधार के साथ-साथ गैस अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगी। यह देश की कुल ऊर्जा में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान के 6 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत करने के सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगी।
- **नवीन गैस बाजारों का विकास:** वर्तमान प्रणाली से पाइपलाइन प्रशुल्कों में व्यापक असमानता उत्पन्न होती है, तथा इस प्रकार यह दूरदराज के इलाकों में **नई मांग के केंद्रों (new demand centers)** के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती है।

VISION IAS

गैस के मूल्य निर्धारण के समक्ष अन्य चुनौतियाँ

- **मूल्य निर्धारण प्रणाली: घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश, 2014 (Domestic Natural Gas Pricing Guideline 2014)** के अंतर्गत **घरेलू स्तर पर उत्पादित गैस का मूल्य** संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, एवं रूस जैसे **गैस निर्यातक देशों में प्रचलित औसत दर** पर निर्धारित किया जाता है।
    - इस सूत्र में **भारत में वास्तव में गैस के आयात का कोई उल्लेख नहीं होता,** जिसका अर्थ है कि घरेलू गैस का मूल्य निर्धारण बाजार की मांग व आपूर्ति के अनुरूप नहीं है।
    - साथ ही, घरेलू गैस मूल्य निर्धारण तिमाही अंतराल पर अधिसूचित किया जाता है। **एक तिमाही के अंतराल का अर्थ** यह है कि घरेलू गैस मूल्य निर्धारण प्रायः वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ समकालिक नहीं होता।
- **बहु-मूल्य निर्धारण क्रियाविधि:** देश में प्राकृतिक गैस आपूर्ति के लिए **उर्वरक जैसे सब्सिडी वाले क्षेत्रकों के लिए प्रशासित मूल्य व्यवस्था** के साथ बहु-मूल्य निर्धारण व्यवस्था प्रचलित है। इस नियंत्रित मूल्य निर्धारण से **इस क्षेत्रक में विशेषकर** विदेशी कर्ताओं द्वारा **निवेश हतोत्साहित होता है।**
- **GST के दायरे से बाहर:** चूंकि गैस मूल्य निर्धारण GST के अंतर्गत नहीं है, इस कारण से प्राकृतिक गैस के उत्पादन व संबंधित मूल्य श्रृंखला पर विभिन्न प्रकार के कर की दरें लागू होती हैं, जैसे कि अलग-अलग राज्यों में पाइपलाइन तथा खुदरा बिक्री पर।

आगे की राह

- **मूल्यों का विनियंत्रण:** भारत को **गैस मूल्य निर्धारण पर केंद्रीय नियंत्रण** को समाप्त करना होगा, जिससे स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विदेशी निवेश को आकर्षित करना संभव हो सके।
- **गैस परिवहन एवं विपणन का पृथक्करण** निजी भागीदारी को बढ़ाने एवं पाइपलाइन नेटवर्क के विकास में सहायक होगा।
- **बेहतर विनियमन:** प्राकृतिक गैस बाजार गतिविधियों (अपस्ट्रीम, मिडस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम) के विनियामकीय पर्यवेक्षण के संबंध में भूमिका व उत्तरदायित्वों को सुदृढ़ एवं स्पष्ट करना।
- **GST के दायरे में लाना:** अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency: IEA) ने कराधान हेतु गैस के साथ अन्य ईंधनों की भांति समान रूप से व्यवहार किया जाना सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है तथा इसे GST के दायरे में लाने का भी सुझाव दिया है।
- निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए **प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को अवसंरचना का दर्जा प्रदान** करना क्योंकि यह प्राकृतिक गैस की मांग में वृद्धि करने और इस प्रकार **लागत कम करने** की पहली शर्त है।

बेहतर मूल्य निर्धारण के लिए उठाए गए कदम

- **गैस प्राइस पूलिंग 2015:** इस योजना के अंतर्गत, वहनीय **घरेलू गैस का मूल्य** उर्वरक कारखानों के लिए एक समान बनाने हेतु महंगे आयातित LNG के लागत का औसत होगा या इसके साथ संयोजित किया जाएगा।
- **हाइड्रोकार्बन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति:** नवीन अन्वेषण नीति के तहत उत्पादित सभी गैस को बाजार-आधारित मूल्यों पर बेचा जा सकता है, यद्यपि यह मूल्य निर्धारण की व्यवस्था के अधीन है।

10.2.2.1. इंडियन गैस एक्सचेंज (Indian Gas Exchange: IGX)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रथम गैस एक्सचेंज नामतः 'इंडियन गैस एक्सचेंज' (IGX) का शुभारंभ किया गया। **इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX)** द्वारा IGX की स्थापना की गयी है। यह IEX के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है।

इंडियन गैस एक्सचेंज (IGX) के बारे में

- यह एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यह प्राकृतिक गैस के क्रेताओं तथा विक्रेताओं को आयातित प्राकृतिक गैस के लिए स्पॉट मार्केट (हाजिर बाजार) तथा फॉरवर्ड मार्केट (वायदा बाजार), दोनों में व्यापार के अवसर प्रदान करेगा। IGX अग्रलिखित तीन केन्द्रों के माध्यम से इसकी सुविधा प्रदान करेगा- दाहेज व हजीरा (गुजरात) तथा काकीनाडा (आंध्रप्रदेश)।
- आयातित **तरलीकृत प्राकृतिक गैस (Liquified Natural Gas: LNG)** को रिगैसीफायड कर इस एक्सचेंज के माध्यम से सीधे क्रेताओं को बेचा जाएगा। इस प्रकार क्रेताओं तथा विक्रेताओं को अब पहले से ही एक-दूसरे से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी।
    - बोली प्रक्रिया (Bidding) एक बेनामी तरीके से आयोजित की जाती है, जिसमें क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे से अवगत नहीं होते हैं।

VISION IAS

- **देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस** की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है तथा इसका विक्रय इस गैस एक्सचेंज के माध्यम से नहीं किया जाएगा।
    - प्राकृतिक गैस के वर्तमान घरेलू स्रोतों की उत्पादकता में कमी होने के कारण विगत दो वित्तीय वर्षों से गैस के घरेलू उत्पादन में गिरावट आई है।
    - वर्तमान में देश की प्राकृतिक गैस की कुल खपत के आधे से भी कम की आपूर्ति घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस के माध्यम से की जाती है, जबकि आधे से अधिक मांग की पूर्ति आयातित LNG द्वारा की जाती है। इसलिए, IGX द्वारा आयातित LNG के व्यापार को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अपेक्षित लाभ

- यह एक्सचेंज प्राकृतिक गैस के व्यापार में पारदर्शी मूल्य की सुविधा प्रदान करेगा तथा भारत के एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को बढ़ावा देगा।
    - भारत द्वारा **वर्ष 2030 तक अपने एनर्जी बास्केट में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को वर्तमान के 6.5% से बढ़ाकर 15% तक पहुँचाने** का नीतिगत लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- यह व्यापार मंच, मूल्य-शृंखला के सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा, जिससे नवीन व्यापार मॉडल तथा कुशल लागत-संरचनाओं के निर्माण में मदद मिलेगी, और परिणामस्वरूप गैस की समग्र वहनीयता को समर्थन प्राप्त होगा।

10.2.2.2. राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने **नार्थ-ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड** की स्थापना के लिए, इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड को **व्यवहार्यता अंतराल निधियन (Viability Gap Funding: VGF)** के रूप में **पूंजीगत अनुदान** देने को स्वीकृति प्रदान की है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid)

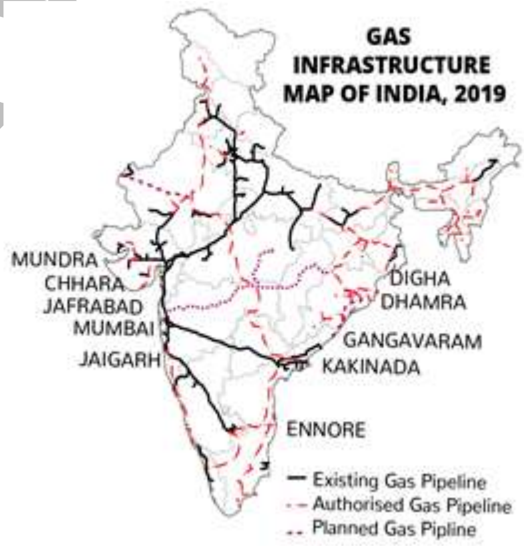

- गैस पाइपलाइन अवसंरचना वस्तुतः **प्राकृतिक गैस के परिवहन का एक वहनीय और सुरक्षित तरीका** है जो गैस स्रोतों को गैस की खपत वाले बाजारों से जोड़ता है। गैस पाइपलाइन ग्रिड गैस बाजार की संरचना और इसके विकास को निर्धारित करता है। इसलिए, देश के सभी भागों में प्राकृतिक गैस की पर्याप्त उपलब्धता और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक **अंतर्संबद्ध (interconnected) राष्ट्रीय गैस ग्रिड की परिकल्पना की गई है।**
- वर्तमान में, देश में लगभग **16,800 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क** संचालित है। देश भर में प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराने के लिए, लगभग **14,300 किलोमीटर अतिरिक्त पाइपलाइन को विकसित करके राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूरा करने की परिकल्पना की गई है** और इनका विकास कई चरणों में किया जाना है।
- यह सभी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करेगा और समान आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति में संभावित रूप से सहायक होगा।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड के लक्ष्य और उद्देश्य

- प्राकृतिक गैस की पहुंच के संबंध में देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना और संपूर्ण देश में स्वच्छ एवं पर्यावरण-अनुकूल ईंधन उपलब्ध कराना।
- गैस स्रोतों को प्रमुख मांग केंद्रों से जोड़ना और विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- CNG और PNG की आपूर्ति के लिए विभिन्न शहरों में शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क का विकास।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शहरी गैस वितरण (City Gas Distribution: CGD) नेटवर्क पर एक नीतिगत मसौदा जारी किया है।

इस मसौदा नीति के प्रमुख प्रावधान

- यह **मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति** के गठन का सुझाव प्रदान करती है, जो नीतियां बनाने और CGD अवसंरचना विकसित करने के लिए **विभिन्न अनुमतियां प्राप्त करने** की प्रक्रियाओं का निर्धारण करने में सहायता करेगी।
    - इसके अंतर्गत CGD अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देने और इज ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के लिए राज्य में उपयुक्त **सिंगल-विंडो**

VISION IAS

क्लीयरेंस तंत्र स्थापित किए जाएंगे।
  - यह समिति राज्य के पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन विभागों, NHAI, रेलवे आदि से अनुमतियां प्राप्त करने की उपयुक्त विधि निर्धारित करेगी।
- राज्य परिवहन निगम नई बसों की खरीद और वर्तमान वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों में रेट्रोफिटिंग करते समय CNG/LNG बसों को प्राथमिकता प्रदान करेंगे।
- इस मसौदा नीति में कहा गया है कि CNG/LNG के लिए **VAT** दरों की समीक्षा की जा सकती है और इसे 5% **तक सीमित** किया जा सकता है।
- यह राज्यों को विद्युत चालित वाहनों के साथ ही CNG से चलने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स को तर्कसंगत बनाने के लिए प्रावधान करता है।

शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत, PNGRB, निकायों को देश के किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में CGD नेटवर्क (PNG नेटवर्क सहित) विकसित करने का प्राधिकार प्रदान करता है।
- **CGD क्षेत्र के चार अलग-अलग खंड हैं-** कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) का उपयोग मुख्य रूप से वाहनों के ईंधन के रूप में और पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) का उपयोग घरेलू, वाणिज्यिक तथा औद्योगिक खंडों में किया जाता है।
- वर्ष 2018 में शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क के प्राधिकार/निविदा से संबंधित विनियमों में संशोधन किया गया। PNGRB ने देश भर में 407 जिलों को कवर करते हुए CGD नेटवर्क का विकास करने के लिए 229 भौगोलिक क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया है।
  - इसमें देश के क्षेत्रफल का लगभग 53% और देश की जनसंख्या का 70% भाग शामिल है। यह पर्यावरण अनुकूल ईंधन अर्थात् CNG/PNG को जनता के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराएगा।
- CGD नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने PNG (घरेलू) और CNG (परिवहन) खंडों में घरेलू गैस आवंटन को प्राथमिकता प्रदान की है। CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) क्षेत्रों में गैस की 100% आवश्यकता को घरेलू गैस की आपूर्ति के माध्यम से पूरा करने का निर्णय लिया गया है, जो आयातित गैस की तुलना में सस्ता है।
- वर्तमान में, CNG (परिवहन) और PNG (घरेलू) के रूप में CGD क्षेत्रक घरेलू गैस का लगभग 14.36 MMSCMD (मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर पर डे) का उपभोग कर रहा है।

निष्कर्ष

गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बल प्रदान करने और देश के प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु सरकार विशेष कदम उठा रही है। इसमें गैस अवसंरचना तक मुक्त पहुंच प्रदान करके घरेलू गैस उत्पादन बढ़ाना, पाइपलाइन, शहरी गैस वितरण (CGD) नेटवर्क और पुन: गैसीकृत द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (R-LNG) टर्मिनल सहित गैस अवसंरचनाओं के त्वरित विकास और गैस के बाजार विकसित करना शामिल है।

10.3. नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)

परिचय

भारत ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा दक्षता, विकार्बनीकरण और संधारणीयता इत्यादि जैसे कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग कर रहा है। भारत की जीवाश्म ईंधन आवश्यकताएं, जिसमें लगभग 90% प्राथमिक ऊर्जा की आपूर्ति सम्मिलित है, तेजी से आयातों से पूरी की जा रही हैं।

भारत पेरिस समझौते में व्यक्त गई अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। भारत ने **वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 175 गीगावाट (GW) विद्युत के लक्ष्य** की घोषणा की थी और यह **पहले ही 83 गीगावाट (GW) का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है।** भारत ने इसे 450 गीगावाट (GW) तक बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है।

10.3.1. विद्युत खरीद समझौता (Power Purchase Agreements)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विभिन्न राज्य, नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ विद्युत खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements: PPAs) पर पुनर्वार्ता (renegotiate) करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

VISION IAS

PPAs क्या हैं?

- **PPA** वस्तुतः विद्युत उत्पादनकर्ता और विद्युत की खरीद करने वाले (दो) पक्षों के मध्य एक अनुबंध को संदर्भित करता है।
- भारत में, राज्य सरकारों ने विद्युत संयंत्र स्थापित करने और सरकार को पुन: विद्युत विक्रय करने हेतु निजी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ ऐसे समझौते किए हैं।
  - PPA के होने से, देश में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता है और वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों को विद्युत खरीद के संबंध में नीतिगत निश्चितता प्रदान करके उन्हें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

विद्युत खरीद समझौतों का महत्व

राज्य के लिए

- किसी प्रकार का परिचालन और अनुरक्षण संबंधी उत्तरदायित्व नहीं;
- जटिल प्रणाली को अभिकल्पित करने और अनुमति प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं; और
- 15-25 वर्षों के लिए विद्युत की अनुमानित कीमत।

ऊर्जा कंपनियों के लिए

- **सुनिश्चित थोक खरीद:** क्योंकि इसमें राज्य शामिल होते हैं जिनके डिफ़ॉल्ट होने की संभावना न्यूनतम होती है।
- **बेहतर परियोजना संरचना:** PPA विद्युत की मांग के संबंध में अनिश्चितताओं को समाप्त करता है तथा परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए विद्युत खरीद की मात्रा और भुगतान की जाने वाली कीमत के संबंध में कुछ गारंटी प्रदान करता है।
- **प्रतिस्पर्द्धा से सुरक्षा:** क्योंकि इससे सस्ती अथवा सब्सिडी प्राप्त घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा का सामना नहीं करना पड़ता है।

नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के साथ PPAs के संबंध में वर्तमान स्थिति

- हाल के दिनों में, कुछ राज्य सरकारों ने अपने संबंधित समझौतों की समीक्षा की है अथवा उनसे बाहर हो गई है।
  - **उत्तर प्रदेश सरकार** ने यह निर्दिष्ट करते हुए पवन ऊर्जा संयंत्रों से **650** मेगावाट विद्युत खरीद को रोक दिया है कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने इन संयंत्रों के लिए प्रशुल्कों को स्वीकृति प्रदान नहीं की है।
  - **आंध्र प्रदेश सरकार** ने **139** सौर एवं पवन ऊर्जा संबंधी अनुबंधों में अधोगामी संशोधन (downward revision) की मांग की है।
- बढ़ते ऋणों और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (DISCOMs) द्वारा असामयिक भुगतानों के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। इस पृष्ठभूमि में, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को अनुबंधों की शुचिता को बनाए रखने की सलाह दी है।

ये राज्य PPAs पर पुनर्वार्ता करना क्यों चाह रहे हैं?

- **प्रशुल्कों की गतिशील प्रकृति:** परिवर्तनशील प्रशुल्कों के कारण, कई राज्य विद्युत बोर्ड (SEB) अपने प्रशुल्क समझौतों पर पुनर्वार्ता करना चाह रहे हैं, जैसे- आंध्र प्रदेश ने वर्ष 2015 में विभिन्न पवन ऊर्जा उत्पादकों के साथ लगभग 4.76 रुपये प्रति यूनिट की दर से PPA पर हस्ताक्षर किया था, जो तत्समय प्रतिस्पर्धी प्रतीत हो सकती थी, लेकिन वर्तमान में, भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) 3.46 रुपये प्रति यूनिट की निम्नतम दर की निविदा प्राप्त करने में सफल रहा है।
- **PPA की दीर्घावधि:** PPA पर 15-25 वर्षों की दीर्घावधि के लिए हस्ताक्षर किया जाता है लेकिन अब राज्यों को PPA के तहत निर्धारित किए गए सहमत प्रशुल्क अधिक प्रतीत हो रहे हैं।
- **DISCOMs की वित्तीय स्थिति:** इन राज्यों में DISCOMs वित्तीय संकट से गुजर रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण पवन और सौर ऊर्जा संबंधी PPA के उच्च प्रशुल्कों का होना है।

PPA पर पुनर्वार्ता के संभावित प्रभाव

- **निवेशक की भावना प्रभावित:** अनुबंधों के निरसन और समझौतों से बाहर होने से निवेशकों की भावनाएं प्रभावित होंगी और नए निवेश हतोत्साहित होंगें।
- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि की संभावना:** चूंकि बैंकों ने इन विकासकर्ताओं को अत्यधिक ऋण प्रदान किया है, ऐसे में परियोजनाओं के बंद होने की स्थिति में ऋणों का पुनर्भुगतान प्रभावित हो सकता है। इससे एक नया चक्र आरंभ हो सकता है जहां बैंकों द्वारा ऐसे उद्यमियों को और अधिक ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा।
- **नवीकरणीय ऊर्जा के लिए भारत का लक्ष्य:** इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की संस्थापना का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।

आगे की राह

राज्यों को UDAY के अंतर्गत विद्यमान तंत्र और उपलब्ध अन्य सुधारों का उपयोग करके DISCOMs की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। DISCOMs की खराब वित्तीय स्थिति के लिए PPA को दोष देने के बजाय अन्य मुद्दों के साथ-साथ मीटरिंग, संग्रह, निम्न विद्युत प्रशुल्क से संबंधित निष्फलताओं की समीक्षा की जानी चाहिए।

10.3.2. चौबीस घंटे अर्थात् राउंड द क्लॉक विद्युत आपूर्ति हेतु मिश्रित (बंडलिंग) योजना {Bundling Scheme For Round-The-Clock (RTC) Power Supply}

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, विद्युत मंत्रालय ने एक मिश्रित योजना (Bundling Scheme) के माध्यम से **वितरकों को चौबीसों घंटे विद्युत की आपूर्ति प्रदान करने के लिए नए दिशा-निर्देश** जारी किए हैं, **जो विश्व में अपनी तरह की प्रथम योजना है।**

मिश्रित (बंडलिंग) योजना के बारे में

- मिश्रित (बंडलिंग योजना) योजना वस्तुतः **नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy: RE) और तापीय विद्युत (Thermal Power) के मिश्रण** के विक्रय की एक योजना है, ताकि अंतिम उपयोगकर्ताओं को विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण में **ग्रिड से जुड़ी हुई सौर ऊर्जा** की सुविधा वाली इस प्रकार की योजना के लिए व्यवस्था की गई थी।
- यह कोयला आधारित ताप विद्युत के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से DISCOMs को चौबीस घंटे विद्युत प्रदान करेगा।
- यह योजना नवीकरणीय क्षमता में वृद्धि तथा विद्युत वितरण कंपनियों के **नवीकरणीय खरीद दायित्व (Renewable Purchase Obligation: RPO)** की आवश्यकता को पूर्ण करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- यह उपभोक्ता हित में **प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विद्युत की खरीद,** परियोजना प्रोमोटरों द्वारा ऋण के भुगतान में सुधार तथा निवेशकों को उचित लाभ सुनिश्चित करने में सक्षम बनाएगी।
- यह योजना अंतरराज्यीय/अंतःराज्यीय, दीर्घकालिक, विद्युत की खरीद-बिक्री के लिए एक एग्रीगेटर/व्यापारी के रूप में **मध्यस्थ उपार्जन करने वाली रूपरेखा** उपलब्ध कराएगी।

मिश्रित (बंडलिंग) योजना के लाभ

- यह विद्युत आपूर्ति के संबंध में **अनियमितता (intermittency), सीमित घंटों के लिए आपूर्ति तथा पारेषण अवसंरचना (Transmission infrastructure) के अपूर्ण दोहन** जैसे मुद्दों का समाधान करेगी।
- इन मुद्दों के कारण **विद्युत वितरण कंपनियों** को ग्रिड स्थिर रखने के लिए तथा RE की अनुपलब्धता के दौरान **अन्य स्रोतों से शेष ऊर्जा का उपार्जन करना पड़ता है।**
- यह **विद्युत वितरण कंपनियों** को की जाने वाली **विद्युत आपूर्ति की कुल लागत** को कम करेगा तथा RE की पैठ में वृद्धि करेगा।
- इस दृष्टिकोण के माध्यम से, **तापीय ऊर्जा का उपयोग RE को संतुलित करने के लिए किया जा सकता है** तथा विद्युत वितरण कंपनियों को चौबीस घंटे विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- बंडलिंग से **विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय भार में कमी आएगी** तथा वे अपनी देय राशि का भुगतान कर पायेंगी। साथ ही, विद्युत उत्पादकों को समय पर भुगतान मिल पाएगा तथा उनका पैसा अवरुद्ध होने के बजाय दोबारा व्यापार में लगाया जा सकेगा।
- यह तापीय ऊर्जा संयंत्र उत्पादकों के लिए **दीर्घकालिक ऊर्जा गठजोड़ का अवसर** उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगी, जो कि वर्तमान के प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी विद्युत की बिक्री करने में संघर्ष कर रहे हैं।
- यह निकायों के बाध्यकारी **RPO दायित्वों को पूर्ण करने** तथा साथ ही ग्रिड से जुड़े हुए सौर ऊर्जा उत्पादन में सहायता प्रदान करेगी।
- यह तापीय ऊर्जा की क्षमता के उपयोग में सुधार करेगी क्योंकि **कोयला-आधारित नवीन तापीय ऊर्जा संयंत्रों** में **रैंप दर (ramp rate)** (एक ऊर्जा संयंत्र का ऊर्जा आउटपुट कितनी शीघ्रता से परिवर्तित होता है) उच्च होती है।

इस योजना से संबंधित चिंताएं

- बंडलिंग में नियम निर्धारण के अतिरिक्त सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी तथा **विद्युत उत्पादकों को स्वयं ही पहल करनी होगी।**
- **संभावित बोली लगाने वालों की सीमित संख्या** के कारण, योजना की बोली में बहुत प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। इसलिए यह विद्युत

VISION IAS

वितरण कंपनियों को लागत के हिसाब से आकर्षक नहीं लग सकती है।

- **तापीय एवं RE परियोजनाओं** दोनों को **राज्य की ओर से भुगतान में विलंब** की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, कई राज्य उन **ऊर्जा खरीद समझौतों का सम्मान नहीं करते** हैं, जिस पर वे नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के साथ हस्ताक्षर करते हैं।
- योजना में **लागत संबंधित चिंता पर ध्यान नहीं दिया गया है,** जो कोयले की क़ीमत, सौर ऊर्जा के मामले में उपकरण की लागत एवं पवन ऊर्जा के मामले में बाजार की मांग पर अत्यधिक निर्भर है।

10.3.3. ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (Green Term Ahead Market: GTAM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission: CERC) ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) प्लेटफॉर्म पर **ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (GTAM)** अनुबंधों को मंजूरी प्रदान की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कदम **जून 2020 में पॉवर एक्सचेंज में रियल टाइम मार्केट (RTM) ट्रेडिंग को मंजूरी** मिलने के बाद उठाया गया।
- **IEX द्वारा वर्तमान में निम्नलिखित मॉडल के माध्यम से व्यापार किया जाता है:**
  - **डे अहेड मार्केट (Day Ahead Market: DAM),** जहां अग्रिम में एक दिवस के लिए विद्युत के लेन-देन की अनुमति होती है;
  - **टर्म अहेड मार्केट (Term Ahead Market: TAM),** जहां विद्युत का व्यापार अग्रिम में उस दिन से लेकर आगामी अधिकतम 11 दिनों तक होता है;
  - **नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र (Renewable Energy Certificate: REC),** जहां हरित ऊर्जा की विशेषता वाली विद्युत का व्यापार किया जाता है; और
  - **वास्तविक समय बाजार (Real time Market: RTM),** जहां घंटों पर आधारित समय खंडों या टाइम ब्लॉक पर भी नीलामी सत्र का आयोजन होता है, और व्यापार सत्र के बंद होने के एक घंटे बाद ही वितरण शुरू हो जाता है।
- यद्यपि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की पैठ बढ़ रही है, लेकिन **वर्तमान समय में DAM और TAM के संदर्भ में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी नगण्य (1% से भी कम) बनी हुई है।** इसका कारण यह है कि यहां परंपरागत विद्युत ऊर्जा और हरित ऊर्जा के बीच कोई अलगाव नहीं किया गया है। इसी समस्या से निपटने के लिए GTAM नामक एक वैकल्पिक और नए मॉडल को आरम्भ किया गया है।

Mechanism of G-TAM Trading

GTAM के बारे में

- GTAM को इसलिए आरंभ किया गया है ताकि **नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक** खुले बाजार में अपने द्वारा उत्पादित विद्युत को आसानी से बेच सकें। इसलिए, अब उन्हें दीर्घकालीन विद्युत खरीद समझौतों (Power Purchase Agreements: PPAs) में शामिल होने की आवश्यकता नहीं होगी।
- दूसरी ओर, GTAM **नवीकरणीय ऊर्जा के अल्प-कालिक (शॉर्ट-टर्म) व्यापार के लिए एक अनन्य मंच** प्रदान करेगा।

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (IEX) के बारे में

- IEX **भारत का पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज** है। यह विद्युत के भौतिक वितरण, नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण-पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वचालित व्यापार मंच उपलब्ध कराता है।
- IEX को **केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग** द्वारा विनियमित किया जाता है।

विद्युत क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट के लाभ

- यह **अधिशेष विद्युत के सर्वोत्तम उपयोग** को सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से विद्युत उत्पादक प्रतिबद्ध मांग से अधिक उत्पादन होने की स्थिति में अधिशेष ऊर्जा को बाजार में बेच सकते हैं।
- यह **डिमांड पैटर्न (मांग ढांचे)** में भिन्नता या परिवर्तन को प्रबंधित करेगा। आपूर्ति में आकास्मिक कमी की स्थिति में डिस्कॉम्स

(DISCOMS) इसके माध्यम से विद्युत का क्रय कर सकते हैं।

- रियल टाइम मार्केट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन (विशेषकर सौर और पवन ऊर्जा) की अनिरंतर और परिवर्तनीय प्रकृति के कारण ग्रिड प्रबंधन की चुनौतियों को कम करने में मदद करेगा। इस प्रकार यह ग्रिड में उच्च मात्रा में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को एकीकृत कर सकता है।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हेतु **कम समय की नीलामी अवधि, त्वरित सूचीबद्धता और निर्धारित प्रक्रिया** प्रतिभागियों को अखिल भारतीय ग्रिड के संसाधनों तक पहुंच स्थापित करने में समर्थ बनाएगी।

संभावित लाभ

- यह नवीकरणीय ऊर्जा से समृद्ध राज्यों के वित्तीय बोझ को कम करेगा। ऐसे में RPO के उपलब्ध होने के चलते ये राज्य अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
- हाल ही में, विद्युत क्षेत्र में शुरू किए गए रियल-टाइम ट्रेडिंग के साथ मिलकर यह नवीकरणीय ऊर्जा और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा के सहज एकीकरण में सहायक होगा।
- यह उत्तरदायी ईकाइयों को अपनी RPO मांग को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत पर नवीकरणीय विद्युत को खरीदने में सक्षम बनाएगा।
- यह नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में कारोबारी की क्षमता को बढ़ावा देगा और देश की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा।
- GTAM प्लेटफॉर्म नवीकरणीय ऊर्जा सेक्टर में भाग लेने वालों की संख्या में वृद्धि करेगा। प्रतिस्पर्धी कीमतों और पारदर्शी एवं लचीली खरीद के माध्यम से खरीदार तथा अखिल-भारतीय बाजार तक पहुंच प्रदान करने से नवीकरणीय ऊर्जा विक्रेताओं की संख्या में वृद्धि होगी।
    - GTAM के शुभारंभ के तुरंत बाद ही उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया देखी गई और पहले 11 दिन में ही तीन मिलियन यूनिट (MU) का व्यापार दर्ज किया गया है।
- यह हरित ऊर्जा के क्रय हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से जागरुक उपभोक्ताओं के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा।

11. व्यवसाय एवं नवाचार (Business and Innovation)

11.1. व्यवसाय से संबंधित नीतिगत सुधार (Business Policy Reforms)

11.1.1. डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 (Doing Business Report 2020)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक समूह के एक प्रमुख प्रकाशन, "डूइंग बिज़नेस 2020" रिपोर्ट को जारी किया गया।

डूइंग बिज़नेस (DB) परियोजना

- डूइंग बिज़नेस 2020 वस्तुतः व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने और इन्हें बाधित करने वाले विनियमों का परीक्षण करने वाली वार्षिक अध्ययनों की श्रृंखला में **17वीं रिपोर्ट** है।
- **व्यावसायिक गतिविधियों के 12 क्षेत्रों** में विनियमों में परिवर्तनों का प्रलेखन करके, डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, दक्षता को प्रोत्साहित करने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाले विनियमनों का विश्लेषण करती है।

- **डूइंग बिज़नेस द्वारा एकत्रित आंकड़े, सरकार के संबंध में निम्नलिखित तीन प्रश्नों को संबोधित करते हैं:**
    - कब सरकारें अपने निजी क्षेत्रक का विकास करने के दृष्टिकोण से विनियमों में परिवर्तन करती हैं?
    - सुधारवादी सरकारों की विशेषताएँ क्या हैं?
    - आर्थिक या निवेश गतिविधि के विभिन्न पहलुओं पर विनियामकीय परिवर्तनों के क्या प्रभाव हैं?
- भारत ने अपनी **ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस रैंकिंग** में सुधार करते हुए वर्ष 2016 के 130वें स्थान की तुलना में वर्ष 2020 में 63वां स्थान प्राप्त कर महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाया है।

डूइंग बिज़नेस संकेतकों को सम्मिलित करने की भारत की रणनीति

भारत ने आर्थिक एवं व्यावसायिक सुधार रणनीतियों के एक प्रमुख घटक के रूप में डूइंग बिज़नेस संकेतकों को अपनाया है। वर्ष 2020 की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट, डूइंग बिज़नेस संकेतकों (वर्ष 2020 में भारत की रैंकिंग के साथ) के अनुसरण में भारत सरकार द्वारा किए गए निम्नलिखित सुधारों को प्रलेखित करती है:

- **व्यवसाय आरंभ करना (Starting a Business) (रैंक-136):** भारत ने **SPICe (कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए सरलीकृत प्रोफार्मा)** प्रपत्र, संस्था के बहिर्नियम (memorandum of association) और संस्था के अंतर्नियम (articles of association) के लिए फाइलिंग शुल्क समाप्त करके व्यवसाय आरंभ करना सरल बनाया है।
    - भारत ने मूल्य वर्धित कर को भी GST (वस्तु एवं सेवा कर) से प्रतिस्थापित कर दिया है, जिसके लिए पंजीकरण प्रक्रिया अपेक्षाकृत तीव्र है।
- **निर्माण संबंधी अनुमतियां प्रदान करना (Dealing with Construction Permits) (रैंक-27):** भारत ने व्यावसायिक प्रमाणन आवश्यकताओं को सुदृढ़ बनाकर प्रक्रिया को सुचारू बनाया है तथा निर्माण परमिट प्राप्त करने के समय और लागत में कमी की है। साथ ही, भारत ने दशकीय दायित्व और बीमा आरंभ करके निर्माण गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार किया है।
- **विदेशों से व्यापार (Trading across Borders) (रैंक-68):** भारत ने निकासी पश्चात् अंकेक्षण की प्रक्रिया को अपनाकर, एकल इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर व्यापार हितधारकों को एकीकृत कर, पत्तन अवसंरचना का उन्नयन कर, कंटेनरों की इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक प्रस्तुति में वृद्धि कर विदेशों से व्यापार को सरल बनाया है।

- **ऋणशोधन अक्षमता का समाधान (Resolving Insolvency) (रैंक-52):** भारत ने व्यवहार में पुनर्गठन (reorganization) कार्यवाहियों को बढ़ावा देकर ऋणशोधन अक्षमता का समाधान करना सरल बनाया है। भारत ने असंतुष्ट ऋणदाताओं (creditors) को पुनर्गठन के अंतर्गत उतना प्राप्त करने की अनुमति न देकर जितना वे परिसमापन (liquidation) पर प्राप्त करते, ऋणशोधन अक्षमता का समाधान करना अधिक कठिन बना दिया है।

अन्य हालिया सुधार

- **करों का भुगतान (Paying Taxes) (रैंक-115):** भारत ने कई अप्रत्यक्ष करों को संपूर्ण देश के लिए एकल अप्रत्यक्ष कर अर्थात् GST से प्रतिस्थापित कर करों का भुगतान करना सरल बनाया है। हाल ही में, भारत ने निगम कर की दर और नियोक्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले कर्मचारी भविष्य निधि योजना की दर में कमी करके करों का भुगतान करना आसान बनाया है।
- **ऋण प्राप्ति (Getting Credit) (रैंक-25):** भारत ने अपने ऋणशोधन अक्षमता कानून में संशोधन करके ऋण तक पहुंच को सुदृढ़ बनाया है। सुरक्षित ऋणदाताओं को अब ऋणशोधन अक्षमता कार्यवाहियों के दौरान अन्य दावेदारों की तुलना में निरपेक्ष प्राथमिकता दी जाती है।
- **विद्युत का कनेक्शन प्राप्ति करना (Getting Electricity) (रैंक-22):** दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने लो वोल्टेज वाले कनेक्शनों के लिए प्रभार में कमी की है। बाह्य कनेक्शन संबंधी कार्य के लिए सुविधाप्रदाता द्वारा लिए जाने वाले समय में कमी करके दिल्ली में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करना आसान बनाया गया।

उपर्युक्त सुधारों का कार्यान्वयन कर, **भारत निरंतर तीसरे वर्ष ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस के क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार लाने वाली 10 अर्थव्यवस्थाओं** में शामिल रहा है।

निष्कर्ष

- जहां सुधार प्रभावशाली हैं और विगत कुछ वर्षों में समग्र रैंकिंग में भारत की प्रगति भी उल्लेखनीय है, वहीं तथ्य यह भी है कि भारत अभी भी वैश्विक पूंजी आकर्षित करने में अपने प्रतिद्वंद्वियों, विशेषकर चीन से पीछे है, जो 31वें स्थान पर है।
- भारत अभी भी "व्यवसाय आरंभ करने" (रैंक-136)', "अनुबंध प्रवर्तित करने" (Enforcing contracts) (रैंक-163) और "संपत्ति पंजीकरण" (Registering property) (रैंक-154) जैसे प्रमुख संकेतकों पर पीछे है।
- भारत ने शीर्ष 50वीं रैंक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत को बेहतर अनुबंध प्रवर्तन तथा भूमि प्रशासन प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक सुधारों पर कार्य करना चाहिए, जिनमें भारत काफी निचले स्थान पर है और जहां सुधार की अत्यधिक संभावना है।
- इसके अतिरिक्त, संघीय राजव्यवस्था को देखते हुए, यहां से भावी रैंकिंग में और सुधार इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि केंद्र अपनी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए राज्यों को समझाने में कितना सक्षम है।

11.1.1.1. व्यवसाय सुधार कार्य योजना - व्यवसाय करने में सुगमता रैंकिंग (Business Reform Action Plan-Ease of Doing Business Ranking)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **व्यवसाय सुधार कार्य योजना (Business Reform Action Plan: BRAP)** के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग (चौथा संस्करण) जारी की गयी। ज्ञातव्य है कि **विश्व बैंक** के सहयोग से **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (Department of Industrial Promotion and Internal Trade: DPIIT)** इस रैंकिंग को जारी करता है।

BRAP के बारे में

- वर्ष 2015 में BRAP का शुभारंभ किया गया था तथा यह इसका चौथा वार्षिक संस्करण है। इसका विकास DPIIT ने **राज्यों में समग्र व्यावसायिक परिवेश में सुधार करने के लिए** किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जाता है और इसी आधार पर उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। इसे दो कारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है: मापनीयता (Measurability) और तुलनीयता (Comparability) अर्थात् राज्यों के रैंकिंग की गणना और उनके प्रदर्शन की तुलना।
- BRAP के अंतर्गत, DPIIT ने नियमों के अनुपालन के संदर्भ में व्यवसायों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को कम करने और विभिन्न विभागों का चक्कर लगाने की प्रथा को ख़त्म करने के लिए अनुशंसाओं का एक समुच्चय (set of recommendations) प्रदान किया है। ये हैं:
    - सभी राज्यों में **एकल खिड़की प्रणाली** होनी चाहिए, जिसके द्वारा व्यवसाय आरंभ करने के लिए आवश्यक परमिट और लाइसेंस के संबंध में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी।

VISION IAS

- ○ **लाइसेंस की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए** या उन्हें स्व-प्रमाणन या तृतीय पक्ष सत्यापन के आधार पर **स्वचालित रूप से नवीनीकृत** किया जाना चाहिए।
- ○ यदि किसी राज्य में विभिन्न अवरोधक विनियम (जैसे- जटिल श्रम या पर्यावरण कानून) मौजूद नहीं हैं, तो उस राज्य को **पुरस्कृत** भी किया जाएगा।
- BRAP का उद्देश्य रैंकिंग की प्रणाली के माध्यम से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तत्व का सूत्रपात करके **प्रत्येक राज्य में निवेश और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) को बढ़ावा देना** है।
  - ○ इस संदर्भ में राज्यों को रैंकिंग प्रदान करने से निवेश आकर्षित करने, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में EoDB में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

BRAP रिपोर्ट: वर्ष 2018-19

- DPIIT द्वारा जारी इस रिपोर्ट (अर्थात् वर्ष 2018-19 के लिए BRAP रिपोर्ट) में **12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्रों,** जैसे- सूचना तक पहुंच, सिंगल विंडो सिस्टम (एकल खिड़की प्रणाली), श्रम, पर्यावरण आदि को शामिल करने वाले 180 सुधार बिंदु शामिल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यों द्वारा 180 क्षेत्रों में सुधारात्मक उपायों को अपनाया जाना है।
  - ○ वर्ष 2015 में इसका शुभारंभ होने के बाद से, पहली बार **इस रैंकिंग को पूरी तरह से व्यवसायों (जिनके लिए ये सुधार किए गए थे) से प्राप्त फीडबैक के आधार तैयार किया गया है।**
- राज्यों के लिए यह आवश्यक बनाया गया है कि वे DPIIT के EoDB पोर्टल पर अपने द्वारा किए गए प्रत्येक सुधार का प्रमाण प्रस्तुत करें और उन सुधारों के उपयोगकर्ताओं की सूची प्रस्तुत करें।

11.2. स्टार्ट-अप एवं नवाचार (Start-up and Innovation)

स्टार्ट-अप क्या है?

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली एक कंपनी/इकाई (entity) को एक स्टार्ट-अप माना जाता है:

- **कंपनी का प्रकार (Entity Type):** उसे भारत में एक **प्राइवेट लिमिटेड कंपनी** (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किया गया है) के रूप में निगमित या एक **पार्टनरशिप फर्म** {भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (Indian Partnership Act, 1932) के अंतर्गत} या **सीमित दायित्व भागीदारी** (सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत) के रूप में पंजीकृत कंपनी/इकाई होना चाहिए।
- **टर्न-ओवर (कारोबार):** उसका टर्न-ओवर एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- **आयु (Age):** निगमन की तिथि से अधिकतम 10 वर्ष।
- **कार्य की प्रकृति (Nature of Activity):** नवाचार, उत्पादों / प्रक्रियाओं / सेवाओं के विकास या सुधार, विस्तार, रोजगार सृजन या धन सृजन के क्षेत्र में कार्यरत इकाई होना चाहिए।

भारत में स्टार्ट-अप्स की स्थिति

- भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पारितंत्र** वाला देश है।
- DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स की संख्या लगभग 28,000 है।
- भारत में **32 यूनिकॉर्न** (ऐसी स्टार्ट-अप कंपनियां, जिनका बाजार मूल्य एक अरब डॉलर या उससे अधिक होता है) हैं, जिनका संयुक्त बाजार मूल्य 100 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- समग्र स्टार्ट-अप पारितंत्र ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच 50 बिलियन डॉलर का फंड जुटाया है।
- भारतीय स्टार्ट-अप परिदृश्य के अंतर्गत **अग्रणी क्षेत्रक** हैं: फिनटेक, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, एंटरप्राइजेज, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी (Health-Tech) आदि।

भारत में स्टार्ट-अप्स का महत्व

- **रोजगार को प्रोत्साहन:** एक सुविकसित स्टार्ट-अप पारितंत्र देश भर में रोजगार सृजन के क्षेत्र में सुनिश्चित योगदान देता है। एक स्टार्ट-अप औसतन 12 नौकरियां सृजित करता है, और इस प्रकार ये 3.5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं।
- **वृद्धि की उच्च संभावना:** यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि वर्ष 2025 तक लगभग 390 बिलियन डॉलर के बाजार मूल्य के साथ भारत में यूनिकॉर्न की संख्या तीन गुना बढ़कर 95 हो जाएगी।
- **सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति:** वहनीय स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, वित्तीय समावेशन आदि जैसे क्षेत्रों में देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए स्टार्ट-अप्स एक कुंजी हैं।

- **नवाचार एवं प्रौद्योगिकी की संस्कृति को बढ़ावा देना:** स्टार्ट-अप्स निरंतर बदलती प्रौद्योगिकी के माहौल में काम करते हैं एवं अपने नवाचार द्वारा लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी प्रेरित करते हैं, जिसके कारण देश में आर्थिक विकास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिलता है।
- **विदेशी निवेश को आकर्षित एवं घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करना:** स्वदेशी स्टार्ट-अप्स में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों एवं उद्यमों का रूप लेने की क्षमता है। इस प्रकार, यह पारितंत्र एक आकर्षक एवं समृद्ध निवेश परिवेश का निर्माण कर सकता है।

11.2.1. नवाचार पारितंत्र: क्या, क्यों व कैसे? (Innovation Ecosystem: What, Why and How?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी **वैश्विक नवाचार सूचकांक (Global Innovation Index: GII)- 2020** में भारत की रैंकिंग में चार स्थानों का सुधार देखने को मिला तथा इसे 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2019 में इसमें भारत का 52वाँ स्थान था।

GII के बारे में

- इसे **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization: WIPO)** ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय, इनसीड (INSEAD) आदि जैसे शीर्ष व्यावसायिक विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर विकसित किया है।
- GII के तहत **80 संकेतकों** का उपयोग कर **131 अर्थव्यवस्थाओं** की **नवाचार क्षमता एवं आउटपुट** का मापन किया जाता है। इसके तहत अनुसंधान व विकास संबंधी निवेश एवं पेटेंट व ट्रेडमार्क दाखिल करने से लेकर मोबाइल फोन एप्लिकेशन के निर्माण व उच्च तकनीक वाले उपकरणों के निवल निर्यात की माप की जाती है।

इस सूचकांक के प्रमुख निष्कर्ष

- **कोविड-19 संकट नवाचार पारितंत्र को प्रभावित करेगा।** इसलिए रिकवरी संबंधी प्रयासों के लिए राजनेताओं को सक्रिय होकर कार्य करने की आवश्यकता है।
    - **फार्मास्यूटिकल्स एवं जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रक** में R&D (अर्थात् अनुसंधान एवं विकास) को बढ़ावा मिलने की संभावना है। अन्य प्रमुख क्षेत्रकों, जैसे कि परिवहन, को शीघ्रता से अनुकूल बनाना होगा क्योंकि स्वच्छ ऊर्जा की खोज में नए सिरे से रूचि बढ़ रही है।
- वित्तीय प्रणाली अभी तक सुदृढ़ बनी हुई है, लेकिन **नवाचारी उद्यमों के लिए फंड्स की उपलब्धता में कमी आ रही है।** उत्तर अमेरिका, एशिया एवं यूरोप में वेंचर कैपिटल समझौतों में तीव्रता से गिरावट आ रही है।
- GII रैंकिंग से ज्ञात होता है कि **नवाचार का भूगोल निरंतर स्थानांतरित हो रहा है।** इन वर्षों में, **चीन, वियतनाम, भारत एवं फिलीपींस GII नवाचार रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं।** वर्तमान में ये चारों देश शीर्ष 50 में शामिल हैं।
- **कुछ नवाचारों में प्रगति के बावजूद राष्ट्रीय नवाचार प्रदर्शन के संबंध में क्षेत्रीय विभाजन विद्यमान हैं:** उत्तर अमेरिका तथा यूरोप इसमें अग्रणी हैं। इनके पश्चात् दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया एवं ओशिनिया का स्थान है। इसके उपरांत इन सबसे काफी पीछे क्रमशः उत्तरी अफ्रीका व पश्चिमी एशिया, दक्षिण अमेरिका व कैरीबियन, मध्य व दक्षिणी एशिया तथा उप-सहारा अफ्रीका हैं।

नवाचार (नवोन्मेष) पारितंत्र (Innovation Ecosystem) क्या है?

- एक नवाचार पारितंत्र **कंपनियों एवं अन्य संस्थाओं के एक-दूसरे से जुड़े नेटवर्क** को संदर्भित करता है। ये कॉमन (साझे) **प्रौद्योगिकी, ज्ञान, या कौशल के आधार पर नवाचार क्षमताओं को सह-विकसित** करते हैं, एवं नए उत्पादों व सेवाओं को विकसित करने के लिए सहयोगपूर्ण व प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कार्य करते हैं।
    - यह **विभिन्न अभिकर्ताओं (अर्थात् पारितंत्र से जुड़े लोग), उनके मध्य के आपसी संबंधों एवं संसाधनों से निर्मित होता है।** ये सभी आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि वे बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं।
    - **इस पारितंत्र से जुड़े प्रत्येक अंग की सफलता दूसरे प्रतिभागी के निर्णय से जुड़ी होती है** (जैसे- अधिकांश उद्यमी अपने कार्यकलापों के लिए वित्त-पोषण करने वालों पर अत्यधिक निर्भर होते हैं)।
    - **किसी एक भाग में परिवर्तन आने से नवाचार पारितंत्र के अन्य भागों में भी परिवर्तन होता है** (जैसे- इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि नई प्रौद्योगिकियों के डिजाइन व परीक्षण में गति को प्रोत्साहित करती है)।
- **इस प्रकार, एक नवाचार पारितंत्र की तीन परिभाषित विशेषताएं हैं:** (i) इसमें शामिल अभिकर्ता या सदस्य एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं, (ii) उनके साझे लक्ष्य एवं उद्देश्य होते हैं, तथा (iii) उनके ज्ञान एवं कौशल का भी एक साझा समुच्चय (shared set) होता है।

VISION IAS

नवाचार (या नवोन्मेष) पारितंत्र महत्वपूर्ण क्यों है?

- एक सुविकसित नवाचार पारितंत्र **विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए सूचना एवं संसाधनों के सक्रिय प्रवाह** को सक्षम बनाता है। यह वास्तविक जगत की समस्याओं को शीघ्रता से हल करने के लिए एक उचित समाधान विकसित व कार्यान्वित कर सकता है।
- दूसरी ओर, वर्तमान समय में **तकनीकी नवाचार** को **आर्थिक संवृद्धि का एक प्रमुख स्रोत** माना जाता है। यह उत्पादकता को बढ़ावा देकर, समान आगत (इनपुट) से ही अत्यधिक उत्पादन (आउटपुट) को संभव बनाता है।
- वर्तमान समय में अनेक देश एक सुविकसित नवाचार पारितंत्र पर इसलिए अत्यधिक निर्भर हो गए हैं, क्योंकि नई डिजिटल तकनीकें एवं अभिनव समाधान **अनेक रोगों तथा गरीबी एवं भूख की समस्या से लड़ने के लिए अनेक अवसर** सृजित करते हैं।
- एक प्रभावी नवाचार पारितंत्र उद्यमियों, कंपनियों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों, निवेशकों व सरकारी एजेंसियों को उनके **अनुसंधान व नवाचार के आर्थिक प्रभाव एवं क्षमता को अधिकतम करने** के लिए प्रभावी ढंग से अंत:क्रिया करने में सक्षम बनाता है।
- इस प्रकार **नवाचार** स्टार्ट-अप्स, विभिन्न कंपनियों से मिलकर बनी एक बड़ी कंपनी तथा सरकारों की **उपजीविका व समृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण संचालक** है, जो उनके सेवा वितरण एवं निष्पादन को बेहतर बनाने में सहायता करता है।

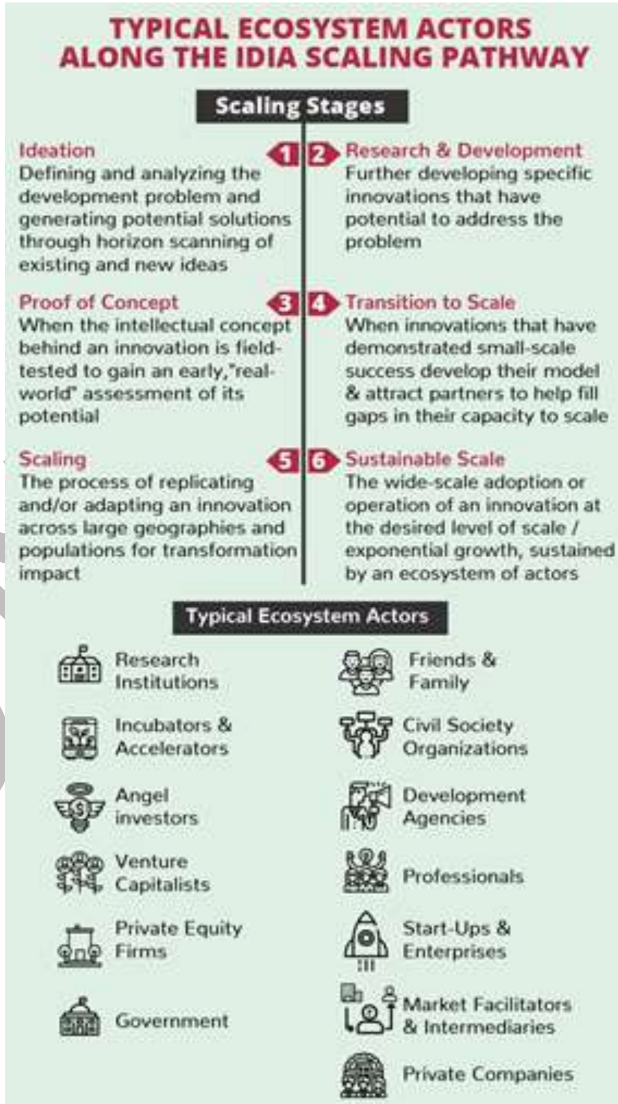

भारत में नवाचार पारितंत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

- **भारत केंद्रित पारितंत्र:** जहाँ एक ओर, भारतीय नवाचार पारितंत्र में **पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है तथा यह विघटनकारी भी नहीं है,** वहीं दूसरी ओर यह मुख्यत: 'भारत केंद्रित' है, न कि 'विश्व केंद्रित'।
- **विस्तार का अभाव:** प्रतिस्पर्धात्मक एवं वैश्विक बाजार के लिए उचित उत्पादों को बनाने के संदर्भ में इसके पास गति, विस्तार एवं संधारणीयता का अभाव है।
- **धीमी प्रगति:** भले ही भारत विश्व के शीर्ष 50 नवाचारी देशों में शामिल होने के समीप है, किन्तु यह अभी भी एक चीन से काफी दूर है, जिसने वर्ष 2018 में भारत के 2,013 पेटेंट आवेदनों की तुलना में WIPO के समक्ष 53,345 पेटेंटों का आवेदन दायर किया है।
- **विश्वविद्यालयी अनुसंधान की निम्न स्थिति:** भारत ने जहाँ एक ओर चंद्रयान एवं डिजिटल भुगतान जैसी बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों तथा सीमित स्वायत्तता वाले अनुसंधान संस्थानों की एक बड़ी संख्या मौजूद है। इसके अतिरिक्त, जहां हमारे शीर्ष विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों (जैसे- IIT दिल्ली एवं मुंबई तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु) का क्षेत्रीय रूप से अच्छा प्रदर्शन है, वहीं वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष 100 संस्थानों में स्थान प्राप्त करने विफल रहे हैं।
- **एस.टी.ई.एम. (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) प्रतिभा पूल की गुणवत्ता (Quality of the STEM talent pool):** भारत में तृतीयक शिक्षा स्तर पर सकल नामांकन अनुपात बहुत कम (26%) है, जिसका अर्थ है कि संभावित शोध प्रतिभा का एक विशाल भंडार नष्ट हो रहा है।

नवाचार पारितंत्र में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **भारत नवोन्मेष विकास कार्यक्रम (India Innovation Growth Programme: IIGP) 2.0 :** यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), लॉकहीड मार्टिन एवं टाटा ट्रस्ट की एक अद्वितीय त्रिपक्षीय पहल है। यह पहल भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान विकसित करने में अन्वेषकों (innovators) एवं उद्यमियों को उनके विचारों एवं नवोन्मेष (नावाचार) को गति प्रदान कर उन्हें सक्षम बनाती है।

- **भारत नवोन्मेष कोष (India Innovation Fund):** यह नवाचार का नेतृत्व करने वाली, प्रारंभिक चरण की भारतीय कंपनियों में निवेश करने वाला एक वेंचर कैपिटल फंड है। इस कोष का प्रबंधन **सिडबी (SIDBI)** द्वारा किया जाता है।
- **इनोवेट इंडिया (Innovate India):** यह संपूर्ण देश में घटित नवाचारों को प्रदर्शित करने, बढ़ावा देने एवं पहचान करने का एक अद्वितीय मंच है। इसे 'अटल इनोवेशन मिशन - नीति आयोग' एवं MyGov के सहयोग से आरंभ किया गया है। देश के सभी हिस्सों के नागरिक इस मंच पर अपने नवाचार को साझा करने के लिए पात्र हैं।
- **प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (Technology Development Board: TDB)** नवाचार के क्षेत्र में सुलभ ऋण प्रदान करता है। यह स्वदेशी तकनीक के विकास एवं व्यवसायीकरण के माध्यम से और घरेलू अनुप्रयोगों के लिए आयातित प्रौद्योगिकी को अपनाकर भारतीय उद्योग जगत के सामर्थ्य को बढ़ावा देता है।
- **नए भारत के नवाचारों का तेज़ी से विकास (Accelerating Growth of New India's Innovations: AGNIi):** इसका उद्देश्य सभी उद्योगों, व्यक्तियों एवं जमीनी स्तर के अन्वेषकों को बाजार से जोड़ने तथा उनके नवाचारों का व्यवसायीकरण करने में सहायता करके देश में नवाचार पारितंत्र को बढ़ावा देने के लिए जारी प्रयासों का समर्थन करना है।
- **विभिन्न योजनाएं:** रामानुजन अध्येतावृत्ति (Fellowship) योजना; इंस्पायर फैकल्टी स्कीम अर्थात् अभिप्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान की खोज में नवोन्मेष (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research: INSPIRE/इंस्पायर); रामलिंगस्वामी पुनः-प्रवेश अध्येतावृत्ति (Ramalingaswami Re-entry Fellowship); विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (वज्र) फ़ैकल्टी स्कीम; पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing: KIRAN); अटल नवोन्मेष मिशन (ATAL Innovation Mission: AIM); स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU) आदि।

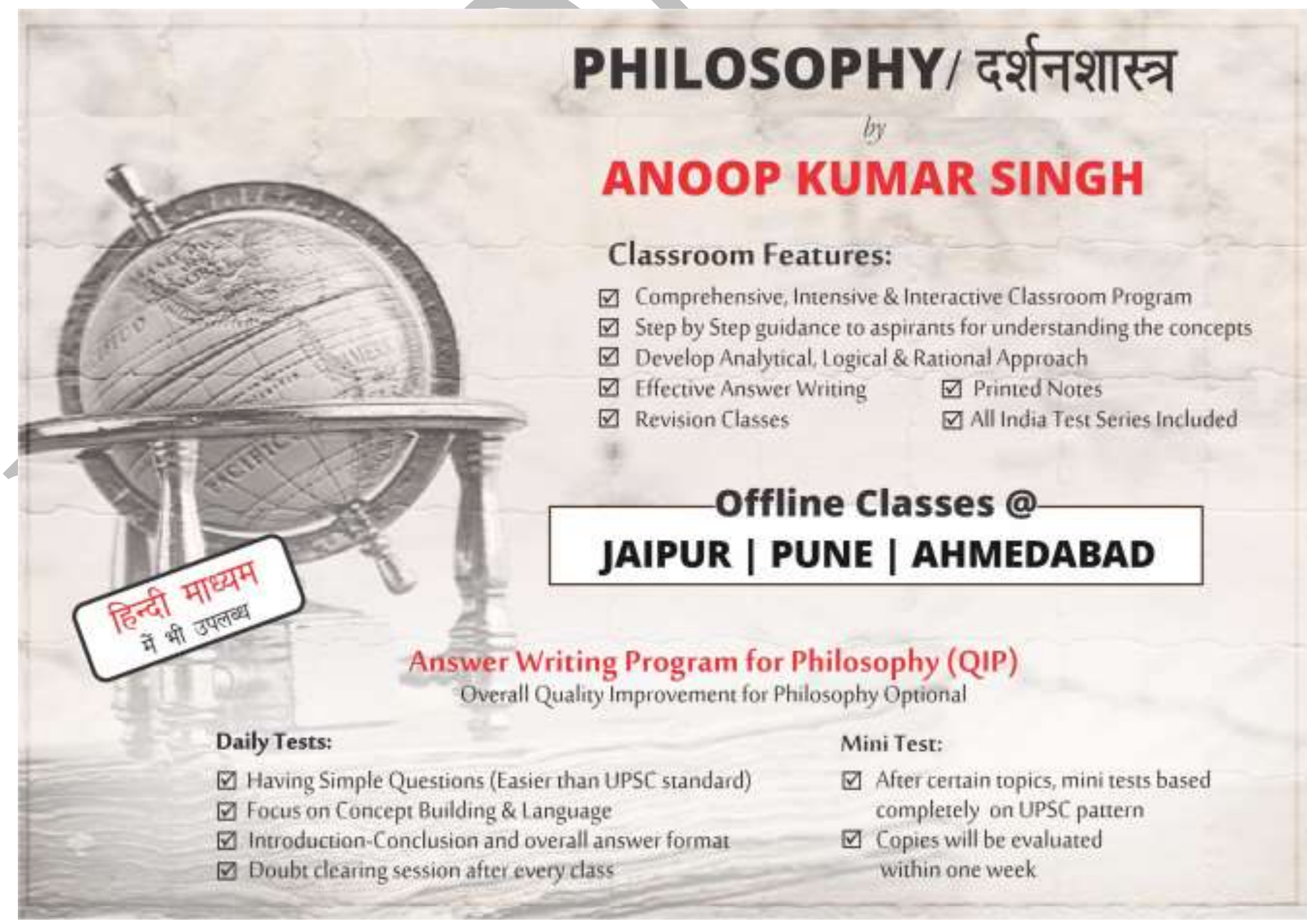

VISION IAS

12. विविध (Miscelleneous)

12.1. आत्मनिर्भर भारत: क्या, क्यों और कैसे? (Atmanirbhar Bharat: What, Why And How?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के **प्रोत्साहन पैकेज** के साथ बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधारों (structural reforms) को रेखांकित किया है।

'आत्मनिर्भर भारत अभियान' क्या है?

- प्रधान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि भारत की आत्मनिर्भरता **स्वकेंद्रित व्यवस्था का समर्थन नहीं करती है**। बल्कि यह वैश्विक संपन्नता, सहयोग और शांति में अंतर्निहित है।
    - यह **'माताभूमिःपुत्रोअहम्पृथिव्यः'** के विचार पर आधारित है अर्थात् **एक ऐसी संस्कृति जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी मातृभूमि के रूप में स्वीकार करती है।**
- यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है कि आत्मनिर्भरता के इस विचार का **अर्थ आयात प्रतिस्थापन अथवा अलगाववाद (isolationism) के युग की ओर लौटना नहीं है।**
- आत्मनिर्भर भारत की प्रस्तावित अवधारणा के लिए निम्नलिखित घटक महत्वपूर्ण हैं:
    - **कोविड-19 के उपरांत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में सक्रिय भागीदारी को बनाए रखना:** वर्तमान संदर्भ में आत्मनिर्भरता से आशय अपनी दक्षता में सुधार करने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा का अनुपालन करने और साथ ही, वैश्विक जगत को सहयोग प्रदान करने से है।
    - **लोचशीलता (Resilience):** इस लोचशीलता से आशय आंतरिक बल/एकजुटता, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी और राष्ट्रीय मिशन की भावना (या स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्णित "मानव-निर्माण") के निष्पादन से है। इस लोचशीलता को विकसित करने के लिए घरेलू उद्यमों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
        - उदाहरण के तौर पर, विदेशी अभिकर्ताओं के लिए 200 करोड़ रुपये तक की वैश्विक निविदाओं (tenders) को निरस्त करने संबंधी उठाए गए कदम का उद्देश्य MSMEs (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को संरक्षित कर, तंत्र की लोचशीलता को बढ़ाना है।
    - **विकेंद्रीकृत स्थानीयता:** इससे आशय एक ऐसी प्रणाली के निर्माण से है जो स्थानीय ब्रांडों पर गर्व महसूस करती हो और स्थानीय क्षमता-निर्माण एवं स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करती हो।
        - उदाहरण के लिए, ECA-APMC (आवश्यक वस्तु अधिनियम - कृषि उपज विपणन समिति) प्रणाली को समाप्त किए जाने से किसान स्थानीय स्तर पर निर्णय-निर्माण में सक्षम हो सकेंगे, क्योंकि अब वे एक राष्ट्रीय साझा बाजार से जुड़ सकते हैं।
    - **सामाजिक न्यास प्रणाली:** एक ऐसी प्रणाली जिसमें आर्थिक संस्थाओं से आत्मनिर्भर होने की अपेक्षा की जाती है, जिसके लिए सामाजिक न्यास की एक सामान्यीकृत प्रणाली और अनुबंधों को लागू करने की क्षमता की आवश्यकता होती है, तथा जिसके परिणामस्वरूप कानूनी प्रणाली के सुधार की आवश्यकता होती है।

आत्मनिर्भर भारत बनाम आयात प्रतिस्थापन

- आयात प्रतिस्थापन के तहत **बड़े पैमाने पर उच्च आयात शुल्क लगाया जाता है** और विदेशी व्यापार को हतोत्साहित किया जाता है, जबकि **आत्मनिर्भर भारत,** सुधारों और देश में स्थित विदेशी फर्मों सहित **व्यापार करने की सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है।**
- आयात प्रतिस्थापन मॉडल, **एक केंद्रीकृत, टॉप-डाउन मॉडल** का समर्थन करता है, जबकि आत्मनिर्भर भारत **भारतीय उद्यमिता और नवाचार** को नौकरशाही अवरोधों से **मुक्त करने पर** बल देता है।

VISION IAS

'आत्मनिर्भर' बनना महत्वपूर्ण क्यों है?

- **तीव्र आर्थिक रिकवरी (Faster Economic Recovery):** कोविड-19 के प्रभावों और अपनी आर्थिक गिरावट से उभरने में भारत की समर्थता **घरेलू उद्योगों की लोचशीलता** पर निर्भर करती है।
  - इस संदर्भ में, इस मिशन का उद्देश्य, सुधार एवं सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बनाते हुए भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना है।
- **कमजोर आपूर्ति श्रृंखला:** विश्व भर के देश अब घरेलू क्षमताओं को बढ़ाने की ओर ध्यान दे रहे हैं ताकि **आपूर्ति श्रृंखला के कारण होने वाली भावी क्षतियों को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया** जा सके।
- **विकासात्मक अंतरालों का उद्भव:** दीर्घकालिक रूप में बाह्य क्षेत्रक पर निर्भरता अर्थव्यवस्था में एक विकासात्मक अंतराल उत्पन्न करता है। उदाहरण के तौर पर, तकनीकी सहायता के लिए आयातों पर बनी निर्भरता ने स्वदेशी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास (R&D) के दर को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- **स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा:** कोविड-19 के परिणाम यह दर्शाते हैं कि कैसे निर्भरता (कच्चे माल, श्रम इत्यादि के संदर्भ में), चाहे यह किसी भी रूप में हो, सुरक्षा संकट में परिवर्तित हो सकती है।
  - उदाहरण के लिए, संकटकाल के प्रारंभिक चरण के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों (Personal Protective Equipment: PPE) की पर्याप्त उत्पादन क्षमता के अभाव के कारण भारत के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** संसाधनों के लिए अन्य देशों पर अत्यधिक निर्भरता, उस विशिष्ट क्षेत्र में स्थित देश की भू-राजनीतिक प्रतिष्ठा पर प्रभाव डालती है। जैसे कि, **सक्रिय औषधि सामग्री (Active Pharmaceutical Ingredients: APIs) के आयात के लिए भारत की चीन** पर अधिक निर्भरता।

हम 'आत्मनिर्भर' कैसे बनें? मिशन में घोषित की गई रणनीति

प्रधान मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है उससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रकों की समस्या को एक साथ दूर किया जा सके। इसके तहत **4L, यथा- भूमि (Land), श्रम (Labour), तरलता (Liquidity)** एवं **कानून (Laws)** को इस पैकेज में महत्व दिया गया है।

- आत्मनिर्भर भारत का विचार निम्नलिखित **5 स्तंभों** पर आधारित है:
  - प्रथम स्तंभ है- **अर्थव्यवस्था**, जिसमें वृद्धिशील परिवर्तन (incremental change) के स्थान पर क्वांटम जंप (बड़े संरचनात्मक परिवर्तन) पर बल दिया गया है।
  - दूसरा स्तंभ है **- अवसंरचना।**
  - तीसरा स्तंभ है **- हमारी प्रणाली।** प्रौद्योगिकी एवं समकालीन नीतियों को इस प्रणाली के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विशेष रूप से संदर्भित किया गया है।
  - चौथा स्तंभ है **- हमारी जनसांख्यिकी।**
  - पांचवां स्तंभ है **- हमारी माँग।**
- इस पैकेज के विभिन्न भागों द्वारा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है, जैसे कि:
  - भाग 1: MSMEs सहित व्यवसाय।
  - भाग 2: प्रवासियों व किसानों सहित निर्धन-वर्ग।
  - भाग 3: कृषि क्षेत्र।
  - भाग 4: विकास के नवीन आयाम।
  - भाग 5: सरकारी सुधार व समर्थक।
- इस पैकेज में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। इस संदर्भ में, नागरिकों से अपने **स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करने** और इन **स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने में** सहयोग करने के लिए आग्रह किया गया है।

आगे की राह

आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए, उपर्युक्त उपायों के साथ-साथ कई व्यापक तथा दीर्घकालिक उपायों का भी संयोजन करना होगा, जैसे- निष्पादन के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा सार्वजनिक विनियमन को सुदृढ़ बनाना। इससे

VISION IAS

भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पैकेज में घोषित संरचनात्मक सुधारों को स्थापित/लागू करने के लिए **शिक्षा व कौशल विकास में किए जाने वाले निवेश में वृद्धि अनिवार्य** है।

इस पैकेज की आलोचना क्यों की जा रही है?

- पैकेज के संबंध में एक महत्वपूर्ण आलोचना यह की जा रही है कि सरकार द्वारा अपने कुल व्यय में अधिक वृद्धि नहीं की गई है। (पैकेज के कारण सरकारी व्यय में **कुल वृद्धि GDP के 1% के बराबर** है।)
- **तत्काल समर्थन का अभाव:** कई विशेषज्ञों और टिप्पणीकारों का मानना है कि इस आर्थिक पैकेज के कारण मौजूदा संकट से निपटने में तत्काल राहत नहीं मिलेगी।
- **कृषि क्षेत्र के कुछ संरचनात्मक सुधारों का अपवर्जन:** किसानों को वर्तमान संकट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई संरचनात्मक सुधारों को अपनाए जाने की आवश्यकता है, जैसे- शीघ्र ख़राब होने वाले उत्पादों की विकेन्द्रीकृत खरीद, ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार तथा बीज, चारा, फिंगर्लिंग (fingerlings) व चूजे प्रदान करके किसानों की परिसंपत्ति आधार को सुरक्षित करने का प्रयास करना इत्यादि।

12.2. डेटा गुणवत्ता: समस्याएं और उनके समाधान के प्रयास (Data Quality: Issues and Efforts)

परिचय

वर्ष 2019 में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने डेटा गुणवत्ता की समस्याओं के कारण वर्ष 2017-2018 के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण परिणामों को जारी नहीं करने का निर्णय किया था। इसी प्रकार, रोजगार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वेक्षण (आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण) ने वर्ष 2017-18 में 1,074 मिलियन जनसंख्या होने का अनुमान लगाया, जबकि लगभग सभी विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया था कि यह 1,300 मिलियन (वास्तव में 1,339 मिलियन) से ऊपर है। ऐसे में, वर्ष 2017-18 में 20 प्रतिशत का यह न्यूनानुमान एक रिकॉर्ड है। ये उदाहरण हमारे सरकारी सर्वेक्षणों और रिपोर्टों की डेटा गुणवत्ता पर प्रश्न उठाते हैं।

डेटा गुणवत्ता का तात्पर्य सटीकता, अनुरूपता (अर्थात् किसी संगठन द्वारा बनाए गए मानक डेटा प्रारूपों के प्रति अनुरूपता), संगतता (अर्थात् विभिन्न प्रणालियों में समान डेटा मानों के मध्य कोई टकराव नहीं), विश्वसनीयता इत्यादि जैसे अन्य कारकों से है।

डेटा गुणवत्ता के संबंध में क्या समस्याएं हैं?

- **संस्थागत और संरचनात्मक समस्याएं:**
  - **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Office: NSSO):** MoSPI के अंतर्गत, NSSO सामान्य अधिकारी-तंत्र का भाग बन कर रह गया है और स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, भय यह है कि भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जैसे स्वतंत्र निकायों की निगरानी के अभाव में, सांख्यिकीय प्रणाली राजनीतिक हस्तक्षेप से ग्रसित हो सकती है।
  - राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की **अध्यक्षता सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के सचिव द्वारा की जाएगी।** यह NSSO और अन्य विभिन्न सांख्यिकीय निकायों को एकीकृत कर, सरकार के स्थान पर संसद के प्रति जवाबदेह एक एकीकृत सांख्यिकीय निकाय का निर्माण किए जाने के विषय में सांख्यिकी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तावित मूल योजना के विपरीत है।
  - इसके अतिरिक्त, सरकार में अधिक कुशल जनशक्ति और अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करने की आवश्यकता एक बड़ी समस्या है।
- **कार्य-पद्धति (Methodology) से संबंधित समस्याएं:**
  - सांख्यिकीविदों ने अर्थव्यवस्था के बड़े आकार के बावजूद संवृद्धि संबंधी अनुमान व्यक्त करने व आवश्यक कच्चे आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए लंबे समय से छोटे सर्वेक्षणों का उपयोग किया है, जिससे डेटा में बड़े पैमाने पर त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है।
  - डेटा को उपयोगकर्ता-केंद्रित तरीके से प्रकाशित नहीं किया जाता है। वर्तमान डेटा प्रारूप प्राय: अनुसंधान और नवाचार के लिए अनुकूल नहीं होते हैं।

- **डेटा की प्रकृति:**
  - **डेटा की सुसंगति (Coherence of data):** प्राक्कलन निकायों के मध्य का अंतर आम तौर पर गैर-अभिसारी होता है। उदाहरण के लिए, NSSO के सर्वेक्षणों और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के डेटा पर आधारित घरेलू उपभोग, समय के साथ अधिक तथा व्यापक होता जाता है।
  - **MCA21 के अंतर्गत डेटा की कमियाँ:** नई श्रृंखला में उपयोग किए जाने वाले MCA21 डेटा में वर्ष 2009 से पहले के बैक डेटा की तुलनात्मक लंबी श्रृंखला नहीं है।
  - **विभिन्न मानकों के कारण डेटा पारिस्थितिकी तंत्र असंबद्ध है।** मंत्रालय और विभाग सर्वनिष्ठ संकेतकों के लिए साझा मानक का उपयोग नहीं करते हैं।
    - **क्षेत्र और समय अवधि जैसी विशेषताओं को अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है।** इससे डेटासेटों के मध्य परस्पर सहज संप्रेषण करना और सुसंगत चित्र प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है।
    - **विभिन्न डेटासेट छोटे-छटे स्वतंत्र खंडों में विद्यमान हैं,** जिसके कारण विस्तृत दृष्टि डालकर विभिन्न क्षेत्रकों पर निष्कर्ष निकालना संभव नहीं हो पाता है।

ऐसी विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा कई प्रयास किए गए हैं, जैसे- **आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति (Standing Committee on Economic Statistics: SCES), गैर-निगमित उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण पर उप समिति, राष्ट्रीय डेटा गुणवत्ता फोरम आदि।** इन प्रयासों के मध्य, डेटा गुणवत्ता के संबंध में सबसे व्यापक सुधार हैं- नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय डेटा और विश्लेषणात्मक प्लेटफ़ॉर्म **(नेशनल डेटा एंड एनालिटिकल प्लेटफ़ॉर्म)** पर प्रस्तावित दृष्टिकोण दस्तावेज़ (विज़न डॉक्यूमेंट) और **राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक, 2019 का प्रारूप।**

12.2.1. नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म विजन डॉक्यूमेंट (National Data and Analytics Platform Vision Document)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP) के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है।

नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म (NDAP)

- यह व्यापक पहुँच और डेटा के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु **नीति अयोग** की एक प्रमुख पहल है।
- NDAP का लक्ष्य कई सरकारी स्रोतों के डेटा को मानकीकृत (standardize) करना, लचीला विश्लेषण प्रदान करना और अनुसंधान, नवाचार, नीति-निर्माण एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए इन्हें अनुकूल प्रारूप में सुलभ बनाना है।

NDAP की प्रमुख विशेषताएं

- **डेटा के स्रोत:**
  - केंद्र सरकार के 50 से अधिक मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट्स और data.gov.in से प्राप्त डेटा।
  - राज्य सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों की वेबसाइट्स, (250 से अधिक नहीं)।
- **उपयोगकर्ता-केंद्रित:** इस प्लेटफॉर्म को **उपयोगकर्ता अनुकूल सर्च इंजन** द्वारा संचालित किया जाएगा, जो विश्वस्तरीय यूज़र इंटरफेस के साथ, निर्बाध नेविगेशन द्वारा समर्थित होगा। ऐसे डेटा को, कस्टमाइजेबल एनालिटिक्स के साथ **मशीन द्वारा पठनीय रूप** में प्रदान किया जाएगा।
  - यह **विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन हेतु साधन** भी प्रदान करेगा।
- **अनुकूलनीयता (Coherency):** साझे भौगोलिक और सामयिक पहचानों के प्रयोग के माध्यम से एक मानकीकृत ढांचे (standardized schema) का प्रयोग करके विविध डेटा सेट प्रस्तुत किए जाएंगे।
- **नियमित रूप से अद्यतन:** डेटा को नियमित रूप से अपडेट करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) बनाई जाएगी। इन SOP के अनुपालन की नियमित निगरानी भी की जाएगी।

VISION IAS

- **शासी संरचना:**
  - निर्देश देने, प्रगति की निगरानी करने, डेटा स्रोतों के संबंध में मार्गदर्शन करने और डेटा एकत्रण संबंधी विभिन्न अंतर-मंत्रालयी मुद्दों के समाधान के लिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक **हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमिटी** की स्थापना की जाएगी।
  - **विशेषज्ञ परामर्श** प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र और प्रौद्योगिकी से जुड़े विशेषज्ञों की सदस्यता वाले **तकनीकी सलाहकार समूह** की स्थापना की जाएगी। यह इस प्लेटफॉर्म के विकास, डेटा के प्रबंधन और प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
  - **विभिन्न हितधारकों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने** और NDAP के विभिन्न पहलुओं के प्रबंधन के लिए नीति आयोग के तत्वावधान में एक **परियोजना प्रबंधन इकाई** गठित की जाएगी।

महत्व

- यह विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ मंचों, जैसे- 'datausa.io' और 'data.gov.sg' से प्रेरणा लेने के लिए अभिप्रेत है।
- यह वर्तमान भारतीय डेटा प्लेटफॉर्मों की सफलता दर में वृद्धि करेगा। उदाहरण के लिए, data.gov.in 165 विभागों के डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित DISHA, 20 मंत्रालयों की 42 योजनाओं से संबंधित डेटा तक पहुंच प्रदान करता है।
  - विभिन्न राज्यों में 'मुख्यमंत्री डैशबोर्ड' भी स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार की पहल NDAP के लिए डेटा का एक समृद्ध स्रोत प्रदान करती है।
- यह राष्ट्र कल्याण हेतु समय-समय पर प्रकाशित व अद्यतित एवं नवीनतम डेटा तक त्वरित पहुँच और उनकी सरल उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी डेटा तक लोकतांत्रिक पहुंच प्रदान करना है।
- यह डेटा-संचालित विमर्श और निर्णयण को बढ़ावा देकर भारत की प्रगति में सहायता करेगा।
  - यह भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिस्थितियों की समझ में वृद्धि करेगा तथा सरकार के कार्यों को अधिक वैज्ञानिक और डेटा-संचालित बनाकर, जनसंख्या के एक बड़े भाग के जीवन को बेहतर बनाने में सहायता प्रदान करेगा।
- यह उन प्रारूपों के मानकीकरण को बढ़ावा देगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रकों के डेटा प्रस्तुत किए जाते हैं।

निष्कर्ष

NDAP, नीति आयोग की एक अखिल भारतीय पहल है। इस विजन को निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त करने के लिए विभिन्न हितधारकों, जैसे- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों द्वारा अत्यंत समर्थन और सहयोग व विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की आवश्यकता है।

12.2.2. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग विधेयक, 2019 का मसौदा (Draft National Statistical Commission Bill, 2019)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने डेटा संग्रह को और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने हेतु राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (NSC) विधेयक, 2019 के मसौदे पर सुझाव मांगे हैं।

पृष्ठभूमि

- लंबे समय से आधिकारिक आंकड़ों के लिए एक स्वतंत्र व सर्वोच्च सलाहकार निकाय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सरकार ने आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली के लिए आमूल-चूल परिवर्तनकारी सुधार प्रस्तावित करने के अधिदेश के साथ वर्ष 2000-2001 में रंगराजन आयोग का गठन किया था।
- रंगराजन आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में, **1 जून 2005 को एक अधिसूचना द्वारा अंतरिम उपाय के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission: NSC) की स्थापना की गई थी।**
- यह सांख्यिकीय मामलों हेतु एक सलाहकारी निकाय है।
- वर्तमान NSC विधेयक, 2019 के मसौदे में एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना का प्रस्ताव है। यह आयोग सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों का क्रमिक विकास करने, निगरानी और प्रवर्तन करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने हेतु देश के सभी मुख्य सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए नोडल एवं स्वायत्त निकाय होगा।

VISION IAS

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **NSC की संरचना:** यह विधेयक प्रस्ताव करता है कि यह आयोग-
  - कई पदेन सदस्यों के साथ एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और पाँच पूर्णकालिक सदस्यों (खोज समिति की अनुशंसा पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त) से मिलकर गठित होगा।
- **सांख्यिकीय लेखापरीक्षा:** यह विधेयक NSC के भीतर एक राष्ट्रीय सांख्यिकीय लेखा परीक्षा और मूल्यांकन संगठन (National Statistical Audit and Assessment Organization) की स्थापना का प्रावधान करता है। इस संगठन का प्रमुख एक मुख्य सांख्यिकी लेखा परीक्षक होगा जिसे भारत सरकार के सचिव के स्तर का दर्जा प्राप्त होगा।
- **NSC के लिए स्वतंत्र सचिवालय:** आयोग की स्वायत्तता को आगे और सुदृढ़ करने के लिए, यह विधेयक आयोग के लिए एक स्वतंत्र सचिवालय की स्थापना का भी प्रस्ताव करता है, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के सचिव के दर्जे के अधिकारी द्वारा की जाएगी।

NSC की शक्तियाँ और कार्य

- सरकार, आधिकारिक आंकड़ों से संबंधित मामलों में किए जाने वाले विधायी उपायों पर आयोग से परामर्श लेगी।
- आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली से संबंधित **राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं की पहचान और क्रमिक विकास करना।**
- मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरण और कार्यप्रणालियों को निर्धारित करना।
- उच्चतम मानक और व्यावसायिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आंकड़ों के प्रकाशन में लोकाचार का निर्माण करने हेतु **उच्च व्यावसायिक मानकों और आचार संहिता का विकास करना।**
- जन जागरूकता को बढ़ावा देना और आधिकारिक आंकड़ों के प्रति जनता के विश्वास को बढ़ाने हेतु उपाय करना।
- आधिकारिक आंकड़ों के क्षेत्र में **शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा जगत की भागीदारी को बढ़ावा देना।**
- मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों के मध्य सांख्यिकीय समन्वय स्थापित करना।
- NSO, देश के अंदर और बाहर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रक में सभी उपयोगकर्ताओं के मध्य मुख्य (कोर) आंकड़ों के प्रसार के लिए एक "वेयरहाऊस" का अनुरक्षण करेगा तथा विदेशी सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के लिए एकमात्र सूचना प्रदाता के रूप में कार्य करेगा।
- सरकार ने महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न करने वाली गैर-सरकारी एजेंसियों (जैसे- सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी: CMIE) पर प्राधिकार के संबंध में आयोग को व्यापक शक्तियां देने का भी प्रस्ताव किया है।

12.3. अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय-अमेरिकी अर्थशास्त्री **अभिजीत बनर्जी,** मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) की **एस्थर डूफलो** और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के **माइकल क्रेमर** को **"वैश्विक निर्धनता को कम करने हेतु प्रायोगिक दृष्टिकोण"** के लिए संयुक्त रूप से **वर्ष 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार** प्रदान किया गया।

अन्य संबंधित तथ्य

- पुरस्कार देने वाली समिति ने कहा कि इस पुरस्कार के विजेताओं द्वारा किए गए शोध ने **वैश्विक निर्धनता को समाप्त करने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय सुधार किया है।**
- इनके नए प्रयोग-आधारित दृष्टिकोण, जिन्हें **रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल** (RCTs) कहा जाता है, ने विकास अर्थशास्त्र को रूपांतरित कर दिया है।

रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल (RCTs) क्या हैं?

- RCTs के अंतर्गत अध्ययन का परीक्षण करने हेतु नीतिगत हस्तक्षेपों से संबंधित अपेक्षाकृत बड़ी समस्याओं को अपेक्षाकृत छोटी एवं आसान समस्याओं में विभाजित किया जाता है।
- उदाहरण के लिए, 'निर्धनता' जैसी बड़ी समस्या को उनके विभिन्न आयामों में विभाजित किया जाता है, जैसे- निम्नस्तरीय स्वास्थ्य, अपर्याप्त शिक्षा आदि।
- निम्नस्तरीय स्वास्थ्य के तहत वे पोषण, दवाओं के प्रावधान एवं टीकाकरण आदि को सम्मिलित करते हैं। टीकाकरण के तहत वे विभिन्न प्रयोगों का संचालन करने का प्रयास करते हैं एवं प्राप्त परिणामों के आधार पर, निर्धारित करते हैं कि क्या कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।
- निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में नीति निर्धारण के मामलों में यह अत्यधिक प्रासंगिक है, जहां राज्य की क्षमता अत्यंत सीमित है तथा कम प्रभावी नीतियों पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी नीतियों को प्राथमिकता देने में सक्षम होना विशेष रूप से आवश्यक है।

VISION IAS

क्या RCTs का कोई दूसरा पहलू भी है?

- घरों या लोगों को यादृच्छिक रूप से निरूपित करने से यह तो संभावना होती ही है कि समूह समान हैं, परन्तु यह यादृच्छिक व्यवस्था **इसकी गारंटी नहीं दे सकती है।**
  - इसलिए एक समूह का प्रदर्शन दूसरे समूह से भिन्न हो सकता है, न केवल उनके साथ किए जाने वाले "उपचार (treatment)" के कारण बल्कि यह उस समूह में सम्मिलित अपेक्षाकृत अधिक महिलाओं या अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित लोग के कारण भी भिन्न हो सकता है।
- साथ ही, RCTs इसकी भी गारंटी नहीं देता है कि जो केरल में प्रभावी है, वह बिहार में भी प्रभावी होगा या जो किसी छोटे समूह के लिए प्रभावी है, वह बड़े स्तर पर भी प्रभाव उत्पन्न करेगा।

RCTs कैसे कार्य करते हैं?

- उदाहरण के लिए, यदि कोई यह समझना चाहता है कि क्या मोबाइल वैक्सीनेशन वैन एवं/या अनाज की एक थैली उपलब्ध कराना ग्रामीणों को अपने बच्चों के टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेगा या नहीं, तो इस हेतु एक RCT के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित चार समूहों A, B, C एवं D में विभाजित करना होगा:
  - समूह A को मोबाइल वैक्सीनेशन वैन सुविधा प्रदान की जाएगी,
  - समूह B को अनाज की एक थैली दी जाएगी,
  - समूह C को दोनों प्रदान किए जायेंगे, तथा
  - समूह D को दोनों में से कुछ भी नहीं दिया जाएगा।
- घरों का चयन यादृच्छिक अर्थात् अनियमित या आकस्मिक तरीके से किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इनके चयन में कोई भेदभाव नहीं हो पाए। सभी समूह समान हैं तथा उनके मध्य टीकाकरण के स्तर में भिन्नता अनिवार्य रूप से अपनाए गए "हस्तक्षेपों" के कारण था।
- समूह D को "नियंत्रण" समूह कहा जाता है, जबकि अन्य सभी को "उपचार" समूह कहा जाता है।
- इस प्रकार के प्रयोग से न केवल यह ज्ञात होता है कि नीतिगत पहले प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं या नहीं, बल्कि इसके द्वारा उत्पन्न परिणामों का भी आकलन किया जा सकता है।
- यह प्रयोग यह भी प्रदर्शित करेगा कि एक से अधिक पहलों के संयुक्त होने पर क्या परिणाम परिलक्षित होंगे। इससे नीति-निर्माताओं के पास नीति का चयन करने से पूर्व इससे संबंधित साक्ष्य उपलब्ध होंगे।

RCTs का उपयोग करते हुए कुछ अध्ययन

- **टीकाकरण पर:**
  - **समस्याः** निम्न सेवा गुणवत्ता एक ऐसा कारण है जिसके चलते निर्धन परिवारों द्वारा निवारक उपायों में अत्यंत कम निवेश किया जाता है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी जो टीकाकरण के लिए जिम्मेदार हैं, वे प्रायः कार्य से अनुपस्थित रहते हैं।
  - **समाधानः** मोबाइल वैक्सीनेशन क्लीनिक (जहां देखभाल कर्मचारी सदैव साइट पर मौजूद रहते हैं) द्वारा इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इन क्लीनिकों के दायरे में लाने के लिए जिन गांवों को यादृच्छिक तरीके से चुना गया था, उनमें टीकाकरण की दर तीन गुना (6 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी) हो गई।
  - वहीं, जिन परिवारों को अपने बच्चों का टीकाकरण करवाने पर दाल की एक थैली बोनस के रूप में दी गई थी, उन स्थानों पर यह आंकड़ा बढ़ कर 39 प्रतिशत हो गया था।
  - चूंकि मोबाइल क्लिनिक की नियत लागतें कम होती हैं, इसलिए दाल के अतिरिक्त व्यय के बावजूद प्रति टीकाकरण की कुल लागत वास्तविक रूप में आधी हो गई थी।
- **शिक्षा पर:**
  - **समस्याः** कई निर्धन देशों के स्कूलों में पाठ्यक्रम व शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। बड़ी संख्या में शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं तथा शिक्षण संस्थान आमतौर पर कमजोर होते हैं।
  - **समाधानः** शिक्षकों की अनुपस्थिति के उच्च स्तर का कारण शिक्षकों के लिए स्पष्ट प्रोत्साहन व जवाबदेही का अभाव होना था। शिक्षकों को अभिप्रेरित करने का एक तरीका उन्हें अल्पकालिक अनुबंधों पर बहाल करना था। बेहतर परिणाम प्राप्त होने पर बहाली की अवधि को बढ़ाया जा सकता था।
  - प्रयोगों में पाया गया कि जिन विद्यार्थियों के शिक्षक अल्पकालिक अनुबंधों पर थे, उनके परीक्षा परिणाम उल्लेखनीय ढंग से बेहतर थे, परन्तु स्थायी शिक्षकों के मामले में प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या कम होने के बावजूद कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगत नहीं हुए।

VISION IAS

- अध्ययनों में सुझाया गया है कि अतिरिक्त संसाधनों के परिणाम सीमित रहे हैं, वहीं कमजोर विद्यार्थियों को लक्षित सहायता प्रदान करने के बेहतर सकारात्मक प्रभाव (यहां तक कि मध्यावधि में भी) हुए थे।

- **स्वास्थ्य सब्सिडी पर:**
  - **प्रश्न:** क्या दवा व स्वास्थ्य सेवा के लिए शुल्क लिया जाना चाहिए और यदि हां, तो इसकी लागत क्या होनी चाहिए?
  - **प्रयोग:** एक क्षेत्र आधारित प्रयोग से ज्ञात हुआ है कि कैसे परजीवी संक्रमण के प्रति कृमिहरण गोलियों (डी-वर्मिंग टैबलेट) की मांग, मूल्य के कारण प्रभावित हुई थी। यह पाया गया कि जब दवा निःशुल्क प्रदान की गई तब 75 प्रतिशत माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को ये गोलियां दी गईं, इसकी तुलना में जब दवा की कीमत अत्यधिक सब्सिडी के साथ एक डॉलर से भी कम थी तब केवल 18 प्रतिशत माता-पिता द्वारा अपने बच्चों को ये गोलियां दी गईं।
  - **निष्कर्ष:** निवारक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश के संबंध में निर्धन लोग अत्यधिक संवेदनशील होते हैं।

नोट: नोबेल पुरस्कार 2020 को अपडेशन भाग में शामिल किया जाएगा।

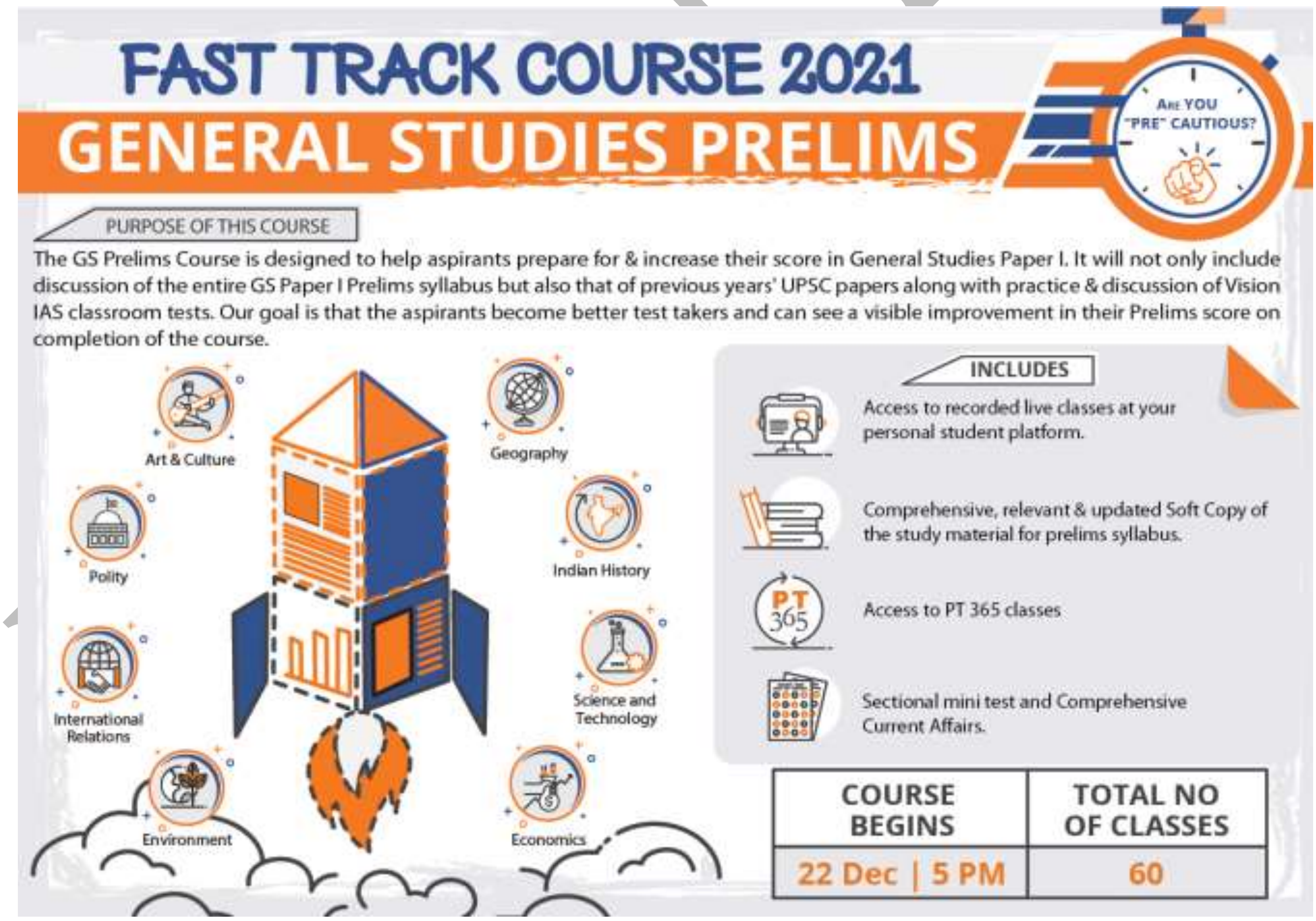

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.